सुनन अबू दाऊद

6

4291-5274

سُنَن ابُو داوُد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज

हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

Bismillah Arrehman Nirrahim

बिस्मिल्लाहि
र्हमान निरीहिम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है

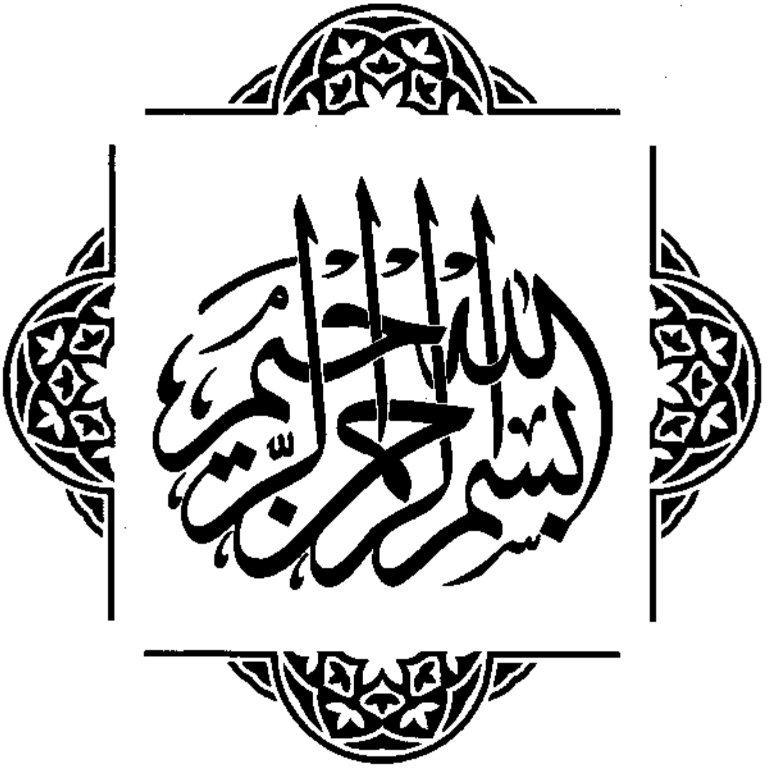

फ़रमाने बारी तआला

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ
وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें, उससे रूक जाओ। (सूरह हश्र 59:7)

फ़रमाने रसूल

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ،
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख़्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में जाने से) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! कौन (बदबख़्त) इंकार करेगा?

आप (ﷺ) ने फ़रमाया,
जिसने मेरी फ़रमाबर्दारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की यक़ीनन उसने (जन्नत में जाने से ख़ुद ही) इंकार किया।
(सहीह बुख़ारी : 7280)

سنن ابوداؤد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज

हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

ज़िल्द नम्बर

6

हदीस नं. 4291 से 5274 तक

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है।

इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	:	**सुनन अबू दाऊद, जिल्द-6**
तालिफ़	:	**इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अ़शअ़स् सजस्तानी**
हिन्दी तर्जुमा	:	**दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त, जोधपुर**
तस्हीह व नज़्रेसानी	:	**मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334**
लेजर टाइपसेटिंग	:	**अब्दुल याजिद, 99506-96917**
कवर डिज़ाईन	:	**कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट**
प्रिण्टिंग	:	**बेस्ट ऑफसेट**
बाइंडिंग	:	**मो.शाहिद 0291-2551615** **(यादगार मास्टर ज़हूरुद्दीन कमाल)**
मैनेजिंग डायरेक्टर	:	**अली हमजा, 82338-55587**
तादाद पेज	:	**688 पेज**
प्रकाशन	:	**शव्वाल 1440 हिजरी, इस्वी सन् जून, 2019**
ता'दाद	:	**1,100**
क़ीमत	:	**रुपए 550/-**

सोल डिस्ट्रीब्यूटर

पोपुलर बुक स्टोर, जोधपुर, 96641-59557

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

अहम मारकों (जंगों) का बयान जो उम्मत में होने वाले हैं	13
बाब : 1 सदी के मुताल्लिक़ फ़रमान	13
बाब : 2 रूमियों के साथ बरपा होने वाले मारकों (लड़ाइयों) का बयान	14
बाब : 3 इन मारकों (जंगों) की अहम अलामात	15
बाब : 4 जंगों के मुसल्सल वक़ूअ पज़ीर होने का बयान	16
बाब : 5 इस्लाम के ख़िलाफ़ उम्मतों के हुजूम का बयान	17
बाब : 6 इन मारकों में मुसलमानों का मर्कज़	18
बाब : 7 फ़ितने ख़त्म करने की एक तदबीर	19
बाब : 8 तुर्कों और हब्शा के काफ़िरों से बिलावजह छेड़छाड़ मना है	20
बाब : 9 तुर्क काफ़िरों के साथ जंग का बयान	20
बाब : 10 बसरे का बयान	22
बाब : 11 (कुफ़्फ़ारे) हब्शा का बयान	24
बाब : 12 अलामाते क़यामत	24
बाब : 13 दरया-ए-फ़ुरात से ख़ज़ाना ज़ाहिर होने का बयान	27
बाब : 14 दज्जाल का ज़ुहूर (ज़ाहिर होना)	28
बाब : 15 जस्सासा का बयान	34
बाब : 16 इब्ने साइद का बयान	38
बाब : 17 अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर (नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने) का बयान	42
बाब : 18 क़यामत के आने का बयान	51
हुदूद और ताज़ीरात का बयान	54
बाब : 1 मुर्तद, यानी दीने इस्लाम से फिर जाने वाले का हुक्म	55
बाब : 2 नबी (ﷺ) को गाली देने वाले का हुक्म	63
बाब : 3 डाका, रहज़नी और लूट मार का बयान	66
बाब : 4 अल्लाह की हुदूद में सिफ़ारिश करना	71
बाब : 5 हुदूद का मुक़द्दमा अगर क़ाज़ी या हाकिम तक न पहुँचा हो तो माफ़ किया जा सकता है	74
बाब : 6 क़ाबिले हद मुजरिम की पर्दापोशी करना	75
बाब : 7 क़ाबिले हद जुर्म का मुर्तकिब अगर ख़ुद हाज़िर होकर इक़रार कर ले तो?	76
बाब : 8 क़ाज़ी इक़रार करने वाले को उसके इक़रार से मुन्हरिफ़ करे	78
बाब : 9 अगर कोई सराहत किये बग़ैर क़ाबिले हद जुर्म का इक़रार कर ले, तो?	79
बाब : 10 मुल्ज़िम को तहक़ीक़ की ग़र्ज़ से मारना	80
बाब : 11 किस क़द्र चोरी में हाथ काटा जाये।	81
बाब : 12 ऐसी चोरी जिसमें हाथ नहीं कटता	83
बाब : 13 उचक लेने और ख़्यानत में हाथ काटना	85
बाब : 14 जो कोई महफ़ूज़ मक़ाम से चोरी करे	87
बाब : 15 माँगे की चीज़ लेकर इंकारी हो जाने में हाथ काटना	88
बाब : 16 अगर कोई मजनून, और पागल शख़्स चोरी करे या क़ाबिले हद जुर्म का इरतेकाब करे	90
बाब : 17 नाबालिग़ अगर क़ाबिले हद जुर्म करे तो उस पर हद नहीं लगती (नीज़ अलामाते बुलूग़त का बयान)	94

बाब : 18 जो कोई सफ़रे जिहाद में चोरी कर ले तो क्या उसका हाथ काटा जाये?	96
बाब : 19 कफ़न चोर का हाथ काटना	96
बाब : 20 चोर जो बार बार चोरियाँ करे	97
बाब : 21 चोर का कटा हूआ हाथ उसकी गर्दन में लटकाने का बयान	99
बाब : 22 ... कोई गुलाम अगर चोरी करे तो उसे बेच देने का बयान?	99
बाब : 23 ज़ानी को संगसार करने का बयान	100
बाब : 24 माइज़ बिन मालिक के रज्म का बयान	105
बाब : 25 क़बील–ए–जुहैना की औरत का ज़िक्र जिसको नबी (ﷺ) ने संगसार करने का हुक्म दिया था	119
बाब : 25 दो यहूदीयों के संगसार किये जाने का क़िस्सा	125
बाब : 27 जो कोई अपनी किसी महरम औरत से ज़िना करे?	134
बाब : 28 जो शख़्स अपनी बीवी की लौण्डी से ज़िना करे	135
बाब : 29 (समलैंगिकता) करने वाले की सज़ा	137
बाब : 30 जो कोई चौपाये से बद फ़ैअली का मुर्तकिब हो?	139
बाब : 31 जब मर्द ज़िना का इक़रार करे मगर औरत इंकार करे ...?	140
बाब : 32 जो शख़्स किसी औरत से जिमाअ (हमबिस्तरी) के अलावा सब कुछ करे फिर पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले	141
बाब : 33 ग़ैर शादीशुदा लौण्डी ज़िना करे तो...?	142
बाब : 34 मरीज़ आदमी को हद लगाना	144
बाब : 35 तोहमत की हद का बयान	146
बाब : 36 शराब नोशी की हद का बयान	147
बाब : 37 जो शख़्स बार बार शराब पीये	151
बाब : 38 मस्जिद में हद लगाना	158
बाब : 39 हद में चेहरे पर मारना	159
बाब : 40 ताज़ीरात का बयान	159
दियत की मशरूईयत	161
दियतों का बयान	163
बाब : 1 जान के बदले जान लेने का बयान	163
बाब : 2 कोई शख़्स अपने बाप या भाई वग़ैरह के जुर्म में नहीं पकड़ा जा सकता	164
बाब : 3 हाकिम या क़ाज़ी ख़ून माफ़ करने का कहे तो कैसा है?	165
बाब : 4 क़त्ले अम्द में मक़्तूल का वारिस अगर दियत लेने पर राज़ी हो, (तो दुरूस्त है)	173
बाब : 5 अगर कोई दियत लेने के बाद भी क़त्ल करे तो?	175
बाब : 6 अगर कोई शख़्स किसी को ज़हर पिला या खिला दे और वह मर जाये तो क्या उससे क़िसास लिया जायेगा?	175
बाब : 7 अगर कोई अपने गुलाम को क़त्ल कर दे या उसका कान, नाक वग़ैरह काट डाले तो क्या उससे क़िसास लिया जायेगा?	181
बाब : 8 क़सामा का बयान	184
बाब : 9 क़सामत की वजह से क़िसास न लेने का बयान	188
बाब : 10 क़ातिल से क़िसास लेने का बयान	191
बाब : 11 क्या मुसलमान को काफ़िर के बदले में क़त्ल किया जायेगा?	193
बाब : 12 अगर कोई शख़्स किसी ग़ैर को अपनी बीवी के पास पाये तो क्या उसे क़त्ल कर दे?	195

बाब : 13 अनजाने तौर पर अगर किसी आमिल से कोई शख़्स ज़ख़्मी हो जाये तो!	196
बाब : 14 लोहे के हथियार के अलावा दूसरी तरह से क़िसास लेना	198
बाब : 15 मार पीट से क़िसास और हाकिम का अपने से क़िसास दिलवाना	198
बाब : 16 औरत भी क़िसास माफ़ कर सकती है	200
बाब : 17 ... जो किसी बलवे में क़त्ल हो जाये	201
बाब : 18 दियत की मिक़्दार (मात्रा) का बयान	202
बाब : 19 क़त्ले ख़ता जो अम्द (जानबुझकर) के मुशाबा हो, की दियत	205
बाब : 19 ... ऊँटों की उम्रों की तफ़्सील	210
बाब : 20 अज़्ज़ा (जिस्म के हिस्सों) की दियत का बयान	211
बाब : 21 पेट के बच्चे की दियत	217
बाब : 22 मुकातब की दियत का बयान	223
बाब : 23 ज़िम्मी की दियत का बयान	225
बाब : 24 अपना दिफ़ा करते हूए अगर हमलावर का कोई नुक़्सान हो जाये या उसे ज़र्ब लग जाये तो?	225
बाब : 25 जो कोई बिला इल्म तबीब बन कर लोगों का इलाज करे और ज़रर (नुक़्सान) पहुँचाये तो ...?	227
बाब : 26 क़त्ले ख़ता जो अम्द के मुशाबा हो, की दियत	228
बाब : 27 फ़क़ीर लोगों का गुलाम किसी क़ाबिले दियत जुर्म का इरतेकाब कर बैठे तो ...?	229
बाब : 28 जो शख़्स किसी अंधाधुंध बलवे में क़त्ल हो जाये	230
बाब : 29 किसी को अगर जानवर लात मार दे तो	230
बाब : 30 जानवर लात मारे या मअदनी कान में कोई हादसा हो जाये	231
बाब : 31 आग जो फैल जाये	232
बाब : 32 दाँतों के क़िसास का बयान	232
सुन्नत की अहमियत व फ़ज़ीलत	234
सुन्नत का बयान	235
बाब : 1 सुन्नत की तशरीह व तौज़ीह का बयान	235
बाब : 2 आपस में झगड़ना या क़ुर्आन करीम के मुतशाबिहात के पीछे पड़ना मना है	237
बाब : 3 अहले बिदअत से दूर रहने और उनसे बुग़्ज़ रखने का बयान	238
बाब : 4 बिदतियों से सलाम छोड़ देने का बयान	240
बाब : 5 क़ुर्आन में झगड़ा करना मना है	241
बाब : 6 सुन्नत का इत्तेबा वाजिब है	242
बाब : 7 इत्तेबा-ए-सुन्नत की दावत देने (की अहमियत) का बयान	248
बाब : 8 (सहाबा किराम में) तफ़्ज़ील का बयान	260
बाब : 9 ख़ुल्फ़ा का बयान	263
बाब : 10 अस्हाबे नबी (ﷺ) की फ़ज़ीलत	282
बाब : 11 रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) को गाली गलोच करना हराम है	283
बाब : 12 सय्यदना अबूबक्र (رضي الله عنه) की ख़िलाफ़त का बयान	286
बाब : 13 फ़ितने के दिनों में इन बातों को आम मौज़ूअे बहस नहीं बनाना चाहिए (इनके मुताल्लिक़ आम बात न की जाये)	288
बाब : 14 अम्बिया-ए-किराम अलैहि. में फ़ज़ीलत देने का मसला	292
बाब : 15 मुर्जिआ की तर्दीद	296

बाब : 16 ईमान के कम व बेश होने की दलीलें	299
बाब : 17 तक़दीर का बयान	305
बाब : 18 मुश्रिकों की औलाद का बयान	325
बाब : 19 जहमिया का बयान	331
बाब : 20 दीदारे इलाही का बयान	337
बाब : 21 जहमिया की तर्दीद	339
बाब : 22 क़ुर्आन मजीद का बयान	341
बाब : 23 शफ़ाअत का बयान	344
बाब : 24 ... फ़ना के बाद जी उठने और सूर फूँके जाने का बयान	346
बाब : 25 जन्नत और दोज़ख़ के पैदा किये जाने का बयान	347
बाब : 26 हौज़ का बयान	348
बाब : 27 क़ब्र में सवाल जवाब और अज़ाब का बयान	352
बाब : 28 तराज़ू का बयान	358
बाब : 29 दज्जाल का बयान	359
बाब : 30 ख़वारिज का बयान	361
बाब : 31 ख़्वारिज से क़िताल का बयान	364
बाब : 32 चोर उचक्कों से क़िताल का बयान	373
इस्लामी आदाब की अहमियत व फ़ज़ीलत	378
आदाब व अख़्लाक़ का बयान	379
बाब: 1 नबी (ﷺ) के हिल्म और अख़्लाक़ का बयान	379
बाब : 2 बा'इज्ज़त होकर रहने का बयान	382
बाब : 3 गुस्सा पी जाने का बयान	383
बाब : 4 ... गुस्सा आये तो क्या कहा जाये?	384
बाब : 5 अफ़्वो दरगुज़र (माफ़ करने) का बयान	387
बाब:6 आपसी मामलात में हुस्ने अख़्लाक़ का बयान	389
बाब : 7 सिफ़ते हया का बयान	393
बाब : 8 हुस्ने अख़्लाक़ का बयान	395
बाब : 9 डींगें मारने और बरतरी के इज़हार की मनाही का बयान	397
बाब : 10 एक दूसरे की मदह सराई की कराहत का बयान	398
बाब : 11 नर्मख़ूई (विनम्र स्वभाव) का बयान	400
बाब : 12 एहसान और कारे ख़ैर पर शुक्रिया अदा करने का बयान	402
बाब : 13 रास्तों पर बैठना (नापसन्दीदा है)	404
बाब : 14 मज्लिस को वसीअ बना लेने का बयान	407
बाब : 15 धूप और छाँव में बैठने का बयान	407
बाब : 16 मुख़्तलिफ़ (कई) हल्क़े बनाकर बैठने का बयान	408
बाब : 17 हल्क़े के बीच में बैठने का बयान	409
बाब : 18 अगर कोई किसी दूसरे के लिये अपनी जगह से उठ जाये तो?	410
बाब:19 कैसे लोगों की सोहबत इख़्तियार की जाये?	411
बाब : 20 झगड़े फ़साद की कराहत का बयान	414
बाब : 21 रसूलुल्लाह (ﷺ) का उस्लूबे गुफ़्तगू	415
बाब : 22 ख़ुत्बा देने का बयान	417
बाब : 23 हर आदमी के मक़ाम व मर्तबे का ख़्याल रखने का बयान	417
बाब : 24 बिला इजाज़त दो आदमियों के दरम्यान बैठने का बयान	419
बाब : 25 आदमी के बैठने की बाबत अहकाम व मसाइल	420

बाब : 26 ... बैठने का एक नापसन्दीदा और मकरूह अन्दाज़	421
बाब : 27 इशा के बाद बेमक़सद बातों में मशग़ूल रहने का बयान	422
बाब : 28 आदमी का आलती पालती मार कर बैठने का बयान	422
बाब : 29 सरगोशियाँ करने का बयान	423
बाब : 30 जो शख़्स अपनी जगह से उठ कर गया हो और फिर वापस आ जाये	424
बाब : 31 ... मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र किये बग़ैर उठ जाने की कराहत का बयान	425
बाब : 32 कफ़्फ़ार–ए–मज्लिस की दुआ	426
बाब : 33 शिकायतें करना बहुत बुरा अमल है	428
बाब : 34 लोगों से होशियार रहने का बयान (हर कोई क़ाबिले भरोसा नहीं होता)	429
बाब : 35 पैदल आदमी की चाल का बयान	431
बाब : 36 लेटे हूए टाँग पर टाँग रख लेने का बयान	432
बाब : 37 बात उड़ा देना (बहुत बुरा है)	433
बाब : 38 चुग़ल ख़ोर का बयान	434
बाब : 39 दो रूख़े आदमी का बयान	435
बाब : 40 ग़ीबत के अहकाम व मसाइल	436
बाब : 41 किसी मुसलमान की (ग़ैर मौजूदगी में उसकी) इज्ज़त का दिफ़ा करना	440
बाब : 42 ... ऐसे लोग जिनकी बुराई करना ग़ीबत शुमार नहीं होता	442
बाब : 43 ... जो कोई अपनी ग़ीबत करने वालों को माफ़ कर दे	443
बाब : 44 टोह लगाने का बयान	444
बाब : 45 मुसलमान की पर्दापोशी करने का बयान	445
बाब : 46 ... भाईचारे का बयान	447
बाब : 47 गाली गलोच करने वाले	448
बाब : 48 तवाज़ोअ और इन्केसारी का बयान	448
बाब : 49 बदला लेने का बयान	449
बाब : 50 फ़ौत शुदागान (गुज़रे हुए लोगों) को बुरा भला कहने की मनाही का बयान	452
बाब : 51 हद से तजावुज़ करने (आगे बढ़ने) की मुमानिअत का बयान	453
बाब : 52 हसद के अहकाम व मसाइल	455
बाब : 53 लानत करने का बयान	457
बाब : 54 जो कोई अपने ज़ालिम को बद्दुआ करे	459
बाब : 55 मुसलमान भाई से मेल जोल छोड़ देने का बयान	460
बाब : 56 ज़न और गुमान का बयान	463
बाब : 57 (मुसलमान भाई की) ख़ैरख़्वाही और हिफ़ाज़त का बयान	464
बाब : 58 आपस के रवाबित (ताल्लुक़) बेहतर बनाने की फ़ज़ीलत का बयान	464
बाब : 59 गाने का बयान	466
बाब : 60 गाने और आलाते मोसीक़ी की कराहत का बयान	468
बाब: 61 हिजड़ों से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल	470
बाब : 62 गुड़ियो से खेलने का बयान	472
बाब : 63 झूले का बयान	473
बाब : 64 नर्द (चौसर) खेलना नाजायज़ है	476
बाब : 65 कबूतर बाज़ी का बयान	478
बाब : 66 रहमत व शफ़्क़त करने का बयान	478
बाब : 67 ख़ैरख़्वाही का बयान	480
बाब : 68 मुसलमान की मदद करने का बयान	481

बाब : 69 (ग़लत) नाम बदल देने का बयान	482
बाब : 70 ग़लत और बुरे नाम बदल देने का बयान	485
बाब : 71 बुरे अलक़ाब से पुकारने का बयान	490
बाब : 72 'अबू ईसा' कुन्नियत रखना कैसा है?	491
बाब : 73 किसी दूसरे के बच्चे को 'मेरे बेटे' कह कर पुकारना	492
बाब:74 अबुल क़ासिम' कुन्नियत रखना कैसा है?	493
बाब : 75 उन हज़रात की दलील जो (नबी (ﷺ) के) नाम और कुन्नियत को जमा करना जायज़ नहीं जानते	494
बाब : 76 (नबी (ﷺ) का) नाम और कुन्नियत जमा कर लेने की रूख़्सत का बयान	495
बाब : 77 औलाद न होने के बावजूद कुन्नियत रखना	496
बाब : 78 औरत कुन्नियत इख़्तियार करे तो जायज़ है	497
बाब : 79 इशारे किनाये से (ज़ूमानी) बात करना	498
बाब : 80 'लोगों का ख़्याल है, समझा जाता है, और कहा जाता है' वग़ैरह अन्दाज़ से बात करना	499
बाब : 81 ख़ुत्बे में 'अम्मा बाद' का इस्तेमाल	500
बाब : 82 अंगूर के लिये लफ़्ज़ 'करम' इस्तेमाल करना और अपनी ज़बान व गुफ़्तगू में मोहतात रहने का बयान	500
बाब : 83 लौण्डी, ग़ुलाम अपने आक़ा (मालिक) को 'मेरा रब' न कहे	501
बाब : 84 कोई शख़्स यूँ न कहे कि 'मेरा नफ़्स ख़बीस हो गया है'	502
बाब : 85	503
बाब : 86 नमाज़े अतमा (अन्धेरे की नमाज) का बयान	505
बाब : 87 कुछ औक़ात इस्तेआरा व किनाया का इस्तेमाल जायज़ है	507
बाब : 88 झूठ बोलने की मज़म्मत	508
बाब : 89 अच्छा गुमान रखने का बयान	510
बाब : 90 वादा वफ़ा (पूरा) करने की ताकीद	512
बाब : 91 धोखा देने के लिये ऐसे ज़ाहिर करना कि ये चीज़ मेरी है, हालांकि उसकी न हो	513
बाब : 92 मज़ाक और ख़ूश तबई का बयान	514
बाब : 93 हँसी हँसी में किसी की चीज़ ले लेना	516
बाब : 94 मुँह बनाकर तकल्लुफ़ (एक्टिंग) से बातें करना	518
बाब : 95 शायर व शायरी का बयान	520
बाब : 96 ख़्वाबों का बयान	525
बाब : 97 जमाई का बयान	530
बाब : 98 छींक का बयान	531
बाब: 99 छींक का जवाब किस तरह दिया जाये?	532
बाब : 100 कितनी बार छींक का जवाब दे?	534
बाब : 101 कोई ग़ैर मुस्लिम छींक मारे तो किस तरह जवाब दे?	536
बाब : 102 जो शख़्स छींक आने पर अल्हम्दुल्लिाह न कहे	536
सोने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	537
बाब : 103 औंधे मुँह पेट के बल सोना (नापसंदीदा है)	537
बाब : 104 ऐसी छत पर सोना जिस पर कोई मुंडेर न हो	539
बाब : 105 बा'वुज़ू होकर सोने (की फ़ज़ीलत) का बयान	539

बाब : 106 (सोते हूए) अपना रूख़ किधर करे?	541
बाब : 107 सोते हूए कौन सी दुआ पढ़े?	541
बाब : 108 रात को जब आँख खुले तो कौन सी दुआ करे?	552
बाब : 109 सोते वक़्त तस्बीहात का विर्द	553
बाब : 110 सुबह के वक़्त की दुआएँ	558
बाब : 111 नया चाँद देखने की दुआ	579
बाब : 112 घर से निकलने की दुआ	580
बाब : 113 ... घर में दाख़िल हो तो क्या पढ़े?	581
बाब : 114 तेज़ हवा चले तो कौन सी दुआ पढ़े?	582
बाब : 115 बारिश का बयान	584
बाब : 116 मुर्ग़ और दीगर जानवरों का बयान	585
बाब : गधों का रैंकना और कूत्तों का भौंकना	586
बाब : 117 नोमौलूद के कान में अज़ान कहने का बयान	587
बाब : 118 अगर कोई किसी आदमी से अमान और पनाह तलब करे	589
बाब : 119 वस्वसे और उनका इलाज	590
बाब : 120 गुलाम किसी और को अपना मालिक बताये या बेटा किसी और को अपना बाप बताये	592
बाब : 121 हसब नसब पर फ़ख़्र करने का बयान	595
बाब : 122 तास्सूब और असबियत का बयान	596
बाब : 123 किसी शख़्स की नेकी और भलाई देख कर उससे मोहब्बत करना	599
बाब : 124 मशवरे का बयान	602
बाब : 125 नेकी और भलाई की बात बताने वाले की फ़ज़ीलत	602
बाब : 126 ख़्वाहिशे नफ़्स का बयान	603
बाब : 127 सिफ़ारिश का बयान	604
बाब : 128 ख़त लिखने का अदब, पहले अपना नाम लिखे	605
बाब : 129 काफ़िर को ख़त लिखने का तरीक़ा	606
बाब : 130 माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का बयान	607
बाब : 131 यतीमों की परवरिश की फ़ज़ीलत	612
बाब : 132 यतीम को अपने अहल व अयाल के साथ मिलाकर परवरिश करने की फ़ज़ीलत	614
बाब : 133 हमसायगी के हुक़ूक़ का बयान	614
बाब :134 गुलामों का ख़ास ख़्याल रखने का बयान	616
बाब : 135 मम्लूक गुलाम जो अपने आक़ा को नसीहत करे	624
बाब : 136 किसी के गुलाम को उसके मालिक के ख़िलाफ़ भड़काना	624
बाब : 137 किसी के घर या ख़ास मज्लिस में इजाज़त लेकर जाने का बयान	625
बाब : 138 ... इजाज़त कैसे ली जाये?	627
बाब : 139 इजाज़त तलब करते हूए आदमी कितनी बार अस्सलामुअलैकुम कहे?	629
बाब : 140 ... दस्तक देकर इजाज़त लेना	635
बाब : ... ... इजाज़त लेने के लिये दरवाज़ा खटखटाने का बयान	636
बाब : 141 जब आदमी को बुलवाया जाये और वह बुलाने वाले के साथ चला आये तो क्या ये इजाज़त के हम मानी है?	637
बाब : 142 पर्दे के तीन औक़ात (वक़्तों) में इजाज़त लेने का बयान	638
अस्सलामुअलैकुम कहने के आदाब	640
बाब : 143 सलाम आम करने का हुक्म	640
बाब : 144 सलाम किस तरह कहे?	641

बाब : 145 सलाम कहने में सब्क़त की फ़ज़ीलत	642
बाब : 146 पहले सलाम कौन कहे?	643
बाब : 147 दो आदमी जुदा हों और फिर मिलें तो भी सलाम कहें (ख़्वाह जुदाई थोड़ी ही देर की हो)	644
बाब : 148 बच्चों को सलाम कहना	645
बाब : 149 औरतों को सलाम कहना	646
बाब : 150 ज़िम्मीयों (काफ़िरों) को सलाम	646
बाब : 151 मज्लिस से उठते हुए सलाम कहना	648
बाब : 152 'अलैकस्सलाम' कहना मकरूह है	649
बाब : 153 जमाअत में से एक आदमी का जवाब देना भी काफ़ी है	649
बाब : 154 मुसाफ़ा करने का बयान	650
बाब : 155 गले मिलने का बयान	651
बाब : 156 ताज़ीम के लिये खड़े होना	652
बाब : 157 बाप का अपने बेटे को बोसा देना	654
बाब : 158 पेशानी पर बोसा देना	655
बाब : 159 रूख़्सार (गाल) पर बोसा देना	655
बाब : 160 हाथ पर बोसा देना	656
बाब : 161 जिस्म पर बोसा देना	657
बाब : 162 ... पाँव को बोसा देना	658
बाब : 163 एक शख़्स दूसरे से कहे 'मैं तुझ पर वारी' 'तुझ पर क़ुर्बान जाऊं'	659
बाब : 164 कोई शख़्स दूसरे से कहे 'अल्लाह आपकी आँखें ठण्डी रखे'	659
बाब : 165 कोई दूसरे को यूँ दुआ दे 'अल्लाह तुम्हारी हिफ़ाज़त करे'	660
बाब : 166 एक शख़्स का दूसरे शख़्स की ताज़ीम के लिये खड़े होना	661
बाब : 167 जब कोई किसी दूसरे का सलाम पहुँचाये तो ...	662
बाब : 168 किसी की पुकार पर 'लब्बैक' कह कर जवाब देना	663
बाब : 169 किसी को इन अल्फ़ाज़ में दुआ देना 'अल्लाह तुम्हें हँसता मुस्कुराता रखे'	664
बाब : 170 मकान बनाने का बयान	665
बाब : 171 बाला ख़ाना बनाना	667
बाब : 172 बेरी का दरख़्त काट देना (कैसा है?)	667
बाब : 173 रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ हटाने का बयान	669
बाब : 174 रात को आग बुझा कर सोना चाहिए	672
बाब : 175 साँपों को मारने का बयान	673
बाब : 176 छिपकली (और गिरगिट) को मार देने का बयान	680
बाब : 177 चींटियों को मारने का मसला	681
बाब : 178 मैंढक को मारने का बयान	683
बाब : 179 कंकरियाँ और पत्थर मारते फिरना	684
बाब : 180 ख़त्ने का बयान	685
बाब : 181 रास्ते में औरतों का मर्दों के साथ मिलकर चलना	686
बाब : 182 आदमी का ज़माने को गाली देना	687
सुनन अबू दाऊद का तर्जुमा और फ़वाइद मुकम्मल हुए	688

كتاب الملاحم

अहम मारकों (जंगों) का बयान जो उम्मत में होने वाले हैं

﴿1﴾ باب مَا يُذْكَرُ فِي قَرْنِ الْمِائَةِ

बाब : 1
सदी के मुताल्लिक़ फ़रमान

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَمْ يَجُزْ بِهِ شَرَاحِيلَ .

(4291) जनाब अबू अल्क़मा ने कहा कि मेरे इल्म व यक़ीन के मुताबिक़ हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से रिवायत किया है, आपने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह ज़ूल जलाल हर सौ साल के शूरू में या आख़िर में इस उम्मत के अंदर एक आदमी पैदा करता रहेगा जो उसके दीन को अज़ सरे नो क़ायम और मज़बूत करता रहेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को अब्दुर्रहमान बिन शुरैह इस्कंदरानी ने (मोज़ल) बयान किया है, वह शराहील से आगे नहीं बढ़ा। (उसने बाद वाले रावियों का ज़िक्र छोड़ दिया है।)

(4291) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/522.

फ़ायदा : ये बहुत बड़ा इनाम है कि उम्मत में ऐसे सालेहीन पैदा हुए हैं और आइन्दा भी होंगे जो दीन के मामले में ऐसी ख़िदमात सर अंजाम देंगे जो इन्तेहाई अहम और ज़रूरी होंगी। मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि ख़ूद उन्हें भी इसका एहसास हो या लोगों में इससे उनका तआरूफ़ हो या वह ख़ूद अपना चर्चा करते फिरें ... बल्कि उनकी ख़िदमाते जलीला से उलमा–ए–हक़ में उनके मुताल्लिक़ ये सिफ़त जानी जायेगी। मुमकिन है वह मुजाहिद हो या हाकिम या दाई।

बाब : 2 रूमियों के साथ बरपा होने वाले मारकों (लड़ाइयों) का बयान

(4292) हस्सान बिन अ़तिया कहते हैं कि मक्हूल और इब्ने अबू ज़करिया, ख़ालिद बिन मअ़दान की तरफ़ रवाना हूए और मैं भी उनके साथ चल दिया। तो ख़ालिद ने जुबैर बिन नुफ़ैर से एक हदीस़ रिवायत की जो हुदना (समझोता) के मुताल्लिक थी। फिर जुबैर ने कहा: चलें हज़रत ज़ी मिख़बर (ﷺ) के यहां चलते हैं जो कि नबी (ﷺ) के स़हाबा में से थे। हम उनके पास पहुँचे तो जुबैर ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना है: 'तुम लोग रूमियों से एक पुरअमन मुस़ालहत करोगे। और फिर उनके साथ मिलकर अपने पीछे एक दुशमन से जंग करोगे, उन पर ग़ालिब रहोगे, ग़नीमत पाओगे और स़ही सलामत रहोगे, फिर वहां से वापस लौटोगे और एक मैदान में उतरोगे जिसमें टीले भी होंगे। तो ईसाईयों में से एक आदमी स़लीब बलंद करेगा और कहेगा: स़लीब ग़ालिब आ गई। तो मूसलमानों में से एक आदमी को ग़ुस्सा आयेगा और वह उसे क़त्ल कर डालेगा। तो उस मौक़े पर रूमी धोखा करेंगे और जंग के लिये जमा हो जायेंगे।'

(4292) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 2767 में देखें, इब्ने माजा, हदीस़: 4089.

﴿2﴾ باب مَا يُذْكَرُ مِنْ مَلاَحِمِ الرُّومِ

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْهُدْنَةِ، قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْبَرٍ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ " .

(4293) हस्सान बिन अ़तिया ने ये हदीस़ बयान की और मज़ीद कहा: 'मुसलमान जल्दी से अपने अस्लहे की तरफ़ उठेंगे और उनसे क़िताल करेंगे और अल्लाह उन्हें शहादत से सरफ़राज़ फ़रमायेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस सनद में वलीद ने बवास्ता जुबैर, हज़रत ज़ी मिख़्बर (ﷺ) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रौह, यहया बिन हमज़ा और बिश्र बिन बक्र ने ओज़ाई से रिवायत किया जैसे कि ईसा ने कहा।

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فِيهِ " وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلاَّ أَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ ذِي مِخْبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كَمَا قَالَ عِيسَى .

बाब : 3
इन मारकों (जंगों) की अहम अ़लामात (निशानियाँ)

﴿3﴾ بَابٌ فِي أَمَارَاتِ الْمَلاَحِمِ

(4294) हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बैतुल मक़्दिस की आबादी यस़्रिब (मदीने) की बे'आबादी का पेश ख़ैमा होगी। और यस़्रिब की बे'आबादी के नतीजे में बड़ी जंग होगी और उस जंग का ज़ुहूर कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगा। और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल आयेगा। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना हाथ इस हदीस़ के बयान करने वाले

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَفَتْحُ

الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ " . ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَ - أَوْ مَنْكِبِهِ - ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ . يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ .

(हज़रत मुआज) (ﷺ) की रान या कंधे पर मारा, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये वाक़िया इस तरह हक़ है जैसे कि तुम यहां हो या बैठे हूए हो।' मुराद हज़रत मुआज़ बिन जबल(ﷺ) थे।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/245.

(4) بَابٌ فِي تَوَاتُرِ الْمَلاَحِمِ

बाब : 4
जंगों के मुसल्सल वक़ूअ पज़ीर होने का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُتَيْبٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ

(4295) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जंगे अज़ीम, फ़तहे कुस्तुनतुनिया और दज्जाल की आमद सात महीनों में होगी।'

(4295) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2238, इब्ने माजा, हदीस: 4092.

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى .

(4296) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जंगे अज़ीम और शहरे (कुस्तुनतुनिया) की फ़तह छः साल के अर्से में होगी और मसीह दज्जाल का निकलना सातवें में होगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत ईसा की (ऊपर दी गई) रिवायत से सही तर है।

(4296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 4093, तोहफ़तुल अशराफ़: 4/294).

बाब : 5
इस्लाम के ख़िलाफ़ उम्मतों के हुजूम का बयान

﴿5﴾ باب فِي تَدَاعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلاَمِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا " . فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ " . فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ " حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ " .

(4297) हज़रत सौबान (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसा वक़्त आने वाला है कि दूसरी उम्मतें तुम्हारे ख़िलाफ़ एक दूसरे को बुलायेंगी जैसे कि खाने वाले अपने प्याले पर एक दूसरे को बुलाते हैं।' तो कहने वाले ने कहा: क्या ये हमारी उन दिनों क़िल्लत और कमी की वजह से होगा? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: '(नहीं) बल्कि तुम उन दिनों बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन झाग होंगे जिस तरह के सैलाब का झाग होता है। अल्लाह तआला तुम्हारे दुशमन के सीनों से तुम्हारी हैबत (डर) निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में 'वहन' डाल देगा।' पूछने वाले ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! वहन से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया: 'दुनिया की मुहब्बत और मौत की कराहियत।'

(4297) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी, हदीस: 1/345, हदीस: 600, मुसनद अहमद: 5/278.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लाम और मुसलमानों की हैबत और ग़लबे का राज़ तादाद के ज़्यादा पर नहीं है बल्कि अल्लाह के तक़्वे और उसके दीन की सचमुच पाबंदी में पोशिदा है। (2) दुनिया की मोहब्बत और आख़िरत से बेफ़िक्री बहुत बड़ा फ़ितना है जो अफ़राद बल्कि क़ौमों को दुनिया में रूस्वा करके रख देता है और आख़िरत की ख़राबी उससे बढ़ कर है।

बाब : 6
इन मारकों (जंगों) में मुसलमानों का मर्कज़

(4298) हज़रत अबूद्दरदा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जंग के मौक़े पर मुसलमानों का ख़ैमा (मर्कज़) दमिश्क़ नामी शहर की जानिब में मक़ामे ग़ूता होगा और दमिश्क़ शाम के बेहतरीन शहरों में से होगा।'

(4298) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/197, हाकिम: 4/486.

(4299) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब मुसलमान मदीने में घेर लिये जायेंगे यहाँ तक कि उनकी बईद तरीन छावनी उस वक़्त सलाह मक़ाम पर होगी।'

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 4250 में देखें।

(4300) जनाब ज़ोहरी (रह.) से मरवी है कि सलाह का मक़ाम ख़ैबर के क़रीब है।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4251 में देखें।

﴿6﴾ باب فِي الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلاَحِمِ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ" .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاَحُ " .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ وَسَلاَحُ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ .

फ़ायदा : क़यामत के क़रीब ऐसा होगा जब इस्लाम अतराफ़े आलम (तमाम दुनिया) से सिमट सिमटा कर मदीना में महसूर हो जायेगा।

बाब : 7
फ़ितने ख़त्म करने की एक तदबीर

﴿7﴾

باب ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ فِي الْمَلاَحِمِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ، - قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا " .

(4301) यहया बिन जाबिर ताई (रह.) से रिवायत है जबकि हारून बिन अ़ब्दुल्लाह की सनद में ... यहया हज़रत औफ़ बिन मालिक(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला इस उम्मत में दो तलवारें हरगिज़ जमा नहीं फ़रमायेगा कि एक तलवार उनके आपस में चले और दूसरी उनका दुशमन चलाये।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/26.

फ़ायदा : मुसलमानों का आपस में लड़ना भिड़ना बहुत बड़ा फ़ितना है, मगर इस उम्मत पर ये बहुत बड़ा एहसान है कि जब भी बाहर का कोई दुशमन उन पर हमलावर होगा तो मुसलमान आपस में इकट्ठे हो जाया करेंगे। मालूम हूआ कि मुसलमानों के दाख़ली तनाज़ात को ख़त्म करने के लिये मुश्तरक बड़े दुशमन से जिहाद का अ़मल जारी रखा जाना ज़रूरी है। वैसे भी जिहाद के हालात हर दौर में मौजूद रहेंगे। ये अलग बात है कि मुसलमान इस फ़रीज़–ए—जिहाद की अदायगी में कोताही करेंगे। कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने इस हदीस़ को स़ही क़रार दिया है।

बाब : 8
तुर्कों और हब्शा के काफ़िरों से बिलावजह छेड़छाड़ मना है

﴿8﴾ باب فِي النَّهْىِ عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ، وَالْحَبَشَةِ

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ، - رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ " .

(4302) नबी (ﷺ) के एक सहाबी से रिवायत है, वह नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमायाः 'हब्शियों से तअर्रूज़ (छेड़छाड़) न करो जब तक कि वह तुम्हारे दरपे न हों और तुर्कों को भी छोड़े रहो जब तक कि वह तुम्हें छोड़े रहें।'

(4302) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीसः 3178, नैलुल मक़सूद, हदीसः 4309.

फ़ायदा : मुसलमानों की जमीयत अगर मुज्तमअ न हो तो यही हुक्म है, वरना (क़ातिलुल मुश्रिकीना) (अत्तौबाः 36) पर अमल लाज़िम है और ख़ैरूल कुरून में इस पर अमल हूआ है। वल्लाहू आलम!

बाब : 9
तुर्क काफ़िरों के साथ जंग का बयान

﴿9﴾ باب فِي قِتَالِ التُّرْكِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ " .

(4303) सय्यदना अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'क़यामत उस वक़्त तक नहीं आयेगी जब तक कि मुसलमानों की तुर्कों से जंग न हो जाये। ये ऐसे लोग होंगे कि उनके चेहरे ढालों की मानिन्द होंगे, जिन पर चमड़ा वग़ैरह लगाया गया हो। और उनका लिबास बालों का होगा।'

(4303) तख़रीज : मुस्लिमः 2912.

फ़ायदा : तुर्कों के चेहरे पुरगोश्त, गोल और चौड़े होते हैं। इस वजह से उन्हें चमड़े मुंडी ढालों से तशबीह दी गई है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ السَّرْحِ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الأَنْفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ" .

(4304) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत उस वक़्त तक नहीं आयेगी जब तक कि तुम (मुसलमान) एक क़ौम से जंग न कर लो जिनके जूते बालों के होंगे। और उस वक़्त तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि तुम एक क़ौम से जंग न कर लो जिनकी आँखें चौड़ी और नाकें चिपटी होंगी, उनके चेहरे गोया ढालें होंगी जिन पर चमड़ा वग़ैरह लगा होता है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2929, मुस्लिम: 2912.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ " يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الأَعْيُنِ " . يَعْنِي التُّرْكَ قَالَ " تَسُوقُونَهُمْ ثَلاَثَ مِرَارٍ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الأُولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيُصْطَلَمُونَ " . أَوْ كَمَا قَالَ .

(4305) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपनी एक हदीस में फ़रमाया: 'एक क़ौम तुम से जंग करेगी जिनकी आँखें चौड़ी चौड़ी होंगी यानी तुर्क। फ़रमाया: तुम उन्हें तीन बार धकेलोगे यहाँ तक कि जज़ीर-ए-अरब के किनारे पर पहुँचा दोगे। पहली दफ़ा धकेलने में उनमें से जो भाग जायेंगे निजात पा जायेंगे, दूसरी दफ़ा में कुछ बच जायेंगे और कुछ हलाक होंगे। लेकिन तीसरी बार में उनका सफ़ाया कर दिया जायेगा।' या इसकी मानिन्द बयान फ़रमाया।

(4305) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

बाब : 10
बस़रे का बयान

﴿10﴾ باب فِي ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِغَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ " . قَالَ ابْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ " وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلاَثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لأَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ " .

(4306) जनाब मुस्लिम बिन अबू बक्रा कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत के कुछ लोग निचले इलाक़े की ज़मीन में उतरेंगे जिसे बस़रा कहते होंगे जो दरया—ए—दजला के किनारे आबाद होगा और उस पर एक पुल होगा। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा होगी और ये मुहाजिरों का शहर होगा।'

इब्ने यहया ने बयान किया कि अबू मअ़मर ने कहा: 'ये मुसलमानों का शहर होगा, पस जब आख़री ज़माना होगा तो बनू क़न्तूरा (तुर्क, ये उनके जद्देआला—पुर्वज का नाम है) आयेंगे, उनके चेहरे चौड़े और आँखें चौड़ी होंगी यहाँ तक कि वह उस दरया के किनारे उतरेंगे तो उस शहर के लोग तीन जमाअ़तों में बट जायेंगे: एक जमाअ़त बैलों की दुमें पकड़ लेगी और जंगलों में निकल जायेगी और इस तरह वह हलाक होंगे। दूसरी जमाअ़त अपने लिये अमान तलब करेगी और वह काफ़िर हो जायेंगे। और तीसरी जमाअ़त वह होगी जो अपनी औलाद (की परवाह न करते हुए उन्हें) अपनी पीठों पीछे छोड़ कर उनके साथ क़िताल करेगी और यही लोग अ़ज़ीम शोहदा होंगे।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/40.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़िलाफ़ते अ़ब्बासिया के आख़री ख़लीफ़ा मोअ़तसिम बिल्लाह (स़फर 656 हि.) के दौर में ये वाक़िया ज़हूर पज़ीर हो चुके हैं। **(2)** जब कुफ़्फ़ार मुसलमानों पर हुजूम (इकट्ठे होकर) आयें तो जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। फिर उससे फ़रार हलाकत और कुफ़्फ़ार की पनाह में आना

कुफ़्र है। और निजात उसके लिये है जो उस मौक़े पर अपने जान माल की बाज़ी लगा दे। (3) हदीस में वारिद निशानियाँ जहाँ भी ऐसा हो वहाँ पर साबित होती हैं।

(4307) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया था: 'ऐ अनस! लोग कई शहर आबाद करेंगे, उनमें से एक शहर का नाम बसरा या बुसैरा होगा, अगर तुम उसके पास से गुज़रो या उसमें दाख़िल हो तो वहां की सिबाख़ (करज़दा ज़मीन) और 'कला' मक़ाम से दूर रहना, उसके बाज़ारों और उसके अमीरों के दरवाज़ों से भी बचना, उसके अतराफ़ व जवानिब को इख़्तियार करना। बिलाशुब्हा उस ज़मीन में ख़स्फ़ (धंस जाना), पत्थरों की बारिश और ज़लज़ले होंगे। और ऐसे लोग भी होंगे जो (शाम को सही सलामत होंगे मगर) सुबह करेंगे तो बंदर और सूअर बन चुके होंगे।'

(4307) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْحَنَّاطُ، - لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ أَوِ الْبُصَيْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاَءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ " .

(4308) इब्राहीम बिन सालेह बिन दिरहम कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वह कहते थे कि हम लोग हज के लिये रवाना हूए तो इत्तेफ़ाक़ से हम से एक आदमी ने पूछा: तुम्हारे क़रीब पहलू में उबूल्ला नामी कोई बस्ती है? हमने कहा: हाँ, तो उसने कहा: तुममें से कौन मेरा ज़ामिन बनता है कि वह मेरे लिये मस्जिदे अश्शार में दो या चार रकअतें पढ़े और कहे कि ये हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) के लिये हैं? मैंने अपने ख़लील अबूल क़ासिम (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़यामत के दिन मस्जिदे अश्शार से शोहदा को

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، انْطَلَقْنَا حَاجِّينَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الأُبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ . قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولَ هَذِهِ لأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ

يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لاَ يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ

उठायेगा। शोहदा–ए–बद्र के साथ उन लोगों के अलावा और कोई नहीं उठेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये मस्जिद दरया के किनारे पर है।

(4308) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

﴿11﴾ باب النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ الْحَبَشَةِ

बाब : 11
(कुफ़्फ़ारे) हब्शा का बयान

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ " .

(4309) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: '(कुफ़्फ़ारे) हब्शा जब तक तुम से तअर्रुज़ (छेड़छाड़) न करें तुम भी उन्हें छोड़े रहो। बिलाशुब्हा कअबे का ख़ज़ाना निकालने वाला एक हब्शी ही होगा जिसकी पिण्डलियाँ चौड़ी चौड़ी होंगी।'

(4309) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/371, हाकिम: 4/453.

﴿12﴾ باب أَمَارَاتِ السَّاعَةِ

बाब : 12
अलामाते क़यामत

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ فِي الآيَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا الدَّجَّالُ قَالَ

(4310) जनाब अबू ज़ुर्आ (रह.) ने बताया कि एक जमाअत मदीना मुनव्वरा में मरवान (बिन हकम) के यहां गई। उन्होंने उससे अलामाते क़यामत के सिलसिले में सुना कि सबसे पहले दज्जाल निकलेगा। कहते हैं, फिर मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) के यहां

فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ وَأَظُنُّ أَوَّلَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

हाज़िर हूआ और उन्हें ये बताया तो अ़ब्दुल्लाह ने कहा: उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है आप फ़रमाते थे: 'बेशक उन निशानियों में सबसे पहले ये है कि सूरज मग़रिब की तरफ़ से तुलूअ होगा या चाश्त के वक़्त 'जानवर ज़ाहिर होगा' जो भी पहले हूआ दूसरा उसके बाद हो जायेगा।'
हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने कहा: और क़दीम किताबें उनके ज़ेरे मुतालआ रहती थीं। मेरा ख़्याल है कि उनमें से पहली अ़लामत सूरज का मग़रिब की जानिब से तुलूअ होना है।

(4310) तख़रीज : मुस्लिम: 2941.

फ़ायदा : (ख़ुरूजे दाब्बा—जानवर का निकलना) क़यामत से पहले की निशानियों में से एक अहम अ़लामत एक मख़सूस जानवर का ज़ुहूर भी है जो लोगों से बातें करेगा, उसका आना ऐन हक़ है और क़ुर्आन मजीद में इरशादे इलाही है: 'जब उन पर अ़ज़ाब का वादा साबित हो जायेगा हम ज़मीन से उनके लिये एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यक़ीन नहीं करते थे।' (अन नमल: 82) कुछ रिवायात में इस जानवर से मुराद जसासा लिया गया है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَهَنَّادٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا فُرَاتٌ الْقَزَّازُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، - وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ كُنَّا قُعُودًا نَتَحَدَّثُ فِي ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(4311) हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़िफ़ारी(ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के कमरे के साये में बैठे बातें कर रहे थे कि हमने क़यामत का ज़िक्र किया और हमारी आवाज़ें बलन्द हूईं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत उस वक़्त तक हरगिज़ नहीं आयेगी जब तक कि उससे पहले दस निशानियाँ ज़ाहिर न हों। सूरज का मग़रिब की जानिब से तुलूअ होना, जानवर का निकलना, याजूज माजूज का ज़ुहूर, दज्जाल का ख़ुरूज, ईसा इब्ने मरयम अ़लैहि.

عليه وسلم " لَنْ تَكُونَ - أَوْ لَنْ تَقُومَ - السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّجَّالُ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَالدُّخَانُ وَثَلاَثُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ " .

की आमद, दुख़ान यानी धूवाँ, तीन जानिब में ज़मीन का धंसाया जाना: एक मग़रिब में दूसरा मश्रिक़ में और तीसरा जज़ीरतुल अ़रब में और उनके आख़िर में यमन से यानी वस्ते अ़दन से आग निकलेगी जो लोगों को महशर में चला ले जायेगी। (शाम के इलाक़े में जमा कर देगी।)'

(4311) तख़रीज : मुस्लिम: 2901.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينُ { لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا } " . الآيَةَ .

(4312) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक कि सूरज अपनी मग़रिब की जानिब से तुलूअ़ न हो ले। चुनांचे जब ये तुलूअ़ होगा और लोग उसे देखेंगे तो ज़मीन पर बसने वाले सब ईमान ले आयेंगे और ये वही वक़्त होगा (जिस का सूरह अल अनआ़म में ज़िक्र है) (ला यन्फ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु) 'किसी जान को उसका ईमान, अगर उसने उससे पहले ईमान न क़बूल किया हो, या ईमान के साथ अच्छे अ़मल न किये हूए, नफ़ाबर न होगा।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4635, व मुस्लिम: 157.

फ़ायदा : ईमान वही मुफ़ीद है जो बिलग़ैब हो, हक़ाइक़े आख़िरत का मुशाहिदा कर लेने के बाद ईमान किसी तौर पर मुफ़ीद न होगा। आख़िरत में भी कुफ़्फ़ार यही कहेंगे: 'ऐ हमारे रब! हमने देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस लौटा दे तो नेक अ़मल करेंगे, हमने यक़ीन कर लिया है।' (अस्सज्दा: 12) लेकिन दुनिया में दोबारा आना मुमकिन नहीं होगा।

﴿13﴾ باب حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ

बाब : 13
दरया—ए—फ़ुरात से ख़ज़ाना ज़ाहिर होने का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا " .

(4313) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब दरया—ए—फ़ुरात सोने का एक ख़ज़ाना ज़ाहिर करेगा, तो जो वहां हाज़िर हो उसमें से कुछ न ले।'

(4313) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7119, व मुस्लिम: 2894.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ"

(4314) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इसी की मिस्ल (तरह) रिवायत किया। मगर इस रिवायत में है: 'सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर करेगा।'

(4314) तख़रीज : बुख़ारी: 7119.

फ़ायदा : इन तमाम निशानियों की हक़ीक़ी ताबीर तो उस वक़्त ज़ाहिर होगी बहरहाल बिलइज्माल हमारा इन सब पर ईमान है।

बाब : 14
दज्जाल का ज़ुहूर (ज़ाहिर होना)

﴿14﴾ باب خُرُوجِ الدَّجَّالِ

फ़ायदा : दजल बरवज़न फ़अल, दजल से इस्मे मुबालिग़ा है, मानी है, बहुत बड़ा झूठा, धोखेबाज़, ख़लत मलत कर देने वाला और फ़रेबी। झूठे नबीयों को भी 'दज्जालून कज़्ज़ाबून' कहा गया है और इस्तेलाहन ये मुराद है कि एक शख़्स क़यामत के क़रीब ज़ाहिर होगा जो अपनी उलूहियत (अल्लाह होने) का दावा करेगा और मुख़्तलिफ़ शौबदे दिखा कर लोगों को उनके दीन से फ़रेब में डालेगा। और मानवी ऐतबार से जिस चीज़ या शख़्स पर ये मानी साबित हों वह दज्जाल है और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है मगर ये आख़री दज्जाल सबसे बढ़कर होगा।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ .

(4315) रिब्ई बिन हिराश कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा और अबू मसऊद (ﷺ) दोनों इकट्ठे हूए, तो हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने बयान किया: मैं दज्जाल और उसके साथ जो कुछ होगा, उससे ख़ूब बाख़बर हूं, बेशक उसके साथ पानी का समन्दर और आग का दरिया होगा, जिसे तुम आग समझते होंगे वह पानी होगा और जिसे तुम पानी समझ रहे होंगे वह आग होगी। चुनांचे तुममें से जो ये पाये और पानी पीना चाहे तो उससे, जिसे वह आग समझता होगा बिलाशुब्हा वह उसे ही पायेगा। हज़रत अबू मसऊद बद्री (ﷺ) ने कहा: मैंने भी रसूल (ﷺ) को ऐसे ही फ़रमाते सुना है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3450, व मुस्लिम: 2934.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،

(4316) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं: 'जो भी कोई नबी मबऊस हूआ है उसने अपनी उम्मत को

يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ " .

काने, झूठे दज्जाल से डराया है। ख़बरदार! वह काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, बेशक दज्जाल की आँखों के दरम्यान लिखा होगा काफ़िर।

(4316) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 7131, व मुस्लिम: 2933.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ك ف ر .

(4317) मुहम्मद बिन मुसन्ना ने बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा से रिवायत किया कि (यूँ लिखा होगा) 'क फ र'

(4317) तख़रीज : मुस्लिम: 2933.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ " .

(4318) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इस हदीस़ में बयान किया कि ... 'उसे हर मुस्लिम पढ़ सकेगा।'

(4318) तख़रीज : मुस्लिम: 2933, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है: 4316.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दज्जाल एक ऐसा ख़तरनाक फ़ितना है कि तमाम अम्बिया अपनी उम्मतों को उससे डराते रहे हैं। हमें भी उससे तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) के लिये बाक़ायदा नमाज़ में पढ़ने के लिये दुआ सिखाई गई है जिसमें स़राहत है: (अल्लाहुम्मा इन्नी अ़ऊज़ुबिका ... व अ़ऊज़ुबिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल ...) (स़ही बुख़ारी: हदीस: 6368) **(2)** ईमान व इस्लाम की बरकत से मुसलमान उसकी पेशानी पर से 'कफ़र' पढ़ लेगा। **(3)** दज्जाल एक आँख से काना होगा। उसके इस ऐब की तफ़्सील और कस़रत से उसका तज़किरा इस वजह से है कि वह अपनी उलूहियत (ख़ुदा होने) का दावा करेगा, और जो अपना ऐब दूर करने पर क़ादिर न हो वह अपने आपको माबूद कहलाये, किसी तरह माक़ूल नहीं हो सकता। नीज़ इससे इस्तेदलाल ये है कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की दो आँखें हैं। जैसी कि उसकी शान को लायक़ है। इरशादे बारी तआ़ला है: 'मख़्लूक़ात में कोई भी उसका मिस़्ल (जैसा) नहीं है।' (अश्शूरा: 11) क़ुर्आन मजीद में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के लिये आँख का ज़िक्र मौजूद है: (i) 'अपने रब के हुक्म से स़ब्र कीजिए बिलाशुब्हा आप हमारी आँखों के सामने हैं।' (अत्तूर: 48) (ii) 'हमने इस (नूह अ़लैहि.) को तख़्तों पर सवार किया जो मेख़ों से जुड़े

हुए थे। वह (कश्ती) हमारी आँखों के सामने चलती थी, ये बदला था उसका जिसका उन लोगों ने कुफ़्र किया था।' (अलक़मर: 13, 14) (iii) हज़रत मूसा अलैहि. के सिलसिले में फ़रमाया: 'मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत डाल दी, ताकि मेरी आँखों के सामने तुम्हारी परवरिश हो।' (ताहा: 39) **(4)** दज्जाल की पेशानी पर (काफ़िर) लिखा होगा जिसे हर साहिबे ईमान पढ़ सकेगा। ऐन मुमकिन है कि ये हुरूफ़ ही लिखे हूए हों या मजाज़ी मानी मुराद हैं कि उसकी शक्ल इस क़द्र गंदी और मनहूस होगी कि ईमानदारों को उसे झूठा और फ़रेबी समझने में क़तअन कोई मुश्किल न होगी। और मोमिन के लिये उसके ईमान की ये बहुत बड़ी बरकत है कि उसे अपने दीनी उमूर में ख़ास बसीरत दी जाती है जो उसके ईमान के लिये किसी सूरत मुजिर (नुक़्सानदेह) हो सकते हों।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ " . هَكَذَا قَالَ.

(4319) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दज्जाल के मुताल्लिक़ सुने तो उससे दूर रहे, अल्लाह की क़सम! आदमी उसके पास आयेगा जब कि वह समझता होगा कि वह साहिबे ईमान है, मगर उन शुब्हात की बिना पर जो उसकी तरफ़ से उठाये जायेंगे, उसकी इत्तेबाअ कर बैठेगा।'

(4319) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/431, हाकिम: 4/531.

फ़ायदा : फ़ितना परवर और गुमराह अफ़राद से या इस क़िस्म की चीज़ों से दूर रहने ही में सलामती है। ताहम इज़हारे हक़ और बातिल को नीचा दिखाने के लिये ऐसे लोगों के पास जाना हक़ है। लेकिन सतही क़िस्म के मुसलमान उनके फ़रेब में आकर गुमराह हो सकते हैं, लिहाज़ा उनसे दूर रहना ज़रूरी है और अपने ईमान में मज़बूती पैदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए।

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ

(4320) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मैंने तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक़ (बहुत कुछ) बताया है। (इसके बावजूद) मुझे अन्देशा है कि कहीं तुमने उसे न समझा हो, (याद रखना) मसीह दज्जाल ठिगने क़द

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لاَ تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلاَ جَحْرَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ وَلِيَ الْقَضَاءَ .

वाला, बाहर को निकली टेढ़ी पिण्डलियों वाला और बहुत घुंघरियाले बालों वाला होगा, एक आँख से काना होगा जो कि मिटी हुई होगी, न तो उभरी हुई और न गहरी होगी, फिर भी तुम्हें कोई शुब्हा हो तो याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अम्र बिन अस्वद को मन्सबे क़ज़ा सौंपा गया था। (जज बनाया गया था)

(4320) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/324, नसाई, हदीस: 7764.

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ فَقَالَ " إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ " . قُلْنَا وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ " أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ

(4321) हज़रत नव्वास बिन समआन किलाबी(ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दज्जाल का ज़िक्र किया और फ़रमाया: 'अगर वह मेरे होते हुए तुममें ज़ाहिर हुआ तो मैं तुम्हारी तरफ़ से उसका मुक़ाबला करूंगा। अगर मेरे बाद ज़ाहिर हुआ तो फिर हर शख़्स ख़ुद अपना दिफ़ा करने वाला है। हर मुसलमान के लिये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही मेरा ख़लीफ़ा है। चुनांचे तुममें से जो कोई उसे पाये तो उस पर सूरह कहफ़ की इब्तेदाई आयात पढ़े यही तुम्हारे लिये उसके फ़ितने से अमान होंगी।' हमने पूछा कि वह ज़मीन पर कितना अर्सा रहेगा? आपने फ़रमाया: 'चालीस दिन। (उनमें से) एक दिन एक साल के बराबर और एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ़्ते के बराबर होगा और बाक़ी दिन तुम्हारे दिनों

وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ " لاَ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ " .

के बराबर होंगे।' हमने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये दिन जो एक साल के बराबर होगा क्या हमें उसमें एक दिन रात की नमाज़ें काफ़ी होंगी? आपने फ़रमाया: 'नहीं, उसके लिये तुम लोग अन्दाज़ा लगा लेना।' फिर दमिश्क़ के मश्रिक़ में सफ़ेद मिनारे के पास ईसा अ़लैहि. उतरेंगे, पस वह उसे बाबे लुद्द के पास पायेंगे और उसका काम तमाम करेंगे।'

(4321) तख़रीज : मुस्लिम: 2937.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दज्जाल का मुक़ाबला मजबूत ईमान के बाद सूरह कहफ़ की इब्तेदाई आयात पढ़ने से मुमकिन होगा और हक़ीक़त तो ये है कि सय्यदना ईसा अ़लैहि. ही उसे क़त्ल करेंगे। **(2)** दिनों के लम्बा होने का सुन कर सहाबा–ए–किराम (ﷺ) के ज़हन में जो अहम सवाल उठा वह नमाज़ों की अदायगी का था, क्योंकि मोमिन और नमाज़ दोनों लाज़िम व मल्ज़ूम हैं। इस सवाल जवाब में क़ुतुबे शिमाली व जुनूबी के इलाक़े के मुसलमानों के इश्काल का जवाब है कि उनके यहां दिन रात छ: छ: महीने के होते हैं तो उन्हें अन्दाज़े से नमाज़ें पढ़नी चाहिए।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ مِثْلَ مَعْنَاهُ .

(4322) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ऊपर की हदीस़ के मानिन्द बयान किया और नमाज़ों का ज़िक्र भी इसके हम मानी बयान किया।

(4322) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 4077.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

(4323) हज़रत अबूद्दरदा (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जिसने सूरह कहफ़ की इब्तेदाई दस आयतें हिफ़्ज़ कर लीं वह दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रहेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हिशाम दस्तवाई ने क़तादा से इसी तरह रिवायत किया है।

عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ " . وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ " مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ "

मगर उसने कहा: 'जिसने सूरह कहफ़ की आख़री आयात हिफ़्ज़ कीं।'

(4323) तख़रीज : मुस्लिम: 809.

फ़ायदा : हिफ़्ज़ करने से मुराद उनको अपना विर्द बनाना है बिलख़ुसूस हर जुमे के दिन तिलावत करना जैसे कि दीगर रिवायत में आता है। अ़ल्लमा अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि पहली रिवायत जिसमें इब्तेदाई आयात का ज़िक्र है वह ज़्यादा सही है। और अ़दद में भी ये रिवायात ज़्यादा हैं। नीज़ साबिक़ा हदीसे नव्वास भी इसकी ताईद करने वाली है।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ - يَعْنِي عِيسَى - وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " .

(4324) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे और ईसा अ़लैहि. के दरम्यान कोई नबी नहीं है, और वह उतरने वाले हैं, जब तुम उन्हें देखोगे तो पहचान जाओगे कि दरम्यानी क़ामत वाले हैं और रंग उनका सुर्ख़ सफ़ेद होगा, हल्के ज़र्द रंग के लिबास में होंगे, ऐसे महसूस होगा जैसे उनके सर से पानी टपक रहा हो, हालांकि नमी (पानी) लगा नहीं होगा। (इन्तेहाई नज़ीफ़ (क्लीन) और चमकदार रंग के होंगे) वह लोगों से इस्लाम के लिये क़िताल करेंगे, सलीब तोड़ देंगे और ख़िन्ज़ीर को क़त्ल करेंगे, जिज़्या मौक़ूफ़ कर देंगे। अल्लाह तआ़ला उनके ज़माने में इस्लाम के अ़लावा दीगर सब दीनों को ख़त्म कर देगा। वह मसीह दज्जाल को हलाक करेंगे। हज़रत ईसा अ़लैहि. ज़मीन में चालीस साल रहेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनका जनाज़ा पढ़ेंगे।'

(4324) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/406, 2/327, हाकिम: 2/595.

तौज़ीह : सय्यदना ईसा अलैहि. आसमान पर ज़िन्दा हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें यहूदीयों के मकर व फ़रेब और हमले से महफ़ूज़ फ़रमा कर आसमान पर उठा लिया था। ये मज़मून सरीह व सही अहादीस के अलावा क़ुर्आन मजीद में बयान हूआ है, इरशादे बारी तआला है: 'बल्कि अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी तरफ़ा उठा लिया है।' (अन्निसा: 157) (इस तरह सूरह आले इमरान आयत: 55 में भी है।) फिर क़यामत के क़रीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो हज़रत ईसा अलैहि. का दमिश्क़ में नुज़ूल होगा, दज्जाल को क़त्ल करेंगे और इस्लाम और शरीयते मुहम्मदी कामिल तौर पर नाफ़िज़ करेंगे और चालीस बरस तक ये फ़रीज़ा सरअंजाम देंगे। उनका नुज़ूल अहादीसे सहीहा के अलावा क़ुर्आन मजीद में भी वारिद है, इरशादे बारी तआला है: 'और बिलाशुब्हा हज़रत ईसा अलैहि. क़यामत की अलामात में से हैं तो इसमें हरगिज़ शुब्हा न करें।' (अज़्ज़ुख़रूफ़: 61) और दूसरे मक़ाम पर फ़रमाया: 'और अहले किताब में से एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो हज़रत ईसा अलैहि. की मौत से पहले उन पर ईमान न ला चुके होंगे और क़यामत के दिन आप उन पर गवाह होंगे।' (अन्निसा: 159) और ये ऐतराज़ कि नबूवत ख़त्म हो चुकी और मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद कोई नबी नहीं तो उसका जवाब इन अहादीस में मज़कूर है कि आंजनाब शरीयते मुहम्मदिया की तन्फ़ीज़ फ़रमायेंगे जैसे कि सय्यदना मूसा अलैहि. के बारे में फ़रमाया गया: 'अगर मूसा अलैहि. ज़िन्दा होते तो उन्हें मेरी इत्तिबाअ के सिवा कोई चारा न होता।' (मुसनद अहमद: 3/387)

बाब : 15
जस्सासा का बयान

﴿15﴾ بَابٌ فِي خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

फ़ायदा : ये एक हैवान है जो एक समन्दरी जज़ीरे में देखा गया है और उसे 'जस्सासा' इसलिए कहा गया है कि ये दज्जाल की ख़बरें पूछता था।

(4325) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से रिवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा की नमाज़ में ताख़ीर फ़रमा दी। फिर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'मुझे तमीमदारी की बातों ने रोक लिया था। वह बयान कर रहे थे कि समन्दरी जज़ीरों में से एक जज़ीरे में एक आदमी था, और मैंने एक औरत को देखा जो

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ

" إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِي الأَغْلاَلِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَّالُ خَرَجَ نَبِيُّ الأُمِّيِّينَ بَعْدُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ أَطَاعُوهُ أَمْ عَصَوْهُ قُلْتُ بَلْ أَطَاعُوهُ . قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ".

अपने बाल खींच रही थी। पूछा कि तू कौन है? उसने कहा: मैं 'जस्सासा' हूं, उस महल में चले जाओ, मैं वहां गया तो उसमें एक आदमी को देखा जो अपने बाल खींच रहा था और ज़ंजीरों में जकड़ा हूआ था और ऊपर नीचे उछल रहा था। मैंने कहा: तुम कौन हो? उसने कहा: मैं दज्जाल हूं। क्या अरबों का नबी आ गया है? मैंने कहा: हाँ। उसने कहा: क्या उन लोगों ने उसकी इताअत की है या नाफ़रमानी? मैंने कहा: नहीं बल्कि इताअत की है। उसने कहा: ये उनके लिये बेहतर है।'
(4325) तख़रीज : (सनद हसन) : 4326.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِيَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَادِي أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ . فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ " لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ " . ثُمَّ قَالَ "

(4326) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से ऐलान करने वाले को मुनादी करते हूए सुना कि नमाज़ के लिये जमा हो जाओ। तो मैं भी चली आई और रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये तो मिम्बर पर तशरीफ़ लाये और आप हँस रहे थे। आपने फ़रमाया: 'हर शख़्स अपनी जगह पर बैठा रहे।' फिर फ़रमाया: 'क्या जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है?' उन्होंने कहा: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें डराने या ख़ुशख़बरी सुनाने के लिये जमा नहीं किया है। मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीमदारी ईसाई था, मेरे यहां आया, बैत की

هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " إِنِّي مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلاَ رَغْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ وَأَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ قَالُوا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ . قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ قَالَ إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله

और इस्लाम क़बूल किया और उसने मुझे एक बात बयान की है जो मेरी बात की ताईद में है जो मैंने तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक़ कही है। उसने मुझे बताया है कि वह एक जहाज़ में सवार हूआ, उसके साथ क़बील–ए–लख़्म और जुज़ाम के तीस आदमी थे। जहाज़ को तूफ़ानी मौजों ने आ लिया जो उन्हें एक महीना तक परेशान किये रहीं ... और वह सूरज ग़ुरूब होने के वक़्त एक जज़ीरे के पास पहुँचे और एक छोटी कश्ती में सवार होकर जज़ीरे में जा उतरे। तो उन्हें एक जानवर मिला जिसकी दुम भारी और जिस्म पर बहुत बाल थे। उन्होंने कहा: कमबख़्त! तू कौन है? उसने कहा: मैं जस्सासा हूं। उस गिरजे में एक आदमी है उसके पास जाओ, वह तुम्हारी ख़बरों का बहुत मुश्ताक़ (ख़्वाहिशमंद) है। जब उसने हमारे सामने आदमी का नाम लिया तो हम उससे डर गये कि ये कहीं शैतान न हो। हम जल्दी से चले और उस गिरजे में दाख़िल हूए तो एक बहुत बड़ा इंसान देखा, इस क़द्र बड़ा इंसान हमने कभी नहीं देखा था जैसे बड़ी सख़्ती से बाँधा गया था और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हूए थे ...' और हदीस़ बयान की ... उसने उनसे (शाम के) नख़्लिस्तान–ए–बैसान, चश्म–ए–ज़ुग़रावरी नबी–ए उम्मी (ﷺ) के मुताल्लिक़ पूछा ... और कहा कि मैं ही मसीह (दज्जाल) हूं। अनक़रीब मुझे निकलने की इजाज़त मिल जायेगी। नबी (ﷺ)

عليه وسلم " وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ " . مَرَّتَيْنِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ قَالَتْ حَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

ने फ़रमाया: 'दज्जाल शाम या यमन के समन्दर में है, नहीं बल्कि मश्रिक़ की तरफ़ में है।' दो बार फ़रमाया ... आपने अपने हाथ से मश्रिक़ की तरफ़ इशारा फ़रमाया। सय्यदा फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) कहती हैं: मैंने ये हदीस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से याद की है ... और बक़िया हदीस़ बयान की।

(4326) तख़रीज : मुस्लिम: 2941.

फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायतें सही हैं, इसलिए इनमें बयान करदा बातों पर ईमान रखना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مِسْوَرٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ .

(4327) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाये, और आप जुमा के अलावा मिम्बर पर न आते थे। मगर उस दिन मिम्बर पर आये। फिर ये क़िस्सा बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इब्ने सुदरान बस़री हैं जो इब्ने मिस्वर के साथ समन्दर में डूब गये थे और इसके अलावा और कोई महफ़ूज़ नहीं रहा था।

(4327) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 4074, हदीस़: 3861में देखें।

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4328) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रोज़ मिम्बर पर खड़े होकर फ़रमाया: 'कुछ लोग समन्दर में जा रहे थे कि उनका खाना ख़त्म हो गया, तो उन्हें एक जज़ीरा दिखाई दिया। वह रोटी की तलाश में उसी में चले गये तो जस्सासा से उनकी

ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ " إِنَّهُ بَيْنَمَا أُنَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَنَفِدَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةٌ فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْخُبْزَ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ " . قُلْتُ لأَبِي سَلَمَةَ وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَ امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسِهَا . قَالَتْ فِي هَذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالَ هُوَ الْمَسِيحُ فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفِظْتُهُ قَالَ شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ . قَالَ وَإِنْ مَاتَ . قُلْتُ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ . قَالَ وَإِنْ أَسْلَمَ . قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ . قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ .

मुलाक़ात हो गई।' वलीद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने अबू सलमा से पूछा: जस्सासा क्या है? तो उसने कहा: एक औरत है जो अपने जिस्म और सर के बाल खींच रही थी। उसने कहा ... उस महल में ... और हदीस़ बयान की। और (महल वाले आदमी ने) उनसे बैसान के नख़िलस्तान और ज़ुग़र चश्मे के मुताल्लिक़ मालूम किया। कहा: वही मसीह (दज्जाल) है। इब्ने अबू सलमा ने मुझसे कहा कि इस हदीस़ में एक बात है जो मुझे याद नहीं। कहते हैं कि हज़रत जाबिर (ﷺ) ने गवाही दी कि यही इब्ने स़य्याद है। मैंने कहा: वह तो मर चुका है। कहा अगरचे मर गया है। मैंने कहा: उसने इस्लाम क़बूल किया था। कहा अगरचे इस्लाम क़बूल किया था। मैंने कहा: वह तो मदीने में भी दाख़िल हुआ था। कहा अगरचे मदीने में भी दाख़िल हुआ था।

(4328) तख़रीज : (सनद हसन)

﴿16﴾ باب فِي خَبَرِ ابْنِ صَائِدٍ

बाब : 16
इब्ने स़ाइद का बयान

फ़ायदा : अल्लामा इब्ने अस़ीर 'अन्निहाया' में लिखते हैं कि ये एक यहूदी था या उनके साथ मिला जुला रहता था। उसका नाम स़ाफ़ु कहा गया है। उसके पास कहानत और जादू का इल्म था और अपने वक़्त में अल्लाह के ईमानदार बंदों के लिये एक इम्तेहान था ताकि जो हलाक हो दलील के साथ हलाक हो और जो ज़िन्दा रहे दलील के साथ ज़िन्दा रहे। अक्स़र कहते हैं कि ये मदीने में मरा और ये भी कहा गया है कि वाक़िया हर्रा के मौक़े पर उसे गुम पाया गया और फिर मिला नहीं। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِابْنِ صَائِدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَهُوَ غُلاَمٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ " أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ . ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ " . ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا يَأْتِيكَ " . قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً " . وَخَبَّأَ لَهُ { يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

(4329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपने चंद सहाबा की मईयत (साथ) में इब्ने साइद के पास से गुज़रे। उन सहाबा में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) भी थे। और वह (इब्ने साइद) मदीना में) बनू मग़ाला के टीलों के पास लड़कों के साथ खेल रहा था और नो उमर लड़का था। उसे पता न चला यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी कमर पर अपना हाथ मारा, फिर उससे कहा: 'क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं?' रावी कहता है कि इब्ने साइद ने आपकी तरफ़ देखा, फिर उसने जवाब दिया: मैं गवाही देता हूं कि आप उम्मी लोगों (अरब) के रसूल हैं। फिर इब्ने सय्याद ने नबी (ﷺ) से कहा: क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखता हूं।' फिर नबी (ﷺ) ने उससे पूछा: 'तेरे पास क्या आता है?' बोला: मेरे पास सच्चा आता है और झूठा भी। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुझ पर मामला ख़लत मलत कर दिया गया है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तेरे लिये एक बात छुपाई है।' जबकि आपने अपने दिल में ये आयत ख़्याल फ़रमाई थी: (यौमा तातिस्समाउ बिदुख़ानिम मुबीन) इब्ने सय्याद ने कहा: वह 'अदुख़' है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दफ़ा हो, तू अपनी क़द्र से हरगिज़ आगे नहीं बढ़ सकता।'

اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ " . فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ يَكُنْ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ " . يَعْنِي الدَّجَّالَ " وَإِلاَّ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ فِي قَتْلِهِ " .

तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इजाज़त दें। मैं इसकी गर्दन मार दूं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये वही हूआ तो तुम उस पर हरगिज़ मुसल्लत नहीं हो सकते। यानी दज्जाल ... और अगर ये वह नहीं है तो फिर इसके क़त्ल में ख़ैर नहीं।'

(4329) तख़रीज : बुख़ारी: 3055, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 3055, व मुस्लिम: 2930.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ

(4330) सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) कहा करते थे: अल्लाह की क़सम! मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मसीह दज्जाल (यही) इब्ने सय्याद ही है।

(4330) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ، فَقُلْتُ تَحْلِفُ بِاللَّهِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(4331) मुहम्मद बिन मुन्कदिर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) को देखा कि वह अल्लाह की क़सम उठाकर कहते थे कि इब्ने सय्याद ही दज्जाल है। मैंने कहा: आप अल्लाह की क़सम उठाकर कहते हैं? उन्होंने कहा: मैंने हज़रत उमर (ﷺ) से सुना कि वह इस बात पर रसूल (ﷺ) के सामने क़सम उठाते थे मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस पर इंकार नहीं फ़रमाया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7355, व मुस्लिम: 2929.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

(4332) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने हर्रा वाले दिन इब्ने सय्याद को गुम पाया।

(4332) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा: 15/160, हदीस: 37520.

फ़ायदा : ज़िलहिज्जा 63 हि. में यज़ीद बिन मुआविया ने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की थी और उस पर मुसल्लत हूआ था। उसी वाक़िया को तारीख़ ने 'यौमूल हर्रा' के नाम से याद रखा है। इस दिन की बाबत बहुत सी बातें मशहूर हैं, इनमें से अक्सर ग़ैर मोतबर हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ " .

(4333) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस वक़्त तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि तीस (इन्तेहाई झूठे) दज्जाल न आ जायें, हर एक का दावा होगा कि वह अल्लाह का रसूल है।'

(4333) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/457, हदीस: 9899.

फ़ायदा : इस गिनती से मुराद वह मारूफ़ मुद्दई हैं जिनका मामला मशहूर होगा जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अन्सी, तुलैहा बिन खुवैल्द, सज्जाह अत्तमीमिया, मुख़्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी, हारिस अलकज़्ज़ाब (अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में) और इसके अलावा न मालूम कितने होंगे। हिन्दोस्तान में ज़ाहिर होने वाला मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी भी इसी सफ़्फ़ का आदमी था, यानी झूठा दज्जाल।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ كَذَّابًا دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ " .

(4334) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस वक़्त तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि तीस इन्तेहाई झूठे फ़रेबी (दज्जाल) न आ जायें। उनमें से हर एक अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बोलता होगा।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/450.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(4335) उबैदा सलमानी ने ये रिवायत बयान की और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द रिवायत किया। इब्राहीम यज़ीद नख़ई कहते हैं कि मैंने उबैदा से कहा: क्या भला आप मुख़्तार (बिन अबी उबैद सक़फ़ी) को उन्हीं

فَقُلْتُ لَهُ أَتَرَى هَذَا مِنْهُمْ - يَعْنِي الْمُخْتَارَ - فَقَالَ عَبِيدَةُ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرُّءُوسِ .

में से समझते हैं? उन्होंने कहा: ये तो उन सब के सरदारों में से है।

(4335) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/484.

फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन 'नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना' उम्मत का इज्तेमाई फ़रीज़ा है। अगर इसकी अदायगी में सुस्ती, ग़फ़लत या ऐराज़ होने लगे तो ये बहुत बड़ा फ़ितना है, और ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन को इस मक़सद के लिये अगर क़िताल करना पड़े तो हक़ है, जैसा कि सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) ने किया था। तो इसी मुनासिबत से ये हदीसें इन अबवाब में ज़िक्र की गई हैं।

﴾17﴿ بَابُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ

बाब : 17 अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर (नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने) का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهِ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ

(4336) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पहला पहला नुक़्स और ऐब जो बनू इस्राईल में दाख़िल हूआ ये था कि उनमें से कोई दूसरे से मिलता तो उसे कहता था: अरे! अल्लाह से डरो और जो कर रहे हो उससे बाज़ आ जाओ, ये तुम्हारे लिये हलाल नहीं। फिर अगले दिन मिलता तो उसके लिये उसका हम निवाला, हम प्याला और हम मज्लिस होने में उसे कोई रूकावट न होती थी। जब उनका ये हाल हो गया तो अल्लाह तआला ने उनके दिलों को एक दूसरे पर दे मारा (उनके अंदर इख़्तिलाफ़, तनाज़ा और बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया। उनमें से इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद और

يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ " . ثُمَّ قَالَ { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } إِلَى قَوْلِهِ {فَاسِقُونَ } ثُمَّ قَالَ " كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا " .

उल्फ़त उठा ली गयी) फिर आपने ये आयत पढ़ी: (लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिम् बनी इस्राईला...) 'बनी इस्राईल के काफ़िरों पर हज़रत दाऊद और ईसा इब्ने मरयम की ज़बानी लानत की गई इस वजह से कि वह नाफ़रमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वह करते थे, रोकते न थे। जो कुछ भी वह करते थे यक़ीनन बहुत बुरा था। उनमें से अक्सर को आप देखेंगे कि वह काफ़िरों से दोस्तियाँ करते हैं, बहुत बुरा है वह जो उन्होंने अपने लिये आगे भेज रखा है कि अल्लाह उनसे नाराज़ हूआ और वह हमेशा अज़ाब में रहेंगे। अगर उनका अल्लाह पर, नबी पर और उस पर जो उसकी तरफ़ नाज़िल किया गया, ईमान होता तो ये उन काफ़िरों से दोस्तियाँ न रखते लेकिन अक्सर उनमें से फ़ासिक़ हैं।' फिर फ़रमाया: ख़बरदार! अल्लाह की क़सम! तुम्हें बिज़्ज़रूर नेकी का हुक्म करना होगा, बुराई से रोकना होगा, ज़ालिम का हाथ पकड़ना होगा और उसे हक़ पर लौटाना और हक़ का पाबन्द करना होगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिर्ज़ी: 3047, इब्ने माजा, हदीस: 4006, हदीस: 1244, 1417 में देखें।

मुलाहिज़ा : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ़ है मगर हक़ीक़त यही है कि अगर फ़ासिक़ों, ज़ालिमों और अहले बिदअत के साथ अल्लाह के वास्ते बुग़्ज़ न रखा जाये और बेताल्लुकी न हो बल्कि उनके साथ आज़ादाना इख़्तिलात हो यूँ कि शरई ग़ैरत भी उठ जाये तो इसका एक़ाब इन्तेहाई शदीद होता है जैसे कि बनी इस्राईल की तारीख़ और उम्मते इस्लामिया की मौजूदा सूरते हाल से ज़ाहिर है। वला हौला वला क़ूव्वत इल्ला बिल्लाह!

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ زَادَ " أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ .

(4337) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इस हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया। और मज़ीद कहा ... 'वरना अल्लाह तआला तुम्हारे दिल एक दूसरे पर दे मारेगा (तुम्हारे अंदर इख़्तिलाफ़ व तफ़रक़ा डाल देगा) और फिर उसी तरह लानत करेगा जैसे कि उनको लानत की थी।' (अपनी रहमत से दूर करेगा।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को मुहारिबी नें बसनद अ़ला बिन मुसय्यब, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन मुर्रा से, उन्होंने सालिम अफ़तस से, उन्होंने अबू उ़बैदा से, उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से। और तह्हान ने बवास्ता अ़ला, अ़म्र बिन मुर्रा से और उसने अबू उ़बैदा से रिवायत किया।

(4337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى، عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } قَالَ عَنْ خَالِدٍ

(4338) जनाब क़ैस (बिन अबी हाज़िम) ने बयान किया कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) ने (अपने ख़ुत्बे में) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की हम्द व स़ना के बाद फ़रमाया: 'ऐ लोगो! तुम ये आयते करीमा पढ़ते तो हो: (अ़लैकुम अन्फ़ुसकुम ला यज़ुर्रूकुम ...) 'ऐ ईमान वालो! अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राहे रास्त पर चल रहे हो तो जो शख़्स़ गुमराह हो उससे तुम्हारा कोई नुक़सान नहीं।' मगर उसके माना व मफ़हूम ग़लत समझते हो। ख़ालिद ने रिवायत किया ... हमने नबी (ﷺ) को फ़रमाते

وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ " . وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ هُشَيْمٍ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ . وَقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ " مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ " .

सुना है, 'बिलाशुब्हा लोग जब किसी को ज़ुल्म करता देखें और फिर उसके हाथ न पकड़ें तो क़रीब होता है कि अल्लाह उन सब को अज़ाब की लपेट में ले ले।' और अम्र (बिन औन) ने हुशैम से रिवायत करते हूए कहा: हालांकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना है: 'जिस क़ौम में अल्लाह की नाफ़रमानी के काम हों और वह उन्हें रोकने पर क़ादिर हों मगर मना न करते हों तो क़रीब होता है कि अल्लाह उस सबब से उन सब को अपने एक़ाब की लपेट में ले ले।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को ... इस तरह जैसे कि ख़ालिद ने ... रिवायत किया है। अबू उसामा और एक बड़ी जमाअत ने बयान किया है। जबकि शैबा ने यूँ बयान किया: 'जिस किसी क़ौम में नाफ़रमानियाँ होती हों और मआसी से बचने वालों की तादाद ज़्यादा ... और दूसरों की कम हो ... (और फिर भी वह न रोकें तो उन सब पर एक़ाब (अज़ाब) आने का अन्देशा होता है।)'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3057, इब्ने माजा, हदीस: 4005, मुसनद अहमद: 1/5.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह मायदा की ऊपर दी गई आयत (अलैकुम अन्फ़ुसकुम ...) में ज़िक्र की गई बात: 'जब तुम राहे रास्त पर चल रहे हो ...' उसी सूरत में सही हो सकती है जब अहले ईमान शरीयत का तक़ाज़ा पूरा करते हूए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हों और पूरी क़ूव्वत से इस अमल में मुन्हमिक और मशग़ूल हों। अगर इससे ऐराज़ और पहलू तही हो तो 'राहे रास्त पर होना' ख़ुशफ़हमी से बढ़ कर नहीं। वल्लाहू आलम! **(2)** अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर के अहमतरीन फ़रीज़े से ग़फ़लत और उसमें सुस्तरवी का एक़ाब सब लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। सूरह अन्फ़ाल में फ़रमाया गया है: 'और उस फ़ितने, वबाल और एक़ाब से डरो जो तुममें से महज़ ज़ालिमों ही को न आयेगा।' (अल अन्फ़ाल: 25) (बल्कि दूसरों को भी अपनी लपेट में ले लेगा।)

(4339) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो कोई ऐसी क़ौम में हो कि उनमें अल्लाह की नाफ़रमानियाँ की जा रही हों और वह लोग उनकी इस्लाह और उनके बदलने पर क़ादिर हों, उसके बावजूद वह उनकी इस्लाह न करें और उन्हें न बदलें तो अल्लाह तआला उन सब को उनके मरने से पहले अज़ाब देगा।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - أَظُنُّهُ - عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا " .

(4339) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/91, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1839, 1840, हदीस: 20, 21.

(4340) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'तुममें से जो कोई किसी बुराई को देखे और वह उसे अपने हाथ से बदल देने और उसकी इस्लाह की ताक़त रखता हो तो उसे चाहिए कि हाथ से उसकी इस्लाह करे।'

हन्नाद ने ये हदीस यहीं तक बयान की। जबकि इब्ने अला ने बक़िया को यूँ पूरा किया ... 'अगर ये हिम्मत न हो तो ज़बान से रोके, अगर ज़बान से रोकने की हिम्मत न हो तो फिर अपने दिल से बुरा जाने और ये ईमान की सबसे कमज़ोर कैफ़ियत है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ " . وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ - وَفَّاهُ ابْنُ الْعَلاَءِ - " فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

(4340) तख़रीज : मुस्लिम: 49.

फ़ायदा : घराने और ख़ानदान के बड़े, इलाक़े और शहर के हाकिम और एक मुल्क में हाकिमे आला को ये इख़्तियारात हासिल होते हैं कि वह अपने ज़ेरे असर हल्क़े में पाई जाने वाली बुराईयों का बज़ोरे कुव्वत क़लअ क़मअ करे (उखाड़ फेंके) और उलमा और दीगर अहले नज़र पर वाजिब है कि बुराई

का बुराई होना वाज़ेह करें और उसके बुरे अंजाम से डरायें। और जो ये काम भी न कर सकें तो कम अज़ कम दिल से तो ज़रूर बुरा जानें। वरना इसके बाद ईमान का कोई दर्जा बाक़ी नहीं रहता। ख़याल रहे कि 'दिल से बुरा जानने' का मफ़हूम ये है कि उन लोगों के दिल में ये अज़्म मौजूद हो कि अगर आज नहीं, तो कल जब भी मौक़ा मिला इस बुराई को उखेड़ कर दम लेंगे ... और अल्लाह तआला दिलों के भेद ख़ूब जानता है और वही तौफ़ीक़ देने वाला है।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ - يَعْنِي بِنَفْسِكَ - وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ

(4341) अबू उमैया शअ्बानी कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सअलबा ख़ुशनी (ﷺ) से कहा: ऐ अबू सअलबा! आप इस आयते करीमा: (अलैकुम अन्फ़ुसकुम ...) के सिलसिले में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! तुमने इसके मुताल्लिक़ हक़ीक़तन साहिबे इल्म व ख़बर से पूछा है। मैंने इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त किया था तो आपने फ़रमाया था: 'बल्कि तुम्हें चाहिए कि नेकी का हुक्म दिये जाओ और बुराई से रोकते रहो यहाँ तक कि जब देखो कि हिर्स और बख़ीली की इत्तेबाअ होने लगी है, लोग ख़्वाहिशाते नफ़्सानी के दर पे हो गये हैं और दुनिया ही को तर्जीह देने लगे हैं (आख़िरत को भूल गये हैं) और हर राय वाला अपनी राय और बात ही को तर्जीह देता है। (उस पर ख़ुश और इसरार करता है) तो फिर अपने आप को लाज़िम पकड़ लो और अवाम की फ़िक्र छोड़ दो (दूसरों की गुमराही तुम्हें नुक़सान नहीं देगी।) बिलाशुब्हा तुम्हारे बाद सब्र के दिन आने वाले हैं, उनमें (दीन व शरीयत पर) सब्र करना (उस पर साबित क़दम रहना) ऐसे होगा जैसे आग का अंगारा

لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ " . وَزَادَنِي غَيْرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ " أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ " .

पकड़ना। उन लोगों में (दीन के तक़ाज़ों पर) अ़मल करने वाले को उस जैसे पचास अ़मलों का स़वाब मिलेगा।' (अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि उ़त्बा के अ़लावा) मुझे दूसरे ने बताया कि ह़ज़रत अबू स़अ़लबा (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उन लोगों में से पचास अ़मलों के बराबर स़वाब मिलेगा? आपने फ़रमाया: 'तुम्हारे पचास अ़मलों के बराबर।'

(4341) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3058, इब्ने माजा, हदीस़: 4014, हाकिम: 4/322.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ " . أَوْ " يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا " . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

(4342) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़(ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा उस ज़माने में क्या हाल होगा ...' या फ़रमाया: 'अनक़रीब ऐसा ज़माना आने वाला है कि लोगों को ख़ूब छान लिया जायेगा (अहले ईमान और अच्छे आदमी उठा लिये जायेंगे) और छान बोरा बाक़ी रह जायेगा (बे दीन और रज़ील लोग बाक़ी रह जायेंगे) जिनके वादे में बे वफ़ाई और अमानतों में ख़्यानत होगी और उनमें इस तरह से इख़्तिलाफ़ हो जायेगा ... ' आप (ﷺ) ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरी के अंदर डाल कर दिखाया ... स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो हम क्या करें? आपने फ़रमाया: 'जो नेकी हो उस पर अ़मल पैरा होना और जो बुराई हो उससे दूर रहना और ख़ास़ अपनी इस़्लाह की फ़िक्र करना और अपने आ़म लोगों को छोड़ देना।'

عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْه.

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) के वास्ते से नबी (ﷺ) से कई सनदों से वारिद है।

(4342) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3957, हाकिम: 2/159, 4/435.

फ़ायदा : ये कैफ़ियत बिल्कुल आख़री दौर की है जब दीन व ईमान और ख़ैर व सलाह की बात पर कान नहीं धरा जायेगा। तब यही हुक्म है कि इंसान अपनी फ़िक्र करे लेकिन उससे पहले इशाअ़ते हक़ के लिये अपनी वुसअ़त भर अफ़राद और मैदान की तलाश जारी रखना लाज़मी है जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाबा व अइम्मा की सीरतों से नुमायाँ है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ أَبِي الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا " . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ " الْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ"

(4343) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स(ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के इर्द गिर्द बैठे हूए थे कि आपने फ़ितनों का ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया: 'जब तुम देखो कि लोग अपने वादे में बेवफ़ाई करने लगे हैं, अमानतों का मामला इन्तेहाई ख़फ़ीफ़ और ज़ईफ़ हो गया है (लोग ख़ायन बन गये हैं) और उनकी आपस की हालत इस तरह हो गई है।' और आपने अपनी उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल कर दिखाया (इख़्तिलाफ़ात बहुत बढ़ गये हैं) अ़ब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं उठ कर आपके क़रीब हो गया और अ़र्ज़ किया: अल्लाह मुझे आप पर फ़िदा होने वाला बनाये! मैं उन हालात में क्या करूं? आपने फ़रमाया: 'अपने घर को लाज़िम पकड़ना, अपनी ज़बान का मालिक बन जाना (ख़ामोश रहना) और नेकी पर अ़मल करना और बुराई से बचना और अपनी ज़ात की फ़िक्र करना और आ़म लोगों की फ़िक्र छोड़ देना।'

तख़रीज:**(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 2/212, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 10033, हाकिम: 4/282, 283

फ़ायदा : अहद और वादे में बेवफ़ाई और अमानत में ख़यानत ... जहां निफ़ाक़ की अलामतें हैं वहां फ़ितनों के दौर की भी निशानियाँ हैं। किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वह इन ऐबों में मुलव्विस हो, ख़्वाह हालात कैसे ही बद से बदतर क्यों न हों। जब मुश्किलात इस क़द्र बढ़ जायें कि उनका मुक़ाबला इन्तेहाई कठिन हो जाये, तब दूसरों की फ़िक्र से आज़ाद होने की इजाज़त है, वरना इससे पहले साहिबे ईमान को जायज़ नहीं कि दूसरों से बेफ़िक्र होकर अपने में मगन होकर ज़िन्दगी गुज़ारे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " . أَوْ " أَمِيرٍ جَائِرٍ "

(4344) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सबसे अफ़ज़ल जिहाद ये है कि इंसान जाबिर हाकिम या ज़ालिम अमीर के सामने हक़ व इन्साफ़ का कलिमा कह गुज़रे।'

(4344) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2174, इब्ने माजा, हदीस: 4011, 4012.

फ़ायदा : जहां मारूफ़ मानी में सुल्तान ज़ालिम और जाबिर होते हैं, हक़ की बात उन्हें गवारा नहीं होती, वहां मुआशरा और सोसायटी भी 'सुल्ताने जाइर' के मानी में है कि साहिबे ईमान अपने भाई बंदों और अहले मुआशरा की रस्म व रीत के बर ख़िलाफ़ जुर्अत व साबित क़दमी के साथ हक़ की बात कहे और हक़ पर अमल करके दिखाये, ये बहुत बड़ा जिहाद है। कुछ औक़ात हुक्मरानों के सामने बात कहना आसान मगर बिरादरी और सोसायटी की रीत और उनके चलन का मुक़ाबला इन्तेहाई मुश्किल होता है। जैसे मारूफ़ इस्लामी पहचान दाढ़ी बढ़ाना, चादर शलवार का टख़नों से ऊँचा रखना और औरत का पर्दा करना ऐसे आमाल हैं कि कोई भी साहिबे इल्म व ईमान इनके वजूब से जाहिल नहीं, मगर मुआशरे की रीत के ख़िलाफ़ चलना कुछ लोग इनतेहाई गिरां समझते हैं ... वल्लाहुल मुस्तआन!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا " . وَقَالَ مَرَّةً " أَنْكَرَهَا "

(4345) जनाब उर्स बिन अमीरा किन्दी (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ज़मीन में कोई ख़ता और नाफ़रमानी की जाये तो उसमें हाज़िर और मौजूद शख़्स ने उसको बुरा जाना ... और एक बार फ़रमाया ... और उसका इंकार किया ... तो वह ऐसे होगा जैसे उस मअसियत से ग़ायब और दूर रहा लेकिन जो ग़ायब और दूर रहा मगर उस

. " كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا" .

नाफ़रमानी को उसने पसन्द किया तो वह ऐसे होगा जैसे कि उसमें हाज़िर और मौजूद था।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 17/139.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ " مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا " .

(4346) हज़रत अदी बिन अदी (रह.) ने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द रिवायत किया। कहा: 'जो उसमें हाज़िर था मगर उसने उसे मकरूह और नापसन्द जाना तो वह ऐसे हूआ जैसे कि उससे ग़ायब और दूर रहा हो।'

(4346) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ऐसे अन्दाज़ पर दिल की ख़्वाहिशात पर भी मुवाख़िज़ा होगा ... 'लेकिन अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों के आमाल पर तुम्हारा मुवाख़िज़ा करेगा।' (अलबक़र: 225) कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا أَوْ يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ " .

(4347) नबी (ﷺ) के सहाबा किराम में से एक सहाबी ने बयान किया, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोग उस वक़्त तक हरगिज़ हलाक नहीं होंगे जब तक कि उनके गुनाहों और ऐबों की ज़्यादती न हो जाये या उनका कोई उज़्र बाक़ी न रहे।'

(4347) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/260.

﴿18﴾ باب قِيَامِ السَّاعَةِ

बाब : 18
क़यामत के आने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي

(4348) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने आख़री दिनों में हमें

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ .

एक दिन इशा की नमाज़ पढ़ाई जब सलाम फेरा तो खड़े हो गये और फ़रमाया: 'देखो कि तुम्हारी इस रात में अब जो कोई रूए ज़मीन पर मौजूद है सौ साल के बाद उनमें से कोई बाक़ी नहीं रहेगा।' हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) कहते हैं कि लोग रसूल (ﷺ) के इस फ़रमान के इस फ़रमान के बारे में वहम में पड़ गये हैं ... यानी ये अहादीस़ जो स़हाबा किराम सौ साल के बारे में रिवायत करते हैं (कि शायद सौ साल बाद क़यामत ही आ जायेगी उन्होंने कहा) हालांकि रसूल (ﷺ) ने तो सिर्फ़ ये फ़रमाया था कि आज जो रूए ज़मीन पर मौजूद है, वह बाक़ी नहीं रहेगा। मक़स़द ये था कि ये स़दी ख़त्म हो जायेगी।

तख़रीज : अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 2034, मुसनद अहमद: 2/88, बुख़ारी, हदीस़: 116, व मुस्लिम: 2537.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वाक़ेई अस्हाबे नबी में से कोई शख़्स़ एक स़दी से आगे नहीं बढ़ा, सभी वफ़ात पा गये थे ... तो इसके बाद स़हाबियत का दावा करने वाले का दावा ग़लते महज़ हूआ जैसे कि रतन हिन्दी के बारे में ज़िक्र आता है कि उसने पाँच सौ साल बाद स़हाबी होने का दावा किया था। **(2)** इस हदीस़ की रोशनी में जनाब ख़िज्र के मुताल्लिक़ भी इस्तेदलाल किया जाता है कि वह भी वफ़ात पा गये हैं मगर उनके बिल मुक़ाबिल दूसरे कहते हैं कि वह इस मौक़े पर ज़मीन पर मौजूद ही न थे इसलिए कि हयाते ख़िज्र पर कोई मुस्तनद दलील नहीं है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَنْ يُعْجِزَ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ

(4349) हज़रत अबू स़अलबा ख़ुशनी (ﷺ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत से आजिज़ नहीं रखेगा।'

तख़रीज : (सनद स़ही) तारीख़ इब्ने जरीर अत तबरी: 1/16, मुसनद अहमद: 4/193, हाकिम: 4/424.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تُعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ". قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ .

(4350) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत अपने रब के यहां इस बात से आजिज़ न होगी कि वह उसे आधे दिन तक मुअख़्ख़र फ़रमा दे।' हज़रत सअद (ﷺ) से पूछा गया कि आधे दिन की मुद्दत किस क़द्र है? उन्होंने कहा: पाँच सौ साल।

(4350) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है: 4349.

फ़ायदा : इसके कई मफ़हूम बयान किये गये हैं, इनमें एक मफ़हूम ये है कि इसका ताल्लूक़ यौमे क़यामत से है, यानी उस रोज़ अल्लाह तआला ग़रीबों को पहले जन्नत में भेज देगा और मालदारों को उनसे मिलने में पाँच सौ साल की मुद्दत लग जायेगी। ये बात दूसरी हदीस़ों में भी बयान की गई है।

كتاب الحدود

हुदूद और ताज़ीरात का बयान

- हुदूद हद की जमा है। लुग़त में 'हद' उस रूकावट को कहते हैं जो दो चीज़ों के दरम्यान हाइल हो और उन्हें आपस में ख़लत मलत होने से मानेअ़ हो। इस्तेलाहे शरअ़ में इससे मुराद 'वह ख़ास सज़ायें होती हैं जो बलिहाज़े हुक़ूक़ुल्लाह मख़्सूस ग़लतियों और नाफ़रमानियों पर उनके मुर्तकेबीन को दी जाती हैं और ये अल्लाह या उसके रसूल की तरफ़ से मुक़र्रर हैं।' इन सज़ाओं को 'हद' कहने की वजह ये है कि ये सज़ायें लोगों को उन नाफ़रमानियों के इरतेकाब से मानेअ़ (रूकावट) होती हैं और ताज़ीरात, उन सज़ाओं को कहते हैं जो मुक़र्रर नहीं हैं, बल्कि क़ाज़ी या हाकिमे मजाज़ी अपनी सवाब दीद से हालात के मुताबिक़ मुख़्तलिफ़ जराइम पर देते हैं।
- अल्लाह तआ़ला ने चंद बदतरीन जुर्मों की सज़ायें मुक़र्रर फ़रमा दी हैं जो लोगों को जराइम के इरतेकाब से रोकती हैं। इसलिए उन्हें हुदूद कहा जाता है। वह जराइम और उनकी सज़ायें नीचे दी जा रही हैं:

❶ **चोरी :** मुसलमान का माल हुरमत वाला है, उसे चुराने वाले की सज़ा हाथ काटना है, इरशादे बारी तआ़ला है: 'और तुम चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दो, ये अल्लाह की तरफ़ से उस गुनाह की इबरतनाक सज़ा है जो उन्होंने किया।' (अल मायदा: 38)

❷ **तोहमत लगाना :** पाक दामन मुसलमान पर झूठी तोहमत लगाना मुजिबे सज़ा है जो कि 80 कोड़े हैं, इरशादे बारी तआ़ला है: 'तो तुम उन्हें अस्सी कोड़े मारो।' (अन्नूर: 4)

❸ **ज़िना :** इस क़बीह और शनीअ़ जुर्म की बड़ी सख़्त सज़ा मुक़र्रर की गई है। अगर शादीशुदा शख़्स ये जुर्म करे तो उसे पत्थरों से रज्म करने का हुक्म दिया गया और अगर कुंवारा हो तो सौ कोड़े उसकी सज़ा है। (सही मुस्लिम: 1690)

❹ **बग़ावत और इरतेदाद :** अगर कोई शख़्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाये तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाये। बाग़ियों के ख़िलाफ़ मुसल्लह (हथियार से) जद्दोजहद की जायेगी ताकि वह

मुसलमान इमाम की इताअत में वापस आ जायें। इरशादे बारी तआला है: 'जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद के लिये भाग दौड़ करते हैं, उनकी सज़ा तो सिर्फ़ ये है कि उन्हें क़त्ल किया जाये या सूली दी जाये या उनके हाथ और पाँव मुख़ालिफ़ जानिब से काट दिये जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये। ये दुनिया में उनके लिये ज़िल्लत है और आख़िरत में उनके लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।' (अल मायदा: 33)

❺ क़त्ल : अदमे सुलह की सूरत में इस जुर्म के मुर्तकिब शख़्स की सज़ा भी क़त्ल है, इरशादे बारी तआला है: 'और हमने उनके ज़िम्मा ये बात तौरात में मुक़र्रर कर दी थी कि जान के बदले जान है।' (अल मायदा: 45)

كتاب الحدود

हुदूद और ताज़ीरात का बयान

﴿1﴾ باب الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

बाब : 1 मुर्तद, यानी दीने इस्लाम से फिर जाने वाले का हुक्म

फ़ायदा : 'मुर्तद होना या इरतेदाद' ... किसी आक़िल, बालिग़ मुसलमान (मर्द, औरत) बग़ैर किसी जब्र व इकराह के इस्लाम से मुन्किर हो जाने को कहते हैं। कोई बच्चा या मजनून ऐसी बात कहे तो उसका ऐतबार नहीं और अगर कोई किसी के जब्र व इकराह से ऐसा कहने करने पर मजबूर हो जाये तो माफ़ है, इरशादे बारी तआला है: 'जिसने ईमान ले आने के बाद अल्लाह से कुफ़्र किया सिवाए उसके जिसे मजबूर कर दिया गया और उसका दिल ईमान पर मुतमइन रहा।' (अन्नहल: 106)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْرَقَ نَاسًا

(4351) जनाब इकरमा से रिवायत है कि सय्यदना अली (ﷺ) ने कुछ लोगों को जो दीने इस्लाम से मुर्तद हो गये थे आग से जलवा दिया। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें

ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ " . وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " . فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ وَيْحَ ابْنَ عَبَّاسٍ .

आग से न जलवाता। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'अल्लाह के अज़ाब से अज़ाब मत दो।' बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ क़त्ल करता। बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जो अपना दीन बदल ले उसे क़त्ल कर दो।' हज़रत अली (رضي الله عنه) को ये बात पहुँची तो उन्होंने कहा: क्या ख़ूब हैं इब्ने अब्बास! (या इब्ने अब्बास की माँ!)

(4351) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6922, मुसनद अहमद, हदीस: 1871.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आग से अज़ाब देना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये ख़ास है। किसी भी शख़्स को जायज़ नहीं कि किसी मुजरिम को आग से सज़ा दे, ख़्वाह उसका जुर्म किसी क़द्र बड़ा हो। और दीने इस्लाम से मुर्तद हो जाने वाले की सज़ा क़त्ल है। **(2)** आयते करीमा: 'दीन में जब्र व इकराह नहीं ...' के मानी ये हैं कि किसी शख़्स को जबरन इस्लाम में दाख़िल नहीं किया जायेगा। जिहाद व क़िताल इस्लाम के ग़ल्बा और उसकी राह में मौजूद रूकावटों को दूर करने के लिये है। अगर कोई शख़्स मुसलमान नहीं होना चाहता तो उसे जिज़्या देकर मुसलमानों के मातहत रहना होगा। लेकिन अगर कोई इस्लाम क़बूल कर लेता है तो उस पर इस्लाम के तमाम अहकाम व फ़राइज़ लाज़िम आते हैं और वापसी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगर ये राह खुली रखी जाये तो ये दीन नहीं बच्चों का खेल बन कर रह जायेगा, इसलिए इस्लाम क़बूल करने वाले को सोच समझ कर ये इक़दाम करना चाहिए कि अब वापसी नामुमकिन है और इस हक़ीक़त से मुश्रिकीने मक्का और तमाम अहले जाहिलीयत आगाह थे कि इस्लाम क़बूल कर लेने के मानी ये हैं कि अपनी साबिक़ा तर ज़िन्दगी के बिल्कुल बरअक्स एक नया तर ज़िन्दगी अपनाना पड़ेगा। इस मसले को दूसरे अन्दाज़ से भी समझा जा सकता है कि मुर्तद होना बग़ावत है और बग़ावत किसी भी मज़हब व मिल्लत, क़ानून और हुकूमत में नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ

(4352) सय्यदना अब्दुल्लाह (बिन मसऊद) (رضي الله عنه) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान इस बात की

مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " .

गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसका ख़ून हलाल नहीं है, सिवाए इसके कि तीन बातों में से किसी एक का मुर्तकिब हो: शादीशुदा होकर ज़िना करे, जान के बदले जान और जो दीन (इस्लाम) छोड़ दे और जमाअ़त (मिल्लते इस्लाम) से अलग हो जाये।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6878, व मुस्लिम: 1676.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا " .

(4353) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं उसका ख़ून हलाल नहीं, सिवाए इसके कि तीन बातों में से किसी एक का मुर्तकिब हो: शादी शुदा होने के बाद ज़िना करे, तो उसे पत्थरों से रज्म किया जायेगा, कोई अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ हथियार उठाकर निकले तो उसे क़त्ल किया जायेगा या सूली चढ़ाया जायेगा या मुल्क बदर कर दिया जाये या कोई किसी जान को मार डाले तो उसे उसके बदले में क़त्ल किया जायेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4053.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ

(4354) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जब कि मेरे साथ बनू अशअ़र के

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ - حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاكِتٌ فَقَالَ " مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى " . أَوْ " يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ " . قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ قَالَ " لَنْ نَسْتَعْمِلَ - أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ - عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ " . فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ انْزِلْ . وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا

दो आदमी और भी थे, एक मेरी दायें जानिब था और दूसरा बायें जानिब। इन दोनों ने काम (किसी मन्सब और ज़िम्मेदारी) का सवाल कर दिया और नबी(ﷺ) ख़ामोश रहे। फिर आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू मूसा!' या फ़रमाया: 'ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ैस तेरा क्या ख़्याल है?' मैंने अर्ज़ किया: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है! उन्होंने मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई थी और मुझे ख़्याल न था कि ये किसी मन्सब के तलबगार हैं, और गोया मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की मिस्वाक की तरफ़ देख रहा हूं जो आपके होंठ के नीचे थी जिससे वह ऊपर को उठ सा गया था। आपने फ़रमाया: 'हम किसी को अपना काम हरगिज़ न सौंपेंगे।' या फ़रमाया: 'हम ऐसे किसी शख़्स को अपना काम नहीं देते हैं जो ख़ूद से इसका तलबगार हो, लेकिन ऐ अबू मूसा!' या फ़रमाया: 'ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ैस! तुम जाओ।' और उन्हें यमन की तरफ़ भेज दिया। फिर उनके पीछे हज़रत मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) को भी भेज दिया। जब मुआज़ उनके पास पहुँचे तो अबू मूसा ने कहा: तशरीफ़ लाइये। उतरिये और उन्हें तकिया पेश किया। लेकिन हज़रत मुआज़(رضي الله عنه) ने अचानक देखा कि उनके यहां एक आदमी ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा, इसे क्या है? कहा कि ये यहूदी था, फिर मुसलमान हो गया लेकिन दोबारा अपने बातिल दीन की तरफ़ फिर गया (मुर्तद हो गया) है। हज़रत

मुआज़ (ﷺ) ने कहा: जब तक इसे क़त्ल न कर दिया जाये मैं नहीं बैठूंगा, ये फ़ैसला है अल्लाह और उसके रसूल का, अबू मूसा ने कहा: बैठ जाइये, हाँ, (फ़ैसला यही है।) हज़रत मुआज़(ﷺ) ने कहा: जब तक इसे क़त्ल न कर दिया जाये मैं नहीं बैठूंगा। ये फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल का है। उन्होंने तीन बार कहा। चुनांचे अबू मूसा ने हुक्म दिया और उसे क़त्ल कर दिया गया। फिर वह दोनों क़यामुल लैल (रात की नमाज़) के मुताल्लिक़ बातचीत करते रहे। उनमें से एक, यानी हज़रत मुआज़ बिन जबल(ﷺ) ने कहा: मैं सोता हूं और क़याम भी करता हूं। या कहा कि क़याम करता हूं और सोता भी हूं और अपनी नींद में उसी चीज़ का उम्मीदवार होता हूं जिसकी मुझे अपने क़याम में उम्मीद होती है। (यानी अज्र व सवाब की।)

قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ . قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ . قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ - أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ - وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6923, व मुस्लिम: 1824.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में बज़ाहिर यही है कि उस मुर्तद से तौबा नहीं कराई गई। मगर दर्ज ज़ेल रिवायत में है कि उससे तौबा कराई गई थी और जुम्हूर यही कहते हैं। (2) मेहमान का हक़ है कि उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाये। (3) मुंकरात (अल्लाह की नाफ़रमानी और गुनाहों के कामों) पर इंकार में टाल मटोल और ढील का अंदाज़ इख़्तियार नहीं करना चाहिए। (4) हुदूदे शरिया जारी करने में भी बिलावजह ताख़ीर करना मुनासिब नहीं। (5) मुबाह और जायज़ आमाल पर भी नियते सालेह की बिना पर इंसानों को अज्र व सवाब मिलता है, जैसे नींद बंदे के लिये राहत का फ़ितरी अमल है मगर जब ये नियत हो कि नींद के बाद फ़लां नेक काम करूंगा तो ये नींद भी अज्र व सवाब का अमल बन जाती है।

(4355) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं जब यमन में (आमिल) था तो हज़रत मुआज़ (ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये और एक आदमी था जो यहूदी था,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ، - يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ

طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، وَبُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ، وَرَجُلٌ، كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لاَ أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ . فَقُتِلَ . قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ .

उसने इस्लाम क़बूल किया मगर फिर इस्लाम से मुर्तद हो गया। जब हज़रत मुआज़ (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो उन्होंने कहा: मैं अपनी सवारी से उस वक़्त तक नहीं उतरूंगा जब तक कि उसे क़त्ल न कर दिया जाये। दोनों (तलहा और बुरैदा) में से एक ने कहा: और उस शख़्स को उससे पहले तौबा कर लेने को कहा गया था।

(4355) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 8/206, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : मुर्तद को मौक़ा देना चाहिए कि वह तौबा कर ले अगर दोबारा इस्लाम क़बूल कर ले, तो बेहतर वरना क़त्ल होगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأُتِيَ أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَى فَضُرِبَ عُنُقُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرِ الاِسْتِتَابَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الاِسْتِتَابَةَ .

(4356) जनाब अबू बुर्दा ने ये क़िस्सा बयान किया। कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा (ﷺ) के यहाँ एक आदमी पेश किया गया जो इस्लाम से मुर्तद हो चुका था। तो आप उसे तक़रीबन बीस रात दावत देते रहे। फिर हज़रत मुआज़ (ﷺ) तशरीफ़ ले आये तो उन्होंने भी उसे दावत दी मगर उसने इंकार कर दिया, तो उसकी गर्दन मार दी गई।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को अ़ब्दुल मलिक बिन उ़मैर ने अबू बुर्दा से रिवायत किया है मगर उसमें तौबा कराने का बयान नहीं। और इब्ने फुज़ैल ने बवास्ता शैबानी, सईद बिन अबी बुर्दा से उन्होंने अपने वालिद अबू मूसा से रिवायत किया तो उसमें भी तौबा कराने का ज़िक्र नहीं है।

(4356) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी, हदीस़: 8/206, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

(4357) जनाब क़ासिम (बिन अब्दुर्रहमान हुज़ली) ने ये क़िस्सा बयान किया। उसमें है कि हज़रत मुआज़ (ﷺ) अपनी सवारी से उस वक़्त तक न उतरे जब तक कि उसकी गर्दन न मार दी गई और उस शख़्स से तौबा न करवाई।

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتَتَابَهُ .

(4357) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है और ऊपर वाली रिवायत में उससे तौबा कराने का बयान सही सनद से साबित है।

(4358) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबू सरह नबी (ﷺ) का कातिब था। तो शैतान ने उसे बहका लिया और वह कुफ़्फ़ार से जा मिला। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) ने उसके लिये अमान तलब कर ली, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे अमान दे दी।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4074.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फ़वाइद व मसाइल : (1) कोई मुर्तद तन्फ़ीज़े हद से पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा मक़बूल है। (2) फ़ितने से हमेशा अल्लाह की पनाह माँगते रहना चाहिए, शैतान के फंदे बेशुमार हैं।

(4359) हज़रत सअद (बिन अबी वक़्क़ास) (ﷺ) से रिवायत है कि जब फ़तहे मक्का का दिन आया तो अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबू सरह सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) के यहां छुप गया, फिर हज़रत उस्मान (ﷺ) उसे ले आये यहाँ तक कि

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ " أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلَهُ " . فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ " إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ " .

नबी(ﷺ) के सामने ला खड़ा किया और दरख़्वास्त की: ऐ अल्लाह के रसूल! अ़ब्दुल्लाह से बैत ले लिजिये। आपने अपना सर उठाया और उसकी तरफ़ देखा, तीन बार ऐसे हूआ, आप हर बार इंकार फ़रमाते रहे, तीसरी बार के बाद आपने उससे बैत ले ली। फिर अपने स़हाबा की तरफ़ मुतवज्जह हूए और फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई समझदार आदमी नहीं था कि जब मैंने उसकी बैत लेने से अपना हाथ रोक रखा था तो वह उसकी तरफ़ उठता और उसे क़त्ल कर डालता?' स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम नहीं जानते थे कि आपके जी में क्या है? आप हमें अपनी आँख से इशारा फ़रमा देते। आपने फ़रमाया: 'किसी नबी को लायक़ नहीं कि उसकी आँख ख़्यानत वाली हो।'

(4359) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4072, हदीस़: 2683 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह के रसूल, उसके दीन और इस्लाम से मुर्तद हो जाने वाले की सज़ा क़त्ल है। **(2)** आँख से मख़्फ़ी इशारा करना आँख की ख़्यानत है जो किसी भी स़ाहिबे दीन के लिये ठीक नहीं और ये बहुत बड़ा ऐब है। **(3)** अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल व इनायत की कोई इन्तेहा नहीं, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द बिन अबू सरह(رضي الله عنه) सय्यदना उ़स्मान (رضي الله عنه) के रज़ाई भाई थे, बाद में इस्लाम से कुछ अ़र्सा के लिये मुर्तद भी हो गये, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इब्तेदा में उनके क़त्ल का हुक्म भी दिया था मगर अल्लाह की तौफ़ीक़ और हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) की सिफ़ारिश से फ़तहे मक्का के दिन उनकी तौबा क़बूल कर ली गई थी। और उनका इस्लाम बहुत उ़म्दा रहा। सय्यदना उ़स्मान के दौर में मिस्र के वाली रहे। अफ़्रीक़ा, ज़ातुस सवारी और असाविद के ग़ज़्वात उनकी अहम कारनामों में से हैं। (अलएसाबा)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

(4360) हज़रत जरीर (बिन अ़ब्दुल्लाह बजली)(رضي الله عنه) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .

थे: 'जब कोई ग़ुलाम शिर्क की तरफ़ भाग जाये तो उसका ख़ून हलाल है।'

(4360) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4057, व मुस्लिम: 70.

फ़ायदा : शिर्क से मुराद दारूल हरब और मुश्रिकीन का इलाक़ा है। दारूल हरब में बाक़ायदा इक़ामत हराम है अगर ऐसा आदमी इस्लाम ही से मुर्तद हो जाये तो मामला और भी सख़्त हो जाता है।

﴿2﴾ بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

बाब : 2
नबी (ﷺ) को गाली देने वाले का हुक्म

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ - قَالَ - فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَشْتِمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4361) सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक नाबीना था, उसकी एक उम्मे वलद (ऐसी लौण्डी जिससे उसकी औलाद) थी और वह नबी (ﷺ) को गालियाँ बकती और बुरा भला कहती थी। वह उसे मना करता था मगर मानती न थी, वह उसे डाँटता था मगर समझती न थी। एक रात वह नबी (ﷺ) की बदगोई करने और आपको गालियाँ देने लगी तो उस नाबीने ने एक बरछा लिया, उसे उस लौण्डी के पेट पर रख कर उस पर अपना बोझ डाल दिया और इस तरह उसे क़त्ल कर डाला। उस लौण्डी के पाँव में एक छोटा बच्चा आ गया और उसने उस जगह को ख़ून से लथ पथ कर दिया। जब सुबह हुई तो नबी(ﷺ) से इस क़त्ल का ज़िक्र किया गया और लोग इकट्ठे हो गये तो आपने फ़रमाया: 'मैं उस आदमी को अल्लाह की क़सम देता हूं, जिसने ये कार्यवाही की है और मेरा उस पर हक़ है कि

فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ " أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قَامَ " . فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ " .

खड़ा हो जाये।' तो वह नाबीना खड़ा हो गया और लोगों की गर्दनें फलांगता हूआ आया, उसके क़दम लरज़ रहे थे यहाँ तक कि नबी (ﷺ) के सामने आ बैठा और बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इसका क़ातिल हूं। ये आपको गालियाँ बकती और बुरा भला कहती थी। मैं उसको मना करता था मगर बाज़ न आती थी। मैं उसे डाँटता था मगर समझती न थी। मेरे इससे दो बच्चे भी हैं जैसे कि मोती हों और वह मेरा बड़ा अच्छा साथ देने वाली थी। गुज़िश्ता रात जब वह आपको गालियाँ देने लगी और बुरा भला कहने लगी तो मैंने छुरा लिया, उसे उसके पेट पर रखा और उस पर अपना बोझ डाल दिया यहाँ तक कि उसको क़त्ल कर डाला। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! गवाह हो जाओ इस लौण्डी का ख़ून ज़ाया है।'

तख़रीज : **(सनद सही)** नसाई, हदीस: 4075.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) के शातिम (गाली बकने वाले) की सज़ा क़त्ल है। उस पर कोई क़िसास है न दियत। क़ातिल का ये अमल उसकी ग़ैरते ईमान का इज़हार और बाइसे अज्र व फ़ज़ल होगा। लेकिन ये काम हुकूमत के वास्ते से होना चाहिए ताकि फ़ितना न बन जाये।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً، كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَمَهَا

(4362) सय्यदना अली (ؓ) से रिवायत है कि एक यहूदी औरत नबी (ﷺ) को गालियाँ दिया करती थी और आपके बारे में ना ज़ेबा अल्फ़ाज़ बोलती थी। तो एक आदमी ने उसका गला घोंट दिया यहाँ तक कि वह मर गई। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसका ख़ून ज़ाया क़रार दिया।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** बैहक़ी: 7/60, 9/200.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ مَا الَّذِي قُلْتَ آنِفًا قُلْتُ ائْذَنْ لِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ . قَالَ أَكُنْتَ فَاعِلاً لَوْ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَىْ لَمْ يَكُنْ لأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً إِلاَّ بِإِحْدَى الثَّلاَثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْتُلَ .

(4363) हज़रत अबू बरज़ा (﵁) कहते हैं कि मैं सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (﵁) के पास था कि वह किसी आदमी पर नाराज़ हूए और बहुत ज़्यादा नाराज़ हूए। मैंने कहा: ऐ ख़लीफ़–ए–रसूल! इजाज़त दीजिये कि मैं इसकी गर्दन मार डालूं? तो मेरी इस बात ने उनका सब गुस्सा ख़त्म कर दिया। फिर वह वहां से उठ कर घर चले गये और मुझे बुलवा भेजा और कहा: तुमने अभी अभी क्या कहा था? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने कहा था: मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन मार दूं। फ़रमाया: अगर मैं तुझे ऐसे कह देता तो क्या वाक़ई तुम ये कर गुज़रते? मैंने कहा: हाँ। फ़रमाया: नहीं, अल्लाह की क़सम! हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के बाद किसी बशर को ये मक़ाम हासिल नहीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये लफ़्ज़ यज़ीद बिन ज़रीअ के हैं।

इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने कहा: यानी अबूबक्र को कोई हक़ नहीं कि किसी को क़त्ल करे सिवाए इसके कि तीन में से कोई एक बात हो, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई हैं: 'ईमान के बाद कुफ्र, शादीशुदा होने के बाद ज़िना और किसी जान को किसी जान के बदले के बग़ैर क़त्ल कर डालना और नबी(ﷺ) को हक़ था कि वह किसी को क़त्ल कर डालें।

(4363) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4082.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) के बाद किसी भी शख़्सीयत का ये मक़ाम व मर्तबा और हक़ नहीं कि उसकी मुख़ालिफ़त या बेअदबी करने वाले की जान मार दी जाये, ख़्वाह कोई कितना ही बड़ा बादशाह हो या अज़ीज़ व मोहतरम।

बाब : 3 डाका, रहज़नी और लूट मार का बयान

﴾3﴿ باب مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِبَةِ

फ़ायदा : दारूल इस्लाम में कोई गिरोह मुसल्लह (हथियार बंद) होकर बग़ावत पर आमादा हो जाये, अम्नो शान्ती को ख़राब करे, दहशतगर्दी फैलाये, क़त्ल व ग़ारत ढाये, लोगों की इज़्ज़तें पामाल करे, माल लूटे, खेत बाग़ात उजाड़े या हैवानात को क़त्ल करे वग़ैरह, अलग़र्ज़ दीन व अख़्लाक़ और निज़ाम व क़ानून की धज्जियाँ उड़ाने की कोई मुसल्लह कोशिश हराबा और मुहारबा कहलाती है। (फ़िक्हुस सुन्ना)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ قَوْمًا، مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ

(4364) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से मरवी है कि क़बील-ए-उकल या उरैना के कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये। उन्हें मदीने की आबो व हवा रास न आई (और बीमार हो गये) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको चंद ऊँटनियाँ इनायत फ़रमाई और हुक्म दिया कि वह उनका पेशाब और दूध पीयें। चुनांचे वह (बाहर चरागाह में) चले गये। जब तंदुरूस्त हूए तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल कर डाला और जानवर हंका ले गये। दिन के पहले पहर ही नबी (ﷺ) को उनकी ख़बर मिल गई तो आप(ﷺ) ने उनके तआक़ूब में अपने आदमी भेजे। जब दिन ख़ूब चढ़ आया तो उन्हें ले आया गया। आपने उनके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उनके हाथ और पाँव काट डाले गये। उनकी आँखों में गर्म लोहे की सलाख़ें

फेरी गई और पत्थरीली ज़मीन में फेंक दिये गये, वह पानी माँगते थे मगर न दिया गया। अबू क़िलाबा ने कहा: उन लोगों ने चोरी की, क़त्ल किये, ईमान लाने के बाद कुफ़्र किया और अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) से जंग की। (यानी उनके साथ उस सख़्त तरीन मामले की वजह उनके यही क़सूर थे।)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 233, व मुस्लिम: 1671.

فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِّرَ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ . قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ فَهَؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

(4365) जनाब अय्यूब (रह.) ने अपनी सनद से ये हदीस बयान की, उसमें है कि आप (ﷺ) ने सलाख़ों का हुक्म दिया, उन्हें गर्म किया गया और फिर उनकी आँखों में फेर दिया और उनके हाथ पाँव काट डाले और उन्हें दाग़ न दिया (कि ख़ून ही बंद हो जाये और उन्हें यक्बारगी क़त्ल न किया गया।)

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ .

(4366) जनाब अबू क़िलाबा ने हज़रत अनस बिन मालिक (ؓ) से ये हदीस रिवायत की है उसमें है कि रसूल (ﷺ) ने उनके तआक़ुब में मुख़्बिरों (खोजीयों) को भेजा तो उन्हें ले आया गया, चुनांचे अल्लाह तआला ने इसी सिलसिले में ये आयते मुबारका नाज़िल फ़रमाई: (इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू...) 'जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद फैलायें (उनकी सज़ा ये है कि उन्हें क़त्ल कर दिया जाये या सूली चढ़ा दिये जायें या उल्टी अतराफ़ से उनके हाथ पाँव काट दिये

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأُتِيَ بِهِمْ . قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآيَةَ .

जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये।')

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا.

(4367) जनाब साबित, क़तादा और हुमैद ने सय्यदना अनस (ﷺ) से ये हदीस रिवायत की, कहा: उल्टी तरफ़ से उनके हाथ और पाँव काटे। (हदीस के) शूरू में कहा: वह ऊँटों को हांक ले गये और इस्लाम से मुर्तद हो गये। हज़रत अनस(ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने उनमें से एक को देखा कि वह प्यास के मारे अपने मुँह से ज़मीन को काट रहा था यहाँ तक कि वह (इसी हालत में) मर गये।

(4367) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 72, नसाई, हदीस: 4039.

फ़ायदा : ऐसे मुजरिमों को अज़ियतनाक तरीक़े से मारना होता है और ये किसी रहम के हक़दार नहीं रहते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلاَفٍ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَسَلاَّمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرَا مِنْ خِلاَفٍ. وَلَمْ أَجِدْ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ . إِلاَّ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

(4368) जनाब क़तादा ने हज़रत अनस (ﷺ) से ये हदीस ऊपर की हदीस की मानिन्द रिवायत की और मज़ीद कहा: फिर मुस्ला (लाशों के कान नाक वग़ैरह काटना) से मना कर दिया गया। और इस रिवायत में 'उल्टी अतराफ़ से' का ज़िक्र नहीं किया।

शोबा ने बवास्ता क़तादा और सलाम बिन मिस्कीन, साबित से और उसने हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत किया। उन दोनों ने भी 'उल्टी अतराफ़' का ज़िक्र नहीं किया। और हम्माद बिन सलमा की रिवायत के अलावा मुझे किसी की हदीस में ये नहीं मिला कि आपने उनके हाथ और पाँव उल्टी अतराफ़ से काटे थे।

(4368) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1501, मुसनद अहमद: 3/877, बुख़ारी: हदीस: 5685.

फ़ायदा : ये सज़ा कुर्आनी हुक्म के मुताबिक़ है। कुर्आन मजीद की नस़ सूरह मायदा की आयत 33 में ये हुक्म बस़राहत मौजूद है और इस अ़मल को मुस्ला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हद्दे शरई है और उन लोगों से क़िसास़ का मामला किया गया था। और मुस्ला जिसकी मुमानिअ़त आई है वह क़त्ल कर देने के बाद लाश के अज़्ज़ा (बॉडी के हिस्सों को) काटना है जो इस्लाम में किसी तरह जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، - قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ . قَالَ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَهُمُ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجَ حِينَ سَأَلَهُ .

(4369) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने नबी (ﷺ) के ऊँटों पर डाका डाला और उन्हें हांक ले गये, इस्लाम से मुर्तद हो गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल किया जो स़ाहिबे ईमान था। तो आपने उनका तआ़क़ुब करवाया और उन्हें पकड़ लिया गया। फिर आपने उनके हाथ और पाँव काटे और उनकी आँखों में गर्म सलाख़ें फेरीं, कहा कि इन्ही लोगों के मामले में आयते मुहारबा उतरी: (इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू...) और यही वह लोग थे जिनके बारे में हज़रत अनस(ﷺ) ने हज्जाज बिन यूसुफ़ को बताया था जब कि उसने उनसे ये पूछा था।

(4369) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई.

फ़ायदा : हज्जाज बिन यूसुफ़ तारीख़े इस्लाम का मारूफ़ ज़ालिम हुक्मरान गुज़रा है, उसने हज़रत अनस (ﷺ) से पूछा कि सबसे शदीद तरीन सज़ा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी को दी वह क्या थी तो हज़रत अनस (ﷺ) ने उसको ये ऊपर दिया गया वाक़िया बयान किया, इस पर हज़रत हसन बस़री (रह.) ने कहा: काश वह उसे ये बयान न करते, क्योंकि उससे उसने अपने लिये ग़लत दलील ली। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 5685)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلاَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَطَعَ

(4370) जनाब अबू ज़िनाद से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊँटनियाँ चोरी करने वालों के हाथ पाँव काटे और उनकी आँखों में गर्म सलाख़ें फेरीं तो अल्लाह तआ़ला ने आपको उस पर एताब फ़रमाया और ये आयत नाज़िल की: (इन्नमा जज़ाउल

الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا } الآيَةَ .

लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू ...)(अल मायदा: 33)
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 4047.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ

(4371) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि ये अ़मल अहकामे हुदूद नाज़िल होने से पहले का है, यानी जो हदीसे अनस (ﷺ) में मज़कूर हुआ है।
(4371) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5686.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ } إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ } نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ .

(4372) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि (सूरह अलमायदा की आयत: 33, 34) (इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिब-नल्लाह व रसूलहू ...) 'उन लोगों की सज़ा जो अल्लाह तआ़ला से और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें यही है कि वह क़त्ल कर दिये जायें, या सूली चढ़ा दिये जायें या उल्टे तौर से उनके हाथ पाँव काट दिये जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये, ये तो हुई उनकी दुनियावी ज़िल्लत और ख़्वारी और आख़िरत में उनके लिये बड़ा भारी अ़ज़ाब है। हाँ जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम उन पर इख़्तियार पा लो तो यक़ीन मानो कि अल्लाह तआ़ला बहुत बड़ी बख़्शिश और रहम व करम वाला है।' ये आयत मुश्रिकीन के बारे में नाज़िल हुई है। तो जो उनमें से क़ाबू

पाये जाने से पहले तौबा कर ले ये आयत उसके हक़ में इस बात की मानेअ (रूकावट) नहीं है कि जो जुर्म उसने किया है उसकी सज़ा उस पर लागू न हो।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4051.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दीगर सही अहादीस़ से स़ाबित है कि ये आयते करीमा ऊकल और ऊरैना के लोगों के सिलसिले में नाज़िल हूई थी और मारूफ़ फ़िक़्ही क़ायदा है कि अहकाम में 'ऊमूमन अल्फ़ाज़ का ऐतबार किया जाता है न कि ख़ास़ अस्बाब का।' **(2)** मुजरिम अगर क़ाबू पाये जाने से पहले तौबा कर ले तो उम्मीद है कि हुक़ूक़ुल्लाह माफ़ हो जायें, मगर हुक़ूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होते देखिये: (अरौंजतुन्नदिया, 2/620 वग़ैरह)

बाब : 4
अल्लाह की हुदूद में सिफ़ारिश करना

﴿4﴾
بابٌ فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

(4373) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि कुरैश को बनू मख़्ज़ूम की उस औरत की बहुत फ़िक्र हूई जिसने चोरी की थी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कौन बात कर सकता है? यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) से। कहने लगे कि उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) के अलावा और कोई ये जुर्अत नहीं कर सकता, वह नबी (ﷺ) के चहेते हैं। चुनांचे हज़रत उसामा (ﷺ) ने आपसे बात की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसामा! क्या उस हद में सिफ़ारिश करते हो जो अल्लाह की हुदूद में से है?' फिर आप खड़े हुए और ख़ुत्बा दिया, और

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم " يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ " إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "

फ़रमाया: 'तुमसे पहले लोग सिर्फ़ इसी वजह से हलाक हूए थे कि उनमें जब कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी कर लेता तो वह उसे छोड़ देते, और अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद क़ायम कर देते थे। और अल्लाह की क़सम! अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा (ﷺ) भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता।'

(4373) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3732, व मुस्लिमस्र 1688.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुक़द्दमा अदालत में पहुँच जाने के बाद शरई हुदूद को टालने के लिये सिफ़ारिश करना बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। **(2)** क़ानून मुआशरे के सब अफ़राद के लिये बराबर होना चाहिए। **(3)** गुज़िश्ता क़ौमों की हलाकत का एक अहम सबब उनमें राइज तबक़ाती इम्तियाज़ (भेद–भाव) भी था, इस्लाम ने सख़्ती के साथ उससे रोका है।'

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً

(4374) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि बनू मख़्ज़ूम की एक औरत थी जो चीज़ें माँग कर ले जाती और फिर उनसे मुकर जाती थी। चुनांचे नबी (ﷺ) ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया और ऊपर दी गई हदीस लैस के मानिन्द क़िस्सा बयान किया। कहा: चुनांचे नबी (ﷺ) ने उसका हाथ काट डाला।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने वहब ने ये हदीस बवास्ता यूनुस, ज़ोहरी से रिवायत की और इसी तरह कहा जैसे कि लैस ने बयान किया कि एक औरत ने नबी (ﷺ) के दौर में फ़तहे मक्का के दिनों में चोरी कर ली।

और लैस ने बवास्ता यूनुस, इब्ने शिहाब से अपनी सनद से रिवायत किया तो कहा: एक औरत कोई

سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ . وَرَوَى مَسْعُودُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ سُرِقَتْ قَطِيفَةٌ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

चीज़ माँग कर ले गई। मसऊद बिन अस्वद ने नबी (ﷺ) से इस हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया, कहा: उस औरत ने रसूल (ﷺ) के घर से एक चादर चोरी की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और अबू ज़ुबैर ने सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत किया कि एक औरत ने चोरी कर ली फिर सय्यदना ज़ैनब दुख़्तरे रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां जाकर पनाह ले ली।

और सुफ़ियान बिन उयय्ना ने उसे बवास्ता अय्यूब बिन मूसा, अन ज़ोहरी, अन उर्वा, अन आयशा (رضي الله عنها) रिवायत किया। और सुफ़ियान से रिवायत करने वालों में अल्फ़ाज़े रिवायत का इख़्तिलाफ़ है, इनमें से कुछ कहते हैं कि वह औरत चीज़ें माँग कर ले जाती थी और कुछ कहते हैं कि वह चोरी करती थी, और शुऐब बवास्ता ज़ोहरी अन उर्वा अन आयशा (رضي الله عنها) बयान करते हैं तो कहते हैं कि वह औरत चीज़ें माँग कर ले जाती थी और आगे ऊपर दी गई हदीस़ बयान की। और जब इस्माईल बिन उमेया और इस्हाक़ बिन राशिद दोनों ज़ोहरी से बयान करते हैं तो कहते हैं कि उस औरत ने नबी (ﷺ) के घर से चोरी की थी और बाक़ी हदीस़ ऊपर दी गई हदीस़ की तरह बयान की।

(4374) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3475, व मुस्लिम: 1688.

फ़वाइद व मसाइल : (1) माँगी चीज़ का इंकार, लुग़वी या इस्तेलाही तौर पर 'चोरी' नहीं है, मगर सही हदीस़ में इस कार्यवाही पर हाथ काटने का हुक्म साबित है। तो मालूम हूआ कि ये शरई तौर पर चोरी के हुक्म में है और शरीयत इस्तेलाहात से अव्वल तरीन है। **(2)** और मुमकिन है कि उस औरत ने माँगी चीज़ का इंकार किया हो और चोरी भी की हो तभी उसका हाथ काटा गया। तफ़्सील के लिये देखिये: (अरौज़तुन्नदिया)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ، - نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ " .

(4375) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इज़्ज़दार लोगों की लग्ज़िशें माफ़ कर दिया करो सिवाए इसके कि शरई हुदूद हों।'

(4375) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 7294, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1520, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस़: 465.

फ़ायदा : शरई हुदूद बग़ैर भेदभाव के आ़म व ख़ास़ सब पर लागू होती हैं। इससे कम दर्जे की ग़लतियाँ अगर ग़फ़लत से या पहली बार सरज़द हों और क़ाज़ी या मुन्तज़ेमीन महसूस करें कि ज़बानी तम्बीह ही काफ़ी है तो उन्हें माफ़ करना ज़्यादा बेहतर होता है लेकिन अगर कोई आ़दी मुजरिम हो या उसके मामले से महसूस हो कि वह अपने अ़मल पर कोई आ़र महसूस नहीं कर रहा है तो सज़ा देनी चाहिए।

(5) بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ، مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ

बाब : 5
हुदूद का मुक़द्दमा अगर क़ाज़ी या हाकिम तक न पहुँचा हो तो माफ़ किया जा सकता है

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(4376) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हुदूद के मामलात को आपस ही में एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो लेकिन जो मुक़द्दम–ए–हद मुझ तक पहुँच गया तो फिर उसकी तन्फ़ीज़ वाजिब है।'

صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " .

(4376) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 4890, हाकिम: 4/383, हदीस़: 4394 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम ये हदीस़ मानवी शवाहिद की बिना पर हसन दर्जे तक पहुँच जाती है जैसा कि हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने इस बात का इज़हार किया है। देखिये इस हदीस़ की तख़रीज व तहक़ीक़। **(2)** क़ाज़ी और हाकिम को क़तअन रवा नहीं कि हुदूदे शरईया की तन्फ़ीज़ (लागू करने) में टाल मटोल से काम ले। **(3)** ख़ूद मुजरिम या उसको देखने वाले गवाहों पर वाजिब नहीं कि ये मामला क़ाज़ी तक पहुँचायें। अगर मामला छुपाने के क़ाबिल और माफ़ी के क़ाबिल हो तो इस ऐतमाद पर कि मुर्तकिबे जुर्म आइन्दा मोहतात रहेगा, उससे दरगुज़र किया जा सकता है।

﴿6﴾ بَابٌ فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

बाब : 6
क़ाबिले हद मुजरिम की पर्दापोशी करना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَاعِزًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ " لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ " .

(4377) यज़ीद बिन नुऐम अपने वालिद (नुऐम बिन हुज़ाल असलमी) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि माइज़ बिन मालिक नबी(ﷺ) के पास आया और आपके सामने चार बार ऐतराफ़ व इक़रार किया (कि उसने ज़िना किया है) तो आप (ﷺ) ने उसको रज्म करने का हुक्म दिया और हुज़ाल असलमी से फ़रमाया: 'अगर तू उस पर अपने कपड़े से पर्दा डाल देता तो तेरे लिये बेहतर होता।'

(4377) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/217, नसाई, सुनन कुब्रा: 7205, हाकिम: 4/363.

(4378) जनाब इब्ने मुन्कदिर (रह.) से रिवायत है कि हुज़ाल (ﷺ) ने माइज़ से कहा कि वह नबी(ﷺ) के पास जाये और अपने मामले की ख़बर दे।

(4378) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/331, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ هَزَّالاً، أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيُخْبِرَهُ .

बाब : 7
क़ाबिले हद जुर्म का मुर्तकिब अगर ख़ूद हाज़िर होकर इक़रार कर ले तो?

﴿7﴾ باب فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

(4379) जनाब अ़ल्क़मा बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) के ज़माने में एक औरत नमाज़ के इरादे से निकली, तो रास्ते में उसे एक मर्द मिला जो उस पर चढ़ बैठा और उससे अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश पूरी की, वह चिख़ी चिल्लाई और वह चला गया। फिर औरत के पास से एक और आदमी गुज़रा तो वह बोली की यही वह है जिसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। मुहाजिरीन की एक जमाअ़त वहां से गुज़री तो औरत ने कहा: बेशक इस आदमी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे क्या है। तो वह गये और उसे पकड़ लाये जिसके बारे में उसने गुमान किया कि उसने उसके साथ मुबाशरत की है। वह उसे पकड़ कर औरत के पास लाये तो उसने कहा: हाँ यही वह है। पस वह उसे रसूलुल्लाह (ﷺ)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا . فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا بِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ

هُوَ هَذَا ‏.‏ فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُوذَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ‏"‏ ارْجُمُوهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ أَيْضًا عَنْ سِمَاكٍ ‏.‏

के पास ले आये। जब आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया (यानी हद लगाने का) तो असल मुजरिम जो औरत के साथ मुलव्विस हूआ था खड़ा हो गया और बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! इसका मुजरिम मैं हूं। आपने उस औरत से फ़रमाया: 'तुम जाओ, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है।' और उस आदमी के मुताल्लिक़ अच्छे कलिमात फ़रमाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: यानी उस आदमी के मुताल्लिक़ जो (शुब्हे में) पकड़ा गया था। और जो मुर्तकिब हूआ था उसके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि 'उसे रज्म कर दो।' फिर फ़रमाया: 'उसने ऐसी तौबा की है अगर ये (तौबा) अहले मदीना करते तो भी क़बूल कर ली जाती।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को अस्बात बिन नस्र ने भी सिमाक से रिवायत किया।

(4379) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1454, इब्ने जारूद, हदीस़: 823.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लामी मुआशरे का ये मफ़हूम कि उसके सब अफ़राद गुनाहों और ग़लतियों से पाक होते हैं, दुरूस्त नहीं बल्कि दुरूस्त ये है कि इस्लामी मुआशरे में शरई तर्ज़े मुआशरत का चलन ग़ालिब होता है। अगर किसी से कोई जुर्म हो जाये तो उसके बारे में शरई क़ानून पर पूरा पूरा अमल भी किया जाता है। **(2)** मुजरिम जब ख़ुद से इक़रार करे और तहक़ीक़ से साबित हो कि उसके इक़रार में कोई शुब्हा नहीं तो उस पर शरई हद नाफ़िज़ होगी मगर इस रिवायत के सिलसिले में अल्लामा अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि 'राजेह ये है कि ये शख़्स रज्म नहीं किया गया था। और लफ़्ज़ (इर्जिमूहु) 'इसे रज्म कर दो' सही नहीं।

बाब : 8
क़ाज़ी इक़रार करने वाले को उसके इक़रार से मुन्हरिफ़ करे

﴿8﴾

بَابٌ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ " . قَالَ بَلَى . فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ " اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " . فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ " . ثَلاَثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(4380) हज़रत अबू उमैया मख़ज़ूमी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास एक चोर को लाया गया जिसने ख़ूद से ऐतराफ़ किया मगर माल उसके पास से नहीं मिला था। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उससे कहा: 'मैं नहीं समझता कि तूने चोरी की होगी।' उसने कहा: क्यों नहीं (यानी की है।) आप (ﷺ) ने दो या तीन बार ऐसे ही कहा। फिर आपने हुक्म दिया तो उसका हाथ काट डाला गया। फिर पेश किया गया तो आपने उससे फ़रमाया: 'अल्लाह से माफ़ी माँगो और तौबा करो।' उसने कहा: मैं अल्लाह से माफ़ी माँगता हूं और तौबा करता हूं। आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! इसकी तौबा क़बूल फ़रमा ले।' तीन बार फ़रमाया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को अम्र बिन आसिम ने बवास्ता हम्माम, इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हूए यूँ कहा: अबू उमैया जो कि अंसारी आदमी थे वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं।

(4380) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2597, नसाई, हदीस: 4881.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हूआ कि क़ाबिले हद जुर्म में अगर कोई ख़ूद से इक़रार कर रहा हो

तो मुस्तहब है कि इस अन्दाज़ से बात की जाये कि वह अपने इक़रार से मुन्हरिफ़ हो जाये और हद लगने से बच जाये। (2) हद लगने के बाद भी मुजरिम को इस्तेग़फ़ार और तौबा की तर्ग़ीब दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन हुदूद पर राज़ी न हो और अपने जुर्म को दुरूस्त समझता हो तो ये हद उसके लिये कफ़्फ़ारा नहीं बन सकती। जबकि साहिबे ईमान व तस्लीम के लिये हुदूद कफ़्फ़ारा होती हैं। (सही बुख़ारी: हदीस: 6784)

बाब : 9
अगर कोई सराहत किये बग़ैर क़ाबिले हद जुर्म का इक़रार कर ले, तो?

﴿9﴾ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلاَ يُسَمِّيهِ

(4381) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने हद का इरतेकाब किया है। (जुर्म क़ाबिले हद है) मुझ पर हद क़ाइम फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 'क्या भला तूने आते वक़्त वज़ू किया था?' उसने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'क्या तूने हमारे साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी है?' उसने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'जाओ अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया है।'

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ . قَالَ " تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ "

(4381) तख़रीज : इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 311, व मुस्लिम: 2765.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुर्म की सराहत के बग़ैर किसी हद का इक़रार करने से कोई हद लागू नहीं हो सकती। (2) जब किसी दिल में ईमान जागुज़ीं हो जाता (दाख़िल हो जाता) है और उसे अपनी आख़िरत की फ़िक्र होती है तो वह हर तरह से कोशिश करता है कि इस दुनिया से पाक साफ़ होकर अल्लाह के हुज़ूर पेश हो। (3) वज़ू, नमाज़ बाजमाअत और हर तरह के आमाले सालेहा इंसान की छोटी मोटी कमियों का कफ़्फ़ारा बनते रहते हैं।

बाब : 10
मुल्ज़िम को तहक़ीक़ की ग़र्ज़ से मारना

﴿10﴾

باب فِي الاِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، أَنَّ قَوْمًا، مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلاَ امْتِحَانٍ . فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ . فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَىْ لاَ يَجِبُ الضَّرْبُ إِلاَّ بَعْدَ الاِعْتِرَافِ .

(4382) अज़हर बिन अब्दुल्लाह हराज़ी से रिवायत है कि क़बील–ए–कलाअ के लोगों का कुछ माल चोरी हो गया। उन्होंने कुछ जूलाहों पर इसका इल्ज़ाम लगाया। उन लोगों को हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) सहाबी–ए–रसूल के पास लाया गया तो उन्होंने उनको कई दिन क़ैद में रखा फिर छोड़ दिया। माल वाले हज़रत नौमान(ﷺ) के पास आये और कहा: आपने उन लोगों को मारे पीटे और तहक़ीक़ व तफ़तीश के बग़ैर ही छोड़ दिया है। तो हज़रत नौमान (ﷺ) ने कहा: तुम क्या चाहते हो? अगर चाहो तो मैं उन्हें मारता हूं, अगर तुम्हारा माल मिल गया तो बेहतर, वरना उसका बदला तुम्हारी पीठों से लूंगा, जिस क़द्र उनको मारा होगा तुम्हें भी मारूंगा। उन्होंने कहा: क्या ये आपका फ़ैसला है? उन्होंने फ़रमाया: ये अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह के रसूल (ﷺ) का फ़ैसला है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत नौमान(ﷺ) ने कलाई लोगों को अपनी इस बात से डराया था। और मक़सद ये वाज़ेह करना था कि मुलज़िम को ऐतराफ़ के बाद ही मारना दुरूस्त है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4878.

फ़ायदा : किसी मुल्ज़िम या मुत्तहम को तहक़ीक़ की ग़र्ज़ से मारना पीटना फ़ुक़हा के नज़दीक इख़्तिलाफ़ी मसला है। अहनाफ़ और शवाफ़ेअ इसका इंकार करते हैं, मुमकिन है कि ये शख़्स हक़ीक़तन बेक़ुसूर हो तो सज़ा देना ज़ुल्म होगा, अलबत्ता मालकिया इसे जायज़ कहते हैं। बहर हाल क़ाज़ी या हाकिम को चाहिए कि अहवाल व ज़ुरूफ़ (सिच्वेशन) की रोशनी में तहक़ीक़ करे, जैसे कि ग़ज़्व-ए-बद्र में सहाबा (ﷺ) ने क़ुरैश के ग़ुलाम को मारा और उससे ख़बर उगलवाने की कोशिश की थी। (सही मुस्लिम: 1779)

बाब : 11
किस क़द्र चोरी में हाथ काटा जाये।

﴿11﴾
بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

फ़ायदा : इस्तेलाहे फ़ुक़हा में 'चोरी' ये है कि कोई आदमी किसी के मम्लूका माल को उसके महफ़ूज़ (सुरक्षित) मुक़ाम से छुप कर उठा ले। इस तरह ख़्यानत, डाका, और उचक लेना चोरी की तारीफ़ में आते, उन पर दूसरे अन्दाज़ से ताज़ीर आती है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

(4383) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में चोर का हाथ काटा करते थे।

(4383) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6789, मुसनद अहमद: 6/36, व मुस्लिम: 1684.

फ़ायदा : क़ाबिले हद चोरी का निसाब चौथाई दीनार है। दीनार का वज़न आज कल के हिसाब से 425 (चार सौ पच्चीस) ग्राम शुमार किया जाता है, तो इसका चौथाई, 106 एक सौ छः ग्राम हूआ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله

(4384) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा में काटा जाये।'

अहमद बिन सालेह के अल्फ़ाज़ में है: 'हाथ का

عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

काटना चौथाई दीनार और उससे ज़्यादा में है।'

(4384) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6790, व मुस्लिम: 1684.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

(4385) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ढाल की चोरी में हाथ काटा था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

(4385) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6795, मौता, हदीस: 2/831, व मुस्लिम: 1686.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

(4386) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने एक ढाल की चोरी में एक आदमी का हाथ काटा, जो उसने औरतों वाले सुफ़्फ़ा (औरतों के लिये मख़सूस सायादार मुक़ाम जहां वह नमाज़ वग़ैरह पढ़ा करती थी) से चुराई थी। उस ढाल की क़ीमत तीन दिरहम थी।

(4386) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/145, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : तीन दिरहम उन दिनों एक दीनार के चौथाई ही के बराबर थे जैसे कि नीचे दी गई रिवायत में आ रहा है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ

(4387) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ढाल के बदले एक आदमी का हाथ काटा जिसकी क़ीमत एक दीनार या दस दिरहम थी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को मुहम्मद बिन सलमा और सअदान बिन यहया

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ .

ने इब्ने इस्हाक़ से उसकी सनद से रिवायत किया है।
(4387) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

﴾12﴿ بَابُ مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ

बाब : 12
ऐसी चोरी जिसमें हाथ नहीं कटता

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا، سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلاَمِي وَهُوَ يُرِيدُ

(4388) मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान ने बयान किया कि एक गुलाम ने किसी के बाग़ से ख़जूर का एक पौधा चोरी करके अपने मालिक के बाग़ में लगा दिया। पौधे वाला अपना पौधा ढूंढने निकला और उसे पा लिया। फिर उस गुलाम का मुक़द्दमा मरवान बिन हकम के यहां पेश कर दिया जो उन दिनों मदीना के अमीर थे। मरवान ने गुलाम को क़ैद कर लिया और चाहा कि उसका हाथ काट दे। तब गुलाम का मालिक हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) के यहां गया और उनसे ये मसला पूछा तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था, वह फ़रमाते थे: (दरख़्तों पर लगे) फल में और खजूर की गिरी में हाथ नहीं कटता।' तो उस आदमी ने कहा: तहक़ीक़ मरवान ने मेरे गुलाम को पकड़ा हूआ है और

वह उसका हाथ काटना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उसके पास चलें और जो हदीस़ आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है उसे भी बतायें। चुनांचे हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) उसके साथ गये और मरवान के पास पहुँचे और उसके सामने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'फल में और खजूर की गिरी में हाथ नहीं कटता।' चुनांचे मरवान ने हुक्म दिया और गुलाम को छोड़ दिया गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अलकशरू) से मुराद खजूर की वह नर्म गिरी है जो उसके तने के ऊपर किनारे में होती है।

(4388) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 4964, मौता: 2/839, इब्ने जारूद, हदीस़: 826, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1505.

قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " . فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْكَثَرُ الْجُمَّارُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि दरख़्त पर लगे फल या खजूरों की गिरी और इसी तरह बाग़ में लगे दरख़्त ग़ैर महफ़ूज़ होते हैं और इस्तेलाहन चोरी की हद में नहीं आते। इन चीज़ों का बग़ैर इजाज़त या छुप कर ले लेना बिलाशुब्हा जुर्म है मगर उस पर हाथ नहीं काटा जाता बल्कि मुनासिब ताज़ीरो तम्बीह या जुर्माना होगा। **(2)** फ़रमाने रसूल (ﷺ) मालूम हो जाने के बाद ज़ाती, सियासी या दीगर मस़ालेह की तर्जीह का कोई मक़ाम नहीं रह जाता।

(4389) मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान ने ऊपर दी गई हदीस़ बयान की और कहा: मरवान ने उस गुलाम को चंद कोड़े मारे और छोड़ दिया।

(4389) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 8/263.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ .

(4390) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आस़(ﷺ) रिवायत करते हैं कि

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ

ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ " مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَرِينُ الْجُوخَانُ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि दरख़्तों पर लगी खजूरों का क्या हुक्म है? तो आपने फ़रमाया: 'जो ज़रूरतमंद अपने मुँह से खा ले, लेकिन पल्लू में न बाँधें तो उस पर कुछ नहीं, और अगर कोई कुछ लेकर निकले तो उस पर उसका दोगुना जुर्माना और सज़ा है, और अगर कोई अलियान में महफ़ूज़ कर देने के बाद चुराये और उसकी क़ीमत एक ढाल को पहुँचे तो उसमें हाथ का काटना है। और जो कोई उससे कम में चुराये तो उस पर चोरी शुदा का दोगुना जुर्माना और सज़ा है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अलजरीन) से मुराद (जूख़ान) है, यानी जहां खजूर वग़ैरह ख़ुश्क और ज़ख़ीरा की जाती है।

(4390) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 1710 में देखें, तिर्मिज़ी, हदीस: 1289, नसाई, हदीस: 4961.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दरख़्तों पर से खा लेने की इजाज़त सिर्फ़ उसको है जो वाक़ेई हाजतमंद और भूखा हो जैसे कि कोई मुसाफ़िर हो। इलाक़े के मुजरिम ज़हनियत के लोगों को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। **(2)** एक चौथाई दीनार से कम क़ीमत माल की चोरी में क़ाज़ी कोई मुनासिब सज़ा दे सकता है।

﴿13﴾ باب الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

बाब : 13
उचक लेने और ख़यानत में हाथ काटना

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(4391) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लुटेरे का हाथ नहीं कटता और जो ऐलानिया माल लूटे वह हममें से नहीं।'

وسلم " لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .

(4391) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1448, नसाई, हदीस़: 4975, 4976, इब्ने माजा, हदीस़: 2591, 3935, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1502-1504, दारमी: 2/145, हदीस़: 2315.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ " .

(4392) इसी ऊपर दी गई सनद से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़्यानत करने वाले का हाथ नहीं कटता।'

(4392) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ زَادَ " وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(4393) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से इसी हदीस़ के मिस़्ल रिवायत किया और मज़ीद कहा: 'उचक्के का हाथ नहीं कटता।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये दोनों हदीस़ें इब्ने जुरैज ने अबू ज़ुबैर से नहीं सुनी हैं। और मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से ये बात पहुँची है, उन्होंने कहा कि ये हदीस़ें इब्ने जुरैज ने यासीन अज़्ज़य्यात से सुनी हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये अहादीस़ मुग़ीरा बिन मुस्लिम ने भी बवास्ता अबू ज़ुबैर, जाबिर (رضی اللہ عنہ) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत की हैं।

(4393) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : 'लुटेरा' वह होता है जो कुव्वत या अस्लहा के ज़ोर पर माल छीन ले जाये और 'उचक्का' वह होता है जो बड़ी तेज़ी और होशियारी से किसी का माल ले उड़े और 'ख़ाइन' उसे कहते हैं जो हिफ़ाज़त के लिये दिये गये माल से इंकारी हो जाये। उन पर चोरी की तारीफ़ स़ाबित नहीं होती। 'चोर' वह होता है जो पोशीदा तौर पर छुप कर ख़ास़ महफ़ूज़ मक़ाम से किसी ग़ैर का माल निकाल ले जाये। ऊपर दिये गये जराइम में बिलाशुब्हा दीगर सज़ायें लाज़िम आती हैं, लेकिन हाथ नहीं कटता।

बाब : 14
जो कोई महफ़ूज़ मक़ाम (सुरक्षित जगह) से चोरी करे

﴿14﴾
باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ ابْنِ أُخْتِ، صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ . قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ " فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانُ . وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ . وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأُخِذَ . وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ

(4394) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं मस्जिद में सोया हूआ था, मुझ पर एक नक्शो निगार वाली औढ़नीनुमा चादर थी। जिसकी क़ीमत तीस दिरहम थी। एक आदमी आया और उसने ये चुपके से मुझसे बड़ी जल्दी से निकाल ली। फिर उस आदमी को पकड़ लिया गया और नबी (ﷺ) के पास लाया गया। तो आपने हुक्म दिया कि उसका हाथ काट दिया जाये। हज़रत सफ़वान (ﷺ) कहते हैं कि मैं आप(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया कि क्या भला सिर्फ़ तीस के बदले में आप इसका हाथ काटेंगे? मैं इसे इसको फ़रोख़्त करता हूं और क़ीमत की अदायगी उधार कर लेता हूं। आपने फ़रमाया: 'तुमने ये इसको मेरे पास लाने से पहले क्यों न किया।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत बसनद ज़ाइदा अन सिमाक अन जुऐद बिन हुजैर यूँ हैं: हज़रत सफ़वान सो गये। ताऊस और मुजाहिद के अल्फ़ाज़ में यूँ है कि वह सोये हूए थे तो एक चोर आया और उसने उनकी चादर उनके सर के नीचे से चुरा ली और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान की रिवायत में है कि उसने ये चादर सर के नीचे से

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ السَّارِقُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

सरका ली तो वह जाग गये और शौर मचाया तो उसे पकड़ लिया गया।

ज़ोहरी ने स़फ़वान बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत करते हूए कहा: हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (ﷺ) मस्जिद में सो गये और अपनी चादर को अपने सर के नीचे बतौर तकिया रख लिया। एक चोर आया और उसने ये चादर उड़ा ली तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और नबी (ﷺ) की ख़िदमत में ले आये।

(4394) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4887, इब्ने जारूद: 828, इब्ने माजा, हदीस़: 2595.

﴾15﴿ باب فِي الْقَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

बाब : 15
माँगे की चीज़ लेकर इंकारी हो जाने में हाथ काटना

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، - قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ، - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً، مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ " هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ " .

(4395) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि बनू मख़ज़ूम की एक औ़रत चीज़ें माँग कर ले जाती और फिर मुकर जाया करती थी। चुनांचे नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया और उसका हाथ काट दिया गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को जुवैरिया ने बवास्ता नाफ़ेअ, इब्ने उ़मर से या स़फ़िया बिन्ते अबी उ़बैद से रिवायत किया तो उसमें मज़ीद यूँ कहा: नबी(ﷺ) ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हूए और फ़रमाया: 'क्या कोई औ़रत है जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ तौबा कर ले।' आपने ये बात तीन बार दोहराई। जबकि वह औ़रत सामने मौजूद देख रही थी, मगर न वह उठी और न बोली।

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ غَنْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا .

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि इस रिवायत को इब्ने ग़ंज ने बवास्ता नाफ़ेअ, सफ़िया बिन्ते अबू उबैद से बयान किया उसमें है कि फिर उस पर शहादत दी गई।

(4395) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4891, 4892.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - تَعْنِي - حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلاَ تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ .

(4396) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि एक औरत ने कई मारूफ़ लोगों के नाम से कुछ ज़ेवरात आरयतन लिये जबकि वह ख़ुद कोई मारूफ़ (जानी—पहचानी) न थी। फिर वह ज़ेवरात उसने बेच डाले, तो पकड़ ली गई और नबी (ﷺ) की ख़िदमत में लाई गई तो आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। और वही औरत है जिसके बारे में हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने सिफ़ारिश की थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस सिलसिले में जो कुछ कहना था कहा।

तख़रीज : बुख़ारी: 2648, व मुस्लिम; 2648.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهَا .

(4397) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि बनू मख़ज़ूम की एक औरत माल माँग कर ले जाती और फिर मुकर जाती थी तो नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया कि उसका हाथ काट दिया जाये की (गुज़िश्ता) रिवायत (4373) में आया है। मज़ीद कहा कि फिर नबी (ﷺ) ने उसका हाथ काट डाला।

(4397) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2648

बाब : 16
अगर कोई मजनून, और पागल शख़्स चोरी करे या क़ाबिले हद जुर्म का इरतेकाब करे

﴾16﴿
بَابٌ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ ".

(4398) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन आदमियों से क़लम उठा लिया गया है: सोया हूआ यहाँ तक कि जाग जाये, दीवाना यहाँ तक कि अक़्लमंद हो जाये और बच्चे से यहाँ तक कि बड़ा (बालिग़) हो जाये।'

(4398) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2041, नसाई, हदीस़: 3462, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1496, हाकिम: 2/59, हदीस़: 4400 में देखें।

फ़ायदा : मजनून, यानी जो अक़ल से कोरे हों और पागल, नाबालिग़ बच्चा और सोया हूआ आदमी अगर कोई ऐसा काम कर गुज़रे जो क़ाबिले हद हो तो उस पर शरअन कोई मुवाख़िज़ा नहीं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ

(4399) सय्यदना इब्ने अब्बास (ؓ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ؓ) के पास एक पागल औरत लाई गई जिसने ज़िना किया था। तो उन्होंने उसके बारे में सहाबा से मशवरा किया। और फिर हुक्म दिया कि इसे संगसार कर दिया जाये। हज़रत अली बिन अबी तालिब (ؓ) उस औरत के पास से गुज़रे, उन्होंने पूछा कि इसका क्या मामला है? लोगों ने कहा कि ये बनू फुलां की पागल

اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةُ بَنِي فُلاَنٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ . قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى . قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لاَ شَىْءَ . قَالَ فَأَرْسِلْهَا . قَالَ فَأَرْسَلَهَا . قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ .

औरत है और इसने ज़िना किया है और हज़रत उमर (ﷺ) ने हुक्म दिया है कि इसे संगसार कर दिया जाये। तो उन्होंने (हज़रत अली)(ﷺ) ने फ़रमाया कि इसे वापस ले जाओ और ख़ुद हज़रत उमर (ﷺ) के यहां चले आये और कहाः अमीरूल मोमिनीन! क्या आप नहीं जानते कि तीन तरह के आदमियों से क़लम उठा लिया गया है: पागल मजनून से यहाँ तक कि सेहतमंद हो जाये और सोये हूए से यहाँ तक कि जाग जाये और बच्चे से यहाँ तक कि अक़्लमंद (बालिग़) हो जाये। उन्होंने कहाः क्यों नहीं। कहाः तो फिर क्या वजह है कि इस मजनून औरत को रज्म किया जाने लगा है? हज़रत उमर(ﷺ) ने कहाः (अब तो) उस पर कुछ नहीं होगा। कहा कि फिर इसे छोड़ दें। चुनांचे उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया। और रावी ने कहा कि फिर वह (हज़रत उमर)(ﷺ) अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! कहने लगे।

(4399) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीसः 7343, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीसः 1003, 3048, हाकिमः 2/59, 4/389.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इरशादे बारी तआला है: 'हर इल्म वाले से बढ़ कर इल्म वाले होते हैं।' (यूसुफ़: 76) ये हक़ीक़त सहाब–ए–किराम (ﷺ) में भी थी। और कोई सहाबी इन्फ़ेरादी तौर पर सारे इल्मे शरीयत और इल्मे नबूवत का जामेअ और मुहीत (एहाता करने वाला) न था, अलबत्ता मजमूई तौर पर इल्मे शरीयत पूरे का पूरा सहाब–ए–किराम (ﷺ) में मौजूद और मुन्तशिर था जो वक़्त गुज़रने के साथ साथ दवावीने सुन्नत में (किताबी शक्ल में) जमा किया जाता रहा। और फिर यही हाल इज्तेहाद का है कि तमाम सहाबा या उनके बाद अइम्म–ए–किराम या क़ाज़ी हज़रात इस वस्फ़ में बराबर नहीं थे, इसलिए किसी भी साहिबे दीन के लिये रवा नहीं कि अइम्मा अरबआ या दीगर उलमा–ए–उम्मत के

मुताल्लिक़ ये गुमान रखे कि बस वही इल्मे शरीयत के कामिल तरीन आलिम थे या उन्हीं का फ़तवा और क़ौल दीन में हरफ़ेआख़िर है। अस्हाबे इल्म पर वाजिब है कि बग़ैर दलील के मसाइल में हस्बे सलाहियत मुख़्तलिफ़ अइम्मा और उलमा के फ़तवे और अक़वाल जानने की कोशिश करें ताकि साहिबे बसीरत होकर फ़तवे दें और फ़ैसला करें। (2) अस्हाबे इल्म पर वाजिब है कि दीगर हुक्मरान, उलमा या क़ाज़ियों से अगर कोई ग़लती हो रही हो तो उन्हें आगाह करें और दलीलों से क़ाइल करें। इसी तरह साहिबे मनसब को भी चाहिए कि हक़ को क़बूल करने में दरेग़ न करे। (3) मजनून पागल या छोटा नाबालिग़ बच्चा कोई जुर्म करे या सोते में कोई जुर्म हो जाये तो उस पर शरई हद नहीं।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَّى يَعْقِلَ . وَقَالَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ . قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ .

(4400) वकीअ ने आमश से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द रिवायत किया और कहा: (बच्चे से क़लम उठा लिया गया है) यहाँ तक कि अक़्लमंद हो जाये और मजनून से भी यहाँ तक कि उससे एफ़ाक़ा पा जाये। बयान किया कि फिर हज़रत उमर (ﷻ) तकबीर कहने लगे।

(4400) तख़रीज : (सनद सही) अलबग़वी, मुस्नद अली बिन अल जअद,: 741, तिर्मिज़ी, हदीस: 1423

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه بِمَعْنَى عُثْمَانَ . قَالَ أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ " . قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا سَبِيلَهَا.

(4401) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से रिवायत है कि लोग उस औरत को लेकर हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷻ) के पास से गुज़रे। और उस्मान (बिन अबी शैबा) की रिवायत (4399) के हम मानी बयान किया। उन्होंने कहा: क्या आप को याद नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'तीन अफ़राद से क़लम उठा लिया गया है: मजनून जिसकी अक़्ल मग़लूब हो यहाँ तक कि एफ़ाक़ा पा जाये और सोया हूआ यहाँ तक कि जाग जाये और बच्चा यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये।' हज़रत उमर (ﷻ) ने कहा: आपने बजा कहा और उस औरत को छोड़ दिया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 7343, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1003, हदीस: 3048

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، - قَالَ هَنَّادٌ - الْجَنْبِيِّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا . فَجَاءَ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ " . وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلاَئِهَا . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَدْرِي . فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَنَا لاَ أَدْرِي .

(4402) अबू ज़ैबान अलजनबी का बयान है कि हज़रत उमर (ﷺ) के पास एक औरत लाई गई जिसने बदकारी का इरतेकाब किया था। पस उन्होंने उसको संगसार करने का हुक्म दिया, चुनांचे हज़रत अली(ﷺ) गुज़रे तो उन्होंने उसे पकड़ा और छोड़ दिया। हज़रत उमर (ﷺ) को उसकी ख़बर मिली तो उन्होंने कहा: हज़रत अली(ﷺ) को मेरे पास बुलाओ। वह आये और कहा: ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप यक़ीनन जानते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है: 'तीन आदमियों से क़लम उठा लिया गया है, बच्चे से यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये और सोये हूए से यहाँ तक कि जाग जाये और मजनून पागल से यहाँ तक कि सेहतमंद हो जाये।' और ये औरत बनू फुलां की है और पागल है। शायद कि जिसने उसके साथ ये ये क्या है तो ये अपनी इसी कैफ़ियत में थी। हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: मैं ये नहीं जानता (कि ये इसी कैफ़ियत, यानी पागलपन में उसकी मुर्तकिब हूई है।) हज़रत अली(ﷺ) ने कहा: जानता तो मैं भी नहीं हूँ।

(4402) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/154, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 7344.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ

(4403) सय्यदना अली (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन तरह के आदमियों से क़लम उठा लिया गया है, सोये हूए से यहाँ तक कि जाग जाये, बच्चे से यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये और मजनून से यहाँ तक अक़्लमंद हो जाये।'

حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَادَ فِيهِ " وَالْخَرِفِ " .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को इब्ने जुरैज ने बवास्ता क़ासिम बिन यज़ीद, हज़रत अली(ﷻ) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान किया है और इसमें लफ़्ज़ (अलख़रिफ़) का इज़ाफ़ा किया। यानी वह आदमी जो बहुत ज़्यादा उम्र की वजह से अक़्ल व शुऊर की कैफ़ियत पर क़ायम न रहता हो।

(4403) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/83, 7/359, हदीस: 4400 में देखें, इब्ने माजा, 2042.

फ़ायदा : बड़ी उम्र का ख़ुसठ बूढ़ा आदमी जो अपने अक़्ल व शुऊर में न हो, उसका भी यही हुक्म है। वल्लाहू आलम!

﴾17﴿
باب فِي الْغُلاَمِ يُصِيبُ الْحَدَّ

बाब : 17
नाबालिग़ अगर क़ाबिले हद जुर्म करे तो उस पर हद नहीं लगती (नीज़ अलामाते बुलूग़त का बयान)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ، قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْىِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ .

(4404) हज़रत अतिया क़ुरज़ी (ﷻ) कहते हैं कि मैं बनू क़ुरैज़ा के क़ैदियों में से था, चुनांचे मुसलमानों ने देखना शुरू किया, यानी जिस जिस के (ज़ेरे नाफ़) बाल उग आये थे उसे क़त्ल कर दिया गया और जिसके नहीं उगे थे उसे क़त्ल न किया गया, चुनांचे मैं उनमें से था जिनके बाल नहीं उगे थे।

(4404) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 1584, नसाई: 3460, इब्ने माजा, 2541, 2542, इब्ने जारूद 1045, इब्ने हिब्बान: 4760, हाकिम: 3/35.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ .

(4405) अब्दुल मलिक बिन उमैर ने ये रिवायत बयान की। (अतिया ने) कहा: उन्होंने मेरे ज़ेरे नाफ़ से कपड़ा हटाया और पाया कि मेरे बाल नहीं उगे हैं तो मुझे क़ैदियों में शामिल कर दिया।

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ेरे नाफ़ के बाल उग आना बुलूग़त की अलामत है। **(2)** शरई ज़रूरत के लिये किसी के ज़ेरे नाफ़ देख लेना जायज़ है, बिला ज़रूरते शरई नाजायज़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ .

(4406) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उहूद वाले दिन उनका जायज़ा लिया जबकि उनकी उमर चौदह साल थी तो आपने उनको जंग में शरीक होने की इजाज़त नहीं दी थी। और फिर ख़न्दक़ वाले दिन उनका जायज़ा लिया और वह पन्द्रह साल के थे तो आपने उनको इजाज़त दे दी।

(4406) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2907 में देखें, बुख़ारी, हदीस: 4097, व मुस्लिम: 1868.

फ़ायदा : शरई तौर पर बालिग़ समझे जाने के लिये पन्द्रह साल की उमर का ऐतबार है, ख़्वाह ज़ेरे नाफ़ बाल उगें या न, एहतिलाम हो या न हो और नाबालिग़ को क़िताल में शरीक करना दुरूस्त नहीं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .

(4407) नाफ़ेअ कहते हैं कि मैंने ये हदीस हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) को बयान की तो उन्होंने कहा: बिलाशुब्हा बच्चे और बड़े में यही उमर हद्दे फ़ासिल है।

(4407) तख़रीज : मुस्लिम: 1868.

बाब : 18
जो कोई सफ़रे जिहाद में चोरी कर ले तो क्या उसका हाथ काटा जाये?

﴾18﴿ باب السَّارِقِ يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ أَيُقْطَعُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ " . وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ

(4408) जुनादा बिन अबू उमैया कहते हैं कि हम हज़रत बुस्र बिन अरतात (ﷺ) की मईयत (साथ) में एक समंदरी मुहिम में जा रहे थे कि एक चोर को लाया गया। उसका नाम मिस्रद था (मीम की ज़ेरे के साथ) उसने एक बुख़्ती ऊँटनी चुराई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है: 'सफ़र में हाथ न काटे जायें।' अगर ये बात न होती तो मैं इसका हाथ काट डालता।

(4408)तख़रीज:(सनद सही) तिर्मिज़ी ह: 1450

फ़ायदा : बुस्र बिन अरतात के सहाबी होने में इख़्तिलाफ़ है और अल्लामा शौकानी (रह.) का कहना है कि दारूल हरब में हद की तन्फ़ीज़ अमीर के फ़ैसले पर मौक़ूफ़ है। (नैलूल अवतार)

बाब : 19
कफ़न चोर का हाथ काटना

﴾19﴿ باب فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي

(4409) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'ऐ अबू ज़र!' मैंने अर्ज़ किया: मैं हाज़िर हूं ऐ अल्लाह के रसूल! और मुतीअ़े फ़रमां हूं! फ़रमाया: 'तेरा क्या हाल होगा जब लोगों को

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . فَقَالَ " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ " . يَعْنِي الْقَبْرَ . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ " . أَوْ قَالَ " تَصْبِرُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ .

मौत आयेगी और उन हालात में घर एक ग़ुलाम के बदले में मिलेगा?' और आपकी मुराद थी 'क़ब्र'। मैंने अर्ज़ किया: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, या कहा कि जो अल्लाह और उसका रसूल मेरे लिये पसंद फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'सब्र करना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हम्माद बिन अबू सलमान ने कहा: कफ़न चोर का हाथ काटा जाये, क्योंकि वह मय्यत के घर में दाख़िल होता है।

(4409) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 4261 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3985.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वाक़ेई अब शहरी गुंजान आबादियों में मय्यत के लिये क़ब्र का हुसूल ग़रीब आदमी के बस से बाहर हो रहा है और अय्यामे फ़ितन में ये मसला और भी संगीन हो जायेगा और ये पेशगोइयाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) की सदाक़त और रिसालत की दलील हैं। **(2)** क़फ़न चोर की हद उसका हाथ काटना है, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्र के लिये 'घर' का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है।

﴿20﴾ بَابٌ فِي السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

बाब : 20
चोर जो बार बार चोरियाँ करे

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلاَلِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا

(4410) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास एक चोर लाया गया। आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' सहाबा ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने तो चोरी की है। आपने फ़रमाया: 'इसका (हाथ) काट दो, चुनांचे उसका (हाथ) काट दिया गया। फिर उसे दोबारा लाया गया तो आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . فَقَالَ " اقْطَعُوهُ " . قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . فَقَالَ " اقْطَعُوهُ " . قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ " اقْطَعُوهُ " . ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ " اقْطَعُوهُ " . فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ .

दो।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने चोरी की है, आपने फ़रमाया: 'इसका (बायाँ पाँव) काट दो।' चुनांचे काट दिया गया। फिर उसे तीसरी बार लाया गया तो आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने चोरी की है। आपने फ़रमाया: 'इसका (बायाँ हाथ) काट दो।' फिर चौथी बार लाया गया। आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने चोरी की है। आपने फ़रमाया: 'इसका (दायाँ पाँव) काट दो।' फिर उसे पाँचवीं बार लाया गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) कहते हैं कि फिर हम उसे ले गये और उसे क़त्ल कर डाला। फिर उसे घसीट कर एक कूएँ में डाल दिया और ऊपर से पत्थर मारे।

(4410) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4980, 4981.

फ़ायदा : इस सज़ा की तौज़ीह है कि शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसकी हक़ीक़त से मुतल्लअ़ कर दिया गया था, इसीलिए आप शूरू ही से उसको क़त्ल करने का कहते रहे कि ये ज़मीन में फ़साद फैलाने वाला है और ऐसे आदमियों की यही सज़ा होती है। क़ुर्आन मुक़द्दस में इरशादे बारी है: 'जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें उनकी सज़ा यही है कि वह क़त्ल कर दिये जायें या सूली चढ़ा दिये जायें या उल्टे तौर से उनके हाथ पाँव काट दिये जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये।' (अल मायदा: 33) और ज़ाहिर है कि कोई भी क़ाज़ी या हाकिम दो तीन चोरियों पर इस क़द्र शदीद हुक्म नहीं लगा सकता। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) ही का ख़ास्सा था कि उन्होंने इब्तेदा ही से उसकी हरकत और आक़िबत के बारे में ख़बर दे दी।

बाब : 21
चोर का कटा हूआ हाथ उसकी गर्दन में लटकाने का बयान

﴿21﴾ باب فِي السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ فِي عُنُقِهِ

(4411) अब्दुर्रहमान बिन मुहैरीज़ से रिवायत है कि हमने हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) से पूछा कि क्या चोर का हाथ उसकी गर्दन में लटका देना सुन्नत है? तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक चोर को लाया गया तो उसका हाथ काट दिया गया। फिर आपने उसके हाथ के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसकी गर्दन में लटका दिया गया।

(4411) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 1447, इब्ने माजा: 2587, नसाई: 4985, 4986.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ، فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ .

फ़ायदा : कुछ फ़ुक़हा इबरत के लिये इस अमल के क़ाइल हैं जैसे कि हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है। (नैलूल अवतार)

बाब : 22
... कोई ग़ुलाम अगर चोरी करे तो उसे बेच देने का बयान?

﴿22﴾ باب بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ

(4412) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ममलूक ग़ुलाम चोरी करे तो उसे बेच डालो, ख़्वाह आधे औक़िया (बीस दिरहम) से बेचो।'

(4412) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2589, नसाई, हदीस: 4983.

حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ " .

बाब : 23
ज़ानी को संगसार करने का बयान

﴾23﴿ بَابٌ فِي الرَّجْمِ

फ़ायदा : हर वह जिन्सी इत्तेसाल (मिलाप) जो ग़ैर शरई बुनियाद पर हो 'ज़िना' कहलाता है और शरई हद उसी सूरत में लाज़िम आती है जब हश्फ़ा किसी तबई मरग़ूब हराम फ़र्ज में दाख़िल हो जाये, इन्ज़ाल हो या न हो और किसी निकाह का शुब्हा भी न हो। इन शर्तों में 'तबई मरग़ूब' से मुराद किसी औरत की शर्मगाह है, इससे हैवानात ख़ारिज हो जाते हैं।' हराम फ़र्ज' जो शरई निकाह के अलावा हो जैसे कि बीवी की फ़र्ज हलाल है। 'बिलाशुब्हा निकाह' से मक़सद ये है कि अगर कहीं मन्कूहा होने के शुब्हा में ऐसा काम हूआ तो हद नहीं होगी। मज़ीद ये है इसका मुर्तकिब आक़िल बालिग़ हो। क़ाज़ी के सामने ख़ुद से इक़रार करे तो चार बार करे। और अगर कोई गवाही दे तो उनकी तादाद चार मर्द होना ज़रूरी है जो इस फेअ़ल (काम) के बग़ैर किसी एहतिमाल के चश्मदीद और हूबहू होने की गवाही दें। (तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो 'फ़िक़्हुस्सुन्नह' सय्यद साबिक़) (रह.)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ { وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } فَنَسَخَ ذَلِكَ

(4413) जनाब इकरिमा से रिवायत है कि आयते करीमा (वल्लाती यअ्तीनल फ़ाहिश्ता मिन निसाइकुम..) 'तुम्हारी औरतों में से जो कोई बदकारी (ज़िना) का इरतेकाब करें तो उन पर अपने में से चार गवाह लाओ, अगर वह गवाही दें तो उन औरतों को घरों में क़ैद रखो यहां तक कि उन्हें मौत आ जाये या अल्लाह उनके लिये कोई रास्ता निकाल दे।' कि सिलसिले में हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि आयते करीमा में मर्द का बयान औरत के बाद है। फिर इन दोनों (मर्द और औरत) को जमा करते हुए फ़रमाया: (वल्लज़ानि यअतियानिहा मिन्कुम फ़आज़ूहुमा...) और तुममें से जो ये काम करें

بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}

तो उन्हें तकलीफ़ दो, फिर अगर वह तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो।' फिर ये हुक्म (सूरह नूर की) इस आयत से मन्सूख़ कर दिया गया जिसमें सौ कोड़े मारने का बयान है: (अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू ...) 'ज़ानी मर्द और औरत हर एक को सौ सौ कोड़े मारो।'

(4413) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/210.

फ़ायदा : इब्तेदा–ए–इस्लाम में ज़िना की हद नाज़िल होने से पहले यही हुक्म था कि बदकार औरतों या मर्दों को उमूमी सज़ा दी जाये और औरतों को घरों में बंद रखा जाये। बाद में मारूफ़ हद नाज़िल हूई। और जिन ममालिक में शरई हुदूद नहीं हैं वहां इस पर अमल किया जा सकता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ السَّبِيلُ الْحَدُّ قَالَ سُفْيَانُ { فَآذُوهُمَا } الْبِكْرَانِ {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } الثَّيِّبَاتِ.

(4414) इब्ने अबी नजीह ने जनाब मुजाहिद से रिवायत किया कि 'सबील' (रास्ते) से मुराद हद का नाज़िल करना है। सुफ़ियान ने कहा: 'इन दोनों को सज़ा दो।' से मुराद ग़ैर शादीशुदा मर्द व औरत हैं। और 'उनको घर में रोके रखो।' से मुराद शादीशुदा औरतें हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 1952 में देखें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْىٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ " .

(4415) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। तहक़ीक़ अल्लाह तआला ने उन औरतों के लिये राह निकाल दी है। अगर शादीशुदा शादीशुदा के साथ (मुलव्विस हो और बदकारी) करे तो सौ कोड़े हैं और पत्थर मारना हैं, और कुंवारा कुंवारी के साथ करे तो सौ कोड़े हैं और एक साल के लिये शहर बदरी है।'

(4415) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1690.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ قَالاَ " جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " .

(4416) जनाब हसन बस़री बसनद यहया इस रिवायत के हम मानी बयान करते हूए कहा: 'सौ कौड़े हैं (ग़ैर शादीशुदा को) और रज्म करना है (शादी शुदा को)'

तख़रीज : स़ही मुस्लिम, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحِ بْنِ خُلَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْوَهْبِيَّ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَا أَبَا ثَابِتٍ قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُودُ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُتَا أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْحَاجَةَ . فَانْطَلَقُوا فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَبِي ثَابِتٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا " . ثُمَّ قَالَ " لاَ لاَ أَخَافُ

(4417) हज़रत उ़बादा बिन स़ामित (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की। तो लोगों ने सअ़द बिन उ़बादा से कहा: ऐ अबू स़ाबित! हुदूद नाज़िल हूई हैं, अगर तुम अपनी बीवी के साथ किसी को पाओ तो क्या करोगे? उन्होंने कहा: मैं तलवार से उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा यहाँ तक कि दोनों ठण्डे हो जायें। क्या भला मैं चार गवाह ढूंढने जाऊंगा? तब तक तो वह अपना काम कर जायेगा (बदकारी कर के भाग जायेगा।) चुनांचे वह चले और रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां इकट्ठे हूए और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपने अबू स़ाबित को देखा कि ऐसे ऐसे कहता है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(ऐसे मौक़े पर) तलवार की गवाही काफ़ी है।' फिर फ़रमाया: 'नहीं, नहीं। मुझे अन्देशा है कि कोई (वैसे ही) बहालते नशा या बवजह ग़ैरत उसके दर पे न हो जाये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ का इब्तेदाई हिस्स़ा वकीअ़ ने फ़ज़ल बिन दलहम से, उन्होंने जनाब हसन से, उन्होंने क़बीस़ा बिन हुरैस़ से, उन्होंने सलमा बिन मुहब्बक़ से, उन्होंने

أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى وَكِيعٌ أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَإِنَّمَا هَذَا إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ كَانَ قَصَّابًا بِوَاسِطَ .

नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। हालांकि ये सनद इब्ने मुहब्बक़ की इस रिवायत की है जिसमें है कि एक आदमी अपनी बीवी की लौण्डी से ज़िना कर बैठा था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि फ़ज़ल बिन दलहम हाफ़िज़ नहीं है। ये वासित में क़साब था।

(4417) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये हदीस़ अपने मफ़हूम में सही हदीसों के ख़िलाफ़ है। सही हदीसों की रू से शादीशुदा ज़ानी की सज़ा बहर सूरत (रज्म) पत्थरों से मारना है न कि तलवार से और गवाहों की ऐन स़रीह गवाही के बग़ैर ऐसा नहीं किया जा सकता और ये काम भी क़ाज़ी और अदालत के ज़िम्मे है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، - يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ - إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ - أَنْ

(4418) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि सय्यदना उ़मर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) ने ख़ुत्बा दिया और कहा: तहक़ीक़ अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को हक़ के साथ मबऊ़स फ़रमाया और उन पर अपनी किताब नाज़िल की। इस नाज़िल करदा (किताब) में रज्म की आयत भी थी। हमने उसे पढ़ा है और याद किया है। और रसूल (ﷺ) ने रज्म किया है और उनके बाद हमने भी रज्म किया है। मुझे अन्देशा है कि कहीं वक़्त गुज़रने के साथ साथ कोई ये न कहने लगे कि रज्म वाली आयत हम किताबुल्लाह में नहीं पाते हैं, इस तरह वह अल्लाह के नाज़िल करदा फ़रीज़ा

يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَتَبْتُهَا.

को तर्क कर के गुमराह न हो जायें। पस जिस किसी मर्द या औरत ने ज़िना किया हो और वह शादीशुदा हो और गवाही साबित हो जाये या हमल हो या मुअ्तरिफ़ हो, तो उस पर रज्म हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर ये बात न होती कि लोग कहेंगे कि उमर ने अल्लाह की किताब में इज़ाफ़ा कर दिया है तो मैं इस आयत को किताबुल्लाह में दर्ज कर देता।

(4418) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6829, व मुस्लिम: 1691.

फ़ायदा : नैलूल अवतार में है कि मुसनद अहमद और तबरानी कबीर में अबू उमामा बिन सहल अपनी ख़ाला उज्मा से रिवायत करते हैं कि क़ुर्आन करीम में ये नाज़िल हूआ था: (अश्शैख़ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया फ़र्जुमूहुमल बत्तता बिमा कजया मिनल्लज़्ज़ति) इस तरह सही इब्ने हिब्बान में हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) से रिवायत है कि सूरह अहज़ाब सूरह बक़र: जितनी थी और इसमें: (अश्शैख़ु वश्शैख़तु) वाली आयत भी थी' (यानी बाद में इस सूरह का एक हिस्सा मन्सूख़ हो गया।) (नैलूल अवतार: 4/102) अलग़र्ज़ अस्हाबुल हदीस के नज़दीक ये हुक्म क़ुर्आन मजीद और सुन्नते मुतवातिरा दोनों से साबित है। और ये नस्ख़ की एक सूरत है कि आयत का हुक्म बाक़ी और तिलावत मन्सूख़ हो चुकी है। दूसरी सूरत ये है कि तिलावत मौजूद है मगर हुक्म मन्सूख़ है जैसे (अल वसिय्यतु लिल्वालिदैनि वल अक़्रबीना) (अलबक़र: 180) 'माँ बाप और वारिसों के लिये उनके हिस्से से ज़्यादा वसीयत मन्सूख़ है, अगरचे उसकी तिलावत बाक़ी है। और तीसरी सूरत ये है कि हुक्म और तिलावत दोनों मन्सूख़ हो चुके हैं। जैसे रज़ाअत में पहले दस चूस्नियों से हुरमत साबित होती थी, आयत भी तिलावत की जाती थी मगर अल्फ़ाज़ और हुक्म दोनों मन्सूख़ हो चुके हैं। (अश्रू रज्आतिम् मअ़लूमातिन युहर्रिम्ना) अब पाँच चुस्नियों से हुरमते रज़ाअत साबित होती है। वह ब'हुक्मे अहादीस है न कि क़ुर्आन। (किताब अलफ़िक़्ह वलमुत्तफ़िक़ अज़ ख़तीब बग़दादी)

बाब : 24
माइज़ बिन मालिक के रज्म का बयान

﴾24﴿
باب رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ

(4419) जनाब यज़ीद बिन नुऐम बिन हज़्ज़ाल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि माइज़ बिन मालिक यतीम लड़का था और मेरे वालिद की सरपरस्ती में था। फिर वह क़बीले की एक लड़की के साथ ज़िना कर बैठा। तो मेरे वालिद ने उससे कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ और जो कुछ तुमने किया है उसकी उन्हें ख़बर दो, शायद वह तेरे लिये इस्तिग़फ़ार करें। और उससे उनका मक़सद सिर्फ़ यही उम्मीद थी कि उसे कोई राह मिल जाये। चुनांचे वह हाज़िर हूआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है, लिहाज़ा अल्लाह की किताब का हुक्म मुझ पर नाफ़िज़ (लागू) फ़रमा दीजिये। रसूल (ﷺ) ने उससे रूख़ फेर लिया। उसने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है मुझ पर अल्लाह की किताब का हुक्म नाफ़िज़ फ़रमा दीजिये। आपने उससे रूख़ फेर लिया। तो उसने (तीसरी बार) फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है। मुझ पर अल्लाह की किताब का हुक्म नाफ़िज़ कर दीजिये। यहाँ तक कि उसने चार बार इसी तरह कहा तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي . فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَىِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَىَّ كِتَابَ اللَّهِ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَىَّ كِتَابَ اللَّهِ . حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ . قَالَ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ " . قَالَ بِفُلاَنَةَ . قَالَ " هَلْ ضَاجَعْتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " هَلْ بَاشَرْتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " هَلْ جَامَعْتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ

بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ . فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ " .

'तूने चार बार ये बात कही है, तूने किस के साथ किया है?' कहा: फुलां लड़की के साथ। आपने पूछा: 'तू उसके साथ इकट्ठे लेटा है?' कहा: हाँ। आपने पूछा: 'तू उसके साथ चिमटा है?' कहा: हाँ। आपने पूछा: 'तूने उसके साथ जिमाअ (हमबिस्तरी) किया है?' कहा हाँ। चुनांचे आपने उसको संगसार करने का हुक्म दिया। चुनांचे उसको हर्रा की तरफ़ ले जाया गया। जब उसे पत्थर मारे गये और उसने पत्थरों की चोट महसूस की तो बरदाश्त न कर पाया और भाग खड़ा हूआ। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस ने उसको पा लिया, जबकि दीगर साथी थक गये थे। तो अ़ब्दुल्लाह ने उसको ऊँट का पाया निकाल मारा और उसे क़त्ल कर दिया, फिर नबी(ﷺ) के पास आकर ये सब बयान किया तो आपने फ़रमाया: 'तुमने उसको छोड़ क्यों न दिया, शायद वह तौबा कर लेता और अल्लाह उसकी तौबा क़बूल फ़रमा लेता।'

(4419) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 4377 में देखें, मुसनद अहमद: 5/217.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी (ﷺ) मशहूर स़हाबी हैं। शैतान के बहकावे में आकर ज़िना कर बैठे थे, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने इक़रार किया और दुनिया की सज़ा क़बूल की। अल्लाह उनसे राज़ी हो। किसी भी स़ाहिबे ईमान को किसी तरह रवा नहीं कि अब उनके बारे में कोई नामुनासिब बात कहे या दिल में रखे। **(2)** 'तुमने उसको छोड़ क्यों न दिया।' इस जुमले का स़ही मफ़हूम नीचे दी गई हदीस़ में आ रहा है, यानी इसमें उसको रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाने की बात थी कि आप उसे ये सज़ा भुगत लेने की तल्क़ीन फ़रमाते कि ये सज़ा आख़िरत के अ़ज़ाब के मुक़ाबले में बहुत हल्की और आसान है।

(4420) जनाब हसन बिन मुहम्मद बिन अ़ली बिन अबू तालिब ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान: 'तुमने उसको छोड़ क्यों न दिया' मुझको क़बीला असलम के कई लोगों ने बयान किया जिन्हें मैं झूठ से मुत्तहम नहीं समझता। कहा कि मेरे लिये ये हदीस़ वाज़ेह न थी, चुनांचे मैं हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) के पास हाज़िर हूआ और उनसे कहा कि क़बीला असलम के लोग ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (माइज़ को रज्म करने वाले) लोगों से कहा, जब उन्होंने आप (ﷺ) को बताया कि माइज़ को जब पत्थर लगे तो वह उनकी चोट बरदाश्त न कर सका तो आपने फ़रमाया: 'तुमने उसको छोड़ क्यों न दिया।' मैं ये हदीस़ समझ नहीं सका हूं। तो हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने कहा: ऐ भतीजे! मैं इस हदीस़ के मुताल्लिक़ सब लोगों से बढ़ कर जानता हूं। मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उसको रज्म किया था। जब हम उसको लेकर निकले और उसे पत्थर मारे और उसे पत्थरों की चोट पड़ी तो वह चीख़ उठा। ऐ क़ौम! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास वापस ले चलो, मेरी क़ौम ने मुझे मरवा डाला है, उन्होंने मुझे मेरी जान के मुताल्लिक़ धोखा दिया है, उन्होंने मुझ से कहा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तुझे क़त्ल नहीं करेंगे। मगर हम उससे पीछे न हटे यहाँ तक कि उसे मार डाला। फिर जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे और आपको उसकी ख़बर दी तो आपने फ़रमाया:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لِي حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ذَلِكَ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ " . مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ أَتَّهِمُ . قَالَ وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ " أَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ " . وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمِ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ قَاتِلِي فَلَمْ

نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ " فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ " . لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلاَ قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ .

'तुमने उसे छोड़ क्यों न दिया और उसे मेरे पास क्यों न ले आये।' (ग़र्ज़ ये थी कि) अल्लाह के रसूल उसको साबित क़दम रहने का कहते। (यानी दुनिया का अज़ाब, आख़िरत के मुक़ाबले में हल्का और आसान है।) लेकिन ये मफ़हूम हो कि आपने हद छोड़ देने की ग़र्ज़ से ये कहा हो, ऐसे नहीं है, चुनांचे तब मैं (हसन बिन मुहम्मद) हदीस़ का मतलब समझ सका।

(4420) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 7207, मुसनद अहमद: 3/381.

फ़ायदा : अहादीसे रसूल में किसी एक मतन को लेकर हुक्म लगाने से पहले उसकी तमाम रिवायतों को सामने रखना ज़रूरी है। और तल्बा–ए–हदीस़ को इसका बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى . فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ " أَمَجْنُونٌ هُوَ " . قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . قَالَ " أَفَعَلْتَ بِهَا " . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

(4421) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि माइज़ बिन मालिक (ﷺ) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: बेशक मैंने ज़िना किया है। तो आपने उससे रूख़ फेर लिया। उसने कई बार ऐसे कहा और आप उससे अपना मुँह फेरते रहे। फिर आपने उसकी क़ौम से पूछा: 'क्या ये मजनून और पागल है?' उन्होंने कहा: नहीं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपने उससे पूछा: 'क्या तूने वाक़ेअतन उसके साथ किया है?' उसने कहा: हाँ तो आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया कि उसे रज्म कर दिया जाये। चुनांचे उसे ले जाया गया और संगसार कर दिया गया और उस पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 4427 में देखें।

फ़ायदा : हज़रत माइज़ (ﷺ) को जब हद लगी तो उस वक़्त फ़ौरी तौर पर जनाज़ा नहीं पढ़ा गया बल्कि बाद में पढ़ा गया, जैसे कि सही बुख़ारी की रिवायत में है। देखिये: (सही बुख़ारी: हदीस़: 6820)

(4422) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷻ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि जब माइज़ बिन मालिक को नबी (ﷺ) की ख़िदमत में लाया गया तो मैंने उसे देखा कि वह छोटे क़द का मोटा आदमी था, उस पर चादर नहीं थी। उसने अपने ऊपर चार बार गवाहियाँ दीं कि उसने ज़िना किया है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'शायद तूने उसका बोसा लिया होगा?' उसने कहा: नहीं अल्लाह की क़सम! इस नालायक़ ने ज़िना किया है। चुनांचे आपने उसे रज्म किया (यानी हुक्म दिया) फिर आपने ख़ुत्बा दिया, और फ़रमाया: 'ख़बरदार! हम जब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की राह (जिहाद) में निकलते हैं तो कोई उनमें पीछे रह जाता है, ऐसे आवाज़ निकालता है जैसे कि बकरा निकालता है, फिर किसी औरत को थोड़ी सी कोई चीज़ दे देता है, ख़बरदार! अगर अल्लाह ने मुझ को उनमें से किसी पर क़ुदरत दी तो मैं उसे निशाने इबरत बना दूंगा।'

(4422) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1692.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً قَصِيرًا أَعْضَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا " . قَالَ لاَ وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الآخِرُ . قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ " أَلاَ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ أَمَا إِنَّ اللَّهَ إِنْ يُمَكِّنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ " .

(4423) शोबा ने सिमाक से रिवायत किया, कहा कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷻ) से ये हदीस़ सुनी, जबकि पहले वाली हदीस़ ज़्यादा कामिल है। कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको दो बार वापस किया। सिमाक कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर को ये रिवायत बयान की तो उन्होंने कहा कि आपने उसको चार बार लौटाया था।

(4423) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 1692.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ . قَالَ سِمَاكٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُثْبَةِ فَقَالَ اللَّبَنُ الْقَلِيلُ.

(4424) शोबा कहते हैं कि मैंने जनाब सिमाक से पूछा कि 'कुस्बा' का क्या मफ़हूम है? उन्होंने कहा कि 'थोड़ा सा दूध।'

(4424) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ " . قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ " بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلاَنٍ " . قَالَ نَعَمْ . فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ .

(4425) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने माइज़ बिन मालिक से कहा: 'क्या जो बात मुझे तेरे मुताल्लिक़ पहुँची है वह हक़ है?' बोला कि आपको मेरे मुताल्लिक़ क्या ख़बर पहुँची है? आपने फ़रमाया: 'मुझे मालूम हुआ है कि तुम बनू फ़ुलां की लड़की के साथ ज़िना कर बैठे हो?' कहा कि हाँ, चुनांचे उसने चार गवाहियाँ दीं। फिर आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया।

(4425) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1693.

फ़ायदा : इन अहादीस़ में कोई तआरूज़ नहीं है बल्कि क़ौम के लोगों ने उसको रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आने को कहा, आपने भी उससे दरयाफ़्त फ़रमाया तो उसने चार बार इक़रार किया तो उस पर हद क़ायम की गई।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ " شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ " .

(4426) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा कि हज़रत माइज़ बिन मालिक(ﷺ) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और उसने ज़िना का ऐतराफ़ किया, दो बार, तो आपने उसको वापस भगा दिया। वह फिर आया और ज़िना करने का दोबारा ऐतराफ़ किया, तब आपने फ़रमाया: 'तूने अपने ऊपर चार बार शहादत दी है। इसे ले जाओ और रज्म कर दो।'

तख़रीज: (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/314

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي يَعْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَنِكْتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ مُوسَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَفْظُ وَهْبٍ .

(4427) सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने माइज़ बिन मालिक से कहा: 'शायद तूने बोसा लिया होगा, चुटकी भरी होगी या (वैसे ही) देखा होगा।' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या भला तूने उससे वाक़ेअतन जिमाअ (हमबिस्तरी) किया है?' उसने कहा: हाँ। तब आपने उसको रज्म करने का हुक्म दिया। मूसा (बिन इस्माईल) की रिवायत में इब्ने अ़ब्बास का वास्ता मज़कूर नहीं। और ये लफ़्ज़ वहब के हैं।

(4427) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़ 6824.

फ़ायदा : इस वाक़िया में नबी (ﷺ) ने हर क़िस्म के शुकूक (शुब्हे) को ख़त्म कर लेने और ज़िना का यक़ीन हो जाने के बाद रज्म करने का हुक्म दिया और अब भी क़ाज़ी और हाकिम को यही तालीम है जैसे कि अगली हदीस़ में खुली स़राहत लिये जाने का बयान है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ جَاءَ الأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4428) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि (माइज़) असलमी अल्लाह के नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अपने मुताल्लिक़ गवाही दी कि वह एक औ़रत के साथ ज़िना कर बैठा ये गवाही उसने अपने ख़िलाफ़ चार मर्तबा दी। हर बार नबी (ﷺ) उससे अपना मुँह फेर लेते थे। फिर वह पाँचवीं बार सामने हूआ तो आपने उससे पूछा: 'क्या तूने वाक़ेई उसके साथ जिमाअ (हमबिस्तरी) किया है?' उसने कहा: हाँ। आपने कहा: 'यहाँ तक कि तेरा ज़कर (शर्मगाह) उसकी फ़र्ज (शर्मगाह) में ग़ायब हो गया था?' उसने कहा:

فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ " أَنِكْتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا " . قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلاَلاً . قَالَ " فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ " . قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ . فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ " أَيْنَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ " . فَقَالاَ نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " انْزِلاَ فَكُلاَ مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ " . فَقَالاَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ " فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ فِيهَا " .

हाँ। आपने कहा: 'क्या भला जिस तरह सलाई सुरमे दानी में ग़ायब हो जाती है और डोल की रस्सी कूएँ में चली जाती है?' उसने कहा: हाँ। आपने फिर पूछा: 'क्या भला जानते भी हो कि ज़िना किया होता है?' उसने कहा: हाँ, मैं उससे (औरत से) हराम काम कर बैठा हूं जैसे कि शौहर अपनी बीवी से हलाल (समझ कर) करता है। आपने फ़रमाया: 'तू अपनी इस बात से क्या चाहता है?' उसने कहा: मैं चाहता हूं कि आप मुझे पाक कर दें। तब आपने हुक्म दिया तो उसे रज्म किया गया। फिर आपने अपने सहाबा में से दो आदमियों को सुना कि एक दूसरे से कह रहा था: इसको देखो कि अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला था मगर उसके नफ़्स ने उसको नहीं छोड़ा यहाँ तक कि पत्थरों से मारा गया जैसे कि कुत्ते को मारा जाता है, तो आप उनसे ख़ामोश रहे। फिर आप कुछ देर चलते रहे यहाँ तक कि एक मुर्दा गधे के पास से गुज़रे जिसकी टाँगें ऊपर को उठी हुई थी। आपने फ़रमाया: 'फुलां और फुलां कहां हैं?' उन्होंने कहा: हम ये रहे, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'उतरो और उस मुर्दार गधे का गोश्त खाओ।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के नबी: भला ये भी कोई खाता है? आपने फ़रमाया: 'अभी तुमने अपने भाई की इज़्ज़त पामाल की है वह उनके खाने से बदतर है। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! बिलाशुब्हा वह अब जन्नत की नहरों में डुबकियाँ लगा रहा है।'

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: 7163, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, :13340, इब्ने जारूद: 814, इब्ने हिब्बान: 1513.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने भी ग़ीबत करने को मुसलमान मुर्दार भाई का गोश्त खाने से ताबीर किया है। (सूरह हुजुरात: 12) इससे अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ग़ीबत करना कितना क़बीह (बदतरीन) अमल है। और अगली अहादीस़ में आ रहा है कि नबी (ﷺ) ने सज़ा याफ़्ता को ख़ैर और अच्छे अल्फ़ाज़ के साथ याद फ़रमाया।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِنَحْوِهِ زَادَ وَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ رُبِطَ إِلَى شَجَرَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَفَ .

(4429) अबू ज़ुबैर ने हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) के चचाज़ाद से रिवायत किया, उसने हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान किया और मज़ीद कहा कि रावियों ने इख़्तिलाफ़ किया है। कुछ ने कहा कि उसे दरख़्त से बाँधा गया और कुछ ने कहा कि उसे खड़ा किया गया।

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : अगली हदीस़ (4431) में है कि वह ख़ुद से खड़ा हो गया था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَبِكَ جُنُونٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَحْصَنْتَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ فِي

(4430) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ؓ) से मरवी है कि क़बील–ए–असलम का एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया। उसने आकर ज़िना करने का ऐतराफ़ किया, तो नबी (ﷺ) ने उससे मुँह मोड़ लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया, तो आपने ऐराज़ कर लिया यहाँ तक उसने अपने ऊपर चार गवाहियाँ दीं। तब नबी (ﷺ) ने उससे कहा: 'क्या तू शादीशुदा है?' कहने लगा: हाँ, तब नबी (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसको ईदगाह में रज्म कर दिया गया। फिर जब उसे ज़ोर ज़ोर से पत्थर पड़ने लगे तो वह दौड़ भागा, पस उसे जा लिया गया और पत्थर मारे गये यहाँ तक कि मर गया। तो नबी (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक़ अच्छी बात कही मगर उसका जनाज़ा नहीं पढ़ाया।

الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ‏.‏

(4430) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1429, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 13337, बुख़ारी, हदीस: 6820, व मुस्लिम: 1691.

फ़ायदा : हज़रत माइज़ (ﷺ) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी गई थी, मगर बाद में जैसा कि सही बुख़ारी में मौजूद है, देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 6820)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا ‏.‏ - قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ - فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ - قَالَ - فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلاَ سَبَّهُ ‏.‏

(4431) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, कहा कि जब नबी (ﷺ) ने माइज़ बिन मालिक(ﷺ) के रज्म करने का हुक्म फ़रमाया तो हम उसे बक़ीअ की तरफ़ ले चले, अल्लाह की क़सम! न हमने उसको बाँधा और न उसके लिये गढा खोदा। लेकिन वह हमारे सामने खड़ा हो गया। अबू कामिल ने कहा कि हमने उसे हड्डियाँ, ढेले और ठीकरे मारे तो वह भाग खड़ा हूआ और हम भी उसके पीछे भाग लिये यहाँ तक कि वह हर्रा (पत्थरीली ज़मीन) की जानिब में आ गया और हमारे सामने खड़ा हो गया तो हमने उसे उस जगह के बड़े बड़े पत्थर मारे यहाँ तक कि वह ठण्डा हो गया। रावी ने कहा कि फिर आप (ﷺ) ने उसके लिये न इस्तेग़फ़ार किया और न किसी तरह से बुरा भला कहा।

(4431) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1694.

फ़ायदा : हुज्जतुल इस्लाम हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाली रिवायत को तर्जीह दी है। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इस मज़मून की रिवायात में इस तरह तत्बीक़ (समाधान) दी है कि जब उनको रज्म किया गया था, उस वक़्त नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी थी और जिसमें है कि नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी तो उसका मतलब है कि दूसरे दिन पढ़ी थी। वल्लाहू आलम! तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा

फ़रमायें: (फ़तहुल बारी, 12/159–160, शरह हदीस़: 6820) इमाम बुख़ारी (रह.) से भी ये सवाल किया गया था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत माइज़ बिन मालिक (رضي الله عنه) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी, क्या ये बात दुरूस्त है? तो उन्होंने फ़रमाया: हाँ, जनाब मअ़मर ने ये बयान किया है। उनके सिवा किसी और ने इसे बयान नहीं किया, देखिये: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 6820)

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ " هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللَّهُ "

(4432) जुरैरी ने अबू नज़रा से रिवायत करते हूए कहा कि एक शख़्स नबी (ﷺ) के पास आया। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया, लेकिन उसकी रिवायत मुकम्मल नहीं है। रावी ने कहा कि: लोग उसे गालियाँ देने लगे, तो आप (ﷺ) ने उनको मना किया। (फिर) वह उसके लिये इस्तेग़फ़ार करने लगे, तो आपने उनको मना कर दिया और कहा: 'ये ऐसा आदमी है जिसने गुनाह का इरतेकाब किया है और अल्लाह ही उसका हिसाब लेने वाला है।'

(4432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। स़ही बात ये है कि किसी मुसलमान ने ख़्वाह किसी क़द्र गुनाह किया हो, उसके लिये इस्तेग़फ़ार करना जायज़ है। हज़रत माइज़ (رضي الله عنه) के लिये भी बाद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ी गई थी जैसा कि स़ही बुख़ारी में स़राहत है, देखिये: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 6820)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا .

(4433) जनाब सलमान बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने माइज़ बिन मालिक का मुँह सूँघा था (कि कहीं शराब न पी रखी हो।)

(4433) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 1695.

फ़ायदा : ख़ूद से इक़रारी के लिये ये यक़ीन कर लेना ज़रूरी है कि कहीं नशे में न हो। उससे ये भी मालूम हूआ कि नशे और बेहोशी के आमाल मोतबर नहीं होते।

(4434) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबा कहा करते थे: काश ग़ामिदी औरत और माइज़ बिन मालिक ऐतराफ़ के बाद ही रूजू कर लेते ... या यूँ कहा अगर वह दोनों ऐतराफ़ के बाद आपकी ख़िदमत में न आते ... तो आप उनको तलब न करते, आपने उनको चौथे ऐतराफ़ पर रज्म किया था।

(4434) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7167.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ.

(4435) हज़रत लजलाज (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि वह बाज़ार में बैठे काम कर रहे थे कि एक औरत बच्चे को उठाये गुज़री, तो लोग जोश में उठ खड़े हुए और उठने वालों में मैं भी उठा और नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा। आप(ﷺ) उस औरत से दरयाफ़्त फ़रमा रहे थे: 'ये जो (बच्चा) तेरे साथ है उसका बाप कौन है?' तो वह ख़ामोश रही। एक जवान जो उसके साथ था बोला: मैं इसका बाप हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस औरत की तरफ़ मुतवज्जह हुए और पूछा: 'ये जो (बच्चा) तेरे साथ है उसका बाप कौन है?' उस जवान ने कहा: मैं इसका बाप हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके इर्द गिर्द खड़े लोगों की तरफ़ देखा, आप उनसे उस जवान के मुताल्लिक़ पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा: हम इसके मुताल्लिक़

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاَثَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلاَجِ، حَدَّثَهُ أَنَّ اللَّجْلاَجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ " . فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌّ حَذْوَهَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ " . قَالَ

الْفَتَى أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلاَّ خَيْرًا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَحْصَنْتَ " . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " . فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ وَمَا أَدْرِي قَالَ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ . وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدَةَ وَهُوَ أَتَمُّ .

अच्छा ही जानते हैं। नबी (ﷺ) ने उससे पूछा: 'क्या तू शादीशुदा है?' उसने कहा: हाँ, तब आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया। रावी ने कहा: हम उसे लेकर निकले और उसके लिये गढा खोदा और उसको उसमें गाड़ दिया। फिर पत्थरों से मारा यहाँ तक कि वह ठण्डा हो गया। फिर एक आया जो उस संगसार शुदा के मुताल्लिक़ पूछने लगा। हम उसको नबी (ﷺ) के पास ले गये और हमने अ़र्ज़ किया कि ये आदमी आया है और इस ख़बीस़ के मुताल्लिक़ पूछता है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के यहां कस्तूरी की ख़ुशबू से बढ़ कर पाकीज़ा है।' तब मालूम हूआ कि वह आदमी उसका वालिद था, तो हमने उसकी उस संगसार शुदा के ग़ुस्ल और कफ़न दफ़न में मदद की। रावी ने कहा: मुझे याद नहीं कि नमाज़ का भी कहा या नहीं? और ये रिवायत अ़ब्दा की है और कामिल है।

(4435) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 7184.

फ़ायदा : (1) रज्म करने के लिये गढा खोदा जा सकता है। (2) संगसार शुदा को बुराई से याद करना अच्छा नहीं है।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، جَمِيعًا قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - قَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

(4436) ख़ालिद बिन लजलाज ने अपने वालिद से उन्होंने नबी (ﷺ) से इस हदीस़ का कुछ हिस्सा रिवायत किया।

(4436) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ - عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .

(4437) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और आपके सामने इक़रार किया कि उसने एक औरत के साथ बदकारी की है, उसने उस औरत का नाम भी लिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस औरत को बुला भेजा और उससे उस वाक़िया के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उसने बदकारी से इंकार किया। चुनांचे नबी (ﷺ) ने उस आदमी को हद के (सौ) कौड़े लगाये और औरत को छोड़ दिया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/339.

फ़ायदा : यानी उसको ग़ैर शादीशुदा ज़ानी की हद (सौ कौड़े) लगाई गई। लेकिन अगली रिवायत में सराहत है कि ये मालूम होने पर कि ये शख़्स तो शादी शुदा है, उसे संगसारी की सज़ा दी गई।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ

(4438) सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने एक औरत के साथ बदकारी की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे हद के कौड़े मारे गये। फिर बताया गया कि वह शादीशुदा है तो आपने हुक्म दिया तो उसे संगसार किया गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ को मुहम्मद बिन बक्र बुरसानी ने इब्ने जुरैज से हज़रत जाबिर (ﷺ) पर मौक़ूफ़न रिवायत किया है। और

الْبُرْسَانِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ . وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِنَحْوِ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ رَجُلاً زَنَى فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ .

अबू आसिम ने इब्ने जुरैज से, इब्ने वहब की मानिन्द रिवायत किया और उसने नबी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया: कहा कि एक आदमी ने ज़िना किया तो उसके शादीशुदा होने का मालूम न हूआ तो उसको कौड़े मारे गये। फिर मालूम हूआ कि वह शादीशुदा है तो रज्म किया गया।

(4438) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 7211.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ.

(4439) जनाब अबू ज़ुबैर ने हज़रत जाबिर(ؓ) से रिवायत किया कि एक आदमी ने एक औरत से बदकारी की और मालूम न हूआ कि वह शादीशुदा है तो उसको कौड़े मारे गये। फिर मालूम हूआ कि वह शादीशुदा है तो उसको रज्म किया गया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस़: 8/217.

﴾25﴿ باب الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

बाब : 25
क़बील–ए–जुहैना की औरत का ज़िक्र जिसको नबी (ﷺ) ने संगसार करने का हुक्म दिया था

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتَوَائِيَّ، وَأَبَانَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَاهُمْ - الْمَعْنَى، - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ

(4440) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ؓ) से मरवी है कि एक औरत नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आई ... अबान की रिवायत में है कि वह क़बील–ए–जुहैना से थी ... उसने कहा कि मैंने ज़िना किया है और हमल से हूं। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके वली को तलब

امْرَأَةٌ، - قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى . فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلِيًّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا " . فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا " . لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا .

किया और उससे फ़रमाया: 'उसके साथ अच्छा सलूक करना और जब बच्चे की विलादत हो जाये तो उस (औरत) को ले आना।' चुनांचे जब बच्चे की विलादत हो गई तो वह उसे ले आया। तो नबी(ﷺ) ने हुक्म दिया और उस पर उसके कपड़े सख़्त करके बाँध दिये गये, फिर आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया और उसे रज्म कर दिया गया। फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने उस पर नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी। हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप इस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं हालांकि इसने ज़िना किया है? आपने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! उसने ऐसी तौबा की है कि अगर उसे अहले मदीना के सत्तर आदमियों में तक़सीम कर दें तो उन्हें भी काफ़ी हो जाये, और क्या भला तुमने उससे बढ़ कर भी कोई देखा है कि उसने अपनी जान क़ुर्बान कर दी है?'

अबान से 'कपड़े सख़्त करके बाँधने' की बात मरवी नहीं है।

(4440) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1696.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا . يَعْنِي فَشُدَّتْ.

(4441) जनाब ओज़ाई से मरवी है, उन्होंने कहा कि उस पर उसके कपड़े सख़्त करके बाँधे गये।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद, हदीस: 24/129, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी शख़्स का क़ाज़ी और इमाम के रू ब रू ख़ूद से ऐतराफ़ करना कि उसने क़ाबिले हद जुर्म का इरतेकाब किया है, बहुत बड़ी हिम्मत और अज़ीमत की बात है जो उसके

साहिबे ईमान होने की दलील है। (2) औरत अगर ज़िना से हामला हो तो वज़्अे हमल बल्कि बच्चे के सम्भलने तक उसकी हद को मुअख़्ख़र (लेट) कर देना चाहिए। (3) औरत को हद लगाने से पहले उसके कपड़े मज़बूती से बाँध लेने चाहिए ताकि बेपर्दा न हो। (4) संगसार शुदा पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर वह फ़िस्क़ व फ़जूर में मशहूर हो तो इमाम और दीगर अशराफ़ उसमें शरीक न हों ताकि दूसरों को इबरत हो।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، - يَعْنِي مِنْ غَامِدَ - أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ . فَقَالَ " ارْجِعِي " . فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى . فَقَالَ لَهَا " ارْجِعِي " . فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا " ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي " . فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ . فَقَالَ لَهَا " ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " . فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَىْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ

(4442) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि बनू ग़ामिद की एक औरत नबी (ﷺ) के पास आई और कहने लगी कि मैंने बदकारी की है। आपने फ़रमाया: 'वापस चली जा।' तो वह लौट गई। फिर जब अगला दिन हूआ तो वह आपके पास आ गई और बोली: शायद आप मुझे इसी तरह लौटा देना चाहते हैं जिस तरह आपने माइज़ बिन मालिक को वापस किया था। अल्लाह की क़सम! मैं हामला हूं (यानी ज़िना से) आपने उससे फ़रमाया: 'जा वापस चली जा।' तो वह लौट गई। फिर जब अगला दिन हूआ तो वह फिर आपकी ख़िदमत में आ गई तो आपने उससे फ़रमाया: 'वापस चली जा यहाँ तक कि तेरे बच्चे की विलादत हो जाये।' तो वह वापस लौट गई। जब बच्चा पैदा हूआ तो वह बच्चे को लेकर आ गई और कहने लगी: ये रहा वह, इसको मैंने जन्म दिया है। आप (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'वापस जा और इसको दूध पिला यहाँ तक कि इसका दूध छुड़ा दे।' वह फिर उसे लेकर आई जब कि उसने उसका दूध छुड़ा दिया था, बच्चे के हाथ में कोई चीज़ थी जिसे वह खा रहा था।

بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ " . وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ .

आप (ﷺ) ने बच्चे के मुताल्लिक़ हुक्म दिया जो मुसलमानों में से एक आदमी के हवाले कर दिया गया और आपने उस औरत के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसके लिये गढा खोदा गया और हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया। और हज़रत ख़ालिद(ﷺ) उन लोगों में थे जो उसे पत्थर मार रहे थे। उन्होंने उसको एक पत्थर मारा तो उससे ख़ून का एक क़तरा उनके रूख़सार पर जा लगा, उसकी वजह से उन्होंने उसको बुरा भला कहा तो नबी (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'ख़ालिद ज़रा ठहरो (उसको बुरा भला मत कहो) क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! उसने इस क़द्र तौबा की है कि अगर कोई ज़ालिम भत्ता लेने वाला भी इस क़द्र तौबा करता तो बख़्श दिया जाता।' और आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया, चुनांचे उस पर नमाज़ (नमाज़े जनाज़ा) पढ़ी गई और फिर उसे दफ़न भी किया गया।

(4442) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1695.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़वाइद ऊपर की रिवायत में बताये जा चुके हैं। मज़ीद ये कि जिस मुसलमान को हद लगाई जा रही हो उसको बुरा भला कहना जायज़ नहीं। **(2)** भत्ता लेना कबीरा गुनाह और हराम है। **(3)** वलदुज़्ज़िना (हरामी) ब'हैसियते इंसानी जान के एक मासूम जान है, इसमें उसका अपना कोई क़ुसूर व ऐब नहीं, हुकूमते इस्लामिया के ज़िम्मे है कि ऐसे बच्चे के दूध पिलाने, पालने पोसने और उम्दा तालीम व तर्बीयत का माक़ूल इन्तेज़ाम करे और अख़राजात बरदाश्त करे। **(4)** ऐसा शख़्स अपने नसब के ऐतबार से अगरचे आम लोगों में इज़्ज़त नहीं पाता लेकिन अगर किसी तरह मन्सबे इमामत (छोटा या बड़ा) पर आ जाये तो उसके आमाल सही और दुरूस्त होंगे और उसकी इक़्तेदा भी सही होगी।

(4443) इब्ने अबी बक्रा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एक औरत को रज्म किया तो उसके लिये सीने तक गढा खोदा गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मुझे ये हदीस़ एक आदमी ने समझाई। (वह उ़स्मान से कमा हक़्क़हू नहीं समझ सके थे।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (मज़ीद) कहा कि, ग़स्सानी ने कहा कि जुहैना, ग़ामिद और बारिक़ तीनों एक ही क़बीले (के नाम) हैं।

(4443) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/36, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 7209.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْغَسَّانِيُّ جُهَيْنَةُ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ .

(4444) ज़करिया बिन सुलैम ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया और मज़ीद कहा: फिर (नबी (ﷺ) ने) उसे एक कंकरी मारी जैसे कि चना हो और फ़रमाया: 'मारो लेकिन चेहरा बचाओ।' जब वह ठण्डी हो गई तो उसको गढे से निकाला और उस पर नमाज़ (नमाज़े जनाज़ा) पढ़ी और उसकी तौबा में इस तरह बयान किया जैसे कि हज़रत बुरैदा (ﷺ) की हदीस़ (4442) में है।

(4444) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/42, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 7209.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحُمُّصَةِ ثُمَّ قَالَ " ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ " . فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ .

(4445) सय्यदना अबू हुरैरह और ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) बयान करते हैं कि दो आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में अपना झगड़ा लेकर आये। एक ने कहा: ऐ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ . وَقَالَ الآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ " تَكَلَّمْ " . قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ " . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

अल्लाह के रसूल! हममें अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला कर दें। और दूसरे ने कहा ... और वह उससे बढ़ कर समझदार था ... हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! हममें अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमा दें और मुझे इजाज़त दें कि बात करूं। आपने फ़रमाया: 'कहो' उसने कहा: मेरा बेटा इस शख़्स के यहां नौकर था ... असीफ़ के मानी हैं, 'नौकर' मज़दूर ... तो उसने इसकी बीवी के साथ ज़िना किया। लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर रज्म है, मैंने उसकी तरफ़ से सौ बकरियाँ और अपनी एक लौण्डी फ़िद्या दी है। फिर मैंने अहले इल्म से मालूम किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर सौ कोड़े और एक साल के लिये शहर बदरी है और संगसारी उसकी बीवी पर है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं तुममें अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला करूंगा। तेरी बकरियाँ और तेरी लौण्डी तुझे वापस होंगी।' और उसके लड़के को सौ कोड़े लगाये और एक साल के लिये शहर बदर कर दिया और उनैस असलमी को फ़रमाया कि दूसरे की बीवी के पास जाये, अगर वह ऐतराफ़ कर ले तो उसको संगसार कर दे, चुनांचे उसने ऐतराफ़ कर लिया तो उसने उसको संगसार कर दिया।

(4445) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6633, 6634, मौता, हदीस: 2/822, व मुस्लिम; 1698.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ाज़ी को ये हक़ हासिल है कि मुक़द्दमे के फ़रीक़ैन (दोनों फ़रीक़) में से किसी से भी मुक़द्दमा सुनने की इब्तेदा कर सकता है। (2) जब किसी अदना दर्जे के मुफ़्ती ने फ़तवा दिया हो तो उससे बढ़ कर आला साहिबे इल्म से रूजू कर लेना कोई मायूब नहीं है और पहले का फ़तवा देना भी कोई ऐब नहीं। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) के सब फ़ैसले और फ़रामीन किताबुल्लाह की तफ़्सीर होने की बिना पर किताबुल्लाह ही का हिस्सा हैं, बशर्ते कि सही सनद से साबित हों। (4) हर ऐसी सुलह या बैअ जो ग़ैर शरई उसूलों पर हूई हो, टूट जाती है और इस सिलसिले में लिया गया तावान भी वापस करना होता है। (5) ग़ैर शादीशुदा ज़ानी पर सौ कौड़े और एक साल शहर बदरी है। (6) शादीशुदा ज़ानी पर सिर्फ़ रज्म है, कौड़े नहीं। (7) ज़िना की वजह से मियाँ बीवी के दरम्यान तफ़रीक़ नहीं आ जाती। (8) हाकिम या क़ाज़ी का नाइब हुदूद की तन्फ़ीज़ कर सकता है। (ख़त्ताबी)

बाब : 25
दो यहूदीयों के संगसार किये जाने का क़िस्सा

﴿26﴾ باب فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا " . فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ . فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ

(4446) सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि कुछ यहूदी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और आपको बताया कि हमारे एक मर्द और औरत ने बदकारी की है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे पूछा: 'तुम लोग ज़िना के सिलसिले में तौरात में क्या पाते हो?' उन्होंने कहा: हम उन्हें बेइज़्ज़त करते हैं और उन्हें कौड़े मारे जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) ने कहा कि तुम झूठ कहते हो। बिलाशुब्हा इसमें रज्म का हुक्म है। चुनांचे वह तौरात ले आये और उसे खोला तो उनमें से एक ने अपना हाथ रज्म वाली आयत पर रख लिया, फिर उसके आगे पीछे से पढ़ने लगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम(ﷺ) ने उससे कहा: अपना हाथ उठा। उसने हाथ उठाया तो

يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ . فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ .

उसमें रज्म वाली आयत मौजूद थी। तो वह बोले: सच है ऐ मुहम्मद! (ﷺ) इसमें रज्म की आयत मौजूद है। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके मुताल्लिक़ हुक्म दिया और उन्हें संगसार कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷻ) बयान करते हैं कि मैंने उस मर्द को देखा कि वह उस औरत को पत्थरों से बचाने के लिये उस पर झुकता था।

(4446) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6841, मौता, हदीस: 2/819, व मुस्लिम: 1699.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शरई अहकाम को बातिल करना या उन्हें छुपाना यहूदीयों की सिफत है। **(2)** अहले किताब और दीगर कुफ़्फ़ार के निकाह क़ाबिले ऐतबार और सही होते हैं वरना उन्हें शादीशुदा नहीं समझा जा सकता। **(3)** रज्म का हुक्म साबिक़ा मिल्लते मूसवी में भी राइज था मगर बाद के लोगों ने उसे छोड़ रखा था। **(4)** जिसको संगसार किया जाना हो, उसको बाँधना कोई ज़रूरी नहीं है। (ख़त्ताबी)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ فَنَاشَدَهُمْ مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِهِمْ قَالَ فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ " . فَقَالَ الرَّجْمُ وَلَكِنْ ظَهَرَ الزِّنَا فِي أَشْرَافِنَا فَكَرِهْنَا أَنْ يُتْرَكَ الشَّرِيفُ وَيُقَامَ عَلَى مَنْ دُونَهُ

(4447) हज़रत बरा बिन आज़िब (ﷻ) से रिवायत है कि लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक यहूदी को लेकर गुज़रे, उसका चेहरा काला किया हूआ था और वह उसे घुमा फिरा रहे थे। तो आपने उन्हें क़समें देकर उनसे पूछा: 'तुम्हारी किताब में ज़ानी की हद किया है?' उन्होंने ये बात अपने एक आदमी की तरफ़ तहवील कर दी। तो नबी (ﷺ) ने उसको क़सम देकर पूछा: 'तुम्हारी किताब में ज़ानी की हद क्या है?' उसने कहा: संगसार करना, लेकिन जब हमारे शुरफ़ा (अमीरों) में ज़िना कारी आम हो गई, तो हमने नामुनासिब जाना कि शरीफ़ (साहिबे हैसियत) को छोड़ दिया जाये और घटिया (ग़रीब) पर हद क़ाइम की जाये, सो हमने उसको तर्क कर दिया। चुनांचे

فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا . فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ ".

रसूल (ﷺ) ने इसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया और उसे रज्म कर दिया गया। फिर फ़रमायाः 'ऐ अल्लाह! मैं वह पहला शख़्स हूं जो तेरी किताब के उस हुक्म को ज़िन्दा कर रहा हूं जिसे उन्होंने मुर्दा कर छोड़ा था।'

(4447) तख़रीज : सही मुस्लिमः 1700.

फ़ायदा : किसी मुर्दा सुन्नत को ज़िन्दा करना और उस पर अमल करना कराना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और इसकी फ़ज़ीलत में वारिद है कि बाद में उस पर अमल करने वाले सब लोगों के सवाब के बराबर उस पहले आदमी को सवाब मिलता है। (सही मुस्लिम)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ " هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ " نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ " . فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الضَّعِيفَ

(4448) हज़रत बरा बिन आज़िब (رضي الله عنه) बयान करते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से एक ऐसे यहूदी का गुज़र हूआ, जिसका मुँह काला किया हूआ था और उसको मारा भी जा रहा था, आपने उन लोगों को बुलाया और पूछाः 'क्या तुम ज़ानी की हद ऐसे ही पाते हो?' उन्होंने कहाः हाँ। तो आपने उनके एक आलिम को बुलाया और उससे फ़रमायाः 'मैं तुझे उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं जिसने हज़रत मूसा अलैहि. पर तौरात नाज़िल की! क्या तुम अपनी किताब में ज़ानी की हद ऐसे ही पाते हो?' उसने कहाः या अल्लाह! नहीं। अगर आपने मुझे ये क़सम न दी होती तो मैं आपको न बताता। हम अपनी किताब में ज़ानी की हद रज्म ही पाते हैं, लेकिन हमारे शुरफ़ा (अमीर–बड़े लोगों) में ये ज़िना बहुत बढ़ गया तो हम जब किसी शरीफ़ (बाअसर शख़्स) को पकड़ते तो छोड़ देते थे और अगर कमज़ोर को पकड़ते तो उस पर हद क़ाइम कर

देते थे। फिर हमने कहा: आओ किसी ऐसी बात पर मुत्तफ़िक़ हो जायें जो हम शरीफ़ और कमज़ोर सब पर नाफ़िज़ कर सकें। चुनांचे हम मुँह काला करने और धोल धप्पे पर मुत्तफ़िक़ हो गये और रज्म करना छोड़ दिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैं वह पहला आदमी हूं जो तेरे हुक्म को ज़िन्दा कर रहा हूं जबकि उन्होंने उसको मुर्दा कर छोड़ा था।' फिर आपने उस ज़ानी के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया। पस अल्लाह तआला ने (सूरह मायदा की) आयात (41 ... से ... 47) नाज़िल फ़रमाई। (तर्जुमा) 'ऐ रसूल! जो लोग कुफ़्र में जल्दी करते हैं आप उनके बारे में ग़म न करें ... से ... वह कहते हैं कि अगर तुम को ये हुक्म मिले (कोड़े मारने का) तो क़बूल कर लेना। अगर ये न मिले तो उससे दूर रहना ... से ... और जो अल्लाह के नाज़िल करदा के मुताबिक़ फ़ैसला न करें तो वह काफ़िर हैं... ये यहूदीयों के बारे में है ... से ... और जो अल्लाह के नाज़िल करदा के मुताबिक़ फ़ैसला न करें तो वह ज़ालिम हैं। ये यहूदीयों के बारे में है ...से ... और जो अल्लाह के नाज़िल करदा के मुताबिक़ फ़ैसला न करें तो वह फ़ासिक़ हैं ...' ये सब आयात कुफ़्फ़ार के मुताल्लिक़ हैं।

أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعَ عَلَى شَىْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ " . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ } إِلَى قَوْلِهِ { يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا } إِلَى قَوْلِهِ { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا يَعْنِي هَذِهِ الآيَةَ .

(4448) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1700.

फ़ायदा : अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक़ अमल और फ़ैसला न करना और सलाहियत होते हुए मुआशरे में इसकी तन्फ़ीज़ न करना, कुफ़्र है, ज़ुल्म है, और फ़िस्क़ है।

(4449) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि यहूदीयों की एक जमाअत आई और वह रसूल(ﷺ) को वादी–ए–क़ुफ़ में बुला ले गये। तो आप उनके पास एक घर में गये जो उनका मदरसा था। उन्होंने कहा: ऐ अबुल क़ासिम! हममें से एक आदमी ने एक औरत से ज़िना किया है, सो आप उनमें फ़ैसला कर दें। उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये एक तकिया रख दिया, आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा हूए। फिर फ़रमाया: 'तौरात ले आओ।' तो उसे ले आया गया। आपने तकिया अपने नीचे से निकाला और तौरात को उस पर रखा। फिर फ़रमाया: 'मैं तुझ पर ईमान लाया हूं और उस ज़ात पर भी जिसने तुझे उतारा है।' फिर फ़रमाया: 'अपना बड़ा आलिम ले आओ।' तो एक नौजवान को ले आया गया। फिर रज्म का क़िस्सा बयान किया जैसे कि मालिक अन नाफ़ेअ की हदीस़ (4446) में बयान हूआ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودَ فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ " ائْتُونِي بِالتَّوْرَاةِ " . فَأُتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ " آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ " . ثُمَّ قَالَ " ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ " . فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ .

(4449) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़वाइद व मसाइल : (1) साबिक़ा किताबें तौरात, ज़बूर, इन्जील में अगरचे तहरीफ़ हो चुकी है मगर बिल इज्माल उनके अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होने पर हमारा ईमान है। (2) और उनका अदब व एहतराम भी वाजिब है। और बेहुरमती करना हराम है।

(4450) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है और ये मअमर की रिवायत है और ज़ियाद कामिल है। उन्होंने कहा कि यहूदीयों में एक मर्द और औरत ने ज़िना किया तो उनमें से कुछ ने कुछ से कहा: चलो उस नबी के पास चलते

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَجُلاً، مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالَ زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ - قَالَ - فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ " أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ " . قَالُوا يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ - وَالتَّجْبِيَةُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلَ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافَ بِهِمَا - قَالَ وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

हैं, बेशक ये नबी है जो नर्मी और तख़फ़ीफ़ के साथ मबऊस हूआ है। अगर उसने रज्म के अलावा कोई और फ़तवा दिया तो हम उसे क़बूल कर लेंगे और उसको अल्लाह के यहां दलील बना लेंगे। हम कहेंगे कि ये तेरे एक नबी का फ़तवा था। चुनांचे वह नबी (ﷺ) के पास आये जबकि आप मस्जिद में अपने स़हाबा के साथ तशरीफ़ फ़रमा थे। कहने लगे: ऐ अबूल क़ासिम! आपकी ऐसे मर्द और औरत के बारे में क्या राय है जिन्होंने ज़िना किया हो? आप (ﷺ) ने उनसे कोई बात न की यहाँ तक कि आप उनके उस घर में आये जिसमें उनका मदरसा था। आप दरवाज़े पर खड़े हूए और फ़रमाया: 'मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूं जिसने हज़रत मूसा अलैहि. पर तौरात नाज़िल की है, तुम लोग शादीशुदा ज़ानी के मुताल्लिक़ तौरात में क्या पाते हो?' उन्होंने कहा कि मुँह काला किया जाये, गधे पर उल्टा करके बिठाया जाये और मारा पीटा जाये ... 'अत्तज्बिया' के मानी ये हैं कि दोनों ज़िना कारों को गधे पर यूँ बैठाया जाये कि उनकी पुश्त एक दूसरे की तरफ़ हो और उन्हें फिराया जाये ... और एक नौजवान उनमें ख़ामोश रहा। जब नबी (ﷺ) ने उसको ख़ामोश देखा तो आपने उसको बड़ी सख़्त क़सम दी। तो उसने कहा: ऐ अल्लाह ...! जब आपने हमें क़सम दे दी है तो (हक़ीक़त ये है कि) हम तौरात में रज्म ही पाते हैं। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस बात की इब्तेदा कैसे हूई कि तुम लोगों ने अल्लाह

سَكَتَ أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ " . قَالَ زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مَعَ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا لاَ يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ " . فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ { إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ .

के हुक्म में रूख़सत अपना ली?' उसने कहा कि हमारे एक बादशाह के क़रीबी ने ज़िना किया तो उसने रज्म को उससे टाल दिया। फिर एक दूसरे क़बीले में किसी ने ज़िना किया तो उसने उसको रज्म करना चाहा। तो उसकी क़ौम उसके आड़े आ गई और कहने लगी कि जब तक तुम अपना आदमी न लाओ और उसे रज्म न कर दो हमारे आदमी को रज्म नहीं किया जायेगा। चुनांचे उन्होंने आपस में इस सज़ा पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तौरात के मुताबिक़ फ़ैसला करता हूं, चुनांचे आपने उन दोनों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उन्हें रज्म कर दिया गया।'

ज़ोहरी (रह.) कहते हैं: हमें ये बात पहुँची है कि सूरह मायदा की आयत: 44 (इन्ना अन्ज़ल्नत्तौराता फ़ीहा हुदंव् व नूरून यहकुमु बिहन्नबिय्यूनल्लजीना अस्लमू) इन्हीं के सिलसिले में उतरी थी। और नबी(ﷺ) उन्हीं में से थे। (जो अल्लाह के हुक्म बरदार हिदायत व नूर के मुताबिक़ फ़ैसला करने वाले थे।)

(4450) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 488 में देखें, व हदीस: 3624.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً، مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(4451) सय्यदना अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि यहूदीयों के एक मर्द और औरत ने ज़िना किया जो शादीशुदा थे ... और ये उन दिनों की बात है जब नबी (ﷺ) मदीना तशरीफ़ ले आये थे ... और उन यहूदीयों में तौरात के मुताबिक़ (ज़ानियों पर) रज्म फ़र्ज़ था, मगर उन्होंने उसे छोड़ कर उन्हें

ज़लील व रूस्वा करना इख़्तियार कर लिया था कि उसे तारकोल लगी रस्सी से सौ बार मारा जाये और गधे पर पिछली जानिब मुँह करके बिठाया जाये। तो उनके कई उलमा इकट्ठे हूए और उन्होंने दूसरे कुछ लोगों को रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास भेजा कि आपसे ज़ानी की हद के मुताल्लिक़ पूछें और हदीस़ बयान की। इसमें कहा कि ... चूंकि वह अहले यहूद आप के दीन पर न थे कि आप उनका फ़ैसला करते, इसलिए आपको उसमें इख़्तियार दिया गया, फ़रमाया: (फ़इन् जाऊका फ़हकुम बैनहुम औ अअ्रिज़ु अन्हुम) 'अगर वह आपके पास आ जायें तो उनमें फ़ैसला करें या ऐराज़ कर जायें।'

(4451) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 8/247, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أُحْصِنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيَةِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِيٍّ بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَبَعَثُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِي . وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ قَالَ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَخُيِّرَ فِي ذَلِكَ قَالَ ‏{‏ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‏}‏

(4452) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि यहूदी अपने एक मर्द और औरत को लेकर आये जिन्होंने ज़िना किया था। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने दो बड़े आलिमों को ले आओ।' पस वह सूरिया के दो बेटों को ले आये, आपने उन्हें क़सम देकर पूछा कि तुम उनके बारे में तौरात में क्या पाते हो? तो उन्होंने कहा: तौरात में हम ये पाते हैं कि जब चार आदमी गवाही दे दें कि उन्होंने मर्द के ज़कर (शर्मगाह) को औरत की फ़र्ज (शर्मगाह) में ऐसे देखा है जैसे सुरमे दानी में सलाई होती है तो उन्हें रज्म कर दिया जाये।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا فَقَالَ ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَىْ صُورِيَا فَنَشَدَهُمَا " كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ " . قَالاَ نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي

الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا ‏"‏ ‏.‏ قَالاَ ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِمَا ‏.‏

आपने फ़रमाया: 'तो तुम्हें इनको रज्म करने में क्या मानेअ (रूकावट) है?' उन्होंने कहा: हमारी अपनी हुकूमत तो नहीं है इसलिए क़त्ल करना हमें बुरा लगता है। तब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने गवाह तलब किये तो वह चार गवाह लेकर आये। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने मर्द के ज़कर (शर्मगाह) को औरत की फ़र्ज (शर्मगाह) में ऐसे देखा है जैसे सुरमे दानी में सलाई हो, तो नबी (ﷺ) ने उनको रज्म करने का हुक्म दिया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2374.

फ़ायदा : अहले किताब और दीगर ग़ैर मुसलमानों की आपस में गवाहियाँ मोतबर होती हैं।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا ‏.‏

(4453) इब्राहीम और शअबी ने नबी (ﷺ) से इसकी मानिन्द रिवायत किया। मगर इसमें गवाहों को तलब करने और उनके गवाही देने का बयान नहीं है।

(4453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/231.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِنَحْوٍ مِنْهُ‏.‏

(4454) इब्ने शुब्रूमा ने शअबी से इसकी मानिन्द रिवायत किया।

(4454) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/231, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَنَيَا ‏.‏

(4455) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ؓ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने यहूदीयों के एक मर्द और औरत को, जिन्होंने ज़िना किया था, रज्म करवाया था।

(4455) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1701.

फ़ायदा : यहूदी मर्द व औरत के बारे में, जिन्होंने ज़िना का इरतेकाब किया था, ऊपर दी गई रिवायत में कुछ में तो ये बयान हूआ है कि उनकी सज़ा की बाबत उन्होंने आकर पहले रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा और कुछ में है कि उन्होंने उन्हें अपनी तरफ़ से मुक़र्रर करदा सज़ा दी और सज़ा के दौरान में उनका गुज़र रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हूआ, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे ज़िनाकारी की सज़ा पूछी। इसकी तौजीह में ये कहा गया है कि ये या तो अलग अलग दो वाक़िये हैं या पहले उन्होंने अपने तौर पर फ़ौरी सज़ा दे ली और फिर बाद में सवाल जवाब हूए, जब उनका गुज़र रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हूआ। वल्लाहू आलम! (औनूल माबूद)

﴾27﴿ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

बाब : 27
जो कोई अपनी किसी महरम औरत से ज़िना करे?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ، عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الأَعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلاً فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ

(4456) हज़रत बरा बिन आज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक दफ़ा मैं अपने गुमशुदा ऊँट ढूंढ रहा था कि ऊँट सवारों या घूड़ सवारों का एक क़ाफ़िला आया, उनके साथ झण्डा था। चूंकि मुझे नबी (ﷺ) के यहां एक मक़ाम हासिल था इस वजह से आराबी लोग मेरे इर्द गिर्द फिरने लगे। फिर वह एक कुब्बा पर आये, वहां से उन्होंने एक मर्द को निकाला और उसकी गर्दन उड़ा दी। मैंने उसके मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने अपने बाप की बीवी के साथ निकाह किया है।

(4456) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/237.

फ़ायदा : बाप की मन्कूहा बेटे के लिये हमेशा के लिये हराम है। सूरह अन्निसा: आयत 22 में सराहत के साथ आया है। (वला तन्किहू मा नकहा आबाउकुम मिनन्निसाइ) और इस जुर्म की सज़ा क़त्ल है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ،

(4457) जनाब यज़ीद बिन बरा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैं अपने चचा से मिला जब कि उनके पास

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ .

झण्डा था। मैंने उनसे पूछा: कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे एक आदमी की तरफ़ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी के साथ निकाह किया है, आपने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसकी गर्दन मार दूं और उसका माल ले लूं।

(4457) तख़रीजः : (सनद सही) नसाई: 3334, इब्ने जारूद: 681, तिर्मिज़ी: 1362, इब्ने माजा: 2607, इब्ने हिब्बान: 516, हाकिम: 2/191.

फ़ायदा : जिसने जानते बूझते बग़ैर किसी इश्तेबाह के अपनी किसी महरम से निकाह किया हो या बदकारी की हो, तो उसकी हद क़त्ल है।

﴿28﴾ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

बाब : 28
जो शख़्स अपनी बीवी की लौण्डी से ज़िना करे

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ . فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ

(4458) हबीब बिन सालिम से रिवायत है कि एक शख़्स जिसका नाम अ़ब्दुर्रहमान बिन हुनैन था अपनी बीवी की लौण्डी के साथ मुलव्विस हो गया। उसका मुक़द्दमा हज़रत नौमान बिन बशीर(ﷺ) के सामने पेश किया गया जबकि वह कूफ़ा के अमीर थे। तो उन्होंने कहा: मैं तेरे बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) वाला फ़ैसला करूंगा। अगर उस (औरत) ने इस लौण्डी को तेरे लिये हलाल कर दिया तो मैं तुझे सौ कौड़े मारूंगा, अगर वह हलाल न करे तो पत्थरों से संगसार करूंगा। चुनांचे उस औरत ने उसे उसके लिये हलाल कर दिया। तो हज़रत नौमान (ﷺ) ने उसको सौ कौड़े मारे।

فَجَلَدَهُ مِائَةً . قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِهَذَا .

जनाब क़तादा ने कहा: मैंने हबीब बिन सालिम को लिखा तो उन्होंने मुझे ये रिवायत लिख भेजी।

(4458) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 3363 में देखें, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1452.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ " إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ " .

(4459) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान किया कि: 'जो शख़्स अपनी बीवी की लौण्डी के साथ मुलव्विस़ हो जाये तो अगर बीवी ने उसे उसके लिये हलाल कर दिया हो तो उस (शौहर) को सौ कौड़े मारे जायें और अगर हलाल न करे तो मैं उसे रज्म करूंगा।'

(4459) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3362, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ .

(4460) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (ﷺ) से रिवायत है कि जो शख़्स अपनी बीवी की लौण्डी से मुलव्विस़ हो गया हो, इस सिलसिले में रसूल(ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया था कि अगर उस शौहर ने लौण्डी को मजबूर किया हो तो वह लौण्डी आज़ाद होगी, और उस (शौहर) पर लाज़िम होगा कि उसकी मालिक को उसी जैसी लौण्डी मुहय्या करे। और अगर लौण्डी ख़ुद राज़ी थी तो ये उसी (शौहर) की हुई और शौहर पर लाज़िम होगा कि उसकी मालिक को उस जैसी लौण्डी लाकर दे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यूनुस बिन उ़बैद, अ़म्र बिन दीनार, मन्सूर बिन ज़ाज़ान और सलाम ने हसन बस़री से ये हदीस़ ऊपर दी गई

रिवायत के हम मानी बयान की है। यूनुस और मन्सूर ने अपनी सनद में क़बीसा (बिन हुरैस) का ज़िक्र नहीं किया।

(4460) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3365, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, बैहक़ी: 8/240.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ حُرَّةٌ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا .

(4461) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द रिवायत किया। मगर यूँ कहा कि अगर लौण्डी राज़ी थी तो ये उस शौहर की हुई और उसकी क़ीमत के बराबर माल उसकी मालिक को देना होगा।

(4461) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3366, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : बीवी की ममलूका लौण्डी से ज़िना के बारे में सहाबा के अक़वाल मुख़्तलिफ़ हैं। शैख़ शौकानी (रह.) ने सय्यदना नौमान बिन बशीर (ﷺ) के फ़ैसले को तर्जीह दी है। और इसकी वजह ये है कि बीवी की मिल्कियत में शौहर के तसर्रूफ़ की वजह से एक शुब्हा मौजूद है, इसलिए रज्म न किया जाये। वल्लाहू आलम! (औनूल माबूद)

﴾29﴿ باب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

बाब : 29
(समलैंगिकता) लवातत करने वाले की सज़ा

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(4462) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे तुम पाओ कि वह क़ौमे लूत का सा अमल करते हैं तो फ़ाइल (अमल करने वाले) और मफ़ऊल (अमल कराने वाले) (दोनों) को क़त्ल कर दो।'

عليه وسلم " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सलमान बिन बिलाल ने बवास्ता अ़म्र बिन अबू अ़म्र इसी की मानिन्द रिवायत किया। और अ़ब्बाद बिन मन्सूर ने बवास्ता इकरमा हज़रत इब्ने अ़ब्बास से मरफ़ूअ़न रिवायत किया। नीज़ इब्ने जुरैज ने बसनद इब्राहीम अ़न दाऊद बिन हुसैन अ़न इकरमा अ़न इब्ने अ़ब्बास मरफ़ूअ़न रिवायत किया।

(4462) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1456, इब्ने माजा, हदीस़: 2561, इब्ने जारूद, हदीस़: 820, हाकिम: 4/355, अज़्ज़िया फ़ी मुख़्तार: 12/204–206, हदीस़: 220–223.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو .

(4463) जनाब सईद बिन जुबैर और मुजाहिद सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि कुँवारा अगर क़ौमे लूत का सा काम करता पाया जाये, तो उसे संगसार किया जाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आ़सिम (बिन अबी अन्नुजूद) की हदीस़ (जो आगे आ रही है–4465) अ़म्र बिन अबी अ़म्र की हदीस़ (4464) को ज़ईफ़ करती है।

(4463) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/232.

फ़ायदा : ख़िलाफ़े वज़अ़े फ़ितरी अ़मल करने पर ऊपर दी गई रिवायतों की रोशनी में दोनों ही तरह के फ़तवे दिये जाते हैं।

बाब : 30
जो कोई चौपाये से बद फ़ेअली का मुर्तकिब हो?

﴿30﴾
بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

(4464) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई किसी चौपाये से बद फ़ेअली करे उस शख़्स को क़त्ल कर दो और उसके साथ उस चौपाये को भी मार डालो।' (इकरमा कहते हैं) मैंने उन (इब्ने अब्बास) (رضی اللہ عنہ) से कहा कि चौपाये के क़त्ल की वजह क्या है? कहा कि मेरा ख़याल है कि आपने मकरूह जाना कि उसका गोश्त खाया जाये जबकि उसके साथ ऐसा काम किया गया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत क़वी नहीं है।

(4464) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1455, इब्ने माजा, हदीस: 2564.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ " . قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَالَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ .

(4465) अबू रज़ीन, हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत करते हैं कि जो शख़्स चोपाये से बद फ़ेअली करे उस पर हद नहीं है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अता ने भी ऐसे ही कहा है। हकम कहते हैं कि उसको कौड़े लगाये जायें मगर इस तादाद में कि हद को न पहुँचे।

हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि ऐसा आदमी ज़ानी की मानिन्द है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ شَرِيكًا، وَأَبَا الأَحْوَصِ، وَأَبَا، بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلاَ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ .

وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आसिम की हदीस़ अम्र बिन अबू अम्र की रिवायत (4464) को ज़ईफ़ करती है।

(4465) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1455, नसाई, हदीस़: 7341.

फ़ायदा : ऊपर दिये गये बद फ़ैअली की हराम होने पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। फ़ाइल को हद या ताज़ीर दोनों तरह के फ़तवे फुक़हा से मरवी हैं। और जानवर के मुताल्लिक़ ये है कि उसे क़त्ल कर दिया जाये।

﴿31﴾ باب إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ

बाब : 31
जब मर्द ज़िना का इक़रार करे मगर औरत इंकार करे ...?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .

(4466) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से रिवायत है, एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया। उसने एक औरत के साथ ज़िना करने का इक़रार किया। उसने आपके सामने उस औरत का नाम भी लिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस औरत को बुलवाया और उससे उसके बारे में पूछा तो औरत ने ज़िना से इंकार किया। तो आप (ﷺ) ने उस शख़्स को हद के कोड़े लगाये और औरत को छोड़ दिया।

(4466) तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 4437 में देखें, मुसनद अहमद: 5/339, बैहक़ी: 6/228.

फ़ायदा : इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) इस हदीस़ की रोशनी में किसी मुअय्यन औरत से ज़िना का इक़रार करने वाले को हद लगाने का हुक्म देते हैं जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) हद्दे क़ज़फ़ के क़ाइल हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الأَبْنَاوِيِّ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ .

(4467) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि क़बीला बक्र बिन लैस़ का एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया और इक़रार किया कि उसने एक औरत के साथ ज़िना किया है। उसने चार बार ये इक़रार किया। तो आपने उसको सौ कोड़े लगाये। इसलिए कि वह ग़ैर शादीशुदा था। फिर उससे औरत पर गवाही ली, तो औरत ने कहा: अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! ये झूठ बोलता है। फिर आपने उसको तोहमत की हद अस्सी कोड़े लगाये।

(4467) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 7348, इब्ने जारूद, हदीस़: 851, हाकिम: 4/370, 371.

﴾32﴿
باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ دُونَ الْجِمَاعِ فَيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمَامُ

बाब : 32
जो शख़्स़ किसी औरत से जिमाअ (हमबिस्तरी) के अलावा सब कुछ करे फिर पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, एक शख़्स़ नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: बेशक मदीने से बाहर मैंने एक औरत से बोसो किनार किया है, मगर मुजामअत नहीं की है और अब मैं आपके सामने हाज़िर हूँ तू जो चाहे मुझे सज़ा दें। हज़रत

فَقَالَ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَىَّ مَا شِئْتَ . فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ { وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ " بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً " .

इमर(﵁) ने कहा: अल्लाह ने तेरी पर्दापोशी की थी, अगर तू भी अपने आप पर पर्दा डाले रखता (तो बेहतर था।) तो नबी (ﷺ) ने उसको कोई जवाब न दिया। तो वह आदमी चला गया। नबी(ﷺ) ने उसके पीछे आदमी भेजा और उसे तलब किया, फिर उस पर ये आयत तिलावत फ़रमाई (व अक़ीमिस्सलात तरफ़इन्नहारि व ज़ुल फ़म्मिनल्लैल) 'दिन के दोनों अतराफ़ में नमाज़ क़ाइम करो और रात के औक़ात में भी। बिलाशुब्हा नेकियाँ, बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं, ये नसीहत है नसीहत हासिल करने वालों के लिये।' क़ौम में से एक आदमी बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये इसी के लिये ख़ास है या सब लोगों के लिये है? आपने फ़रमाया: 'सभी लोगों के लिये है।'

(4468) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2763.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अफ़ज़ल यही है कि इंसान अपने गुनाह पर पर्दा डाले और अल्लाह के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तेग़फ़ार करे और आइन्दा के लिये मोहतात रहने का अज़्म करे। (2) जो लोग अल्लाह के ख़ौफ़ से गुनाहों से पाक होने के लिये अपने आप को हद के लिये पेश करें उनका मक़ाम बहुत बलन्द है। (3) नमाज़ और दीगर नेकियाँ इंसान के आम गुनाहों का इज़ाला करती रहती हैं जबकि बड़े गुनाहों से तौबा लाज़मी है।

﴿33﴾ باب فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ

बाब : 33
ग़ैर शादीशुदा लौण्डी ज़िना करे तो...?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ

(4469) सय्यदना अबू हुरैरह और ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया कि ग़ैर शादीशुदा लौण्डी अगर ज़िना करे तो (उसका

خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .

क्या हुक्म है)? आपने फ़रमाया: 'अगर ज़िना करे तो उसे कोड़े लगाओ। अगर फिर ज़िना करे तो उसे कोड़े लगाओ। अगर फिर ज़िना करे तो क़ोड़े लगाओ। अगर फिर ज़िना करे तो उसे बेच डालो, ख़्वाह एक रस्सी ही के बदले हो।' इब्ने शिहाब ने कहा: मुझे नहीं मालूम कि तीसरी बार में कहा या चौथी बार ये कहा (कि उसे बेच डालो।) और (अज़्ज़फ़ीर) के मानी हैं: 'रस्सी'

(4469) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2153, 2154, मौता: 2/826, व सही मुस्लिम.

फ़ायदा : गुलाम और लौण्डी की हद, आज़ाद की हद से आधी होती है, यानी पचास कोड़े और दुर्रे। इरशादे बारी तआला है: 'अगर ये लौण्डियाँ बदकारियाँ करें तो उन पर आज़ाद औरतों की सज़ा का आधा है।' (अन्निसा: 25)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " .

(4470) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी की लौण्डी ज़िना करे तो चाहिए कि उसे हद लगाये और आर न दिलाये और तीन बार तक ऐसा करे, अगर चौथी बार भी करे तो उसे हद लगाये और एक रस्सी के बदले बेच डाले। या फ़रमाया: 'बालों की रस्सी के ऐवज़ बेच दे।'

(4470) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1703.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लौण्डी का मालिक ही इस बात का मुकल्लफ़ है कि उसे हद लगाये और सिर्फ़ ज़ब्र व तौबीख़ या आर दिलाने पर किफ़ायत न करे कि हद्दे शरई को मौक़ूफ़ कर दे। (2) 'आर न दिलाये' का एक मफ़हूम ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आर न दिलाये। क्योंकि कुछ औक़ात कुछ तबीयतें इस अन्दाज़ से और ज़्यादा ढीट हो जाती हैं और उनके मनफ़ी (नेगेटिव) जज़्बात उभर आते हैं और फिर अमदन (जानबुझकर) गुनाह करने पर आमाद होती हैं। ये एक नफ़्सियाती मसला है। (3) बदफ़ितरत गुलाम नौकर को अपने से दूर कर देना चाहिए।

(4471) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ रिवायत की। इस पर हर बार यूँ कहा: 'उसे मारे। (हद लगाये) ये अल्लाह की किताब का हुक्म है और आर मत दिलाये (यानी आर दिलाने पर किफ़ायत न करे।)' और चौथी बार फ़रमाया: 'अगर फिर भी ऐसा करे तो उसे मारे, ये किताबुल्लाह का हुक्म है, फिर उसे फ़रोख़्त कर डाले ख़्वाह बालों की रस्सी के बदले ही हो।'

(4471) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा: 7244, बुख़ारी: 6839, व स़ही मुस्लिम: 1703.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ " فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا " . وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ " فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ".

बाब : 34
मरीज़ आदमी को हद लगाना

﴿34﴾ باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

(4472) जनाब अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ कहते हैं कि उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के कुछ अन्स़ारी स़हाबियों ने बयान किया कि उनका एक आदमी बीमार हो गया और इस क़द्र कमज़ोर हो गया कि बस हड्डियों पर चमड़ा रह गया। उसके पास किसी की लौण्डी आई, उसे देख कर उसे जोश आ गया और फिर उससे जिमाअ कर बैठा। जब उसकी क़ौम के लोग उसकी एयादत के लिये गये तो उसने उन्हें अपनी ये बात बताई और कहा कि मेरे मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त करो, बेशक मेरे पास एक लौण्डी आई थी

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ

بِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلاَّ جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً .

और मैं उससे जिमाअ कर बैठा हूं। चुनांचे उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया और बताया कि हमने उस जैसा बीमार कोई नहीं देखा, अगर हम उसे आपके पास उठाकर भी लायें तो उसकी हड्डिया जुदा हो जायेंगी, वह तो बस हड्डियों पर चमड़ा है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके लिये खजूर की एक ऐसी डाली हासिल करो जिसमें बारीक सौ शाख़ें हों, वह उसे एक ही मार दो।'
(4472) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने जारूद, हदीस: 817.

फ़ायदा : अल्लाह की शरीयत से बढ़ कर इंसान के लिये और कहीं राहत और आसाइश नहीं है, इन्तेहाई कमज़ोर और मरीज़ आदमी के साथ हद जारी करने में मुनासिब हीला इख़्तियार किया जा सकता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ " . فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ " يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ " . قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ . فَقَالَ " دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " . قَالَ

(4473) हज़रत अली (ؓ) से मरवी है कि आले रसूल (ﷺ) की एक लौण्डी ने बदकारी की। आपने फ़रमाया: 'ऐ अली! जाओ और उसको हद लगाओ।' कहते हैं कि मैं चला तो मालूम हूआ कि उससे ख़ून बह रहा है जो रूकता ही नहीं है। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आ गया। आपने पूछा: 'ऐ अली! क्या फ़ारिग़ हो गये हो?' मैंने अर्ज़ किया: मैं उसके पास गया था मगर उससे ख़ून बह रहा है। आपने फ़रमाया: 'उसे छोड़ दे। यहाँ तक कि उसका ख़ून रूक जाये। उसके बाद उसको हद लगाना और अपने गुलामों को भी हद लगाया करो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस

أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى فَقَالَ فِيهِ " لاَ تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ " . وَالأَوَّلُ أَصَحُّ .

अबूल अहवस ने अ़ब्दुल आला से ऐसे ही रिवायत की है। और शोबा ने अ़ब्दुल आला से रिवायत की तो उसमें कहा: 'जब तक वज़ओ हमल न हो जाये हद न लगाना।' और पहली रिवायत ज़्यादा सहीह है।

(4473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/89, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7268.

फ़ायदा : ज़िना से हामला औरत को वज़ओ हमल (बच्चा जनने) के बाद हद लगाई जाये।

﴾35﴿ بابٌ فِي حَدِّ الْقَذْفِ

बाब : 35 तोहमत की हद का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلاَ - تَعْنِي الْقُرْآنَ - فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ .

(4474) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा(رضي الله عنها) बयान करती हैं कि जब मेरी बराअत की आयात नाज़िल हुई तो नबी (ﷺ) मिम्बर पर खड़े हुए और उस वाक़िये का ज़िक्र किया और क़ुर्आन की आयात तिलावत फ़रमाईं। जब मिम्बर से नीचे उतरे तो आपने दो मर्दों और एक औरत के मुताल्लिक़ हुक्म दिया और उन्हें हद लगाई गई।

(4474) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3181, इब्ने माजा, हदीस: 2567, बैहक़ी: 8/250.

फ़ायदा : सय्यदा आ़यशा (رضي الله عنها) की बराअत का बयान सूरह नूर की इब्तेदा (शुरू) में आया है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ

(4475) मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने ये रिवायत बयान की और उसमें सय्यदा आ़यशा (رضي الله عنها) का ज़िक्र नहीं किया। बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दो मर्दों और एक औरत को जो इस तोहमत में शरीक थे, के

تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ . قَالَ النُّفَيْلِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ .

मुताल्लिक़ (हद लगाने का) हुक्म दिया। यानी हस्सान बिन साबित और मिस्तह बिन असासा। नुफ़ैली ने कहा कि औरतों में हमना बिन्ते जहश का ज़िक्र करते हैं।

(4475) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/250, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) तोहमत की हद अस्सी दुर्रे (कोड़े) हैं। **(2)** सहाब-ए-किराम (ﷺ) मासूम अनिल ख़ता न थे और हमारे लिये ज़रूरी है कि उनके लिये हमेशा दुआ करें (रब्बनग़् फिर लना व लि इख़्वानिना) (अलहश्र: 10)

﴾36﴿ باب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

बाब : 36
शराब नोशी की हद का बयान

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ "أَفَعَلَهَا" . وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَىْءٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَذَا .

(4476) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने शराब नोशी की हद मुतय्यन नहीं की थी।

इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं कि एक आदमी ने शराब पी ली, उससे उसे नशा हो गया और गली में लहरा लहरा के चलने लगा। फिर उसे नबी (ﷺ) के यहां ले चले। जब वह हज़रत अब्बास (ﷺ) के घर के सामने आया तो वह घूम कर उनके घर में चला गया और उनसे जा चिमटा। नबी (ﷺ) को ये बताया गया तो आप हँस पड़े और पूछा: 'क्या वाक़ेई उसने इस तरह किया है?' और फिर उसके बारे में कुछ नहीं फ़रमाया। इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हसन बिन अली की इस हदीस की रिवायत में अहले मदीना मुतफ़र्रिद (तन्हा) हैं।

(4476) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 5290, हाकिम: 4/373.

(4477) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया जिसने शराब पी थी, तो आपने फ़रमाया: 'उसे मारो।' हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) बयान करते हैं: हममें से किसी ने उसे हाथ से मारा, किसी ने जूते से मारा और किसी ने कपड़े से मारा। जब वह आदमी वहां से चला तो क़ौम में से किसी ने कह दिया अल्लाह तुझे रूस्वा करे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस तरह मत कहो। उसके ख़िलाफ़ शैतान की मदद मत करो।'

(4477) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6777.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ " اضْرِبُوهُ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَقُولُوا هَكَذَا لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ " .

फ़ायदा : इंसान ख़ता का पुतला है, चाहिए कि ख़ता कार को अच्छे अन्दाज़ से नसीहत की जाये। इस अन्दाज़ की डाँट डपट कि उसके मनफ़ी जज़्बात (नकारात्मक भावनाओं) को उभारे, मुनासिब नहीं, इससे गोया शैतान की मदद होती है।

(4478) यहया बिन अय्यूब, हैवा बिन शुरैह और इब्ने लहीआ ने इब्ने हाद से उसकी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया। इस रिवायत में मारने के ज़िक्र के बाद यूँ है कि फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा से फ़रमाया: 'इसे ज़रा शर्म दिलाओ' तम्बीह करो।' चुनांचे वह उसे इस तरह कहने लगे। तुझे अल्लाह का ख़ौफ़ न आया। तू अल्लाह से डरा नहीं। तुझे अल्लाह के रसूल (ﷺ) से हया न आई। फिर उसको छोड़ दिया और रिवायत के आख़िर में है... 'लेकिन यूँ कहो: ऐ अल्लाह! इसको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " بَكِّتُوهُ " . فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ مَا خَشِيتَ اللَّهَ وَمَا اسْتَحَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ " وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ " . وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا

इस पर रहम फ़रमा।' और कुछ रावियों ने इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ ज़्यादा किये हैं।

(4478) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : हद्दे शरई लग जाने के बाद (सजा मिलने के बाद) ऐसे शख़्स के लिये इस्तेग़फ़ार और रहमत की दुआ करनी चाहिए। बुरे अन्दाज़ में तज़लील के अल्फ़ाज़ बोलना जायज़ नहीं, क्योंकि उससे कुछ औक़ात मन्फ़ी रद्देअमल की नफ़्सियात को अंगखैत मिलती है और फिर कई लोग अपनी बुराई से बाज़ आने की बजाये उस पर और ढीट हो जाते हैं। इसी मफ़हूम को 'शैतान की मदद' से ताबीर किया गया है।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، - الْمَعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرِّيفِ - فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ . فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

(4479) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने शराब नोशी की हद में खजूर की झाड़ियों और जूतों से मारा है। और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने चालीस दुर्रे (कोड़े) लगाये। जब हज़रत उमर (ﷺ) ख़लीफ़ा हुए तो उन्होंने सहाबा को बुलाया और उनसे मशवरा चाहा कि लोग अपने खेतों और ज़मीनों में चले गये हैं। (यानी जहां खजूरें और अंगूर वग़ैरह की फ़रावानी है और वह शराब पीने लगे हैं) मुसद्दद के अल्फ़ाज़ में है कि लोग बस्तियों और ज़मीनों में चले गये हैं... तो तुम लोग शराब की हद के बारे में क्या कहते हो? तो हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (ﷺ) ने कहा: हम समझते हैं कि आप उसे सबसे हल्की हद की मानिन्द कर दें। चुनांचे उन्होंने उसमें अस्सी दुर्रे (कोड़े) लगाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अबी अ़रूबा ने बवास्ता क़तादा नबी (ﷺ) से ये हदीस बयान की कि आप (ﷺ) ने खजूर की झाड़ियों और जूतों से चालीस ज़रबें लगाईं। जबकि शैबा ने

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ .

क़तादा से बवास्ता हज़रत अनस (﵁) नबी (ﷺ) से रिवायत किया तो कहा कि आप (ﷺ) ने खजूर की दो शाख़ों से तक़रीबन चालीस ज़रबें लगाईं।

(4479)तख़रीज : बुख़ारी: 6773 व मुस्लिम: 1706

फ़ायदा : फ़ुक़हा (इस्लामी स्कॉलरस) के नज़दीक हज़रत उमर (﵁) के इस अमल में पहली चालीस ज़रबों (मार) को हद और मज़ीद चालीस को ताज़ीर पर महमूल किया गया है और उलमा–ए–हक़ व फ़ुक़हा–ए–इज़ाम उमूरे शरिया में अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते हैं बल्कि इज्तेहादी उमूर में अस्हाबे इल्म व राय से गहरा मशवरा करने के बाद कोई फ़ैसला करते हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ، - هُوَ أَبُو سَاسَانَ - قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا - يَعْنِي الْخَمْرَ - وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا . فَقَالَ لِعَلِيٍّ رضى الله عنه أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ . فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ . فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ . قَالَ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا

(4480) हुज़ैन बिन मुन्ज़िर रक़ाशी अबू सासान कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान (﵁) के यहां हाज़िर था कि वलीद बिन उक़्बा को लाया गया। तो हुमरान और एक दूसरे आदमी ने उस पर गवाही दी। एक ने कहा कि मैंने उसको शराब पीते देखा है और दूसरे ने कहा कि मैंने उसको क़ै करते देखा है। तो हज़रत उस्मान(﵁) ने कहा: उसने शराब पी तभी कै की। फिर हज़रत अली (﵁) से कहा कि उसको हद लगाओ। हज़रत अली (﵁) ने हज़रत हसन (﵁) से कहा कि उसको हद लगाओ। तो हज़रत हसन (﵁) ने कहा कि उसकी हरारत उसी के हवाले करें जो उसकी ठण्डक से लुत्फ़ अन्दोज़ होता है। (इशारा था कि हज़रत उस्मान (﵁) ही को ये कड़वा कसैला काम करना चाहिए) फिर हज़रत अली (﵁) ने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से कहा कि उसको हद लगाओ। तो उसने कोड़ा लिया और मारने लगे और हज़रत अली (﵁) गिनते जाते थे। जब चालीस को पहुँचे तो कहा कि बस, काफ़ी है। नबी (ﷺ) ने चालीस ज़रबें

مारी थी। (हुज़ैन ने कहा) मेरा ख़याल है कि यूँ कहा: अबूबक्र ने चालीस और उमर ने अस्सी ज़रबें मारीं और सब ही सुन्नत है और ये मुझे ज़्यादा महबूब है।

(4480) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1707.

بَلَغَ أَرْبَعِينَ قَالَ حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ - أَحْسِبُهُ قَالَ - وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ .

(4481) हुज़ैन बिन मुन्ज़िर सय्यदना अली(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि शराब की हद में रसूलुल्लाह(ﷺ) और सय्यदना अबूबक्र (ﷺ) ने चालीस ज़रबें मारीं और हज़रत उमर (ﷺ) ने उनको अस्सी (80) से पूरा किया, और सब ही सुन्नत है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अस्मई ने (वल्लि हार्रहा ...) का मफ़हूम ये बयान किया कि इस मामले की सख़्ती और शिद्दत उसी के सुपूर्द होनी चाहिए जो उसकी नर्मी और राहत से मुस्तफ़ीद होता है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हुज़ैन बिन मुन्ज़िर अबू सासान अपनी क़ौम का सरदार था।

(4481) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1707.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الدَّانَاجِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا وَلِّ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ .

बाब : 37
जो शख़्स बार बार शराब पीये

﴾37﴿ بَابُ إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

(4482) सय्यदना मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(शराबी) जब शराब पीयें तो उन्हें दुर्रे लगाओ, फिर अगर

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم " إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ "

पीयें तो दुर्रे लगाओ, फिर अगर पीयें तो दुर्रे लगाओ, फिर अगर पीयें तो क़त्ल कर दो।'

(4482) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1444, इब्ने माजा, हदीस: 2573, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1519, हाकिम, अलमुस्तदरक: 4/372.

फ़ायदा : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) किताबुल इलल में लिखते हैं कि इस हदीस के तर्क, यानी मन्सूख़ होने पर उलमा का इज्मा है। और इस हदीस की तावील ये है कि इससे मुराद 'सख़्त मार' है। और अगली हदीस (4485) को उसका नासिख़ समझा जाता है। अल्लामा ज़ैलई (रह.) ने बहवाला इब्ने हिब्बान लिखा है कि क़त्ल का हुक्म उसके लिए है जो उसकी हिल्लत (हलाल का) का क़ाइल हो और हुरमत को क़बूल न करता हो। (औनूल माबूद)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ " إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي غُطَيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ.

(4483) जनाब नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया ... और ऊपर की हदीस के हम मानी रिवायत किया। उन्होंने कहा: मेरा ख़्याल है कि पाँचवीं बार आपने फ़रमाया: 'अगर पीये तो उसे क़त्ल कर दो।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू गुतैफ़ की रिवायत में भी पाँचवीं बार का ज़िक्र है।
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/136.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ

(4484) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब वह नशे से मस्त हो तो उसे दुर्रे लगाओ, फिर अगर मस्त हो तो दुर्रे लगाओ, फिर अगर मस्त हो तो दुर्रे लगाओ, अगर चौथी बार एआदा (चौबारा) करे, तो उसे क़त्ल कर दो।
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उमर बिन अबी सलमा की रिवायत में भी ऐसे ही है जो वह अपने वालिद से, वह हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से और

عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ " . وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं: 'जब वह शराब पीये तो उसे कोड़े लगाओ अगर चौथी बार पीये तो उसे क़त्ल कर दो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि: सुहैल अन अबी सालेह अन अबी हुरैरह अन नबी (ﷺ) की सनद से भी यही मरवी है: 'अगर चौथी बार पीयें तो उन्हें क़त्ल कर दो।'

ऐसे ही इब्ने अबी नुऐम की रिवायत में है जो बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه), नबी (ﷺ) से नक़ल हूई है।

इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) और शरीद ने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

और जदली (अब्द बिन अब्द) की रिवायत जो बवास्ता हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से मनक़ूल है इसमें है: 'अगर तीसरी या चौथी बार पीये तो उसे क़त्ल कर दो।'

(4484) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2572, नसाई, हदीस: 5665, इब्ने जारूद, हदीस: 831, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1517, हाकिम: 4/371, मुसनद अहमद: 2/519, हाकिम: 4/371, 372, हाकिम: 4/372, मुसनद अहमद: 4/93.

फ़ायदा : 'मस्त होने' से मुराद शराब पीना है। वाक़ेअ में 'मस्त होना' शर्त नहीं है जैसे कि दीगर बहुत सी अहादीस में आता है। सिर्फ़ शराब पीना साबित हो जाये तो उस पर हद लगेगी उलमा–ए–अहनाफ़ इस मसले में मुन्फ़रिद हैं बक़ौल उनके अंगूर की शराब थोड़ी पीयें या ज़्यादा तो हराम और क़ाबिले हद है। लेकिन अंगूर के अलावा दीगर चीज़ों की बनी हूई शराबों में इस क़द्र पीयें कि 'मस्त हो जाये' तो हराम है और हद लगेगी, अलबत्ता उनका इतनी मिक़्दार (मात्रा) में पीना जायज़ है जिससे नशा पैदा न हो। दीगर अइम्मा में से किसी ने उनकी ताईद नहीं की है। बल्कि नशावर, ख़्वाह किसी क़िस्म से हो, उसका क़लील (कम) या कसीर (ज़्यादा) सब हराम है और क़ाबिले हद है। नशे से मस्त होना शर्त नहीं। इसके अलावा अहादीस में इसकी बाबत रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जिस चीज़ की कसीर मिक़्दार नशावर हो उसकी क़लील मिक़्दार भी हराम है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3681) लिहाज़ा हर नशावर चीज़ उसकी नोईयत ख़्वाह कुछ हो, वह मिक़्दार में थोड़ी हो या ज़्यादा हराम ही है

और ये कहना या समझना कि अंगूर की हो तो हराम है और दूसरी क़िस्म से हो तो उसे इतनी मिक़्दार में पीना हलाल है जिससे नशा पैदा न हो, फ़रमाने रसूल के ख़िलाफ़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ " . فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ فَكَانَتْ رُخْصَةً . قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَىْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو غُطَيْفٍ الْكِنْدِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(4485) सय्यदना क़बीसा बिन ज़ूऐब (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शराब पीये तो उसे कोड़े लगाओ, अगर फिर पीये तो कोड़े लगाओ, अगर फिर तीसरी या चौथी बार पीये तो उसे क़त्ल कर दो।' फिर आपके पास एक आदमी लाया गया जिसने शराब पी थी तो आपने उसे कोड़े लगाये। फिर दोबारा लाया गया तो कोड़े लगाये, फिर लाया गया तो कोड़े लगाये, फिर लाया गया तो कोड़े लगाये और क़त्ल छोड़ दिया तो इस तरह क़त्ल से रूख़सत मिल गई।

सुफ़ियान कहते हैं कि ज़ोहरी ने ये रिवायत उस वक़्त बयान की जब मन्सूर बिन मोतमिर और मुख़व्वल बिन राशिद उनके पास बैठे थे। ज़ोहरी ने उनसे कहा कि अहले इराक़ के पास ये हदीस़ तोहफ़ा के तौर पर ले जाना।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को शरीद बिन सुवैद, शुरहबील बिन औस, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र, अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर, अबू गुतैफ़ किंदी और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के वास्ते से नक़ल किया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1444.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ لاَ أَدِي - أَوْ مَا

(4486) अमीरूल मोमिनीन सय्यदना अ़ली(ﷺ) कहते हैं कि मैं किसी पर हद क़ायम करूं (और वह मर जाये) तो किसी की दियत न दूं सिवाए शराब नोश के। बिलाशुब्हा

كُنْتُ لأَدِيَ - مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ .

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसमें कोई हद मुतय्यन नहीं फ़रमाई थी। ये हद हमने (मशवरे से) तय की है।

(4486) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6778, व मुस्लिम: 1707.

फ़ायदा : इस मसले में पिछला बाब मुलाहिज़ा हो। सहाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) इस बात से बालातर थे कि शरीयत में कोई चीज़ महज़ अपनी राय से नाफ़िज़ करें। उन्होंने शरई उसूलों के तहत इज्तेहाद और मशवरे से ये हद मुतय्यन (फ़िक्स) की। और ये उसूल बिल्कुल हक़ है कि हद लगाने में मुजरिम की सेहत और बरदाश्त का ख़याल रखा जाना ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ الْمِصْرِيُّ ابْنُ أَخِي، رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الآنَ وَهُوَ فِي الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ " اضْرِبُوهُ " . فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ - ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ.

(4487) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अज़हर (رضي الله عنه) से रिवायत है, वह कहते हैं गोया कि मैं अब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) को देख रहा हूँ, आप पालानों में खड़े हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (رضي الله عنه) का पालान तलाश कर रहे थे कि अचानक आपके पास एक आदमी लाया गया जिसने शराब पी रखी थी। आपने लोगों से कहा: 'इसको मारो।' चुनांचे कुछ ने उसको जूतों से मारा, कुछ ने लाठी से और कुछ ने मीतख़ा' से। इब्ने वहब ने वज़ाहत की कि इससे मुराद खजूर की तरोताज़ा झाड़ी है। फिर रसूल (ﷺ) ने ज़मीन से कुछ मिट्टी ली और उसके मुँह पर मारी।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/88, नसाई सुनन कुब्रा: 5281, हाकिम: 4/374, 375

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

(4488) जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अज़हर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक शराबी लाया गया जबकि आप हुनैन में

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمْ " ارْفَعُوا " . فَرَفَعُوا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.

थे तो आपने उसके मुँह पर मिट्टी मारी। फिर आपने अपने सहाबा से फ़रमाया तो उन्होंने उसको जूतों से और जो उनके हाथ में था उससे मारा, यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'बस करो।' तो वह रूक गये। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) की वफ़ात हो गई तो हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने शराब पीने पर चालीस ज़रबें लगाईं। फिर हज़रत उमर (ﷺ) ने भी अपने इब्तेदाई दौर में चालीस ज़रबें ही लगाईं और आख़री दौर में अस्सी (80) लगाने लगे। फिर हज़रत उस्मान (ﷺ) ने दोनों तरह अमल किया, अस्सी भी और चालीस भी। फिर हज़रत मुआविया (ﷺ) ने ये हद अस्सी (80) दुर्रों पर पुख़्ता कर दी।

(4488) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 5283.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا

(4489) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अज़हर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़तहे मक्का की सुबह को देखा, मैं उस मौक़े पर ख़ूब जवान था, आप लोगों के दरम्यान में से जा रहे थे और हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) का पड़ाव दरयाफ़्त फ़रमा रहे थे कि एक शराबी आपके पास लाया गया। तो आपने लोगों को हुक्म दिया तो उन्होंने उसको जो उनके हाथ में था, मारा। कुछ ने कोड़ा मारा, कुछ ने लाठी मारी, कुछ ने अपना जूता मारा और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस पर मिट्टी फैंकी। फिर

وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَحَثَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي ضَرَبَهُ فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ . قَالَ هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ . وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ . قَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَبَيْنَ ابْنِ الأَزْهَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ عَنْ أَبِيهِ .

जब हज़रत अबूबक्र (ﷺ) का दौर आया तो एक शराब नोश लाया गया, तो उन्होंने सहाबा से नबी (ﷺ) का अमल दरयाफ्त फ़रमाया कि उन्होंने किस क़द्र मारा था। तो उन्होंने उसका अन्दाज़ा चालीस ज़रबों का लगाया। चुनांचे हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने चालीस ज़रबें लगाईं। फिर जब हज़रत उमर (ﷺ) का दौर आया तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) ने उनको लिखा कि लोग शराब पीने में मुन्हमिक हो गये हैं और इस हद और सज़ा को वह मामूली समझते हैं। उन्होंने कहा: सहाब–ए–किराम आपके पास हैं उनसे दरयाफ़्त कीजिये। और आपके पास दौरे अव्वल के मुहाजिर सहाबा मौजूद थे, तो आपने उनसे मशवरा किया। उन्होंने इत्तेफ़ाक़ किया कि ऐसे लोगों को अस्सी (80) ज़रबें लगाई जायें। सय्यदना अली (ﷺ) ने कहा: तहक़ीक़ शराबी जब शराब पीता है तो झूठ बोलता और तोहमत लगाता है, सो मैं समझता हूं कि इस हद को तोहमत की हद की मानिन्द कर दिया जाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उक़ैल बिन ख़ालिद ने इस रिवायत की सनद में ज़ोहरी और अब्दुर्रहमान बिन अज़हर के बीच अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अज़हर अन अबीह का इज़ाफ़ा कर दिया है।

(4489) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

बाब : 38
मस्जिद में हद लगाना

﴿38﴾ باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - حَدَّثَنَا الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ .

(4490) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में क़िसास़ लेने, अशआर पढ़ने और हदें लगाने से मना फ़रमाया है।

(4490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/434, इब्ने माजा, हदीस़: 2599.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की बिना पर हसन दर्जे तक पहुँच जाती है। इन शवाहिद की वज़ाहत हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने तख़रीज में की है, इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन कहा है। **(2)** मसाजिद इस ग़र्ज़ से बनाई जाती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ी जाये, तिलावते कुर्आन हो और अल्लाह का ज़िक्र किया जाये। क़िसास़ या हुदूद अगरचे शरई उमूर हैं मगर उनसे मस्जिद का अदब क़ाइम नहीं रहता है। इसी तरह लग़्व और बेहूदा अशआर पढ़ना भी नाजायज़ है। अलबत्ता अल्लाह की हम्द व स़ना, रसूलुल्लाह (ﷺ) की नात और शरई मज़ामीन पर मुश्तमिल अशआर पढ़े और सुने जा सकते हैं। जैसे कि हज़रत हस्सान (ﷺ) से पढ़वाये जाते थे।

बाब : 39
हद में चेहरे पर मारना

﴾39﴿
باب فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ

(....) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स किसी को मारे तो चेहरे से बचे।'

फ़ायदा : किसी को सज़ा देते हूए, ख़्वाह वह हद हो या ग़ैर हद, चेहरे पर मारना नाजायज़ है, ख़्वाह हैवान ही क्यों न हो।

बाब : 40
ताज़ीरात का बयान

﴾40﴿
باب فِي التَّعْزِيرِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ " لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

(4491) हज़रत अबू बुर्दा (हानी बिन दीनार अन्सारी) (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'अल्लाह की मुतय्यना (फ़िक्स) हुदूद के अलावा किसी जुर्म में दस कोड़ों से ज़्यादा न मारे जायें।'

(4491) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6848, व सही मुस्लिम: 1708.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(4492) हज़रत अबू बुर्दा अन्सारी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना ... और ऊपर की रिवायत के हम मानी बयान किया।

بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

(4492) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6850, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ में 'हुदूदुल्लाह' से मुराद वह अवामिरो नवाही हैं जिनका ताल्लूक़ आदाब से हो, जैसे कि बाप अपने बच्चे की तादीब करता है। इमाम मालिक, अबू यूसुफ़ और अबू सौर (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि ताज़ीर जुर्म के मुताबिक़ हूआ करती है और ये कि मुजरिम उसे किसी हद तक बर्दाश्त कर सकता है। और इसमें अस़ल चीज़ मस़लिहत को पेशे नज़र रखना होता है, इसलिए मारूफ़ हुदूद की मिक़्दार से ज़्यादा मारना, जायज़ है।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ " .

(4493) सय्यदना अबू हुरैरह (ؓ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स़ मारे तो चेहरे पर न मारे।'

(4493) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : इस हदीस़ को इस बाब में दोबारा लाने से ये बताना मक़सूद है कि जिस तरह हद में चेहरे पर नहीं मारना, इसी तरह ताज़ीरी सज़ा में भी चेहरा ज़दोकूब (मारपीट) से महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहना चाहिए। वल्लाहू आलम!

كتاب الديات

दियत की मशरूईयत

☆ **दियत की लुग़वी (डिक्शनरी) और इस्तेलाही तारीफ़:** 'अद्दियतु' वदा फ़ेअल का मस्दर है जिसके मानी हैं: 'ख़ून बहा अदा करना' अरब कहते हैं: वदियतुलक़तील: अयआतैतुद्दियत 'मैंने मक़्तूल की दियत अदा की' दियत को 'अक़्ल' भी कहा जाता है 'अक़्ल' के मानी 'बाँधने' के हैं। अरब का रिवाज था कि वह मक़्तूल की दियत के ऊँट उसके घर के सहन में बाँध देते थे। इसलिए दियत को 'अक़्ल' कहा जाने लगा।

☆ **इस्तेलाही तारीफ़ यूँ की गई है:** 'दियत से मुराद वह माल है जिसकी अदायगी किसी आज़ाद शख़्स को क़त्ल करने या ज़ख़्मी करने की सूरत में वाजिब है और उसकी मिक़्दार शरीयत में मुक़र्रर है। ये इज्तेहादी मसला नहीं है।

☆ **दियत की मशरूईयत:** अल्लाह तआला ने मुसलमान के जान व माल को दूसरों पर मोहतरम क़रार दिया है। लिहाज़ा दो में से किसी एक पर ज़ुल्म व ज़्यादती की सूरत में हरजाना और ख़ून बहा की सूरत में सज़ा मुक़र्रर कर दी गई है। इरशादे रब्बानी है: 'और जिसने मुसलमान शख़्स को ग़लती से क़त्ल कर दिया तो मोमिन गुलाम आज़ाद करे और औलिया (मक़्तूल के वरसा) को दियत अदा करे।' (अन्निसा: 92)

रसूले अकरम (ﷺ) ने दियत की मशरूईयत बयान करते हूए फ़रमाया: 'जिस का कोई शख़्स क़त्ल कर दिया जाये उसे दो चीज़ों का इख़्तियार है, उसे दियत दी जाये या क़िसास दिलाया जाये।' (सही बुख़ारी, हदीस: 6880)

☆ **दियत की अदायगी:** दियत की अदायगी की दो सूरतें हैं: **(1)** अगर क़ातिल ने अम्दन (जानबुझ कर) क़त्ल किया है और मक़्तूल के वरसा क़िसास की बजाये दियत लेने पर राज़ी हो गये हैं तो दियत क़ातिल ख़ूद अदा करेगा। **(2)** अगर क़त्ल ग़लती से हूआ था या शिब्हे अम्द की शक्ल में था तो दियत क़ातिल के रिश्तेदारों पर होगी।

☆ **दियत की मिक़्दार (मात्रा) और तअय्यिन:** अल्लाह तआला ने इंसानी जान के बिला वजह तल्फ़ करने पर सख़्त सज़ायें मुक़र्रर की हैं। एक इंसानी जान की क़द्रो क़ीमत अल्लाह तआला के

नज़दीक कितनी बलन्द है इसका अन्दाज़ा इस इरशादे रब्बानी से बख़ूबी लगाया जा सकता है: 'जो शख़्स किसी को बग़ैर इसके कि वह किसी का क़ातिल हो या ज़मीन में फ़साद मचाने वाला हो, क़त्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को क़त्ल कर डाला और जो शख़्स किसी की जान बचाये तो उसने गोया तमाम लोगों को ज़िन्दा कर दिया।' (अल मायदा: 32)

लिहाज़ा किसी मोहतरम जान को ख़त्म करने की सज़ा निहायत सख़्त रखी गई है लेकिन अगर ग़लती से भी किसी की जान ज़ाया कर दी जाये या उसको ज़ख़्मी कर दिया जाये तो उस पर सज़ायें मुक़र्रर कर दी गई हैं। जैसे:

❶ अगर मक़्तूल मुसलमान आज़ाद मर्द था तो उसकी दियत सौ ऊँट है। अगर ऊँट मयस्सर न हों तो एक हज़ार मिस्क़ाल सोना या बारह हज़ार दिरहम चाँदी या दो सौ गायें, या दो हज़ार भेड़ बकरियाँ अदा की जायेंगी। अलबत्ता गुलाम शख़्स की दियत उसकी क़ीमत के बराबर होगी।

❷ कुछ इंसानी शरीर के हिस्से ऐसे हैं कि जिनके तल्फ़ होने की सूरत में मुकम्मल दियत अदा करना पड़ती है। जैसे: अक़्ल का ज़ाइल हो जाना, दोनों कान, दोनों आँखें, ज़बान, नाक, आला-ए तनासुल या ख़ुस्यतैन कटने से क़ुव्वते जिमाअ ख़त्म हो जाये, रीढ़ की हड्डी। इनमें से किसी एक के बेकार हो जाने पर मुकम्मल शख़्स की दियत लागू होगी।

❸ ऊपर दिये गये अज़्ज़ा (शरीर के हिस्सों) में से जो जोड़े हैं जैसे: दो हाथ, दो कान वग़ैरह, इनमें से एक तल्फ़ हो तो निस्फ़ दियत वाजिब होगी।

❹ इसके अलावा मुख़्तलिफ़ ज़ख़्मों की नोईयत के लिहाज़ से दियत की मिक़्दार (मात्रा) मुख़्तलिफ़ है।

كتاب الديات

दियतों का बयान

﴿1﴾ بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

बाब : 1 जान के बदले जान लेने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ - وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ - فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فُودِيَ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ ‏.‏ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ

(4494) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि क़ुरैज़ा और नज़ीर (यहूद के दो क़बीले थे) और नज़ीर क़ुरैज़ा की बनिस्बत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ था। तो जब क़ुरैज़ा का कोई आदमी नज़ीर के किसी आदमी को क़त्ल कर देता तो उसे उसके बदले में क़त्ल कर दिया जाता था। और जब नज़ीर का कोई आदमी क़ुरैज़ा के आदमी को क़त्ल कर देता तो (मक़्तूल के वारिसों को) एक सौ वस्क़ खजूर दियत देता था। फिर जब नबी (ﷺ) मबऊस हूए तो नज़ीर के आदमी ने क़ुरैज़ा के एक आदमी को क़त्ल कर दिया। तो क़ुरैज़ा ने कहा: क़ातिल हमारे हवाले करो हम उसे क़त्ल करेंगे। नज़ीर ने कहा: हमारे तुम्हारे दरम्यान नबी (ﷺ) क़ाज़ी और हकम है। तो वह लोग आप (ﷺ) के पास आये। तो ये

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ جَمِيعًا مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

आयत नाज़िल हूई: (व इन हकम्ता फह्कुम बैनहुम बिल्क़िस्त) 'आप अगर फ़ैसला फ़रमायें तो उनमें इन्साफ़ से फ़ैसला फ़रमायें।' इसमें (अलक़िस्त) 'इन्साफ़' का मफ़हूम जान के बदले जान है। फिर दूसरी आयत नाज़िल हूई: (अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यब्ग़ूना) 'क्या भला ये जाहिलीयत का फ़ैसला चाहते हैं?'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि क़ुरैज़ा और नज़ीर दोनों हज़रत हारून अलैहि. की नस्ल से हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4736, इब्ने जारूद, हदीस: 772, हदीस: 2238 में देखें।

फ़ायदा : क़िसास का निज़ाम बनू इस्राईल में भी मौजूद था। और इंसानी जानें सब बराबर हैं। किसी क़ौम या क़बीले को किसी पर कोई फ़ज़ीलत नहीं। इस्लाम ने क़बीले और बिरादरी की बुनियाद पर बरतरी के तसव्वूर को ख़त्म कर दिया और ईमान व तक़वा को फ़ज़ीलत का मैयार क़रार दिया। नीज़ ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही कहा है।

﴾2﴿ بَاب لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

बाब : 2
कोई शख़्स अपने बाप या भाई वग़ैरह के जुर्म में नहीं पकड़ा जा सकता

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ - حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِي " ابْنُكَ

(4495) हज़रत अबू रिम्सा (रिफ़ाआ बिन यस्रिबी)(ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ नबी (ﷺ) के यहां हाज़िर हूआ। आपने मेरे वालिद से पूछा: 'ये तुम्हारा बेटा है?' (वालिद ने) कहा: हाँ, रब्बे काबा की क़सम! आपने फ़रमाया: 'सच'?

هَذَا " . قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ " حَقًّا " . قَالَ أَشْهَدُ بِهِ . قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلْفِ أَبِي عَلَيَّ . ثُمَّ قَالَ " أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ " . وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }

मेरे बाप ने कहा: मैं इसकी गवाही देता हूं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हँसते हूए तबस्सुम फ़रमाया, क्योंकि मेरी मुशाबिहत मेरे बाप में नुमायाँ थी और बाप ने मेरे बारे में क़सम खाई थी। फिर आपने फ़रमाया: 'ख़बरदार! न ये तेरे किसी क़सूर में पकड़ा जायेगा और न तू इसके बदले में।' फिर आपने ये आयत पढ़ी: (वला तज़िरू वाजिरतुन विज्रा उख़रा) 'कोई जान किसी जान का बोझ न उठायेगी।'

(4495) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4065 में देखें, नसाई, हदीस: 4836.

फ़ायदा : कोई मुजरिम जुर्म करके भाग जाये और हुकूमत उसको पकड़ न सके तो उसके वालिदैन या अज़ीज़ व अक़ारिब को पकड़ लेना सरीह ज़ुल्म है। मगर ये कि वह उसके जुर्म में शरीक हों या उसे भगाने या छुपाने वाले हों। और ये बात इस्लामी मुआशरे और इस्लामी क़ानून की है। जब लोग शरीयत के पाबन्द न हों तो शरीयत भी उनकी पाबंद नहीं हो सकती।

﴿3﴾ بابُ الإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ

बाब : 3
हाकिम या क़ाज़ी ख़ून माफ़ करने का कहे तो कैसा है?

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا

(4496) हज़रत अबू शुरैह ख़ुज़ाई रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी का कोई क़त्ल हो गया हो या उसका कोई अज़्व (हिस्सा) कट गया हो तो उसे तीन में से एक का इख़्तियार है: या तो क़िसास (बदला) ले या माफ़ कर दे या दियत ले ले, और जो कोई चौथी बात चाहे तो उसके हाथ पकड़ लो, और जो कोई इसके बाद ज़्यादती करे तो उसके लिये दर्दनाक अज़ाब है।'

أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ " .

(4496) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2623, मुसनद अहमद: 4/32.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ شَىْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

(4497) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) कहते हैं: मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जब भी कोई ऐसा मुक़द्दमा लाया जाता जिसमें क़िसास होता तो आप माफ़ करने का फ़रमाते।

(4497) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2692, नसाई, हदीस: 4787.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَلِيِّ " أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ " . قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ . قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ

(4498) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) के ज़माने में एक आदमी क़त्ल हो गया और उसका मुक़द्दमा नबी (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो आपने क़ातिल को मक़्तूल के वारिस के हवाले कर दिया। क़ातिल ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मैंने उसके क़त्ल का इरादा नहीं किया था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके वारिस से फ़रमाया: 'ख़बरदार! अगर ये सच्चा हूआ फिर तूने इसको क़त्ल कर दिया तो तू जहन्नम में जायेगा।' चुनांचे उसने उसको छोड़ दिया। रावी ने बताया कि वह क़ातिल चमड़े की एक लम्बी पट्टी से बँधा हूआ था, चुनांचे वह अपनी पट्टी को घसीटता हूआ चला गया और फिर उसका नाम ही 'ज़ुन्निस्आ' (पट्टी वाला) पड़ गया।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1407, नसाई, हदीस: 4726, इब्ने माजा, हदीस: 2690.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَتَقْتُلُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ بِهِ " . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَتَقْتُلُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ بِهِ " . فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ " أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ " . قَالَ فَعَفَا عَنْهُ . قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ .

(4499) हज़रत वाइल बिन हुज्र (﵁) का बयान है कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था कि एक क़ातिल लाया गया उसकी गर्दन में चमड़े की एक पट्टी (बंधी हूई) थी। आपने मक़्तूल के वली को बुलाया और उससे कहाः 'क्या तुम माफ़ करते हो?' उसने कहाः नहीं। आपने पूछाः 'क्या तुम दियत लेना क़बूल करते हो?' उसने कहाः नहीं। आपने पूछाः 'क्या क़त्ल करोगे?' उसने कहाः हाँ। आपने फ़रमायाः 'जाओ उसे ले जाओ।' पस जब उसने पुश्त फेरी तो आपने (फिर) पूछाः 'क्या माफ़ करते हो?' उसने कहाः नहीं। आपने फ़रमायाः 'क्या दियत लेते हो?' उसने कहाः नहीं। आपने कहाः 'क्या क़त्ल करोगे?' उसने कहाः हाँ। आपने फ़रमायाः 'जाओ ले जाओ।' फिर चौथी बार फ़रमायाः 'अगर तुम उसको माफ़ कर दो तो ये अपने और अपने मक़्तूल दोनों के गुनाह अपने सर लेगा।' रावी ने कहाः चुनांचे उसने उसको माफ़ कर दिया। वाइल कहते हैं कि मैंने क़ातिल को देखा कि वह अपनी पट्टी घसीटे जा रहा था।

(4499) तख़रीज : नसाई, हदीस़: 4728, व स़ही मुस्लिमः 1680.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर मुजरिम के भाग जाने का अन्देशा हो तो उसको बाँधना जायज़ है। **(2)** मक़्तूल के वली को तीन बातों में से सिर्फ़ एक का इख़्तियार है कि माफ़ कर दे या दियत क़बूल कर ले या क़िसास़ ले। **(3)** हाकिम और क़ाज़ी को जायज़ है कि माफ़ करने की तर्ग़ीब दे। **(4)** अगर क़ातिल क़िसास़ में क़त्ल किया जाये तो उम्मीद है कि ये उसके लिये कफ़्फ़ारा बन जायेगा। बसूरते दीगर उसका मामला अल्लाह के हाथ में है। (ख़त्ताबी)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

(4500) जनाब अ़ल्क़मा बिन वाइल ने ये रिवायत अपनी सनद से और ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी रिवायत की।

(4500) तख़रीज : नसाई, हदीस़: 5417. ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحَبَشِيٍّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي . قَالَ " كَيْفَ قَتَلْتَهُ " . قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ . قَالَ " هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ لِلرَّجُلِ " خُذْهُ " . فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ " . فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَ ذَا فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْسِلْهُ - وَقَالَ مَرَّةً دَعْهُ - يَبُوءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ

(4501) जनाब अ़ल्क़मा बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स एक हब्शी को पकड़े नबी (ﷺ) के पास आया और कहा: इसने मेरे भतीजे को क़त्ल कर डाला है। आपने पूछा: 'तूने उसको किस तरह क़त्ल किया था?' उसने बताया कि मैंने उसके सर पर कुल्हाड़ा मारा था, लेकिन उसे मेरा क़त्ल करने का इरादा नहीं था। आपने पूछा: 'क्या तेरे पास माल है कि तू उसकी दियत दे सके?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या अगर मैं तुझे छोड़ दूं, और तू लोगों से माँगे और उसकी दियत जमा कर ले (तो क्या ऐसे कर सकता है?)' उसने कहा: नहीं आपने पूछा: 'क्या तेरे मालिक (या तेरी क़ौम वाले) तुझे उसकी दियत दे सकते हैं?' उसने कहा: नहीं तो आपने मक़्तूल के वली से कहा: 'इसको पकड़ ले।' चुनांचे वह उसे क़त्ल करने के लिये ले चला, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! अगर उसने उसको क़त्ल कर दिया तो उसकी मानिन्द हो जायेगा।' तो वह (मक़्तूल का वली) क़ातिल को लेकर उसी जगह पहुँच गया जहां से उसने आपकी बात सुनी थी और बोला: लीजिये! ये रहा और जो चाहें इसके

فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " . قَالَ فَأَرْسَلَهُ

मुताल्लिक़ हुक्म फ़रमायें। रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसको छोड़ दो, ये अपने और अपने मक़्तूल के गुनाह अपने सर लेकर जहन्नमियों में से होगा।' हज़रत वाइल ने कहा: चुनांचे उसने उसको छोड़ दिया।

तख़रीज : **(सनद सही)** ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़त्ल की ये नोईयत 'ख़ता शिब्हुल अम्द' थी। और इसमें दियत आती है, क़िसास नहीं। **(2)** अगर क़ातिल या उसके औलिया दियत देने से क़ासिर हों तो इमाम (अमीर) क़ातिल को मक़्तूल के औलिया के हवाले कर सकता है। **(3)** मुसलमान का क़त्ल कबीरा गुनाह है और उसकी सज़ा अब्दी जहन्नम है। अल्लाह माफ़ फ़रमा दे तो अलग बात है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلاَمَ مَنْ عَلَى الْبَلاَطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا . قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ " . فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُّ وَلاَ

(4502) जनाब अबू उमामा बिन सहल बयान करते हैं कि हम सय्यदना उ़स्मान (رضي الله عنه) के यहां गये जबकि वह अपने घर में महसूर (घेराव बंदी में) थे। घर में एक ऐसी जगह थी कि जो वहां दाख़िल होता मक़ामे बलात पर बैठे लोगों की बातें सुन सकता था। चुनांचे हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) उस जगह में गये और फिर हमारे पास वापस आये तो उनका रंग उड़ा हूआ था। उन्होंने बताया कि (बलवाई) अब मुझे क़त्ल कर देने की धमकियाँ देने लगे हैं। हमने कहा: अमीरूल मोमिनीन! अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उनकी जानिब से आपकी किफ़ायत करेगा। उन्होंने कहा: ये मुझे क्यूँ क़त्ल करना चाहते हैं? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'किसी मुसलमान का ख़ून हलाल नहीं, सिवाए इसके कि उससे तीन बातों में से कोई एक सादिर हो: इस्लाम के बाद कुफ़्र, शादीशुदा होने के बाद ज़िना, या

أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ رضى الله عنهما تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

क़िसास के बग़ैर किसी को क़त्ल कर देना।' और अल्लाह की क़सम! मैंने कभी ज़िना नहीं किया, जाहिलीयत में न इस्लाम लाने के बाद। और जब से अल्लाह ने मुझे हिदायत नसीब फ़रमाई है मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा इस (इस्लाम) के बदले कोई और दीन होता, और मैंने किसी को क़त्ल भी नहीं किया है, तो फिर ये मेरे क़त्ल के दर पे क्यूँ हैं?

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सय्यदना उ़स्मान और सय्यदना अबूबक्र (ﷺ) ने दौरे जाहिलीयत ही से शराब छोड़ दी थी।

(4502) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 2158, नसाइ: 4024, इब्ने माजा: 2533, इब्ने जारूद: 836.

फ़ायदा : सय्यदना अबूबक्र और सय्यदना उ़स्मान (ﷺ) इस्लाम से पहले ही पाक तबीअ़त थे। इस्लाम ने उनकी सालहियत (पाक तबीअ़त) को और मज़बूत कर दिया था। (ﷺ)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ الضَّمْرِيَّ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيَّ، - وَهَذَا حَدِيثُ وَهْبٍ وَهُوَ أَتَمُّ - يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ - قَالَ

(4503) ज़ियाद बिन सअ़द बिन ज़ुमैरा सुलमी से मनक़ूल है और ये वहब बिन बयान की रिवायत है और ज़्यादा कामिल है। वह (ज़ियाद बिन सअ़द) उ़र्वा बिन ज़ुबैर से अपने वालिद के वास्ता से रिवायत बयान करते हैं... और मूसा बिन इस्माईल की सनद में है कि ज़ियाद ने अपने वालिद से और अपने दादा (ज़ुमैरा) से रिवायत किया और ये दोनों (सअ़द और ज़ुमैरा) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मारक–ए–हुनैन में हाज़िर थे हम वहब बिन बयान की तरफ़ लौटते हैं कि ... मुहल्लिम बिन जस्सामा लैसी ने क़बूले इस्लाम के बाद क़बील–ए–अश्जअ़ के एक आदमी को क़त्ल कर दिया। और ये दियत का पहला

مُوسَى - وَجَدِّهِ وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا - ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ وَهْبٍ - أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلاَمِ وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيَرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّمٍ لأَنَّهُ مِنْ خِنْدِفَ فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عُيَيْنَةُ أَلاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ " . فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاَ وَاللَّهِ حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحَزَنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي . قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عُيَيْنَةُ أَلاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ " . فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الإِسْلاَمِ مَثَلاً إِلاَّ غَنَمًا وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

मुक़द्दमा था जिसका रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया। चुनांचे उयय्ना ने मक़्तूल अश्जई के बारे में बात शूरू की क्योंकि उसका ताल्लूक़ क़बील–ए–ग़तफ़ान से था और अक़रअ़ बिन हाबिस ने मुहल्लिम की जानिब से बात की क्योंकि वह क़बील–ए–ख़िन्दिफ़ से था। इन लोगों की आवाज़ें ऊँची हो गईं और बहुत शौर व गुल और झगड़ा हूआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ उयय्ना! क्या तुम दियत क़बूल नहीं करते हो?' उयय्ना ने कहा: नहीं, अल्लाह की क़सम! जब तक मैं इसकी औरतों को भी वही दुख और अज़ियत न पहुँचा लूं जो इसने मेरी औरतों को पहुँचाया है। फिर आवाज़ें ऊँची हो गईं, बड़ा शौर गुल और झगड़ा हूआ, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: ऐ उयय्ना! क्या तुम दियत क़बूल नहीं करते हो?' तो उयय्ना ने पहले की तरह जवाब दिया। यहाँ तक कि बनू लैस़ का एक आदमी खड़ा हूआ जिसका नाम मुकैतिल था। वह हथियार बंद था और ढाल उसके हाथ में थी। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस वाक़िये में जो इब्तेदा–ए–इस्लाम में रूनुमा हूआ है, और कोई मिस़ाल नहीं मिलती कि घाट पर आती बकरियों में पहली को पत्थर मार दिया जाये तो आख़री भी भाग जाती है। और (दूसरी मिस़ाल) आज एक तरीक़ा इख़्तियार करो तो कल उसे बदल दो। तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पचास ऊँट तो फ़ौरी तौर पर अभी अदा हों

الله عليه وسلم " خَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَذَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ " . وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَقَتَلْتَهُ بِسِلاَحِكَ فِي غُرَّةِ الإِسْلاَمِ اللَّهُمَّ لاَ تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ " . بِصَوْتٍ عَالٍ زَادَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْغِيَرُ الدِّيَةُ.

और पचास जब हम मदीना लौटें।' और ये वाक़िया आपके सफ़र का है। (साहिबे मामला) मुहल्लिम एक लम्बे क़द गेहुँवां रंग वाला आदमी था, वह लोगों की एक जानिब में बैठा हूआ था। लोग इस हालत पर थे कि वह जगह बनाता हूआ रसूल (ﷺ) के सामने आ बैठा, जबकि उसकी आँखों से आँसू जारी थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से काम हो गया जिसकी आपको ख़बर मिली है, मैं अल्लाह के हुज़ूर तौबा करता हूं। अल्लाह के रसूल! मेरे लिए अल्लाह से इस्तेग़फ़ार फ़रमायें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने इस्लाम लाते ही अपने हथियार से क़त्ल कर डाला। ऐ अल्लाह! मुहल्लिम की बख़्शिश न फ़रमा।' ये आपने बलन्द आवाज़ से कहा। अबू सलमा ने मज़ीद कहा: फिर वह उठ खड़ा हूआ और अपनी चादर के पल्लू से अपने आँसू पोंछ रहा था।

इब्ने इस्हाक़ कहते हैं: उसकी क़ौम का ख़याल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बाद में उसके लिये इस्तेग़फ़ार फ़रमाया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नज़्र बिन शुमैल ने (अल्ग़ियर) का मफ़हूम 'दियत' बताया है।

(4503) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2625, इब्ने जारूद: 777, हाफ़िज़ अल इसाबा: 3/64.

फ़ायदा : ऊपर दी गई मिसालों से अपने मुख़ातब को अपने मतलब की बात पर लाने के लिये गुस्सा दिलाना मतलूब था। पहली मिसाल में ये है कि अगर आज इस पहले क़ातिल से क़िसास ले लिया जाये तो दूसरों को इबरत और नसीहत हो जायेगी। और कोई किसी को क़त्ल करने की जुर्अत नहीं करेगा। और अगर क़िसास न लिया जाये तो दूसरी मिसाल है कि ये बात हिक्मत के ख़िलाफ़ होगी कि 'आज एक उसूल बनायें और कल उसे बदल दें।' चाहिए कि अटल मौक़िफ़ अपनाया जाये।

बाब : 4
क़त्ले अम्द में मक़्तूल का वारिस अगर दियत लेने पर राज़ी हो, (तो दुरूस्त है)

﴿4﴾
باب وَلِيِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا " .

(4504) जनाब अबू शुरैह कअबी (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ बनू ख़ुज़ाआ! तुमने हुज़ैल का ये आदमी क़त्ल किया है, मैं उसकी दियत अदा करता हूं, मेरी इस बात के बाद जिस किसी का कोई आदमी क़त्ल किया गया तो उसके वारिसों को दो बातों में से एक का इख़्तियार होगा कि या तो दियत ले लें या (क़िसास में) क़त्ल करें।'

(4504) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 1406.

फ़ायदा : एक तीसरा इख़्तियार भी है कि 'माफ़ कर दें' जबकि कुछ फ़ुक़हा ने दियत लेने को भी माफ़ करने की एक सूरत बयान किया है।

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4505) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है कि जब मक्का फ़तह हूआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: 'जिस किसी का कोई आदमी क़त्ल किया गया हो तो उसे दो बातों में से एक का इख़्तियार है कि या तो दियत दिया जाये या क़िसास।' तब अहले यमन में से एक आदमी खड़ा हूआ उसका नाम अबू शाह था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ये

فَقَالَ " مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي - قَالَ الْعَبَّاسُ اكْتُبُوا لِي - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ " . وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

लिख दीजिये। (अब्बास बिन वलीद के अल्फ़ाज़ हैं ... उक्तुब ली) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबू शाह को लिख दो।' हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ अहमद बिन इब्राहीम के हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद नबी (ﷺ) के ख़ुत्बा का लिखना है।

(4505) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6880, व मुस्लिम: 1355.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़त्ले अ़म्द में क़ातिल से क़िसास़ होता है या फिर अगर मक़्तूल के वारिस़ रज़ामंद हों तो दियत भी ले सकते हैं। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में अहादीसे रसूल लिखी भी गई हैं। ताहम उनका दायरा बहुत महदूद था। और स़हाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) बजा तौर पर समझते और अक़ीदा रखते थे कि फ़रामीने रसूल (ﷺ) ही हमारे लिये मैयारे अ़मल हैं।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ"

(4506) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मोमिन को काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाये और जिसने किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल किया तो क़ातिल को मक़्तूल के वारिसों के हवाले किया जाये, वह चाहें तो उसे (क़िसास़ में) क़त्ल कर दें और अगर चाहें तो दियत ले लें।'

(4506) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1413, इब्ने माजा, हदीस़: 2659.

फ़ायदा : मोमिन को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता। ये मसला आगे हदीस: 4530 में आ रहा है।

बाब : 5
अगर कोई दियत लेने के बाद भी क़त्ल करे तो?

﴿5﴾ باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

(4507) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने दियत लेने के बाद क़त्ल किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/363.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، - وَأَحْسَبُهُ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ " .

फ़ायदा : ये बात वाज़ेह है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि वारिस़ पहले दियत क़बूल कर ले फिर मौक़ा पा कर क़ातिल को या किसी दूसरे को क़त्ल कर डाले। और अबू दाऊद तयालिसी की रिवायत ऊपर दी गई रिवायत की शाहिद और मोईद (ताईद करने वाली) है कि ऐसे मुजरिम से क़िसास़ लिया जायेगा। (औनूल माबूद)

बाब : 6
अगर कोई शख़्स़ किसी को ज़हर पिला या खिला दे और वह मर जाये तो क्या उससे क़िसास़ लिया जायेगा?

﴿6﴾ باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلاً سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيُقَادُ مِنْهُ

(4508) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक यहूदी औ़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ज़हर आलूद बकरी (का गोश्त) लाई तो आपने उससे खाया। फिर उस औ़रत को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया, आपने उससे उसके मुताल्लिक़

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً، يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله ﷺ

पूछा तो उसने कहा: मैंने आपको क़त्ल करना चाहा था। तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तुझे ये काम न करने देगा।' या फ़रमाया: 'अल्लाह तुझे मुझ पर मुसल्लत न होने देगा।' सहाबा ने कहा: क्या हम उसे क़त्ल न कर दें? आपने फ़रमाया: 'नहीं।' हज़रत अनस(ﷺ) कहते हैं कि मैं उस ज़हर का असर रसूलुल्लाह (ﷺ) के हल्क़ में कवे पर देखता रहा।

(4508) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2617, व सही मुस्लिम: 2190.

بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ . فَقَالَ " مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ " . أَوْ قَالَ " عَلَىَّ " . قَالَ فَقَالُوا أَلاَ نَقْتُلُهَا قَالَ " لاَ " . فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(4509) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक यहूदी औरत ने नबी (ﷺ) को ज़हर आलूद बकरी हदिया की। हज़रत अबू हुरैरह ने कहा: फिर नबी (ﷺ) ने उससे कोई तअर्रूज़ (पकड़–धकड़) नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये यहूदी औरत मरहब की बहन थी जिसने नबी (ﷺ) को ज़हर देने की कोशिश की थी।

(4509) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ - قَالَ هَارُونُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً - قَالَ - فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ أُخْتُ مَرْحَبٍ الْيَهُودِيَّةُ الَّتِي سَمَّتِ النَّبِيَّ ﷺ .

(4510) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते थे कि अहले ख़ैबर की एक यहूदी औरत ने एक बकरी को आग पर भून कर ज़हर आलूद किया और फिर उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) को हदिया दे दिया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दस्ती का हिस्सा लिया और खाने लगे और आपके साथ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً، مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ " . وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا " أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ " . قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ " أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدِي " . لِلذِّرَاعِ . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ " . قَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَرَحْنَا مِنْهُ . فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوُفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ مِنَ الأَنْصَارِ .

आपके सहाब-ए-किराम की एक जमाअत भी उससे खाने लगी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने हाथ खींच लो।' और उस औरत को बुलाया और उससे पूछा: 'क्या तूने इस बकरी को ज़हर आलूद किया है?' वह यहूदन बोली: आपको किसने बताया है? आपने फ़रमाया: 'मुझे इस दस्ती ने बताया है जो मेरे हाथ में है। औरत ने कहा: हाँ। आपने पूछा: 'तेरा इससे क्या इरादा था?' कहने लगी, मैंने कहा: अगर ये नबी हूआ तो इसे ये हरगिज़ नुक़सान नहीं देगी और अगर नबी न हूआ तो हम उससे राहत पा जायेंगे। तो रसूल (ﷺ) ने उसको माफ़ कर दिया और कोई सज़ा न दी। और आपके वह सहाबा जिन्होंने उस बकरी में से खाया था उनमें से एक (बशीर बिन बराअ बिन मअरूर) वफ़ात पा गये और (ख़ुद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके खाने की वजह से अपने कंधों के दरम्यान में पछने लगवाये। ये पछने आपको अबू हिन्द ने गाय के सींग और छुरी के साथ लगाये। और अबू हिन्द अन्सार के क़बीला बनी बयाज़ा का गुलाम था।

(4510) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/46 (तोहफ़तुल अशराफ़: 2/356)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً نَحْوَ حَدِيثِ

(4511) हज़रत अबू सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि ख़ैबर में एक यहूदी औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक भुनी हूई बकरी हदिया की ... और हज़रत जाबिर की रिवायत की मानिन्द रिवायत किया ... कहा कि फिर हज़रत बशीर बिन बराअ बिन मअरूर अन्सारी

جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ " مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ " . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ.

(इसकी वजह से) फ़ौत हो गये। तो आपने उस यहूदन को बुलवाया (और उससे पूछा:) 'तुझे इस काम पर किस चीज़ ने आमादा किया था?' ... तो हदीसे जाबिर की मानिन्द ज़िक्र किया ... तब रसूल (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया। और पछने लगवाने का मामला इसमें ज़िक्र नहीं किया।

(4511) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/46.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर कोई शख़्स किसी को ज़हर खिला कर मार डाले तो उससे क़िसास लिया जायेगा। (2) अहले किताब का खाना मुसलमानों के लिये हलाल है और इसी तरह उनसे हदिया भी लिया जा सकता है। (3) ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का मोज़िज़ा था कि गोश्त के एक टुकड़े ने अपने ज़हर आलूद होने की आपको ख़बर दे दी।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . زَادَ فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ

(4512) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हदिया क़बूल फ़रमा लेते थे और सदक़ा न खाया करते थे। हज़रत अबू सलमा से रिवायत है ... और अबू हुरैरह (ؓ) का वास्ता ज़िक्र नहीं किया ... कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हदिया क़बूल फ़रमा लेते और सदक़ा नहीं खाया करते थे। मज़ीद कहा कि एक यहूदी औरत ने ख़ैबर में आपको एक बकरी हदिया की जो भूनी गई थी और उसने उसे ज़हर आलूद कर दिया था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथ लोगों (सहाब-ए-किराम) ने भी उससे खाया। आपने फ़रमाया: 'अपने हाथ खींच लो, उसने मुझे बताया है कि ये ज़हर आलूद है।' फिर (इसकी वजह से) बशीर बिन बराअ बिन

فَقَالَ " ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ " . فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ " مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ " . قَالَتْ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ . فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَتْ ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ " مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي " .

मअ़रूर अन्सारी (ﷻ) फ़ौत हो गये। तो आपने उस यहूदन को बुलवाया (और पूछाः) 'तुझे इस कारिस्तानी (फ़रेबकारी) पर किस चीज़ ने आमादा किया था?' उसने कहाः अगर आप नबी हैं तो मेरे इस काम से आप का कोई नुक़सान नहीं होगा। और अगर आप बादशाह हैं तो मैं लोगों को आपसे राहत पहुँचा सकूंगी। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया। फिर आपने अपनी इस तकलीफ़ के मुताल्लिक़ बताया जिसमें आपकी वफ़ात हूई थीः 'मैं उन लुक़्मों की वजह से जो मैंने ख़ैबर में खाये थे हमेशा तकलीफ़ में रहा हूं, और अब ये वक़्त आ गया है कि उसने मेरी शाहे रग काट दी है।'

(4512) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/262, मुसनद अहमद: 2/359.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़हर आलूद बकरी खिलाने वाली औरत की बाबत दो तरह की रिवायतें इस बाब में आई हैं। कुछ रिवायात में आया है कि नबी (ﷺ) ने उसे माफ़ कर दिया और कुछ में है कि उसे क़िसासन क़त्ल कर दिया गया। मौलाना सफ़ीउर्रहमान मुबारक पूरी (रह.) मिन्नतुल मुन्इम शरह सही मुस्लिम में इसकी बाबत यूँ रक़म तराज़ (लिखते) हैं कि नबी (ﷺ) ने उस औरत को पहले माफ़ कर दिया था लेकिन जब आपके साथ खाने में शरीक हज़रत बशीर बिन बराअ (ﷻ) इस ज़हर की वजह से शहीद हो गये तो फिर बाद में आपने उस औरत को क़िसास में क़त्ल कर दिया। देखियेः (सही मुस्लिमः 1450) **(2)** सदक़े के मुताल्लिक़ फ़रमाया गया है कि ये लोगों के मालों की मैल होता है जो नबी (ﷺ) और आपकी आल के लिये हलाल न था। ऐसे ही मारूफ़ मुस्तहिक़्क़ीन (हक़दारों) के अलावा मालदारों को भी सदक़ा लेना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के वक़्त ज़हर ख़ूरानी का असर लौट कर आया था, इस तरह आप दर्जा–ए–शहादत पर फ़ाइज़ हूए। **(3)** ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़तअन ग़ैब नहीं जानते थे और न आप (ﷺ) के सहाब–ए किराम (ﷻ) ही को इल्मे ग़ैब था। अगर उनको ये इल्म होता कि जो गोश्त वह खा रहे हैं ज़हर आलूद है तो वह हरगिज़ हरगिज़ उसे न खाते। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا يُتَّهَمُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي لاَ أَتَّهِمُ بِابْنِي شَيْئًا إِلاَّ الشَّاةَ الْمَسْمُومَةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ . وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَأَنَا لاَ أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلاَّ ذَلِكَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلاً عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً مُرْسَلاً فَيَكْتُبُونَهُ وَيُحَدِّثُهُمْ مَرَّةً بِهِ فَيُسْنِدُهُ فَيَكْتُبُونَهُ وَكُلٌّ صَحِيحٌ عِنْدَنَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَلَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَرٌ أَحَادِيثَ كَانَ يُوقِفُهَا .

(4513) जनाब अ़ब्दुर्रहमान अपने वालिद हज़रत कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि जिस बीमारी में रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हूई इन दोनों में उम्मे मुबश्शिर (जौज–ए ज़ैद बिन हारिसा) ने नबी (ﷺ) से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्या गुमान करते हैं? मैं अपने बेटे के मुताल्लिक़ यही समझती हूं कि वह ज़हर आलूद बकरी जो उसने आपके साथ ख़ैबर में खाई थी वह उसी से मुतास्सिर हूआ था। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मुझे भी अपने मुताल्लिक़ उसी का गुमान है और ये वक़्त आ गया है कि मेरी शाहे रगें कट रही हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ (रह.) ने ये रिवायत कई बार बसनद मअ़मर बवास्ता ज़ोहरी, नबी (ﷺ) से मुर्सल, और कई बार ज़ोहरी अ़न अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब बिन मालिक के वास्ते से मौसूल रिवायत की है। अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने कहा कि मअ़मर जब ये रिवायत मुर्सल बयान करते तो हम उसी तरह लिख लेते थे और जब मुसनद रिवायत करते तो हम उसी तरह लिख लेते और हमारे नज़दीक ये सब सही हैं। अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बताया कि जब इब्ने मुबारक मअ़मर के यहां गये तो उन्होंने वह तमाम अहादीस़ जो वह मौक़ूफ़ बयान किया करते थे इब्ने मुबारक को मुसनद रिवायत कीं।

(4513) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ، - قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ كَذَا قَالَ عَنْ أُمِّهِ، وَالصَّوَابُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، - دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ " مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ " . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحِجَامَةَ.

(4514) हज़रत उम्मे मुबश्शिर (ﷺ) से रिवायत है कि वह नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूईं और मख़्लद बिन ख़ालिद (की ऊपर दी गई रिवायत) के हम मानी बयान किया। जैसे कि हदीसे जाबिर में आया है... उन्होंने कहा कि फिर हज़रत बशीर बिन बराअ बिन मअरूर (ﷺ) वफ़ात पा गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस यहूदी औरत को बुलवाया और उससे पूछा कि तुझे इस कारिस्तानी पर किस चीज़ ने आमादा किया? ...और हदीसे जाबिर की मानिन्द रिवायत किया। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक हुक्म दिया और उसे क़त्ल कर दिया गया और पछने लगवाने का ज़िक्र नहीं किया।

(4514) तख़रीज : (सनद सही)

﴿7﴾ بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقَادُ مِنْهُ

बाब : 7
अगर कोई अपने गुलाम को क़त्ल कर दे या उसका कान, नाक वग़ैरह काट डाले तो क्या उससे क़िसास लिया जायेगा?

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ

(4515) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल करेगा हम उसे क़त्ल करेंगे और जो अपने गुलाम की नाक काटेगा हम उसकी नाक काटेंगे।'

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ "

(4515) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1414, इब्ने माजा, हदीस़: 2663, नसाई, हदीस़: 4740, 4742, तिर्मिज़ी: 984, हाकिम: 4/367.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ " . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَحَمَّادٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذٍ .

(4516) जनाब क़तादा (रह.) ने अपनी सनद से ऊपर दी गई रिवायत की मिस्ल (तरह) रिवायत किया। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अपने गुलाम को ख़स्सी किया हम उसे ख़स्सी कर देंगे।' और फिर शोबा और हम्माद की हदीस़ की मिस्ल रिवायत किया। (यानी जो ऊपर बयान हुई है)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इसे अबू दाऊद तयालिसी ने बवास्ता हिशाम रिवायत किया और हदीसे मुआज़ की तरह बयान किया।

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : कुछ अइम्मा के नज़दीक ऊपर दी गई दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं। इसलिए बाद की रिवायात सही हैं और मसला वही है जो इनसे साबित हो रहा है कि गुलाम के बदले में मालिक को क़िसासन क़त्ल नहीं किया जायेगा। लेकिन जिनके नज़दीक ऊपर दी गई रिवायात सही या हसन हैं, उनके नज़दीक इसका मतलब सिर्फ़ ज़ज्रो तौबीख़ और तम्बीह है न कि क़िसास लिया जाना, या फिर ये रिवायात मन्सूख़ हैं। (औनूल माबूद)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ زَادَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ " لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ " .

(4517) जनाब क़तादा ने बसनद शोबा ऊपर दी गई रिवायत की मिस्ल रिवायत किया। मज़ीद कहा कि फिर हसन ये हदीस़ भूल गये और कहा करते थे कि किसी आज़ाद को किसी गुलाम के बदले में क़त्ल नहीं किया जायेगा।

(4517) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

(4518) हिशाम ने बवास्ता क़तादा, हसन से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि आज़ाद से गुलाम का क़िसास़ नहीं लिया जाता।

तख़रीज:(सनद हसन) साबिका हदीस़ 4517 देखें।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ لاَ يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ .

(4519) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी चिल्लाता हूआ नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: उसकी लौण्डी थी, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'अफ़सोस तुझ पर, तुझे क्या हूआ है?' उसने कहा: बहुत बुरा हूआ है। मैंने अपने मालिक की लौण्डी को देख लिया, तो उसे ग़ैरत आई और फिर उसने मेरा ज़कर (शर्मगाह) काट डाला है। रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस आदमी को मेरे पास लाओ।' उसे ढूँढा गया मगर न ला सके। तो आपने गुलाम से फ़रमाया: 'जाओ तुम आज़ाद हो।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (अगर वह मुझे दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश करे तो) मेरी मदद कौन करेगा? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर मुसलमान।' या फ़रमाया: 'हर मोमिन।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि आज़ाद किये जाने वाले का नाम रोह बिन दीनार था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: जिसने उसका ज़कर (शर्मगाह) काटा उसका नाम ज़िन्बा था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये ज़िन्बा अबू रोह है। ये इस गुलाम (रोह बिन दीनार) का आक़ा था।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2680.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " وَيْحَكَ مَا لَكَ " . قَالَ شَرًّا أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ فَغَارَ فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَىَّ بِالرَّجُلِ " . فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي قَالَ " عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ " . أَوْ قَالَ " كُلِّ مُسْلِمٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي عُتِقَ كَانَ اسْمُهُ رَوْحُ بْنُ دِينَارٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي جَبَّهُ زِنْبَاعٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا زِنْبَاعٌ أَبُو رَوْحٍ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ.

फ़ायदा : अगर कोई मालिक अपने गुलाम पर ज़ुल्म करे और उसके अज़्ज़ा (जिस्म का कोई हिस्सा) काट डाले तो गुलाम आज़ाद कर दिया जायेगा। और मालिक से क़िसास लेने में फ़ुक़हा का इख़्तिलाफ़ है। जैसा कि उसकी मुख़्तसर तफ़्सील गुज़री।

बाब : 8
क़सामा का बयान

﴿8﴾ باب الْقَسَامَةِ

फ़ायदा : 'क़सामा' क़सम से माख़ूज़ है और तकरार के साथ क़समें उठाने के मानी में है। इसकी तफ़्सील ये है कि जब कहीं कोई क़त्ल हो जाये और उसके क़ातिल का इल्म न हो और न कोई गवाही मौजूद हो मगर मक़्तूल के वारिस़ किसी शख़्स़ या अश्ख़ास़ पर क़त्ल का दावा रखते हों और उसके कुछ सुराग भी मौजूद हों मस़लन उन लोगों के बीच दुशमनी हो या उनके इलाक़े में क़त्ल हूआ हो या किसी के पास से मक़्तूल का सामान मिले या इस क़िस्म की दीगर अ़लामात मौजूद हों तो दावेदार लोग पहले पचास क़समें खायेंगे कि फ़ुलां शख़्स़ या अफ़राद हमारे आदमी के क़ातिल हैं। इस तरह उनका दावा स़ाबित होगा। अगर दावेदार लोग क़समें न खायें तो जिस पर दावा किया गया हो पचास क़समें खा कर बरी हो जायेंगे। अगर मामला वाज़ेह न हो सके, तो बैतुल माल से उस मक़्तूल की दियत अदा की जायेगी।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ

(4520) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा और राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि मुहय्यिसा बिन मसऊद और अ़ब्दुल्लाह बिन सहल ख़ैबर की जानिब रवाना हूए और खजूरों के बाग़ात में जुदा जुदा हो गये। पस अ़ब्दुल्लाह बिन सहल को क़त्ल कर दिया गया। सो उन्होंने (वहाँ के) यहूदीयों पर इल्ज़ाम लगाया। फिर उस (मक़्तूल) का भाई अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल और इसके चचाज़ाद हुवय्यिसा और मुहय्यिसा नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हूए। अ़ब्दुर्रहमान अपने भाई के मामले में बात करने लगा जबकि वह उन सबसे छोटा था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को बात करने दो।' या फ़रमाया: 'पहले बड़ा बात शूरू करे।' फिर उन

وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْكُبْرَ الْكُبْرَ " . أَوْ قَالَ " لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ " . فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ " . قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ . قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ . قَالَ قَالَ سَهْلٌ دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا . قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ " وَلَمْ يَذْكُرْ بِشْرٌ دَمًا وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ " تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ " . وَلَمْ يَذْكُرِ الاِسْتِحْقَاقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

दोनों ने अपने भाई के बारे में बात की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से पचास आदमी उनके किसी के ख़िलाफ़ पचास क़समें खाईं तो उस मुल्ज़िम की रस्सी तुम्हारे हवाले कर दी जायेगी।' उन्होंने कहा: ये ऐसा मामला है जो हमने अपनी आँखों से नहीं देखा तो हम क़समें कैसे खायें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें देकर तुमसे बरी हो जायेंगे।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये काफ़िर लोग हैं। (इनकी क़समों का क्या ऐतबार?) अलग़र्ज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तरफ़ से उसकी दियत अदा फ़रमाई। सहल कहते हैं: मैं एक दिन उनके बाड़े में चला गया तो उन ऊँटनियों में से एक ने मुझे लात दे मारी। हम्माद बिन ज़ैद ने यही या उसके क़रीब क़रीब बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को बशीर बिन मुफ़ज़्ज़ल और मालिक ने यहया बिन सईद से नक़ल किया और कहा: 'क्या तुम लोग पचास क़समें खाओगे कि अपने अज़ीज़ के ख़ून के हक़दार बन सको? या क़ातिल के हक़दार बन सको?' बशीर ने 'ख़ून के हक़दार बनने' का ज़िक्र नहीं किया। और अब्दा ने बवास्ता यहया वही कहा है जैसे कि हम्माद ने कहा। और इब्ने उयय्ना की रिवायत जो यहया से है इसमें उसने इब्तेदाई तौर पर यूँ कहा है: 'यहूदी पचास क़समें खा कर तुमसे बरी हो जायेंगे।' और 'हक़दार बनने' का ज़िक्र नहीं किया।

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये इब्ने उयय्ना का वहम है।

तख़रीज : बुख़ारी: 6143, व सही मुस्लिम: 1669

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ، وَرِجَالٌ، مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ . قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرْ كَبِّرْ " . يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ " . فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4521) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (ﷺ) और उनकी क़ौम के बड़ों ने ख़बर दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा लोगों को माली मुश्किलात का सामना था तो वह दोनों (मेहनत मज़ूदरी की तलाश में) ख़ैबर की तरफ़ निकल गये। फिर मुहय्यिसा को ख़बर दी गई कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल को क़त्ल करके एक कूएँ या चश्मे में फैंक दिया गया है। तो वह यहूदीयों के पास गया और कहा: अल्लाह की क़सम! तुम लोगों ही ने उसको क़त्ल किया है। उन्होंने जवाब दिया: अल्लाह की क़सम! हमने उसको क़त्ल नहीं किया। फिर वह चला आया और अपनी क़ौम के पास पहुँचा और उनको सब बताया। तो वह और उसका बड़ा भाई हुवय्यिसा और अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल (रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में) हाज़िर हूए। तो मुहय्यिसा बात करने लगा ... और यही था जो ख़ैबर में गया था ... तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े का ख़याल करो। 'यानी जो उ़मर में बड़ा है। फिर हुवय्यिसा ने बात की। फिर मुहय्यिसा ने की। तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह लोग तुम्हारे आदमी की या तो दियत देंगे वरना जंग के लिये तैयार रहें।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें ये तफ़्सील लिख भेजी। उन्होंने जवाबन लिखा: अल्लाह की क़सम! हमने उसे क़त्ल नहीं किया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुवय्यिसा, मुहय्यिसा और अ़ब्दुर्रहमान से फ़रमाया: 'क्या तुम लोग क़समें खाओगे कि अपने

" لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ " . قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ . قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ .

आदमी के ख़ून के हक़दार बन सको।' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम्हारे मुक़ाबले में यहूदी क़समें खायेंगे।' उन लोगों ने कहा: वह तो मुसलमान नहीं हैं। (यानी उनकी क़समों का क्योंकर ऐतबार करें?) चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तरफ़ से उसकी दियत अदा फ़रमाई और सौ ऊँटनियाँ उनकी तरफ़ भेज दीं यहाँ तक कि उनके अहाते में दाख़िल कर दी गईं। सहल कहते हैं कि उनमें से एक सुर्ख़ ऊँटनी ने मुझे लात दे मारी थी।

(4521) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/877, 878, पिछली हदीस को देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़त्ल या दीगर उमूर में दूसरा फ़रीक़ के लिये कुफ़्फ़ार से भी क़समें ली जायें। अल्लाह के नाम की क़समें शर्त ये है कि दूसरा फ़रीक़ उनका ऐतबार करे। **(2)** हुकूमते इस्लामिया में किसी भी शख़्स का ख़ून ज़ाया नहीं किया जा सकता। **(3)** अगर मुद्दआ अलैह (विपक्ष) मुतअय्यन न हो सके और मामला शक के दायरे में हो तो बैतुल माल से दियत अदा की जायेगी। **(4)** कुफ़्फ़ार के यहां मेहनत मज़दूरी और मुलाज़मत करने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि इंसान अपना दीने इस्लाम महफ़ूज़ (सुरक्षित) रख सके। **(5)** मज्लिस में बात पेश करनी हो तो छोटे को चाहिए कि बड़े का अदब करते हुए पहले उसे बात करने दे। **(6)** क़सामत से क़त्ल का दावा साबित हो जाने की सूरत में मुद्दआ अलैह (विपक्ष) को क़िसास में क़त्ल करने में फ़ुक़हा का इख़्तिलाफ़ है। अलबत्ता दियत लाज़िम होने पर इत्तेफ़ाक़ है।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

(4522) जनाब अम्र बिन शुऐब रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू नस्र बिन मालिक के एक आदमी को क़सामत के फ़ैसले की बिना पर (क़िसास में) क़त्ल किया था। ये क़बीला (ताइफ़ के मज़ाफ़ात में) लिया शहर के किनारे बहर–ए–रूग़ा के

صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ . وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بِبَحْرَةٍ أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ .

मक़ाम पर सकूनत पज़ीर था। रावी ने कहा कि क़ातिल और मक़्तूल उनमें से थे। ये अल्फ़ाज़ महमूद बिन ख़ालिद के हैं। जिसने वज़ाहत से 'बहर–ए–रूग़ा' और 'शत्तेलिया' के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं।

(4522) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/127, मरासीले अबू दाऊद, हदीस: 270.

﴿9﴾ باب فِي تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

बाब : 9
क़सामत की वजह से क़िसास न लेने का बयान

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً . فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ لَهُمْ " تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا " . قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ . قَالَ " فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ " . قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ

(4523) जनाब सहल बिन अबू हस्मा (ﷺ) ने बयान किया कि उनकी क़ौम के कुछ लोग ख़ैबर गये और वहां जाकर अलग अलग हो गये। फिर उन्होंने अपने में से एक को पाया कि उसे क़त्ल कर दिया गया था, तो उन्होंने वहां के लोगों से कहा जहां क़त्ल हूआ था कि तुम ने हमारे साथी को क़त्ल किया है। उन्होंने कहा: हमने उसको क़त्ल नहीं किया और न हमें इसके क़ातिल की ख़बर है। चुनांचे हम अल्लाह के नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आ गये। तो आपने फ़रमाया: 'तुम लोग उसके क़ातिल के मुताल्लिक़ गवाह पेश करो।' उन्होंने कहा: हमारे पास कोई गवाह नहीं है। आपने फ़रमाया: 'तब वह तुम्हारे जवाब में क़समें खायेंगे?' उन्होंने कहा: हम यहूदीयों की क़समों पर राज़ी नहीं हैं। तब रसूल (ﷺ) ने

الْيَهُودِ . فَكَرِهَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

नापसन्द किया कि उस मक़्तूल का ख़ून ज़ाया जाये तो सदक़ा के ऊँटों में से उसकी दियत सौ ऊँटनियाँ अदा फ़रमा दी।

(4523) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6898, व सही मुस्लिम: 1669.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا . قَالَ " فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ " . فَأَبَوْا فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ .

(4524) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने बयान किया कि अन्सारियों का एक आदमी ख़ैबर में क़त्ल हो गया। तो उसके वारिस नबी (ﷺ) के यहां गये और उस मक़्तूल का ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास दो गवाह हैं जो तुम्हारे इस साथी के क़त्ल के मुताल्लिक़ गवाही दें?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वहां मुसलमानों में से कोई भी न था, और वह लोग यहूदी हैं, वह इससे भी बड़ी बातों की जुर्अत (हिम्मत) कर सकते हैं। आपने फ़रमाया: 'तो उनमें से पचास आदमियों को मुन्तख़ब कर लो और उनसे क़समें ले लो।' मगर उन्होंने इंकार कर दिया। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तरफ़ से उसकी दियत अदा फ़रमाई।

(4524) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 4/277, हदीस: 4413.

फ़ायदा : सही और राजेह ये है कि पहले मुद्दई (दावेदार) लोगों में से पचास आदमी क़समें खा कर अपना दावा साबित करेंगे। तब फ़रीक़े मुख़ालिफ़ से क़समें वग़ैरह ली जायेंगी।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ،

(4525) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन बुजैद (ﷺ) ने कहा: अल्लाह की क़सम! बेशक सहल को इस हदीस (के बयान करने) में वहम हूआ है। रसूल (ﷺ) ने यहूद को ये लिखा

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، قَالَ إِنَّ سَهْلاً وَاللَّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى يَهُودَ " أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ " . فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً . قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ.

था कि बिलाशुब्हा तुममें मक़्तूल पाया गया है, लिहाज़ा इसकी दियत अदा करो। तो उन्होंने लिखा और (अपनी तहरीर में) अल्लाह के नाम की पचास क़समें खाईं कि हमने उसको क़त्ल नहीं किया और न हमें क़ातिल का कोई इल्म है। उन्होंने कहा: पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दियत एक सौ ऊँटनियाँ अपनी तरफ़ से अदा फ़रमा दी।

(4525) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ، مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ " يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً " . فَأَبَوْا فَقَالَ لِلأَنْصَارِ " اسْتَحِقُّوا " . قَالُوا نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةً عَلَى يَهُودَ لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ .

(4526) जनाब अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान और सलमान बिन यसार, अन्सार के कई लोगों से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने यहूदियों से कहा... और उन ही से इब्तेदा की ... 'तुममें से पचास आदमी क़समें खायें।' मगर उन्होंने इंकार कर दिया। तो आप (ﷺ) ने अन्सारियों से कहा कि अपना हक़ (क़समें खा कर) साबित करो। तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम अन देखी बात पर कैसे क़समें खायें? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दियत यहूदियों पर डाल दी क्योंकि वह मक़्तूल उन्ही के यहां पाया गया था।

(4526) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 8/121.

मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है। उस मक़्तूल की दियत रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल माल से अदा फ़रमाई थी। जैसे कि गुज़िश्ता अहादीस में बयान हूआ है।

बाब : 10
क़ातिल से क़िसास़ लेने का बयान

﴿10﴾
باب يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

फ़ायदा : इस्लाम में और साबिक़ा मिल्लतों में भी ये अम्र मुसल्लम है कि अगर कहीं किसी से क़त्ले अ़म्द जैसा बड़ा और संगीन जुर्म सरज़द हो जाये तो उसमें क़िसास़ यानी बदला लाज़िम आता है। सिवाए इसके कि मक़्तूल के वारिस़ बिल्कुल माफ़ कर दें या माल की सूरत में ख़ून बहा लेना क़बूल कर लें। क़ुर्आन मजीद में इरशादे बारी तआ़ला है: 'जान के बदले जान है।' (अल मायदा: 45), 'ऐ ईमान वालो! तुम पर मक़्तूल का क़िसास़ लेना फ़र्ज़ किया गया है।' (अलबक़र: 178), 'अ़क़्लमंदों! क़िसास़ में तुम्हारे लिये ज़िन्दगी है।' (अलबक़र: 179)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارِيَةً، وُجِدَتْ، قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .

(4527) सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक लड़की पाई गई कि उसका सर दो पत्थरों में रख कर कुचल दिया गया था (और अभी उसमें ज़िन्दगी की रमक़ बाक़ी थी) तो उससे पूछा गया: ये तेरे साथ किसने किया है? क्या फुलाँ ने? क्या फुलां ने? यहां तक कि एक यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने सर से इशारा किया। (हाँ) तो उस यहूदी को पकड़ा गया और फिर उसने ऐतराफ़ कर लिया तो नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया कि इसका सर भी पत्थरों से कुचला जाये।

तख़रीज : बुख़ारी: 2746, व सही मुस्लिम: 1672

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا، قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ

(4528) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक यहूदी ने एक अन्सारी लड़की को क़त्ल कर दिया जो कुछ ज़ेवर पहने हूए थी, और फिर एक कूएँ में फैंक दिया और उसका सर पत्थर से कुचल दिया। फिर उसे पकड़

عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ .

लिया गया तो उसे नबी (ﷺ) के पास लाया गया तो आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया कि उसे संगसार किया जाये यहाँ तक कि मर जाये। चुनांचे उसे संगसार किया गया, यहां तक कि वह मर गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को इब्ने जुरैज ने अय्यूब से इसी की मानिन्द रिवायत किया है।

तख़रीज : सही मुस्लिम, पिछली हदीस में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस में रज्म (संगसार) का मफ़हूम दीगर रिवायात की रोशनी में ये है कि क़िसास में मुजरिम का सर पत्थरों में रख कर कुचला गया था।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً، كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَخَ رَأْسَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا " مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ " . فَقَالَتْ لاَ . بِرَأْسِهَا . قَالَ " مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ " . قَالَتْ لاَ . بِرَأْسِهَا . قَالَ " فُلاَنٌ قَتَلَكِ " . قَالَتْ نَعَمْ . بِرَأْسِهَا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

(4529) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक लड़की अपने चाँदी के ज़ेवर पहने हूए थी कि एक यहूदी ने पत्थर से उसका सर कुचल दिया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस लड़की के पास आये जब कि (अभी) उसमें ज़िन्दगी की रमक़ बाक़ी थी। आप (ﷺ) ने उससे पूछा: 'तुझे किसने क़त्ल किया है? क्या फुलां ने क़त्ल किया है?' उसने अपने सर से इशारा किया: नहीं। आपने पूछा: 'तुझे किसने क़त्ल किया है, क्या फ़लां ने क़त्ल किया है?' उसने अपने सर से इशारा किया: नहीं। आपने पूछा: 'क्या फुलां ने तुझे क़त्ल किया है?' उसने अपने सर से इशारा किया: हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे दो पत्थरों में रख कर क़त्ल किया गया।

तख़रीज : बुख़ारी 6877, व सही मुस्लिम: 1672.

फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि क़िसास़ में क़ातिल ही को क़त्ल किया जायेगा, चाहे वह किसी मर्द का क़ातिल हो या औरत का यहां औरत के क़िसास़ में मर्द को क़त्ल किया गया, क्योंकि वह उस औरत का क़ातिल था।

बाब : 11
क्या मुसलमान को काफ़िर के बदले में क़त्ल किया जायेगा?

﴿11﴾
باب أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

(4530) हज़रत क़ैस बिन अब्बाद से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैं और अश्तर हज़रत अली(ﷺ) के यहां गये और उनसे पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको कोई ख़ास़ वसीयत फ़रमाई है जो आम लोगों से न कही हो? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। सिवाए इसके जो मेरे पास इस मक्तूब में है... मुसद्दद कहते हैं कि फिर उन्होंने वह तहरीर निकाली। अहमद बिन हम्बल ने कहा: उन्होंने अपनी तलवार की मियान में से वह तहरीर निकाली ... तो उसमें था: 'तमाम अहले ईमान के ख़ून बराबर हैं और वह अपने अलावा के मुक़ाबले में एक हाथ हैं (एक दूसरे की मदद करने के पाबंद हैं।) उनके ज़िम्मे और अमान का उनका अदना से अदना आदमी भी पाबंद है। ख़बरदार! किसी मोमिन को किसी काफ़िर के बदले में और किसी अमान वाले को उसके अय्यामे अमान में क़त्ल न किया जाये, जिसने दीन में कोई नया काम किया (बिदअ़त इजाद की) तो उसका वबाल

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا - قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ - فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " . قَالَ

مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا .

उसकी अपनी जान पर है, जिसने कोई बिदअत इजाद की या किसी बिदअती को जगह दी तो उस पर अल्लाह की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो।'

मुसद्द ने बवास्ता, इब्ने अबू अरूबा (यूँ) रिवायत किया: फिर हज़रत अली (ﷺ) ने वह तहरीर निकाली।

(4530) तख़रीज : (सनद सही) नसाई: 4738, मुसनद अहमद: 1/122, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1699.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अली (ﷺ) के लिये कोई ख़ास इन्फ़ेरादी वसीयत नहीं की गई थी, उसकी कोई ज़रूरत थी न उसका कोई सुबूत ही है। बख़िलाफ़ इस दावा के जिसके रवाफ़िज़ मुद्दई हैं। रवाफ़िज़ का दावा सरासर ग़लत और बे असल है। **(2)** किसी मुसलमान अरबी, अजमी या काले गोरे को किसी दूसरे मुसलमान पर कोई फ़ज़ीलत नहीं। ख़ून सब के बराबर हैं, सिर्फ़ तक़्वे की बिना पर फ़ज़ीलत हासिल है, मगर उसका इल्म और फ़ैसला अल्लाह के पास महफ़ूज़ है। **(3)** काफ़िर के मुक़ाबले में मुसलमान की मदद करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है बशर्ते कि वह हक़ पर हो। **(4)** किसी मुसलमान को काफ़िर के बदले में क़त्ल नहीं किया जा सकता, अलबत्ता दियत ज़रूर दी जायेगी। **(5)** दीन में बिदअत (नई ईजाद) की क़तअन कोई गुंजाइश नहीं। दीन हर ऐतबार से कामिल और मुकम्मल है। बिदअती आदमी अल्लाह की मख़्लूक़ में मलऊन है। ऐसे आदमी को इज़्ज़त देना हराम है। मामलात की दुनिया में मुरव्वत और रवा दारी एक अलग मसला है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيٍّ زَادَ فِيهِ " وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ

(4531) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया ... और ऊपर दी गई रिवायत अली की मानिन्द ज़िक्र किया। इसमें इज़ाफ़ा है: 'उनका (मुसलमानों का) बईद तरीन फ़र्द भी अमान दे सकता है। और उनका तनोमंद (मज़बूत) और क़वी रफ़्तार अपने ज़ईफ़ और सुस्त रफ़्तार को भी साथ मिलाये (माले ग़नीमत में उसको शरीक करे)

وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ " .

और छोटे दस्ते में जाने वाला बड़े लश्कर में रह जाने वालों को भी शरीक समझे।'

(4531) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2751 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 2685.

फ़ायदा : आख़री जुम्ले का मतलब ये है कि जिहाद में शरीक होने वाले तमाम मुजाहिद माले ग़नीमत में हिस्सेदार होंगे, यहाँ तक कि अगर एक छोटा दस्ता, बड़े लश्कर से अलग होकर कोई जिहाद मारका सर करे और वहां से माले ग़नीमत हासिल करे, तो उसमें बड़े लश्कर वाले भी, जो अपने अमीर के साथ बैठे रहे, शरीक होंगे।

﴾12﴿
بَابٌ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ

बाब : 12
अगर कोई शख़्स किसी ग़ैर को अपनी बीवी के पास पाये तो क्या उसे क़त्ल कर दे?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ " . قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ " إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدٌ " .

(4532) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत सअ़द बिन उ़बादा (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी ग़ैर मर्द को देखे तो क्या उसे क़त्ल कर डाले? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं।' हज़रत सअ़द(ﷺ) बोले: क्यों नहीं, क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ इज़्ज़त दी! नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने सरदार की बात सुनो, क्या कह रहा है।'

अ़ब्दुल वह्हाब की रिवायत में है: 'सुनो सअ़द क्या कह रहा है।' (यानी बहुत ही ग़ैरतमंद है।)

(4532) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1498.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ " نَعَمْ " .

(4533) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत सअ़द बिन उ़बादा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: फ़रमाइये कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी ग़ैर आदमी को पाऊं तो क्या उसे छोड़ दूं यहाँ तक कि चार गवाह लाऊं? आपने फ़रमाया: 'हाँ।'

तख़रीज : मौता: 2/737, व सही मुस्लिम: 1498

फ़वाइद व मसाइल : (1) दूसरी अहादीस़ में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'देखो सअ़द किस क़द्र ग़ैरतमंद है और मैं उससे ज़्यादा ग़ैरतमंद हूं और अल्लाह सबसे बढ़ कर ग़ैरत वाला है। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 5220, व स़ही मुस्लिम) **(2)** इस हदीस़ में ये बयान हूआ है कि स़ाहिबे ईमान को अल्लाह की हुदूद पर ठहरने वाला होना चाहिए न कि उनसे तजावुज़ करने वाला। इस्लाम में इंसानी जान की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस क़िस्म के हादसे में भी किसी को क़त्ल करने की इजाज़त नहीं। बल्कि चार गवाह हों या इक़रार हो तब रज्म होगा। अगर गवाह हों, न औरत का इक़रार बल्कि सिर्फ़ ख़ाविन्द का दावा हो तो इस सूरत में रज्म नहीं होगा, बल्कि लिआ़न होगा।

﴿13﴾ بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَأً

बाब : 13
अनजाने तौर पर अगर किसी आ़मिल से कोई शख़्स ज़ख़्मी हो जाये तो!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو

(4534) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा(ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा(ﷺ) को ज़कात का आ़मिल बनाकर भेजा। स़दक़े (के हिसाब) में उनका एक आदमी से झगड़ा हो गया तो अबू जहम (ﷺ) ने उसको मारा और ज़ख़्मी कर दिया। तो वह लोग नबी (ﷺ) के पास चले

جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَرَضُوا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي خَاطِبُ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ هَؤُلاَءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ " . قَالُوا لاَ . فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ " أَرَضِيتُمْ " . فَقَالُوا نَعَمْ . قَالَ " إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " . قَالُوا نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَرَضِيتُمْ " . قَالُوا نَعَمْ .

आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! हम बदला लेंगे। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम तुम्हें इस इस क़द्र माल देते हैं।' मगर वह राज़ी न हूए। आपने फ़रमाया: 'चलो इस इस क़द्र ले लो।' वह राज़ी न हूए। आपने फ़रमाया: 'इस इस क़द्र ले लो।' तो वह राज़ी हो गये। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आज शाम मैं ख़ुत्बा दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग राज़ी हो गये हो।' उन्होंने कहा: ठीक है। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: 'बनू लैस़ के ये लोग मेरे पास क़िसास़ का मुतालबा लेकर आये थे तो मैंने उन्हें इस इस क़द्र माल की पेशकश की है तो वह राज़ी हो गये हैं। (फिर आप बनू लैस़ से मुख़ातिब हूए) क्या तुम रज़ामंद हो?' उन्होंने कहा: नहीं। इस पर मुहाजिरीन भन्ना उठे। तो रसूल (ﷺ) ने उन्हें उनसे बाज़ रखा तो वह रूक गये। आपने उन लोगों को फिर बुलाया और मज़ीद माल की पेशकश की और उनसे पूछा: 'क्या तुम राज़ी हो?' उन्होंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'मैं लोगों को ख़ुत्बा दूंगा और उन्हें तुम्हारी रज़ामंदी के बारे में बताऊंगा।' उन्होंने कहा: ठीक है। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया और (उनसे) पूछा: 'क्या तुम राज़ी हो?' उन्होंने कहा: हाँ (हम राज़ी हैं।)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई: 4782, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ :18032, इब्ने जारूद: 845, इब्ने हिब्बान: 4470.

नोट : कुछ हज़रात ने इस हदीस़ की स़ेहत तस्लीम की है। लेकिन स़ही तर बात ये है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है।

बाब : 14
लोहे के हथियार के अलावा दूसरी तरह से क़िसास लेना

﴿14﴾ باب الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارِيَةً، وُجِدَتْ، قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .

(4535) सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक लड़की पाई गई जिसका सर दो पत्थरों में रख कर कुचल दिया गया था। तो उससे पूछा गया: तेरे साथ ये किसने किया है? क्या फ़ुलां ने, क्या फ़ुलां ने? यहाँ तक कि एक यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने सर के साथ इशारा किया (कि हाँ) वह यहूदी पकड़ लिया गया तो उसने इक़रार कर लिया। फिर नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया कि इसका सर भी पत्थर से कुचला जाये।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4527 में देखें।

फ़ायदा : मुजरिम से क़िसास लेने की एक सूरत ये भी है कि जिस अन्दाज़ से उसने क़त्ल किया हो उस अन्दाज़ से उसे क़त्ल किया जाये जैसे इस वाक़िया में है और उकल और उरैना के लोगों के साथ भी इस तरह किया गया था।

बाब : 15
मार पीट से क़िसास और हाकिम का अपने से क़िसास दिलवाना

﴿15﴾ باب الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ

(4536) सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: एक बार रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ तक़सीम कर रहे थे कि

الأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَعَالَ فَاسْتَقِدْ " . فَقَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

एक आदमी आया और आपके ऊपर झुक गया, तो आपने अपनी खजूर की लाठी से जो आपके पास थी उसे कचूका दिया, पस उससे उसका चेहरा ज़ख़्मी हो गया। तो रसूल (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'आओ और अपना बदला ले लो।' उसने जवाब दिया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने माफ़ किया।'

(4536) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4777.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि नबी (ﷺ) अपने आपको बदला देने के लिये पेश फ़रमा दिया करते थे। जैसे कि आइन्दा हदीस: 5227 में आ रहा है।

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلاَ لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أَقُصُّهُ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتَقُصُّهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَقُصُّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ .

(4537) जनाब अबू फ़िरास (रबीअ़ बिन ज़ियाद बिन अनस हारिसी) से रिवायत है, वह कहते हैं कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने हमें ख़ुत्बा दिया और कहा: मैं अपने उम्माल (तहसीलदारों को) इसलिए नहीं भेजता कि वह लोग तुम्हारे जिस्मों पर मारें या तुम्हारे माल तुमसे छीन लें। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसे चाहिए कि अपना मुक़द्दमा मेरे पास लाये ताकि मैं उससे क़िसास़ लूं। तो हज़रत अ़म्र बिन आ़स(रज़ि.) ने कहा: अगर किसी ने अपनी रिआ़या से किसी की तादीब की हो (उसे सज़ा दी हो) तो क्या आप उसका बदला लेंगे? फ़रमाया: हाँ, क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं उससे बदला लूंगा। मैंने रसूल (ﷺ) को देखा है कि आप अपनी ज़ात से बदला दिलवाते थे।

(4537) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4781, इब्ने जारूद, हदीस: 844.

باب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

﴿16﴾

बाब : 16
औरत भी क़िसास माफ़ कर सकती है

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الأَوْلِيَاءِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ " يَنْحَجِزُوا " . يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ .

(4538) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मरवी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़ाई करने (क़िसास का मुतालबा करने) वाले बदला लेने में हौसले से काम लें। (जल्दी न करें।) वारिसों में से माफ़ करने का हक़ दर्जा ब दर्जा है, ख़्वाह कोई औरत ही हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (यन्हजिज़ू) के मानी हैं: 'क़िसास लेने से रूक जाना।'

मज़ीद फ़रमाते हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि क़त्ल के मामले में वारिसों में अगर कोई औरत भी हो तो वह भी माफ़ कर सकती है। और (अय्यन्हजिज़ू) के मानी के सिलसिले में अबू उबैदा से मुझे ये बयान किया गया है कि उसका मफ़हूम है: 'क़िसास लेने से बाज़ रहें।'

(4538) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4792.

बाब : 17
... जो किसी बलवे में क़त्ल हो जाये

﴾17﴿ باب مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّاءَ بَيْنَ قَوْمٍ

(4539) जनाब ताऊस (रह.) से रिवायत है कि जो कोई किसी बलवे में मारा गया हो। और इब्ने उबैद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी बलवे में मारा गया हो (कि उसका क़ातिल देखा न गया हो) संगबारी हुई हो या डंडेबाज़ी या किसी लाठी से मरा हो तो ये क़त्ले ख़ता है, उसकी दियत क़त्ले ख़ता वाली होगी। अलबत्ता जो शख़्स (जान बूझ कर) अम्दन क़त्ल किया गया हो तो उसमें क़िसास है।'

इब्ने उबैद के लफ़्ज़ हैं: (क़वदु यदिन) (क़ातिल की जान से क़िसास लिया जायेगा।) और जो इस (क़िसास लेने) में रूकावट बने तो उस पर अल्लाह की लानत और ग़ज़ब हो, उसका कोई नफ़ल या फ़र्ज़ मक़बूल नहीं।' सुफ़ियान की हदीस ज़्यादा कामिल है।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ مَنْ قُتِلَ . وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ ضَرْبٍ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ " . وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ " قَوَدُ يَدٍ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ " . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ .

(4540) जनाब ताऊस ने हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) से रिवायत किया, कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया ... और ऊपर दी गई रिवायत सुफ़ियान की मानिन्द बयान किया।

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4793.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .

बाब : 18
दियत की मिक़्दार (मात्रा) का बयान

﴾18﴿
باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ

फ़ायदा : ख़ून बहा, या किसी चोट वग़ैरह के बदले में दिये जाने वाले माल को 'दियत' कहते हैं।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ .

(4541) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि जो शख़्स ग़लती से क़त्ल किया गया हो तो उसकी दियत एक सौ ऊँट है। तीस ऊँटनियाँ मुअन्नस़ (फ़िमेल) एक साला, तीस ऊँटनियाँ मुअन्नस़ दो साला, तीस ऊँटनियाँ मुअन्नस़ तीन साला और दस अदद ऊँट मुज़क्कर (मेल) दो साला।

(4541) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4805, इब्ने माजा, हदीस़: 2630.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ

(4542) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) के दौर में दियत की क़ीमत आठ सौ दीनार (सोने के) या आठ हज़ार दिरहम (चाँदी के) थी और इन दिनों अहले किताब की दियत मुसलमानों की दियत के मुक़ाबले में आधी होती थी। चुनांचे मामला ऐसे ही रहा यहाँ तक कि हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) ख़लीफ़ा बने। तो उन्होंने ख़ुत्बा दिया और कहा: बिलाशुब्हा ऊँट महंगे हो गये हैं, फिर

فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ . قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ . قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.

आपने ये दियत सोने वालों पर एक हज़ार दीनार और चाँदी वालों पर बारह हज़ार दीनार कर दी, गाय वालों के लिये दो सौ गायें और बकरियों वालों के लिये दो हज़ार बकरियाँ, हुल्ले (ख़ास क़िस्म के कपड़े) तैयार करने वालों के लिये दो सौ हुल्ले मुक़र्रर की, और ज़िम्मी लोगों की दियत वैसे ही रहने दी और उसे नहीं बढ़ाया।

(4542) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/77, 101.

फ़ायदा : हुकूमते इस्लामिया के जानकारों और दानिश्वरों पर लाज़िम है कि दियत जैसे शरई वाजिबात में बाज़ार के भाव के मुताबिक़ अवाम में ऐलाने आम करते रहा करें ताकि किसी पर ज़ुल्म न हो।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ .

(4543) जनाब अ़ता बिन अबी रबाह (रह.) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दियत की शरह यूँ मुक़र्रर फ़रमाई थी कि ऊँट वालों पर एक सौ ऊँट, गाय वालों पर दो सौ गायें, बकरियों वालों पर दो हज़ार बकरियाँ, हुल्ले वालों पर दो सौ हुल्ले और गन्दुम वालों पर भी कुछ मुक़र्रर की थी जो मुहम्मद बिन इस्हाक़ को याद नहीं रही।

(4543) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/78, पिछली हदीस़ को देखें।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

(4544) जनाब अ़ता (बिन अबी रबाह) ने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (दियत की शरह) मुक़र्रर की और ऊपर दी गई हदीस़ मूसा इब्ने इस्माईल की मानिन्द रिवायत की।

اللَّهِ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى . قَالَ وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ .

और कहा कि ग़ल्ले वालों पर भी कुछ मुक़र्रर की थी जो मुझे याद नहीं।

(4544) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/78.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٌ " . وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ.

(4545) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़त्ले ख़ता की दियत बीस ऊँटनियाँ तीन साला, बीस ऊँटनियाँ चार साला, बीस ऊँटनियाँ एक साला, बीस ऊँटनियाँ दो साला और बीस ऊँट मुज़क्कर एक साला।' और हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) का क़ौल भी यही है।

(4545) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1386, नसाई 4806, इब्ने माजा, हदीस: 2631.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

(4546) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि बनू अदी का एक आदमी क़त्ल हो गया तो नबी (ﷺ) ने उसकी दियत बारह हज़ार (दिरहम) तय फ़रमाई।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को इब्ने उयय्ना ने बवास्ता अम्र, इकरमा से, उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान किया मगर इसमें हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1388, नसाई, हदीस: 4807, इब्ने माजा, हदीस: 2629.

बाब : 19
क़त्ले ख़ता जो अ़म्द (जानबुझकर) के मुशाबा हो, की दियत

﴾19﴿

باب دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ

फ़ायदा : क़त्ले ख़ता शिब्हे अ़म्द की दियत का ये बाब इस मक़ाम पर कुछ नुस्ख़ों के ऐतबार से है, वरना अक्सर नुस्ख़ों में ये बाब फ़ीमन ... के बाद है, जैसा कि इस नुस्ख़े में भी दोबारा ये बाब वहां मौजूद है। क़त्ल की तीन क़िस्में हैं। क़त्ले अ़म्द (जो क़सदन जान बूझ कर हो) क़त्ले ख़ता (जो बिला क़सद वारिद हो जाये) क़त्ले ख़ता शिब्हुल अ़म्द–यानी मारने वाले ने क़सदन कोई ऐसी चीज़ मारी जिससे कोई मरता नहीं है, न उसकी नियत ही उसे क़त्ल करने की थी। जैसे लाठी, कोड़ा या पत्थर मारा जिससे आदमी उ़मूमन मरता नहीं है, मगर इत्तेफ़ाक़न मज़रूब (जिसको मार पड़ी वह) मर गया।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " . إِلَى هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا " أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَىَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ " . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ

(4547) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन ख़ुत्बा दिया और तीन बार 'अल्लाहु अकबर' कहा। फिर फ़रमाया: (ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु स़दक़ वअ़दहु, व नस़रा अ़ब्दहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु) 'एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की। और उस एक अकेले ही ने तमाम गिरोहों को पस्पा कर दिया ...' यहां तक की रिवायत मुझे मुसद्दद से याद है। फिर सलमान बिन हरब और मुसद्दद दोनों रिवायत करने में मुत्तफ़िक़ हैं ... फ़रमाया: 'ख़बरदार! जाहिलीयत में ज़िक्र किये जाने वाले तमाम मफ़ाख़िर या ख़ून और माल के मुतालिबात मेरे पाँव तले रौंदे जा रहे हैं। (उनकी कोई

الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " . وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ .

हैसियत नहीं और कोई मुतालिबा नहीं होगा) सिवाए इसके जो हाजीयों को पानी पिलाने की ख़िदमत थी या बैतुल्लाह की ख़िदमत का शर्फ़ था (वह बाक़ी रहेगा।)' फिर फ़रमाया: 'ख़बरदार! क़त्ले ख़ता जो अम्द के मुशाबा हो, जो सौटे या लाठी की मार से हूआ हो उसकी दियत सौ ऊँट है। इनमें चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेटों में बच्चे हों।' और मुसद्दद की रिवायत ज़्यादा कामिल है।

(4547) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2627, नसाई, हदीस: 4797, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1526, इब्ने जारूद, हदीस: 773.

फ़ायदा : दियत की इस बयान की गई क़िस्म को मुग़ल्लज़ा कहा जाता है। यानी भारी और सक़ील।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ .

(4548) मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें वुहैब ने ख़ालिद से हदीस बयान की इसी इस्नाद से और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

(4549) क़ासिम बिन रबीआ ने बवास्ता हज़रत इब्ने उमर (ﷻ) से इस हदीस के हम मानी रिवायत किया। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन बैतुल्लाह की सीढ़ी पर खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इबने उयय्ना ने बसनद अली बिन ज़ैद, क़ासिम बिन रबीआ से, उन्होंने इब्ने उमर (ﷻ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है। और अय्यूब सख़्तियानी ने

क़ासिम बिन रबीआ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अम्र से ख़ालिद की हदीस की मानिन्द रिवायत किया है। और हम्माद बिन सलमा ने बसनद अली बिन ज़ैद, याक़ूब सदूसी से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। ज़ैद और अबू मूसा का क़ौल हदीसे नबवी और रिवायते उमर(ﷺ) (जो आगे आ रही है) के मुताबिक़ है।

رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَى مِثْلُ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثِ عُمَرَ رضى الله عنه .

(4549) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2628, नसाई, हदीस: 4803.

(4550) मुजाहिद रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर (ﷺ) ने शिब्हे अम्द में फ़ैसला किया था कि तीस ऊँटनियाँ तीन साला, तीस ऊँटनियाँ चार साला और चालीस ऊँटनियाँ जो हामला हों और उनकी उमर में दो दाँता यानी छः से लेकर नवें साल में शूरू होने वाली के दरम्यान हों।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا

(4550) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

(4551) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है उन्होंने फ़रमाया: शिब्हे अम्द की दियत में ऊँट तीन क़िस्मों के हों: तैंतीस ऊँटनियाँ तीन साला, तैंतीस ऊँटनियाँ चार साला और चौंतीस ऊँटनियाँ छः से नौ साला के दरम्यान हों और (ये आख़री) सब हामला हों।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلاَثٌ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ

(4551) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/69.

(4552) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है कि क़त्ले ख़ता में दियत के ऊँट चार तरह के हों: पच्चीस ऊँटनियाँ तीन साला, पच्चीस

وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ

خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .

ऊँटनियाँ चार साला, पच्चीस ऊँटनियाँ दो साला, और पच्चीस ऊँटनियाँ एक साला हो।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 3/177, हदीस: 3341, बैहक़ी: 8/69, पिछली हदीस को देखें।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه فِي الْخَطَإِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .

(4553) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि शिब्हे अम्द की दियत में ऊँटों की तफ़्सील ये है कि पच्चीस ऊँटनियाँ तीन साला, पच्चीस ऊँटनियाँ चार साला, पच्चीस ऊँटनियाँ दो साला और पच्चीस ऊँटनियाँ एक साला हों।

(4553) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/74, पिछली हदीस को देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَفِي الْخَطَإِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .

(4554) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से मरवी है कि मुग़ल्लज़ा दियत की तफ़्सील ये है कि चालीस ऊँटनियाँ चार साला और हामला, तीस ऊँटनियाँ तीन साला और तीस ऊँटनियाँ दो साला हों और क़त्ले ख़ता में तीस ऊँटनियाँ तीन साला, तीस ऊँटनियाँ दो साला, बीस ऊँट मुज़क्कर (मेल) दो साला और बीस ऊँटनियाँ एक साला।

(4554) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/69.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً . قَالَ أَبُو

(4555) जनाब सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से दियते मुग़ल्लज़ा में ऊपर दी गई हदीस की तरह बयान किया।

(4555) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَالأُنْثَى حِقَّةٌ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ . وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لِثَلاَثٍ وَجَذَعَةٌ لأَرْبَعٍ وَالثَّنِيُّ لِخَمْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالأَصْمَعِيُّ وَالْجُذُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِذَا أُلْقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ فَلاَ تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ .

बाब : 19
... ऊँटों की उम्रों की तफ़्सील

﴾19﴿

इमाम अबू दाऊद (रह.) रिवायत करते हैं कि अबू उबैद वग़ैरह ने कहा है कि ऊँट जब चौथे साल में जा रहा हो तो उसे (हिक़्क़ा) (हा की ज़ेर के साथ) और ऊँटनी को (हिक़्क़ह) कहते हैं क्योंकि मुज़क्कर (नर) सवारी करने के और मादा हामला होने के लायक़ हो जाती है। और जब पाँचवें में दाख़िल हो जाये तो उसे (जज़अ) और मादा को (जज़आ) कहते हैं। और जब छठे में दाख़िल हो जाये और अपने दो दाँत गिरा दे तो उसे (सनिय्य) और (सनिय्या) कहते हैं और जब सातवें में शुरू हो तो उसे (रबाअ) और मुअन्नस (मादा) को (रबाइयह) कहते हैं। और जब आठवें साल में दाख़िल हो जाये और अगले चार दाँतों के बाद वाले दाँत गिरा दे तो उसे (सदीस) और मुअन्नस को (सदस) कहते हैं। और जब नवें में दाख़िल हो जाये और उसके नाब (नेशदार दाँत) निकल आयें तो उसे (बाज़िल) कहते हैं। और जब दसवें में शुरू हो जाये तो उसे (मुख़्लिफ़) का नाम दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई ख़ास नाम नहीं। बस यूँ कह देते बाजिले आम, बाजिले आमैन और मुख़्लिफ़े आम, मुख़्लिफ़े आमैन (एक साल का बाजिल, दो साल का बाजिल, एक साल का मुख़्लिफ़, दो साल का मुख़्लिफ़) जहां तक भी बढ़ जाये।

नज़र बिन शुमैल ने कहा: एक साल की ऊँटनी को (बिन्ते मख़ाज़) दो साल वाली को (बिन्ते लबून) तीन साल वाली को (हिक़्क़ा) चार साल वाली को (जज़आ) पाँच साल वाली को (सन्नी) छ: साल वाली को (रबाअ) सात साल वाली को (सदीस) और आठ साल वाली को (बाजिल) कहते हैं।

(मुतरज़िम अर्ज़ करता है कि ऊपर दिये गये अक़वाल में कोई इख़्तिलाफ़ और तआरूज़ नहीं, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का फ़र्क़ है। जैसे जब ऊँटनी की उमूमन तीन साल मुकम्मल हो जाये और चौथे में दाख़िल हो तो उसको 'हिक़्क़ा' कहते हैं, इस तरह सब में है।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू हातिम और असमई ने कहा: (अल जज़ूआ) दरअसल वक़्त को कहते हैं न कि साल को।

अबू हातिम ने कहा: कई उलमा ने कहा है कि ऊँट जब अपने चार दाँत गिरा दे तो उसे (रबाअ) कहते हैं और जब दो दाँत गिरा दे तो उसे (सनिय्य) कहते हैं।

अबू उबैद ने कहा: जब ऊँटनी हामला हो जाये तो उसे (ख़लिफ़ा) कहते हैं और दस महीने तक ये (ख़लिफ़ा) ही रहती है और जब दस महीने पूरे कर ले तो उसे (उशरा) का नाम दिया जाता है।

अबू हातिम कहते हैं: ऊँट जब अपने दो दाँत गिरा दे तो उसे (सनिय्य) और जब चार दाँत गिरा दे तो उसे (रबाअ) कहते हैं।

बाब : 20
अ़ज़्ज़ा (जिस्म के हिस्सों) की दियत का बयान

﴿20﴾ باب دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ " .

(4556) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऊंगलियाँ सब बराबर हैं। (हर एक की दियत) दस दस ऊँट है।'

(4556) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2654, नसाई, हदीस: 4849, बैहक़ी, 8/92, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1527.

फ़ायदा : ऊंगलियाँ हाथ की हों या पाँव की, अंगूठा, छंगलिया वग़ैरह सभी बराबर हैं। हर एक में दस दस ऊँट दियत हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَصَابِعُ سَوَاءٌ " . قُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ التَّمَّارُ بِإِسْنَادِ أَبِي الْوَلِيدِ وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ عَنْ غَالِبٍ بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ .

(4557) हज़रत (अबू मूसा) अशअ़री (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'ऊंगलियाँ सब बराबर हैं।' (मसरूक़ कहते हैं) मैंने कहा: दस दस ऊँट? उन्होंने कहा: 'हाँ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस मुहम्मद बिन जाफ़र ने शोबा से, उसने ग़ालिब से रिवायत की तो कहा: मैंने मसरूक़ बिन औस से सुना। और इस्माईल ने रिवायत की तो कहा: मुझे ग़ालिब अत्तम्मार ने अबू वलीद की सनद से बयान की। और हन्ज़ला बिन अबू सफ़िया ने ग़ालिब से इस्लामईल की सनद से बयान की।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें।

(4558) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये और ये बराबर हैं।' यानी अंगूठा और छंगलियाँ।

(4558) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6895.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ " . قَالَ يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ .

(4559) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऊंगलियाँ सब बराबर हैं, दाँत सब बराबर हैं, आगे के दो दाँत और दाढ़ें, ये और ये सब बराबर हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत नज़र बिन शुमैल ने शोबा से (ऊपर दी गई रिवायत) अ़ब्दुस स़मद के हम मानी बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हमें (अबू जाफ़र अहमद बिन सईद) दारमी ने नज़र (बिन शुमैल) से ये हदीस़ बयान की।

(4559) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2650, पिछली हदीस़ को देखें।

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَى عَبْدِ الصَّمَدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ النَّضْرِ .

(4560) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दाँत सब बराबर हैं और ऊंगलियाँ (सब) बराबर हैं।'

(4560) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा: 2651, तिर्मिज़ी: 1391, इब्ने माजा, हदीस़: 1528.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ " .

(4561) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों हाथ और दोनों पाँव की ऊंगलियाँ, सब बराबर क़रार दी हैं।

(4561) तख़रीज : (सनद सहीह) पिछली हदीस को देखें।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً.

(4562) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपने ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया जब कि आप अपनी कमर काबा से लगाये हूए थे: 'ऊंगलियों में दस दस ऊँट हैं।'

(4562) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4855, इब्ने जारूद, हदीस : 781.

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ " فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ " .

(4563) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दाँतों में पाँच पाँच ऊँट हैं।

(4563) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 4542 में देखें, नसाई, 4845.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ " .

(4564) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) क़त्ले ख़ता में देहात वालों पर ऊँटों की क़ीमत के ऐतबार से दियत लागू करते थे, चार सौ दीनार या उसके बराबर चाँदी। जब ऊँट महंगे हो जाते तो आप दियत की क़ीमत बढ़ा देते और जब सस्ते हो जाते तो दियत की क़ीमत कम कर देते।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ، - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، - صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَىْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ " . قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ وَثُلْثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الأَصَابِعِ فِي

रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में ये क़ीमत चार सौ दीनार से आठ सौ दीनार तक या उसके बराबर आठ हज़ार दिरहम रही। रसूल (ﷺ) ने गाय वालों पर दो सौ गायें लागू कीं और जिसकी दियत में बकरियाँ आती थी तो उन पर दो हज़ार बकरियाँ मुक़र्रर कीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दियत मक़्तूल के वारिसों में क़राबत के ऐतबार से वरसे में तक़सीम होगी और जो बाक़ी बच जाये वह असबात के लिए है।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नाक के बारे में फ़ैसला फ़रमाया कि जब पूरी तरह काट दी गई हो, उसमें पूरी दियत है और जब उसका सिरा (बांस) काटा गया हो तो उसमें निस्फ़ दियत पचास ऊँट या इसके बराबर सोना या चाँदी या एक सौ गाय या एक हज़ार बकरी है। और एक हाथ में, जब वह काट दिया गया हो, तो उसमें आधी दियत है। और एक पाँव में आधी दियत है। खौपड़ी का ज़ख़्म जो दिमाग़ तक पहुँचे, उसमें तिहाई दियत है, तैंतीस ऊँट और एक ऊँट का तिहाई या उसकी क़ीमत सोना या चाँदी या गायें या बकरियाँ। और जो ज़ख़्म पेट में लगे तो उसमें भी इसी तरह से है। (तिहाई दियत) और ऊंगलियों में, हर ऊंगली के बदले दस ऊँट हैं। और दाँतों में हर दाँत में पाँच ऊँट हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि औरत (अगर कोई जुर्म करे तो उस) की दियत उसके असबा के ज़िम्मे है यानी जो उस हिस्सा के वारिस बनते हैं जो मुक़र्ररा हिस्सों के बाद बाक़ी बचा रहे (यानी

كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا " . قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ .

बाप, बेटा, भाई और चचा वग़ैरह।) और अगर औरत क़त्ल हो जाये तो उसकी दियत उसके वारिसों में तक़सीम होगी और यही लोग क़ातिल से क़िसास लेने के हक़दार हैं। रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ातिल के लिये कुछ नहीं। और अगर मक़्तूल का और कोई वारिस न हो तो सब से क़रीब तरीन आदमी उसका वारिस होगा और क़ातिल को विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा।'

मुहम्मद बिन राशिद ने कहा: मुझे ये तमाम रिवायत सलमान बिन मूसा ने बसनद अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, उसने अपने दादा से, उसने नबी (ﷺ) से बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन राशिद अहले दमिश्क़ से थे और क़त्ल (के ख़ौफ़) से बसरा भाग गये थे।

(4564) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2630, नसाई, हदीस: 4805.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उलमा पर वाजिब है कि मुसलमानों को उनके सामाजिक शरई हुक़ूक़ व हुदूद से आगाह करते रहा करें। (2) किसी भी मुसलमान को रवा नहीं कि मग़लूबुल गज़ब होकर कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे वह ख़ुद और उसके अक़ारिब तअन का निशाना बनें वरना उन्हें दियत देने का पाबंद होना पड़ेगा। (3) माल की लालच में अपने मूरस को क़त्ल कर देना इन्तेहाई अज़ीम और क़बीह जुर्म है। ऐसे नामाक़ूल को दुनिया व आख़िरत ख़राब होने के अलावा विरासत से भी कुल्ली तौर पर महरूम ठहराया गया है। (4) इस हदीस से मुआशरती ज़िन्दगी और सिलारहमी की अहमियत और ज़रूरत वाज़ेह होती है कि इंसान को अपने अक़ारिब से रब्त क़ायम रखना और उसे मज़बूत बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अल्लाह न करे, कभी कोई क़सूर हो जाये तो दियत वग़ैरह की अदायगी में उनसे तआवुन ले दे सके। बिलख़ुसूस औरत की दियत उसके असबात के ज़िम्मे आती है न कि शौहर के ज़िम्मे। (बहवाला हदीस: 4575)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الْعَامِلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ " . قَالَ وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ " وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ " .

(4565) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़त्ले शिब्हे अ़म्द की दियत मुग़ल्लज़ (सक़ील और शदीद) होती है जैसे कि क़त्ले अ़म्द की, मगर इसका मुर्तकिब क़त्ल नहीं किया जा सकता।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि ख़लील ने इब्ने राशिद से मज़ीद कहा: 'वह (शिब्हे अ़म्द) यूँ है कि शैतान लोगों में फ़साद पैदा कर दे और बलवे में कोई ख़ून हो जाये (क़ातिल को किसी ने देखा न हो) और लड़ाई करने वालों में कोई गहरी अ़दावत भी न हो और न उन्होंने अस्लहा उठाया हो।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/183.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ، - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ " .

(4566) जनाब अ़म्र बिन शुऐब से मरवी है कि उनके वालिद ने उन्हें (उनके दादा) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضی اللہ عنہ) से ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसे ज़ख़्म जो हड्डी खोल दें उनमें पाँच पाँच ऊँट हैं।'

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4856, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1390, इब्ने जारूद, हदीस़: 785.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ

(4567) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने आँख की चोट में फ़ैसला फ़रमाया कि आँख अगर अपनी जगह क़ायम रहे (और बीनाई जाती रहे) तो उसमें तिहाई दियत है।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4844.

बाब : 21
पेट के बच्चे की दियत

﴾21﴿ باب دِيَةِ الْجَنِينِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدِي مَنْ لاَ صَاحَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ . فَقَالَ " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ". وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ

(4568) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है कि दो औरतें बनू हुज़ैल के एक आदमी की ज़ौजीयत में थी। उनमें से एक ने दूसरी को खैमे का बांस दे मारा और उसे और उसके पेट के बच्चे को क़त्ल कर दिया। वह लोग अपना झगड़ा नबी (ﷺ) के पास ले आये। तो दोनों अतराफ़ के लोगों में से किसी एक ने कहा: किस तरह दियत दें हम उसकी जो न रोया न खाया, न पिया न चिल्लाया। रसूल (ﷺ) ने (उसके अन्दाज़े गुफ़्तगू पर) फ़रमाया: 'क्या देहातियों की सी सजअ (अन्दाज़े गुफ़्तगू) है।' अलग़र्ज़ आपने फ़रमाया (उस बच्चे की दियत) एक ग़ुलाम है और उसे क़ातिल के वारिसों के ज़िम्मे लगाया कि वह अदा करें।

(4568) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1682.

फ़वाइद व मसाइल : (1) औरत अगर जुर्म करे तो उसकी दियत उसके वारिसों के ज़िम्मे है। **(2)** अगर पेट का बच्चा मार दिया गया हो तो उसकी दियत एक ग़ुलाम है। **(3)** जाहिलों के से अन्दाज़ में तकल्लुफ़ से बातें करना मायूब है। दूसरी रिवायत में इसे जाहिलों और काहिनों की सजअ से तश्बीह दी गई है। (सुनन नसाई, हदीस: 4822, 4847)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . وَزَادَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ

(4569) मन्सूर ने अपनी सनद से ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी रिवायत किया। और मज़ीद कहा कि नबी (ﷺ) ने मक़्तूल औरत की दियत क़ातिला के वारिसों के ज़िम्मे

الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ .

डाली और उसके पेट के बच्चे के बदले में एक गुलाम लाज़िम किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हकम ने बवास्ता मुजाहिद हज़रत मुग़ीरा (ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है।

तख़रीज : सही मुस्लिम, पिछली हदीस को देखें।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . فَقَالَ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ . فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - زَادَ هَارُونُ - فَشَهِدَ لَهُ يَعْنِي ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلاَصًا لأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلاَدَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ .

(4570) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (ﷺ) ने लोगों से मशवरा किया कि अगर किसी औरत के पेट का बच्चा साक़ित कर दिया गया हो (तो उसमें क्या दियत हो?) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) ने इसमें एक गुलाम या लौण्डी देने का फ़ैसला फ़रमाया था। हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा कोई गवाह लाये जो आपकी ताईद में गवाही दे। चुनांचे वह मुहम्मद बिन मसलमा (ﷺ) को ले आये। हारून ने मज़ीद कहा: चुनांचे उन्होंने गवाही दी यानी अगर कोई पेट वाली औरत को सदमा पहुँचाये (तो उसकी दियत यही है।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू उबैद से मरवी है कि इस्क़ात को 'इम्लास' इसलिए कहते हैं कि औरत बच्चे को वक़्त होने से पहले फ़िस्ला देती है। और हर वह चीज़ जो हाथ वग़ैरह से फिसल जाये उसे (मलिस) कहते हैं।

तख़रीज : (सनद सही) सही मुस्लिम: 1683.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ

(4571) हज़रत मुग़ीरा (ﷺ) ने हज़रत उमर(ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया।

عُمَرَ، بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को हम्माद बिन ज़ैद और हम्माद बिन सलमा ने हिशाम बिन उर्वा से उसने अपने वालिद से रिवायत किया कि बेशक उमर (ﷺ) ने कहा ...

(4571) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6905.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبَجُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمِسْطَحُ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ.

(4572) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) के इस फ़ैसले के बारे में दरयाफ़्त किया (जो पेट के बच्चे के बारे में हुआ था) तो हमल बिन मालिक बिन नाबिग़ा उठा और कहा कि मैं दो औरतों के दरम्यान में था (मेरी दो बीवियाँ थीं) तो एक ने दूसरी को ख़ैमे का बांस दे मारा और उसको और उसके पेट के बच्चे को मार डाला। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके बच्चे के बारे में एक ग़ुलाम अदा करने का फ़ैसला किया और उस औरत को (जो क़ातिला थी क़िसास में) क़त्ल करने का फ़ैसला किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नज़र बिन शुमैल ने कहा कि (मिस्तह) से मुराद वह लकड़ी है जिसके ज़रिये से तन्नूर से रोटी निकाली जाती है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं: जबकि अबू उबैद ने कहा कि (मिस्तह) ख़ैमे की लकड़ी को कहते हैं।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2641, नसाई, हदीस: 4743, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1525.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَامَ

(4573) जनाब तावुस कहते हैं कि हज़रत उमर(ﷺ) मिम्बर पर खड़े हुए ... और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया मगर

عُمَرُ رضى الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ . زَادَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا .

उसमें 'इस औरत (क़ातिला) के क़त्ल किये जाने का ज़िक्र नहीं किया।' अलबत्ता (जनीन के बदले में) एक गुलाम या लौण्डी दिये जाने का बयान किया। तावुस ने कहा, इस पर हज़रत उमर (ؓ) ने कहा: अल्लाहु अकबर, अगर मैं ये न सुनता तो इसके अलावा कोई और फ़ैसला कर बैठता।

(4573) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَأَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ . فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ . فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَسَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالأُخْرَى أُمَّ غُطَيْفٍ .

(4574) जनाब इकरमा ने हज़रत इब्ने अब्बास(ؓ) से हमल बिन मालिक के वाक़िया में बयान किया कि उसने औरत का बच्चा साक़ित कर दिया जो मुर्दा था और उसके बाल उग चुके थे और औरत भी मर गई। तो आप (ﷺ) ने उसकी दियत उस क़ातिला के वारिसों पर डाल दी। मक़्तूला के चचा ने कहा: इसका बच्चा साक़ित हूआ है, ऐ अल्लाह के नबी, जिसके बाल उग चुके थे। तो क़ातिला के वालिद ने कहा: ये झूठा है, अल्लाह की क़सम! बच्चा न चीख़ा न चिल्लाया, न पयाना खाया, ऐसा ख़ून तो बातिल होता है। (इसमें क़िसास होता है न दियत।) तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये क्या जाहिलों और काहिनों की सी सजअ है? बच्चे की दियत में एक गुलाम या लौण्डी अदा करो।'

हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) कहते हैं इन औरतों में से एक का नाम मुलैका था और दूसरी का उम्मे गुतैफ़।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4832.

(4575) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि क़बील–ए–हुज़ैल की दो अ़ौरतों में से एक ने दूसरी को क़त्ल कर दिया और उन दोनों में से हर एक का शौहर भी था और बच्चा भी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़्तूला की दियत क़ातिला के आ़क़िला पर डाली। उस क़ातिला के शौहर और बेटे को इस दियत की अदायगी से बरी रखा। तो मक़्तूला के आ़क़िला कहने लगे कि उसकी मीरास़ हमारा हक़ है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं इसकी विरास़त इसके शौहर और बेटे का हक़ है।'

(4575) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2648.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا . قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا "

फ़ायदा : इस रिवायत को कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने स़ही क़रार दिया है। (आ़क़िला) से मुराद वह लोग हैं जो विरास़त के मुतय्यना हिस्से दे दिये जाने के बाद बाक़ी माल समेट लेते हैं। जैसे कि बाप, बेटा, भाई और चचा वग़ैरह। मगर इस हदीस़ में बेटे को 'आ़क़िला' से ख़ारिज रखा गया है।

(4576) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि क़बील–ए–हुज़ैल की दो अ़ौरतें लड़ पड़ीं तो एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और उसे क़त्ल कर दिया। चुनांचे वह अपना मामला रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले आये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैस़ला फ़रमाया कि जनीन की दियत में एक गुलाम या लौण्डी अदा की जाये और मक़्तूला की दियत क़ातिला के आ़क़िला के ज़िम्मे डाली और मक़्तूला की विरास़त उसके बेटे और उसके साथ दूसरे वारिस़ों को दिलवाई। तो हमल

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ

وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ " . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ .

बिन मालिक बिन नाबिग़ा हुज़ली ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं भला इसका जुर्माना क्योंकर भरूं जिसने न पिया न खाया, न बोला न चिल्लाया, ऐसा ख़ून तो लग़्व होता है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो काहिनों का भाई लगता है।' आपने ये उसकी मुसज्जअ गुफ़्तगू की वजह से फ़रमाया।

(4576) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6910, व सही मुस्लिम: 1681.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .

(4577) जनाब इब्ने मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से इस क़िस्से में रिवायत किया कि फिर वह औरत जिसको आपने गुलाम या लौण्डी दिलवाई फ़ौत हो गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला दिया कि उसकी विरासत उसके बेटे को मिले और (क़ातिला की तरफ़ से) दियत उसके असबा (आक़िला) पर डाली।

तख़रीज : बुख़ारी: 6740, व सही मुस्लिम: 1681.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، حَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا الْحَدِيثُ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ . وَالصَّوَابُ مِائَةُ

(4578) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक औरत ने दूसरी को पत्थर दे मारा, उससे उसका बच्चा साक़ित हो गया। पस ये मुक़द्दमा रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो आपने उसके बच्चे के सिलसिले में पाँच सौ बकरियाँ ज़िम्मे लगाईं और उस दिन से पत्थर मारने से मना फ़रमाया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हदीस में रिवायत तो पाँच सौ बकरियाँ ही है, मगर सही ये है कि सौ बकरियाँ थीं।

شَاةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ وَهُوَ وَهَمٌ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि ये अ़ब्बास (बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीम) का वहम है।
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4817.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ .

(4579) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जनीन के सिलसिले में एक ग़ुलाम या लौण्डी या एक घोड़ा या ख़च्चर अदा करने का फ़ैसला फ़रमाया।
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हम्माद बिन सलमा और ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने मुहम्मद बिन अ़म्र से ये रिवायत नक़ल की है मगर इन दोनों ने घोड़े या ख़च्चर का ज़िक्र नहीं किया।
(4579) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1410, इब्ने माजा, 2639.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ الْغُرَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَبِيعَةُ الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا .

(4580) जनाब शअ़बी से मरवी है कि लौण्डी या ग़ुलाम की क़ीमत पाँच सौ दिरहम है।
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं रबीआ़ ने कहा कि लौण्डी ग़ुलाम की क़ीमत पचास दीनार है।
(4580) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

(22) باب فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

बाब : 22
मुकातब की दियत का बयान

फ़ायदा : ऐसा ग़ुलाम जिसने अपने मालिक से मुआहिदा (समझोता) किया हो कि मैं इस क़द्र रक़म देकर आज़ाद हो जाऊंगा तो वह इस मुद्दत में 'मुकातब' कहलाता है। (मुकातब, ता के ज़बर के साथ।)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا

(4581) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुकातब, जो क़त्ल कर दिया जाये, की दियत के सिलसिले में फ़ैसला फ़रमाया कि वह जिस क़द्र हिस्सा

حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ .

अपनी किताबत का अदा कर चुका हो इस निस्बत से आज़ाद आदमी की दियत दी जाये और जिस क़द्र बाक़ी हो उसमें ग़ुलाम की दियत दी जाये।

(4581) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 4814, इब्ने जारूद, हदीस़: 982.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ .

(4582) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: मुकातब पर जब कोई हद लाज़िम आ रही हो या किसी का वारिस़ बन रहा हो तो जिस निस्बत से आज़ाद हो चुका हो उसी हिसाब से हद लागू होगी या विरास़त का हिस्सा पायेगा। इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं इस रिवायत को वुहैब ने बसनद अय्यूब, इकरमा से उन्होंने हज़रत अली(ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। और हम्माद बिन ज़ैद और इस्माईल ने बवास्ता अय्यूब, इकरमा से उन्होंने नबी (ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है जबकि इस्माईल बिन उलय्या ने इसे इकरमा का क़ौल बनाया है।

(4582) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1259, नसाई, हदीस़: 4815.

फ़ायदा : इस्लाम ने जिस अन्दाज़ से गुलामों के हुक़ूक़ को सुरक्षित किया है किसी और मिल्लत में नहीं है। ग़ुलाम अगर आधा आज़ाद हो तो आधी दियत आज़ाद की और बाक़ी गुलाम की अदा की जायेगी। इसी तरह बाक़ी मामलात में भी आधा मामला होगा।

बाब : 23
ज़िम्मी की दियत का बयान

﴿23﴾ باب فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ

फ़ायदा : ऐसा ग़ैर मुस्लिम, जो ममलकते इस्लामी की रईयत में शामिल हो (इस्लामी मुल्क में शहरी की हैसियत से रहता हो), ज़िम्मी कहलाता है।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ .

(4583) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अहद वाले (ज़िम्मी) की दियत आज़ाद से आधी है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को उसामा बिन ज़ैद लैसी और अब्दुर्रहमान बिन हारिस ने अम्र बिन शुऐब से इसकी मिस्ल रिवायत किया है।

(4583) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/217, तिर्मिज़ी: 1413, नसाई: 4810, 4811, इब्ने माजा: 2644, इब्ने जारूद: 1052, नसाई,: 4811.

बाब : 24
अपना दिफ़ा करते हूए अगर हमलावर का कोई नुक़सान हो जाये या उसे ज़र्ब लग जाये तो?

﴿24﴾ باب فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى

(4584) हज़रत सफ़वान अपने वालिद यअ़ला(ؓ) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मेरे नौकर की एक शख़्स से लड़ाई हो गई तो दूसरे ने उसके हाथ पर दाँतों से काट लिया तो

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَهَا وَقَالَ " أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَالْفَحْلِ " . قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْدَرَهَا وَقَالَ بَعُدَتْ سِنُّهُ .

उसने अपना हाथ खींच लिया इससे उसके अगले दो दाँत टूट गये। तो वह नबी (ﷺ) के पास चला गया तो आपने उस (के इस नुक़सान) को ज़ाया क़रार दिया। और फ़रमाया: 'क्या तू चाहता था कि वह अपना हाथ तेरे मुँह में दिये रहता और तू उसे ऊँट की तरह चबा डालता?' (अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज ने) कहा कि इब्ने अबी मुलैका ने अपने दादा से रिवायत किया कि हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने इसे ज़ाया क़रार दिया और कहा: दूर हो (ज़ाया है) इसका दाँत।

तख़रीज : बुख़ारी: 6893, व सही मुस्लिम: 1674

फ़ायदा : हमलावर के मुक़ाबले में अपना दिफ़ा करना हक़ वाजिब है और इस सूरत में हमलावर को अगर कोई चोट लग जाये या कोई नुक़सान हो जाये तो उसका कोई मुआवज़ा नहीं।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِلْعَاضِّ " إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ فِيهِ " . وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ .

(4585) हज़रत यअ़ला बिन उमय्या ने ये रिवायत बयान की और मज़ीद कहा कि फिर नबी (ﷺ) ने दाँत से काटने वाले से कहा: 'अगर चाहो तो अपना हाथ उसके मुँह में दे दो वह भी इस तरह काटे जैसे कि तुमने काटा था और तुम भी अपना हाथ खींच लेना।' अलग़र्ज़ आपने उसके दाँतों की दियत ज़ाया क़रार दी।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें।

बाब : 25
जो कोई बिला इल्म तबीब बन कर लोगों का इलाज करे और ज़रर (नुक़्सान) पहुँचाये तो ...?

﴿25﴾

باب فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَأَعْنَتَ

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ " . قَالَ نَصْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لاَ .

(4586) जनाब अ़म्र बिन शुऐ़ब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो ऐसे ही तबीब बन कर इलाज करे और डॉक्टरी और इलाज मुआलिजे में मशहूर न हो तो वह ज़िम्मेदार है।'

नस्र बिन आ़सिम ने अपनी सनद में कहा: (हद्दसनी इब्ने जुरैज)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये सिर्फ़ वलीद बिन मुस्लिम की रिवायत है, हमें मालूम नहीं कि स़ही है या नहीं।

(4586) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3466, नसाई, हदीस़: 4834.

फ़ायदा : कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ऊपर दी गई रिवायत हसन है, उनके नज़दीक अ़ताई (झोला छाप) क़िस्म के ग़ैर मारूफ़ तबीब और मुआलिज अगर अपने इलाज से किसी का नुक़स़ान कर दें तो वह उसके ज़ामिन और ज़िम्मेदार हैं। और लोगों को भी ऐसे अ़ताईयों (झोला छाप) से मोहतात रहना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ، قَدِمُوا عَلَى

(4587) जनाब अ़ब्दुल अ़ज़ीज बिन उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से रिवायत है कि एक वफ़्द के लोग जो मेरे वालिद के पास आये थे उनमें से एक ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुआलिज किसी क़ौम में तबीब

أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ " . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبَطُّ وَالْكَيُّ

बना फिरता हो, जबकि उससे पहले वह डॉक्टरी में मारूफ़ न हो और किसी का नुक़सान कर दे तो वह ज़िम्मेदार है।' अब्दुल अज़ीज़ ने कहा: ये ज़मानत दवा बताने में नहीं बल्कि ये रग काटने, चीरा देने या दाग़ देने की सूरत में है।
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ को देखें।

फ़ायदा : लोग बिलउमूम सुने सुनाये नुस्ख़े बयान करते हैं, इस सूरत में बताने वाले का क़सूर नहीं समझा जाता, बल्कि ऐसी दवा इस्तेमाल करने वाले को ख़ुद जानकार होना चाहिए। हाँ अगर कोई अनाड़ी फ़सद खोले या दाग़ वग़ैरह दे और नुक़सान हो जाये तो ज़िम्मेदार होगा। यही वजह है कि नौसिख़्या डॉक्टरों और मुआलिजीन के लिये पुराने माहिर डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी तवील तर्बीयत लाज़मी समझी जाती है।

﴾26﴿ باب فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ

बाब : 26
क़त्ले ख़ता जो अम्द के मुशाबा हो, की दियत

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ مُسَدَّدٌ - خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ " أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تُذْكَرُ وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمَىَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ " . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ إِنَّ

(4588) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ... बक़ौल मुसद्दद फ़तह वाले दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया फिर सलमान बिन हरब और मुसद्दद दोनों अपने बयान में मुत्तफ़िक़ हैं ... आपने फ़रमाया: 'ख़बरदार! तहक़ीक़ जाहिलीयत के दौर की फ़ख़्र की हर बात ख़ून से मुताल्लिक़ हो या माल से, जिस का ज़िक्र किया जाता हो या दावा किया जाता हो, वह मेरे क़दमों तले (रौंदी जा रही) है सिवाए हाजियों को पानी पिलाने और बैतुल्लाह की ख़िदमत के अमल के।' (वह हस्बे साबिक़ (पहले की तरह) बहाल है।) फिर फ़रमाया: 'ख़बरदार! क़त्ले

دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

ख़ता जो अम्द के मुशाबा हो सांटे या लाठी वग़ैरह से जैसे भी हो, उसकी दियत सौ ऊँट है, इनमें चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेटों में बच्चे हों।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4547 में देखें।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ .

(4589) वुहैब ने ख़ालिद से इसी सनद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4548 में देखें, पिछली हदीस को देखें।

﴿27﴾ باب فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

बाब : 27
फ़क़ीर लोगों का गुलाम किसी क़ाबिले दियत जुर्म का इरतेकाब कर बैठे तो ...?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ غُلاَمًا، لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ . فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا .

(4590) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि फ़क़ीर लोगों का एक गुलाम था, उसने अमीर लोगों के एक गुलाम का कान काट दिया ये (अमीर) लोग नबी (ﷺ) के पास मुक़द्दमा ले आये तो दूसरों ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम लोग फ़क़ीर हैं, तो आपने उन पर कोई चीज़ न डाली।

(4590) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4755, मुसनद अहमद: 4/438.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ये रिवायत सही है। **(2)** इस हदीस में 'गुलाम' का एक तर्जुमा मारूफ़ मानी में है कि वह अब्दे ममलूक थे। चूंकि ये मामला ममलूकों के बीच था और क़सूरवार के मालिक फ़क़ीर भी थे इसलिए उन पर कुछ न डाला गया। और दूसरा तर्जुमा 'नो उमर लड़के' भी किया गया है यानी वह आज़ाद थे। मगर उनके लड़कपन, ख़ता और क़सूरवार के वली फ़क़ीर होने की वजह से उन पर कुछ न डाला तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलूल अवतार)

बाब : 28
जो शख़्स किसी अंधाधुंध बलवे में क़त्ल हो जाये

﴿28﴾ باب فِيمَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيًّا بَيْنَ قَوْمٍ

(4591) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी बलवे में मारा जाये (और क़ातिल देखा न गया हो) कि उनकी आपस में संगबारी हूई हो या सांटे डंडे बाज़ी तो उसकी दियत क़त्ले ख़ता वाली होगी। और जो अम्दन (जानबूझ कर) क़त्ल किया गया हो तो इसमें क़ातिल की जान से क़िसास है और जो कोई इस (क़िसास लेने) में आड़े आये तो उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4540 में देखें।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" .

बाब : 29
किसी को अगर जानवर लात मार दे तो...?

﴿29﴾ باب فِي الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

(4592) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: '(जानवर का) लात मार देना ज़ाया है। और मअदनी कान (का नुक़सान) ज़ाया है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जानवर का

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم قَالَ " الرِّجْلُ جُبَارٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ .

मालिक उस पर सवार हो और वह लात मार दे (तो ज़ाया है।)

(4592) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5788, हदीस: 2579 में देखें।

﴿30﴾ باب الْعَجْمَاءُ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

बाब : 30 जानवर लात मारे या मअ़दनी कान में कोई हादसा हो जाये

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لاَ يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَكُونُ بِاللَّيْلِ .

(4593) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते थे, आपने फ़रमाया: 'जानवर का ज़ख़्मी कर देना, मअ़दनी कान में हादसा हो जाना या कूएँ में गिर पड़ना सब ज़ाया हैं और अगर किसी को कोई दफ़ीना मिले तो उसमें ख़ुमुस है।' (पाँचवाँ हिस्सा अदा करना शरई हक़ है।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं जानवर जब भाग गया हो और उसके साथ कोई न हो और ये हादसा दिन के वक़्त हूआ हो रात में न हूआ हो।

तख़रीज : बुख़ारी: 1499, व सही मुस्लिम: 1710.

फ़ायदा : (1) जानवर बेशऊर और नासमझ मख़्लूक़ है इसके काट खाने या लात मार देने में उसके मालिक का क़सूर नहीं, मगर ये कि जब वह उसके क़रीब हो और उसको ज़ब्त रखने पर क़ादिर हो, या यक़ीन हो कि ये लोगों को नुक़सान पहुँचा सकता है और फिर भी वह उसे खुला छोड़ दे। इमाम अबू दाऊद (रह.) के क़ौल का यही मफ़हूम है। **(2)** मज़दूर को जब मालूम हो कि उसने मअ़दनी कान में काम करना है ... या इसी तरह किसी और पुर ख़तर (ख़तरे वाली) जगह पर चढ़ना है और वह अपनी रज़ामंदी से काम करे तो इत्तेफ़ाक़ी हादसा की वजह से मालिक क़सूरवार नहीं होगा। **(3)** अपनी ज़मीन में किसी ने कूआँ खोदा हो और कोई उसमें जा गिरे तो मालिक का कोई क़सूर नहीं समझा जायेगा, बख़िलाफ़ इसके कि किसी आम गुज़रगाह पर खोदे और फिर उस पर बाड़ वग़ैरह न लगाये।

﴿31﴾ باب فِي النَّارِ تَعَدَّى

बाब : 31
आग जो फैल जाये

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " النَّارُ جُبَارٌ " .

(4594) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आग (से होने वाला नुक़सान) ज़ाया है।'

(4594) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2676, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 138.

फ़ायदा : अगर किसी ने अपनी ज़मीन या घर वग़ैरह में आग जलाई और फिर वह फैल गई या कोई चिंगारी उड़ कर दूसरे का नुक़सान कर गई तो आग जलाने वाला उसका ज़िम्मेदार न समझा जायेगा मगर ये कि कोई वाज़ेह क़सूर हो जैसे अपना काम करके उसे वैसे ही छोड़ दिया और बुझाया या दबाया न हो।

﴿32﴾ باب الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

बाब : 32
दाँतों के क़िसास का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ

(4595) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन नज़र (ﷺ) की बहन रूबैअ (र पर पेश, ब पर ज़बर और य मुशद्दद के नीचे ज़ेर) ने एक औरत का दाँत तोड़ दिया तो वह लोग नबी (ﷺ) के पास आ गये। पस आपने अल्लाह की किताब के मुताबिक़ क़िसास का फ़ैसला फ़रमाया। अनस बिन नज़र कहने लगे: क़सम उस ज़ात की

. قَالَ " يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ " . فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ فَعَجِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تُبْرَدُ .

जिसने आपको हक़ के साथ मबऊ़स फ़रमाया है! आज इसका दाँत नहीं तोड़ा जायेगा। आपने फ़रमाया: 'अनस! किताबुल्लाह का फ़ैसला क़िसास है।' चुनांचे दूसरे लोग दियत क़बूल कर लेने पर राज़ी हो गये (और बदला नहीं लिया) तो नबी (ﷺ) को बड़ा ताज्जुब हूआ और फ़रमाया: 'अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह पर क़सम डाल दें तो वह पूरी फ़रमा देता है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, उनसे पूछा गया कि दाँत का क़िसास कैसे लिया जाये? तो उन्होंने कहा: 'उसे रगड़ दिया जाये।'

(4595) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2703.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अनस बिन नज़र (رضي الله عنه) का इंकार, रसूलुल्लाह (ﷺ) पर रद या शरीयत का इंकार न था, बल्कि ये उस तबई आ़र और अज़ीयत का इज़हार था जो दाँत तोड़े जाने की सूरत में एक ख़ातून और उसके क़बीले को लाहिक़ होने वाली थी और उनका मक़सूद ये था कि इसके अ़लावा कोई और हल निकाला जाये। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक इंसान रोज़ा रखने का शाइक़ है मगर उसके नतीजे में भूख प्यास से अज़ीयत भी महसूस करता है। तो इस तबई अज़ीयत का इज़हार कोई मायूब नहीं है। **(2)** हज़रत अनस बिन नज़र (رضي الله عنه) अल्लाह के महबूब बंदे थे कि अल्लाह ने उनकी क़सम पूरी कर दी... (ﷺ) **(3)** इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) का फ़तवा कि दाँत रगड़ दिया जाये उस वक़्त सही होगा जब दाँत ऊपर से टूटा हो। (बज़्लुल मजहूद)

كتاب السنة

सुन्नत की अहमियत व फ़ज़ीलत

अरबी लुग़त में सुन्नत रास्ते को कहते हैं। मोहद्दिसीन और उलमा–ए–उसूल के नज़दीक सुन्नत से मुरादः 'रसूलुल्लाह (ﷺ) के अक़्वाल, आमाल, तक़रीरात और जो कुछ आपने करने का इरादा फ़रमाया नीज़ वह सब कुछ भी शामिल है जो आप (ﷺ) की तरफ़ से (उम्मत तक) पहुँचा।' (फ़तहुल बारी)

'किताबुस्सुन्नह' एक जामेअ बाब है जिसमें अक़ाइद और आमाल दोनों में रसूलुल्लाह (ﷺ) की पैरवी की अहमियत वाज़ेह की गई है। रसूलुल्लाह (ﷺ) और ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन के बाद अक़ाइद व आमाल में जो भी इन्हेराफ़ सामने आया था उसकी तफ़्सीलात और इस हवाले से रसूलुल्लाह (ﷺ) के इख़्तियार करदा तरीक़ की वज़ाहत बयान की गई है। इस किताब के मौज़ूआत में सुन्नत और उसकी पैरवी, दावत इलस्सुन्नह् (सुन्नत की तरफ़ दावत) और इसका अज्र, उम्मत का इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद और वह फ़ितने जिनसे ये इत्तेफ़ाक़ इन्तेशार में बदला शामिल हैं। अक़ाइद व नज़रीयात में जो इन्हेराफ़ (बेराह रवी) आया उसके असबाब का भी अच्छी तरह जायज़ा लिया गया और मुन्हरिफ़ नज़रीयात के मामले में सही अक़ाइद की वज़ाहत की गई है। ये नज़रयाती इन्हेराफ़ सहाबा के दरम्यान तफ़ज़ील, मसल–ए–ख़िलाफ़त के हवाले से इख़्तिलाफ़ात, हुक्मरानों की दबंगी और सरकशी से पैदा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता, फ़ितना परदाज़ों ने ईमान, तक़दीर, सिफ़ाते बारी तआला, हश्र व नश्र, मीज़ान, शफ़ाअत, जन्नत दोज़ख़ यहाँ तक कि क़ुर्आन के हवाले से लोगों में शुकूक व शुब्हात पैदा करने की कोशिश की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अपनी किताब के इस हिस्से में इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से सही अक़ाइद और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तालीमात को पेश किया। इन फ़ितनों के इस्तीसाल (ख़त्म करने) का काम मोहद्दिसीन ही का कारनामा है। मोहद्दिसीन के अलावा दूसरे उलमा व फ़ुक़हा ने इस मैदान में इस अन्दाज़ से काम नहीं किया बल्कि मुख़्तलिफ़ फ़िक़ही मकातिबे फ़िक्र के लोग ख़ुसूसन अपनी राय और अक़्ल पर ऐतमाद करने वाले हज़रात ख़ुद उन फ़ितनों का शिकार हो गये।

अबू दाऊद की 'किताबुस्सुन्नह' और दीगर मोहद्दिसीन के मुताल्लिक़ा अबवाब का मुताला करने से पता चलता है कि जामेइयत के साथ मोहद्दिसीन ने हर मैदान में किस तरह रहनुमाई मुहय्या की, और अहले यहूद के हमलों से इस्लाम का दिफ़ा किया। उन्होंने महज़ शरई और फ़िक़्ही उमूर तक अपनी तवज्जा महदूद नहीं रखी बल्कि इस्लाम के हर पहलू और दिफ़ा अनिल इस्लाम के हर मैदान में कमर बस्ता रहे। तमाम उम्मते मुस्लिमा की तरफ़ से पुरख़ुलूस दुआ है कि या अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फ़रमा!

كتاب السنة

सुन्नत का बयान

बाब : 1 सुन्नत की तशरीह व तौज़ीह का बयान

﴿1﴾ باب شَرْحِ السُّنَّةِ

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً" .

(4596) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूदी इकहत्तर या बहत्तर फ़िर्क़ों में तक़सीम हुए और इसाई भी इकहत्तर या बहत्तर फ़िर्क़ों में बटे और मेरी उम्मत तिहत्तर फ़िर्क़ों में तक़सीम होगी।'

(4596) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2640, इब्ने माजा, हदीस़: 3991, हाकिम: 1/128.

फ़ायदा : अल्लामा अबू मन्सूर अब्दुल क़ाहिर तमीमी इस हदीस़ की शरह में लिखते हैं कि इससे मुराद इन फ़ुक़हा (फ़क़ीहों) का इख़्तिलाफ़ नहीं है कि जिनके इज्तेहाद की बुनियाद फ़हमे सुन्नत पर है, वह अपने अपने इज्तेहाद की बुनियाद पर चीज़ों के हलाल या हराम होने की राय देते हैं, बल्कि इस तफ़रक़ा से मुराद वह उसूली इख़्तिलाफ़ात हैं जो तौहीद, तक़दीर, शुरूते नबूवत व रिसालत, मोहब्बते हदीस़ और सहाबा के साथ मोहब्बत व मवालात वग़ैरह के मसाइल में ज़ाहिर हूए और इस मसाइल में एक दूसरे को काफ़िर कहा गया। जबकि फ़िक़्ही नोईयत के मसाइल में कभी किसी ने किसी को काफ़िर नहीं कहा। (औनूल माबूद)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، ح

(4597) अबू आमिर होज़नी का बयान है कि हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (ﷺ) हममें ख़ुत्बा देने के लिए खड़े हूए और कहा:

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، نَحْوَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا فَقَالَ " أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ " . زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو فِي حَدِيثَيْهِمَا " وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ " . وَقَالَ عَمْرٌو " الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ"

ख़बरदार! तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें खड़े हूए और फ़रमाया: 'ख़बरदार! तुमसे पहले अहले किताब बहत्तर (72) फ़िर्क़ों में तक़सीम हूए थे और ये मिल्लत तिहत्तर (73) फ़िर्क़ों में तक़सीम होगी। बहत्तर (72) आग में जायेंगे और एक फ़िर्क़ा जन्नत में जायेगा और यही 'अलजमाअत' होगा। इब्ने यहया और अम्र ने अपनी रिवायतों में मज़ीद कहा: 'बिलाशुब्हा मेरी उम्मत में से कुछ क़ौमें निकलेंगी इनमें ये अहवा (मन पसन्द नज़रियात और आमाल को दीन में दाख़िल करना) ऐसे सरायत कर जायेंगी जैसे कि बावले पन की बीमारी अपने बीमार में सरायत कर जाती है।' अम्र ने कहा: 'बावले पन के बीमार की कोई रग और कोई जोड़ बाक़ी नहीं रहता जिसमें इस बीमारी का असर न हो।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 4/102.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अहादीस में सहाब–ए–किराम (ﷺ) और उम्मत के अफ़राद को मुतन्नबा (ख़बरदार) किया गया है कि वह अल्लाह की रस्सी यानी किताब व सुन्नत को मज़बूती से पकड़ें और आपस में तक़सीम न हों, मगर इस चेतावनी के बावजूद मुसलमान ख़्वाहिशात के फ़ितनों में फंस कर तक़सीम हुए जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहले ही बता दिया था। **(2)** 'अलजमाअत' बमअनी इज्तेमाअ दरअसल इस्मे मस्दर है और ऐसी क़ौम के लिये बोला गया है जो आपस में हर तरह इकट्ठे और मुज्तमअ (इकट्ठा) हों। 'अहले सुन्नत वलजमाअत' का नाम भी इसी मानी में है कि ये लोग किताब व सुन्नत पर मुज्तमअ हैं और इनमें ऐसा इफ़्तेराक़ (गिरोह बन्दी) नहीं है कि एक दूसरे को गुमराह क़रार देते फिरें। शैख़ जीलानी (रह.) ने अलजमाअत से मुराद 'जमाअते सहाबा के मुत्तबेअ लोग, बयान किया है। क्योंकि सहाबा के ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ़ किताब व सुन्नत पर सब इकट्ठे थे। अहवा और बिदआत तो एक तरफ़ किसी फ़िक़्ही मकतबे फ़िक्र का वजूद भी नहीं था। **(3)** 'अहले सुन्नत वलजमाअत' वही एक फ़िर्क़ा है जो बज़बाने रिसालत निजात याफ़्ता है। जब लोग तफ़रक़े के असबाब से

बाज़ आ जायें तो इनमें इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद आ जाता है और फिर वह 'अलजमाअ़त' बनते हैं। तफ़रक़ा का बुनियादी सबब क़ुर्आन और सुन्नते स़हीहा को छोड़ कर बिदआ़त की पैरवी करना है।

﴿2﴾

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ، وَاتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ

बाब : 2
आपस में झगड़ना या क़ुर्आन करीम के मुतशाबिहात के पीछे पड़ना मना है

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ } إِلَى { أُولُو الأَلْبَابِ } قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ " .

(4598) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये आयते करीमा तिलावत फ़रमाई: (हुव्वलज़्ज़ी अन्ज़ल अ़लैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात ... ता ... उलुल अलबाब) '(अल्लाह) वह ज़ात है जिसने आप पर किताब नाज़िल की, जिसमें कुछ आयतें मुहकम (वाज़ेह) हैं जो इस किताब की अस़ल बुनियाद हैं और कुछ दूसरी आयतें मुतशाबिहात (ग़ैर वाज़ेह) हैं, तो जिनके दिलों में टेढ़ है वह उनमें से इन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबेह (ग़ैर वाज़ेह) हैं, उनका मक़स़द महज़ फ़ितने और तावील की तलाश होता है, हालांकि अल्लाह के सिवा कोई भी इनकी तावील नहीं जानता, और जो लोग पुख़्ता इल्म वाले हैं वह कहते हैं कि हमारा इन (मुतशाबिहात) पर ईमान है, ये सब हमारे रब की तरफ़ से हैं और नस़ीहत वही लोग पकड़ते हैं जो अ़क़्ल वाले हैं।' हज़रत आ़यशा (ﷺ) बयान करती हैं, फिर

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयतों के पीछे पड़े हों तो ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फ़रमाया है: (फ़हज़रूहुम) 'इनसे डरते और बचते रहो।'

तख़रीज : बुख़ारी: 4547, व सही मुस्लिम; 2665.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** कुर्आनी आयात के 'मुहकम और मुतशाबेह' होने के कई मानी हैं। जैसे वह आयात जो दूसरी आयात के लिये नासिख़ हैं। या जिनमें हलाल व हराम का बयान आया है। या वह आयात जिनके मानी वाज़ेह और बंदे उनसे आगाह हैं। या जिनकी कोई तावील नहीं 'वह मुहकम कहलाती हैं और 'मुतशाबेह' से मुराद वह आयात हैं जो मन्सूख़ हो चुकी हैं मगर तिलावत हो रही हैं। या जो हक़ व सिद्क़ में एक दूसरी के मुशाबेह हैं, उन्हें मुतशाबेह कहा गया है। या ऐसी आयात जिनके मानी व मफ़ाहीम से सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही आगाह है। या जिनके मफ़ाहीम कई पहलू रखते हैं 'वह मुतशाबिहात' कहलाती हैं। **(2)** जिदाल (लड़ाई करना) बज़ाहिर कोई क़ाबिले तारीफ़ नहीं समझा जाता मगर इज़हारे हक़ और इब्ताले बातिल के लिये अज़ हद ज़रूरी और क़ाबिले तारीफ़ है। कुर्आन करीम में अल्लाह तआला ने उसके लिये 'इल्म व हिकमत' को शर्त क़रार दिया है। इरशादे इलाही है: (वजादिल्हुम बिल्लती हिया अहसनु) (अन्नहल: 125) महज़ रिया व सुम्आ (शोहरत) और लोगों की तवज्जहात हासिल करने की कोशिश में या बातिल की ताईद में जिदाल करना हराम है। **(3)** अहले अहवा (अहले बिदअत) और मुतशाबिहात के दरपे होने वालों से दूर रहना चाहिए ताकि उन्हें तक़्वियत और शोहरत न मिले और कहीं किसी फ़ितने में मुब्तला न कर दें, अलबत्ता रासिख़ उलमा का फ़रीज़ा है कि हक़ का इज़हार व बयान करें और अवाम को बातिल से मुतन्नबा और आगाह करते रहें। **(4)** और ऐसे लोग मुख़्तलिफ़ नामों से हर दौर में और हर जगह मौजूद रहे हैं।

बाब : 3
अहले बिदअत से दूर रहने और उनसे बुग़्ज़ रखने का बयान

﴿3﴾ باب مُجَانَبَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

(4599) हज़रत अबू ज़र (رضی اللہ عنہ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आमाल में से अफ़ज़ल अमल अल्लाह के लिये मोहब्बत

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ،

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ " .

करना और उसी के लिये बुग़्ज़ रखना है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/146.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन इस मौज़ूअ पर दीगर सही रिवायात मौजूद हैं, (अलहुब्बु फ़िल्लाहि) और (अल्बुग़्ज़ु फ़िल्लाहि) का मफ़हूम ये है कि किसी से मोहब्बत के बहुत से असबाब मौजूद हों, लेकिन वह अल्लाह के दीन में बिगाड़ का शिकार हो तो अल्लाह के लिये उससे मोहब्बत न की जाये, उसी से मोहब्बत की जाये जो अल्लाह की राह पर चलें और सिर्फ़ इसी ग़र्ज़ से की जाये कि अल्लाह राज़ी हो और इसी तरह बुग़्ज़ भी अल्लाह के दीन से हटने वाले के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिये होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह की नाफ़रमानी पर सिर्फ़ बुग़्ज़ रखना काफ़ी नहीं। अहले इल्म के लिये वाजिब है कि हक़ की दावत देने में कभी भी ग़फ़लत न करें।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، - وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ . ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيلِ تَوْبَتِهِ .

(4600) जनाब अब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) के नाबीना हो जाने के बाद उनके क़ाइद (रास्ता बताने वाला) हूआ करते थे। वह बयान करते हैं कि मैंने (अपने वालिद) हज़रत कअब बिन मालिक(ﷺ) से सुना ... और इब्ने सरह ने उनके ग़ज़्व–ए–तबूक में नबी (ﷺ) से पीछे रह जाने का क़िस्सा बयान किया ... कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों को हम तीनों से बातचीत से मना फ़रमा दिया। यहाँ तक कि जब ये सूरते हाल मुझ पर बहुत लम्बी (और गिरां) हो गई तो मैंने अबू क़तादा के बाग़ की दीवार पर चढ़ कर उससे बात की, वह मेरे चचा का बेटा था, मैंने सलाम किया तो अल्लाह की क़सम, उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर (इब्ने सरह ने) उनकी तौबा नाज़िल होने की ख़बर बयान की।

(4600) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4676, हदीस: 2202 में देखें, हदीस: 2773, व सही मुस्लिम: 2769.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शख़्सी अहवाल में अपने किसी मुसलमान भाई से नाराज़ी हो जाये तो तीन दिन से ज़्यादा बातचीत छोड़ देना जायज़ नहीं। लेकिन अगर दीनी और शरई सबब हो तो ये मुक़ातआ तवील किया जा सकता है। बिलख़ुसूस बिदअतियों से दीनी हक़ की बिना पर दाइमी मुक़ातआ (क़तअ ताल्लुक़ी) मतलूब है। **(2)** हज़रत कअब बिन मालिक, मुरारा बिन रबीअ और हिलाल बिन उमैया रिज़वानुल्लाह अलैहिम का ग़ज़्व-ए-तबूक से पीछे रह जाने का वाक़िया मारूफ़ है। तफ़्सीर व सीरत और अहादीस़ की कुतूब में तफ़्सील देखी जा सकती है। इन हज़रात की तौबा पचास दिन के बाद क़बूल हूई थी। इस दौरान में तादीब व तम्बीह के लिये मुसलमानों को उनसे बातचीत से मना कर दिया गया था। स़ही बुख़ारी और स़ही मुस्लिम में इसकी पूरी तफ़्सील मौजूद है। देखिये: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 4418, व स़ही मुस्लिम: 2769)

बाब : 4
बिदतियों से सलाम छोड़ देने का बयान

﴾4﴿ بَابُ تَرْكِ السَّلاَمِ عَلَى أَهْلِ الأَهْوَاءِ

(4601) हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं अपने घर वालों के पास पहुँचा और हालत ये थी कि मेरे हाथ फट गये थे। तो उन्होंने मुझे (मेरे हाथों पर) ज़ाफ़रान लगा दिया। सुबह के वक़्त मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और मैंने सलाम अ़र्ज़ किया तो आपने मुझे जवाब न दिया और फ़रमाया: 'जाओ इसे धो डालो।'

(4601) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 225 में देखें, हदीस़: 4176 में भी देखें।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاىَ فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ " اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " .

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने अ़म्मार (ﷺ) को उसके अ़मल के हवाले से उन्हें नापसन्दीदगी का एहसास दिलाया। इसी से ये भी स़ाबित हूआ कि क़तअ ताल्लुक़ी के दौरान में इस्लाहे अहवाल (हालत को सुधारने) के लिये बात समझने में कोई हर्ज नहीं बल्कि ये ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْنَبَ " أَعْطِيهَا بَعِيرًا " . فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ .

(4602) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) का बयान है कि उम्मुल मोमिनीन सफ़िया बिन्ते हुई (ﷺ) का ऊँट बीमार हो गया और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब (ﷺ) के पास एक ज़ायद सवारी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत ज़ैनब (ﷺ) से कहा: 'ऊँट इसे दे दो।' तो उन्होंने कहा: भला मैं इस यहूदन को दूं? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्सा हो गये और ज़ूलहिज्जा, मुहर्रम और सफ़र के कुछ दिनों तक उनसे बातचीत न की।

(4602) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/338.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आप का ये क़तअ ताल्लुक़ी इस वजह से था कि हज़रत ज़ैनब (ﷺ) ने इस्लामी आदाब को मल्हूज़ न रखा था। **(2)** किसी मुसलमान को उसके गुज़िश्ता दीन की बुनियाद पर यहूदी या काफ़िर वग़ैरह कहना हराम है। **(3)** बिलावजह आर दिलाना भी बहुत बड़ा ऐब और गुनाह है। **(4)** बिला उज़्र ज़रूरत की चीज़ अपने मुसलमान भाई को न देना बदअख़्लाक़ी है, सूरह अलमाऊन में ये मसला ख़ुसूसीयत से बयान हूआ है। **(5)** शरई बुनियाद पर मुक़ातआ किया जाये तो तीन दिन से ज़ाइद अर्सा (मुद्दत) के लिये भी जायज़ है।

﴾5﴿ باب النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ، فِي الْقُرْآنِ

बाब : 5
क़ुर्आन में झगड़ा करना मना है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ"

(4603) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ुर्आन करीम में झगड़ा करना कुफ़्र है।'

(4603) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/503, इब्ने हिब्बान, हदीस: 73, हाकिम: 2/223.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (अलमिरउ) से मुराद झगड़ना और शक का इज़हार करना है। लिहाज़ा क़ुर्आनी आयात में ऐसा मुबाहसा और झगड़ा करना कि किसी हिस्से की तकज़ीब लाज़िम आये या शक व शुब्हा पैदा हो, हराम और कुफ़्र है। (2) क़ाबिले हल मुक़ामात के लिये सिक़ा और रासिख़ उलमा की तरफ़ रूजू करके सही मानी व मफ़हूम मालूम करना चाहिए। मुतशाबिहात के दरपे होने से बचना ज़रूरी है और जहां तक हो सके शुकूक व शुब्हात और फ़ितना पैदा करने वाले लोगों को वाज़ेह दलाइल से क़ायल किया जाये और अवाम को उनसे दूर रखा जाये। (3) ऊपर दी गई अहादीस से पता चलता है कि जानबूझ कर लोगों में फ़ितना अंगेज़ी करने वाले उम्मत के लिये कितने ख़तरनाक हैं। इस फ़ितना अंगेज़ी को रोकने के तरीक़े ये हैं।

- इल्म न होने के बावजूद बहसो मुबाहसा करने वालों से क़तअ ताल्लुक़ी।
- उनकी तमाम बातों में आकर ऊट पटांग मामलात में उलझने से परहेज़।
- मुआशरे (समाज) में नफ़रत फैलाने वाले कामों से इज्तेनाब।
- जो फ़ितना बरपा करने वाले न हों, उनकी ग़लतियों पर पुरी हिक्मत से उनको समझाना।

बाब : 6
सुन्नत का इत्तेबा वाजिब है

﴾6﴿
باب فِي لُزُومِ السُّنَّةِ

(4604) हज़रत मिक़्दाम बिन मादी करिब(ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुझे क़ुर्आन के साथ इस जैसी एक और चीज़ भी दी गई है। अनक़रीब ऐसे होगा कि एक पेट भरा (आसूदा हाल) आदमी अपने तख़्त या दीवान पर बैठा कहेगा कि इस क़ुर्आन को इख़्तियार कर लो, जो इसमें हलाल है उसे हलाल जानो और जो इसमें हराम है उसे हराम समझो। ख़बरदार! तुम्हारे लिये पालतू गधे, नेशदार दरिन्दे और किसी ज़िम्मी (काफ़िर) का गिरा पड़ा माल उठा लेना

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ

فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ " .

हलाल नहीं, मगर ये कि उसका मालिक उससे बेपरवाह हो। और जो कोई किसी क़ौम के पास जाये तो उन पर वाजिब है कि उसकी मेहमानी करें, अगर वह उसकी मेहमानी न करें तो उसे हक़ हासिल है कि अपनी मेहमानी के मिस्ल (बराबर) उनसे बज़रिया ताक़त हासिल कर ले।'

(4604) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3804 में देखें, मुसनद अहमद: 4/130.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ " .

(4605) जनाब उबैदुल्लाह अपने वालिद हज़रत अबू राफ़ेअ (﵁) से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हरगिज़ ऐसा न हो कि मैं तुममें से किसी को पाऊं कि वह अपने तख़्त या दीवान पर बैठा हो और उसके पास मेरे अहकाम में से कोई हुक्म पहुँचे जिसका मैंने हुक्म दिया हो या उससे मना किया हो तो वह कहने लगे कि हम नहीं जानते, हम तो किताबुल्लाह में जो पायेंगे, उस पर अमल करेंगे।'

(4605) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2663, इब्ने हिब्बान, हदीस: 13, हाकिम: 1/108, 109, मुसनद अहमद: 6/218.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई दोनों रिवायतों में अरीका का लफ़्ज़ आया है। इससे मुराद लकड़ी का बना हूआ तख़्त या दीवान है जिस पर लोग घरों में बैठते थे या जाय नमाज़ के तौर पर इस्तेमाल करते थे। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) को क़ुर्आन करीम के साथ इसी जैसी दी गई चीज़ 'हदीस और सुन्नत' है। क़ुर्आन को वह्ये जली और वह्ये मतलू कहा जाता है। यानी जिसकी तिलावत होती है। जबकि हदीस और सुन्नत को वह्ये ख़फ़ी और वह्ये ग़ैर मतलू कहते हैं। यानी जिसकी तिलावत नहीं होती, लेकिन वह अल्लाह की तरफ़ से है। क़ुर्आन करीम बसबब तिलावते आम्मा व कसीरा अव्वल दिन से तवातुर के साथ साबित है। जबकि अहादीस को साबित करने के लिये असानीद (ख़बर देने वालों के सिलसिले) की सेहत अव्वलीन शर्त है। उलमा-ए-रासिख़ीन और माहिरीने फ़न हदीस की तन्क़ीह व

तहक़ीक़ के बाद जिन अहादीस़ की निस्बत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ सही साबित हो उनका इत्तेबाअ इसी तरह वाजिब है जैसे क़ुर्आन मजीद का और क़ुर्आने मजीद की बहुत सी आयात इस अम्र की तसरीह करती हैं और क़ौले फ़ैसल हैं। जैसे इरशादे इलाही है: 'हमने आपकी तरफ़ ज़िक्र नाज़िल किया है ताकि आप लोगों को उनकी तरफ़ नाज़िल करदा की ख़ूब वज़ाहत कर दें।' (अन्नहल: 44) और बिलाशुब्हा आप (ﷺ) की वज़ाहत क़ौल व अमल और तौसीक़ से हुई है और सहाब–ए–किराम ने इसको ख़ूब महफ़ूज़ रखा और आगे नक़ल किया है। सूरह अन्निसा में है: 'जिसने रसूल (ﷺ) की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मुँह फेर लिया तो हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा है।' सूरह अन्नूर में है: 'कह दीजिये अल्लाह की इताअत करो और रसूल (ﷺ) की इताअत करो, अगर तुम उससे मुँह फेर लोगे तो रसूल (ﷺ) पर वही है जो उस पर लाज़िम किया गया है और तुमसे सिर्फ़ उसकी जवाबदेही होगी जो तुम्हारे ज़िम्मे है, अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पर रहोगे और रसूल (ﷺ) के ज़िम्मे सिर्फ़ वाज़ेह तौर पर पहुँचा देना है। (अन्नूर: 54) इसके अलावा फ़रमाया: 'उन लोगों को जो रसूल (ﷺ) के हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हैं डरना चाहिए कि कहीं उन्हें कोई फ़ितना न आ ले या कोई दर्दनाक अज़ाब न पहुँच जाये।' (अन्नूर: 63)

सूरह अलहश्र में फ़रमाया: 'अल्लाह के रसूल (ﷺ) जो कुछ तुम्हें दें वह ले लो और जिससे रोक दें उससे रूक जाओ।' (अलहश्र: 7) इसके अलावा और भी मोतबर आयात हुज्जियते हदीस़ की वाज़ेह दलील हैं। **(3)** ऐसे तमाम गिरोह, फ़िर्क़े या अफ़राद जो महज़ क़ुर्आन की इत्तेबाअ का दावा करते हैं और सही अहादीस़ से ऐराज़ करते हैं, ऊपर दी गई हदीस़ और आयात में उनके लिये बहुत बड़ी तन्बीह है। **(4)** ये अहादीस़ नबी–ए–करीम (ﷺ) की सदाक़त व हक़्क़ानियत की बहुत बड़ी दलील हैं कि जो भी ग़ैब की ख़बरें आपने दी हैं वह बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ज़ाहिर होने वाला फ़िर्क़ा 'अहले क़ुर्आन' और उनका सरदार अब्दुल्लाह चकड़ालवी बिलख़ुसूस इस हदीस़ का मिस्दाक़ साबित हूआ। उसने अपने बेटे मौलवी मुहम्मद इब्राहीम को अपने माल से बग़ैर किसी क़सूर के महरूम कर दिया। वह आये और वालिद के सामने खड़े होकर बात की और ये हदीस़ सुनाई: 'जो कोई अपने एक बेटे को महरूम करेगा क़यामत के दिन इस तरह उठेगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा मरा हूआ होगा।' हदीस़ सुन कर बाप ने कहा हम नहीं जानते हम अल्लाह की किताब में जो पायेंगे उसी पर अमल करेंगे। मौलवी इब्राहीम ने नज़र उठा कर देखा तो सामने अब्दुल्लाह चकड़ालवी लकड़ी के दीवान पर सहारा लेकर बैठे हूए ये फ़िक़रा कह रहा था। उनके सामने ये मन्ज़र वाज़ेह तौर पर आ गया जो इस हदीस़ में दिखाया गया है। वह हैरत व दहशत में डूब गये और आप तो वही हैं, आप तो वही हैं कहते हूए उल्टे पाँव वापस हो गये और बाप के शहर से बहुत दूर एक गाँव में जा बसे और ज़िन्दगी भर अपने हिस्से का मुतालबा नहीं किया कि ऐसे बाप की दौलत से मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए जो इंकारे हदीस़ के सरग़ना के तौर पर रसूलुल्लाह (ﷺ) को पहले ही दिखा दिया गया था। सही अहादीस़ हतमी तौर पर वाजिबुल

अ़मल हैं। ये एक हीला है कि अहादीसे सहीहा को पहले क़ुर्आन पर पेश किया जाये और फिर अ़मल का फ़ैसला किया जाये। अहादीस क़ुर्आन से टकराती ही नहीं, बल्कि ख़ूद क़ुर्आन की रू से क़ुर्आन की वज़ाहत और तफ़सीर हैं। इनकी रोशनी में क़ुर्आन का मफ़हूम मुतय्यन होता है, कोई सही हदीस क़ुर्आन से टकराती ही नहीं, बल्कि ये भी अल्लाह की तरफ़ से हैं। सूरह अलक़ियामा में इरशादे बारी है: 'जब हम इसको पढ़ लें तब आप इसकी क़िराअत करें, फिर इसकी वज़ाहत हमारे ज़िम्मे है।' (अलक़ियामा: 18-19)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ " . قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ".

(4606) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने हमारे इस मामले (दीन) में कोई नई चीज़ पैदा की जो इसमें से नहीं तो वह मरदूद और बातिल है।' इब्ने ईसा ने यूँ रिवायत किया, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने हमारे तरीक़े के ख़िलाफ़ कोई काम किया तो वह मरदूद और बातिल है।'

(4606) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2697, व सही मुस्लिम: 1718.

फ़ायदा : (1) इस हदीस में दीन के लिये लफ़्ज़ (उमरिना) इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हिदायत का सरचश्मा रसूलुल्लाह (ﷺ) ही हैं, इसलिए आपके इरशाद के बग़ैर कोई काम भी अल्लाह के इबादत या तक़र्रुब का दर्जा नहीं पा सकता। **(2)** (फ़हुवा रद्दुन) 'वह मरदूद है' के दो मफ़हूम हैं, यानी वह काम बातिल और मरदूद है, नीज़ वह आदमी जो इसका मुर्तकिब (करने वाला) हो वह भी मरदूद और क़ाबिले नफ़रीन है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ

(4607) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़म्र सुलमी और हुज्र बिन हुज्र का बयान है कि हम हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (رضي الله عنه) की ख़िदमत में हाज़िर हुए जिनके बारे में ये आयते करीमा नाज़िल हुई थी: (वला अ़लल्लज़ीना इज़ा मा अतौका ...) 'उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं कि जब वह आपके पास आये कि आप उन्हें सवारी दें, आपने कहा कि मेरे पास कोई चीज़

{ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ . فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " .

नहीं, तो वह इस हाल में लौट गये कि उनकी आँखें, इस ग़म से आँसू बहा रही थी कि उन्हें कुछ मयस्सर नहीं जिसे वह ख़र्च करें।' हमने उन्हें सलाम किया और अ़र्ज़ किया: हम आपसे मिलने के लिये आये हैं और ये कि आपकी एयादत हो जाये और कोई इल्मी फ़ायदा भी हासिल कर लें, तो हज़रत इरबाज़ (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक दिन नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुँह कर लिया और वाज़ फ़रमाया, बड़ा ही बलीग़ और बेहतरीन वाज़, ऐसा कि उससे हमारी आँखें बह पड़ीं और दिल दहल गये। एक कहने वाले ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो गोया विदाई वाज़ था, तो आप हमें क्या वसीयत फ़रमाते हैं? फ़रमाया: मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह का तक़वा इख़्तियार किये रहना और अपने हुक्मरानों के अहकाम सुनना और मानना, ख़्वाह कोई हब्शी गुलाम ही क्यों न हो। बिलाशुब्हा तुममें से जो मेरे बाद ज़िन्दा रहा वह बहुत इख़्तिलाफ़ देखेगा, चुनांचे उन हालात में मेरी सुन्नत और मेरे ख़ुल्फ़ा की सुन्नत अपनाये रखना, ख़ुल्फ़ा जो अस्हाबे रश्दो हिदायत हैं, सुन्नत को ख़ूब मज़बूती से थामना, बल्कि दाढ़ों से पकड़े रहना, नई नई बिदआ़त व इख़्तराआ़त से अपने आपको बचाये रखना, बिलाशुब्हा हर नई बात बिदअ़त है और हर बिदअ़त गुमराही है।'

(4607) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2676, मुसनद अहमद: 4/126, 127, इब्ने हिब्बान, हदीस: 102, हाकिम, 1/90, 96.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक बड़े काम में ज़िम्नी (शामिल तौर पर) कई नियतें कर ली जायें तो जायज़ है। अज्र व सवाब नियतों ही के मुताबिक़ मिलता है। चुनांचे ज़ियारते उलमा, एयादते मरीज़ और इल्मी इस्तेफ़ादा सब ख़ैर के काम हैं, लिहाज़ा मौक़ा महल और हालात की मुनासिबत से ये तमाम काम करने चाहिए। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) हस्बे ज़रूरत नमाज़ों के बाद भी दर्स दिया करते थे। किताब व सुन्नत का वाज़ सुन कर रोना जायज़ है। (3) इख़्तिलाफ़े उम्मत को मिटाने और निजात व फ़लाह की चाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) और ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन (رضي الله عنهم) की सुन्नत है। ख़्याल रहे कि ये कोई दो सुन्नतें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सुन्नत है। अगर बिलफ़र्ज़ वाक़ेअतन कहीं कोई इख़्तिलाफ़ महसूस हो तो हुज्जत सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित शुदा क़ौल व अमल ही है। (4) मुसलमानों के इमाम यानी जिसको शूरा के ज़रिये से अपना क़ाइद चुन लिया गया हो उसकी इताअत वाजिब है बग़ैर इसके कि उसका नाम व नसब या रंग व रूप देखा जाये बशर्ते कि वह क़यादत (लीडरशिप) में शरीयत का पैरो हो। (5) दीन में बिदआत सरासर गुमराही और उम्मत में इफ़्तेराक़ व फ़ितना का बाइस हैं। जबकि सुन्नत वहदतो इत्तेफ़ाक़ की बाइस और निजात की ज़ामिन है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ عَتِيقٍ - عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ". ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

(4608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! गुलू करने वाले, हद से बढ़ने वाले हलाक हुए।' आपने ये बात तीन बार फ़रमाई।

(4608) तख़रीज : सही मुस्लिम.

फ़ायदा : क़ुर्आन व हदीस के आम फ़हम मानी पर अमल करना वाजिब है। बाल की खाल उतारना और दूर दराज़ की कोड़ियाँ लाना और बे'मतलब की तावीलों में पड़ना या दूसरों को इसमें मुब्तला करना दीन नहीं है।

बाब : 7
इत्तेबा–ए–सुन्नत की दावत देने (की अहमियत) का बयान

﴿7﴾
بابُ لُزُومِ السُّنَّةِ

(4609) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो राहे हक़ की दावत दे उसे इस क़द्र सवाब है जिस क़द्र उसकी इत्तेबा करने वालों को होगा। उन इत्तेबा करने वालों में से किसी के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और जिसने किसी गुमराही की दावत दी तो उसे इस क़द्र गुनाह होगा जिस क़द्र उसकी पैरवी करने वालों को होगा। इस वजह से उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी।'

(4609) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2674.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " .

फ़ायदा : दावत देने का मफ़हूम बिलउमूम ज़बानी दावत देना समझा जाता है, हालांकि उसके साथ साथ एक ख़ामोश दावत भी होती है कि लोग दूसरों को देख कर बहुत से काम शुरू कर देते हैं, लिहाज़ा इंसान को मुतनब्बा (सचेत) होना चाहिए कि वह अपने माहौल में क्या किरदार अदा कर रहा है। क्या वह अपने लिये नेकियाँ जमा कर रहा है या लोगों की बुराइयाँ उसके खाते में चढ़ रही हैं। इस हदीस़ में अस्हाबे ख़ैर के लिये बशारत और बद अमल और बद किरदार लोगों के लिये बहुत बड़ी तम्बीह है।

(4610) हज़रत आमिर बिन सअद अपने वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़) (ﷺ) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमानों में जुर्म के ऐतबार से सबसे बड़ा (मुजरिम) वह मुसलमान है जिसने किसी ऐसी बात के बारे में सवाल किया जो

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي

الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ " .

पहले हराम न थी, मगर उसके सवाल करने के बाइस़ हराम कर दी गई।'

(4610) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 7289, व स़ही मुस्लिम.

फ़ायदा : दीन के अहकाम जिस तरह एक ़आम आदमी की समझ में आ सकते हैं उसी तरह उन पर ़अमल करना चाहिए, इता़अत के लिये ये काफ़ी है। ख़ूद उन अहकाम के अन्दर मुख़्तलिफ़ पहलूओं को निकाल निकाल कर सवाल करने में कई क़बाहतें हैं। बग़ैर ज़रूरत बाल की खाल उतारने से अपने और दूसरों के लिये सख़्त दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, उनसे एहतराज़ करते हूए सच्ची नियत से आयात व अहादीस़ के आसान और ़आम मफ़हूम पर ़अमल करना काफ़ी है। क़ुर्आन मजीद में बयान किया गया है कि यहूदीयों को गाय ज़बह करने का हुक्म मिला। उन्होंने कैसी, किस रंग की, किस तरह की, गाय के हवाले से सवाल पूछने शूरू कर दिये। हर सवाल से गाय की तख़्स़ीस़ होती गई और इस तरह की गाय ढूंढ़ कर ज़बह करना मुश्किल से मुश्किलतर होता गया। अल्लाह त़आला ने इस तरीक़े कार को यहूद के ग़लत तरीक़े पर महमूल फ़रमाया। हुक्म मिलते ही अगर वह हुस्ने नियत से कोई एक गाय ज़बह कर देते तो अपने फ़र्ज़ से बआसानी सुबुकदोश हो जाते। (छुटकारा पा लेते) बहुत ज़्यादा सवालात करना कभी भी अच्छा नहीं समझा गया, बिलख़ुसूस़ ऐसे सवालात जिनका ़अमली ज़िन्दगी से वास्ता न हो। या महज़ फ़र्ज़ी मसाइल हों। अब अगरचे हिल्लतो व हुरमत का दौर तो नहीं मगर ़उलमा से भी लाज़मी और ज़रूरी सवालात ही करने चाहिए जिनका ताल्लूक़ हक़ीक़ते वाक़िया से हो। फ़र्ज़ी स़ूरतें सोच सोच कर उनके जवाब माँगना या तलाश करना ग़ैर स़ेहतमंद रवैया है जिससे इस्लाम ने मना किया है।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ، عَائِذَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لاَ يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلاَّ قَالَ اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا

(4611) यज़ीद बिन ़उमैरा हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) के साथियों में से थे। उन्होंने बताया कि हज़रत मुआज़ (ﷺ) जब भी ज़िक्र की मज्लिस में बैठते तो उनकी ज़बान से ये अल्फ़ाज़ निकलते: अल्लाह ़अज़्ज़ व जल्ल ख़ूब ़आदिल और फ़ैस़ला करने वाला है, शक करने वाले हलाक हो गये। हज़रत मुआज़ (ﷺ) ने एक दिन कहा: तुम्हारे बाद बड़े फ़ितने होंगे। माल बहुत बढ़ जायेगा और क़ुर्आन खोल (़आम कर) दिया जायेगा यहाँ तक कि मोमिन, मुनाफ़िक़, मर्द, ़औरतें,

يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لاَ يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلاَلَةٌ وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ . قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كَلاَمِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ وَلاَ يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا وَلاَ يُنْئِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ مَكَانَ يُثْنِيَنَّكَ . وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْمُشَبِّهَاتِ مَكَانَ الْمُشْتَهِرَاتِ وَقَالَ لاَ يُثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ . وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَى

छोटा, बड़ा, गुलाम और आज़ाद सभी उसे हासिल करेंगे ओर ऐसा होगा कि कहने वाला कहेगाः लोगों को क्या हुआ मेरी पैरवी नहीं करते, हालांकि मैंने क़ुर्आन पढ़ा है? (वह कहेगा) ये लोग उस वक़्त तक मेरी पैरवी नहीं करेंगे यहाँ तक कि मैं उनके लिये इसके अलावा कोई नई इख़्तराअ करूं। चुनांचे तुम अपने आपको उसकी बिदअत से बचाये रखना, उसकी बिदअत ज़लालत और गुमराही होगी। और मैं तुम्हें दाना बंदे की ठोकर से भी डराता हूं। शैतान कभी दाना बंदे की ज़बान से गुमराही का कोई कलिमा निकलवा देता है और कभी मुनाफ़िक़ भी हक़ बात कह देता है। (यज़ीद कहते हैं) मैंने हज़रत मुआज़ (ﷺ) से कहाः अल्लाह आप पर रहम फ़रमाये! मुझे कैसे मालूम हो कि दाना आदमी गुमराही का कलिमा कह जाता है और मुनाफ़िक़ हक़ की बात कह देता है? कहा कि हाँ। दाना की ऐसी बातों से बचना जो मशहूर हो जाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये क्या है? मगर ये बात तुम्हारा इससे रूख़ मोड़ लेने का बाइस न बने, ऐसा (भी तो) हो सकता है कि वह इससे रूजू कर ले, और हक़ जिस किसी से भी सुनो क़बूल कर लो, बिलाशुब्हा हक़ पर नूर होता है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मअमर ने बवास्ता ज़ोहरी इस रिवायत में (यस्नियन्नका) की बजाये (वला युन्इयन्नका ज़ालिका अ़न्हु) 'ये बात

مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيمِ حَتَّى تَقُولَ مَا أَرَادَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ .

तुझे इससे बेरूख़ न बना दे।' कि लफ़्ज़ रिवायत किये हैं। सालेह बिन कैसान ने ज़ोहरी से रिवायत करते हूए (मुश्तहिरात) की बजाये (अलमुश्तबिहात) का लफ़्ज़ रिवायत किया और ऐसे ही (ला यस्नियन्नका) का लफ़्ज़ रिवायत किया जैसे कि उक़ैल ने रिवायत किया है। इब्ने इस्हाक़ ने ज़ोहरी से रिवायत करते हूए कहा: हाँ दाना की जो बात तुम्हारे लिये शुब्हे का बाइस हो यहाँ तक कि तुम कहने लगो ना मालूम उसने इस कलिमा से क्या मुराद लिया है?

(4611) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 3/270.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कभी कभी जानकार लोग भी किसी चीज़ के समझने में सही और ऐतदाल की राह से दूर हो सकते हैं। उनके ऐसे अक़वाल (बातें) उम्मत के लिये ताज्जुबअंगेज़ होते हैं। ऐसे अक़वाल को छोड़ दें लेकिन उनकी सही बातों को मुस्तरद करना शुरू न करें। **(2)** दाई–ए–हक़ को चाहिए हमेशा हिकमत व दानाई के साथ ख़ालिस कुर्आन और सही सुन्नत का पैग़ाम पहुँचाने ही को अपना मत्महे नज़र बनाये। जब उसकी बात किताब व सुन्नत के मुताबिक़ हो तो बग़ैर इस फ़िक्र के कि लोग उसे क़बूल करते हैं या नहीं, या किस क़द्र करते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अलीम व ख़बीर है और मख़्लूक़ात के दिल उसके हाथ में हैं। बिदअतों से हर एक को बहुत दूर भागना चाहिए। उनका अन्जाम ज़लालत और हलाकत के सिवा कुछ नहीं। **(3)** नबी (ﷺ) के बाद कोई कितना ही दाना क्यूँ न हों वह ख़ूद ब ख़ूद किसी तरह शरई हुज्जत और दलील नहीं। उसकी बात कुर्आन व सुन्नत की कसौटी पर जाँच कर ही क़ाबिले क़बूल हो सकती है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ دُلَيْلٍ، قَالَ

(4612) अबू रजा ने अबू सल्त से रिवायत किया कि एक शख़्स ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) को ख़त लिखा। जिसमें उसने उनसे तक़दीर का मसला दरयाफ़्त किया, तो उन्होंने जवाब लिखा: हम्द व सलात के बाद, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अल्लाह का तक़वा इख़्तियार किये रहो और अल्लाह के अम्र में ऐतदाल से काम लो।

سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَمَعْنَاهُمْ - قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالاِقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلاَّ قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلاَفِهَا وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ . مِنَ الْخَطَإِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ

अल्लाह के नबी (ﷺ) की सुन्नत का इत्तेबा करो और बिदअतों की बिदआत से दूर रहो बिलख़ुसूस जब दीन के मामले में आप (ﷺ) की सुन्नत जारी हो चुकी और उसमें लोगों की ज़रूरत पूरी हो चुकी। सुन्नत को लाज़िम पकड़ो यक़ीनन यही चीज़ अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे लिये (गुमराही से) बचने का सबब होगी। याद रखो! लोगों ने जिस क़द्र भी बिदआत निकाली हैं, उनसे पहले वह रहनुमाई आ चुकी जो उन (बिदआत) के ख़िलाफ़ दलील है। या उसमें कोई न कोई इबरत है। बिलाशुब्हा सुन्नत उस मुक़द्दस ज़ात ने अता फ़रमाई जिन्हें इल्म था कि इसकी मुख़ालिफ़त में क्या ... रावी मुहम्मद बिन कसीर ने (मन क़द अलिमा) के लफ़्ज़ रिवायत नहीं किये ... ख़ता ठोकर और हिमाक़त और (हलाकत की) खाई है। लिहाज़ा अपने आपको उस चीज़ पर राज़ी और मुतमइन रखो जिस पर क़ौम (सहाबा) राज़ी रहे हैं, बिलाशुब्हा वह लोग इल्म से बहरावर थे। (जिन बातों से उन्होंने मना किया) गहरी बसीरत की बिना पर मना किया और उन हक़ाइक़ की आगही पर (जिनसे तुम ख़ूद के गुमान से आगाह हूए हो) वह लोग ज़्यादा क़ादिर थे और अपने फ़ज़ाइल की बिना पर उसके ज़्यादा हक़दार थे। अगर हक़ व हिदायत यही हो जिसे तुमने समझा है तो तुम गोया उनसे सब्क़त ले गये। अगर तुम ये कहो कि ये उमूर उन (सहाबा) के बाद नये ईजाद हूए हैं तो उनके ईजाद करने वाले उन

عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ . مَا أَحْدَثَهُ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلَوْا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ وَلاَ ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ أَثَرًا وَلاَ أَثْبَتُ أَمْرًا مِنَ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهَلاَءُ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلاَمِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ بَعْدُ إِلاَّ شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلاَ حَدِيثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضْعِيفًا لأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكُونَ شَىْءٌ لَمْ يُحِطْ

(सहाबा) की राह पर नहीं हैं, बल्कि उनसे ऐराज़ करने वाले हैं। बिलाशुब्हा वह सहाबा ही (हक़ और नेकी में) सब्क़त ले जाने वाले थे। उन्होंने इन उमूर में जो बात की वही काफ़ी है। जो बयान किया इसी में शिफ़ा है। चुनांचे उनसे कमतर पर रूकना कोताही (इफ़्रात) है और उनसे बढ़ कर तौज़ीह करना ज़्यादती या थकावट (तफ़रीत) है (उनके तर्ज़े अमल से कमी करना जायज़ है, न उनसे बढ़ाना जायज़) जिन्होंने कमी की उन्होंने ज़ुल्म किया और जो आगे बढ़े उन्होंने गुलू किया। जबकि वह (सहाबा) उनके बीच (असल) हिदायत और राहे मुस्तक़ीम (सीधी राह) पर थे।

तुमने तक़दीर के इक़रार के मुताल्लिक़ लिख कर पूछा है तो अल्लाह के फ़ज़ल से तुमने एक साहिबे इल्म व ख़बर से पूछा है। मैं नहीं जानता कि लोगों ने जितनी भी नई बातें गढ़ी हैं और जितनी भी बिदआत ईजाद की हैं उनमें तक़दीर के मसले से बढ़कर भी कोई मसला वाज़ेह और दलाइल की रू से क़वी (मज़बूत) तर हो, इसका ज़िक्र तो क़दीम तरीन अय्यामे जाहिलीयत में भी होता था, लोग अपनी गुफ़्तगू और अपने अशआर में इसका ज़िक्र करके इससे तसल्ली पाते थे। फिर इस्लाम ने उनके बाद में अक़ीद–ए–तक़दीर को मज़ीद (वाज़ेह) और मुस्तहकम किया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दो नहीं, बहुत सारी अहादीस में इसका ज़िक्र किया है। मुसलमानों ने आपसे सुनकर आपकी ज़िन्दगी में और आपके बाद भी इसके बारे में गुफ़्तगू की। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तस्लीम व

بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا وَلِمَ قَالَ كَذَا . لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقَدَّرْ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلاَ نَمْلِكُ لأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا .

रज़ा और अपने इज्ज़ (कमतरी) का ऐतराफ़ किया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस पर अल्लाह का इल्म मुहीत न हो, या किताबे तक़दीर में उसका शुमार न हो, या उसमें उसकी तक़दीर जारी न हूई हो। साथ ही ये बात उसकी मुहकम किताब (क़ुर्आन हकीम) में भी है। सहाब–ए–किराम (ﷺ) ने इस मसला को इससे अख़ज़ किया था और यहीं से वह इससे बाख़बर हूए। अगर तुम कहो अल्लाह ने फुलां आयत क्यूँ नाज़िल की और इस तरह क्यूँ कहा? तो (ज़रा सोचो कि) उन्होंने (यानी सहाबा) ने भी तो यही आयात पढ़ीं जो तुमने पढ़ी। अलबत्ता वह इसकी तफ़्सीर व तावील पा गये जिससे तुम जाहिल रहे। इसके बाद उनका क़ौल ये है कि ये सब अल्लाह की तरफ़ से लिखा हूआ और उसकी तक़दीर से है। शक़ावत और बदबख़्ती भी लिखी हूई है। जो कुछ मुक़द्दर है, हो जाता है। अल्लाह जो भी चाहता है होता है और जो नहीं चाहता नहीं होता। हम अपने नफ़ा और नुक़सान के मालिक नहीं हैं। फिर (इसी असल पर) वह अल्लाह की तरफ़ रागिब रहे और उसी से डरते रहे।

(4612) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْقَدَرِ

(4613) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि शाम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) का एक दोस्त था, जिसकी उनसे ख़त किताबत रहती थी। हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने उसको लिखा: मुझे ये ख़बर पहुँची है कि तूने तक़दीर के बारे में कोई बातें की हैं। (तू तक़दीर को झुठलाता है) लिहाज़ा आइन्दा के लिये मुझे कोई ख़त न लिखना। बिलाशुब्हा

فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ "

मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'तहक़ीक़ मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो तक़दीर को झुठलायेंगे।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2152, इब्ने माजा, हदीस: 4061, मुसनद अहमद: 2/90.

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) का ये मुक़ातआ (ऐलाने ला'ताल्लुक़ी) बुग़्ज़ फ़िल्लाह का इज़हार था और बिलाशुब्हा अहले ईमान की दोस्ती और नाराज़ी अल्लाह और उसके दीन के साथ वाबस्ता रहने की बुनियाद ही पर होती है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ، لِلسَّمَاءِ خُلِقَ أَمْ لِلأَرْضِ قَالَ لاَ بَلْ لِلأَرْضِ . قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوِ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ . قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ } قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لاَ يَفْتِنُونَ بِضَلاَلَتِهِمْ إِلاَّ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَحِيمَ .

(4614) जनाब ख़ालिद अलहज़्ज़ा (रह.) कहते हैं कि मैंने जनाब हसन बसरी (रह.) से कहा: अबू सईद! मुझे ये बतायें कि हज़रत आदम अलैहि. आसमान के लिये पैदा किये गये थे या ज़मीन के लिये? उन्होंने कहा: ज़मीन के लिये। मैंने कहा: क्या ख़्याल है अगर वह गुनाह से बच जाते और दरख़्त से न खाते तो ... ? कहा: ये उनके लिये मुमकिन ही न था (क्योंकि यही मुक़द्दर था।) मैंने कहा अल्लाह तआला के इस फ़रमान का क्या मफ़हूम है: (जो जिन्नात और शयातीन के मुताल्लिक़ फ़रमाया:) (मा अन्तुम अलैहि बिफ़ातिनीन इल्ला मन हुवा सालिल जहीम) 'तुम किसी को अल्लाह की तरफ़ से नहीं फेर (बहका) सकते हो, मगर उसे ही जो जहन्नम में पड़ने वाला हो।' कहा कि शयातीन अपनी गुमराही से सिर्फ़ उन्हीं को गुमराह करते हैं जिन पर अल्लाह ने जहन्नम में गिरना वाजिब किया हो।

(4614) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इंकारे तक़दीर का फ़ितना सबसे पहले बसे में शुरू हुआ था और हज़रत हसन बसरी (रह.) मारूफ़ ताबेई हैं, उनके मुताल्लिक़ कई लोगों को शुब्हा हुआ कि शायद वह भी

तक़दीर के इंकारी हैं। मगर ऐसी कोई बात न थी। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अगली रिवायत में उन पर से इसी तोहमत का रद्द किया है कि वह तक़दीर पर पूरी तरह ईमान रखते थे। (2.) जहन्नम में जाना वाजिब इस तरह कि अल्लाह को पहले से इल्म है कि किसको हर सूरत जहन्नम में जाना है। इस यक़ीनी इल्म को वजूब कहा गया है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ } قَالَ خَلَقَ هَؤُلاَءِ لِهَذِهِ وَهَؤُلاَءِ لِهَذِهِ .

(4615) जनाब हसन बस़री (रह.) से मनक़ूल है कि उन्होंने अल्लाह तआला के इस फ़रमानः (वलिज़ालिका ख़लकहुम) 'अल्लाह ने उनको इसलिए पैदा किया (कि हक़ से इख़्तिलाफ़ करते रहें।)' की तफ़्सीर में फ़रमाया कि उन लोगों को इस (जहन्नम) के लिये पैदा किया और दूसरों को इस (जन्नत) के लिये।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी, हदीस: (क़ 86 ब).

फ़ायदा : 'इसके लिये पैदा किया' का मतलब भी यही है कि पैदाइश या उससे भी पहले अल्लाह को इल्म है। आख़िरत का मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के इल्म और तक़दीर ही पर मुन्हसिर है।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ } قَالَ إِلاَّ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ .

(4616) ख़ालिद अलहज़्ज़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत हसन बस़री (रह.) से आयते करीमा (मा अन्तुम अ़लैहि बिफ़ातिनीन इल्ला मन हुवा स़ालिल जहीम) (की तफ़्सीर) के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फ़रमाया कि ये अल्लाह तआला ने उसी के लिये लाज़िम किया है जो जहन्नम में जलने वाला हो। (ये ऊपर दी गई रिवायत 4614 की मानिन्द है)

(4616) तख़रीज : (सनद स़ही)

(4617) जनाब हुमैद से मनक़ूल है कि हज़रत हसन बस़री (रह.) कहा करते थे कि आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ना मुझे इससे ज़्यादा पसन्द है कि मैं यूँ कहूँ कि मामला मेरे हाथ में है। (मक़स़द ये है कि तक़दीर का इंकार मुझे हरगिज़ हरगिज़ गवारा नहीं।)

(4617) तख़रीज : (सनद स़ही)

حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لأَنْ يُسْقَطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ الأَمْرُ بِيَدِي .

(4618) जनाब हुमैद ने बयान किया कि हज़रत हसन बस़री (रह.) मक्का आये तो वहाँ के उ़लमा व फ़ुक़हा (फ़क़ीहों) ने मुझसे कहा कि मैं उनसे ये कहूँ कि वह एक दिन हमें वाज़ सुनायें। तो उन्होंने क़बूल कर लिया। चुनांचे वह जमा हो गये और हसन बस़री (रह.) ने दर्स दिया तो मैंने उनसे बढ़ कर किसी को ख़तीब न पाया। एक आदमी ने पूछा: अबू सईद! शैतान को किसने पैदा किया है? वह कहने लगे सुब्हानल्लाह! भला अल्लाह के सिवा भी कोई ख़ालिक़ है? अल्लाह ही ने शैतान को पैदा किया है। ख़ैर और शर का ख़ालिक़ वही है। तो वह आदमी कहने लगा: अल्लाह उनको हलाक करे (ना मालूम) किस बिना पर वह इस शैख़ पर झूठ बोलते हैं।

(4618) तख़रीज : (सनद स़ही)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَسَنُ مَكَّةَ فَكَلَّمَنِي فُقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي أَنْ يَجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يَعِظُهُمْ فِيهِ . فَقَالَ نَعَمْ . فَاجْتَمَعُوا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْرَ وَخَلَقَ الشَّرَّ . قَالَ الرَّجُلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ كَيْفَ يَكْذِبُونَ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ .

फ़ायदा : ख़ालिक़ सिर्फ़ अल्लाह तआला है। हर चीज़ उसने पैदा की। अन्धेरा न हो तो नूर की पहचान मुमकिन नहीं। शर न हो तो ख़ैर की ख़ूबी कैसे मालूम हो।

(4619) जनाब हुमैद अत्तवील ने हज़रत हसन बस़री (रह.) से रिवायत किया कि उन्होंने इस आयते करीमा: (कज़ालिका

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، {كَذَلِكَ

نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ} قَالَ الشِّرْكُ

नस्लुकुहू फ़ी कुलूबिल मुजरिमीन) 'ऐसे ही हम ये बात मुजरिमों के दिलों में डाल देते हैं।' की तफ़्सीर में कहा: इससे मुराद 'शिर्क' है।

(4619) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ غَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدٍ الصِّيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } قَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الإِيمَانِ .

(4620) उबैद अस्सीद हज़रत हसन बसरी (रह.) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने आयते करीमा: (व हीला बैनहुम व बैना मा यश्तहून) की तफ़्सीर में कहा कि उनके और उनके ईमान लाने की ख़्वाहिश में रूकावट कर दी जायेगी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी. पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : आयते करीमा का मफ़हूम वाज़ेह है कि आख़िरत में कुफ़्फ़ार चाहेंगे कि उनका ईमान क़बूल कर लिया जाये और अज़ाब से उनकी निजात हो जाये, लेकिन उनके और उनकी इस ख़्वाहिश के दरम्यान पर्दा हाइल कर दिया जायेगा। यानी इस ख़्वाहिश को रद्द कर दिया जायेगा। (तफ़्सीर अहसनुल बयान)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ بِالشَّامِ فَنَادَانِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَقَالَ يَا أَبَا عَوْنٍ مَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُونَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيرًا.

(4621) जनाब इब्ने औन कहते हैं कि मैं मुल्के शाम में था कि पीछे से किसी ने मुझ को आवाज़ दी। मैं मुतवज्जा हूआ तो देखा कि जनाब रजा बिन हैवा थे। उन्होंने कहा: अबू औन! ये क्या बातें हैं जो लोग हसन बसरी के मुताल्लिक़ कह रहे हैं? मैंने कहा: ये लोग हसन पर बहुत झूठ बोल रहे हैं।

(4621) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَقُولُ كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرْبَانِ مِنَ النَّاسِ قَوْمٌ الْقَدَرُ رَأْيُهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُنَفِّقُوا بِذَلِكَ رَأْيَهُمْ وَقَوْمٌ لَهُ

(4622) अय्यूब ने बयान किया कि हज़रत हसन बसरी (रह.) पर झूठ बोलने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वह जो तक़दीर के मुन्किर (इन्कार करने वाले) हैं। उनकी ख़्वाहिश है कि इस तरह से अपनी बात और राय को शौहरत दे लें और आम कर दें। और

فِي قُلُوبِهِمْ شَنَآنٌ وَبُغْضٌ يَقُولُونَ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا

दूसरे वह हैं जिनके दिलों में कुछ और अदावत है (और इस तरह बातें करते हैं) क्या ये उसका क़ौल नहीं, क्या उसने इस तरह नहीं कहा है? वग़ैरह।

(4622) तख़रीज : (सनद सही) शरहुस्सुन्ना: 4/681, हदीस: 1253, बैहक़ी.

फ़ायदा : अहले अहवा (ख़्वाहिशपरस्तों) का दस्तूर है कि वह अपने नज़रियात को फैलाने के लिये उन लोगों की तरफ़ अपनी ग़लत बातें मन्सूब करते हैं जिनका लोग एहतराम करते हैं और जिन पर ऐतमाद करते हैं।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ يَحْيَى بْنَ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيَّ، حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لَنَا يَا فِتْيَانُ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى الْحَسَنِ فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيُهُ السُّنَّةَ وَالصَّوَابَ .

(4623) जनाब क़ुर्रा बिन ख़ालिद हम से कहा करते थे ऐ जवानो! हसन बसरी के बारे में मग़लूब न हो जाना। बिलाशुब्हा उनकी राय सुन्नत के मुताबिक़ और हक़ व सवाब (के ताबेअ) थी।

(4623) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ كَلِمَةَ، الْحَسَنِ تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ لَكَتَبْنَا بِرُجُوعِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدْنَا عَلَيْهِ شُهُودًا وَلَكِنَّا قُلْنَا كَلِمَةٌ خَرَجَتْ لاَ تُحْمَلُ .

(4624) इब्ने औन ने कहा: अगर हमें ये इल्म होता कि हसन बसरी की कही हुई बात इस हद तक पहुँच जायेगी जहां तक कि पहुँची तो हम उनके रूजू के मुताल्लिक़ एक किताब लिखते और उस पर गवाहियाँ क़ायम करते। लेकिन हम समझते कि एक बात थी जो हो गई सो हो गई, मशहूर न होगी।

(4624) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ قَالَ لِيَ الْحَسَنُ مَا أَنَا بِعَائِدٍ، إِلَى شَىْءٍ مِنْهُ أَبَدًا .

(4625) अय्यूब कहते हैं कि जनाब हसन बसरी (रह.) ने मुझसे कहा: मैं आइन्दा कभी ऐसी बात नहीं कहूंगा। (जिस में तक़दीर के इंकार का शुब्हा हो)

(4625) तख़रीज : (सनद सही) शरहुस्सुन्ना: 4/681, हदीस: 1252.

حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، قَالَ مَا فَسَّرَ الْحَسَنُ آيَةً قَطُّ إِلاَّ عَلَى الإِثْبَاتِ .

(4626) उ़स्मान अलबत्ती बयान करते हैं कि हसन बस़री (रह.) ने जब भी (क़ुर्आन करीम की) किसी आयत की तफ़्सीर की तो उसमें तक़दीर के साबित करने का (और उस पर ईमान) ही का ज़िक्र किया।

(4626) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत हसन बिन अबूल हसन (यसार) अंसार के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और इस निस्बते वला से 'अन्सारी' कहलाते थे। मशहूर स़ाहिबे इल्म व फ़ज़ल, फ़क़ीह और सिक़ा मोहद्दिस़ हैं। रिवायते हदीस़ में क़ाबिले ऐतमाद हैं। मोहद्दिस़ीन में ताबेइन के तीसरे तबक़े के रईस शुमार होते हैं। तक़रीबन नव्वे (90) साल उ़मर पाई और 110 हिजरी में फ़ौत हूए। **(2)** कुछ लोग अस्हाबे इल्म की कुछ बातों से ग़लत मफ़हूम निकालने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ़ से इज़ाफ़े करते हैं और अ़वाम को बहकाते हैं। जब किसी अहले इल्म के साथ ऐसा हो तो उसे अल्फ़ाज़ को देखना चाहिए कि अगर लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो अपने अल्फ़ाज़ बदल लें बल्कि वापस ले लें। जनाब हसन बस़री (रह.) ने यही तर्ज़े अ़मल इख़्तियार फ़रमाया। **(3)** उ़लमा–ए–हक़ पर वारिद किये जाने वाले तोहमतों का इज़ाला करना और उनकी इ़ज़्ज़त व करामत का दिफ़ा करना अख़लाक़ी, शरई और इस्लामी हक़ है। उनका दिफ़ा करने से हक़ का दिफ़ा होता है। अगर अहले बिदअ़त अहले हक़ की शोहरत को मजरूह कर दें तो हक़ की इशाअ़त में बहुत बड़ी रूकावट आ जाती है।

﴿8﴾ بَابٌ فِي التَّفْضِيلِ

बाब : 8 (स़हाब–ए–किराम में) तफ़्ज़ील का बयान

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ

(4627) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के ज़माने में हम हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के बराबर किसी को न करते थे। फिर उनके बाद हज़रत उ़मर (ﷺ) और उनके बाद हज़रत उ़स्मान (ﷺ) (का दर्जा समझते थे) फिर नबी (ﷺ) के अस्हाब में

कोई तफ़्ज़ील न समझते थे (बल्कि सब को मसावी समझते थे।)

(4627) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3698.

عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ .

(4628) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हम कहा करते थे जबकि रसूल (ﷺ) हयात थे: नबी (ﷺ) की उम्मत में आपके बाद सबसे अफ़ज़ल अबूबक्र हैं, फिर उमर और फिर उस्मान। अल्लाह उन सबसे राज़ी हो।

(4628) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी आसिम फ़िस्सुन्नह: हदीस: 1140.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَىٌّ أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رضى الله عنهم أَجْمَعِينَ .

(4629) (हज़रत अली (ﷺ) के फ़रज़न्द अर्जमंद) जनाब मुहम्मद बिन हंफ़िया से मरवी है कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से दरयाफ़्त किया कि रसूल (ﷺ) के बाद सबसे अफ़ज़ल कौन है? उन्होंने कहा: हज़रत अबूबक्र (ﷺ) मैंने कहा: फिर कौन? कहा: हज़रत उमर (ﷺ) फिर मुझे अन्देशा हूआ कि अगर मैंने पूछ लिया कि उनके बाद कौन है, तो वह कहेंगे हज़रत उस्मान (ﷺ) तो मैंने अज़ ख़ूद कह दिया। फिर तो आप होंगे, अब्बा जान! वह कहने लगे: मैं तो मुसलमानों में से एक आम आदमी हूँ।

(4629) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3671.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ . قَالَ ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُولَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَةِ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहले बैत के अफ़राद भी अपने तौर पर हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (ﷺ) की अफ़ज़लीयत और मुसलमानों में उनकी शोहरत से बख़ूबी आगाह थे और इक़रारी भी, जैसे कि सय्यदना अली (ﷺ) ने सराहत से फ़रमाया। **(2)** हज़रत अली (ﷺ) एक

मिलन्सार शख़्सीयत थे। उनमें तकब्बुर और बड़प्पन नहीं थी। (3) तफ़्ज़ीले सहाबा के हवाले से फ़ितरी तौर पर लोगों में एक एहसास मौजूद था। लेकिन उस पर कोई झगड़ा मौजूद न था। बाद में फ़ितना परदाज़ों ने अपने मक़ासिद के हुसूल और मुसलमानों में तफ़रक़ा (गिरोहबंदी) और जिदाल पैदा करने के लिये उसको अक़ाइद से ताल्लूक़ रखने वाला एक अहम और नज़ाई मौज़ूअ बना लिया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي الْفِرْيَابِيَّ - قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَحَقَّ بِالْوِلاَيَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَّأَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ وَمَا أُرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ .

(4630) जनाब सुफ़ियान सौरी (रह.) कहा करते थे: जिस शख़्स का ये गुमान हो कि हज़रत अली (ﷺ) हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर(ﷺ) की निस्बत ख़िलाफ़त के ज़्यादा हक़दार थे तो उसने हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर, मुहाजिरीन और अन्सार (ﷺ) को ग़लती पर समझा। और मैं नहीं समझता कि इस अक़ीदा के होते हूए उसका कोई अमल आसमान की तरफ़ उठता हो।

(4630) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : मुहाजिरीन व अन्सार और कुल सहाब–ए–किराम (ﷺ) तमाम तबक़ाते इंसानी में वह मोहतरम तबक़ा हैं जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने नबी (ﷺ) की सोहबत और अपने दीन की नुसरत के लिये मुन्तख़ब फ़रमाया। तो उन सब की इज्तेमाई राय को बातिल किस तरह क़रार दिया जा सकता। बिलाशुब्हा नबी (ﷺ) के बाद कोई मासूम नहीं मगर क्या वह इस क़द्र ही गये गुज़रे थे कि अपने इज्तेहाई मामलात को राहे हक़ व सवाब पर चलाने से बेबस थे। हाशा वकल्ला! वह यक़ीनन इल्म व फ़ज़ल की तरह फ़हम व फ़रासत में भी सबसे अफ़ज़ल वआला थे और इन्हीं फ़ज़ाइल की बिना पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी क़ुर्आन मजीद में मदह फ़रमाई है। उन्होंने अपनी शूरा से जिनको अपना क़ाइद बनाया वह सही मानी में अफ़ज़ल तरीन लोग थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ السَّمَّاكُ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضى الله عنهم .

(4631) जनाब सुफ़ियान सौरी (रह.) कहा करते थे कि ख़ुल्फ़ा पाँच हैं। यानी अबूबक्र, उमर, उस्मान, अली और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (ﷺ)

(4631) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है। ताहम उ़मूमी राय यही है कि नबी के तरीके पर सही मानों में क़ाइम ख़ुल्फ़ा ये पाँच थे, दुसरे की ख़िलाफ़तों में कुछ न कुछ इन्हेराफ़ आ गया था। चुनांचे ये वाक़िया है कि चारों ख़लीफ़ा (अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली) (ﷺ) के अलावा उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) जो ताबेई थे, लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअ़त उ़मूमी तौर पर इनको भी ख़ुल्फ़ा–ए–राशिद समझती है क्योंकि सुलैमान बिन अब्दुल मलिक की तरफ़ से नामज़दगी को उन्होंने क़बूल न किया और लोगों को अपनी शूरा के ज़रिये से अपना हुक्मरान मुन्तख़ब करने का इख़्तियार दिया। लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उन्हीं को अमीरूल मोमिनीन मुन्तख़ब किया। फिर उन्होंने दीगर ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन की तरह मामलाते हुकूमत बिल्कुल क़ुर्आन व सुन्नत के मुताबिक़ चलाये इसलिये वह भी बजा तौर पर ख़ुल्फ़ा–ए–राशिद हैं। हज़रत हसन(ﷺ) सात महीने तक ख़लीफ़ा रहे। उनका ये दौर पहली ख़िलाफ़ते राशिदा का हिस्सा है।

बाब : 9
ख़ुल्फ़ा का बयान

﴿9﴾ باب فِي الْخُلَفَاءِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ - قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ

(4632) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहा करते थे कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: मैंने आज रात ख़्वाब में देखा है कि एक बादल से घी और शहद टपक रहा है। मैंने लोगों को देखा कि वह अपनी हथेलियाँ फैलाये हूए थे, तो कुछ ने उनसे ख़ूब ख़ूब लिया और कुछ ने कम लिया। और मैंने एक रस्सी देखी जो आसमान से ज़मीन तक लटकी हूई हैं, ऐ अल्लाह के रसूल! आप को देखा कि आपने उसको पकड़ा है और ऊपर चढ़ गये हैं। फिर एक दूसरे आदमी ने उसे पकड़ा वह भी ऊपर चढ़ गया। फिर एक और आदमी ने उसे पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। फिर एक और आदमी ने पकड़ा तो

वह टूट गई। फिर जोड़ दी गई तो वह ऊपर चढ़ गया। पस हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! मुझे इजाज़त दीजिये कि मैं उसकी ताबीर अ़र्ज़ करूं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसकी ताबीर बयान करो।' तो उन्होंने कहा: वह बादल, इस्लाम का साया है और उससे टपकने वाला घी और शहद, क़ुर्आन की मुलायमत (नर्मी) और शीरीनी है। ज़्यादा या कम लेने वाले, तो वह वही हैं जो क़ुर्आन से अपना हिस्सा ज़्यादा ले रहे हैं या कम। और आसमान से लटकने वाली रस्सी, वही हक़ है जिस पर आप (ﷺ) हैं। आपने उसे पकड़ा है तो अल्लाह आपको बलन्द फ़रमायेगा। फिर आपके बाद एक आदमी पकड़ेगा और उसके ज़रिये से ऊपर चढ़ जायेगा। उसके बाद दूसरा आदमी पकड़ेगा तो वह भी ऊपर चढ़ जायेगा। फिर तीसरा आदमी पकड़ेगा तो वह टूट जायेगी, फिर उसे उसकी ख़ातिर जोड़ दिया जायेगा तो फिर वह ऊपर चढ़ जायेगा। ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मुझे ज़रूर बतायें कि मैंने दुरूस्त कहा है या ग़लत? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमने कुछ दुरूस्त कहा है और कुछ में ग़लती की है।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपको क़सम देकर कहता हूं मुझे ज़रूर बतायें कि मैंने क्या ग़लती की है। आपने फ़रमाया: 'क़सम मत दो।'

(4632) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3268 में देखें, बुख़ारी, 7046, व सही मुस्लिम: 2269.

أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَعَلاَ بِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي وَأُمِّي لَتَدَعَنِّي فَلأَعْبُرَنَّهَا . فَقَالَ " اعْبُرْهَا " . قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الإِسْلاَمِ وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِينُهُ وَحَلاَوَتُهُ وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ أَىْ رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ . فَقَالَ " أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا " . فَقَالَ أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْسِمْ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सच्चे और उम्दा ख़्वाब मोमिन के लिये नबूवत का छियालीसवाँ हिस्सा क़रार दिये गये हैं और उनके ज़रिये से बंदे को कुछ मामलात की इत्तला या कुछ मामलात से आगाह किया जाता है। (2) ऊपर दिये गये ख़्वाब में ख़िलाफ़ते नबूवत की तरफ़ इशारा था। जिसे कि सय्यदना सिद्दीक़े अकबर (ﷺ) बजा तौर पर समझ गये थे। इसमें ग़लती क्या थी? तो उसके दरपे होना क़तअन रवा नहीं। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सराहत नहीं फ़रमाई तो किसी और को क्या हक़ पहुँचता है कि ज़न व अन्दाज़े से कोई बात कहे। (3) किसी को लफ़्ज़े क़सम के साथ क़सम देने से उसकी तामील वाजिब नहीं हो जाती। (4) किसी तिल्मीज़ या अदना आदमी को जायज़ है कि अपने शैख़ या बड़े के होते हूए उसकी इजाज़त से किसी सवाल का जवाब दे या उस पर बहस करे। ये ख़िलाफ़े अदब शुमार नहीं होगा। बिला इजाज़त बोलना बे'अदबी होगी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ .

(4633) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये ऊपर दिया गया क़िस्सा बयान किया। कहा कि आप (ﷺ) ने (ग़लती की वज़ाहत करने से) इंकार फ़रमा दिया।

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا " . فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا

(4634) हज़रत अबूबक्र (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन दरयाफ़्त फ़रमाया: 'तुममें से ख़्वाब किसने देखा है?' एक आदमी ने कहा: मैंने। मैंने देखा कि गोया आसमान से एक तराज़ू उतरी है तो आपका और हज़रत अबूबक्र का वज़न किया गया तो आप हज़रत अबूबक्र से भारी हो गये। फिर हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर का वज़न किया गया तो अबूबक्र भारी हो गये। और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान का वज़न किया गया तो हज़रत उमर भारी हो गये, फिर वह तराज़ू उठा ली गई। तो (इस बात

पर) हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहरा–ए–अनवर पर नापसन्दीदगी के आसार देखे।'

الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(4634) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2287, हाकिम: 3/71.

फ़वाइद व मसाइल : वज़न किया जाना ख़्वाब में एक मिसाल थी जिसके मानी वाज़ेह हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सारी उम्मत के मुक़ाबले में अफ़ज़ल व आला और भारी हैं, बल्कि साबिक़ा उम्मतें भी हेच हैं। इसी तरह जलीलुल क़द्र सहाबा में भी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) से अफ़ज़ल कोई नहीं। उनके बाद हज़रत उमर (رضي الله عنه) का दर्जा है। अगरचे ये और दीगर सहाबा अपने अपने इन्फ़ेरादी मनाक़िब में एक दूसरे से बढ़ कर हैं मगर मजमूई ऐतबार से यही नतीजा है जो बयान हूआ और उम्मत का यही अक़ीदा है। तराज़ू उठाये जाने पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहरे का बदल जाना, ग़ालिबन इस वजह से था कि इसके बाद फ़ितने सर उठाने वाले थे। जैसे कि वाक़ेई वाक़ियात ने साबित किया है। वल्लाहू आलम! कुछ हज़रात के नज़दीक ये रिवायत सही है।

(4635) जनाब अब्दुर्रहमान अपने वालिद अबूबक्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एक दिन दरयाफ़्त फ़रमाया: 'तुममें से किसी ने ख़्वाब देखा है?' तो ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया। मगर इस रिवायत में 'कराहियत' का ज़िक्र नहीं। बल्कि (फ़स्ताआ लहा रसूलुल्लाह) (ﷺ) यानी आप (ﷺ) को ये (कैफ़ियत) पसन्द न आई। फिर फ़रमाया: 'ये नबूवत की ख़िलाफ़त है। फिर उसके बाद अल्लाह जिसे चाहेगा अपना मुल्क इनायत फ़रमा देगा।'

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ " أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهِيَةَ . قَالَ فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي فَسَاءَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " خِلاَفَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ " .

(4635) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/44, पिछली हदीस देखें।

(4636) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान किया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आज रात एक नेक बंदे को ख़्वाब

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ " . قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلاَةُ هَذَا الأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذْكُرَا عَمْرًا .

दिखाया गया है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मुअल्लक़ किया गया है और हज़रत उमर को हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के साथ मुअल्लक़ किया गया है और हज़रत उस्मान को हज़रत उमर के साथ मुअल्लक़ किया गया है।' हज़रत जाबिर (ﷺ) ने कहा: फिर जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां से उठे तो हमने कहा: 'सालेह आदमी' तो वह ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) हैं और उनका एक दूसरे के साथ मुअल्लक़ करना, इसलिए कि यही लोग इस अम्र के ज़िम्मेदार हैं जिसके साथ अल्लाह ने अपने नबी (ﷺ) को मबऊस फ़रमाया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को युनूस और शुऐब ने रिवायत किया है। मगर उन दोनों ने सनद में अम्र (बिन अबान) का ज़िक्र नहीं किया।

(4636) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/355, हाकिम: 3/71, 72, हदीस: 4634 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلْوًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا

(4637) हज़रत समुरा बिन जन्दुब (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने देखा है जैसे एक डोल आसमान से लटकाया गया, तो हज़रत अबूबक्र (ﷺ) आये और उसको उसके दोनों तरफ़ के किनारों से पकड़ लिया और उससे पानी पिया, मगर कमज़ोरी के साथ। फिर हज़रत उमर (ﷺ) आये उन्होंने उसको उसके दोनों किनारों से पकड़ा और पिया और ख़ूब सैर

ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتَشَطَتْ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ .

होकर पेट भर कर पिया। फिर हज़रत उस्मान (ﷺ) आये, उन्होंने उसके दोनों किनारों से पकड़ा और पिया यहाँ तक कि पेट भर कर पिया। फिर हज़रत अली (ﷺ) आये, उन्होंने उसके दोनों किनारों से पकड़ा तो वह हिला और उससे कुछ पानी उन पर गिर गया।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/21, इब्ने हिब्बान, (मज्मउज़्ज़वाइद: 7/180) तक़रीबुत तहज़ीब (4050).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ لَتَمْخُرَنَّ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لاَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلاَّ دِمَشْقُ وَعَمَّانُ .

(4638) जनाब मकहूल (रह.) से रिवायत है, उन्होंने कहा: ज़रूर ऐसा होगा कि रूमी लोग चालीस दिन तक शामियों के घरों में घुसे रहेंगे। इस (फ़ितने) से सिवाए दमिश्क़ और ओमान के कोई शहर न बचेगा।

(4638) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَعْيَسِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَلْمَانَ، يَقُولُ سَيَأْتِي مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ يَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلاَّ دِمَشْقَ .

(4639) जनाब अबू ईसा अब्दुर्रहमान बिन सलमान (रह.) बयान करते थे कि एक अजमी बादशाह सारे शहरों पर ग़ालिब आ जायेगा और सिर्फ़ दमिश्क़ महफ़ूज़ रहेगा।

(4639) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا بُرْدٌ أَبُو الْعَلاَءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَلاَحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ " .

(4640) जनाब मकहूल (रह.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जंगों (और फ़ितनों) के दिनों में मुसलमान एक ऐसी जगह ख़ैमाज़न होंगे जिसे ग़ूता कहते होंगे।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4298 में देखें।

फ़ायदा : 'ग़ूता' दमिश्क़ के इर्द गिर्द बाग़ात का नाम है। नीज़ देखिये पिछली हदीस: 4298.

(4641) औफ़ (बिन अबी जमीला आराबी) ने बयान किया, उन्होंने कहा: मैंने हज्जाज (बिन यूसुफ़) को ख़ुत्बा देते हूए सुना, वह कह रहा था कि हज़रत उस्मान (ﷺ) की मिसाल अल्लाह के यहां ईसा इब्ने मरयम अलैहि. की तरह है। फिर ये आयत पढ़ी: (इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतह्हिरूका मिनल्लज़ीना कफ़रू) 'जब अल्लाह तआला ने फ़रमाया: ऐ ईसा! मैं तुम्हें (इस जहान से) पूरा पूरा ले जाने वाला हूं और अपनी तरफ़ उठा लेने वाला हूं और इन काफ़िरों की सोहबत से तुम्हें पाक करने वाला हूं।' वह ये आयत पढ़ता जाता था और उसकी शरह करते हूए अपने हाथ से हमारी तरफ़ और अहले शाम की तरफ़ इशारे करता जाता था।

حَدَّثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلاَمِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ مَثَلَ عُثْمَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ يَقْرَؤُهَا وَيُفَسِّرُهَا { إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا } يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ وَإِلَى أَهْلِ الشَّامِ .

(4641) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : मफ़हूमे कलाम ये था कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहि. और उनके मुत्तबिईन (मानने वाले) को अल्लाह तआला ने काफ़िरों पर ग़लबा दिया, इसी तरह हज़रत उस्मान (ﷺ) के मुत्तबिईन हैं जो शाम में पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं दूसरे जो उनके मुख़ालिफ़ हैं मग़लूब हैं।

(4642) रबीअ बिन ख़ालिद ज़ब्बी ने बयान किया कि मैंने हज्जाज (बिन यूसुफ़) को ख़ुत्बा देते हूए सुना, उसने अपने ख़ुत्बे में कहा: हममें से किसी का क़ासिद जो उसके किसी काम में मशग़ूल हो, वह उसके लिये ज़्यादा मोहतरम होता है या उसका वह नायब जो उसके अहल में ठहरा हूआ हो? पस मैंने अपने दिल में कहा: मुझ पर अल्लाह के लिये

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ رَسُولُ أَحَدِكُمْ فِي حَاجَتِهِ أَكْرَمُ عَلَيْهِ أَمْ خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ

فِي نَفْسِي لِلَّهِ عَلَيَّ أَلاَّ أُصَلِّيَ خَلْفَكَ صَلاَةً أَبَدًا وَإِنْ وَجَدْتُ قَوْمًا يُجَاهِدُونَكَ لأُجَاهِدَنَّكَ مَعَهُمْ . زَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَاتَلَ فِي الْجَمَاجِمِ حَتَّى قُتِلَ .

ये नज़र है कि अब तेरे पीछे कभी नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, और अगर मुझे कुछ लोग मिल गये जो तेरे ख़िलाफ़ जिहाद करते हों तो मैं उनके साथ मिलकर बिज़्ज़रूर जिहाद करूंगा। इस्हाक़ ने अपनी रिवायत में मज़ीद कहा: चुनांचे उसने (रबीअ बिन ख़ालिद ने हज्जाज के ख़िलाफ़) जमाजिम के क़िताल में हिस्सा लिया यहाँ तक कि क़त्ल हो गया।

(4642) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : हज्जाज की तरफ़ मन्सूब इस कलाम का मफ़हूम ये बयान किया जाता है कि जिस तरह किसी का नायब और जो उसके अहल में रह कर उनकी ख़िदमत कर रहा हो उसके क़ासिद की निस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल होता है। इसी तरह अम्बिया जो फ़क़त अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अहकाम पहुँचाने वाले थे नऊज़ूबिल्लाह उनकी निस्बत उमरा बनू उमैया जो इस ज़मीन में अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं, बेहतर हैं और ये कि ख़लीफ़ा, क़ासिद से अफ़ज़ल हूआ करता है। ये कलाम और मफ़हूम अगर दुरूस्त हो तो सरीह कुफ़्र है। मगर रिवायत ज़ईफ़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَيْسَ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاللَّهِ لَوْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَخَرَجُوا مِنْ بَابٍ آخَرَ لَحَلَّتْ لِي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَاللَّهِ لَوْ أَخَذْتُ رَبِيعَةَ بِمُضَرَ لَكَانَ ذَلِكَ لِي مِنَ اللَّهِ حَلاَلاً وَيَا عَذِيرِي مِنْ عَبْدِ هُذَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ

(4643) आसिम से मरवी है कि मैंने हज्जाज से सुना, वह बर सरे मिम्बर कह रहा था: अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करो जहां तक हिम्मत पाओ, उसमें कोई इस्तेस्ना नहीं। अमीरूल मोमिनीन अब्दुल मलिक (बिन मरवान) की बात सूनो और इताअत करो, इसमें कोई इस्तेस्ना (अलग) नहीं। अल्लाह की क़सम! अगर मैं लोगों को हुक्म दूं कि मस्जिद के फुलां दरवाज़े से बाहर जाओ और वह दूसरे किसी दरवाज़े से बाहर निकलें तो मेरे लिये उनके ख़ून और माल हलाल होंगे। अल्लाह की क़सम! अगर मैं मुज़र के बदले क़बील–ए–रबीया की गिरफ़्त करूं तो ये मेरे

قِرَاءَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلاَّ رَجَزٌ مِنْ رَجَزِ الأَعْرَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَذِيرِي مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرْمِي بِالْحَجَرِ فَيَقُولُ إِلَى أَنْ يَقَعَ الْحَجَرُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فَوَاللَّهِ لأَدَعَنَّهُمْ كَالأَمْسِ الدَّابِرِ . قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِلأَعْمَشِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

लिये अल्लाह की तरफ़ से हलाल है। और कौन है जो मुझे हुज़ैल के गुलाम (इशारा है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद) (ﷺ) की तरफ़ से माज़ूर जाने' उसका ख़्याल है कि उसकी क़िराअत अल्लाह की तरफ़ से है। अल्लाह की क़सम! ये (उसकी क़िराअत) तो बदवियों के रजज (छोटे छोटे शेअरों) की मानिन्द है। अल्लाह ने उसे अपने नबी (ﷺ) पर नाज़िल नहीं किया है। और कौन है जो मुझे उन अजमीयों से माज़ूर जाने, उनमें से कोई पत्थर फैंक देता है (फ़ितने की बात कर देता है) फिर कहता है देखो ये कहां तक जाता है। अल्लाह की क़सम! मैं उन्हें कल माज़ी की मानिन्द करके रख दूंगा (नेस्त व नाबूद कर दूंगा।) रावी ने कहा कि मैंने ये वाक़िया आमश को बयान किया तो उसने कहा: मैंने भी अल्लाह की क़सम! इसे उससे सुना है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी अद्दुनिया,: 63

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ هَذِهِ الْحَمْرَاءُ هَبْرٌ هَبْرٌ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَعْتُ عَصًا بِعَصًا لأَذَرَنَّهُمْ كَالأَمْسِ الذَّاهِبِ يَعْنِي الْمَوَالِي .

(4644) इब्ने इदरीस ने आमश से रिवायत किया, कहा कि मैंने हज्जाज से सुना वह मिम्बर पर खड़ा कह रहा था: ये अजमी काट डाले जाने के लायक़ है। अल्लाह की क़सम! मैंने अगर लाठी को लाठी पर मारा तो उन लोगों को माज़ी की मानिन्द कर छोड़ूंगा (नेस्त व नाबूद कर दूंगा।) उसका इशारा ग़ैर अरब लोगों की तरफ़ था।

(4644) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : 'लाठी को लाठी पर मारा' यानी उनका क़लअ़ कमअ़ करने का इरादा किया तो ... इससे पता चलता है कि दीन की बजाये अरबों की क़ौमी असबियत पर उसका ईमान था।

حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ جَمَّعْتُ مَعَ الْحَجَّاجِ فَخَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ فِيهَا فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةِ اللَّهِ وَصَفِيِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَلَوْ أَخَذْتُ رَبِيعَةَ بِمُضَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْحَمْرَاءِ .

(4645) शरीक ने सुलैमान अ़ामश से रिवायत किया, कहा कि मैंने हज्जाज के साथ जुमा पढ़ा तो उसने ख़ुत्बा दिया ... और अबूबक्र बिन अ़याश वाली (ऊपर दी गई) हदीस़ (4643) बयान की। उसने कहा: अल्लाह के ख़लीफ़ा और उसके मुन्तख़ब अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान की बात सूनो और उसकी इताअ़त करो। और हदीस़ बयान की। मज़ीद कहा: और अगर मैं मुज़र के बदले रबीया की गिरफ़्त करूं ... और अ़जमीयों का ज़िक्र नहीं किया।

(4645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ - أَوْ مُلْكَهُ - مَنْ يَشَاءُ " . قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَعُمَرَ عَشْرًا وَعُثْمَانَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ وَعَلِيٌّ كَذَا . قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ . قَالَ كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنِي الزَّرْقَاءِ يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ .

(4646) (रसूलुल्लाह (ﷺ) के गुलाम) हज़रत सफ़ीना (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नबूवत की ख़िलाफ़त तीस साल रहेगी फिर अल्लाह तआ़ला अपना मुल्क जिसे चाहेगा इनायत फ़रमा देगा।'

सईद बिन जमहान ने कहा कि हज़रत सफ़ीना (ﷺ) ने मुझे कहा: हिसाब लगा लो, हज़रत अबूबक्र (ﷺ) के दो साल, हज़रत उ़मर (ﷺ) के दस साल, हज़रत उ़स्मान (ﷺ) के बारह साल और इसी तरह कुछ हज़रत अ़ली (ﷺ) के। सईद कहते हैं कि मैंने हज़रत सफ़ीना(ﷺ) से कहा: ये बनू मरवान समझते हैं कि हज़रत अ़ली (ﷺ) ख़लीफ़ा न थे तो उन्होंने कहा: बनी ज़रक़ा के पिछले हिस्सों ने झूठ बोला है।

(4646) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2226, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1534, 1535.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** बनू ज़रक़ा से मुराद बनू मरवान हैं, ज़रक़ा उनके नसब में आती है जिसकी ये औलाद हैं। **(2)** 'पिछले हिस्सों ने झूठ बोला' एक मुहावरा है जो अपने मफ़ाद के लिये ग़लत मनगढ़त बात फैलाने वालों के बारे में बोला जाता है। **(3)** ऊपर दी गई मुद्दत ख़ुल्फ़ा–ए–अरबआ हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत हसन (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त को मुहीत है। हज़रत अबूबक्र (ﷺ) की ख़िलाफ़त दो साल, तीन महीने और दस दिन, हज़रत उमर (ﷺ) की दस साल, छः महीने और आठ दिन, और हज़रत उस्मान (ﷺ) की ग्यारह साल, ग्यारह महीने और नो दिन, हज़रत अली (ﷺ) की चार साल नो महीने और सात दिन और हज़रत हसन (ﷺ) की तक़रीबन सात महीने है। हज़रत हसन (ﷺ) ने हालात की नज़ाकत को देखते हूए ख़ूद ही ख़िलाफ़त से दस्त बरदारी इख़्तियार करके ख़िलाफ़त हज़रत मुआविया (ﷺ) के सुपूर्द कर दी और यूँ वह इख़्तिलाफ़ात ख़त्म हो गये जो हज़रत उस्मान (ﷺ) की मज़लूमाना शहादत के बाद क़िसासे उस्मान के मसले पर शूरू हूए थे, जो बढ़ते बढ़ते बाहमी जंग और ख़ून रेज़ी तक पहुँच गये थे। उसके बाद हज़रत मुआविया (ﷺ) 20 साल तक ख़लीफ़ा रहे, उन्होंने अन्दुरूनी शोरिश और बदअमनी को भी ख़त्म किया और बैरूनी तौर पर इन जिहादी सरगर्मियों का भी फिर से आग़ाज़ किया जिनका सिलसिला आपस के इख़्तिलाफ़ात की वजह से मुन्क़तअ हो गया था। इस ऐतबार से हज़रत मुआविया (ﷺ) का ये 20 साला दौरे ख़िलाफ़त भी इस्लामी तारीख़ का एक बेहतरीन दौर है। हदीस़ में जो ख़िलाफ़ते नबूवत का दौर सिर्फ़ 30 साल बताया गया है, इसका मतलब ये है कि इतने अर्से तक ख़िलाफ़त में दुनिया अग़राज़ व मक़ासिद और शाहाना शान व शौकत शामिल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों की कुछ आमेज़िश हो जायेगी। ये मतलब नहीं है कि सिरे से ख़िलाफ़त या इस्लामी निज़ामे हुकूमत ही का ख़ातमा हो जायेगा और सिर्फ़ मुलूकियत या मुतलक़ मुलूकियत ही बाक़ी रह जायेगी। ऐसा अलहम्दुल्लिाह नहीं हूआ, बल्कि ख़िलाफ़त, कुछ जुज़्वी ख़राबियों के साथ, बाक़ी रही। और ये तसलसुल कम व बेश के कुछ फ़र्क़ के सात स़दियों तक क़ाइम रहा, यहाँ तक कि 1924 में तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इदारा–ए–ख़िलाफ़त का ख़ातमा कर दिया। कुछ लोग इस हदीस़ की बुनियाद पर ये दावा कर देते हैं कि इस्लाम का सियासी निज़ाम सिर्फ़ 30 साल चला और फिर ख़त्म हो गया। ये दावा निहायत सतही भी है और हक़ाइक़ व वाक़ियात के ख़िलाफ़ भी। इस्लाम के सियासी निज़ाम यानी इदारा–ए–ख़िलाफ़त ने स़दियों तक दुनिया में हुक्मरानी की है और इसके ज़रिये से इस्लाम और मुसलमानों की अज़मत का सिक्का मनवाया है। (तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: राक़िम–हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़) (रह.) की किताब 'ख़िलाफ़त व मुलूकियत की तारीख़ी व शरई हैस़ियत) इसमें इस्लाम के सियासी निज़ाम यानी ख़िलाफ़त के ख़द्दो व ख़ाल भी वाज़ेह किये गये हैं और मुसलमान ख़ुल्फ़ा व सलातीन की बाबत ग़लत प्रोपेगेण्डे को भी स़ाफ़ किया गया है।

(4647) हज़रत सफ़ीना (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नबूवत की ख़िलाफ़त तीस साल तक रहेगी। फिर अल्लाह तआला अपना मुल्क जिसे चाहेगा दे देगा।'

(4647) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ - أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ- " .

(4648) जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम माज़नी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल (ﷺ) से सुना, उन्होंने कहा जब फ़ुलां कूफ़े में आया और उसने फ़ुलां को ख़ुत्बे के लिये खड़ा किया (अब्दुल्लाह ने कहा) तो सईद बिन ज़ैद (ﷺ) ने मेरे हाथ दबाये और कहा: क्या तुम इस ज़ालिम (ख़तीब) को नहीं देखते हो, (ग़ालिबन वह ख़तीब हज़रत अली (ﷺ) के बारे में कुछ कह रहा था।) मैं नौ अफ़राद के बारे में गवाही देता हूं कि वह जन्नती है, अगर दसवें के बारे में भी कहूं तो गुनाहगार नहीं होऊंगा ... इब्ने इदरीस ने कहा: अरब लोग (आसम) का लफ़्ज़ बोलते हैं (जबकि हज़रत सईद ने (लम ईसम कहा।) ... अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने पूछा: वह नो अफ़राद कौन से हैं? उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया जबकि आप हिरा पर खड़े हूए थे: 'ऐ हिरा ठहर जा! तुझ पर सिवाए नबी (ﷺ) के या सिद्दीक़ के या शहीद

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ، قَالَ ذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلاً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ فُلاَنٌ الْكُوفَةَ أَقَامَ فُلاَنٌ خَطِيبًا فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا الظَّالِمِ فَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ إِيثَمْ - قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَالْعَرَبُ تَقُولُ آثَمْ - قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى حِرَاءٍ " اثْبُتْ حِرَاءُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ

के और कोई नहीं है।' मैंने कहा और वह नौ कौन कौन हैं? कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ), अबूबक्र, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, सअद बिन अबी वक़्क़ास (मालिक) और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷸ)। मैंने पूछा और दसवां कौन है? तो वह लम्हा भर के लिये ठिठके फिर कहा: मैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को अशजई ने सुफ़ियान से, उन्होंने मन्सूर से, उन्होंने हिलाल बिन यूसुफ़ से, उन्होंने इब्ने हय्यान से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम से इसकी सनद से ऊपर की मानिन्द रिवायत किया है।

شَهِيدٌ " . قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ . قُلْتُ وَمَنِ الْعَاشِرُ فَتَلَكَّأَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ أَنَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ بِإِسْنَادِهِ .

(4648) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3757, इब्ने माजा, 134.

फ़ायदा : मालूम होता है कि ख़तीब ने इशारे किनाये में हज़रत अली (ﷸ) के बारे में नामुनासिब अन्दाज़ इख़्तियार किया, तो हज़रत सईद बिन ज़ैद ने अशरा-ए-मुबश्शरा की फ़ज़ीलत बयान करके, जिनमें से एक हज़रत अली (ﷸ) भी थे, उस ख़तीब की तर्दीद की। अगली रिवायतों में इस बात की और ज़्यादा सराहत है।

(4649) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अलअख़नस से रिवायत है कि वह मस्जिद में बैठे हूए थे जब एक शख़्स ने हज़रत अली (ﷸ) का ज़िक्र किया तो हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷸ) खड़े हूए और कहा: मैं गवाही देता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'दस अश्ख़ास जन्नती हैं। नबी (ﷺ) जन्नत में हैं, अबूबक्र (ﷸ) जन्नत में हैं, उमर (ﷸ) जन्नत में हैं, उस्मान(ﷸ) जन्नत में हैं, अली (ﷸ) जन्नत में हैं,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْنَسِ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ " عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ

فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ " . وَلَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ . قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ .

तलहा(ﷺ) जन्नत में हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम (ﷺ) जन्नत में हैं, सअद बिन मालिक (ﷺ) जन्नत में हैं और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) जन्नत में हैं।' अगर मैं चाहूं तो दसवें का नाम भी ले सकता हूं। लोगों ने पूछा: वह कौन है? तो वह ख़ामोश हो रहे। लोगों ने पूछा: वह कौन है तो उन्होंने कहा: वह सईद बिन ज़ैद (ﷺ) है।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3757.

फ़ायदा : इन रिवायात के अलावा भी इस मज़मून में बहुत सी रिवायात सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं जबकि किताबुल्लाह में भी सहाब–ए–किराम (ﷺ) की मदह व सताइश बसराहत आई है। जैसे: 'वह मुहाजिरीन व अन्सार जिन्होंने (सबसे पहले ईमान लाने में) सब्क़त की और वह लोग जिन्होंने अहसन (बेहतरीन) अन्दाज़ में उनका इत्तेबा किया, अल्लाह उन (सब) से राज़ी हूआ और वह उस (अल्लाह) से राज़ी हूए। अल्लाह ने उनके लिये ऐसे बाग़ात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वह उनमें हमेशा रहेंगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है।' (अत्तौबा: 100), 'लेकिन रसूल ने और उन लोगों ने जो उसके साथ ईमान लाये, उन्होंने अपने अमवाल और अपनी जानों के ज़रिये से जिहाद किया, उन्हीं लोगों के लिये सारी भलाईयाँ हैं और यही लोग फ़लाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिये ऐसे बाग़ात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा रहने वाले हैं यही बहुत बड़ी कामयाबी है।' (अत्तूर: 88, 89) और सूरह अलफ़तह में है: 'तहक़ीक़ कि अल्लाह राज़ी हो गया मोमिनों से जब कि वह आपसे उस दरख़्त के नीचे बैत कर रहे थे, पस उसने उस (ख़ुलूस) को जान लिया जो उनके दिलों में था, उसने उन पर इत्मीनान नाज़िल किया और बदले में उन्हें जल्द ही फ़तह दे दी।' बाद के दौर में सहाबा के बीच जो आपसी मतभेद हूई है वह बशरी तक़ाज़ों के तहत उनके इज्तेहादात की बिना पर हूई। अल्लाह उन्हें माफ़ करने वाला है। अहले सुन्नत वलजमाअत क़तअन जायज़ नहीं समझते कि इन उमूर को सरेआम मौज़ूअे बहस बनाया जाये।(ﷺ)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي، رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ

(4650) रियाह बिन हारिस का बयान है कि मैं कूफ़ा की मस्जिद में फ़ुलां के पास बैठा हूआ था। (इशारा है, हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) की तरफ़) और उनके पास अहले कूफ़ा के कुछ लोग भी बैठे हूए थे। तो हज़रत सईद

قَاعِدًا عِنْدَ فُلاَنٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَرَحَّبَ بِهِ وَحَيَّاهُ وَأَقْعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ سَعِيدٌ مَنْ يَسُبُّ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ يَسُبُّ عَلِيًّا . قَالَ أَلاَ أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبُّونَ عِنْدَكَ ثُمَّ لاَ تُنْكِرُ وَلاَ تُغَيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيتُهُ " أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ " . وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوحٍ .

बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल (ﷺ) तशरीफ़ लाये। पस उन्होंने (मुग़ीरा) ने उनको मरहबा और ख़ुश आमदीद कहा और फिर उन्हें अपनी चारपाई की पाइन्ती की तरफ़ बिठा लिया। फिर अहले कूफ़ा में से एक शख़्स आया जिसका नाम क़ैस बिन अल्क़मा था। उन्होंने उसका भी इस्तिक़बाल किया। फिर उसने बदगोई की और बदगोई की। सईद ने पूछा ये किसे गालियाँ दे रहा है? कहाः हज़रत अली (ﷺ) को। तो सईद ने कहाः (ताज्जुब है) मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) को बुरा भला कहा जा रहा है और आप हैं कि उसे टोकते ही नहीं और न समझाते हैं। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमा रहे थे ... और मुझे कोई ऐसी पड़ी कि आप (ﷺ) पर कोई ऐसी बात कह दूं जो आपने न कही हो फिर कल जब आपसे मेरी मुलाक़ात हो और वह मुझसे पूछ लें ... 'अबूबक्र(ﷺ) जन्नत में है, उमर जन्नत (ﷺ) में है।' और ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया। फिर कहाः इनमें से किसी एक का रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (जिहाद में) हाज़िर रहना और उसके चेहरे का ग़ुबार आलूद हो जाना तुम्हारी सारी ज़िन्दगी के आमाल से कहीं बेहतर है ख़्वाह तुम्हें हज़रत नूह अलैहि. की ज़िन्दगी ही क्यूँ न मिल जाये।

(4650) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजाः 8/11, हदीस़: 133, अज़्ज़िया अलमुख़्तारः 3/282–285, हदीस़: 1083, 1084.

(4651) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने बयान किया कि अल्लाह के नबी (ﷺ) उहुद पहाड़ पर चढ़े तो हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान(ﷺ) भी आपके पीछे चले गये, पस पहाड़ ने हरकत की। तो नबी (ﷺ) ने उस पर अपना पाँव मारा और फ़रमाया: 'उहुद! ठहर जा! (तेरे ऊपर) एक नबी, एक सिद्दीक़ और दो शहीद हैं।'

(4651) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3697.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ أُحُدًا فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرِجْلِهِ وَقَالَ " اثْبُتْ أُحُدُ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ " .

(4652) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास जिब्राईल अलैहि. आये, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत का वह दरवाज़ा दिखाया जिसमें से मेरी उम्मत दाख़िल होगी।' तो हज़रत अबूबक्र(ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं पसन्द करता हूं काश मैं भी आपके साथ होता यहाँ तक कि उसे देख लेता, तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम ऐ अबूबक्र! यक़ीनन मेरी उम्मत के वह फ़र्द हो जो सबसे पहले जन्नत में दाख़िल होंगे।

(4652) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुल्लाह इब्ने अहमद, फ़ज़ाइले सहाबा: 1/221, 222, हदीस: 258.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي " .

(4653) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने बयान किया कि बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिन्होंने दरख़्त के नीचे बैत की है उनमें से

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ " .

कोई भी आग में दाख़िल नहीं होगा।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3860.

फ़ायदा : सन 6 हिजरी में हुदैबिया के मक़ाम पर हज़रत उस्मान (ﷺ) के क़त्ल किये जाने की अफ़वाह पर सहाबा (ﷺ) से जो बैत ली गई थी वह कीकर के एक दरख़्त के नीचे हूई थी। हदीस में इसी की तरफ़ इशारा है। अल्लाह ने ख़ूद उस दरख़्त का ज़िक्र फ़रमा कर बैत करने वालों के बारे में फ़रमाया: (रज़ियल्लाहू अ़न्हुम व रज़ूअन्हु) इसलिए इसे बैते रिज़वान का नाम दिया गया है। इसमें सहाबा की तादाद चौदह पन्द्रह सौ थी। (सही बुख़ारी, हदीस: 4153)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مُوسَى " فَلَعَلَّ اللَّهَ " . وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ " اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " .

(4654) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शायद कि अल्लाह तआला ने अहले बद्र पर नज़र फ़रमाई है और कहा है कि जो चाहे अमल करो मैंने तुम्हें बख़्श दिया है।'

(4654) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/295, 296, इब्ने माजा, हदीस: 2220, हाकिम: 4/77, 78.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब दीन की सरबलन्दी के लिये ये लोग ख़ूद को क़ुर्बान करने पर तुल गये तो उनको इख़्लास और ईमान का आला तरीन मैयार हासिल हो गया। इसलिए उनको ऐसी अ़ज़ीम ख़ूश ख़बरी दी गई। उनका ये अ़ज़ीम अ़मल उनके बाक़ी तमाम आमाल से चाहे वह मुस्बत (सकारात्मक) हों या मन्फ़ी (नकारात्मक) बहुत बड़ा था। **(2)** हदीस में बयान शुदा फ़रमान का ये मफ़हूम हरगिज़ नहीं था कि वह शरई और अख़्लाक़ी हुदूद व क़ुयूद से बरी हो गये थे। नहीं बल्कि इस बयान में उनके मुताल्लिक़ अल्लाह तआला की तरफ़ से ये ख़बर सादिक़ है कि ये लोग ज़िन्दगी भर दीन व शरीयत के तक़ाज़े पूरे करते रहेंगे और उनसे कोई ऐसा अ़मल सरज़द नहीं होगा जो उनके लिये अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की नाराज़ी या जहन्नम में जाने का बाइस हो। इसमें उनके मासूम अनिल ख़ता होने का मफ़हूम नहीं है बल्कि बशारत है कि उनकी तमाम कमियाँ माफ़ कर दी जायेंगी। (ﷺ) तो अफ़सोस है उन लोगों पर जो उनकी इज्तेहादी ख़ताओं को नुमायाँ करते और उन पर तअ़न व तशनीअ़ करना इस्लाम और तारीख़ की ख़िदमत समझते हैं। फ़इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ فَأَتَاهُ - يَعْنِي عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ - فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ . فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ .

(4655) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) हुदैबिया के दिनों में रवाना हूए ... और हदीस़ बयान की ... कहा कि ... फिर (मुश्रिकीन की तरफ़ से) उर्वा बिन मसऊद आया और नबी (ﷺ) से बात करने लगा और इस बीच में वह आपकी दाढ़ी मुबारक को भी हाथ लगाता था। जबकि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा(ﷺ) नबी (ﷺ) के सर के पास खड़े हूए थे, उनके हाथ में तलवार और सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) थी। तो उन्होंने अपनी तलवार के दस्ते से उर्वा के हाथ को ठोका दिया और कहा: आपकी दाढ़ी मुबारक से अपना हाथ दूर रख। उर्वा ने अपना सर ऊपर उठाया और पूछा: ये कौन है? स़हाबा ने कहा: ये हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) हैं।

(4655) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 2765, 2766 में देखें।

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के उस्लूब से वाज़ेह होता है कि ऊपर की अहादीस़ में हज़रत मुग़ीरा (ﷺ) ने हज़रत मुआविया (ﷺ) की जो सियासी हिमायत की है वह उनके शर्फ़े स़हाबियत और अल्लाह के यहां उनके मक़ाम के अपोजिट नहीं है। सिर्फ़ ये ही नहीं बल्कि दीगर कितने ही स़हाबा थे जो अपनी अपनी सोच के मुताबिक़ हज़रत अ़ली (ﷺ) या हज़रत मुआविया (ﷺ) के हामी या मुख़ालिफ़ थे और ये सब उनके इज्तेहादात थे। इसलिए हम किसी को भी स़राहत से ग़लत कहने के मजाज़ नहीं। अगर कोई बात तारीख़ की रिवायात में ऐसी हो जो स़हाब-ए-किराम के मजमूई शर्फ़ो व वक़ार के ख़िलाफ़ हो तो उनके शर्फ़े स़हाबियत, रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये उनकी वफ़ा शेआरी और उन बशारतों के पेशे नज़र जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके मुताल्लिक़ फ़रमाई हैं नजर अन्दाज़ करना और उनके अफ़आल की तावील करना वाजिब है।(ﷺ)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ،

(4656) सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के मुअज़्ज़िन जनाब अक़रअ (रह.) ने बयान

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيَّ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الأَقْرَعِ، مُؤَذِّنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى الأُسْقُفِّ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَهَلْ تَجِدُنِي فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ كَيْفَ تَجِدُنِي قَالَ أَجِدُكَ قَرْنًا . فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ فَقَالَ قَرْنُ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ . قَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي يَجِيءُ مِنْ بَعْدِي فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُؤْثِرُ قَرَابَتَهُ . قَالَ عُمَرُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُثْمَانَ ثَلاَثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدَأَ حَدِيدٍ فَوَضَعَ عُمَرُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ يَا دَفْرَاهُ . فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ خَلِيفَةٌ صَالِحٌ وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُ حِينَ يُسْتَخْلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الدَّفْرُ النَّتْنُ .

किया कि हज़रत उमर (ﷺ) ने मुझे ईसाइयों के मज़हबी सरदार के पास भेजा। मैं उसे बुला लाया। हज़रत उमर (ﷺ) ने उससे पूछा: क्या तुम अपनी किताब में मेरा ज़िक्र पाते हो? कहा: हाँ। पूछा: कैसे? कहा: मैं पाता हूं कि आप एक क़र्न हैं। हज़रत उमर (ﷺ) ने अपना दुर्रा बलन्द किया और पूछा: 'क़र्न' से क्या मुराद है? कहा: बहुत सख़्त फ़ौलादी क़िला, इन्तेहाई अमीन। हज़रत उमर (ﷺ) ने पूछा: जो मेरे बाद आयेगा उसके बारे में क्या पाते हो? कहा: वह एक सालेह ख़लीफ़ा होगा, सिर्फ़ इतना होगा कि वह अपने क़राबतदारों को तर्जीह देगा। हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: अल्लाह हज़रत उस्मान (ﷺ) पर रहम फ़रमाये, तीन बार कहा। फिर पूछा: उनके बाद जो आयेगा उसके बारे में क्या पाते हो? कहा: मैं उसे पाता हूं कि वह लोहे का जंग होगा। तो हज़रत उमर(ﷺ) ने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा: ऐ बदबूदार! ऐ बदबूदार! (क्या कह रहे हो?) तो उसने कहा: अमीरूल मोमिनीन! ये सालेह ख़लीफ़ा होगा मगर जब उसे ये मन्सब मिलेगा तो तलवारें निकली हुई होंगी और ख़ून बहाये जा रहे होंगे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि (अद्दफ़र) के मानी हैं। 'बदबू'

(4656) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : मुसलमानों में अहले किताब की इस क़िस्म की रिवायात की बसराहत तस्दीक़ या तकज़ीब नहीं की जाती सिर्फ़ रिवायत की इजाज़त है।

﴿10﴾

بَابٌ فِي فَضْلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

बाब : 10
अस्हाबे नबी (ﷺ) की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " . وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ " ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ " .

(4657) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत का बेहतरीन ज़माना यही है जिसमें मैं मबऊस किया गया हूं, फिर वह जो उनसे मुत्तसिल (मिले हुए) होंगे, और फिर वह जो उनसे मुत्तसिल होंगे ... वल्लाहु आलम आपने ये तीसरी बार फ़रमाया कि नहीं ... फिर उनके बाद ऐसे लोग आयेंगे जो गवाहियाँ देंगे हालांकि उनसे गवाही माँगी न गई होगी, नज़रें मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे। ख़यानतें करेंगे और उन पर ऐतमाद नहीं किया जायेगा और उनमें मोटापा भी आम होगा।'

(4657) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2651, व सही मुस्लिम: 2535.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस सही हदीस में सहाब-ए-किराम, ताबेइने एज़ाम और तबअ ताबेइन के ज़माने के मुताल्लिक़ इज्माली और मजमूई तौर पर भलाई की ख़बर दी गई है। (2) उनके बाद वक़ार में कमी होगी। दीनदारी में ज़ुअफ़ (कमज़ोरी) आ जायेगी और आख़िरत की फ़िक्र कम हो जायेगी। (3) अतिब्बा (डॉक्टरों) के क़ौल के मुताबिक़ आदमी के जिस्म में मोटापा आम तौर पर ख़ुश ख़ूराकी के अलावा बेफ़िक्री और बेख़ौफ़ी की बिना पर आता है।

बाब : 11
रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा (ﷺ) को गाली गलोच करना हराम है

﴿11﴾ باب فِي النَّهْىِ عَنْ سَبِّ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

फ़ायदा : हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के अस्हाबे किराम (ﷺ) बनी नोअ इंसान और उम्मते मुहम्मदिया का बेहतरीन और अफ़ज़ल तरीन तब्क़ा हैं। उन्होंने बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से दीन व ईमान हासिल किया। नबी (ﷺ) के ज़रिये से उनका तज़किरा किया गया, उनकी क़ुर्बानी और जांनिसारी से इस्लामी हुकूमत मज़बूत हूई और फिर उन्होंने दीन की अज़ीम अमानत अगली नसलों को मुन्तक़िल की। अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है कि ये तबक़ा मज्मूई तौर पर इन्तेहाई आदिल और मोतमद अलैह है। दीन में उनका फ़हम हुज्जत है और उनके शर्फ़ व करामत की हिफ़ाज़त उम्मत पर वाजिब है। अहले अहवा की बदगोई के मुताबिक़ बफ़र्ज़े मुहाल अगर इस अव्वलीन तबक़ा ही को मजरूह और नाक़ाबिले ऐतमाद बावर कर लिया जाये तो कोई ऐसी क़ाबिले ऐतमाद बुनियाद बाक़ी नहीं रह जाती जिससे इंसान दीन व ईमान की जानकारी हासिल कर सके।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ " .

(4658) हज़रत अबू सईद (ख़ुदरी) (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे सहाबा की बदगोई मत करो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर तुममें से कोई उहुद पहाड़ जितना सोना भी ख़र्च कर डाले तो वह उनके एक मुद या आधे को भी नहीं पहुँच सकता।'

(हज़रत अबू सईद (ﷺ) ने कहा: हमें उतारदी ने हदीस बयान की, उसने कहा: हमें अबू मुआविया ने बयान किया और हदीस बयान की।)

(4658) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3673, व सही मुस्लिम: 2541.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ، قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَأْتُونَ سَلْمَانَ فَيَذْكُرُونَ لَهُ قَوْلَ حُذَيْفَةَ فَيَقُولُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُذَيْفَةَ فَيَقُولُونَ لَهُ قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَّقَكَ وَلاَ كَذَّبَكَ . فَأَتَى حُذَيْفَةُ سَلْمَانَ وَهُوَ فِي مَبْقَلَةٍ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُولُ فِي الْغَضَبِ لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَيَرْضَى فَيَقُولُ فِي الرِّضَا لِنَاسٍ

(4659) अम्र बिन अबू कुर्रा ने बयान किया कि हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) मदाइन में थे और ऐसी बातें बयान कर दिया करते थे जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ सहाबा से नाराज़ी की हालत में कही थी। चुनांचे जिन लोगों ने हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से ये बातें सुनी होतीं वह हज़रत सलमान (ﷺ) को आकर बताते। तो हज़रत सलमान (ﷺ) कहते: हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) जो कहते हैं उन्हें ही उनका ज़्यादा पता होगा। लोग हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) के पास आते और कहते कि हमने आपकी बात हज़रत सलमान (ﷺ) के सामने ज़िक्र की तो उन्होंने आपकी तस्दीक़ की न तकज़ीब। चुनांचे हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) हज़रत सलमान (ﷺ) के पास आये जबकि वह सब्ज़ी के एक खेत में थे। उन्होंने कहा: सलमान! आपको क्या मानेअ (रूकावट) है कि जो बातें मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हैं आप उनमें मेरी तस्दीक़ नहीं करते हैं? हज़रत सलमान (ﷺ) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) नाराज़ भी हो जाया करते थे और उस हालत में अपने सहाबा से कुछ कह भी दिया करते थे और ख़ुश भी होते थे और उस हालत में भी अपने सहाबा से कुछ कहते थे, तो क्या आप अपने अन्दाज़ से बाज़ नहीं आ सकते। क्या आप लोगों के दिलों में कुछ की मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और कुछ के मुताल्लिक़ बुग़्ज़ डाल देना चाहते हैं? इस तरह तो आप इन लोगों में इख़्तिलाफ़ व इफ़्तेराक़ पैदा कर देंगे, हालांकि मैं बख़ूबी

مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُوَرِّثَ رِجَالاً حُبَّ رِجَالٍ وَرِجَالاً بُغْضَ رِجَالٍ وَحَتَّى تُوقِعَ اخْتِلاَفًا وَفُرْقَةً وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فَقَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِي غَضَبِي - فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ - فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلاَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لأَكْتُبَنَّ إِلَى عُمَرَ .

जानता हूं कि रसूल (ﷺ) ने एक ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया था: '(ऐ अल्लाह!) अपनी उम्मत के जिस किसी को मैंने कभी कोई बुरा भला कहा हो या नाराज़ी की हालत में लानत की हो तो मैं भी आदमज़ाद हूं, जिस तरह वह ग़ुस्से में आ जाते हैं मैं भी आ जाता हूं और मुझे जहान वालों के लिये रहमत बना कर भेजा है (या अल्लाह! मेरी इन बातों को) इनके लिये क़यामत के रोज़ रहमत बना दे।' (ऐ हुज़ैफ़ा!) अल्लाह की क़सम! तुम बाज़ आ जाओ या मैं उ़मर को लिख भेजूंगा। फिर कुछ लोगों ने उनसे सिफ़ारिश की तो उन्होंने अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दिया और हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) को न लिखा। और कफ़्फ़ारा भी क़सम तोड़ने से पहले दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: क़सम का कफ़्फ़ारा तोड़ने से पहले अदा करना या बाद में अदा करना सब जायज़ है।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/437.

फ़ायदा : किसी भी शख़्स को ख़्वाह वह ज़ाती तौर पर कितना भी ख़ैर व सलाह के दर्जे पर फ़ाइज़ हो, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अ़वाम में सहाब–ए–किराम रिज़वानुल्लाहि अ़लैहिम अज्मईन की कमियों की इशाअ़त करे कि उनमें से कुछ के मुताल्लिक़ मोहब्बत और कुछ के मुताल्लिक बुग़्ज़ के जज़्बात पैदा हो जायें और लोग इस मोहतरम जमाअ़त के बारे में शुकूक व शुब्हात का शिकार हों और इनमें तफ़रक़ा पैदा हो जाये। ताहम एक महदूद ख़ास इल्मी हल्क़े में क़ाबिले ऐतमाद अस्हाबे इल्म व फ़ज़ल के सामने इन उमूर का तज़किरा बतौर इफ़्हाम व तफ़हीम (समझने समझाने के लिये) जायज़ है।

बाब : 12
सय्यदना अबूबक्र (ﷺ) की ख़िलाफ़त का बयान

﴿12﴾ بَابٌ فِي اسْتِخْلاَفِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه

(4660) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन ज़मआ (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की तकलीफ़ बहुत बढ़ गई और मैं मुसलमानों की एक जमाअ़त के साथ आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था कि हज़रत बिलाल (ﷺ) ने आपको नमाज़ के लिये बुलाया। आपने फ़रमाया: 'किसी से कह दो, वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दे।' अ़ब्दुल्लाह बिन ज़मआ कहते हैं कि मैं निकला तो हज़रत उ़मर (ﷺ) मौजूद थे जब कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) मौजूद नहीं थे। मैंने कहा: ऐ उ़मर! उठिये और लोगों को नमाज़ पढ़ा दीजिए। चुनांचे वह आगे बढ़े और तकबीर कही। (उधर) जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी आवाज़ सुनी ... और हज़रत उ़मर (ﷺ) बलन्द आवाज़ आदमी थे ... तो फ़रमाया: 'अबू बक्र (ﷺ) कहाँ हैं? अल्लाह इसका इंकार करता है और मुसलमान भी। अल्लाह इसका इंकार करता है और

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ لَمَّا اسْتُعِزَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعَاهُ بِلاَلٌ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ . فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا فَقُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلاً

مُجْهِرًا قَالَ " فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ " . فَبَعَثَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ .

मुसलमान भी।' पस आप (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) को बुला भेजा तो वह आ गये जबकि हज़रत उमर(رضي الله عنه) लोगों को नमाज़ पढ़ा चुके थे, फिर हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने लोगों को वही नमाज़ पढ़ाई।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/322.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ، أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ " لاَ لاَ لاَ لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ " . يَقُولُ ذَلِكَ مُغْضَبًا .

(4661) जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़मआ (رضي الله عنه) ने ये ख़बर बयान की कि जब नबी (ﷺ) ने हज़रत उमर (رضي الله عنه) की आवाज़ सुनी तो आप तशरीफ़ लाये, अपना सरे मुबारक हुजरे से निकाला और फ़रमाया: 'नहीं। नहीं। नहीं। इब्ने अबी क़हाफ़ा (अबू बक्र)(رضي الله عنه) लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' आपने ये बात नाराज़ी की कैफ़ियत में फ़रमाई।

(4661) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की आख़री बीमारी के दिनों में पहली नमाज़ हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने पढ़ाई, बाद में सय्यदना अबूबक्र (رضي الله عنه) पढ़ाते रहे और नबी (ﷺ) की हयाते मुबारका में उनकी पढ़ाई हूई नमाज़ों की तादाद सत्तरह (17) है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत अबू बक्र(رضي الله عنه) के लिये इसरार ख़ुसूसन ये लफ़्ज़ कि (इससे अल्लाह इंकार फ़रमाता है और मुसलमान इंकार करते हैं कि अबूबक्र के अलावा कोई और नमाज़ पढ़ाये) उनके ख़लीफ़ा होने का वाज़ेह इशारा बल्कि इस बात की शहादत थी कि वह मुसलमानों का फ़ितरी इन्तेख़ाब हैं। **(3)** वाक़िया में हज़रत उमर (رضي الله عنه) की कोई तन्क़ीस नहीं हूई बल्कि ये हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) का वह शर्फ़ था जिसे हज़रत उमर (رضي الله عنه) और तमाम सहाब–ए–किराम (رضي الله عنه) इससे पहले भी तस्लीम करते थे।

बाब : 13
फ़ितने के दिनों में इन बातों को आम मौज़ूअे बहस़ नहीं बनाना चाहिए (इनके मुताल्लिक़ आम बात न की जाये)

﴿13﴾
بَابُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلاَمِ فِي الْفِتْنَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ " إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ " وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ " .

(4662) हज़रत अबूबक्र (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सय्यदना हसन बिन अ़ली(ﷺ) के मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'मेरा ये बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तआला इसके ज़रिये से मेरी उम्मत के दो गिरोहों में सुलह करा देगा।' हम्माद की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'और उम्मीद है कि अल्लाह तआला इसके ज़रिये से मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा।'

(4662) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3773, बुख़ारी, हदीस़: 3629.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अ़ली (ﷺ) के दौर में सय्यदना उ़स्मान (ﷺ) की शहादत की बिना पर मुसलमान दो गिरोहों में बट गये थे। एक तरफ़ हज़रत अ़ली (ﷺ) थे और दूसरी तरफ़ हज़रत मुआविया (ﷺ) और दोनों ही अपनी अपनी तर्जीहात में बरहक़ थे, ताहम सय्यदना अ़ली (ﷺ) का मौक़िफ़ हक़ के ज़्यादा क़रीब था। **(2)** सय्यदना हसन (ﷺ) ने अपनी ख़िलाफ़त से दस्त बरदार होकर एक अ़ज़ीम कारनामा सरअंजाम दिया और उसकी वजह से उनके शर्फ़े 'सियादत' में और

इज़ाफ़ा हो गया। मगर कुछ लोगों को अब तक उनका ये अमल नापसन्द है। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों अतराफ़ (पार्टियों) के लोगों को 'अपनी उम्मत के मुसलमान' क़रार दिया है और किसी को भी गुमराह या बातिल नहीं फ़रमाया। (4) सहाबा–ए–किराम या फिर फ़ुक़हा व अइम्मा की इज्तेहादी ग़लतियों की इशाअत करना बहुत बड़ा और बुरा फ़ितना है। सिर्फ़ ख़ास महदूद इल्मी हल्क़ा में उनके मसाइल की इल्मी तफ़हीम जायज़ है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلاَّ أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلاَّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ " .

(4663) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) ने रिवायत किया कि हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा कि लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे कोई फ़ितना दरपेश हो (और वह उससे महफ़ूज़ रहे) मुझे अन्देशा रहता है कि वह उसमें मुब्तला हो जायेगा, सिवाए मुहम्मद बिन मस्लमा (रज़ि.) के, क्योंकि मैंने रसूल (ﷺ) से सुना आप (उन्हें) फ़रमा रहे थे: 'तुझे फ़ितना नुक़सान नहीं देगा।'

(4663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा: 15/50.

फ़ायदा : इसकी वाहिद वजह अल्लाह तआला के ख़ास फ़ज़ल के बाद उनका इन फ़ितनों से अलग थलग रह कर तन्हाई इख़्तियार कर लेना था जैसा कि नीचे दी गई रिवायत में आ रहा है। लेकिन इसका ये मफ़हूम भी नहीं कि इंसान लोगों पर मुअस्सिर हो सकता हो, उसकी बात सुनी जाती हो तो भी वह ख़ामोश तमाशाई बना रहे और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर (भलाइयों के हुक्म देने और बुराइयों से रोकने) का फ़रीज़ा सरअंजाम न दे बल्कि ये इस सूरत में है जब आदमी कोई अहम किरदार करने की हालत में न हो, तो उस वक़्त अलग थलग रहने ही में आफ़ियत होती है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ إِنِّي لأَعْرِفُ رَجُلاً لاَ تَضُرُّهُ الْفِتَنُ

(4664) जनाब सालबा बिन ज़ुबैया कहते हैं कि हम हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के यहां गये तो उन्होंने कहा: मैं यक़ीनन उस आदमी को जानता हूं जिसे फ़ितने कोई नुक़सान नहीं पहुँचा सकेंगे। कहा कि फिर हम उनके यहां से निकले तो हमें एक ख़ैमा नज़र आया, हम

شَيْئًا . قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَيَّ شَىْءٌ مِنْ أَمْصَارِكُمْ حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ .

उसमें चले गये, तो देखा कि उसमें हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा(ﷺ) हैं। हमने उनसे इस (तन्हाई और गोशा गिरी) के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा: मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शहरों का कोई फ़ितना मुझे अपनी लपेट में ले ले यहाँ तक कि ये सूरते हाल साफ़ हो जाये। (फ़ितने ख़त्म हो जायें।)

(4664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम, हदीस: 3/433, 434.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ حُصَيْنٍ الثَّعْلَبِيِّ، بِمَعْنَاهُ .

(4665) अबू बुर्दा ने बयान किया कि ज़ुबैया बिन हुसैन सालबी ने ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया।

(4665) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने सअद: 3/444, 445, हाकिम: 3/434.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رضى الله عنه أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ رَأْىٌ رَأَيْتَهُ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأْىٌ رَأَيْتُهُ .

(4666) जनाब क़ैस बिन उबाद कहते हैं कि मैंने हज़रत अली (ﷺ) से पूछा: आपका (हज़रत मुआविया (ﷺ) के मुक़ाबले में) निकलना रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान की बिना पर है या ये आपकी अपनी ज़ाती राय है? उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ नहीं फ़रमाया था, बल्कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय है।

(4666) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4530 में देखें।

फ़ायदा : सहाब-ए-किराम (ﷺ) के झगड़े उनकी अपनी इज्तेहादी रायें थी। जिनमें से एक फ़रीक़ बर हक़ और दूसरा उसके बर ख़िलाफ़ था। मगर ब'वजहे इख़्लास और हुस्ने नियत दोनों ही सवाब के हकदार थे और हज़रत मुआविया (ﷺ) के मुक़ाबले में हज़रत अली (ﷺ) हक़ के ज़्यादा करीब थे।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " .

(4667) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमानों में इफ़्तेराक़ी (तफ़रक़ा बाज़ी) के वक़्त एक फ़ितना अंगेज़ जमाअत निकलेगी जिसे मुसलमानों का वह गिरोह क़त्ल करेगा जो हक़ के ज़्यादा क़रीब होगा।'

(4667) तख़रीज : सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसलमानों में मुख़्तलिफ़ राय (तरह–तरह की राय) के हामिल अफ़राद या जमाअतों का वजूद हो सकता है जिनमें से यक़ीनन एक ही हक़ पर होगा और दूसरा उससे बईद। मगर जब तक कोई वाज़ेह सरीह बातिल फ़िक्र व अमल सामने न आये उनकी ज़लालत का हुक्म न लगाया जाये। बल्कि इल्मो व हिकमत से तफ़हीम होनी चाहिए और हर सम्भव उनकी इशाअत और फैलाने से ख़ामोशी इख़्तियार की जाये, इससे वह फ़ितना दब सकता है। **(2)** इस हदीस में ख़वारिज के ज़ुहूर की पेशीनगोई का बयान है। ये हदीस नबी (ﷺ) की सदाक़त की एक दलील है, क्योंकि ख़वारिज का जिस वक़्त ज़ुहूर हुआ, वह इस हदीस के ऐन मुताबिक़ है। ये 36, 37 हिजरी का वाक़िया है जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया (ﷺ) के दरम्यान लड़ाई जारी थी। उस वक़्त नहरवान से फ़िरक–ए–ख़वारिज का ज़ुहूर हूआ और हज़रत अली (ﷺ) ने उनसे जंग की और उन्हें शिकस्ते फ़ाश दी। इस क़िस्म की अहादीस की बिना पर हज़रत अली (ﷺ) को, हज़रत मुआविया (ﷺ) के मुक़ाबले में, हक़ से ज़्यादा करीब कहा जाता है। **(3)** इसमें बाहम लड़ने वाले दोनों गिरोहों को मुसलमान कहा गया है, इसलिए हज़रत अली (ﷺ)और हज़रत मुआविया (ﷺ), दोनों और उनके साथियों के बारे में तअन व तशनीअ की बजाये कफ़े लिसान (ख़ामोशी) ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही मुसलमान और हक़ पर थे, गो एक अहक़ (ज़्यादा सही) था। **(4)** फ़ितना अंगेज़ या दीन से निकल जाने वाला गिरोह ख़वारिज का था, न कि हज़रत अली (ﷺ) या हज़रत मुआविया(ﷺ) का गिरोह, वह दोनों तो मुसलमानों के अज़ीम गिरोह थे।

बाब : 14
अम्बिया-ए-किराम अलैहि. में फ़ज़ीलत देने का मसला

﴾14﴿ باب فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

फ़ायदा : अम्बिया–ए–किराम अलैहि. को एक दूसरे पर फ़ज़ीलत देने से भी उम्मत में इफ़्तेराक़ का फ़ितना पैदा होना मुमकिन है। एक किसी नबी को अफ़ज़ल कहेगा तो दूसरा किसी और को। जिस नबी को किसी ने मफ़ज़ूल क़रार दिया होगा उसके मानने वाले ख़्वाह म ख़्वाह दूसरे अम्बिया के बारे में नारवा बातें करेंगे। ये सारा मामला फ़ितना अंगेज़ है, इसलिए नबी–ए–करीम (ﷺ) ने किसी नबी को दूसरे पर फ़ज़ीलत देने का सिलसिला ही बंद कर दिया।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ " .

(4668) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अम्बिया को एक दूसरे पर फ़ज़ीलत व तर्जीह मत दिया करो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2412, व सही मुस्लिम.

फ़ायदा : बिलाशुब्हा अम्बिया व रूसूल अलैहि. में कुछ को कुछ पर फ़ज़ीलत हासिल है और क़ुर्आन मजीद ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि हमने कुछ रसूलों को कुछ पर फ़ज़ीलत दी है अल बक़र: 'मगर उनके फ़ज़ाइल का इस अन्दाज़ से तक़ाबुली (तुल्नात्मक) बयान कि दूसरों की तन्क़ीस़ लाज़िम आये, हराम है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى " .

(4669) सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी बंदे को लायक़ नहीं कि वह यूँ कहे कि मैं (मुहम्मद) (ﷺ) हज़रत यूनुस बिन मत्ता अलैहि. से बेहतर हूँ।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3413, व सही मुस्लिम.

फ़ायदा : 'किसी बंदे को लायक़ नहीं' इन अल्फ़ाज़ से समझा जा सकता है कि नबी अलैहि. के अलावा किसी और को इस तरह कहना जायज़ नहीं और अगर नबी अलैहि. ख़ूद भी इसमें शामिल हों जैसे कि नीचे दी गई रिवायत में है तो इसमें आपकी अज़ हद तवाज़ोअ का इज़हार है।

(4670) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'किसी नबी को लायक़ नहीं कि यूँ कहे कि मैं हज़रत यूनुस बिन मत्ता अलैहि. से बेहतर हूँ।'

(4670) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/205.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ".

फ़ायदा : हज़रत यूनुस का नाम इसलिए लिया कि उन्हीं के बारे में वज़ाहत आती है कि वह बग़ैर इजाज़त बस्ती छोड़ के चले गये, उस पर वह मछली के पेट में पहुँचा दिये गये और 'तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू पाक है, बिलाशुब्हा मैं ही ज़ालिमों में से हूँ।' (अलअम्बिया: 87) का विर्द करते रहे, उसके नतीजे में उन्हें निजात मिल गई और किसी नबी के बारे में ऐसी कोई बात बयान नहीं। इसके बावजूद आप (ﷺ) ने ये भी गवारा नहीं फ़रमाया कि उनसे आपका तक़ाबुल (तुलना) करके आपकी फ़ज़ीलत का इज़हार किया जाये।

(4671) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक यहूदी ने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने मूसा अलैहि. को मुन्तख़ब फ़रमाया, तो एक मुसलमान ने अपना हाथ उठाया और यहूदी के मुँह पर थप्पड़ मार दिया। वह यहूदी नबी (ﷺ) के पास चला आया और आपको बताया तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे मूसा अलैहि. पर फ़ज़ीलत मत दो। बिलाशुब्हा (क़यामत बरपा होने पर) जब लोग बेहोश किये जायेंगे तो मैं ही होऊंगा जो सबसे पहले होश में आऊंगा और देखूंगा कि मूसा अलैहि. अर्श का पाया पकड़े खड़े होंगे और मुझसे पहले होश में आ गये होंगे या ये उन अफ़राद

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى . فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ

النَّاسَ يُصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ ابْنِ يَحْيَى أَتَمُّ

में से हों जिन्हें! अल्लाह तआला ने बेहोशी से मुस्तस्ना (अलग) रखा होगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने यहया की रिवायत ज़्यादा मुकम्मल है।

(4671) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2411, व स़ही मुस्लिम.

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ

(4672) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से यूँ ख़िताब किया (या ख़ैरल बरिय्या) 'ऐ मख़्लूक़ में सबसे अफ़ज़ल शख़्सीयत!' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये हज़रत इब्राहीम अलैहि. थे।'

(4672) तख़रीज : स़ही मुस्लिम.

फ़ायदा : इसमें भी किसी नबी से आपका तक़ाबुल (तुलना) नहीं। सारी मख़्लूक़ में आपके मर्तबे का ज़िक्र है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ " .

(4673) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं औलादे आदम का सरदार हूँ और पहला शख़्स होऊंगा जिससे ज़मीन फटेगी, मैं सबसे पहले सिफ़ारिश करूंगा और मेरी सिफ़ारिश ही सब से पहले क़बूल होगी।'

(4673) तख़रीज : स़ही मुस्लिम.

फ़ायदा : आप (ﷺ) ने हक़ बात बयान फ़रमाये लेकिन ऐसा अन्दाज़ हरगिज़ इख़्तियार नहीं फ़रमाया जिसमें दूसरे अम्बिया की तन्क़ीस़ हो या कोई तक़ाबुल ही सामने आये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، - الْمَعْنَى -

(4674) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(तुब्बअ) के मुताल्लिक़ मुझे नहीं मालूम वह लईन

(कमीना) था या नहीं। और उ़ज़ैर के मुताल्लिक़ ख़बर नहीं कि वह नबी था या नहीं।'

(4674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद: 1/53, हाकिम: 2/14.

قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَدْرِي أَتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لاَ وَمَا أَدْرِي أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ौमे सबा का क़बीला 'हिम्यर' अपने बादशाह को 'तुब्बअ़' कहता था। ये क़ौम अम्बिया के झुठलाने और शिर्क की वजह से हलाक हूई थी जैसे कि सूरह दूख़ान में उनका ज़िक्र आया है: 'क्या ये (मुश्रिकीने मक्का) बेहतरीन हैं या क़ौमे तुब्बअ़ और जो उनसे भी पहले थे? हमने उनको हलाक कर दिया, क्योंकि वह मुजरिम थे।' (अद्दुख़ान: 37) और सूरह क़ाफ़ में है: 'ऐका (बस्ती) वालों ने और क़ौमे तुब्बअ़ ने, (उन) सबने (हमारे) रसूलों की तकज़ीब की (उन सब) पर मेरी वईद साबित हो गई।' (क़ाफ़: 14) रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान का मतलब ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक अच्छाई या बुराई में कौन किस दर्जे का होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, नीज़ ये कि जिन अश्ख़ास के बारे में क़ुर्आन में वज़ाहत नहीं उनको अपनी तरफ़ से नबी क़रार देने की किसी को इजाज़त नहीं। एक तुब्बअ़ के मुताल्लिक़ आता है कि वह मुसलमान हो गया था उसे बुरा न कहा जाये। **(2)** मुस्तदरक हाकिम और इब्ने असाकिर वग़ैरह की रिवायात में उ़ज़ैर की बजाये ज़ूलक़र्नैन का ज़िक्र है, नहीं मालूम वह नबी था या नहीं। हज़रत उ़ज़ैर के मुताल्लिक मशहूर है कि वह नबी थे। वल्लाहू आलम!

(4675) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'मैं इब्ने मरयम अ़लैहि. के सबसे ज़्यादा क़रीब हूं और अम्बिया गोया एक बाप की औलाद हैं (जिनकी मायें अलग अलग हों) मेरे और इब्ने मरयम अ़लैहि. के दरम्यान और कोई नबी नहीं।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3442, व सही मुस्लिम.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ " .

फ़ायदा : अम्बिया अ़लैहि. का अ़ल्लाती भाई (बाप की तरफ़ से भाई) होने के मानी ये हैं कि उनकी

दावत के उसूल एक हैं, यानी तौहीद, नबूवत और बेअ्सते क़यामत, अलबत्ता दीगर मसाइले शरइया में इख़्तिलाफ़ रहा है। आपने ख़ूद अम्बिया को अख़ी (यूसुफ़) कह कर याद फ़रमाया, अम्बिया का तज़किरा बहुत मोहब्बत से और ख़ूबसूरत अन्दाज़ से फ़रमाया: फिर उम्मत के लिये कैसे मुनासिब हो सकता है कि वह फ़ज़ीलत देने के अन्दाज़ में उनका तज़किरा करे या किसी को अफ़ज़ल और किसी को मफ़्ज़ूल क़रार दे।

बाब : 15 मुर्जिआ की तर्दीद

﴿15﴾ باب فِي رَدِّ الإِرْجَاءِ

फ़ायदा : मुर्जिआ से मुराद वह लोग हैं जिनका नज़रिया ये रहा है कि आमाले सालेहा ईमान में दाख़िल नहीं और कलिम–ए–तौहीद व रिसालत अदा कर लेने के बाद किसी गुनाह का कोई नुक़सान नहीं और मुर्तकिबे कबीरा का मामला आख़िरत तक मुअख़्ख़र (लेट) है। दुनिया में इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह जन्नती है या दोज़ख़ी। इनमें से कुछ ने कहा कि ईमान कम व बेश (कम और ज़्यादा) नहीं होता। और कुछ ने कहा कि ईमान बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता। कुछ ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इंसानी सूरत पर है और तक़दीर का ख़ैर व शर होना बंदे की तरफ़ से है। (अल मिलल वन्नहल शहरिस्तानी)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ " .

(4676) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ईमान की सत्तर और कुछ शाख़ें हैं। सबसे अफ़ज़ल 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहना है और सबसे नीचे ये है कि कोई रास्ते में पड़ी हड्डी दूर कर दे। और हया भी ईमान की एक शाख़ है।'

(4676) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 9, व सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सल्फ़ सालेहीन यानी सहाबा और ताबेइन के नज़दीक ईमान ज़बान के क़ौल, दिल की हक़ीक़ी तस्दीक़ और आज़ा (ज़ाहिरी जिस्म) के आमाल का नाम है। शैख़ मुहियुद्दीन का क़ौल है: ये बात वाज़ेह और राजेह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग़ौर व फ़िक्र और वाज़ेह से वाज़ेह तर

दलील की वजह से तस्दीक़े क़ल्ब में ज़्यादती होती है। जब मक़ामे सिदीक़िय्यत हासिल हो तो उसका ईमान दूसरों से ज़्यादा और मज़बूत होता है। तस्दीक़े क़ल्ब (दिल) का अमल है। बाक़ी अज़्ज़ा के अमल भी ज़्यादा कम होंगे तो ये ईमान की कमी या इज़ाफ़े का सबब होंगे, क्योंकि अमल ईमान के कमाल में शामिल है। सलफ़ सालेहीन के नज़दीक दीगर अज़्ज़ा (आज़ा–ए–ज़ाहिरी) के अमल कमाले ईमान की शर्त हैं, अलबत्ता मोतज़ला के नज़दीक ये आमाल ईमान की सेहत की शर्त हैं। (फ़तहुल बारी, किताबुल ईमान) **(2)** सो जो कोई जिस क़द्र शरई आमाल बजा लायेगा उसी क़द्र उसका ईमान कामिल होता जायेगा, वरना उसी क़द्र नाक़िस रहेगा। जब आपने ईमान के दर्जे बयान फ़रमाये हैं तो मुर्जिआ का ये क़ौल कैसे सही हो सकता है कि ईमान कम व बेश नहीं होता। **(3)** सबसे अफ़ज़ल और आला अमल 'ला इलाहा इल्लल्लाह' (तौहीद) का इक़रार है और मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) की रिसालत का इक़रार इसका लाज़मी हिस्सा है, क्योंकि तौहीद वही मोतबर है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बताई है, लिहाज़ा जो शख़्स रिसालत का इन्कार करने वाला हो उसकी तौहीद भी मोतबर नहीं जैसे कि नीचे दी गई हदीस में वज़ाहत आ रही है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ " أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ " شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ " .

(4677) अबू जम्रा से रिवायत है, उन्होंने कहा मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) से सुना, उन्होंने फ़रमाया: जब अब्दुल क़ैस का वफ़द रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया तो आपने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया। आपने उनसे पूछा: 'क्या जानते हो अल्लाह पर ईमान लाना क्या है?' उन्होंने कहा: अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'सिर्फ़ एक अल्लाह के माबूदे हक़ीक़ी होने और मुहम्मद के रसूलुल्लाह होने की गवाही देना, नमाज़ क़ाइम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और ये कि तुम माले ग़नीमत में से पाँचवां हिस्सा अदा करो।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3692 में देखें, बुख़ारी: 53, मुसनद अहमद: 1/228, व सही मुस्लिम: 17.

फ़ायदा : 'ईमान' सिर्फ़ ज़बानी इक़रार नहीं और न महज़ दिल की तस्दीक़ का नाम है, बल्कि ज़बान के इक़रार, दिल की तस्दीक़ और आज़ा से अमल के मजमूए को ईमान कहा गया है। इस क़िस्से में हज का ज़िक्र इसलिए नहीं कि उस वक़्त तक हज फ़र्ज़ नहीं हूआ था।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ " .

(4678) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बंदे और कुफ़्र के दरम्यान फ़र्क़ नमाज़ छोड़ देना है।'

(4678) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2620, व सही मुस्लिम: 82.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि अमल ईमान का हिस्सा है। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) ने लिखा है कि नमाज़ छोड़ने की तीन सूरतें हैं:

- मुतलक़न नमाज़ का इंकार करना, यानी ये समझना कि ये दीन का कोई हिस्सा नहीं। ये अक़ीदा इज्माई तौर पर सरीह कुफ़्र है बल्कि इस तरह से दीन में साबित किसी भी चीज़ का इंकार कुफ़्र है।
- ग़फ़लत और भूल से नमाज़ छोड़ देना, ऐसा आदमी उम्मत का इज्मा (सर्वसम्मति) है, काफ़िर नहीं है।
- अम्दन नमाज़ छोड़े रहना मगर इंकार भी न करना, ऐसे शख़्स के बारे में अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है। इब्राहीम नख़ई, इब्ने मुबारक, अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ बिन राहवे का क़ौल है कि बिला उज़्र जानबुझकर नमाज़ का छोड़ने वाला यहाँ तक कि उसका वक़्त निकल जाये, काफ़िर है। इमाम अहमद का कहना है कि हम जानबुझकर नमाज़ छोड़ने वाले के सिवा किसी को किसी गुनाह पर काफ़िर नहीं कहते। ज़्यादा सख़्त मौक़िफ़ इमाम मकहूल और इमाम शाफ़ेई का है कि तारिके सलात (जानबुझकर नमाज़ छोड़ने वाले) को उसी तरह क़त्ल किया जाये जैसे काफ़िर को किया जाता है लेकिन इस सबब से वह मिल्लत से ख़ारिज नहीं होता। मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न होगा। उसके अहल उसके वारिस होंगे। इमाम शाफ़ेई (रह.) के कई अस्हाब ने कहा कि उसका जनाज़ा न पढ़ा जाये। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके अस्हाब का कहना है कि तारिके सलात को क़ैद किया जाये और जिस्मानी (शारीरिक) सज़ा दी जाये यहाँ तक कि वह नमाज़ पढ़ने लगे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ

(4679) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (औरतों को ख़िताब करते हुए) फ़रमाया: 'मैंने किसी नाक़िस अक़्ल और नाक़िस दीन वाली को

اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلاَ دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ " . قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لاَ تُصَلِّي".

नहीं पाया जो तुमसे बढ़ कर अक़्लमंद बंदे को बे अक़्ल बना देने वाली हो।' एक औरत बोली: अक़्ल और दीन में कमी और नुक़्स कैसे है? आपने फ़रमाया: 'अक़्ल की कमी ये है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है और दीन में कमी यूँ है कि बिलाशुब्हा औरत रमज़ान के दौरान में रोज़े छोड़ देती है और कई कई दिन नमाज़ नहीं पढ़ती।'

(4679) तख़रीज : सही मुस्लिम: 79.

फ़वाइद व मसाइल : (1) औरत का नमाज़ और रोज़े छोड़ देना अगरचे शरई, माक़ूल व मक़बूल उज़्र है मगर मजमूई लिहाज़ से उसके आमाले बंदगी पर इसका असर भी ज़रूर मुरत्तब होता है कि कहाँ एक मर्द बिला रूके मुसल्सल अमल करता रहता है जब कि औरत के आमाल में तसल्सुल नहीं रहता और यही उसके नुक़्साने दीन और मर्द के कमाले दीन की अलामत है। **(2)** नबी (ﷺ) ने औरत की गवाही को आधी गवाही इसलिए क़रार दिया है कि उनकी याददाश्त और हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है जैसा कि क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 'एक औरत अगर भूल जाये तो उनमें से दूसरी उसे याद दिलाये।' (अलबक़र: 282) ये भूल जाना ही उनका नुक़्साने अक़्ल है और ये एक ऐसी हक़ीक़त है जिसका आधुनिक ख़्यालात के लोग चाहे, इंकार करते रहें लेकिन उनके अक़ायाने मग़रिब के बहुत से मुफ़क्किरीन ने भी इसको तस्लीम किया और इसका बिला झिझक इज़हार किया है।

﴿16﴾ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

बाब : 16
ईमान के कम व बेश होने की दलीलें

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ

(4680) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि (तहवीले क़िब्ला के मौक़े पर) जब नबी (ﷺ) ने काबतुल्लाह की तरफ़ रूख़ कर लिया तो सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के

रसूल! उन लोगों का क्या होगा जो बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे, तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: (वमा कानल्लाहु लियुज़ीआ ईमानकुम) 'अल्लाह तआला ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमानों को ज़ाया कर दे।'

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} .

(4680) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2964.

फ़ायदा : इस आयते करीमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक अमल, नमाज़ को ईमान से ताबीर फ़रमाया है। मालूम हूआ कि आमाल ईमान का जुज़ (हिस्सा) हैं। और आमाल के कमाल से ईमान कामिल (पूरा) होता है वरना कमी आ जाती है।

(4681) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत की, अल्लाह की ख़ातिर गुस्सा किया, अल्लाह के लिये दिया, और अल्लाह की रज़ामंदी के पेशे नज़र न दिया तो उसने ईमान को कामिल कर लिया।'

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ " .

(4681) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 8/208.

फ़ायदा : मोहब्बत करना या बुग़्ज़ रखना दिल के आमाल हैं और किसी को कोई चीज़ देना या न देना हाथ के आमाल हैं और ये सब ईमान के मुकम्मल करने या कमी रखने के असबाब (कारण) हैं।

(4682) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अहले ईमान में सबसे बढ़ कर कामिल ईमान वाला वही है जो अख़लाक़ में सबसे बढ़ कर हो।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا"

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 1162, इब्ने हिब्बान: 1926, हाकिम: 1/3, मुसनद अहमद: 2/372

फ़ायदा : (अख़्लाक़ ख़ुलुक़) की जमा है। 'ख़ा' और 'लाम' के पेश के साथ। और इससे मुराद इंसान की आदात और आमाल हैं। उम्दा आदात को ईमान का कमाल कहा गया है। जिस शख़्स की आदात और दूसरों के साथ मामलात ग़लत हों वह उतना ही ईमान में नाक़िस होता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالاً وَلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَلَمْ تُعْطِ فُلاَنًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَوْ مُسْلِمٌ ‏"‏ ‏.‏ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثًا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ أَوْ مُسْلِمٌ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنِّي أُعْطِي رِجَالاً وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُمْ لاَ أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ‏"‏ ‏.‏

(4683) जनाब आमिर बिन सअद अपने वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि (एक बार) नबी (ﷺ) ने कुछ लोगों को कुछ इनायत फ़रमाया और एक आदमी को कुछ न दिया। तो हज़रत सअद (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़ुलां फ़ुलां को इनायत फ़रमाया है और फ़ुलां को कुछ नहीं दिया हालांकि वह मोमिन है। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'या मुस्लिम है।' हज़रत सअद (ﷺ) ने ये बात तीन बार कही और नबी (ﷺ) या मुस्लिम है, मुस्लिम है फ़रमाते रहे और फिर कहा: 'मैं कुछ आदमियों को देता हूँ और कुछ को छोड़ देता हूं हालांकि वह मुझे उनकी निस्बत ज़्यादा महबूब होते हैं इस अंदेशे से कि कहीं वह अपने मुँहों के बल आग में न डाल दिये जायें।'

(4683) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 27, व मुस्लिम; 150.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ईमान और इस्लाम अगरचे आपस में लाज़िम व मल्ज़ूम हैं, मगर ईमान आज़ा–ए–बातिन व ज़ाहिर के आमाल (तस्दीक़ अमले क़ल्ब है और नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह तमाम आमाले सालेहा आज़ा–ए–ज़ाहिर के अमल हैं) का नाम है जबकि इस्लाम का ताल्लुक़ ज़ाहिरी अफ़आल से है। इसलिए हम ज़ाहिरी आमाल की रोशनी में किसी को साहिबे इस्लाम तो कह सकते हैं लेकिन साहिबे ईमान होने का दावा दुरूस्त नहीं। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज़ा–ए–ज़ाहिरी के उन आमाल के साथ तस्दीक़ बिलक़ल्ब की हालत किया है। (2) इस्लाम क़बूल करने

वाले नवमुस्लिम लोगों को इस्लाम में रासिख़ और मुतमइन करने के लिये माली तआवुन देना ज़रूरी है ताकि इस्लामी मुआशरे के शरई आमाल उनकी रूह में उतर जायें। ऐसे लोगों को इस्तेलाहन (मुअल्लफ़ुल क़ुलूब) कहा जाता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا } قَالَ نَرَى أَنَّ الإِسْلاَمَ الْكَلِمَةُ وَالإِيمَانَ الْعَمَلُ .

(4684) जनाब इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) ने आयते करीमा (क़ुल लम तुअमिनू व लाकिन क़ूलू अस्लमना) 'कह दीजिए! (ऐ बदवीयो!) तुम ईमान नहीं लाये बल्कि यूँ कहो कि हमने इस्लाम क़बूल किया है।' कि तफ़्सीर में बयान किया कि हम समझते हैं इस्लाम से मुराद ज़बानी इक़रार है और ईमान से मुराद अमल है।

(4684) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : ये इमाम ज़ोहरी (रह.) की ताबीर है। उनका मतलब ये है कि आज़ा–ए–बातिनी और आज़ा–ए–ज़ाहिरी जिनमें ज़बान भी शामिल है कि आमाल का नाम ईमान है। अगर सिर्फ़ ज़बान ने इक़रार किया है तो हम उसे इस्लाम कह सकते हैं ईमान नहीं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَّمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا فَقُلْتُ أَعْطِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ . قَالَ " أَوْ مُسْلِمٌ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ " .

(4685) जनाब आमिर अपने वालिद हज़रत सअद (बिन अबी वक़्क़ास) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने मुसलमानों में कुछ माल तक़सीम किया तो मैंने अर्ज़ किया: फ़ुलां को भी दीजिये बिलाशुब्हा वह मोमिन है। आपने फ़रमाया: 'या मुस्लिम है, बेशक मैं किसी शख़्स को कोई अतिया देता हूं हालांकि उसके बजाये कोई दूसरा मुझे ज़्यादा महबूब होता है, (उसे कुछ नहीं देता) मैं इस अन्देशे से उसे देता हूं कि कहीं औंधे मुँह न गिरा दिया जाये।'

(4685) तख़रीज : हदीस: 4683 में देखें, मुसनद अहमद: 1/176.

(4686) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते थे, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कहीं मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो।'

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " .

(4686) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6868, व सही मुस्लिम: 66.

फ़ायदा : बुरे अमलों से ईमान में कमी आती है। मुसलमानों का आपस में एक दूसरे को क़त्ल करना बदतरीन आमाल में से है, ये ईमान की कमी की दलील है जिसे कुफ़्र से ताबीर किया गया है। लेकिन इस वजह से इंसान मिल्लत से ख़ारिज नहीं होता है।

(4687) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को काफ़िर कहा, तो अगर वह (वाक़ेई में) काफ़िर हूआ तो बेहतर' वरना कहने वाला ही काफ़िर है।'

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلاَّ كَانَ هُوَ الْكَافِرَ " .

(4687) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/23, व सही मुस्लिम: 60.

फ़ायदा : ज़बान का बोल बेकार नहीं जाता, किसी भी मुसलमान को बग़ैर किसी वाज़ेह शरई दलील के काफ़िर क़रार नहीं दिया जा सकता। अगर मुख़ातब वाक़ेई उसका मुस्तहिक़ न हो, तो कहने वाला ज़रूर उससे मुतास्सिर होता है। मगर ये कुफ़्रे अकबर से कम दर्जे का है। कबीरा गुनाह है। जिसके करने वाले को इसी मानी में काफ़िर क़रार दिया गया है जिस मानी में ऊपर की हदीस में कहा गया है।

(4688) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चार ख़स्लतें जिस शख़्स में पाई जायें वह ख़ालिस मुनाफ़िक़ होता है और जिसमें उनमें से कोई एक हो तो उसमें निफ़ाक़ की एक ख़स्लत होती है यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे। यानी जब बात करे तो झूठ बोले,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ

خَالِصٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " .

वादा करे तो ख़िलाफ़ करे, अहद मुआहिदा करे तो धोखा दे और अगर झगड़ा हो जाये तो बदज़बानी (गाली गलोच) पर उतर आये।'

(4688) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/405, 406, बुख़ारी, हदीस: 34, व सही मुस्लिम: 58.

फ़ायदा : निफ़ाक़ बुनियादी तौर पर कथनी और करनी में फ़र्क़ का नाम है। अगर किसी ने ज़बान से इक़रार किया लेकिन उसके आमाल उसके बरअक्स हैं तो उसका इक़रार ग़ैर हक़ीक़ी या इन्तेहाई कमज़ोर है। आप (ﷺ) ने जिन चीज़ों को अलामाते निफ़ाक़ क़रार दिया है वह बदतर आमाल ही हैं। ये भी इस बात की दलील है कि आमाल से ईमान में कमी बेशी होती है। ये भी पता चलता है कि अगरचे किसी पर मुसलमान होने या न होने का हुक्म उसके दावा और आमाल के मुताबिक़ लगाया जा सकता है लेकिन कुछ बुनियादी अमल ऐसे हैं कि सिर्फ़ ज़बानी इक़रार वाले उमूमन उनका एहतिमाम नहीं कर सकते। चाहे वह बड़े बड़े आमाल जैसे नमाज़ वग़ैरह का एहतिमाम करते भी हों। जहां हर नेकी ईमान में इज़ाफ़े और तरक़्क़ी का बाइस बनती है तो वहां हर हर गुनाह और बुराई ईमान में कमी लाती है और किसी मुसलमान में निफ़ाक़ की अलामतों का पाया जाना बहुत ही बदतर और बड़ा ऐब है।

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ " .

(4689) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बदकार ज़ानी जिस वक़्त ज़िना कर रहा हो, ईमानदार नहीं होता। चोर जिस वक़्त चोरी कर रहा हो, ईमान वाला नहीं होता, और शराबी जब शराब पी रहा हो, मोमिन नहीं होता, उसके बाद तौबा उसके सामने है।'

(4689) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6810, व सही मुस्लिम; 57.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،

(4690) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी जब ज़िना करता है तो ईमान उससे निकल जाता है और उसके ऊपर छतरी की मानिन्द हो जाता है। पस जब वह अपनी

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ

बदकारी से निकल आता है तो ईमान उसकी तरफ़ वापस आ जाता है।'

(4690) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने मनदह, हदीस: 519, हाकिम: 1/22.

फ़ायदा : इन हदीसों में बताये गये बुरे कामों की शनाअत और बुराई और उनके मुर्तकिब (करने वाले) की बदबख़्ती का बयान है जो किसी भी ईमानदार के शायाने शान नहीं। बिलफ़र्ज़ ऐसा आदमी अगर इस हालत में मर जाये तो ग़ौर करें वह किस हाल में मरा। फ़िर्क़-ए-ख़वारिज ने इसके ये मानी समझे हैं कि ऐसा आदमी ईमान से ख़ारिज और हतमी (पुरे) तौर पर काफ़िर हो जाता है। मगर इन अहादीस में इस इन्तेहा पसन्दाना मौक़िफ़ और ग़ुलू की तर्दीद होती है। अहले सुन्नत वलजमाअत के नज़दीक ये आमाल कुफ़्रिया हैं मगर क़तई तौर पर मिल्लत से निकालने का सबब नहीं बनते जिस वक़्त कोई ऐसे आमाल में मुब्तला नहीं होता उस वक़्त वह काफ़िर नहीं होता, बल्कि अगर वह तौबा कर ले तो ईमान की कमी या आरज़ी तौर पर ईमान की नफ़ी की कैफ़ियत से निकल आता है। जैसे कि (कुफ़्रुन दूना कुफ़्र) से ताबीर किया जाता है। यानी बड़े कुफ़्र से छोटा कुफ़्र।

बाब : 17
तक़दीर का बयान

﴿17﴾ بَابٌ فِي الْقَدَرِ

फ़ायदा : अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अपनी मख़्लूक़ के बारे में तमामतर तफ़्सील और जुज़्वी अज़ली इल्म को 'तक़दीर' कहते हैं। इस बिना पर कुछ लोगों ने इंसान को मजबूरे महज़ समझा है और वह तारीख़े मज़ाहिब में जबरिया कहलाते हैं। और कुछ ने तक़दीर का इंकार करते हूए इंसान को कुल्ली मुख़्तार समझा है, ऐसे लोगों को क़दरिया कहा जाता है। और हक़ीक़त इन दोनों के बीच है। यानी इंसान मजबूरे महज़ है न मुख़्तारे कुल, वह अल्लाह के इल्म और फ़ैसलों से बाहर नहीं। बंदा जो कुछ करता है अपने उस इख़्तियार से करता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का दिया हूआ है, उससे नेकी सादिर हो तो ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है, उसका शुक्र अदा किया जाये और उस पर साबित क़दम रहा जाये। और अगर बुराई हो तो ये भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इरादे और मशीयत (चाहत) के बग़ैर नहीं होती, मगर ये इंसान का अपना अमल और शैतान का हमला होता है। चाहिए कि उससे तौबा की जाये और बाज़ रहा जाये। ये मसला इन्तेहाई अहम और नाज़ुक है। इसकी तफ़्सीलात के लिये इमाम इब्ने अबी इज़्ज़ अल हनफ़ी (रह.) के शरह अक़ीदा तहाविया और इमाम इब्ने तैमिया और इब्ने अल क़य्यिम (रह.) की किताबों का तफ़्सील से मुतालआ करना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بِمِنًى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ" .

(4691) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़दरिया (तक़दीर का इंकार करने वाले) इस उम्मत के मजूसी हैं। अगर बीमार हो जायें तो उनकी एयादत को मत जाओ और अगर मर जायें तो जनाज़े में शरीक न हो।'

(4691) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 1/85.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मजूसी दो इलाहों के क़ाइल हैं। एक ख़ालिक़े ख़ैर जिसे वह 'यज़दान' कहते हैं और दूसरा ख़ालिक़े शर जिसे वह 'अहरमन' का नाम देते हैं। इसी तरह तक़दीर के मुन्किर (इन्कार करने वाले) ख़ैर को अल्लाह की और शर को ग़ैरूल्लाह की ख़ल्क़ समझते हैं, हालांकि ख़ल्क़ और ईजाद में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का कोई शरीक व सहीम नहीं है, न कोई इस पर ग़ालिब है। उसने अपनी हिकमत के तहत शर और शैतान को पैदा किया है। और इंसान अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की मशीयत (चाहत) और इरादे ही से सब कुछ करता है। मशीयत और इरादे के मानी हमेशा रज़ामंदी नहीं होते, इसलिए कि मशीयत और रज़ामंदी अलग अलग दो चीज़ें हैं। जो कुछ भी होता है वह यक़ीनन मशीयते इलाही ही से होता है, उसके बग़ैर, अच्छा या बुरा, कोई काम भी नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वह अल्लाह तआ़ला का पसन्दीदा भी हो। अल्लाह तआ़ला को तो सिर्फ़ वही काम पसन्द हैं जिनके करने का उसने हुक्म दिया है। बाक़ी काम नापसन्दीदा हैं, गो होते वह भी उसकी मशीयत ही से हैं। **(2)** इस्लामी मुआशरे में शरई अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिये ज़रूरी है कि मुल्हिद और बद अक़ीदा लोगों से क़तअ ताल्लुक़ी किया जाये ताकि साहिबे ईमान की ग़ैरत का इज़हार हो और उन्हें मोमिन से जुदा होने का एहसास रहे। मगर अहले इल्म पर लाज़िम है कि उनके सामने हक़ का इज़हार और उनकी ग़लतियों की निशानदेही करें। **(3)** कुछ हज़रात ने इस हदीस़ को हसन क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस़: 2748)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ، مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ

(4692) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर उम्मत के मजूसी होते हैं और इस उम्मत के मजूसी वह हैं जो तक़दीर के मुन्किर (इन्कार करने वाले) हैं। उनमें से जो मर जाये उसके जनाज़े में मत

جاओ और जो बीमार हो उसकी एयादत के लिये मत जाओ। यही लोग दज्जाल के हामी होंगे और अल्लाह पर हक़ है कि उन्हें दज्जाल के साथ मिलाये।'

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ قَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلاَ تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ " .

(4692) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/406, 407, हदीस़: 23849.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَاهُمْ قَالاَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ " . زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى " وَبَيْنَ ذَلِكَ " . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ .

(4693) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जिसे उसने तमाम रूए ज़मीन से जमा फ़रमाया था। चुनांचे आदम की औलाद इस मिट्टी के लिहाज़ से हूई है, कई सुर्ख़ हैं और कई सफ़ेद, कई स्याह हैं और कई उनके बीच-बीच के। कई नर्म ख़ू हैं और कई सख़्त तबीयत। कई बुरी तबीयत के मालिक होते हैं और कई अच्छी और उ़म्दा तबीयत वाले।' यहया बिन सईद की रिवायत में इज़ाफ़ा है: 'और कई उनके दरम्यान दरम्यान हैं।' यज़ीद (बिन ज़रीअ़) की रिवायत में (अख़बरना) का स़ेग़ा इस्तेमाल हूआ है।

(4693) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2955, हाकिम: 2/261, 262.

फ़ायदा : इस हदीस़ में मजबूर और स़ाहिबे इख़्तियार होने का मसला हल फ़रमाया गया है। इंसान का गोरा या काला होना, उसकी तबीअ़त का सख़्त या नर्म होना। ऐसा मामला है जिसमें उसका अपना कोई इख़्तियार नहीं, उसमें वह मजबूरे महज़ है। मगर उसे इख़्तियार है कि अपनी तबीयत की नर्मी को अहले ईमान के लिये और सख़्ती को कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में इस्तेमाल करे। इसी तरह जिसमें ख़ैर और भलाई का उ़न्सुर (हिस्सा) है उसे अपने ख़ालिक़ का बहुत ज़्यादा शुक्र करते हूए अपनी इस ख़ैर और भलाई की हिफ़ाज़त करनी चाहिए और जिसमें दूसरी कैफ़ियत हो, उसे चाहिए कि रब्बे ज़ूलजलाल की

तरफ़ रूजू करे और तौफ़ीक़ तलब करे कि वह उसकी इस हालत को बदल दे। मगर अपनी ग़लत आदात पर डटे रहना और तक़दीर को मौरिदे इल्ज़ाम ठहराना किसी तरह भी जायज़ नहीं। अगर तक़दीर के मानी जबर ही हों तो ये लोग अपनी बदक़ोमाशियों में क्यों मेहनत करते हैं? ये मेहनत और कोशिश नेकी और ख़ैर के लिये भी तो हो सकती है! वह बदक़ोमाशी या माद्दी फ़ायदा अपनी मेहनत के समरात समझते हैं तो उनके ज़िम्मेदार भी हैं। अल्लाह तआला ने ज़िन्दगी, सेहत, आफ़ियत, फ़हम व फ़रास्त (सोच–समझ) और सलाहियत और अच्छाई से फ़ितरी मोहब्बत जैसी तमाम नेमतों से हर इंसान को नेकी की तौफ़ीक़ दी हूई है। नेकी ही के रास्ते पर हर एक को आगे बढ़ना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْمِخْصَرَةِ فِي الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً " . قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ لَيَكُونَنَّ إِلَى السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّقْوَةِ لَيَكُونَنَّ إِلَى

(4694) हज़रत अली (﵁) से रिवायत है कि हम बक़ीअ ग़रक़द के क़ब्रिस्तान में एक जनाज़े में थे जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) भी थे। चुनांचे रसूल (ﷺ) तशरीफ़ लाये और बैठ गये, आपके हाथ में खूंटी थी। आप (ﷺ) उससे ज़मीन कुरेदने लगे। फिर आपने अपना सर उठाया और फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने तुममें से हर हर जान का मक़ाम जहन्नम या जन्नत में लिख दिया है और उसके बारे में लिखा जा चुका है कि वह बदबख़्त है या सआदतमंद।' तो क़ौम में से एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! तो क्या फिर हम अपने इस लिखे हूए पर न रूक जायें और अमल छोड़ दें। जो अहले सआदत में से होगा अपनी सआदत को पा लेगा और जो बदबख़्त होगा अपनी बदबख़्ती को पालेगा। आपने फ़रमाया: 'अमल किये जाओ। हर एक तौफ़ीक़ दिया गया है। नेक बख़्तों को सआदत के आमाल की तौफ़ीक़ दी जाती है और बदबख़्तों को बदबख़्तों वाले आमाल की तौफ़ीक़ मिलती है।' फिर अल्लाह के

الشِّقْوَةِ قَالَ " اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشِّقْوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِلشِّقْوَةِ " . ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ " { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } " .

नबी (ﷺ) ने ये आयात पढ़ी: (फ़अम्मा मन आता ... फ़सनुयस्सिरूहू लिल्उस्रा) 'और जिसने (अल्लाह के लिये माल) दिया और तक़वा इख़्तियार किया और नेकी की तस्दीक़ की, हम उसे आसान मन्ज़िल की तौफ़ीक़ देते हैं। और जिसने बुख़्ल किया और बेपरवा बना रहा और नेकी को झूठलाया, तो हम उसे तंगी वाली मन्ज़िल की तौफ़ीक़ देते हैं।'

(4694) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1362, व सही मुस्लिम: 2647.

फ़ायदा : 'तक़दीर' अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के अज़ली व अब्दी इल्म का नाम है। और हर एक शख़्स के बारे में रिकॉर्ड हो चुका है कि कौन कहाँ जाने वाला है, जन्नत में या दोज़ख़ में। और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का ये इल्मे अज़ली ग़लत नहीं हो सकता। वह अ़लीम व ख़बीर है। उसके इल्म में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं। मगर कोई इस मुस्तक़बिल के रिकॉर्ड को अपने लिये उ़ज्र बना ले ... हालांकि उसको ख़बर नहीं कि क्या लिखा है तो ये महज़ ग़लती और बेवक़ूफ़ी है। ताज्जुब है कि लोग शरई तकलीफ़ात में तक़दीर को बहाना बनाते हैं मगर अपनी ख़ूद की ख़्वाहिशात के मामलात में सर तोड़ मेहनत और कोशिश करते हैं कि नेकी का अ़ज़्म रखने वाले और उसमें मेहनत करने वाले को नेकी के अहवाल व ज़ुरूफ़ की ताईद मिलती रहती है। ऐसे शख़्स के बारे में उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी आ़क़िबत भी अल्लाह के फ़ज़्ल से उ़म्दा होगी। और जो शख़्स बद अ़मली में मुलव्विस और उसके लिये सर गर्दान हो, उसे इन्हीं मक़ासिद के लिये अहवाल व ज़ुरूफ़ की ताईद मुहय्या हो जाती है। बावजूद ये कि सब कुछ पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया है लेकिन इंसान ख़ूद उसके मुताल्लिक़ बिल्कुल बेख़बर है वह अपनी मर्ज़ी से अपनी राह ख़ूद चुनता है और ख़ूद उस पर चलता है। अब ये उसका अपना फ़ैसला और इख़्तियार है कि वह कौनसी राह अपनाता है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया: 'हमने इंसान को रास्ते की रहनुमाई कर दी है ख़्वाह शुक्रगुज़ार बन जाये या नाशुक्रा।' (अद्दहर: 3) और फ़रमाया: 'हम इंसान को उधर ही फेर देते हैं, जिधर का वह रूख़ करता है।' (अन्निसा: 115)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،

(4695) यहया बिन यामर (रह.) ने बयान किया कि (मुसलमानों में) सबसे पहले जिसने तक़दीर का इंकार किया वह बसरे का माबद

حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي الْقَدَرِ . فَوَفَّقَ اللَّهُ لَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَاخِلاً فِي الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَالأَمْرُ أُنُفٌ . فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ

जोहनी था। चुनांचे मैं और हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान हिम्यरी हज या उ़मरे के लिये रवाना हूए तो हमने कहा: काश रसूल (ﷺ) के स़हाबा में से किसी से हमारी मुलाक़ात हो जाये जिससे हम उन लोगों के बारे में पूछ सकें जो तक़दीर में कलाम करते हैं। (इंकार करते हैं।) तो अल्लाह का करना ऐसा हूआ कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ؓ) हमें मस्जिद में दाख़िल होते हूए मिल गये। चुनांचे मेरे साथी और मैंने उनको अपने पहलू में ले लिया और मुझे ख़्याल हूआ कि मेरा साथी मुझे बात करने देगा। चुनांचे मैंने कहा: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! (अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर!) हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग नमूदार हूए हैं जो क़ुर्आन पढ़ कर इल्म की बारीकियाँ निकालते हैं। उनका ख़्याल है कि तक़दीर कुछ नहीं है और मामलात वैसे ही हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा: तुम जब उनसे मिलो तो उन्हें बता देना कि मैं (अ़ब्दुलाह बिन उ़मर) उनसे बरी हूं और वह मुझसे बरी हैं। क़सम है उस ज़ाते आ़ली की जिसकी अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर क़सम उठाया करता है! (अल्लाह तआ़ला की!) उनमें से कोई अगर उहुद पहाड़ जितना सोना भी ख़र्च कर डाले तो अल्लाह उसे क़बूल नहीं करेगा जब तक वह तक़दीर पर ईमान न ले आये। फिर कहा: मुझसे हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ؓ) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठे हूए थे कि अचानक एक आदमी आ गया जिसके कपड़े इन्तेहाई सफ़ेद और बाल

الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ . قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ " أَنْ

निहायत काले थे, उस पर सफ़र के कोई आसार (निशान) दिखाई न देते थे और हममें से कोई उसे पहचानता भी न था। वह आया और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने बैठ गया। उसने अपने घुटने आप (ﷺ) के घुटनों के साथ मिला लिये और अपनी हथेलियाँ भी आपकी रानों पर रख दीं और कहने लगा। ऐ मुहम्मद! (ﷺ) मुझे इस्लाम के मुताल्लिक़ बतलाइये? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो अगर उस तक पहुँचने की ताक़त हो।' कहने लगा: आपने सच फ़रमाया: हमें इस पर बहुत ताज्जुब हूआ कि आपसे सवाल भी करता है और तस्दीक़ भी करता है। फिर कहने लगा: आप मुझे ईमान के मुताल्लिक़ बतायें? आपने फ़रमाया: '(ईमान ये है) कि तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आख़िरत के दिन पर ईमान लाओ और तक़दीर के अच्छे और बुरे होने पर भी ईमान लाओ।' उसने कहा: आपने सच फ़रमाया: फिर बोला: मुझे एहसान के मुताल्लिक़ बतायें? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की इबादत इस तरह से करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, अगर ये कैफ़ियत हासिल न हो तो ये हो कि वह तुम्हें देख रहा है।' उसने कहा कि मुझे क़यामत के

تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ " . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا . قَالَ " أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ " . قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " .

मुताल्लिक़ बतायें? आपने फ़रमायाः 'उसकी बाबत जिससे पूछ रहे हो, वह पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता।' तब उसने कहाः अच्छा मुझे इसकी अलामात बता दें? आपने फ़रमायाः 'ये कि लौण्डी अपनी मालिक को जन्म दे और तुम देखो कि पाँव और जिस्म से नंगे, फ़क़ीर और बकरियों के चरवाहे ऊँची ऊँची इमारतें बनाने में एक दूसरे से बढ़ने लग जायें।' फिर वह चला गया। फिर मैं (उमर बिन ख़त्ताब) तीन दिन रूका रहा तो आपने फ़रमायाः 'ऐ उमर! क्या तुम्हें ख़बर है वह साइल कौन था?' मैंने अर्ज़ किया: अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमायाः 'बेशक वह जिब्राईल था जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था।'

(4695) तख़रीज : सही मुस्लिमः 8.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बिलख़ुसूस फ़ितनों के दिनों में ज़रूरी है कि इंसान उलमा-ए-रासिख़ीन से राब्ते में रहे। उनसे इस्तेफ़ादा करके ही वह अपने ईमान व अमल को महफ़ूज़ (सुरक्षित) रख सकता है। सहाब-ए-किराम (ﷺ) इस सिलसिले की अव्वलीन कड़ी हैं। (2) 'अलवला वलबराअ' एक अहम तरीन मसला है, हर मोमिन के लिये इससे आगाही और इस पर अमल ज़रूरी है, यानी अहले ईमान से मोहब्बत और अहले कुफ़्र और मुल्हेदीन (बेदीन) से बुग़्ज़ और ऐराज़। (3) ईमानियात की तमाम तर जुज़ियात तस्लीम और क़बूल किये बग़ैर कोई नेकी दर्जा-ए-क़बूल नहीं पा सकती, इनमें से एक अहम मसला तक़दीर भी है। (4) लाज़मी है कि इल्मे शरीयत कुव्वत और शबाब (जवानी) के दिनों में हासिल किया जाये। तालिबे इल्म का लिबास इन्तेहाई साफ़ सुथरा हो और वह अपने मशाइख़ से अज़ हद तवाज़ोअ का मामला रखे। (5) ईमान आज़ा-ए-बातिनी और आज़ा-ए-ज़ाहिरी दोनों के अमल यानी तस्दीक़ बिल क़ल्ब और इक़रार बिल लिसान व आमाले सालेहा का नाम है, जबकि इस्लाम आज़ा-ए-ज़ाहिरी के आमाल यानी इक़रार बिल लिसान व आमाले सालेहा का नाम है। ईमान में इस्लाम भी शामिल है। मगर जहां उनकी अलग अलग पहचान करना मक़सूद हो वहां इस्लाम का इत्लाक़ ज़ाहिरी आमाल पर और ईमान का इत्लाक़ बातिनी उमूर पर होता है जिनको ज़ाहिरी आमाल ख़ूद ब ख़ूद

मुस्तलज़िम होते हैं। (6) 'सिफ़ते एहसान' यानी बंदे का ये तसव्वुर हो कि वह अपने अल्लाह को देख रहा है या कम अज़ कम ये कि अल्लाह उसे देख रहा है, ईमान और इस्लाम के कमाल की निशानी है। (7) क़यामत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। (8) औलादों का नाफ़रमान होना और बलन्द से बलन्दतर इमारतों की तामीर में मुक़ाबला बिलख़ुसूस कुर्बे क़यामत की अलामात (निशानियों) में से है। (9) फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) यानी हदीस व सुन्नत शरई हुज्जत हैं। रसूल (ﷺ) के अलावा कोई इंसान ख़्वाह कितना ही साहिबे अज़मत हो, शरियत में उसके क़ौल व अमल की कोई हैसियत नहीं जब तक कि अस्सादिक़ वल मस्दूक़ (ﷺ) की तौसीक़ न हो। जिस तरह कि जिब्राईल अमीन अलैहि. ने दीन की सब तफ़्सीलात रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बान से अदा करवाईं। बराहे रास्त कुछ नहीं कहा ... और अगर बिलफ़र्ज़ वह कह भी देते तो उम्मत के लिये ये हुज्जत न होता। (10) सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) को आने वाले की शख़्सीयत का पता न था, इसका मतलब है कि औलिया अल्लाह ग़ैब नहीं जानते। (11) लफ़्ज़े 'दीन' शरीयत के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी उमूर को मुहीत है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ أَفِي شَىْءٍ قَدْ خَلاَ أَوْ مَضَى أَوْ شَىْءٍ يُسْتَأْنَفُ الآنَ قَالَ " فِي شَىْءٍ قَدْ خَلاَ وَمَضَى " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ " .

(4696) जनाब यहया बिन यामर और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से मिले और उनसे तक़दीर और दीगर मसाइल जो वह लोग बोलते थे, दरयाफ़्त किये ... तो ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द ज़िक्र किये और मज़ीद कहा: मुज़ैना या जुहैना के आदमी ने आप (ﷺ) से दरयाफ़्त किया: ऐ अल्लाह के रसूल! हम अमल किस बिना पर करें? क्या ये जान कर कि सब कुछ तय हो चुका है या ये समझ कर कि मामला नया है? आपने फ़रमाया: 'ये समझ कर कि सब कुछ तय हो चुका है।' तो क़ौम में से एक ने कहा: तो फिर अमल क्यूँ हैं? आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा जन्नती अहले जन्नत के अमलों की तौफ़ीक़ दिये जाते हैं और दोज़ख़ी अहले जहन्नम के अमलों की तौफ़ीक़ दिये जाते हैं।'

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी. पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : मुसल्सल अमल करना इंसानी फ़ितरत का लाज़मी हिस्सा है। तो जो कोई अपने आमाल में ख़ैर पाये उसे अल्लाह का शुक्र करते हूए साबित क़दम रहना चाहिए और मज़ीद मेहनत करनी चाहिए और जिसके आमाल ग़लत हों तो वह तौबा करे और अपने आमाल बदल कर ख़ैर को अपनाये। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तौबा क़बूल करने वाला और नेकी की तौफ़ीक़ देने वाला है। ग़लत से सही की ये तब्दीली अल्लाह तआला को पहले ही मालूम है।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ فَمَا الإِسْلاَمُ قَالَ " إِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَلْقَمَةُ مُرْجِئٌ .

(4697) जनाब सलमान बिन बुरैदा ने इब्ने यामर से ये रिवायत नक़ल की जिसमें कुछ कमी बेशी है (उसके अल्फ़ाज़ में) कहा: इस्लाम क्या है? फ़रमाया: नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना, माहे रमज़ान के रोज़े रखना और जनाबत से ग़ुस्ल करना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अल्क़मा (बिन मर्सद) का ताल्लूक़ फ़िर्क़ा–ए–मुर्जिआ से था।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लाम अल्लाह की रज़ा के लिये ज़ाहिरी आज़ा के सालेह आमाल का नाम है। **(2)** जनाबत से ग़ुस्ल फ़र्ज़ है, फ़रमाया: 'अगर तुम जनाबत से हो तो ग़ुस्ल कर लिया करो।' (अलमायदा: 6) **(3)** आमाल ईमान और इस्लाम का लाज़मी हिस्सा हैं। **(4)** बद अक़ीदा लोग अगर रिवायात की नक़ल में सच्चे हों और अपनी बिदअत के दाई न हों तो उनकी रिवायतें मक़बूल होती हैं, बल्कि इस रिवायत से ये साबित होता है कि जो हदीस अल्क़मा को पहुँची वह उसके अक़ाइद के बरअक्स थी तो भी उसने हूबहू बयान कर दी। सच्चा होने की वजह से उस रावी की रिवायत बलन्द पाया मोहद्दिसीन ने क़बूल की।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ قَالاَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4698) हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सहाबा के दरम्यान बैठा करते थे। चुनांचे जब कोई नो वारिद (नया आने वाला) आता तो वह आपको पहचान न पाता था यहाँ तक कि आपके मुताल्लिक़ पूछता

(कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कौन हैं?) तो हमने रसूल (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि आपके लिये ख़ास़ जगह बना दें ताकि नो वारिद जब आये तो आपको पहचान लिया करे। चुनांचे हमने आपके लिये मिट्टी का एक चबूतरा सा बना दिया और आप उस पर बैठने लगे और हम उसके अतराफ़ में बैठ जाया करते थे। और ऊपर दी गई ख़बर (हदीस़) की मानिन्द बयान किया। चुनांचे एक आदमी आया और उसकी शक्ल व स़ूरत बयान की, यहाँ तक कि उसने जमाअ़त की एक जानिब से सलाम किया और कहा: अस्सलामुअ़लैक या मुहम्मद! नबी (ﷺ) ने उसके सलाम का जवाब दिया।

(4698) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 4994, व स़ही मुस्लिम: 9.

يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَىْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلاَ يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ - قَالَ - فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَذَكَرَ هَيْئَتَهُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ طَرْفِ السِّمَاطِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : हस्बे ज़रूरत और मस़लिहत रईसे मज्लिस और शैख़ या उस्ताद को दूसरों की निस्बत नुमायाँ या बलन्द जगह पर बैठना जायज़ है, बशर्ते कि तकब्बुर (घमंड) का इज़हार न हो।

(4699) जनाब (अ़ब्दुल्लाह बिन फ़िरोज़) इब्ने दैलमी ने कहा: मैं हज़रत उबय बिन कअ़ब (رضي الله عنه) के पास गया और अ़र्ज़ किया कि मेरे दिल में तक़दीर के बारे में कुछ शुब्हा सा है। मुझे कोई हदीस़ बयान कीजिये ताकि अल्लाह तआ़ला मेरे दिल से ये वस्वसा दूर कर दे। चुनांचे उन्होंने कहा: अगर अल्लाह तआ़ला अपने तमाम आसमान वालों और अपने तमाम ज़मीन वालों को अ़ज़ाब देना चाहे तो वह उन पर ज़ालिम नहीं होगा और अगर वह उन पर रहमत करे तो उसकी रहमत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَىْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي بِشَىْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي . فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ

أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ . قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ .

उनके लिये उनके आमाल से बहुत बेहतर है। और अगर तुम उहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह तआला की राह में ख़र्च कर डालो तो जब तक तक़दीर पर ईमान नहीं लाओगे अल्लाह तआला उसे तुमसे क़बूल नहीं करेगा और (जब तक) ये न जान लो कि जो कुछ तुम्हें पहुँचा है, वह किसी सूरत फ़ौत नहीं हो सकता था और जो हासिल नहीं हुआ, वह किसी सूरत हासिल नहीं हो सकता था। अगर तुम इस अक़ीदे के सिवा किसी और पर मर गये तो जहन्नम में जाओगे। (इब्ने दैलमी) कहते हैं कि फिर मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के पास गया तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा। उन्होंने कहा: फिर मैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (ﷺ) के पास गया, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा। फिर मैं हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) के पास गया, तो उन्होंने भी मुझसे नबी (ﷺ) से इसी की मिस्ल बयान किया।

(4699) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 77, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1817.

फ़ायदा : दीन व ईमान के मसाइल में हक़्क़ुल यक़ीन हासिल करने के लिये मुख़्तलिफ़ उलमा–ए–रासिख़ीन से रूजू करते रहना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है और जो शिफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) की अहादीसे मुबारका में है वह और कहीं नहीं।

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِي

(4700) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) ने अपने बेटे से कहा: मेरे बेटे! तू उस वक़्त तक ईमान की हक़ीक़त नहीं पा सकता जब तक ये यक़ीन न कर ले कि जो कुछ तुम्हें हासिल हो चुका है, ये तुमसे रह नहीं सकता था और जो

حَفْصَةَ، قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لاِبْنِهِ يَا بُنَىَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ . قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " . يَا بُنَىَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي

हासिल नहीं हूआ है, वह मिल नहीं सकता था। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने पैदा फ़रमाई वह क़लम थी। फिर उससे फ़रमाया कि लिखो, उसने कहा: ऐ मेरे रब! क्या लिखूं? अल्लाह तआला ने फ़रमाया: क़यामत क़ायम होने तक हर हर चीज़ की तक़दीर लिख।' ऐ मेरे बेटे! बेशक मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स उसके सिवा (किसी और अक़ीदे) पर मर गया वह मुझसे नहीं।'

(4700) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 10/204, अबी यअ्ला, हदीस: 2329.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ . فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " . قَالَ

(4701) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से रिवायत किया। आपने बयान फ़रमाया: 'हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहि. में बहस हो गई। मूसा ने कहा: ऐ आदम! आप हमारे वालिद हैं, आपने हमें बहुत घाटा दिया और जन्नत से निकाल दिया। आदम ने कहा: तुम मूसा हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ़ बख़्शा और तुम्हारे लिये अपने हाथ से तौरात लिखी। तुम मुझे एक ऐसी बात (तक़दीर) पर मलामत कर रहे हो जो उसने मेरे पैदा होने से चालीस साल पहले ही मेरे लिये मुक़द्दर कर दी थी। चुनांचे आदम अलैहि. मूसा अलैहि. पर ग़ालिब आ गये।'

अहमद बिन सालेह ने सनद यूँ बयान की ... अन

أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ .

उमर अन ताऊस समिआ अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु.

(4701) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6614, व सही मुस्लिम: 2652.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مُوسَى قَالَ يَا رَبِّ أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ فَقَالَ لَهُ آدَمُ نَعَمْ . قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى . قَالَ أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولاً مِنْ خَلْقِهِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَفَمَا وَجَدْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَفِيمَ تَلُومُنِي فِي شَىْءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الْقَضَاءُ

(4702) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज़रत मूसा अलैहि. ने दुआ की: ऐ मेरे रब! हमें आदम अलैहि. दिखला, जिन्होंने हमें और अपने आपको भी जन्नत से निकाल दिया था। चुनांचे अल्लाह तआला ने उनको आदम अलैहि. दिखला दिये, तो हज़रत मूसा अलैहि. ने कहा: आप हमारे बाप आदम हैं? आदम अलैहि ने मूसा अलैहि. से कहा: हाँ। मूसा अलैहि. ने कहा: आप ही वह हैं जिसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी थी और तमाम चीज़ों के नाम तालीम फ़रमाये थे और फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सज्दा किया था? कहा हाँ मूसा अलैहि. ने कहा आपको किस चीज़ ने आमादा किया कि आपने हमें और अपने आपको जन्नत से निकाल बाहर किया आदम अलैहि. ने उनसे कहा: और तुम कौन हो? उन्होंने कहा: मैं मूसा हूं। कहा: तुम ही बनी इस्राईल के वह नबी हो जिससे अल्लाह तआला ने पर्दे के पीछे से कलाम फ़रमाया था और अपने और तुम्हारे दरम्यान अपनी मख़लूक़ में से किसी को वास्ता नहीं बनाया था? कहा: हाँ। आदम अलैहि. ने कहा: क्या तुने नहीं पाया कि ये

قَبْلِي " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " .

सब कुछ मेरे पैदा किये जाने से पहले ही किताबुल्लाह में (ऐसे ही) था? मूसा अलैहि. ने कहा: हाँ। आदम अलैहि. ने कहा: तो फिर तुम मुझे किस चीज़ पर मलामत करते हो, हालांकि वह मुझ से पहले ही अल्लाह के फ़ैसले में थी।' इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदम अलैहि. मूसा अलैहि. पर दलील में ग़ालिब आ गये।'

(4702) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 143, 144.

फ़ायदा : 'तक़दीर' यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का अज़ली और अब्दी इल्म ऐन बरहक़ है। कहीं भी इससे ज़र्रा बराबर कुछ मुख़्तलिफ़ नहीं हो सकता। मगर ये इल्म बंदों को मजबूर नहीं करता। इंसानों के लिये जायज़ नहीं कि अपने आइन्दा के उमूर में तक़दीर को बतौर उज़्र और बहाना पेश करें, क्योंकि हर एक को सही राह इख़्तियार करने और उसके मुताबिक़ अमल करने का मुकल्लफ़ बनाया गया है, लेकिन माज़ी के हक़ाइक़ में तक़दीर का बयान बतौर उज़्र, मुबाह है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ } قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ الآيَةَ . فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ

(4703) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से (वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिम बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम...) 'और जब तेरे रब ने बनू आदम की पीठों से उनकी औलाद निकाली और उन्हें ख़ूद उन्हीं पर गवाह ठहराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा: हाँ, हम इक़रार करते हैं।' की तफ़्सीर पूछी गई तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपसे उसके बारे में पूछा गया था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आदम अलैहि. को पैदा किया, फिर अपना दाहिना हाथ उसकी पुश्त पर फेरा और उससे उसकी औलाद निकाली और फ़रमाया: इनको मैंने जन्नत के लिये पैदा

فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ " .

किया है और ये जन्नतियों वाले अ़मल करेंगे। फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उससे उसकी औलाद निकाली और फ़रमाया: इनको मैंने दोज़ख़ के लिये पैदा किया है और ये दोज़ख़ियों वाले अ़मल करेंगे।' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो फिर अ़मल क्यों कर हैं? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने जब बंदे को जन्नत के लिये पैदा किया है तो उससे अहले जन्नत वाले अ़मल करवाता है यहाँ तक कि वह अहले जन्नत के अ़मल करता हूआ मर जायेगा तो अल्लाह उन्हीं आ़माल की वजह से उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमा देगा और जब किसी बंदे को आग के लिये पैदा किया है तो उससे दोज़ख़ियों वाले अ़मल करवाता है यहाँ तक कि वह दोज़ख़ियों वाले अ़मल करता हूआ मर जायेगा तो अल्लाह उसी के सबब से उसे आग में डाल देगा।'

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस़ 3075, मौता, 2/898, 899, हाकिम: 1/27, 2/544, 545.

फ़ायदा : औलादे आदम के एक तब्क़े का जन्नत के लिये और दूसरे का जहन्नम के लिये पैदा किये जाने का मतलब ये है कि अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ एक गिरोह अच्छे अ़मल करते करते जन्नत में और दूसरा बुरे अ़मल करते करते जहन्नम में जायेगा। जिस तरह अल्लाह का इल्म है, यक़ीनी और हतमी तौर पर ऐसा ही होगा। इस बात को इस तरह कहा जा सकता है कि एक गिरोह जन्नत के लिये और दूसरा जहन्नम के लिये पैदा किया गया। मगर उससे ये समझना स़ही नहीं कि इंसान मजबूरे महज़ है, क्योंकि इंसान को पूरा इख़्तियार और अ़मल की तमामतर स़लाहियतें देकर पैदा किया गया है। इंसान जो कुछ करता है, वह यक़ीनन अल्लाह की मशीयत (चाहत) के दायरे के अंदर रह कर करता है, लेकिन अपने उस इख़्तियार से करता है जो उसे वदीअ़त किया गया है और उसी पर जज़ा व सज़ा मुरत्तब होने वाली है। कुछ हज़रात ने इस रिवायत को स़ही क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جُعْثُمَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ .

(4704) जनाब नुऐम बिन रबीया कहते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के पास था ... और हदीस रिवायत की। और (ऊपर दी गई) हदीसे मालिक ज़्यादा मुकम्मल है।

(4704) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْغُلاَمُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا " .

(4705) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह लड़का जिसे ख़िज़्र ने क़त्ल किया था वह काफ़िर पैदा किया गया था। अगर ज़िन्दा रहता तो अपने माँ बाप को सरकशी और कुफ़्र पर मजबूर कर देता।'

(4705) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2661.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'वह काफ़िर पैदा किया गया था' का मतलब यही है कि उसने अल्लाह की तरफ़ से वदीयत करदा इख़्तियार से काम लेते हूए कुफ़्र ही करना था और ये बात अल्लाह को पहले से मालूम थी। **(2)** हज़रत ख़िज़्र और मूसा (ﷺ) का दिलचस्प वाक़िया सूरह कहफ़ (60 से 82) में और इसकी तफ़्सीलात सहीहैन में मौजूद हैं। (सही बुख़ारी, हदीस: 4725, व सही मुस्लिम: 2380) **(3)** हज़रत ख़िज़्र अल्लाह की तरफ़ से अ़ता करदा ख़ास इल्म के हामिल और कुछ कामों के मुकल्लफ़ थे, इसलिए उस पर कोई क़ियास नहीं हो सकता।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا

(4706) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: आप अल्लाह तआला के फ़रमान: (व अम्मल गुलामु फ़काना अबवाहु मुअ्मिनैनि) 'और उस लड़के के माँ बाप मोमिन थे।' की

أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي قَوْلِهِ {وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ } " وَكَانَ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا " .

तफ़्सीर में फ़रमा रहे थे: 'वह लड़का जिस दिन पैदा किया गया, काफ़िर पैदा किया गया था।'

(4706) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी. पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) वह इसके मुताबिक़ ही पैदा हूआ जो उसके लिये अल्लाह के इल्म में था कि वह कुफ़्र करेगा। **(2)** हर मुसलमान को अपनी आक़िबत के बारे में फ़िक्रमंद रहना चाहिए। हमेशा बुरे अंजाम से पनाह और ख़ैर व सआदत की दुआ करते रहना चाहिए। कि 'ऐ अल्लाह! तमाम उमूर में हमारा अंजाम बेहतरीन बना और दुनिया की रूस्वाई और आख़िरत के अज़ाब से हमें बचा ले।' (मुसनद अहमद: 4/181)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَتَنَاوَلَ رَأْسَهُ فَقَلَعَهُ فَقَالَ مُوسَى { أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً } " . الآيَةَ .

(4707) हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज़रत ख़िज्र अलैहि. ने लड़के को देखा जो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो उन्होंने उसका सर पकड़ कर मरोड़ दिया। तो मूसा अलैहि. बोले: 'आपने एक पाक जान को क़त्ल कर डाला है।

(4707) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 122, व सही मुस्लिम: 2380.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत मूसा अलैहि. अपनी शरीयत के पाबंद थे, बज़ाहिर एक बुराई को देख कर उसकी मुख़ालिफ़त करना उनका फ़र्ज़ था, मगर मामला दर हक़ीक़त और था जिससे वह आगाह न थे। हज़रत ख़िज्र अलैहि. आगाह थे। **(2)** अल्लाह ही के पास हर ग़ैब का इल्म है। उसकी मख़्लूक़ में से किसी के पास भी ग़ैब का इल्म नहीं है, ख़्वाह कोई रसूल और नबी हो या सालेह बुज़ुर्ग और वली, सिवाए उसके जिस पर अल्लाह ने अपने अम्बिया व रूसूल को मुत्तलअ (बा'ख़बर) कर दिया। क़ुर्आनि मुक़द्दस का ये मक़ाम इस बात की मुकम्मल सराहत कर रहा है कि अल्लाह तआला ने ख़िज्र अलैहि. को एक बात की ख़बर दे दी तो वह उनको मालूम हो गई और हज़रत मूसा अलैहि. जैसे जलीलुल क़द्र पैग़म्बर, नबूवत व रिसालत के साथ साथ 'कलीमुल्लाह' जैसे ऊँचे मक़ाम के हामिल इंसान को इसकी ख़बर नहीं दी तो उन्हें इसका कुछ भी इल्म न हो सका। वल्लाहू आलम!

(4708) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे बयान फ़रमाया, और आप सादिक़ और मस्दूक़ हैं। (अल्लाह तआला की तरफ़ से और उसके मलाइका, अम्बिया व रूसूल और मोमिनीन की जानिब से आपकी तस्दीक़ की गई है:) 'तुम्हारी पैदाइश के मरहलों में नुत्फ़ा माँ के पेट में चालीस दिन तक मुज्तमअ रहता है, फिर इतने ही दिन जमा हुआ ख़ून (लोथड़ा) बन जाता है। फिर इतने ही दिनों के लिये गोश्त की बोटी बन जाता है। फिर अल्लाह तआला उसकी तरफ़ एक फ़रिश्ता भेजता है और उसे चार बातें लिखने का हुक्म होता है। वह उसका रिज़्क़, अजल (उमर या मौत), अमल और ये कि वह ख़ुश बख़्त होगा या बद बख़्त, ये सब लिख देता है। फिर उसमें रूह फूँक दी जाती है। चुनांचे यक़ीनन तुममें से कोई जन्नत वाले अमल करता है यहाँ तक कि उसके और उस (जन्नत) के दरम्यान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है, मगर उससे पहले जिस तरह लिखा हूआ है उसके मुताबिक़ दोज़ख़ियों वाले अमल शुरू कर देता है और दोज़ख़ में जा पड़ता है। और बेशक तुममें से कोई दोज़ख़ियों वाले अमल करता रहता है यहाँ तक उसके और दोज़ख़ के दरम्यान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है, लेकिन इससे पहले जो लिखा है उसके मुताबिक़ वह जन्नतियों वाला अमल कर लेता है और जन्नत में चला जाता है।'

तख़रीज : बुख़ारी: 6594, व सही मुस्लिम: 2643.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ - عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ ثُمَّ يُكْتَبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ أَوْ قِيدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ أَوْ قِيدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बज़ाहिर अगर कोई इंसान एक राह पर जा रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि वह हमेशा उसी राह पर चलता रहेगा। उसने अगर आख़िर में जाकर भी रास्ता बदल लेना है तो ये सब पहले से अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ लिखा हुआ है। (2) तक़दीर का मामला सरासर ग़ैब का मामला है। इंसान को ख़ूद भी ख़ैर के अ़मल करके धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि बस बख़्शा गया, या ग़लत होने की वजह से बिल्कुल ही मायूस नहीं हो जाना चाहिए कि बस मारा गया, बल्कि हमेशा अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम से भलाई की तौफ़ीक़ माँगते रहना चाहिए और ग़लत कशी से फ़ौरन तौबा करनी चाहिए और ये दुआ भी करनी चाहिए: (या मुक़ल्लिबल क़ुलूब! स़ब्बित क़ल्बी अ़ला दीनिका ...) (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 3522) (अल्लाहुम्मा! मुस़र्रिफ़ल्क़ुलूबि स़र्रिफ़ क़ल्बी अ़ला ताअ़तिका) (स़ही मुस्लिम) 'ऐ दिलों के बदलने वाले! मुझे अपने दीन की इताअ़त पर स़ाबित क़दम रख ... और ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपनी इताअ़त की तरफ़ फेर दे।'

(4709) हज़रत इमरान बिन हुस़ैन (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या दोज़ख़ियों के मुक़ाबले में जन्नतियों को जाना जा चुका है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' कहा गया: तो फिर अ़मल करने वाले क्यों कर अ़मल करते हैं? आपने फ़रमाया: 'हर एक को उसी की तौफ़ीक़ मिलती है जिसके लिये उसे पैदा किया गया है।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ " كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " .

तख़रीज : बुख़ारी: 6596, व स़ही मुस्लिम: 2649.

फ़ायदा : इस हदीस़ में तक़दीर को स़राहतन (अल्लाह का) इल्म क़रार दिया गया है। इस मानी की अहादीस़ में अहले ख़ैर को एक हद तक ख़ैर की बशारत और उम्मीद दिलाई गई है। और दूसरों के लिये तम्बीह और तौबा की दावत है।

(4710) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) का बयान है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुन्किरीने तक़दीर के साथ मत बैठा करो और न उनसे बात चीत (या मुनाज़रे) की इब्तेदा किया करो।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ

دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوهُمْ "

(4710) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/30, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1825.

﴾18﴿
باب فِي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ

बाब : 18
मुश्रिकों की औलाद का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " .

(4711) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) से मुश्रिकीन की औलाद के मुताल्लिक़ पूछा गया (जो बचपन में फ़ौत हो जाते हैं) तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह को ख़ूब इल्म है कि वह (बड़े होकर) क्या अमल करने वाले थे।'

(4711) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1383, व सही मुस्लिम: 2660.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، - الْمَعْنَى - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

(4712) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मोमिनों की औलादों का क्या अंजाम होगा? तो आपने फ़रमाया: 'वह अपने आबा में से हैं।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अमल के बग़ैर ही? फ़रमाया: 'अल्लाह को ख़ूब इल्म है कि वह क्या अमल करने वाले थे।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह

فَقَالَ " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ " مِنْ آبَائِهِمْ " . قُلْتُ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "

के रसूल! मुश्रिकों की औलादों का अंजाम क्या होगा? आपने फ़रमाया: 'वह अपने आबा में से हैं' मैंने कहा: अमल के बग़ैर ही? फ़रमाया: अल्लाह को बेहतर इल्म है जो वह अमल करने वाले थे।'

(4712) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी. मुसनद अहमद: 4/86.

फ़ायदा : बच्चों का अंजाम क्या होगा? ये एक क़ाबिले ग़ौर मसला है। वह फ़ितरते इस्लाम पर पैदा होते हैं चाहे मुसलमान के घर पैदा हों चाहे काफ़िर के। (सही बुख़ारी, हदीस: 4775) कुफ़्फ़ार अपने बच्चों को अपने दीन के मुताबिक़ ढाल कर काफ़िर बना लेते हैं। इस बाब की अहादीस: 4714 और 4716 से ये हक़ीक़त वाज़ेह है। ग़ैर मुसलमानों और मुश्रिकों के बच्चे तमीज़ की उम्र से पहले फ़ौत हो जायें और उनके वालिदैन काफ़िर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफ़िरों का होगा, उन्हें न ग़ुस्ल दिया जायेगा न कफ़न दिया जायेगा, न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफ़न ही किया जायेगा, क्योंकि वह अपने वालिदैन के साथ काफ़िर ही हैं और आख़िरत में उनका मामला अल्लाह तआला के सुपूर्द है, सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उनकी बाबत ज़्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल करने वाले थे?' (सही बुख़ारी, हदीस: 6597) उनके बारे में सही तरीन क़ौल ये है कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उन्हें कोई हुक्म देकर उनकी आज़माइश करेगा अगर वह अल्लाह तआला के हुक्म की इताअत कर लेंगे तो अल्लाह तआला उन्हें जन्नत में दाख़िल कर देगा और अगर वह नाफ़रमानी करेंगे तो फिर अल्लाह तआला उन्हें जहन्नम रसीद कर देगा।

- सही अहादीस से साबित है कि अहले फ़तरा (जिनके पास नबियों की दावत न पहुँची होगी।) का क़यामत के दिन इम्तिहान होगा, अहले फ़तरा की बाबत सबसे ज़्यादा सही और राजेह क़ौल यही है, जिसे शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने क़य्यिम, फ़ज़ीलतुश शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और फ़ज़ीलतुश शैख़ अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्लाह बिन बाज़ (रह.) ने भी इख़्तियार किया है। इस तरह जो लोग उनके हुक्म में होंगे जैसे मुश्रिकों के बच्चे, उनका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि इरशादे बारी तआला है: 'और जब तक हम पैग़म्बर न भेजें हम अज़ाब नहीं दिया करते।' (बनी इस्राईल: 15) (मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, सुनन अबू दाऊद, किताबुल जिहाद,हदीस: 2521)

(4713) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया, उन्होंने कहा: नबी (ﷺ) के पास अन्सारियों का एक बच्चा लाया गया कि आप उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ायें। कहती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुबारक हो उसे! उसने कोई बुरा अमल नहीं किया, न बुरे अमलों की उसे कोई ख़बर ही हुई। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा! या फिर उससे मुख़्तलिफ़? बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जन्नत पैदा फ़रमाई तो उसके लिये मख़्लूक़ भी पैदा कर दी और उस जन्नत को उन्हीं के लिये बनाया जबकि वह अभी अपने बापों की पीठों में होते हैं। और आग (जहन्नम) पैदा की तो उसके लिये मख़्लूक़ भी पैदा कर दी और उस जहन्नम को उन ही लोगों के लिये बनाया जबकि वह अभी अपने बापों की पीठों में होते हैं।

(4713) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2662.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ شَرًّا وَلَمْ يَدْرِ بِهِ . فَقَالَ " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ " .

(4714) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है (दीने हक़, इस्लाम और तौहीद का हामिल होता है।) फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी और ईसाई बना देते हैं, जैसे ऊँट का बच्चा सही सालिम जन्म लेता है, क्या तुम किसी को कान कटा पाते हो?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसके मुताल्लिक़ फ़रमायें जो छोटी उमर में फ़ौत हो जाता है? फ़रमाया: 'अल्लाह को

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ

صَغِيرٌ قَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "

बेहतर इल्म है जो वह अ़मल करते।'

(4714) तख़रीज : मौता: 1/241, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 133, व सही मुस्लिम: 2659.

फ़ायदा : बच्चा बुनियादी तौर पर दीने फ़ितरत, यानी मारिफ़ते इलाह से आगाह होता है, यानी अगर वह वालिदैन, उस्ताद और माहौल से मुतास्स़िर न हो तो दीने हक़ ही पर परवान चढ़े। मगर बुरे माहौल और ग़लत तर्बीयत के ज़ेरे अस़र दीने हक़ से दूर हो जाता है।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَكَ يُوسُفُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا، قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ يَحْتَجُّونَ عَلَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ مَالِكٌ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِآخِرِهِ . قَالُوا أَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

(4715) इमाम मालिक (रह.) से कहा गया कि अहले अहवा, यानी बिदअ़ती लोग ये मज़कूर हदीस़ हमारे ख़िलाफ़ पेश करते हैं (इंकारे तक़दीर और इस़्बाते जबर—जबरदस्ती में) इमाम मालिक (रह.) ने कहा: तुम उसी हदीस़ के आख़री हिस्से को उन पर उल्टा दिया करो। (जिसमें है कि) लोगों ने कहा: उस बच्चे के मुताल्लिक़ फ़रमायें जो छोटी उ़मर में फ़ौत हो जाता है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह को बेहतर इल्म है जो वह अ़मल करते।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 6/203.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के जवाब से वाज़ेह हूआ कि उनका फ़ैसला उनके उस अ़मल और इम्तिहान पर होगा जो महशर में होगा, और उसमें जबर (जबरदस्ती) की मुकम्मल तौर पर नफ़ी है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، يُفَسِّرُ حَدِيثَ " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ " . قَالَ هَذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ { أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى } .

(4716) जनाब हम्माद बिन सलमा ने हदीस़: 'हर बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है।' की तशरीह में कहा: इसका मफ़हूम हमारे नज़दीक ये है कि ये उस वक़्त की बात है जब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने रूहों से अ़हद लिया जबकि वह अपने बापों की पीठों में थे, उस वक़्त कहा था (अलस्तु बिरब्बिकुम) 'क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?' तो सबने कहा: क्यों नहीं।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 6/203.

(4717) जनाब आमिर शअबी (रह.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बच्चे को ज़िन्दा दफ़न करने वाली और ज़िन्दा दफ़न होने वाली (दोनों) आग में हैं।'
यहया बिन ज़करिया ने कहा: मेरे वालिद ने कहा कि मुझे अबू इस्हाक़ ने बयान किया कि आमिर ने उसको ये हदीस बवास्ता अल्क़मा, हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान की थी।
तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 10/114, हदीस: 10059, तफ़्सीर इब्ने कसीर: 4/509.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ " . قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : जिस को कम उम्र में ज़ालिमाना दफ़न कर दिया गया वह जहन्नम की मुस्तहिक़ नहीं हो सकती। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने वज़ाहत से कहा है कि ये मौऊदा (ज़िन्दा दफ़न की हुई) के जहन्नमी होने का नज़रिया दुरूस्त नहीं। उन्होंने फ़रमाया आयत: (माकुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूलन) (बनी इस्राईल: 15) के मुताबिक़ आक़िल व बालिग़ को अगर उसे दावत न पहुँची हो, अज़ाब नहीं दिया जा सकता तो ग़ैर आक़िल को कैसे दिया जा सकता है। (इब्ने कसीर: 8/357) पहले ये वज़ाहत हो चुकी है कि मुश्रिकीन की औलाद को भी अज़ाब न होगा। हदीस: 4717 एक तवील हदीस का एक हिस्सा है। असल हदीस में तफ़्सील है कि सलमा बिन यज़ीद जुअफ़ी और उनके भाई रसूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और अर्ज़ की कि हमारी वालिदा मुलैका (जो जाहिलीयत में मर गयीं) अच्छी ख़ातून थीं, सिला रहमी और मेहमान नवाज़ी करने वाली थीं, क्या इन बातों का उनकी वालिदा को फ़ायदा होगा? आपने फ़रमाया: 'नहीं' उन्होंने पूछा हमारी माँ ने हमारी एक बहन को ज़िन्दा दफ़न कर दिया था, क्या उसे कोई फ़ायदा होगा? आपने फ़रमाया: (ये) ज़िन्दा दफ़न करने वाली और ज़िन्दा दफ़न होने वाली दोनों आग में हैं। गोया आप का जवाब एक ख़ास मौऊदा के बारे में था। ये आम हुक्म न था। ग़ालिबन ये मौऊदा कुफ़्र के आलम में ही बालिग़ हो चुकी थी। (हिदायतुर रूवात इला (तख़रीजे अहादीसिल मसाबीह वल मिश्कात), हदीस: 108)

(4718) हज़रत अनस (ﷺ) ने बयान किया कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा बाप कहाँ है? आपने फ़रमाया: 'तेरा बाप आग में है।' जब उसने

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ " أَبُوكَ فِي النَّارِ "

. فَلَمَّا قَفَّى قَالَ " إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ "

गर्दन फेरी तो आपने फ़रमाया: 'मेरा बाप और तेरा बाप जहन्नम में हैं।'

(4718) **तख़रीज** : सही मुस्लिम: 203.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ईमान व आमाल के बग़ैर महज़ नसब और क़राबतदारी किसी के लिये बाइसे निज़ात नहीं। **(2)** ऐसी तमाम रिवायात जिन में रसूलुल्लाह (ﷺ) के वालिदैन को दोबारा ज़िन्दा किये जाने और उनके इस्लाम क़बूल करने का ज़िक्र है ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं। **(3)** इस बारे में बहस व गुफ़्तगू की बजाये सुकूत (ख़ामोशी) बेहतर है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ "

(4719) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा शैतान इब्ने आदम के जिस्म में इस तरह गर्दिश करता है जैसे ख़ून।'

(4719) **तख़रीज** : सही मुस्लिम: 2171.

फ़ायदा : इंसान के जिस्म में शैतान की गर्दिश का नतीजा वहम, वस्वसे और अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की सूरत में सामने आता है। इसके फ़ितनों से बचने का वाहिद ज़रिया ईमान और अमले सालेह के साथ साथ कसरते ज़िक्र है, वरना उसके हमलों से बचना बहुत मुश्किल है। और ये सब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तक़दीर और मशीयत (चाहत) से है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوهُمُ الْحَدِيثَ ".

(4720) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुन्किरीने तक़दीर की सोहबत से बचो और उनसे बात चीत (और मुनाज़रे) में इब्तेदा न किया करो।'

(4720) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** हदीस: 4710 में देखें, मुसनद अहमद: 1/30, बैहक़ी.

बाब : 19
जहमिया का बयान

﴿19﴾

باب فِي الْجَهْمِيَّةِ

फ़ायदा : ये फ़िर्क़ा जहम बिन स़फ़वान समरक़न्दी की तरफ़ मन्सूब है। उनके गुमराह कुन अक़ाइद मुख़्तस़रन इस तरह हैं: ये लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सिफ़ाते अज़लिया का इंकार करते हैं। वह ये भी कहते हैं कि अल्लाह की कोई ऐसी सिफ़त नहीं हो सकती जो मख़्लूक़ की भी सिफ़त हो। इसे, जन्नत में जाने के बाद भी देखा नहीं जायेगा। कलामे इलाही (क़ुर्आन) मख़्लूक़ है। अल्लाह तआला बंदों के अफ़आल से उस वक़्त तक बाख़बर नहीं होता जब तक बंदे काम कर ना लें। इंसान अपने अफ़आल में मजबूर है। इसी तरह स़वाब व एक़ाब भी जबर है। ईमान एक बसीत चीज़ है (सिर्फ़ मारिफ़त का नाम ईमान है और ज़बानी इक़रार और आमाल ईमान में से नहीं हैं।) ईमान में कोई कमी बेशी नहीं होती। अम्बिया और उम्मत का ईमान एक सा होता है, एक बार ईमान स़ाबित हो जाये तो फिर इंकार से ख़त्म नहीं होता। जन्नत दोज़ख़ फ़ना होने वाली हैं। और इसी तरह अहले जन्नत और अहले नार भी ख़त्म हो जायेंगे। (अल मिलल वन्नहल अज़ शहरिस्तानी) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस बाब में सबसे पहले दो ऐसी हदीसें बयान की हैं जो अक़्ल के ज़रिये से इन उमूर में बहस़ से मना करती हैं जो उमूर अक़्ल से मावरा हैं और ईमान पर स़ाबित क़दम रहने की तल्क़ीन करती हैं। इसके बाद के अबवाब में अक़ाइदे बातिला के हवाले से अलग मौज़ूआत बनाकर अहादीस़ बयान की हैं ताकि उनके हर अक़ीद–ए–बातिल की तर्दीद हो जाये।

(4721) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोग सवालात करते रहेंगे यहाँ तक कि कहा जायेगा: मख़्लूक़ अल्लाह ने पैदा की है तो अल्लाह को किसने पैदा किया? सो जो कोई इस क़िस्म की बात करे (या वहम पाये) तो उसे चाहिए कि यूँ कहे: 'मैं अल्लाह पर ईमान लाया।'

तख़रीज : बुख़ारी 3276, व स़ही मुस्लिम: 134.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ " .

(4722) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना, कहते थे ... और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान किया। कहा: 'जब वह लोग ये कहें तो तुम कहो: अल्लाह एक है। अल्लाह बेन्याज़ है। न उसने जना और न वह जना गया और कोई नहीं जो उसकी बराबरी कर सके। फिर चाहिए कि बायें जानिब कुछ लुआब थूके और शैतान के शर से अल्लाह की पनाह माँगे।'

(4722) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 10497, अमलुल यौम वल्लैला: हदीस़: 661.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ " فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا { اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ "

(4723) सय्यदना अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (ﷺ) से रिवायत है कहते हैं: मैं वादी–ए बतहा में एक जमाअ़त में बैठा हूआ था जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) भी तशरीफ़ फ़रमा थे, वहाँ से बादल का एक टुकड़ा गुज़रा। आपने उसकी तरफ़ देखा और पूछा: 'तुम लोग इसे क्या कहते हो?' उन्होंने कहा: 'सहाब' आपने फ़रमाया: 'और 'मुज़्न' भी? उन्होंने कहा: हाँ 'मुज़्न' भी। आपने फ़रमाया: और 'अ़नान' भी? उन्होंने कहा: हाँ 'अ़नान' भी कहते हैं।

... इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मुझे (अलअ़नान) का ज़िक्र कोई ज़्यादा अच्छी तरह याद नहीं है ... आपने फ़रमाया: 'क्या जानते हो आसमान और ज़मीन में कितना फ़ासला है?'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ " مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ " . قَالُوا السَّحَابَ . قَالَ " وَالْمُزْنَ " . قَالُوا وَالْمُزْنَ . قَالَ " وَالْعَنَانَ " . قَالُوا وَالْعَنَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ أُتْقِنِ الْعَنَانَ جَيِّدًا قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

उन्होंने कहा: हमें मालूम नहीं। आपने फ़रमाया: 'इन दोनों के दरम्यान इकत्तर या बहत्तर या तिहत्तर साल का फ़ासला है। फिर उसके बाद दूसरे आसमान का भी इतना ही फ़ासला है।' यहाँ तक कि आपने सात आसमान शुमार किये। फिर फ़रमाया: 'सातवें के ऊपर समन्दर है जिसकी गहराई और ऊँचाई इस क़द्र है जैसे एक आसमान से दूसरे आसमान तक, फिर उसके ऊपर आठ बकरे हैं जिनके ख़ुरों और घुटनों के दरम्यान इस क़द्र फ़ासला है जैसे एक आसमान से दूसरे आसमान तक, फिर उनकी पुश्तों पर अ़र्श है, जिसकी तह और ऊँचाई में इतना ही फ़ासला है जैसे एक आसमान से दूसरे आसमान तक। फिर उससे ऊपर अल्लाह तबारक व तआ़ला है।'

" . قَالُوا لاَ نَدْرِي . قَالَ " إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ " . حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ " ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ " .

(4723) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 193, तिर्मिज़ी, हदीस: 3320.

(4724) जनाब अ़म्र बिन अबू क़ैस ने बवास्ता सिमाक अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

(4725) जनाब इब्राहीम बिन तहमान ने बवास्ता सिमाक इसकी सनद से ऊपर दी गई तवील हदीस के हम मानी बयान किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ .

(4726) जनाब जुबैर बिन मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम अपने वालिद मुहम्मद से

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، - قَالَ أَحْمَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسْخَتِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُهِدَتِ الأَنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنُهِكَتِ الأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ " وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ " وَيْحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذَا " . وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ " وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ " . قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ " إِنَّ

वह दादा ज़ुबैर बिन मुतइम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) के पास एक आराबी (देहाती) आया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जानों पे बन आई है, बाल बच्चे हलाक हो रहे हैं, माल ख़त्म हो गये हैं और मवेशी मर रहे हैं, अल्लाह से हमारे लिये बारिश तलब कीजिये। हम अल्लाह के हुज़ूर आपकी सिफ़ारिश पेश करते हैं और अल्लाह को आपके हुज़ूर सिफ़ारिश लाते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अफ़सोस तुझ पर! क्या जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो?' और रसूलुल्लाह (ﷺ) मुसल्सल तस्बीह (सुब्हानल्लाह) कहते रहे यहाँ तक कि इस (ख़ौफ़ के असर) को आपके सहाब–ए–किराम(ﷺ) के चेहरों में महसूस किया गया। फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अफ़सोस तुझ पर! अल्लाह तआला को उसकी मख़्लूक़ में से किसी के यहां सिफ़ारिश पेश नहीं किया जा सकता। अल्लाह तआला की शान इससे कहीं ज़्यादा बाअज़मत (और बर्तर) है। अफ़सोस तुझ पर! क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की क्या शान है? बिलाशुब्हा उसका अर्श आसमानों पर इस तरह है।' और आपने अपनी ऊँगलियों से कुब्बे की सी शक्ल बनाई। और फ़रमाया: 'वह अर्श इस तरह से चर चरा रहा है जैसे पालान अपने सवार के साथ चर चराता है।' इब्ने बश्शार ने अपनी रिवायत में कहा: 'बिलाशुब्हा

اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثُ بِإِسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الصَّحِيحُ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا وَكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ الأَعْلَى وَابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَّارٍ مِنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا بَلَغَنِي .

अल्लाह तआला अपने अर्श से ऊपर है। और उसका अर्श उसके आसमानों से ऊपर है।' ... बवास्ता याक़ूब बिन उत्बा और जुबैर बिन मुहम्मद बिन जुबैर, उसने अपने वालिद से उसने दादा से रिवायत की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और हदीस़ अहमद बिन सईद की सनद से ही सही है। और जमाअते मोहद्दिसीन ने इसकी मुवाफ़िक़त की है जिनमें यहया बिन मईन और अली बिन मदीनी भी हैं। और एक जमाअत ने इब्ने इस्हाक़ से इसी तरह रिवायत किया है जैसे अहमद ने कहा और जैसे कि मुझे रिवायत पहुँची है अब्दुल आला, इब्ने मुसन्ना और इब्ने बश्शार का सिमाअ एक ही नुस्ख़े से है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह: 103.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ " .

(4727) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हें हामेलीने अर्श में से एक फ़रिश्ते के मुताल्लिक़ बताऊं। बिलाशुब्हा उसके कानों की लौ से उसके कंधे तक का फ़ासला सात सौ साल के सफ़र के बराबर है।'

(4727) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 2/425, हदीस़: 1730, 5/212, हदीस़: 4418,

फ़ायदा : जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मख़लूक़ में से एक फ़रिश्ते की बड़ाई का ये हाल है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अज़मत व किब्रियाई और बड़ाई का क्या ठिकाना होगा। जो बिलाशुब्हा हमारे लिये नाक़ाबिले तसव्वूर है और वह बे मिस्ल व बे'मिसाल है।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ - حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ، سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى { سَمِيعًا بَصِيرًا } قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الْمُقْرِئُ يَعْنِي {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } يَعْنِي أَنَّ لِلَّهِ سَمْعًا وَبَصَرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ .

(4728) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने ये आयते करीमा पढ़ी: (इन्नल्लाहा यामुरूकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अह्लिहा ...समीअ़न बसीरन) 'बिलाशुब्हा अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हक़ दारों को पहुँचा दो और जब लोगों के दरम्यान फ़ैसला करो तो अ़दल व इंसाफ़ के साथ फ़ैसला करो, अल्लाह अच्छी नसीहत करता है, बिलाशुब्हा अल्लाह ख़ूब सुनने वाला ख़ूब देखने वाला है।' कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप अपना अंगूठा अपने कान पर और साथ वाली ऊँगली अपनी आँख पर रख रहे थे। हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप इस आयत को पढ़ते हूए अपनी ऊँगलियाँ (कान और आँख पर) रख रहे थे। इब्ने यूनुस ने रिवायत किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद मुक़री ने कहा: मक़सद ये है कि बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला समीअ़ व बसीर है यानी वह ख़ूब सुनता और ख़ूब देखता है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसमें जहमिया की तर्दीद है (अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल इन सिफ़ात से वाक़ेअ़ में मुत्तसिफ़ है।)

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमह, सफ़ा: 42, 43, हदीस: 46, सही इब्ने हिब्बान: 1732, हाकिम: 1/24.

फ़ायदा : ये और इस मानी की दीगर अहादीस़ में नबी (ﷺ) का कान और आँख की तरफ़ इशारा करना तशबीह के लिये नहीं, बल्कि सिफ़ते 'समअ़ और बस़र' के इस़्बात और सामेईन के लिये तक़र्रूबे मानी के लिये था। क्योंकि क़ुर्आन करीम में बस़राहत वारिद है: 'उसकी मिस़्ल कोई चीज़ नहीं, वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब देखने वाला है।' (अश्शूरा: 11)

बाब : 20
दीदारे इलाही का बयान

﴿20﴾
باب فِي الرُّؤْيَةِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسًا فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا " . ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا }

(4729) हज़रत जुबैर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैठे हूए थे कि आपने चाँद की तरफ़ नज़र उठाई जबकि रात चौदहवीं की थी और चाँद ख़ूब चमक रहा था। आपने फ़रमाया: 'तुम अपने रब को देखोगे जैसे उसको देख रहे हो, उसके देखने में कोई जमघटा नहीं होगा, चुनांचे अगर कर सकते हो तो ये करो कि सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले की नमाज़ों में मग़लूब न हो जाओ, फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई: (व सब्बिह बहम्दि रब्बिका कब्ल तुलूइश्शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा) 'पस अपने रब की हम्द बयान कर, सूरज तुलूअ होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले।'

(4729) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4851, व सही मुस्लिम: 633.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़यामत में और जन्नत में रब्बे जुलजलाल का दीदार बिल्कुल हक़ है और ये शर्फ़ अहले ईमान को इन्तेहाई आसानी के साथ और बग़ैर किसी परेशानी के हासिल होगा। मगर वही ईमानदार इस से बहरावर होंगे जो नमाज़ों की पाबन्दी करने वाले होंगे। (2) जो शख़्स तुलूअे आफ़ताब (सूरज निकलने) से पहले फ़ज्र और गुरूबे आफ़ताब (सूरज ढलने) से पहले नमाज़े अस्र की पाबन्दी कर ले वह दीगर नमाज़ों से भी ग़ाफ़िल नहीं रह सकता। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) का चाँद की तरफ़ देख कर ये मसला बयान करना नज़र को नज़र से तश्बीह देने के लिये था। वरना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मिस्ल कोई चीज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ " هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا " .

(4730) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या क़यामत के रोज़ हम अपने रब अ़ज़्ज़ व जल्ल को देखेंगे? आपने फ़रमाया: 'भला ऐन दोपहर के वक़्त, जब फ़िज़ा में कोई बादल वग़ैरह न हो, तुम्हें सूरज के देखने में कोई उलझन या मुश्किल होती है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें चौदहवीं की रात में, जब कोई बादल वग़ैरह न हो, चाँद के देखने में कोई दिक़्क़त होती है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम्हें इसके देखने में कोई दिक़्क़त और मुश्किल नहीं होगी मगर इतनी ही जितनी चाँद या सूरज के देखने में होती है।' (कोई मुश्किल नहीं होगी।)

(4730) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2968.

फ़ायदा : सूरज के देखने से मुराद महज़ देखना है टकटकी लगाकर मुसलसल उसकी तरफ़ देखते ही रहना नहीं।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - الْمَعْنَى - عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعٍ، - قَالَ مُوسَى - ابْنُ عُدُسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ، - قَالَ مُوسَى الْعُقَيْلِيُّ - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُّنَا يَرَى رَبَّهُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ مُخْلِيًا بِهِ يَوْمَ

(4731) हज़रत अबू रज़ीन (लक़ीत बिन आ़मिर)(ﷺ) ने बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम सब अपने रब को देखेंगे? उ़बैदुल्लाह बिन मुआ़ज़ के अल्फ़ाज़ हैं: क्या हम सब क़यामत के रोज़ उसे अलग अलग देखेंगे, तो मख़्लूक़ में इसकी क्या अ़लामत है? आपने फ़रमाया; 'ऐ अबू रज़ीन! क्या तुममें से हर कोई चाँद को नहीं देखता है?' इब्ने मुआ़ज के अल्फ़ाज़ हैं: 'क्या चौदहवीं की रात को हर कोई उसे

الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ " يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ " . قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ " لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ " . ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بَلَى . قَالَ " فَاللَّهُ أَعْظَمُ " . قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ " فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَاللَّهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ"

अकेले अकेले नहीं देखता है?' ... फिर दोनों रावियों का इत्तेफ़ाक़ है ... मैंने कहा: क्यों नहीं (उसको देखने में दिक़्क़त या भीड़ भाड़ नहीं होता।) आपने फ़रमाया: 'तो अल्लाह की शान बहुत बलन्द है।' इब्ने मुआज़ के अल्फ़ाज़ हैं, आपने फ़रमाया: 'ये तो अल्लाह की एक मख़्लूक़ का हाल है और अल्लाह की शान बेइन्तेहा बलन्द है।'

(4731) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 180, हाकिम: 4/560.

﴾21﴿ بَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ

बाब : 21 जहमिया की तर्दीद

फ़ायदा : इस बाब में अल्लाह के हाथ और उसके नुज़ूल, उसके निदा देने के हवाले से अहादीस़ हैं। इन सिफ़ात का जहमिया इंकार करते हैं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَطْوِي اللَّهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِينَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ " . قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ "

(4732) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला आसमानों को लपेट लेगा और उन्हें अपने दाहिने हाथ में लेगा और कहेगा: मैं ही बादशाह हूँ। कहाँ है जालिम? कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले? फिर ज़मीनों को लपेट लेगा और उन्हें पकड़ेगा। इब्ने अलअ़ला ने कहा: उन्हें दूसरे हाथ में पकड़ेगा और फ़रमायेगा: मैं ही बादशाह हूँ। कहाँ हैं जालिम? कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले?'

بِيَدِهِ الأُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ " .

(4732) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7413, व सही मुस्लिम: 2788.

फ़ायदा : (1) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सिफ़ात में वारिद अलफ़ाज़ वाज़ेह और सरीह हैं। हम उन्हें अपने रब तआला के हक़ में बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन उनकी हक़ीक़त का हमें कोई इदराक नहीं क्योंकि (लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस्समीउल बसीर) (अश्शूरा: 11) **(2)** अल्लाह के दो हाथ हैं और दोनों ही दाहिने हैं और अल्लाह तआला कलाम करने से मौसूफ़ है। **(3)** हक़ीक़ी बादशह तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही है, मगर दुनिया में नाम के बादशाह मौजूद हैं और उनमें जब्बार और मुतकब्बिर (घमंडी) भी हैं। लेकिन महशर में किसी का कोई वजूद नहीं होगा और बादशाहत सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह की होगी।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ " .

(4733) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर रात जब उसका आख़री तिहाई हिस्सा बाक़ी होता है तो हमारा रब तआला आसमाने दुनिया की तरफ़ उतरता है और निदा देता है: कौन है जो मुझे पुकारे, मैं उसकी सुनूं और क़बूल करूं? कौन है जो मुझसे माँगे और मैं उसको अता करूं? कौन है जो मुझसे बख़्शिश तलब करे और मैं उसको बख़्श दूं?'

(4733) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 1315 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाना हक़ है। उसका निदा देना भी हक़ है और उसकी इन सिफ़ात की हक़ीक़त वैसी ही है जो उसकी शान अज़मत व जलाल के लायक़ है। उन पर ईमान रखना वाजिब, उनका इंकार कुफ़्र, उनकी तावील हराम और इन सिफ़ात की हक़ीक़त की टोह लगाना या इनके बारे में सवाल करना बिदअत है। **(2)** फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफ़िल के लिये रात का आख़री पहर अल्लाह से लो लगाने और दुआ की क़बूलियत का इन्तेहाई शानदार वक़्त होता है।

बाब : 22
क़ुर्आन मजीद का बयान

﴾22﴿
باب فِي الْقُرْآنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ فَقَالَ " أَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي " .

(4734) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि (इब्तेदा-ए-बेअ़सत के दिनों में) रसूलुल्लाह (ﷺ) मैदाने अ़रफ़ात में अपने आपको लोगों के सामने पेश करते थे और कहते थे: 'सूनो! कोई मुझे अपनी क़ौम की तरफ़ ले जाये, बिलाशुब्हा क़ुरैश ने मुझे अपने रब का कलाम पहुँचाने से रोक दिया है।'

(4734) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 24, हदीस: 2925, इब्ने माजा, हदीस: 201.

फ़ायदा : (1) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल सिफ़ते 'कलाम' से मौसूफ़ है। जिसका रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी अव्वलीन दावत में इज़हार फ़रमाया और लोगों ने भी उसके ज़ाहिरी मानी ही समझे। इस पर हमारा ईमान है, मगर कलाम करने की कैफ़ियत से हम आगाह नहीं और क़ुर्आन मजीद भी उसी का कलाम है, जो जिब्राईल अमीन अ़लैहि. लेकर आये और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के सीने में उतारा, मुसलमान उसे पढ़ते, याद करते और मुसहफ़ के औराक़ में लिखते हैं। **(2)** अल्लाह तआ़ला की ज़ात जिस तरह क़दीम है, उसी तरह उसकी तमाम सिफ़ात भी क़दीम हैं। इस बुनियाद पर क़ुर्आन करीम अल्लाह तआ़ला का कलाम है, तो ये भी उसकी क़दीम और ग़ैर हादिस सिफ़त हूई। इसीलिए इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर मोहद्दिसीन (रह.) इसे ग़ैर मख़्लूक़ कहते थे और मोतज़ला इसे मख़्लूक़ क़रार देते थे। इस मसले में इमाम अहमद (रह.) की इस्तिकामत और उसकी ख़ातिर क़ैद व बंद की परेशानियाँ बरदाश्त करना, मशहूर मारूफ़ है। (रह.) **(3)** आ़लमे असबाब में रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी अफ़राद के तआ़वुन की ज़रूरत थी जो इस तब्लीग़े हक़ में आप (ﷺ) के मुआ़विन बनते जो बिल आख़िर मुहाजिरीन व अन्सार की सूरत में आपको मिल गये। इस तरह हर दाई

की भी यही ज़रूरत है। सो सआदतमंद हैं वह अज़ीम लोग जो दाइयाने हक़ के दस्त व बाज़ू बनते (साथ देते) हैं। **(4)** ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक़ एक दूसरे से मदद माँगना, न सिर्फ़ जायज़ है बल्कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद करना फ़र्ज़ है। इसलिए नबी-ए-करीम (ﷺ) समेत अम्बिया किराम (ؑ) ने भी तब्लीग़ दावत के काम में लोगों से तआवुन तलब किया और लोगों ने भी उनके साथ तआवुन किया। अलबत्ता मा वराए अस्बाब तरीक़े से किसी से मदद तलब करना शिर्क है क्योंकि इस तरह अल्लाह तआला के सिवा कोई भी मदद करने पर क़ादिर नहीं है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَدِيثِ، عَائِشَةَ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً، مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى .

(4735) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ؓ) का बयान है कि मैं अपने आपको इस बात से बहुत हेच (कमतर) समझती थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मेरी बराअत के सिलसिले में कोई ऐसा कलाम फ़रमायेगा जिसकी तिलावत की जायेगी।

(4735) तख़रीज : (सनद सही) शरहुस्सुन्नह, हदीस: 2/335, हदीस: 550, बुख़ारी, हदीस: 7500 व सही मुस्लिम: 2770.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़ज़्व-ए-बनी मुस्तलिक़ 5 या 6 हिजरी में मुनाफ़िक़ीन ने सय्यदा आयशा (ؓ) पर बोहतान का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया था जो ख़ूद सय्यदा के लिये, रसूलुल्लाह (ﷺ) और दीगर तमाम अहले ईमान के लिये इन्तेहाई तकलीफ़ व अज़ीयत का बाइस बना। मगर इसका अंजाम इस ऐतबार से बहुत ही बेहतर रहा कि उनकी बराअत में सोलह आयतें नाज़िल हूई। (सूरह अन्नूर: आयत 11 से 26 तक) जो उनकी मदह व सताइश में क़यामत तक तिलावत होती रहेंगी। **(2)** इस वाक़िया और रिवायत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सिफ़ते कलाम का ज़िक्र किया गया है। **(3)** मज़कूरा वाक़िया एक हादसा था मगर कलामुल्लाह हादिस नहीं है।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، - يَعْنِي الشَّعْبِيَّ - عَنْ

(4736) जनाब आमिर बिन शहूर (ؓ) ने रिवायत किया, उन्होंने कहा: मैं नजाशी के दरबार में था कि उसके बेटे ने इंजील की एक आयत पढ़ी, मैं हँस पड़ा। तो उसने कहा: क्या तुम अल्लाह तआला के कलाम से हँसते हो?

عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ فَقَرَأَ ابْنٌ لَهُ آيَةً مِنَ الإِنْجِيلِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ : أَتَضْحَكُ مِنْ كَلاَمِ اللَّهِ

(4736) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3027 में देखें, मुसनद अहमद: 4/260.

फ़ायदा : ईसाईयों के नज़दीक भी अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल सिफ़ते कलाम से मौसूफ़ है। कुछ हज़रात ने इस रिवायत को सही क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ : " أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ " . ثُمَّ يَقُولُ : " كَانَ أَبُوكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ .

(4737) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) हज़रत हसन और हज़रत हुसैन (ﷺ) को इन अल्फ़ाज़ से दम किया करते थे: (अऊज़ु कुमा बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिव व हाम्मतिन, व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन) 'मैं तुम दोनों को अल्लाह के कामिल कलिमात की पनाह में देता हूं कि हर शैतान, हर मूज़ी और हर बद नज़र के शर से महफ़ूज़ रहो।' फिर फ़रमाते: 'तुम्हारे अब्बा (सय्यदना इब्राहीम अ़लैहि.) हज़रत इस्माईल और इस्हाक अ़लैहि. को इनके ज़रिये से पनाह दिया करते थे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये दलील है कि कुर्आने करीम मख़्लूक़ नहीं।

(4737) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3371.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क्योंकि सय्यदना ख़लीलुर्रहमान या हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुताल्लिक़ तसव्वूर भी नहीं किया जा सकता कि वह किसी मख़्लूक़ की पनाह हासिल करें। (2) जब अम्बिया अ़लैहि. की सालेह औलाद अल्लाह की अमान और पनाह से मुस्तग़नी (अलग) नहीं तो दूसरे लोगों को तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। (3) मुस्तहब है कि बच्चों को इन मुबारक कलिमात से हमेशा दम किया जाये।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ، فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ " . قَالَ : " فَيَقُولُونَ : يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُولُ : الْحَقَّ فَيَقُولُونَ : الْحَقَّ الْحَقَّ "

(4738) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल किसी वह्य का कलाम फ़रमाता है तो आसमान वाले आसमान में एक आवाज़ सुनते हैं जैसे पत्थर पर ज़ंजीर घसीटी जा रही हो, इससे वह बेहोश हो जाते हैं और फिर उसी कैफ़ियत में रहते हैं यहाँ तक कि उनके पास जिब्राईल आते हैं, उनके आने से उनके दिलों से ये कैफ़ियत ख़त्म हो जाती है और वह जिब्राईल से पूछते हैं: तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया? वह कहते हैं: हक़ फ़रमाया। तो वह भी कहते हैं: हक़ फ़रमाया, हक़ फ़रमाया।'

(4738) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमह, सफ़ा: 145, बुख़ारी, हदीस: 7481.

फ़ायदा : वह्य अल्लाह तआला का कलाम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कलाम में 'आवाज़' भी है। जिसे जिब्राईल अमीन अलैहि. और दीगर फ़रिश्ते सुनते हैं। कई लोगों का ये कहना कि अल्लाह का कलाम आवाज़ से मुअर्रा (खाली) है, दुरूस्त नहीं, हालांकि कलाम आवाज़ ही से सुना जाता है। जैसे कि फ़रमाया: 'पस जब वहाँ पहुँचे तो इस बा बरकत ज़मीन के मैदान के दायें किनारे पर दरख़्त में से आवाज़ दिये गये: ऐ मूसा! यक़ीनन मैं ही अल्लाह हूँ सारे जहानों का परवरदिगार।' (अलक़सस: 30), 'और हमने उसको आवाज़ दी: ऐ इब्राहीम!' (अस्सफ़: 104) और अल्लाह की ये आवाज़ बे मिस्ल व बेमिसाल थी और है।

﴾23﴿ بَابٌ فِي الشَّفَاعَةِ

बाब : 23
शफ़ाअत का बयान

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4739) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी सिफ़ारिश मेरी उम्मत के उन लोगों के लिये होगी जो कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हूए होंगे।'

قَالَ : " شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي "

(4739) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/213, तिर्मिज़ी, हदीस: 2435.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुनहगारों को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी सिफ़ारिश होगी और उन्हें माफ़ कर दिया जायेगा मगर साथ ही शदीद (सख़्त) ख़ौफ़ भी चाहिए क्योंकि ये भी मालूम नहीं कि किस किस गुनहगार की सिफ़ारिश होगी और कौन उससे महरूम रहेगा या किस के बारे में शफ़ाअत क़बूल होगी? क्योंकि ये मामला सारे का सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपनी मशीयत (चाहत) पर है। अगर मशीयत हूई तो बेहतर वरना सख़्त अज़ाब होगा। अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है: 'यक़ीनन अल्लाह तआला अपने साथ शरीक किये जाने को नहीं बख़्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख़्श देता है।' (अन्निसा: 48) और इरशाद है: 'और आसमानों में बहुत से फ़रिश्ते हैं, जिनकी सिफ़ारिश कुछ नफ़ा नहीं दे सकती, मगर बाद इसके कि अल्लाह तआला जिसके लिये चाहे और पसन्द फ़रमाये तो इजाज़त दे दे।' (अन्नज्म: 26), 'उस दिन सिफ़ारिश कुछ काम नहीं आयेगी मगर जिसे रहमान इजाज़त दे और उसकी बात को पसन्द फ़रमाये।' (ताहा: 109) और ये लोग सिर्फ़ अहले तौहीद होंगे जिनके हक़ में अल्लाह तआला सिफ़ारिश करने की इजाज़त देगा। (नीज़ देखिये सूरह अम्बिया: 28, सूरह सबा: 23, सुरह नबा: 138 और आयतल कुर्सी वग़ैरह।) **(2)** इस ख़ूशख़बरी का मतलब ये नहीं कि इंसान गुनाहों के इरतेकाब में जरी (निडर) हो जाये। बल्कि ख़ौफ़ के पहलू को ग़ालिब रखना चाहिए क्योंकि मैदाने हश्र की तकलीफ़ ही नाक़ाबिले बरदाश्त होगी जहन्नम तो उससे बहुत ज़्यादा सख्त है। फिर ये भी मालूम नहीं कि शफ़ाअत क़बूल होते होते कितनी मुद्दत लग जाये। वलइयाज़ बिल्लाह! (अगली हदीस पर मज़ीद ग़ौर किया जाये।)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ ".

(4740) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक गिरोह जहन्नम में से हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की शफ़ाअत से निकलेगा और वह जन्नत में दाख़िल होंगे और उनका नाम 'जहन्नमिय्यीन' होगा।'

(4740) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6566.

फ़ायदा : ये लक़ब जन्नत में उनके लिये अज़ीयत (तकलीफ़) का बाइस नहीं होगा। इस नाम से महज़ ये पता चलेगा कि ये लोग जहन्नम से आज़ादशुदा हैं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ " .

(4741) हज़रत जाबिर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'बिलाशुब्हा अहले जन्नत, जन्नत में खायेंगे और पीयेंगे।'

(4741) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2835.

फ़ायदा : आख़िरत में जन्नत की नेमतों या दोज़ख़ का अज़ाब कोई वहमी बातें नहीं हैं बल्कि हक़ीक़ी मामले हैं। अलबत्ता उन्हें इस दुनिया पर क़ियास नहीं किया जा सकता।

﴾24﴿
بَابٌ فِي ذِكْرِ الْبَعْثِ وَالصُّورِ

बाब : 24
... फ़ना के बाद जी उठने और सूर फूँके जाने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا أَسْلَمُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ" .

(4742) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूर एक सींग है जिसमें फूँकें मारी जायेगी।'

(4742) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3244, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2570, हाकिम: 2/506, 4/560.

फ़ायदा : हज़रत इस्राफ़ील अलैहि. अपने मुँह में सूर लिये हुक्मे इलाही के मुन्तज़िर खड़े हैं। जब हुक्म होगा तो वह इसमें फूँक मारेंगे और सारी दुनिया फ़ना हो जायेगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा फूँकेंगे तो सब जी उठेंगे।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ الأَرْضُ إِلاَّ عَجْبَ

(4743) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इब्ने आदम के सारे जिस्म को मिट्टी खा जायेगी मगर दुम की जड़ का आख़री हिस्सा बचा रहेगा। उसी से पैदाइश की इब्तेदा होती है और उसी से दोबारा जिस्म तैयार होंगे।'

الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ " .

(4743) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 2079, मौता: 1/239, बुख़ारी, हदीस़: 4814, व स़ही मुस्लिम: 2955.

फ़ायदा : स़ही हदीस़ों के मुताबिक़ अम्बिया व रूसूल अ़लैहि. के जिस्म मिट्टी के खाये जाने से महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहते हैं। (मुसनद अहमद: 4/8, सुनन अबू दाऊद: हदीस़: 1047)

﴾25﴿
بَابٌ فِي خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

बाब : 25
जन्नत और दोज़ख़ के पैदा किये जाने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا . فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ " . قَالَ : " فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا . فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ

(4744) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्राईल अमीन से कहा: जाओ और उसे देखो। चुनांचे वह गये और उसे देखा, फिर आये तो कहा: ऐ मेरे रब! तेरी इ़ज़्ज़त की क़सम! इसके मुताल्लिक़ जो कोई भी सुनेगा इसमें दाख़िल होना चाहेगा। फिर अल्लाह ने उसको मकरूहात (ना पसन्दीदा चीज़ों) के घेरे में दे दिया।' (उसमें आने वालें को जो अ़मल करने होंगे और जिन शरई पाबन्दियों को क़बूल करना होगा, उ़मूमी तौर पर उनकी तरफ़ तबीअ़त माइल नहीं होती या हक़ की राह पर जमे रहने की वजह से तकलीफ़ें उठानी होंगी।) फिर फ़रमाया: जिब्राईल! जाओ और उसे देख कर आओ। पस वह गये और उसको देखा। फिर आये और कहा: ऐ मेरे रब! तेरी इ़ज़्ज़त की क़सम! मुझे अन्देशा है कि इसमें कोई दाख़िल

ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا . فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا " .

नहीं हो सकेगा। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: फिर जब दोज़ख़ को पैदा किया तो जिब्राईल से कहा: जाओ और दोज़ख़ को देख कर आओ। वह गये और देख कर आये। वापस आकर कहा: ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की क़सम! कोई नहीं जो उसके मुताल्लिक़ सुने और फिर उसमें दाख़िल हो। फिर अल्लाह तआला ने उसको नफ़्सानी ख़्वाहिशात और मरग़ूबात के घेरे में दे दिया। फिर फ़रमाया: ऐ जिब्राईल! जाओ और उसे देख कर आओ। वह गये और उसे देखा। फिर आये और कहा: ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त और तेरे जलाल की क़सम! मुझे अन्देशा है कि इसमें दाख़िल होने से कोई भी नहीं बच सकेगा।'

(4744) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3794, तिर्मिज़ी, हदीस: 2560, हाकिम: 1/26, 27.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जन्नत और उसकी नेमतें, दोज़ख़ और उसका अज़ाब वाक़ेई पैदा किये जा चुके हैं। **(2)** जन्नत का दाख़ला शरई पाबन्दियों पर अमल करने ही से मुमकिन है। और उनके बिलमुक़ाबिल नफ़्सानी ख़्वाहिशात की पैरवी और शरई पाबन्दियों से आज़ादी जहन्नम में जाने का बाइस हैं, लिहाज़ा ज़रूरी है कि इंसान नफ़्सानी ख़्वाहिशात की पैरवी से दूर रहे।

﴾26﴿ بَابٌ فِي الْحَوْضِ

बाब : 26
हौज़ का बयान

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا

(4745) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हारे आगे (महशर में) एक हौज़ है। उसके किनारे इस क़द्र लम्बे हैं जैसे जरबा और अज़रह के बीच फ़ासला है। (ये

इलाक़-ए-शाम के दो मक़ाम हैं इनके दरम्यान पुराने ज़माने में तीन रातों के सफ़र का फ़ासला था।)

بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ " .

तख़रीज : बुख़ारी: 6577, व सही मुस्लिम: 2299.

(4746) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। हमने एक मन्ज़िल पर पड़ाव किया तो आपने फ़रमाया: 'तुम लोग मेरे पास हौज़ पर आने वाले लोगों का लाखवाँ हिस्सा भी नहीं हो। अबू हमज़ा कहते हैं, मैंने पूछा: उस दिन आप लोगों की तादाद क्या थी? कहा: सात आठ सौ।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ : " مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ " . قَالَ قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ : سَبْعَمِائَةٍ أَوْ ثَمَانَمِائَةٍ .

(4746) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/369, हाकिम: 1/76, 77.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की उम्मत गिनती में सब उम्मतों से बढ़ कर है। और अहले ईमान व तौहीद ही उस हौज़ के पानी से मुस्तफ़ीद होंगे। यानी वह ख़ुश बख़्त नेकोकार और अच्छे नसीबे वाले लोग जो शिर्क व बिदआत से महफ़ूज़ रहे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम, आमीन या रब्बल आलमीन.

(4747) हज़रत अनस (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऊँघ आ गई। फिर आपने मुस्कुराते हूए अपना सर उठाया। आपने सहाबा से कहा, या सहाबा ने आपसे पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यूँ मुस्कुराये हैं? फ़रमाया: 'मुझ पर अभी अभी एक सूरह नाज़िल हूई है।' तो आपने पढ़ा: (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ... इन्ना आतैना कलकौसर ...) आख़िर तक। जब आपने इसे पढ़ लिया तो फ़रमाया: 'क्या जानते हो कौसर क्या है?' सहाबा ने कहा: अल्लाह

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ : أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَإِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوا لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ضَحِكْتَ فَقَالَ : " إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ " . فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}

حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ : " هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ " . قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : " فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ " .

और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये एक नहर है जो मेरे रब अ़ज़्ज़ व जल्ल ने मुझे जन्नत में देने का वादा फ़रमाया है और उस पर ख़ैरे कसीर (बहुत ज़्यादा भलाइयाँ) होगी, उस पर एक हौज़ होगा जिस पर क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत के लोग आयेंगे, उसके पीने के बर्तन (प्याले) सितारों की तादाद में होंगे।'

(4747) तख़रीज : हदीस़: 784 में देखें, व सही मुस्लिम: 400.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मैदाने हश्र का हौज़, नहरे कौसर का एक हिस्सा होगा। **(2)** इस हदीस़ में दलील है कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) हर सूरह का हिस्सा और उसकी एक आयत होती है। मगर दूसरा फ़रीक़ दूसरे दलाइल से इसको मरजूह कहता है। एक तीसरा मस्लक ये है कि बिस्मिल्लाह सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा की आयत है। दूसरी सूरतों में इसको तबर्रूक और फ़सल के तौर पर लिखा जाता है। इसकी ताईद इस हदीस़ से होती है जिसमें इसे सूरह फ़ातिहा की एक आयत क़रार दिया गया है। तफ़्सील के लिये देखिये (अस्सहीहा: 3/179, हदीस़: 1183)

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا عُرِجَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنَّةِ - أَوْ كَمَا قَالَ - عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَيَّبُ أَوْ قَالَ الْمُجَوَّفُ، فَضَرَبَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم لِلْمَلَكِ الَّذِي مَعَهُ : " مَا هَذَا " . قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

(4748) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि जब अल्लाह के नबी (ﷺ) को मैराज़ के मौक़े पर जन्नत में ले जाया गया तो आपको एक नहर दिखाई गई जिसके किनारे ऐसे याक़ूत के थे जो ख़ोलदार थे। तो वह फ़रिश्ता जो आपके साथ था उसने (उसकी तह में) हाथ मारा और कस्तूरी निकाली। तो हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ने उस फ़रिश्ते से पूछा: 'ये क्या है?' उसने कहा: ये वह कौसर है जो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने आप को दी है।

(4748) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4964, तिर्मिज़ी, हदीस़: 3359.

(4749) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया कि हमें अब्दुस्सलाम बिन अबू हाज़िम अबू तालूत ने बयान किया और कहा कि मैंने अबू बरज़ा (ﷺ) को देखा कि वह (यज़ीद बिन मुआविया की जानिब से कूफ़ा के अमीर) उबैदुल्लाह बिन ज़्याद के पास गये। अब्दुस्सलाम ने कहा: मुझे एक शख़्स ने बयान किया जो उस मज्लिस में शरीक था। (अबू दाऊद कहते हैं) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने उसका नाम भी लिया था। उबैदुल्लाह ने जब हज़रत अबू बरज़ा (ﷺ) को देखा तो बोला: अपने इस मोटे ठिगने मुहम्मदी को देखो। शैख़ उसकी बात समझ गये (कि उसने तअ़ना दिया है) तो उन्होंने कहा: मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस क़ौम में बाक़ी रहूंगा जो मुझे हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की सहाबियत पर तअ़ना देगी। तो उबैदुल्लाह ने उनसे कहा: बिलाशुब्हा हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की सोहबत तुम्हारे लिये बाइसे इज़्ज़त है। इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। फिर कहा: मैंने आपको इसलिए बुला भेजा है कि आपसे हौज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करूं। क्या आपने रसूल (ﷺ) को इस बारे में कुछ कहते सुना है? तो हज़रत अबू बरज़ा(ﷺ) ने कहा: हाँ। कोई एक, दो, तीन चार या पाँच बार नहीं (बल्कि बारहा सुना है) तो जो इसको झुठलाये अल्लाह उसको उससे न पिलवाये, फिर गुस्से से बाहर निकल आये।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/421, 4/424, वल हदीस शवाहिद: 4/419, 425, 426.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتَ، قَالَ شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي فُلاَنٌ، سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ فِي السِّمَاطِ فَلَمَّا رَآهُ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هَذَا الدَّحْدَاحُ، فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يُعَيِّرُونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا بُعِثْتُ إِلَيْكَ لأَسْأَلَكَ عَنِ الْحَوْضِ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ : نَعَمْ لاَ مَرَّةً وَلاَ ثِنْتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثًا وَلاَ أَرْبَعًا وَلاَ خَمْسًا، فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلاَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا .

फ़ायदा : मैदाने हश्र में हौज़े कौसर का वजूद सही और मुतवातिर अहादीस से साबित है, इसका इंकार कुफ़्र है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 6582, 6583, व सही मुस्लिम: 2303)

बाब : 27
क़ब्र में सवाल जवाब और अज़ाब का बयान

﴿27﴾ باب فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ فَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ] .

(4750) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान से जब क़ब्र में सवाल किया जाता है तो वह शहादत देता है कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं। और यही मिस्दाक़ है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इस फ़रमान का: (युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस्साबिति फ़िलहयातिद्दुनिया वफ़िल आख़िरति) 'अल्लाह तआला अहले ईमान को पुख़्ता बात के साथ दुनिया में साबित क़दम रखता है और आख़िरत में भी साबित क़दम रखेगा।'

तख़रीज : बुख़ारी: 4699, व सही मुस्लिम: 2871.

फ़ायदा : क़ब्र के सवाल व जवाब का मसला क़ुर्आन मजीद की ऊपर दी गई आयत में बयान हूआ है और मुतअद्दिद (कई) सही अहादीस में वारिद है। इसलिए इसका इंकार कुफ़्र है। (सही बुख़ारी: हदीस: 4699)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ أَبُو نَصْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

(4751) हज़रत अनस (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बनू नज्जार के एक नख़िलस्तान में दाख़िल हूए। आपने एक आवाज़ सुनी और घबरा गये और पूछा: ये क़ब्रों वाले कौन हैं?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह

قَالَ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ نَخْلاً لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ : " مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ : " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . قَالُوا : وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنِ اللَّهُ هَدَاهُ قَالَ : كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ . فَيُقَالُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي . فَيُقَالُ لَهُ : اسْكُنْ . وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي . فَيُقَالُ لَهُ : لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ . فَيُقَالُ لَهُ : فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي

के रसूल! कुछ लोग थे जो दौरे जाहिलीयत में मर गये थे, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह से आग के अज़ाब और दज्जाल के फ़ितने से अमान माँगो।' उन्होंने कहा: और ये कैसे है ऐ अल्लाह के रसूल? आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मोमिन आदमी को जब क़ब्र में रखा जाता है तो उसके पास फ़रिश्ता आता है, वह उससे पूछता है तू किस की इबादत करता था? तो अगर अल्लाह तआला उसे तौफ़ीक़ दे, तो वह कहता है: मैं अल्लाह की इबादत किया करता था। फिर उससे पूछा जाता है, तू उस आदमी के बारे में क्या कहा करता था? तो वह कहता है: ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो उससे उसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता। चुनांचे उसे एक घर की तरफ़ ले जाया जाता है जो उसके लिये दोज़ख़ में मुक़र्रर था और उससे कहा जाता है: (देख) दोज़ख़ में ये तेरा घर था लेकिन अल्लाह ने तुझ को बचा लिया है और तुझ पर रहम किया है और उसके बदले तुझे जन्नत में घर दे दिया है। तो वह कहता है: मुझे छोड़ो कि जाऊं और अपने घर वालों को ख़ुशख़बरी दे आऊं, तो उसे कहा जाता है आराम करो। और काफ़िर आदमी को जब क़ब्र में रखा जाता है तो उसके पास फ़रिश्ता आता है और उसको जकड़ता है और पूछता है: तू किसकी इबादत किया करता था? वह कहता है: मुझे नहीं मालूम। फिर उससे कहा जाता है: न तूने जाना और न पढ़ा। फिर उससे

هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ : كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ . فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ "

पूछा जाता है: तू उस आदमी के बारे में क्या कहा करता था? वह जवाब देता है: मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। तो वह फ़रिश्ता लोहे के एक भारी भरकम हथौड़े (गरज़) के साथ उसके कानों के दरम्यान मारता है तो वह उससे इस क़द्र चीख़ता चिल्लाता है कि जिन्नों और इंसानों के अलावा सारी मख़्लूक़ उसकी आवाज़ सुनती है।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3231 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، بِمِثْلِ هَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ : " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولاَنِ لَهُ " . فَذَكَرَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ الأَوَّلِ قَالَ فِيهِ : " وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولاَنِ لَهُ " . زَادَ : " الْمُنَافِقُ " . وَقَالَ : " يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ " .

(4752) मुहम्मद बिन सलमान ने अब्दुल वह्हाब से इसी इस्नाद से इस हदीस की मानिन्द रिवायत किया। कहा: 'जब बंदे को उसकी क़ब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस आने लगते हैं तो वह उनके क़दमों की आहट सुनता है और उसके पास दो फ़रिश्ते आते हैं और उससे कहते हैं ...' और पहली हदीस के क़रीब क़रीब बयान किया। इसमें कहा: 'काफ़िर और मुनाफ़िक़ कहते हैं ...' इसमें 'मुनाफ़िक़' का लफ़्ज़ ज़्यादा है। नीज़ ये कहा: 'उसकी चीख़ को जिन्नों और इंसानों के अलावा क़रीब क़रीब की सब मख़्लूक़ सुनती है।'

(4752) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3231 में देखें।

फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस में कोई तआरूज़ नहीं है। बज़ाहिर जो इख़्तिलाफ़ नज़र आता है मुख़्तलिफ़ अफ़राद के अहवाल की बिना पर है। सालेह बंदे के पास एक ही फ़रिश्ता आता है और नर्मी का मामला करता है और दूसरे के पास दो आते हैं और ये फ़रिश्ते कभी लोगों के जाने से पहले आ जाते हैं और दोनों ही सवाल करते हैं ताकि क़ब्र के सवालात और वहां के इम्तिहान की हैबत और

शिद्दत में सख़्ती का इज़हार हो। (औन, अत्तज़्किरा लिल क़ुर्तुबी)

(4753) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है उन्होंने कहा: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक अन्सारी के जनाज़े में गये। हम क़ब्र के पास पहुँचे तो अभी लहद तैयार नहीं हूई थी, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठ गये और हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गये। गोया कि हमारे सरों पर परिन्दे हों (निहायत पुरसुकून और ख़ामोशी से बैठे थे।) आप के हाथ में छड़ी थी, आप उससे ज़मीन कुरेद रहे थे। आपने अपना सर उठाया और फ़रमाया: 'अल्लाह से क़ब्र के अज़ाब की अमान माँगो।' आपने ये दो या तीन बार फ़रमाया। जुरैज की रिवायत में यहां ये इज़ाफ़ा है ... 'जब लोग वापस जाते हैं तो मय्यत उनके क़दमों की आहट सुनती है, जबकि उससे ये पूछा जा रहा होता है: ऐ फुलां! तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और तेरा नबी कौन है?' हन्नाद ने कहा: फ़रमाया: 'उसके पास दो फ़रिश्ते आते हैं और उसे उठाते हैं और उसे कहते हैं: तेरा रब कौन है? तो वह कहता है: मेरा रब अल्लाह है। फिर वह पूछते हैं; तेरा दीन क्या है? तो वह कहता है: मेरा दीन इस्लाम है। फिर वह पूछते हैं: ये आदमी कौन है जो तुममें मबऊस किया गया था? तो वह कहता है: वह अल्लाह के रसूल (ﷺ) हैं। फिर वह कहते हैं: तुझे कैसे इल्म हूआ? वह कहता है: मैंने अल्लाह की

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - وَهَذَا لَفْظُ هَنَّادٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : " اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَا هُنَا - وَقَالَ : " وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ : يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ " . قَالَ هَنَّادٌ قَالَ : " وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللَّهُ .

فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ فَيَقُولُ : دِينِي الإِسْلاَمُ . فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَيَقُولاَنِ : وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ " . زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : " فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا } " . الآيَةَ . ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ : " فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ " . قَالَ : " فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا " . قَالَ : " وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ " . قَالَ : " وَإِنَّ الْكَافِرَ " . فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ : " وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي . فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ فَيَقُولُ :

किताब पढ़ी, मैं उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक़ की।' जुरैज की रिवायत में मज़ीद है: 'यही (सवाल जवाब ही) मिस्दाक़ है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इस फ़रमान का (युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलिस्साबिति फ़िल हयातिद्दुनिया वफ़िल आख़िरति) फिर वह दोनों रिवायत करने में मुत्तफ़िक़ हैं। फ़रमाया: 'फिर आसमान से मुनादी करने वाला ऐलान करता है: तहक़ीक़ मेरे बंदे ने सच कहा है, इसे जन्नत का बिस्तर बिछा दो,और इसको जन्नत का लिबास पहना दो, और इसके लिये जन्नत की तरफ़ से दरवाज़ा खोल दो।' फ़रमाया: 'जन्नत की तरफ़ से वहां की हवायें, राहतें और ख़ुशबू आने लगती हैं और उसकी क़ब्र को इन्तेहा-ए-नज़र तक वसीअ (चौड़ा) कर दिया जाता है।' फिर काफ़िर और उसकी मौत का ज़िक्र किया और फ़रमाया: उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और वह उसके पास आते हैं और उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं: तेरा रब कौन है? तो वह कहता है: हाय! हाय! मुझे ख़बर नहीं। फिर वह उससे पूछते हैं: तेरा दीन क्या है? तो वह कहता है: हाय! हाय! मुझे ख़बर नहीं। फिर वह उससे पूछते हैं: ये आदमी कौन है जो तुममें मबऊस किया गया था? तो वह कहता है: हाय! हाय! मुझे ख़बर नहीं। तो मुनादी आसमान से निदा देता है कि इसने झूठ कहा, इसे आग का बिस्तर बिछा

هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي . فَيَقُولاَنِ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي . فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ " . قَالَ : " فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا " . قَالَ : " وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ " . زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ : " ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا " . قَالَ : " فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا " . قَالَ : " ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ" .

दो, इसे आग का लिबास पहना दो और इसके लिये दोज़ख़ की तरफ़ से दरवाज़ा खोल दो। फ़रमाया कि फिर उस जहन्नम की तरफ़ से उसकी तपिश और सख़्त गर्म हवा आने लगती है और उस पर क़ब्र को तंग कर दिया जाता है यहाँ तक कि उसकी पस्लियाँ एक दूसरी में घुस जाती हैं।' जरीर की रिवायत में मज़ीद है। 'फिर उस पर एक अंधा गूंगा फ़रिश्ता मुक़र्रर कर दिया जाता है, जिसके पास भारी कुर्ज़ होता है। अगर उसे पहाड़ पर मारा जाये तो वह (पहाड़) टुकड़ा टुकड़ा हो जाये। फिर वह उसे उसके साथ ऐसी चोट मारता है जिसकी आवाज़ जिन्नों और इंसानों के अलावा मश्रिक़ व मग़रिब के दरम्यान सारी मख़्लूक़ सुनती है। और फिर वह मिट्टी (रेज़ा रेज़ा) हो जाता है। 'फ़रमायाः फिर उसमें रूह लौटाई जाती है।'

(4753) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 3212 में देखें, मुसनद अहमदः 4/287, नसाई, हदीसः 2003, इब्ने माजा, हदीसः 1548, 1549, बैहक़ी, हदीसः 20, शुअब अलईमान, हदीसः 395.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، : زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(4754) अबू उमर ज़ाज़ान ने कहा कि मैंने हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से सुना। उन्होंने नबी (ﷺ) से इसकी मानिन्द रिवायत किया।

(4754) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीसः 24, पिछली हदीस देखें।

बाब : 28
तराज़ू का बयान

﴾28﴿
بَابٌ فِي ذِكْرِ الْمِيزَانِ

फ़ायदा : क़यामत में आमाल का तोला जाना हक़ है। इसके लिये तराज़ू क़ायम की जायेगी और उसके दो पलड़े होंगे। नीचे की आयतों में इसकी सराहत है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन हम इंसाफ की तराज़ूएँ क़ायम करेंगे, किसी जान पर कोई ज़्यादती नहीं की जायेगी, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हूआ तो हम उसे ले आयेंगे और हिसाब लेने को हम काफ़ी हैं।' (अल अम्बिया: 47), 'उस दिन वज़न किया जाना हक़ है तो जिसके तोल भारी होंगे वही कामयाब हैं और जिनके तोल हल्के रहे तो ये वही हैं जिन्होंने हमारी आयतों की हक़ तल्फ़ी की और अपने आपको घाटा दिया।' (अल आराफ़: 8, 9), 'जिसके तोल भारी रहे तो वह पसन्दीदा ज़िन्दगी में होगा और जिसके तोल हल्के रहे तो उसका ठिकाना हाविया (जहन्नम) होगा।' (अल क़ारिया: 6–9)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا يُبْكِيكِ " . قَالَتْ : ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَمَّا فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا : عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ { هَاؤُمُ

(4755) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने जहन्नम का ज़िक्र किया और रोने लगीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: तुझे किस चीज़ ने रूलाया है?' कहने लगीं: मुझे जहन्नम याद आई है तो रोने लगी हूँ। तो क्या भला आप क़यामत के रोज़ अपने घर वालों को याद रखेंगे? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन मक़ामात ऐसे हैं जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा: तराज़ू के पास यहाँ तक कि उसे पता चल जाये कि उसका तोल हल्का हूआ या भारी, नामा–ए–आमाल मिलने के वक़्त जब कहा जायेगा (हाउमुक़्रऊ किताबिया) 'आओ मेरा नामा–ए–आमाल पढ़ो।' यहाँ तक कि जान ले कि उसका आमाल नामा

اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ } حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ " . قَالَ يَعْقُوبُ : عَنْ يُونُسَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ .

उसके दायें हाथ में आता है या बायें में या कमर के पीछे से, और (तीसरा मक़ाम) पुल सिरात है जब उसे जहन्नम पर ऐन वस्त में टिकाया जायेगा।'

याक़ूब ने अन यूनुस के अल्फ़ाज़ से रिवायत की और ये हदीस उसी के अल्फ़ाज़ में है।

(4755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 210, मुसनद अहमद: 6/101.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम ये हक़ीक़त है कि महशर के सारे ही मराहिल दहशत नाक हैं मगर ये बयान करदा अहवाल ज़्यादा सख़्त होंगे।

﴾29﴿ بَابٌ فِي الدَّجَّالِ

बाब : 29
दज्जाल का बयान

फ़ायदा : दज्जाल का लफ़्ज़ दजल से इस्मे मुबालग़ा है और मानी हैं: 'इन्तेहाई फ़रेबी।' क़यामत से पहले एक शख़्स ज़ाहिर होगा जो मुख़्तलिफ़ शौबदा बाज़ियों से लोगों के ईमान पर हमलावर होगा और अपनी उलूहियत (खुदा होने) का दावा करेगा। उसका ये फ़ितना सब फ़ितनों से बढ़कर होगा। उसकी ज़ाहिरी निशानियाँ और उसके आमाल का बयान अहादीस की सब किताबों में मौजूद है। आख़िर में उसका क़त्ल सय्यदना हज़रत ईसा अलैहि. के हाथों से होगा।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ " . فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى

(4756) हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'तहक़ीक़ नूह अलैहि. के बाद जो भी नबी आया उसने अपनी क़ौम को दज्जाल से डराया है और मैं भी तुम्हें उससे डरा रहा हूँ।' चुनांचे रसूल (ﷺ) ने उसकी अलामत बयान फ़रमाई और कहा: 'मुमकिन है कि उसे वह आदमी पा ले जिसने मुझे देखा है और मेरी बातें सुनी हैं।' सहाबा ने कहा: ऐ

अल्लाह के रसूल! उन दिनों हमारे दिल कैसे होंगे? क्या भला ऐसे ही होंगे जैसे कि आज हैं? फ़रमाया: 'या उससे बेहतर।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2234, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1895, हाकिम: 4/542, 543.

الله عليه وسلم وَقَالَ : " لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِي وَسَمِعَ كَلاَمِي " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ أَمِثْلُهَا الْيَوْمَ قَالَ : " أَوْ خَيْرٌ " .

(4757) जनाब सालिम अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हूए। आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की जो उसके लायक़ है। फिर आपने दज्जाल का ज़िक्र किया और फ़रमाया: 'मैं तुम्हें उससे डरा रहा हूं और जो भी नबी आया है उसने अपनी क़ौम को उससे डराया है। यक़ीनन नूह अलैहि. ने भी अपनी क़ौम को उससे डराया था, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात कह रहा हूं जो किसी नबी ने अपनी क़ौम को नहीं बताई। तुम जान लो कि वह काना है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़तअन काना नहीं है।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4329 में देखें।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : " إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ : إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दज्जाल' का सबसे बड़ा दजल और फ़ितना मुख़्तलिफ़ शौब्दे दिखा कर अपनी उलूहियत का इक़रार कराना होगा। **(2)** अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सिफ़ते ऐन (आँख) से मुत्तसिफ़ है। और उसकी आँखें हैं और दज्जाल का ऐब ये बताया गया है कि वह दाहिनी आँख से काना होगा। वस्फ़े बारी तआला की बाबत क़ुर्आन मजीद में है: 'अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ सब्र कीजिये। बिलाशुब्हा आप हमारी आँखों के सामने हैं।' (अत्तूर: 48) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तमाम सिफ़ात पर हम अहले सुन्नत वलजमाअत का ईमान है। हम उनकी कोई तावील नहीं करते। हम न उनको मुअत्तल समझते हैं न इंकार करते हैं और न तश्बीह देते हैं, बल्कि ये वैसी ही हैं जैसी उसकी ज़ात वाला शान के लायक़ हैं। उनकी हक़ीक़त की टोह में लगना और उनके मुताल्लिक़ सवाल करना बिदअत है। इसलिए कि हमारी अक़्ल और सोच उसको पा ही नहीं सकती। टोह लगाने से महज़ परेशान ख़्याली पैदा होगी।

बाब : 30
ख़वारिज का बयान

﴾30﴿
باب في قتل الخوارج

फ़ायदा : (ख़वारिज, ख़ारिजा) की जमा है। इस फ़िर्के की शुरूआत उस वक़्त हूई जब कुछ लोगों ने सय्यदना अ़ली (ﷺ) की इताअ़त से सरकशी करते हुए ख़ुरूज (बग़ावत) किया और मामला तहकीम के तहत उन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि आपने किताबुल्लाह के होते हूए लोगों को फ़ैसल बनाया है। और बहाना ये बनाया कि (इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह) 'फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह का है।' ये अल्फ़ाज़ बरहक़ मगर उनका मक़सद बातिल था। अल्लाह के फ़रमान (क़ुर्आन) के मुताबिक़ फ़ैसला बहर हाल कोई क़ाज़ी या हाकिम करेगा क़ुर्आन उतारी हूई (किताब) के मुताबिक़ फ़ैसला न किया वह काफ़िर हैं।' इससे भी वाज़ेह होता है कि क़ुर्आन के मुताबिक़ फ़ैसला इंसानों ही को करना है। उन लोगों के मुतअ़द्दिद (कई) फ़िर्क़े हैं जब कि उनके बुनियादी नज़रियात ये हैं: **(1)** सय्यदना उ़स्मान (ﷺ) और सय्यदना अ़ली (ﷺ) से बराअत का इज़हार। **(2)** कबीरा गुनाह का मुर्तकिब (करने वाला) काफ़िर है। **(3)** और इमामुल मुस्लिमीन जब सुन्नत के ख़िलाफ़ करते तो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होना वाजिब है। (अल मिलल वन्नहल शहरिस्तानी)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ " .

(4758) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने जमाअ़त से बालिश्त भर भी अलैहदगी (अलगाव) इख़्तियार की, उसने इस्लाम की रस्सी को अपने गले से उतार फैंका।'

(4758) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/180, इब्ने अबी आसिम, हदीस: 1053.

फ़ायदा : (1) जमाअ़त से मुराद 'अहले सुन्नत वलजमाअ़त' हैं जो अ़क़ीद–ए–तौहीद और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने को दीन की बुनियाद मानते हैं। उसी पर मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हैं। **(2)** मुसलमानों के हाकिम से कोई गुनाह और ग़लती हो जाये तो उसके ख़िलाफ़ बग़ावत करना जायज़ नहीं मगर ये कि वह 'स़रीह कुफ़्र' का मुर्तकिब हो या जब वह निफ़ाज़े दीन के रास्ते से इन्हेराफ़ करें।

(4759) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि इमाम (ख़लीफ़ा) इस माले फ़ै और ग़नीमत को ज़ाती माल समझेंगे।' (यानी शरई तक़ाज़ों के मुताबिक़ ख़र्च और तक़सीम नहीं करेंगे।) मैंने अर्ज़ किया उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ (सच्चा पैग़म्बर बना के) भेजा, तब तो मैं अपनी तलवार अपने कंधे पर रख लूंगा और उससे मारूंगा यहाँ तक कि आपसे आ मिलूं। आपने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर बात न बता दूं? सब्र करना यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/179.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفَيْءِ " . قُلْتُ : إِذًا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي، ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ أَوْ أَلْحَقَكَ . قَالَ : " أَوَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِي

(4760) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पर ऐसे इमाम (अमीर) मुक़र्रर होंगे जिनकी कुछ बातें तुम्हें भली लगेंगी और कुछ बुरी भी जानोगे। तो जिसने इंकार किया ... बलफ़्ज़े हिशाम ... अपनी ज़बान से इंकार किया, तो वह बरी हूआ, और जिसने दिल से इंकार किया वह महफ़ूज़ रहा, लेकिन जो राज़ी रहा और उनका मुत्तबेअ (फ़ॉलोवर) बना।' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! तो क्या हम उनको क़त्ल न करें? आपने फ़रमाया: 'नहीं' जब तक कि वह नमाज़ पढ़ते रहें।' इमाम अबू दाऊद

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هِشَامٌ : " بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ " . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ

(रह.) ने कहाः अफ़ला नुक़ातिलुहुम? क्या हम उनसे क़िताल न करें?

(4760) तख़रीज : सही मुस्लिम; 1854.

نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ : " أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ " . قَالَ : " لاَ مَا صَلَّوْا" .

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ एक ऐसा अमल है कि उसकी पाबंदी इंसान के लिये बड़े से बड़े गुनाह से भी क़त्ल व क़िताल से रूकावट बन जाती है, सिवाए इसके कि मारूफ़ हुदूद का इरतेकाब करे। **(2)** और ऐसे उमरा (अमीर) जो नमाज़ पढ़ते हों उनके ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) जायज़ नहीं। नमाज़ तर्क कर दें तो मसला इख़्तिलाफ़ी है। **(3)** शरई मुन्करात (बुराइयाँ) और रइयत पर ज़ुल्म को आदमी क़ुव्वत से बदलने पर क़ादिर न हो तो ज़बान से या कम अज़ कम दिल से उनको बुरा कहना और जानना फ़र्ज़ है वरना ईमान नहीं। **(4)** ज़ालिमों के ज़ुल्म पर राज़ी रहना और उनका मददगार बनना दुनिया और आख़िरत की हलाकत का बाइस है।

(4761) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) ने नबी(ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया। आपने फ़रमाया: 'जिसने दिल से नापसन्द जाना और मकरूह समझा वह बरी हूआ और जिसने इंकार किया वह महफ़ूज़ रहा।' क़तादा (रह.) ने कहा: मक़सद ये है कि दिल से इंकार किया और दिल से बुरा जाना।

(4761) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस़: 8/158, पिछली हदीस़ देखें।

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ : " فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ " . قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ .

फ़ायदा : 'दिल से बुरा जानने' का मफ़हूम ये है कि ऐसे आदमी को अज़्म (इरादा) रखना चाहिए कि आज तो नहीं कल कलां जब मुमकिन हुआ इस बुराई का ख़ात्मा करके रहूँगा।

(4762) हज़रत अर्फ़जा (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'मेरी उम्मत में फ़ितने होंगे, फ़ितने और फ़ितने। चुनांचे जिसने चाहा कि मुसलमानों के मामले में तफ़्रक़ा डाल दे

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يَقُولُ : " سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

जबकि वह मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हों तो ऐसे को तलवार से क़त्ल कर देना, ख़्वाह कोई भी हो।'

(4762) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1852.

फ़ायदा : ये फ़ितना सबसे पहले उन्हीं लोगों ने डाला जिन्होंने हज़रत उस्मान (ﷺ) के ख़िलाफ़ बग़ावत की जो मुत्तफ़क़ अलैह ख़लीफ़-ए-राशिद थे। बाद में उन्हीं लोगों ने हज़रत अली (ﷺ) के ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) किया।

﴿31﴾ باب فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ

बाब : 31 ख़वारिज से क़िताल का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، : أَنَّ عَلِيًّا، ذَكَرَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ فَقَالَ : فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَّأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم . قَالَ قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ قَالَ : إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .

(4763) जनाब उबैदा सलमानी ने रिवायत किया कि सय्यदना अली (ﷺ) ने अहले नहरवान का तज़किरा किया और बताया कि उनमें एक आदमी होगा जिसका एक हाथ छोटा होगा या उसमें नुक़्स होगा या ऐसे होगा जैसे औरत का पिस्तान, अगर मुझे अन्देशा न हो कि तुम लोग ख़ूशी में आकर बहुत आगे बढ़ जाओगे तो मैं तुम्हें वह ज़रूर बता देता जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की ज़बानी उनसे क़िताल करने वाले के बारे में वादा फ़रमाया है। उबैदा कहते हैं मैंने हज़रत अली (ﷺ) से पूछा: क्या ये फ़रमान आपने नबी (ﷺ) से सुना था? फ़रमाया: हाँ, रब्बे काबा की क़सम!

(4763) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1066.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بَيْنَ : الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَقَالَتْ : يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا . فَقَالَ : " إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ " . قَالَ : فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ . فَقَالَ : " مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي " . قَالَ : فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - قَالَ - فَمَنَعَهُ . قَالَ : فَلَمَّا وَلَّى قَالَ : " إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ

(4764) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अली (ﷺ) ने नबी (ﷺ) की ख़िदमत में कुछ सोना भेजा जो अभी साफ़ नहीं किया गया था। आपने उसे अक़रअ बिन हाबिस हन्ज़ली मुजाशिई, उयय्ना बिन बद्र फ़ज़ारी, बनू नबहान के ज़ैद अल ख़ैल अत्ताई और बनू किलाब के अल्क़मा बिन उलासा आमिरी चार आदमियों में तक़सीम कर दिया। तो क़ुरैशियों और अन्सारियों को इस पर ग़ुस्सा आया और उन्होंने कहा: अहले नज्द के बड़ों को दे रहे हैं और हमें छोड़ रहे हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तो उनकी तालीफ़े क़ल्ब करना चाहता हूँ (ताकि इस्लाम में उनका दिल जम जाये)' तो इस अस्ना (बीच) में एक आदमी आया जिसकी आँखें गहरी (अंदर को धंसी हुई) थी रूख़सार उभरे हुए, पेशानी ऊपर को उठी हुई, दाढ़ी घनी और सर मुंडा हूआ था, कहने लगा: ऐ मुहम्मद! अल्लाह से डरो। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मैं ही अल्लाह की नाफ़रमानी करने लगूं तो कौन उसकी इताअत करेगा? अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल तो मुझे ज़मीन वालों के लिये अमीन बनाये हैं और तुम मुझे अमीन नहीं समझते हो?' रावी ने कहा: इस पर एक शख़्स ने पूछा: क्या मैं इसको क़त्ल कर दूं? मेरा ख़याल है वह ख़ालिद बिन वलीद थे। मगर आप (ﷺ) ने उसे रोक दिया। फिर जब वह कमर फेर कर चला गया तो आपने फ़रमाया: 'उस शख़्स की नस्ल

مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ قَتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ " .

में ऐसे लोग होंगे जो क़ुर्आन पढ़ेंगे मगर वह उनके हल्क़ों से नीचे नहीं उतरेगा, इस्लाम से ऐसे निकलेंगे जैसे तीर अपने शिकार से निकल जाता है ये लोग मुसलमान को क़त्ल करेंगे और बुतपरस्तों को छोड़ेंगे, अल्लाह की क़सम! अगर मैंने उनको पाया तो उन्हें क़ौमे आद की मानिन्द क़त्ल करूंगा।'

तख़रीज : बुख़ारी: 3344, व सही मुस्लिम: 1064.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) इन्तेहाई हलीम व सहनशीलता वाले थे और बे अदब व गुस्ताख़ लोगों से भी सर्फ़े नज़र कर जाते थे। चुनांचे हुक्मरान, क़ुज़ात (क़ाज़ी) और अस्हाबे मन्सब को भी चाहिए कि पहले जाहिलों की इस्लाह की कोशिश करें लेकिन अगर वह ऐलानिया फ़साद फैलाने लगें तो उनका ख़ात्मा करें।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، وَمُبَشِّرٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيَّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ - يَعْنِي الْوَلِيدَ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَىْءٍ، مَنْ

(4765) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत में इख़्तिलाफ़ व इफ़्तेराक़ आ जायेगा। एक क़ौम बातें बहुत अच्छी अच्छी करेगी मगर काम उनके बहुत बुरे होंगे। क़ुर्आन पढ़ते होंगे मगर वह उनकी हँसलियों से नीचे नहीं उतरेगा। वह दीन से ऐसे निकल जायेंगे जैसे तीर अपने हदफ़ (शिकार) से निकल जाता है। उनका हक़ की तरफ़ लौटना ऐसे ही मुहाल (असम्भव) होगा जैसे तीर का अपनी कमान पर वापस आना। वह इंसानों में और मख़्लूक़ात में सबसे बुरे होंगे। मुबारक हो ऐसे शख़्स को जो उन्हें क़त्ल करे और वह उसे क़त्ल करें। (शहादत पा जाये।) वह बज़ाहिर अल्लाह की किताब की तरफ़ बुलायेंगे मगर उनका कोई ताल्लुक़ इस किताब से नहीं

قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ : " التَّحْلِيقُ " .

होगा। जो उनसे क़िताल करेगा वह उनकी निस्बत अल्लाह तआला से बहुत क़रीब होगा।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उनकी अलामत क्या होगी? आपने फ़रमाया: 'सर मुंडाना'

(4765) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/224, हाकिम: 2/147, 148, पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन इसको सही क़रार देते हैं और उन्हीं की राय दुरूस्तगी के ज़्यादा करीब महसूस होती है। तफ़सील के लिये देखिये: (मुसनद अहमद: 21/51, 52, हदीस: 13338) **(2)** इंसान के क़ौल व अमल में टकराव होना ऐसी क़बीह बात है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इन्तेहाई ग़ज़ब और उसकी नाराज़ी का बाइस है। इरशादे बारी तआला है: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नज़दीक इन्तेहाई नापसन्द है कि तुम वह कहो जो करते नहीं।' (अस्सफ़: 3) **(3)** दीन की मनमानी ताबीर, फ़िस्क़ व फ़ुजूर और बिदआत और उनमें गुलू की नहूसत ये है कि इंसान तौबा और हक़ की तरफ़ लौटने की तौफ़ीक़ से महरूम कर दिया जाता है। इल्ला मर रहिमा रब्बी। (मगर अल्लाह जिस पर रहम कर दे) **(4)** दीन का वही फ़हम और वही ताबीर मक़बूल व मोतबर है जो जुम्हूर सहाब–ए–किराम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल की है। **(5)** ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन का फ़र्ज़ है कि दीन और मुसलमानों में फ़ितना और इन्तेशार पैदा करने वालों का ख़ात्मा करे और उनसे क़िताल करने वाले या उसमें शहीद हो जाने वाले लोग अफ़ज़ल लोग होते हैं। **(6)** सर के बाल बढ़ा कर रखना मुंडाने की निस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल है ताकि ऐसे लोगों से मुशाबिहत न रहे। वैसे मुंडाना भी जायज़ है। जैसा कि हज़रत अली (ﷺ) का मामूल था, अलबत्ता ख़्वारिज इसका इल्तेज़ाम करते थे और ये उनकी पहचान बन गई थी।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ : " سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ وَالتَّسْبِيدُ،

(4766) जनाब क़तादा ने हज़रत अनस (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द रिवायत किया है। इस रिवायत में है: 'उन (ख़्वारिज) की अलामत सर मुंडाना और बाल दूर करना है। जब तुम उन्हें पाओ तो उन्हें सिला (क़त्ल कर) देना।' इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: हदीस में

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : التَّسْبِيدُ اسْتِئْصَالُ الشَّعْرِ .

वारिद लफ़्ज़ (अत्तस्बीदु) के मानी हैं: (इस्तिअ़सा लुश्शअ़्रि) 'बालों को जड़ों से उखेड़ना या जड़ों से मूंडना।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 175, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ 18669, पिछली हदीस देखें: 4765.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(4767) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने कहा कि जब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस बयान करता हूं (तो उसमें कोई अधूरापन नहीं होता, बिल्कुल हक़ और साफ़ होती है) मुझे आसमान से गिरना, रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बोलने की निस्बत बहुत ज़्यादा पसन्द है और जब मैं तुमसे आपस की कोई बात करता हूं तो (याद रखो) लड़ाई चाल का नाम है (बहुत सी मसलिहतें मल्हूज़ रखनी ज़रूरी हैं इसलिए इन बातों को आ़म नहीं करना चाहिए) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमाते थे: 'आख़री ज़माने में लोग आयेंगे जो उ़मरों में नोजवान होंगे मगर बेअ़क़्ल। मख़लूक़ में सबसे अफ़ज़ल तरीन शख़्सीयत (रसूलुल्लाह) (ﷺ) की बातें करते होंगे मगर दीन से ऐसे गुज़र जायेंगे जैसे कि तीर अपने शिकार से निकल जाता है। उनका ईमान उनके हल्क़ों से नीचे नहीं उतरता होगा। तुम उनसे जहां भी मिलो, उन्हें क़त्ल कर देना। बिलाशुब्हा उनके क़त्ल में उनके क़ातिल के लिये क़यामत के रोज़ बहुत बड़ा अज्र होगा।'

(4767) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3611, सही मुस्लिम: 1066.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ، : أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ شَيْئًا وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم لَنَكَلُوا عَلَى الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ

(4768) ज़ैद बिन वहब जोहनी ने बयान किया कि वह हज़रत अ़ली (ﷺ) के साथ उस लश्कर में शरीक था जो ख़ारजियों की तरफ़ गया था। हज़रत अ़ली (ﷺ) ने फ़रमाया: लोगो! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो कुर्आन पढ़ते होंगे। तुम्हारी क़िराअत उनकी क़िराअत के मुक़ाबले में कुछ भी नहीं होगी, न तुम्हारी नमाज़ें उनकी नमाज़ों के मुक़ाबले में कुछ होंगी न तुम्हारे रोज़े उनके रोज़ों के मुक़ाबले में कुछ हैसियत रखते होंगे, वह कुर्आन पढ़ते होंगे और समझेंगे कि ये उनके हक़ में दलील और ताईद है, हालांकि वह उनके ख़िलाफ़ होगा। उनकी नमाज़ें उनकी हँसलियों से आगे नहीं बढ़ेंगी। इस्लाम से ऐसे गुज़र जायेंगे जैसे तीर अपने शिकार में से निकल जाता है।' अगर उस लश्कर को जो उन (ख़ारजियों) को क़त्ल करेगा उन फ़ज़ाइल का इल्म हो जाये जो अल्लाह ने उन के नबी (ﷺ) की ज़बानी उनके लिये मुक़द्दर फ़रमाई हैं तो वह उस पर तकिया कर लें और उन (ख़ारजियों) की निशानी ये है कि उनमें एक ऐसा आदमी होगा जिसकी कोहनी से ऊपर का बाज़ू तो होगा, कोहनी से नीचे कलाई नहीं होगी। ऊपर के बाज़ू का आख़िर पिस्तान की भटनी की तरह होगा। उस पर सफ़ेद बाल होंगे। क्या भला तुम लोग मुआविया और अहले शाम की तरफ़ जाना

أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ " . أَفَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلاَءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ . قَالَ : سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ : فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً مَنْزِلاً حَتَّى مَرَّ بِنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ قَالَ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ : أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا السُّيُوفَ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ قَالَ : فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَاسْتَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ - قَالَ - وَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ . قَالَ : وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ

चाहते हो और उन (ख़ारजियों) को अपनी औलादों और माल व असबाब में पीछे छोड़ देना चाहते हो? अल्लाह की क़सम! मुझे उम्मीद है कि यही वह लोग हैं। (जिन की ख़बर रसूल (ﷺ) ने दी) उन्होंने हराम ख़ून बहाया और लोगों के महफ़ूज़ इलाक़े (जान, इज़्ज़त, माल) लूटी। चुनांचे अल्लाह का नाम लेकर (उनके मुक़ाबले में) चलो। सलमा बिन कुहैल ने कहा कि ज़ैद बिन वहब मुझे मन्ज़िल ब मन्ज़िल लेकर चलते गये यहाँ तक कि हम एक पुल से गुज़रे, फिर बताया कि जब हम उनके मुक़ाबले हूए और ख़ारजियों का सरदार अब्दुल्लाह बिन वहब रास्बी था तो उसने अपने लोगों से कहा: नेज़े फ़ैंक दो और तलवारें अपनी म्यानों से निकाल लो। मुझे डर है कि ये तुमसे इसी तरह मुक़ाबला करेंगे जैसे हरूरा वाले दिन किया था। कहा: चुनांचे उन लोगों ने अपने नेज़े फ़ैंक दिये और तलवारें खींच लीं तो लोगों ने उनको अपने नेज़ों से छलनी करना शुरू कर दिया और उनको एक दूसरे के ऊपर क़त्ल किया। जबकि हज़रत अली(ﷺ) के लश्कर में से सिर्फ़ दो आदमी शहीद हूए। तो हज़रत अली ने कहा: तलाशी करो, उनमें एक लुन्जा होगा, मगर उन्हें न मिला। तो हज़रत अली (ﷺ) ख़ूद उठे यहाँ तक कि उन मय्यतों के पास आये जो एक दूसरे पर क़त्ल हूए थे। उन्होंने फ़रमाया: इन्हें निकालो। चुनांचे उन्होंने उसे

يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلاَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ فَلَمْ يَجِدُوا قَالَ : فَقَامَ عَلِيٌّ رضى الله عنه بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ فَكَبَّرَ وَقَالَ : صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ . فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِي وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ يَحْلِفُ .

पा लिया जो कि सबसे नीचे ज़मीन पर पड़ा था। हज़रत अली (ﷺ) ने अल्लाहु अकबर पुकारा और कहा: अल्लाह ने सच फ़रमाया और उसके रसूल ने पहुँचा दिया। पस जनाब उ़बैदा सलमानी उनकी तरफ़ खड़े हूए और कहा: ऐ अमीरूल मोमिनीन! क़सम उस अल्लाह की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या ये बयान आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था? उन्होंने फ़रमाया: हाँ अल्लाह की क़सम! जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने तीन बार क़सम दी और हज़रत अ़ली (ﷺ) ने भी तीन बार क़सम से जवाब दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इमाम मालिक ने फ़रमाया: ये इल्म की अहानत (तौहीन) है कि आ़लिम हर पूछने वाले का जवाब देने लगे।

(4768) तख़रीज : अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 1865, व स़ही मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो आ़माल ईमान व इख़्लास़ और तक़वा व सुन्नत के मुताबिक़ न हों, वह मिक़्दार (मात्रा) में ख़्वाह कितने ही क्यों न हों, अल्लाह के यहां उनकी कोई क़द्र नहीं। **(2)** आ़म सियासी मुख़ालिफ़ और दीनी दुश्मन मुक़ाबले में हों तो मुसलमान को अपनी नज़र दीनी दुश्मन पर रखनी चाहिए। **(3)** हज़रत अ़ली (ﷺ) वह ख़लीफ़ा–ए–राशिद थे जिन्होंने ख़ारजियों का ख़ात्मा करने में सर तोड़ कोशिश फ़रमाई। **(4)** इमाम मालिक के क़ौल का मतलब ये है कि जिस तरह हज़रत अ़ली (ﷺ) ने सबके सामने एक हक़ीक़त वाज़ेह करने के लिये बार बार क़सम के साथ जवाब दिया, ये ज़रूरत के मुताबिक़ था लेकिन उससे ये न समझ लिया जाये कि किसी आ़म सी बात को इस तरह कोई पूछे तो जवाब देना ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

(4769) अबू वज़ी ने बयान किया कि हज़रत अ़ली(ﷺ) ने फ़रमाया: उस लुन्जे को तलाश करो। और हदीस़ बयान की। चुनांचे उसे

मक़्तूलीन के नीचे से निकाल लिया गया जो कीचड़ में लत–पत पड़ा था। अबू वज़ी ने कहा: मैं गोया उसे देख रहा हूं, हब्शी आदमी था, उस पर क़बा थी, उसका एक हाथ ऐसे था जैसे औरत के पिस्तान पर भटनी। उस पर चंद बाल थे जैसे जंगली चूहे की दुम पर होते हैं।

(4769) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/139.

الْوَضِيءِ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اطْلُبُوا الْمُخْدَجَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى فِي طِينٍ، قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ قُرَيْطَقٌ لَهُ إِحْدَى يَدَيْنِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ شُعَيْرَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوعِ

(4770) अबू मरयम ने कहा: तहक़ीक़ ये लुन्जा आदमी उन दिनों हमारे साथ मस्जिद में होता था। दिन रात हम उसके साथ बैठते थे, फ़क़ीर आदमी था। मैंने उसे मिस्कीनों के साथ देखा जो हज़रत अली (ﷺ) के तआम में शरीक होता था, जो वह लोगों के साथ तनावुल करते थे। और मैंने उसको अपना ओवर कोट भी दिया था। अबू मरयम ने कहा: उस लुन्जे को नाफ़ेअ जुस्सुदया (पिस्तान वाला) कहा जाता था। उसके बाज़ू पर औरत के पिस्तान की तरह पिस्तान सा था और उसके सिरे पर भटनी भी थी। और उस पर बिल्ली की मूँछों की तरह कुछ बाल थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: लोगों में उसका नाम हरक़ूस मारूफ़ है।

(4770) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعَنَا يَوْمَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ نُجَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكَانَ فَقِيرًا وَرَأَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ النَّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُرْنُسًا لِي . قَالَ أَبُو مَرْيَمَ : وَكَانَ الْمُخْدَجُ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الثُّدَيَّةِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ السِّنَّوْرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ عِنْدَ النَّاسِ اسْمُهُ حَرْقُوسُ .

बाब : 32
चोर उचक्कों से क़िताल का बयान

﴿32﴾
باب فِي قِتَالِ اللُّصُوصِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4771) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) का बयान है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस किसी का माल नाहक़ तौर पर छीनने की कोशिश की गई और फिर उसने क़िताल किया और उसमें वह क़त्ल हो गया, तो वह शहीद है।'

(4771) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4093, तिर्मिज़ी, हदीस: 1419, 1420.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، - يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ الْهَاشِمِيَّ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4772) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त में क़त्ल हो जाये वह शहीद है। और जो अपने घर वालों की हिफ़ाज़त या ख़ून या दीन के दिफ़ा में क़त्ल हो जाये, वह शहीद है।'

(4772) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4099, 4100, मुस्नद अबी दाऊद, तयालिसी हदीस: 333, इब्ने माजा, हदीस: 2580, तिर्मिज़ी, हदीस: 1421.

फ़ायदा : चोर, उचक्के और डाकू जो इंसान के महज़ माल, जान या आबरू लूटने के दरपे हों तो उनसे दिफ़ा हक़ है। अगर क़त्ल हो जाये तो शहीद है और हमलावर आग में है। जान और इज़्ज़त व आबरू के मामले में तो कभी पस्पाई इख़्तियार नहीं की जा सकती, अलबत्ता माल के मामले में, जब

मुअस्सिर निज़ाम (सही सिस्टम) तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षित) और इन्साफ़ मौजूद न हो तो जायज़ है कि इंसान माल से दस्त बरदार होकर अपनी जान और आबरू महफ़ूज़ कर ले। और अगर हमलावर महज़ फ़ितना परवर हों कि माल या आबरू न चाहते हों, उनका मक़सद मुसलमानों में फ़ितना डालना और उसकी हिमायत और ताईद चाहना हो, और अपने किसी फ़रीक़ या हाकिम की ताईद या किसी की मुख़ालिफ़त का मुतालबा करते हों तो इस सूरत में ये रास्ता है कि इंसान किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार न उठाये बल्कि उसे कुंद कर ले और ख़ूद किसी गिरोह के साथ शामिल होकर फ़ितने में इज़ाफ़े का सबब न बने और इस तरह अगर जान भी चली जाये तो कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब!

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हमें अब्दुल्लाह बिन कुरैश बुख़ारी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने नुऐम बिन हम्माद से सुना, वह कहते थे कि फ़िरक़ा मोतज़ला के लोग नबी (ﷺ) की तक़रीबन दो हज़ार हदीसें रद्द करते हैं।

फ़ायदा : मोतज़ला और जहमिया मारूफ़ गुमराह फ़िर्के हैं। अस्मा-ए-इलाहिया और सिफ़ाते बारी तआला के मसला में इनका मस्लक ऐतदाल और अहले सुन्नत वलजमाअत से मुख़्तलिफ़ है। जहमिया अस्मा व सिफ़ात के मुन्किर हैं। मोतज़ला अस्मा का इक़रार, लेकिन सिफ़ात का इंकार करते हैं। या अपनी अपनी अक़्ल को मैयार मुक़र्रर करके बातिल तावीलात करते हैं। इस तरह आयाते क़ुर्आनिया के अलावा तक़रीबन दो हज़ार अहादीस़ के मुन्किर हैं। (इनके अक़ाइद व नज़रियात से आगाही के लिये मुराजआ हो: फ़तावा इब्ने तैमिया और मक़ालातुल इस्लामिय्यीन लिश्शैख़ अबी अलहसन अशअरी) इससे ये बात वाज़ेह हूई कि मुन्किरे हदीस़ होने के लिये ये ज़रूरी नहीं कि वह सब अहादीस़ का इंकार करे, बल्कि मुन्किरे हदीस़ होने का मतलब ये है कि वह जिस हदीस़ को चाहे, क़बूल कर ले और जिसे चाहे रद्द कर दे। यही वजह है कि कोई भी हदीस़ का मुन्किर मुकम्मल तौर पर हदीस़ का इंकार नहीं करता, बल्कि सब हदीस़ को मानने का दावा करते हैं, लेकिन जिस हदीस़ को चाहते हैं, उसका इंकार कर देते हैं। नक़द व तहक़ीक़ के मोहद्दिस़ाना उसूल की बजाये अपने मन माने तरीक़े से अहादीस़ का रद्द व क़बूल, इसी का नाम इंकारे हदीस़ है। सर सय्यद से लेकर अमीन अहसन इस्लाही और ग़ामदी तक, सब इसी मानी के ऐतबार से हदीस़ के मुन्किर हैं और वह बजा तौर पर इस लक़ब के मुस्तहिक़ हैं।

जनाब औफ़ बिन मालिक (रह.) से मरवी है, उन्होंने कहा: मैंने हज्जाज (बिन यूसुफ़) को सुना, वह ख़ुत्बा देते हूए कह रहा था कि हज़रत उ़स्मान (ﷺ) की मिसाल अल्लाह के यहां ईसा इब्ने मरयम अलैहि. की मानिन्द है। फिर उसने ये आयत पढ़ी: (इज क़ालल्लाहु या ईसा ... कफ़रू) 'और जब अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया: ऐ ईसा! मैं तुझे पूरा (जिस्म व जान समेत) अपने पास लाने वाला हूं, तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूं और तुझे काफ़िरों से पाक करने वाला हूं।' फिर उसकी तफ़्सीर करते हूए वह अपने हाथ से हमारी और अहले शाम की तरफ़ इशारा करता था।

फ़वाइद व मसाइल : (1) जनाब औफ़ बिन मालिक बिन नज़ला (रह.) एक जलीलुल क़द्र ताबेई हैं जिनको ख़वारिज ने हज्जाज के विलायते एराक़ के ज़माने में क़त्ल किया था। (2) हज्जाज ने सय्यदना उ़स्मान (ﷺ) की हिमायत में इन्तेहाई ग़ुलू से काम लेते हूए उन्हें सय्यदना ईसा अ़लेहि.से तशबीह दी जो किसी तरह जायज़ नहीं। इस तरह उसने ग़ालिबन अहले शाम को इशारतन काफ़िर कहा और ये भी इन्तेहाई नाजायज़ बात थी। वल्लाहू आलम

जनाब वहब बिन मुनब्बेह अपने भाई हम्माम बिन मुनब्बेह के वास्ते से हज़रत मुआविया (ﷺ) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि सिफ़ारिश करो अज्र पाओगे, बिलाशुब्हा मैं किसी मामले का इरादा करता हूं तो उसे टालता रहता हूं ताकि तुम सिफ़ारिश करो और स़वाब के मुस्तहिक़ बनो। इसलिए कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'सिफ़ारिश किया करो अज्र पाओगे।'

जनाब अबू मअ़मर अपनी सनद से बवास्ता हज़रत अबू मूसा (ﷺ) नबी (ﷺ) से इसके मिस्ल रिवायत करते हैं।

फ़ायदा : इंसान को अल्लाह तआ़ला ने 'साहिबे इरादा' बनाया है। मगर इंसान मख़्लूक़ है तो उसका इरादा भी मख़्लूक़ है। इसी तरह उसके सब आ़माल मख़्लूक़, हादिस, फ़ानी और आ़रज़ी हैं। इंसान अपने आ़माल का महज़ कमाने वाला (मुर्तकिब) होता है। इनका ख़ालिक़ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल है। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के कुछ अस्मा व सिफ़ात में से कुछ अल्फ़ाज़ बंदों के लिये भी इस्तेमाल किये जाते हैं जो सिर्फ़ लुग़वी लिहाज़ से मुश्तरक (एक जैसे) इस्तेमाल होते हैं, वह हक़ीक़ी मानी के ऐतबार से अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के अस्मा व सिफ़ात हैं: (लैसा कमिस्लिही शैउन) (अश्शूरा: 11) और इंसान और उनके सभी आ़माल मख़्लूक़, हादिस, फ़ानी और आ़रज़ी हैं। हर साहिबे ईमान को इस फ़र्क़ से आगाह रहना चाहिए।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, वह फ़रमाते थे: अ़फ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि यहया बिन सईद अलक़त्तान, हम्माम बिन यहया से रिवायत नहीं करते थे।

इमाम अहमद (रह.) ने कहा: अ़फ़्फ़ान (बिन मुस्लिम ने बताया कि जब मुआ़ज़ बिन हिशाम (दस्तवाई) ने और अहादीस बयान कीं, जिनसे हम्माम की मर्वियात की ताईद हूई (तो यहया बिन सईद ने उनके बारे में अपनी राय बदल ली) चुनांचे इसके बाद यहया यूँ पूछा करते थे: हम्माम ने इस बारे में क्या कहा है?

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद (रह.) से सुना, वह कहते थे कि अ़फ़्फ़ान और उनके साथियों का हम्माम से सिमाअ़ अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी के (हम्माम से) सिमाअ़ से बहुत बेहतर है। (और अ़फ़्फ़ान सिमाअ़ के बाद) किताबों का मुराजआ़ करते रहते थे।

हज़रत हुसैन बिन अली (ﷺ) से मरवी है कि अफ़्फ़ान ने इन्शाअल्लाह हमें बताया कि मुझे हम्माम बिन यहया ने कहा: मैं ग़लती करता रहा कि मुराजआ (दोबारा तहकीक) नहीं करता था और इस बात पर अल्लाह तआला से इस्तिग़फ़ार करता हूं।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि मैंने अली बिन अब्दुल्लाह (अलमदीनी) से सुना, वह कहते थे; अपनी सिमाअ करदा अहादीस़ से बख़ूबी आगाह होने और उनके मुराजआ में शोबा सबसे बढ़ कर हैं और रिवायत करने में सबसे उम्दा हिशाम (दस्तवाई) और हिफ़्ज़ में सईद बिन अबी अरूबा सबसे बढ़कर हैं।

फ़ायदा : मुराजआ का मतलब है, लिखे हूए रजिस्टरों को देखना, यानी रावियाने हदीस़ उस्ताद से हदीसें सुनकर उन्हें लिख लिया करते थे, फिर जिनका हाफ़िज़ा क़वी होता था, वह बग़ैर देखे भी अपने हाफ़िज़े की बुनियाद ही पर अहादीस़ बयान कर देते थे, लेकिन जो हिफ़्ज़ व ज़ब्त में कमज़ोर होते, तो वह मुराजआ करके यानी लिखी हूई हदीसों को दोबारा देखने के बाद बयान करते थे, ताकि ग़लती का इम्कान न रहे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने ये बात इमाम अहमद (रह.) के सामने ज़िक्र की तो उन्होंने कहा कि सईद बिन अबी अरूबा ने हिशाम (दस्तवाई) के बारे में जो कुछ कहा है वह सब (उसके बेटे) मुआज़ बिन हिशाम से बयान करते हैं। और हिशाम का सईद से क्या मुक़ाबला, अगर वह इससे मुवाज़ना किया भी जाये!

फ़ायदा : इन रिजाल के मुताल्लिक़ तफ़्सीलात मुतव्वलात में मुलाहिज़ा हों। तहजीबुत्तहज़ीब और सियरू आलामिन्नुबला वग़ैरह। कुल मिलाकर ये सभी हज़रात इन्तेहाई सिक़ा और सबत थे, अलबत्ता हर एक साहिबे कमाल से ज़्यादा कमाल भी कोई होता है। (रह.)

كتاب الأدب

इस्लामी आदाब की अहमियत व फ़ज़ीलत

अदब के लुग़वी और इस्तेलाही मानी : लुग़त में 'अदब' से मुराद हैं अख़्लाक़ 'अच्छा तरीक़ा' शाइस्तगी सलीक़ा शेआरी और तहज़ीब। इस्तेलाह में अदब की तारीफ़ यूँ की गई है: (अलअदबु: हुवस्तिअ्मालु मा युह्मदु कौलन व फ़ेअलन) 'क़ाबिले सताइश (तारीफ़) क़ौल व फ़ैअल को अपनाना अदब है।'

इस्लामी तालीमात के रोशन अबवाब पर एक तायराना (सरसरी) नज़र डाली जाये तो ये हक़ीक़त पूरी तरह अयां हो जाती है कि इस्लाम का निज़ामे अदब व तर्बीयत निहायत शानदार है। दुनिया का कोई भी मज़हब या तहज़ीब इसका मुक़ाबला करने से क़ासिर है। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को ज़िन्दगी के हर शौबे में सलीक़ा शेआरी और मुहज़्ज़ब अन्दाज़ अपनाने के लिये ख़ूबसूरत आदाब की तालीम दी है। इन आदाब को अपनी ज़िन्दगी में हम सफ़र बना कर ही मुसलमान दुनिया व आख़िरत में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया व आख़िरत की कामयाबी व कामरानी दीन से वाबस्तगी के साथ मुमकिन है और दीने हनीफ़ सरापा अदब है।

हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं: 'दीने (मुहम्मदी) सरापा अदब है।' (मदारिजुस सालिकीन: 2/363)

इस्लामी आदाब की अहमियत के पेशे नज़र इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) फ़रमाते हैं: 'हमें बहुत ज़्यादा इल्म की बजाये थोड़े से अदब की ज़्यादा ज़रूरत है।' (मदारिजुस सालिकीन: 2/356)

अल्लाह तआला ने मोमिनों को आग से बचने और अपनी औलाद को बचाने का हुक्म दिया है, इरशादे बारी तआला है: 'ऐ ईमान वालो! अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ।' (अत्तहरीम:6)

हज़रत अली (ﷺ) इसकी तफ़्सीर करते हूए फ़रमाते हैं: 'अपने घर वालों को इस्लामी आदाब सिखाओ और इस्लामी तालीमात दो।' (तफ़्सीर इब्ने कसीर, तफ़्सीर सूरह तहरीम, आयत: 6)

अदब की अहमियत वाज़ेह करते हूए जनाब यूसुफ़ बिन हुसैन (रह.) फ़रमाते हैं: 'अदब ही के साथ इल्म की फ़हम व फ़रासत मिलती है और इल्म ही के साथ आमाल दुरूस्त होते हैं और हिकमत का हुसूल आमाल पर मुन्हसिर है, जबकि ज़ुहद व तक़वा की बुनियाद भी हिकमत ही पर है, दुनिया से बे रग़बती जुह्द व तक़वा ही से हासिल होती है और दुनिया से बे'रग़बती आख़िरत से दिलचस्पी की चाबी है और आख़िरत की सआदत के ज़ौक़ व शौक़ ही से अल्लाह तआला के यहां रूत्बे मिलते हैं।

अलग़र्ज़ आदाब मुसलमान की ज़िन्दगी का लाज़मी जुज़ (हिस्सा) हैं और ये उसकी ज़िन्दगी की तमाम सरगर्मीयों पर हावी हैं, जैसे: (1) आदाबे इलाही, (2) आदाबे रसूल मक़बूल (ﷺ), (3) आदाबे कुर्आन हकीम, (4) आदाबे हुक़ूकुल इबाद, (5) आदाबे सफ़र व हज़र, (6) आदाबे तिजारत, (7) आदाबे तालीम व तअल्लुम, (8) खाने पीने के आदाब, (9) आदाबे मज्लिस व महफ़िल, (10) आदाबे लिबास, (11) आदाबे नींद, (12) आदाबे मेहमान नवाज़ी, (13) आदाबे वालिदैन व उस्ताद, (14) आदाबे सियासत व हुक्मरानी वग़ैरह। इन आदाबे ज़िन्दगी को अपनाना दुनिया व आख़िरत की सआदत का बाइस है, जबकि इन आदाब से बेरूख़ी दर हक़ीक़त अस़ल महरूमी और बद नसीबी है। अल्लाह तआला हमें इस्लामी आदाब अपनाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाये। आमीन!

كتاب الأدب

आदाब व अख़्लाक़ का बयान

﴿1﴾ بابٌ فِي الْحِلْمِ وَأَخْلَاقِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब : 1 नबी (ﷺ) के हिल्म और अख़्लाक़ का बयान

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ - قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ

(4773) हज़रत अनस (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों में से सबसे बढ़ कर उम्दा अख़्लाक़ के मालिक थे। आपने एक रोज़ मुझे किसी काम के लिये भेजा, मैंने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَذْهَبُ . وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَابِضٌ بِقَفَاىَ مِنْ وَرَائِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ " يَا أُنَيْسُ اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ " . قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَىْءٍ صَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا . وَلاَ لِشَىْءٍ تَرَكْتُ هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا .

नबी (ﷺ) ने जो भी फ़रमाया है मैं उसके लिये जाऊंगा। कहते हैं: पस मैं निकला यहाँ तक कि बच्चों के पास से मेरा गुज़र हूआ जो बाज़ार में खेल रहे थे। तो अचानक (क्या देखता हूं कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे मेरे पीछे से मेरी गुद्दी पकड़े हूए थे। फ़रमाया: 'अनस! उधर जाओ जहां का मैंने तुम्हें कहा है।' मैंने अर्ज़ किया: हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! जा रहा हूं। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा: क़सम अल्लाह की! मैंने सात साल आपकी ख़िदमत की है या नो साल, मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे किसी काम पर जो मैंने किया हो, कभी यूँ कहा हो: 'तूने ऐसे क्यूँ किया?' या कोई काम जो मैंने छोड़ दिया हो, तो कहा हो कि 'ऐसे ऐसे क्यूँ नहीं किया?'

(4773) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2310.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) हिल्म और अख़्लाक़े हसना की शानदार तस्वीर थे और बच्चों की नफ़्सीयात से ख़ूब आगाह थे। नीज़ हज़रत अनस (रज़ि.) ने भी कभी नबी–ए–करीम (ﷺ) को कोई ऐसा मौक़ा नहीं दिया था जो आपके ज़ौक़ और मिज़ाज के लिये गिरानी का बाइस बनता।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلاَمٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فِيهَا أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هَذَا أَوْ أَلاَّ فَعَلْتَ هَذَا .

(4774) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) की मदीना मूनव्वरा में दस साल तक ख़िदमत की जबकि मैं एक नो उम्र लड़का था। मेरे सब काम इस मैयार के नहीं होते थे जैसे मेरे हबीब (ﷺ) की ख़्वाहिश होती थी। (इसके बावजूद) आपने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा और न यूँ कहा: तूने ये क्यूँ किया? और इस तरह क्यूँ नहीं किया?

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/195,

बुख़ारी, हदीस़: 6038, व सही मुस्लिम: 2309.

फ़ायदा : कुछ नोख़ैज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको उनके कामों में हौसला और ऐतमाद दिया जाये तो इस तरह उनकी अ़मली ज़िन्दगी इन्तेहाई कामयाब रहती है। ताहम सारे बच्चे इस तरह ज़हीन ही होते हैं, न ज़्यादा समझदार ही, उनको आदाब सिखाने के लिये कुछ न कुछ सरज़निश भी करनी पड़ती है। हज़रत अनस (ﷺ) बड़े ज़हीन क़िस्म के बच्चे थे, वह बच्चा होने के बावजूद रसूलुल्लाह (ﷺ) को शिकायत का मौक़ा नहीं देते थे और नबी–ए–करीम (ﷺ) तो थे ही सरापा शफ़क़त और मुजस्समे रहमत। आपने हज़रत अनस (ﷺ) से हमेशा शफ़्क़त व प्यार वाला मामला ही किया।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ، سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حِينَ قَامَ فَنَظَرْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِدَاءً خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَىَّ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لاَ تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلاَ مِنْ مَالِ أَبِيكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لاَ أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي جَبَذْتَنِي " . فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لاَ أُقِيدُكَهَا .

(4775) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे साथ मस्जिद में बैठा करते थे और बातें करते रहते थे। जब आप उठते तो हम भी खड़े हो जाते, यहाँ तक कि हम देखते कि आप अपनी किसी अहलिया के घर में दाख़िल हो गये हैं। चुनांचे आप एक दिन हमारे साथ बातें करते रहे जब आप उठे तो हम भी उठ खड़े हूए। फिर हमने देखा कि एक बदवी ने आपको जा लिया और आपकी चादर पकड़ कर खींचने लगा यहाँ तक कि आपकी गर्दन सुर्ख़ हो गई। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि चादर भी बड़ी खुरदरी थी। आप उसकी तरफ़ मुतवज्जा हूए तो उस आ़राबी ने आपसे कहा: मुझे मेरे ये दो ऊँट ला दें। बिलाशुब्हा आप मुझे कोई अपने ज़ाती माल से नहीं देंगे और न अपने बाप के माल से देंगे। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूं। नहीं, मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूं और मैं तुझे उस वक़्त तक नहीं दे सकता जब तक मुझे छोड़ न दो जो ये तुमने

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَجُلاً فَقَالَ لَهُ " احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى الآخَرِ تَمْرًا " . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ " انْصَرِفُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى " .

मुझे पकड़ा हूआ है।' और वह बदवी हर बार आपसे यही कहता था: अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा। और रावी ने पूरी हदीस़ ज़िक्र की। फिर आप (ﷺ) ने एक शख़्स़ को बुलाया और उससे कहा: 'इसको इसके ये दोनों ऊँट ला दो, एक पर जौ और एक पर खजूर।' फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'तुम लोग जाओ, तुम पर अल्लाह की बरकतें हों।'

(4775) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 4780.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर हज़रत अनस (ﷺ) से स़हीहैन में इससे क़रीब क़रीब एक दूसरा वाक़िया रिवायत किया गया है। देखिये: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 6088) इस क़िस्म के वाक़ियात में रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुतहम्मिल (बर्दाश्त करने वाला) मिज़ाज होने और दुरूस्त तबीअ़त लोगों से भी नर्म अन्दाज़ में मामला करने का बयान है।

﴿2﴾ بَابٌ فِي الْوَقَارِ

बाब : 2
बा'इज्ज़त होकर रहने का बयान

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " .

(4776) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नेक चलन, उ़म्दा किरदार और मियाना रवी नबूवत का पच्चीसवाँ हिस्सा है।'

(4776) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/296, तिर्मिज़ी, हदीस़: 2010.

फ़ायदा : ये वह अ़ज़ीम और अहम अ़मल है जिनसे अम्बिया अ़लैहि. मौसूफ़ रहे हैं और अपनी

उम्मतों को इनके इख़्तियार करने की दावत देते रहे हैं।

बाब : 3
गुस्सा पी जाने का बयान

﴿3﴾ باب مَنْ كَظَمَ غَيْظًا

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ .

(4777) जनाब सहल बिन मुआज़ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स गुस्सा पी जाये जबकि वह उस पर अमल करने की क़ुदरत रखता हो तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन बर सरे मख़्लूक़ बुलायेगा और उसे इख़्तियार देगा कि जन्नत की हूरऐन में से जिसे चाहे मुन्तख़ब (चुन) कर ले।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद के रावी अबू मरहूम का नाम अब्दुर्रहमान बिन मैमून है।

(4777) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 4186, तिर्मिज़ी, हदीस: 2021.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने (वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास) (आले इमरान: 134) के अल्फ़ाज़ से गुस्सा पी जाने को अहले ईमान की अहम सिफ़ात में से शुमार किया है।

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ بِشْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِيهِ قَالَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ " مَلأَهُ اللَّهُ أَمْنًا

(4778) अस्हाबे नबी (ﷺ) में से किसी के बेटे ने अपने वालिद से बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया। कहा: 'अल्लाह उसे अमन और ईमान से भर देगा।' मगर उसमें ये नहीं: 'अल्लाह उसे बुलायेगा।' मज़ीद कहा: 'जिस शख़्स ने ज़ीनत और जमाल वाला लिबास तर्क किया हालांकि वह उसकी इस्तेताअत रखता हो ... 'बिश्र बिन

وَإِيمَانًا " . لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ " دَعَاهُ اللَّهُ " . زَادَ " وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ " . قَالَ بِشْرٌ أَحْسِبُهُ قَالَ " تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ تَعَالَى تَوَّجَهُ اللَّهُ تَاجَ الْمُلْكِ " .

मन्सूर ने कहा मेरा ख़्याल है कि आपने फ़रमाया ... ' वह उसने तवाज़ोअ की वजह से छोड़ा हो तो अल्लाह उसे इज़्ज़त और करामत का जोड़ा पहनायेगा। और जिसने अल्लाह की रज़ा के लिये निकाह कर दिया हो तो अल्लाह उसे ताज शाही पहनायेगा।'

(4778) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी शोबुल ईमान, हदीस़: 8304.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ " . قَالُوا الَّذِي لاَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ . قَالَ " لاَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " .

(4779) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम लोग ज़बरदस्त पहलवान (बहुत ज़्यादा पछाड़ने वाला) किसे कहते हो?' सहाबा ने कहा: जिसे लोग पछाड़ न सकें। आपने फ़रमाया: 'नहीं, पहलवान वह है जो गुस्से की हालत में अपने आपको क़ाबू में रखे।'

(4779) तख़रीज : मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 8/344, व सही मुस्लिम: 2608.

﴿4﴾ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ

बाब : 4
... गुस्सा आये तो क्या कहा जाये?

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ

(4780) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) का बयान है कि दो आदमी नबी (ﷺ) के सामने एक दूसरे को गालियाँ देने लगे। उनमें एक इस क़द्र ग़ज़बनाक हो गया कि मैंने समझा कि

بْنِ جَبَلٍ، قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ أَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ مِنَ الْغَضَبِ " . فَقَالَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " . قَالَ فَجَعَلَ مُعَاذٌ يَأْمُرُهُ فَأَبَى وَمَحِكَ وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَبًا .

इन्तेहाई गुस्से से उसकी नाक ही चिर जायेगी। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मुझे एक कलिमा मालूम है, अगर ये कह ले तो इसका ये गुस्सा दूर हो जाये।' (मुआज (ؓ) ने) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्या है? आपने फ़रमाया: 'यूँ कह ले: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनश्शैतानिर्रजीम) 'ऐ अल्लाह! मैं शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ।' चुनांचे हज़रत मुआज (ؓ) उस शख़्स से कहने लगे कि ये कलिमा पढ़ ले मगर उसने इंकार कर दिया बल्कि और लड़ने लगा और गुस्सा होने लगा।

(4780) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 3452, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10223.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " . فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ

(4781) जनाब सलमान बिन सुरद (ؓ) से रिवायत है कि दो आदमी नबी (ﷺ) के सामने एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे यहाँ तक कि एक की आँखें सुर्ख़ हो गयी और गले की रगें फूल गयी। तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे एक कलिमा मालूम है, अगर ये शख़्स वह कलिमा कह ले तो उससे ये कैफ़ियत दूर हो जायेगी। (और वह कलिमा ये है:) (अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रज़ीम) 'मैं शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह में आता हूँ।' मगर वह आदमी कहने लगा: क्या तुम समझते हो कि मैं मजनून हूँ?

तख़रीज : बुख़ारी, 2382, व सही मुस्लिम: 2610.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शरई ग़ैरत के अलावा बे इन्तेहा गुस्सा शैतानी असर होता है और उसका

इलाज तअव्वूज़ (अऊज़ुबिल्लाह) है। बशर्ते कि बंदा इस हक़ीक़त की जानकारी रखता हो। **(2)** ग़ैर शरई गुस्से की एक नहूसत ये भी है कि इंसान हक़ क़बूल नहीं करता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا " إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ " .

(4782) हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (ﷺ) से रिवायत है, कहा: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को गुस्सा आये और वह खड़ा हूआ हो, तो बैठ जाये, इस तरह अगर उसका गुस्सा ख़त्म हो जाये (तो बेहतर) वरना लेट जाये।'

(4782) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8284, बग़वी शरहुस्सुन्नह, हदीस: 3584, मुसनद अहमद: 5/152, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1973.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا ذَرٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ

(4783) जनाब बक्र (बिन अब्दुल्लाह) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) को (किसी काम से) भेजा और ये हदीस बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस (बावजूद ये कि मुर्सल है) सही तर है।

तख़रीज:(सनद सही)बैहक़ी:8284,पिछली हदीस देखें

फ़ायदा : गुस्सा आ जाने की सूरत में आदमी को चाहिए कि हर तरह से पुरसुकून रहने की कोशिश करे और अपनी हेयत को बदल ले। और वुज़ू कर लेना बेहतरीन हल है जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है।

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ الْقَاصُّ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّعْدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ

(4784) अबू वाइल अलक़ास (वाइज़) कहते हैं कि हम जनाब उर्वा बिन मुहम्मद सअदी (रह.) के यहां गये। एक आदमी ने उनसे कोई बात की तो उन्हें गुस्सा आ गया, तो वह उठे और वुज़ू किया फिर (वुज़ू करके) वापस आये और बयान किया कि मुझे मेरे वालिद ने मेरे दादा अतिया(ﷺ) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है:

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

'बिलाशुब्हा गुस्सा शैतान की तरफ़ से होता है और शैतान को आग से पैदा किया गया है और आग को पानी से बुझाया जाता है। सो जब तुममें से किसी को गुस्सा आ जाये तो उसे चाहिए कि वह वुज़ू कर ले।'

(4784) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/226, हाकिम: 4/327, 328.

﴾5﴿ باب فِي الْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ فِي الأَمْرِ

बाब : 5 अफ़्वो दरगुज़र (माफ़ करने) का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا .

(4785) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब भी दो कामों में से किसी का इख़्तियार दिया गया तो आपने हमेशा आसान ही को इख़्तियार फ़रमाया बशर्ते कि वह गुनाह न होता। अगर उसमें गुनाह होता तो आप सबसे बढ़ कर उससे दूर होने वाले होते थे। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी अपनी ज़ात के लिये इन्तेक़ाम नहीं लिया, सिवाए इसके कि अल्लाह की हुरमतों की पामाली होती हो, तो उसमें अल्लाह के लिये इन्तेक़ाम लेते थे।

(4785) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6126, मौता: 2/902, 903, व सही मुस्लिम: 2327.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मामलात दीन के हों या दुनिया के, बंदे को चाहिए कि आसान जानिब इख़्तियार करे और फिर इख़्लास और पाबंदी के साथ उस पर अमल पैरा रहे। ये उससे ज़्यादा अफ़ज़ल

है कि पुर मशक़्क़त अमल एक दो बार करके छोड़ दिया जाये। **(2)** इंसान अपनी ज़ात के लिये इन्तेक़ाम से बालातर हो जाये तो उसमें बड़ी फ़ज़ीलत है। (अपने लिये बदला न लेना फ़ज़ीलत की बात है) **(3)** अल्लाह की हुरमतों की पामाली पर अल्लाह के लिये ग़ज़बनाक होना ईमान का हिस्सा है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَادِمًا وَلاَ امْرَأَةً قَطُّ .

(4786) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﵱ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी किसी ख़ादिम या औरत को नहीं मारा।

(4786) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/232, व सही मुस्लिम: 2328.

फ़ायदा : अफ़ज़लीयत इसमें है कि अपने ज़ेरे दस्त (अपने पास काम करने वाले) को जिस्मानी सज़ा न दी जाये और जहां तक हो सके ज़बानी फ़हमाइश (डाँट डपट) से काम लिया जाये। ताहम अगर कोई ज़बानी नसीहत या रवय्ये को न समझता हो तो मुनासिब सज़ा देनी जायज़ है। जैसे बात न मानने वाली बीवी के सिलसिले में क़ुर्आन मजीद में इरशादे इलाही है: 'और जिनकी बदख़ूई का तुम्हें अन्देशा हो तो उन्हें समझाओ, बिस्तरों से अलग कर दो और मारो।' (अन्निसा: 34)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - فِي قَوْلِهِ { خُذِ الْعَفْوَ } قَالَ أُمِرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ .

(4787) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (﵁) से रिवायत है। अल्लाह के फ़रमान: (ख़ुज़िल अफ़्वा) 'माफ़ करना अपनाये' की तफ़्सीर में उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के नबी (ﷺ) को हुक्म दिया गया था कि लोगों की आदात व मामलात में उनके साथ माफ़ी का रवैया इख़्तियार करें।

(4787) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4644.

फ़ायदा : 'माफ़ी और दरगुज़र' इन्तेहाई हिम्मत का अमल है कि इंसान दिल से दूसरे को माफ़ कर दे और मामले को भूल जाये। कमज़ोर ईमान व अमल के आदमी से ऐसे होना बहुत कम होता है, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी (ﷺ) को इसका ख़ास हुक्म इरशाद फ़रमाया।

बाब : 6
आपसी मामलात में हुस्ने अख़्लाक़ का बयान

﴾6﴿ باب فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ

(4788) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) को जब किसी के मुताल्लिक़ कोई (नामुनासिब) ख़बर मिलती तो यूँ न कहते: फ़लां को क्या हूआ है कि यूँ कहता है या करता है? बल्कि यूँ फ़रमाते: 'लोगों को क्या हूआ है कि ऐसे ऐसे कहते हैं या करते हैं।

(4788) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6101, व सही मुस्लिम: 2356.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، - يَعْنِي الْحِمَّانِيَّ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّىْءُ لَمْ يَقُلْ مَا بَالُ فُلاَنٍ يَقُولُ وَلَكِنْ يَقُولُ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا "

फ़ायदा : नसीहत का पहला और उम्दा तरीन अदब यही है कि इशारे और किनाये से बात हो और ऐसे ही ख़तीब को भी किसी फ़र्द की बसराहत निशानदेही से बचना चाहिए।

(4789) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) के पास आया जबकि उस पर ज़र्द रंग का कुछ निशान था। और रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी शख़्स को उसके मुँह पर बहुत कम ऐसी बात कहते थे जो उसको नागवार हो। (यानी उसकी ग़लती पर उसको न टोकते थे।) जब वह चला गया तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम ही उसको कह दो कि इस (रंग) को धो डाले (तो बेहतर हो।)'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इसका रावी 'सलीम अलवी' हक़ीक़त में औलादे अली में से नहीं (ये दूसरा शख़्स है। इसका नाम सलीम बिन

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجْهِهِ بِشَىْءٍ يَكْرَهُهُ - فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَلْمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُومِ وَشَهِدَ عِنْدَ

عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ .

क़ैस है और ये बस़री है चूंकि सितारे ऊपर होते हैं) सितारों पर नज़र रखने की वजह से उसे अ़लवी कहा जाने लगा। उसने हज़रत अ़दी बिन अरतात के सामने चाँद देखने की गवाही दी तो उन्होंने क़बूल न की।
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 4182 में देखें।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَاهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ " .

(4790) नस़र बिन अ़ली और मुहम्मद बिन मुतवक्किल अ़स्क़लानी दोनों हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से मरफ़ूअ़न रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन भोला भाला और सख़ी होता है और फ़ाजिर आदमी फ़रेबी और बख़ील होता है।
(4790) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1964, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 4/202.

फ़ायदा : कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ " . أَوْ " بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ " . ثُمَّ قَالَ " ائْذَنُوا لَهُ " . فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ . قَالَ " إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ

(4791) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा(ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) के यहां आने की इजाज़त तलब की तो आपने फ़रमाया: 'कहने का बहुत बुरा आदमी है।' फिर फ़रमाया: 'उसे इजाज़त दे दो (बुलाओ)' जब वह अंदर आ गया तो आपने उसके साथ निहायत नर्मी के साथ बातें कीं। सय्यदा आ़यशा (ﷺ) (कहती हैं) मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने उसके साथ बड़ी नर्मी के साथ बातें की हैं, हालांकि आपने उसके मुताल्लिक़ ऐसे ऐसे फ़रमाया था।

مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ - أَوْ تَرَكَهُ - النَّاسُ لاِتِّقَاءِ فُحْشِهِ ".

आपने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन अल्लाह के यहां सबसे बुरा वह आदमी होगा जिसे लोगों ने उसकी बदकलामी की वजह से छोड़ दिया हो।'

तख़रीज : बुख़ारी: 6054, व सही मुस्लिम: 2591.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً، اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ " . فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَلَّمَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا اسْتَأْذَنَ قُلْتَ " بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ " . فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ . فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ " .

(4792) सय्यदना आयशा (ﷺ) से रिवायत है, एक शख़्स ने नबी (ﷺ) के यहां आने की इजाज़त चाही तो आपने फ़रमाया: 'कुम्बे का बहुत बुरा आदमी है।' फिर जब वह आपके पास आ गया तो आपने उसके साथ बड़ी मुहब्बत के साथ बातें कीं। जब वह चला गया तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! जब उसने इजाज़त माँगी तो आपने फ़रमाया: 'कुम्बे का बुरा आदमी है।' जब वह आ गया तो आपने उसके साथ बड़ी फ़राख़दिली के साथ बातें की हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! बिलाशुब्हा अल्लाह तआला किसी बदगो, तकल्लुफ़ से बदगोई करने वाले से मोहब्बत नहीं करता।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) से नबी (ﷺ) के फ़रमान (बिअ्सा अख़ुल अशीरा) के मानी की बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने बयान किया कि ये नबी (ﷺ) का ख़ास्सा है।

(4792) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 755, मुसनद अहमद: 6/258.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ाज़ी अयाज़ (रह.) कहते हैं कि ये शख़्स उयय्ना बिन हसन फ़ज़ारी था जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मुसलमान हूआ था मगर दौरे अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) में मुर्तदीन से जा मिला और फिर उसे क़ैदी बना कर लाया गया था। (2) अल्लामा क़ुर्तुबी (रह.) फ़रमाते हैं: इस

हदीस़ से मालूम हूआ कि जो शख़्स ऐलानिया तौर पर फ़िस्क़ व फ़ुजूर और ज़ुल्म का मुर्तकिब होता है या किसी बिदअत का दाई हो, उसकी ग़ीबत करना जायज़ है। और इस क़िस्म के लोगों के शर से बचने के लिये उनके साथ मदारात, यानी रवादारी का मामला करना मुबाह है बशर्ते कि दीन में 'मुदाहनत' लाज़िम न आती हो। (3) 'मदारात' और 'मुदाहनत' में फ़र्क़ ये है कि दीनी या दुनियावी फ़वाइद के लिये किसी के साथ अपने शख़्सी और दुनियावी हुक़ूक़ नज़र अन्दाज़ कर देना 'मदारात' होती है। ये एक जायज़ अम्र है, बल्कि कुछ दफ़ा मुस्तहब है। जबकि मुदाहनत ये है कि इंसान किसी के साथ कुछ दुनियावी मफ़ादात के लिये दीन के तक़ाज़ों को नज़र अन्दाज़ कर दे। ये किसी सूरत में जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فَقَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ " .

(4793) सय्यदा आयशा (ﷺ) ने इस क़िस्से में बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! बदतरीन हैं वह लोग जिनकी ज़बान के शर (बुराई) से बचने के लिये इज्ज़त की जाये।'

(4793) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/111.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً الْتَقَمَ أُذُنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُنَحِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يُنَحِّي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَخَذَ بِيَدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدَعُ يَدَهُ .

(4794) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नहीं देखा कि किसी ने नबी (ﷺ) के कान में सरगोशी करना चाही हो तो आपने उससे अपना सर दूर कर लिया हो, यहाँ तक कि वह आदमी ख़ुद ही आपसे अपना सर दूर करता था। और मैंने नहीं देखा कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा हो, तो आपने उसका हाथ झटक दिया हो, यहाँ तक कि ख़ुद से आपका हाथ छोड़ता था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/320, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 6401, इब्ने माजा, हदीस़: 3716.

फ़ायदा : ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है और कुछ के नज़दीक हसन दर्जे की है, तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस़: 2485)

बाब : 7
सिफ़ते हया का बयान

﴿7﴾ باب فِي الْحَيَاءِ

फ़ायदा : 'हया' एक ख़ास तबई कैफ़ियत का नाम है जो दीन व दुनिया के कुछ मारूफ़ और ग़ैर मारूफ़ काम करने की सूरत में दिल में घुटन की वजह से महसूस और नुमायाँ होती है जो सरासर ख़ैर है और कभी कभी लोग किसी नेक काम और उम्दा ख़स्लत का मुज़ाहिरा न कर सकने को भी 'हया' का नाम दे देते हैं। मगर दर हक़ीक़त ये 'हया' नहीं बुज़दिली और अदमे जुर्अत (कमजोर दिली) की कैफ़ियत होती है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ " .

(4795) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) एक अन्सारी के पास से गुज़रे जब कि वह अपने भाई को हया के बारे में वाज़ कर रहा था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे छोड़ दो।' बिलाशुब्हा, हया, ईमान से है।'

(4795) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 24, मौता: 2/905, व सही मुस्लिम: 36.

फ़ायदा : 'हया' अगरचे एक तबई और फ़ितरी अमल होता है। मगर उसके बावजूद शरई उमूर में और शरई तौर पर इसके इज़हार व इस्तेमाल के लिये क़सद, कस्ब और इल्म की ज़रूरत होती है। इसी वजह से उसे ईमान में से शुमार किया गया है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَثَمَّ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ " . أَوْ قَالَ " الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ " .

(4796) जनाब अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं हम हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) के साथ थे जबकि वहां बुशैर बिन कअब भी थे (बा के पेश के साथ) हज़रत इमरान बिन हुसैन ने हदीस बयान की, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हया सरासर ख़ैर है।' बुशैर बिन कअब ने कहा: हमें कई किताबों में मिलता है कि कुछ हया इत्मिनान और वक़ार की वजह से होती है और कुछ हया कमज़ोरी और बुज़दिली

فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا وَمِنْهُ ضَعْفًا . فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ وَأَعَادَ بُشَيْرٌ الْكَلاَمَ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلاَ أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُنِي عَنْ كُتُبِكَ . قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِيهٍ إِيهٍ .

की वजह से होती है। तो हज़रत इमरान ने हदीसे रसूल दोबारा दोहराई और फिर बुशैर ने भी अपनी बात दोहरा दी। रावी बयान करते हैं कि हज़रत इमरान (ﷺ) इस क़द्र गुस्से में आ गये कि उनकी आँखें सुर्ख़ हो गई और बोले: मैं तुझे रसूल (ﷺ) की हदीस़ सुना रहा हूं और तू मुझे अपनी किताबों से बताये जा रहा है। हमने कहा: ऐ अबू नुजैद! बस कीजिये। बस कीजिये। (इसे यही तम्बीह काफ़ी है।)

(4796) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6117, व स़ही मुस्लिम: 37.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अबू नुजैद, हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) की कुन्नियत है। **(2)** हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान अपने ज़ाहिर मानी में जामेअ व मानेअ है, लिहाज़ा किसी स़ाहिबे ईमान को किसी तरह दुरूस्त नहीं कि आप (ﷺ) के फ़रमान की बे'मक़सद तावील करे। **(3)** स़ाहिबे ईमान को नस़ीहत करते हूए मुनासिब हद तक गुस्सा करना चाहिए। हद से ज़्यादा गुस्से की वजह से कभी कभी ग़लत नतीजे निकलते हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ"

(4797) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुज़िश्ता अम्बिया अलैहि. की तालीमात में से जो बात लोगों के पास महफ़ूज़ (सुरक्षित) रही है वह यही है कि जब हया न रहे तो जो जी चाहे कर।' (बेहया बाश वहर चे ख़्वाही कुन)

इमाम अबू दाऊद (रह.) से पूछा गया: क्या क़ानबी के पास शोबा के वास्ते से इस हदीस़ के सिवा कोई और हदीस़ भी है? उन्होंने फ़रमाया: नहीं।

(4797) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3484.

फ़ायदा : इस कलाम में वईद और तहदीद के मानी ये हैं कि 'हया करो वरना एताब होगा।' या तग़ीब का मफ़हूम है कि करने से पहले सोच लो कि अगर काम बेहयाई का है तो दूर रहो।

बाब : 8
हुस्ने अख़लाक़ का बयान

﴿8﴾ باب فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

फ़ायदा : अख़लाक़ ख़ल्क़ की जमा है और इसके मानी हैं 'आदात' (चाल–चलन)

(4798) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﵥ) का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा मोमिन अपने हुस्ने अख़लाक़ (उम्दा आदात) की बिना पर रोज़ादार, तहज्जुद गुज़ार का दर्जा हासिल कर लेता है।'

(4798) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/132, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1927, हाकिम: 1/60.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ " .

फ़ायदा : 'हुस्ने अख़लाक़' से मुराद ही आदात हैं जिनका ऐतबार शरीयते इस्लामिया ने किया है और आम तौर पर इनको अच्छा समझा जाता है। इसमें हुक़ूक़ुल्लाह (अल्लाह के हुक़ूक) और हुक़ूक़ुल इबाद (बन्दों के हुक़ूक़) दोनों का लिहाज़ रखना ज़रूरी है। ऐसा हुस्ने ख़ल्क़ जो हुक़ूक़ूल्लाह की अदायगी से आरी हो मोतबर नहीं। या अगर कोई हुक़ूक़ुल्लाह तो अदा करता हो मगर हुक़ूक़ुल इबाद में इफ़रात व तफ़रीत (कमी बेशी) का शिकार हो तो भी किसी तरह मक़बूल व ममदूह (काबिले तारीफ़) नहीं।

(4799) हज़रत अबूद्दरदा (ﵥ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मीज़ान में हुस्ने ख़ल्क़ से बढ़ कर और कोई चीज़ भारी नहीं होगी।'

अबू वलीद तयालिसी कहते हैं (क़ासिम बिन अबी बर्ज़ा की सनद में तसरीह है कि) मैंने अता कैख़ारानी से सुना है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये अता बिन याक़ूब हैं और इब्राहीम बिन नाफ़े के मामू हैं। इनकी निसबत 'कैख़ारानी और कोख़ारानी, दोनों तरह बयान की जाती है।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْكَيْخَارَانِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ شَىْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ " . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْكَيْخَارَانِيَّ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ وَهُوَ خَالُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ يُقَالُ كَيْخَارَانِيٌّ وَكَوْخَارَانِيٌّ .

(4791) **तख़रीज : (सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 2003, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1921.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ، أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ "

(4800) सय्यदना अबू उमामा (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं ज़िम्मेदार हूँ एक महल का, जन्नत की एक जानिब में, उस शख़्स के लिये जो झगड़ा छोड़ दे, अगरचे हक़ पर हो। और एक महल का, जन्नत के दरम्यान में, उस शख़्स के लिये जो झूठ छोड़ दे, अगरचे मज़ाक ही में हो, और जन्नत की आला मनाज़िल में एक महल का, उस शख़्स के लिये जो अपने अख़्लाक़ को उम्दा बना ले।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/249.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हक़ पर होते हूए झगड़ा छोड़ देना इन्तेहाई हिम्मत का अमल है और इसका अज्र जन्नत में शानदार महल की सूरत में हासिल होगा। (2) मोमिन के लिये झूठ बोलना किसी तरह ठीक नहीं। सिवा इसके की ज़ौजैन (मियाँ बीवी) में या दो मुसलमान भाईयों में सुलह सफ़ाई की ग़र्ज़ से कोई मुनासिब बात बना ली जाये।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ " . قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ .

(4801) हज़रत हारसा बिन वहब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुर्श रू बदमिज़ाज जन्नत में दाख़िल नहीं होगा और न तकब्बुर से चलने वाला।'

और 'जवाज़' का मफ़हूम है सख़्त मिज़ाज, बद ख़ुल्क़।

(4801) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्नद अबू यअला हदीस: 1476, इब्ने अबी शैबा, 8/328, हाकिम: 1/20, 21 वग़ैरह.

फ़ायदा : लफ़्ज़ (जअ्ज़री) के कई मानी आते हैं जैसे: मोटा, तकब्बुराना चाल चलने वाला, पेटू, जिसे सर दर्द न होता हो, ख़ुद आरा, पल्ले कुछ न हो मगर बातें बहुत बनाये और पस्तक़द हो। वल्लाहु आलम!

बाब : 9
डींगें मारने और बरतरी के इज़हार की मनाही का बयान

﴾9﴿ باب فِي كَرَاهِيَةِ الرِّفْعَةِ فِي الأُمُورِ

(4802) हज़रत अनस (ﷺ) का बयान है कि (रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी) अज़्बा हमेशा सबसे आगे रहती थी कोई उससे आगे न बढ़ता था। एक बदवी अपने एक जवान ऊँट पर आया और उस ऊँटनी से मुक़ाबला किया और उससे आगे बढ़ गया। इससे अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) को गोया नागवारी हूई, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह पर ये हक़ है कि जो कोई भी दुनिया में ऊँचा होता है तो वह उसे नीचा दिखा देता है।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हजर, तालीकुत्तालीक, हदीस: 3/400, तालीक़े बुख़ारी, हदीस: 2872.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الأَعْرَابِيُّ فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ " .

(4803) हज़रत अनस (ﷺ) से ये क़िस्सा मरवी है। उसमें है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह पर हक़ है कि दुनिया में जो चीज़ भी सर ऊँचा उठाती है तो वह उसे नीचा दिखा देता है।'

(4803) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6501.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَىْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ " .

फ़ायदा : तवाज़ोअ और इंकसारी में हमेशा ख़ैर और बरकत होती है। अलबत्ता असना–ए–जिहाद (जंग के मैदान) में कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी का इज़हार करने के लिये इतराना और बड़ाई का इज़हार करना जायज़ है।

बाब : 10
एक दूसरे की मदह सराई की कराहत का बयान

﴿10﴾
باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّمَادُحِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى عُثْمَانَ فِي وَجْهِهِ فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ تُرَابًا فَحَثَا فِي وَجْهِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ " .

(4804) जनाब हम्माम (बिन हारिस़) (रह.) कहते हैं कि एक शख़्स आया और उसने हज़रत उ़स्मान (ﷺ) के मुँह पर उनकी तारीफ़ शूरू कर दी। तो हज़रत मिक़दाद बिन असवद (ﷺ) ने मिट्टी उठाई और उसके मुँह पर दे मारी और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जब तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो जो मदह सराई और ख़ुशामद करने वाले हों तो उनके मुँहों में मिट्टी डालो।'

(4804) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 9/8, व स़ही मुस्लिम: 3002.

फ़ायदा : ये मज़म्मत (निंदा) और ये मामला ऐसे लोगों के लिये मालूम होता है जिनका वतीरा (पेशा) होता है कि वह बड़े लोगों की ख़ुशामद और मदह सराई करके माल खाते और अपने काम निकालते हैं, लेकिन अगर किसी की हौसला अफ़ज़ाई और तर्ग़ीब व शौक़ दिलाने के लिये उसके आ़माले ख़ैर की मुनासिब हद तक तारीफ़ कर दी जाये तो इन्शाअल्लाह मुबाह है, बहर हाल हज़रत मिक़दाद (ﷺ) फ़रमाने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़ाहिरी मानी ही लेते थे। जो बिलाशुब्हा हक़ और सच है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَثْنَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ " قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ " . ثَلاَثَ

(4805) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने नबी (ﷺ) की मौजूदगी में दूसरे की तारीफ़ की तो आपने उससे फ़रमाया: 'तूने अपने साथी की गर्दन काट दी।' आपने ये तीन बार फ़रमाया। फिर फ़रमाया:'अगर कोई अपने किसी साथी की मदह करना ही चाहता

مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ " إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَحْسِبُهُ كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَلاَ أُزَكِّيهِ عَلَى اللَّهِ " .

हो तो चाहिए कि यूँ कहे: मैं उसे यूँ समझता हूँ ... कि वह ऐसे ऐसे है ... और अल्लाह के इल्म के मुक़ाबले में, मैं इसकी स़फ़ाई नहीं देता।'

(4805) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6061, व स़ही मुस्लिम: 3000.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا . فَقَالَ " السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " . قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً . فَقَالَ " قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ " .

(4806) जनाब मुतर्रिफ़ (रह.) बयान करते हैं कि मेरे वालिद (अ़ब्दुल्लाह बिन शख़ीर) (ﷺ) ने कहा कि मैं बनू आ़मिर के वफ़्द के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ। तो हमने कहा: आप हमारे (सय्यद) सरदार हैं। आपने फ़रमाया: 'सय्यद (और हक़ीक़ी सरदार) अल्लाह तबारक व तआ़ला है।' हमने कहा: आप हमारे स़ाहिबे फ़ज़्ल व फ़ज़ीलत और स़ाहिबे जूद व सख़ा हैं। (बड़े दानी है) तो आपने फ़रमाया: 'तुम इस तरह की बात कह सकते हो। मगर कहीं शैतान तुम्हें अपना वकील न बना ले। (कि कोई ऐसी बात कह गुज़रो जो मेरी शान के मुताबिक़ न हो।)'

(4806) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस़: 211.

फ़ायदा : लफ़्ज़ 'अस्सय्यद' अपने हक़ीक़ी मानी में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ही के लिये ठीक है, ताहम मजाज़ी तौर पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने लिये इस्तेमाल फ़रमाया है और ख़बर दी है: (अना सय्यदु वुल्दे आदमा वला फ़ख़र) (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 2308) 'मैं औलादे आदम का सरदार हूं और मुझे इस पर कोई फ़ख़्र नहीं।' इस तरह ह़ज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा: 'ह़ज़रत अबूबक्र (ﷺ) हमारे सय्यद हैं और उन्होंने हमारे सय्यद ह़ज़रत बिलाल (ﷺ) को आज़ाद किया।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 3754) मालूम हूआ अस्ह़ाबे इल्म व फ़ज़्ल के लिये मजाज़न ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। ख़्याल रहे कि दरूद शरीफ़ के अल्फ़ाज़ में 'सय्यदना' का लफ़्ज़ किसी स़ही रिवायत में स़ाबित नहीं है।

बाब : 11
नर्मख़ूई (विनम्र स्वभाव) का बयान

(4807) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल(ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह अ़ज्ज़ व जल्ल रिफ़्क़ और नर्मी से मौसूफ़ है, उसे नर्मी और नर्मख़ूई पसन्द है। वह इस पर वह कुछ इनायत फ़रमाता है जो तुर्शी और कर बेरूख़ी पर नहीं देता।'

(4807) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 472, व सही मुस्लिम.

(4808) जनाब मिक़दाम बिन शुरैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा (ﷺ) से पूछा कि जंगल में जाना कैसा है? तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उन टीलों की तरफ़ निकल जाया करते थे। आपने एक बार इरादा किया कि जंगल में जायें तो आपने मेरे पास सदक़ा के ऊँटों में से एक ऊँटनी भेजी जिस पर अभी सवारी नहीं हूई थी। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आ़यशा! नर्मी इख़्तियार किया करो, बिलाशुब्हा नर्मी जिस चीज़ में भी हो वह उसे मुज़य्यन और ख़ूबसूरत बना देती है और जिस चीज़ से निकाल ली जाये उसे बद सूरत और भद्दा बना देती है।'

इब्ने सब्बाह ने अपनी हदीस में वाज़ेह किया कि

﴿11﴾ بَابٌ فِي الرِّفْقِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ " .

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلاَعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَىَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي " يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ " . قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ مُحَرَّمَةٌ يَعْنِي لَمْ تُرْكَبْ .

(मुहर्रमा) से मुराद ऐसी ऊँटनी है जिस पर बाक़ायदा सवारी न हूई हो।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2487 में देखें, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, 580, इब्ने अबी शैबा: 8/322, 323

फ़वाइद व मसाइल : (1) आसमानों ज़मीन की चीज़ों के गौरो फ़िक्र की नियत से आदमी किसी वक़्त उज़लत इख़्तियार करे तो मुफ़ीद है जिसकी मशरूअ सूरत ऐतकाफ़ है न कि सूफ़िया की सियाहत। **(2)** हैवानात के साथ नर्म ख़ूई मम्दूह (अच्छी चीज़) और मतलूब है तो इंसानों के साथ ये मामला और भी ज़्यादा बाइसे अज्र व सवाब है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ

(4809) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स नर्मख़ूई से महरूम हूआ वह सब भलाइयों से महरूम हूआ।'

(4809) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/322, व सही मुस्लिम: 2592.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، - قَالَ الأَعْمَشُ وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الأَعْمَشُ - وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَىْءٍ إِلاَّ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ " .

(4810) जनाब मुस्अब अपने वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास) (ﷺ) से रिवायत करते हैं। आमश कहते हैं और मुझे ऐसे ही मालूम है कि उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया, आपने फ़रमाया: 'किसी काम में जल्दबाज़ी नहीं चाहिए सिवाए इसके कि आख़िरत का काम हो।'

(4810) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/194, हाकिम: 1/63, 64.

फ़ायदा : ऐसे तमाम आमाल जो अल्लाह की रज़ामंदी के हुसूल का ज़रिया हों, हुक़ूक़ुल्लाह हों या हुक़ूक़ुल इबाद उनकी अंजामदेही में देर नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता दुनियावी कामों में सोच विचार और मशवरे से इक़दाम करना चाहिए। ये हदीस कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 1794)

बाब : 12
एहसान और कारे ख़ैर पर शुक्रिया अदा करने का बयान

﴾12﴿
باب فِي شُكْرِ الْمَعْرُوفِ

(4811) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वह अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता।'

(4811) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1954, सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 2070.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ " .

फ़ायदा : लोगों के अच्छे मामले और एहसान पर शुक्रिये का इज़हार इंसान के साहिबे ख़ल्क़ (अच्छे इंसान) होने की दलील होता है। जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र इबादत और उबूदियत का हिस्सा है। लोग जो आपके साथ कोई एहसान करते हैं वह दर हक़ीक़त अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के तसर्रूफ़ ही से करते हैं, लिहाज़ा हक़ीक़ी शुक्र गुज़ारी तो रब तआला ही का हक़ है। ताहम बित्तबअ लोगों से एहसान मंदी का इज़हार भी लाज़मी तौर पर मशरूअ और मसनून है।

(4812) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि मुहाजिरीन कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! सारा अज्र तो अंसार ले गये। आपने फ़रमाया: 'नहीं, जब तक तुम अल्लाह तआला से उनके लिये दुआयें करते रहोगे और उनसे एहसान मंदी का इज़हार करोगे।' (इस तरह उनको अज्र मिलने के साथ साथ तुम्हें भी मिलेगा।)

(4812) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारीअल अदबुल मुफ़रद: 2137, हाकिम: 2/63.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَتِ الأَنْصَارُ بِالأَجْرِ كُلِّهِ . قَالَ " لاَ مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ "

फ़ायदा : ज़बानी और अमली एहसानमंदी और शुक्रिये के साथ साथ अहम अमल ये है कि इंसान अपने मुहसिन के लिये अल्लाह से दुआएँ किया करे। यानी महज़ ज़बान से 'शुक्रिया' का लफ़्ज़ न

कहे, बल्कि ये दुआइया कलिमात कहे: जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ाइ 'अल्लाह तआला तुम्हें बेहतरीन बदला अता फ़रमाये।' इसके अलावा वह अपने मुहसिनों के लिये ग़ायबाना तौर पर ख़ुसूसी दुआएँ भी करता रहे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ قَوْمِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ شُرَحْبِيلُ يَعْنِي رَجُلاً مِنْ قَوْمِي كَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ فَلَمْ يُسَمُّوهُ .

(4813) जनाब उमारा बिन ग़ज़िय्या ने बयान किया कि मेरी क़ौम के एक आदमी ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (﵁) से रिवायत किया, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे कोई अतिया और हदिया दिया जाये तो अगर हिम्मत हो और मयस्सर हो तो उसका बदला दे और अगर न पाये तो उसकी मदह व सना करे। जिसने अपने मुहसिन की मदह की उसने उसका शुक्रिया अदा किया और जिसने उस (के एहसान) को छुपाया उसने उसकी नाशुक्री की।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को यहया बिन अय्यूब ने बवास्ता उमारा बिन ग़ज़िय्या, शुरहबील से और उसने हज़रत जाबिर (﵁) से रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सनद में उमारा बिन ग़ज़िय्या ने जिस आदमी का नाम लिया और यूँ कहा है कि 'मेरी क़ौम के एक आदमी ने मुझसे बयान किया।' वह शुरहबील ही है। गोया उन्होंने उसका नाम ज़िक्र करना पसन्द नहीं किया।

(4813) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू यअला, हदीस: 2137, तिर्मिज़ी, हदीस: 2034, मुसनद अहमद, 6/90, बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 215, मज्मउज़्ज़वाइद: 4/115 वग़ैरह.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أُبْلِيَ بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ " .

(4814) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी पर कोई एहसान किया फिर उस दूसरे ने उसका ज़िक्र किया तो ये उसका शुक्रिया अदा करना है और अगर उस (दूसरे) ने उसे छुपाया तो ये उसकी नाशुक्री और नाक़द्री की।'

(4814) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अख़बारे अस्बहान: 1/259.

फ़ायदा : मुनासिब मक़ाम और मुनासिब अन्दाज़ से एहसान करने वाले के एहसान का ज़िक्रे ख़ैर करना हक़ है और क़द्रदानी में शुमार है। इससे उल्फ़त बढ़ती है। और इसके बरख़िलाफ़ में कबीदगी आती है। ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 618)

﴾13﴿
بَابٌ فِي الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ

बाब : 13
रास्तों पर बैठना (नापसन्दीदा है)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُدٌّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " . قَالُوا وَمَا

(4815) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रास्तों पर बैठने से परहेज़ करो।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) हमें तो इससे चारा नहीं है, हमें आपस में बातचीत करनी होती है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर इससे इंकार करते हो तो फिर रास्ते के हक़ का ख़याल रखो।' उन्होंने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते का क्या हक़ है? आपने फ़रमाया: 'नज़रें नीची रखना, तकलीफ़देह चीज़ का हटा देना, सलाम का जवाब देना, भली बात कहना और बुराई से रोकना।'

حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

(4815) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2465, व सही मुस्लिम: 2121.

फ़ायदा : रास्तों और चौकों पर बिलावजह (बिला जरूरत) धरना मार के बैठे रहना शरीफ़ों का काम नहीं। ज़रूरत और मजबूरी की कैफ़ीयत अलग चीज़ है। इससे परदादार ख़्वातीन को बिलख़ुसूस तकलीफ़ होती है। अस्हाबे मज्लिस अगर दीन व तक़वा से मौसूफ़ न हों तो राह गुज़रने वालों पर बे जा तबसरे भी होते हैं जो मुसलमानों को किसी तरह ज़ैब नहीं देता। और अगर कोई बतौर मेहमान आया हो तो उसके साथ सरे राह ही मज्लिस लगा लेना उसका इकराम नहीं। बहर हाल सरे राह बैठने की सूरत में ऊपर की शरई हिदायात का पास रखना लाज़िम है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ " .

(4816) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इस क़िस्से (हदीस) में बयान किया, आपने फ़रमाया: 'राहगीर की रहनुमाई करना (भी रास्ते के हक़ में शामिल है)'

(4816) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1014.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى النَّيْسَابُورِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ

(4817) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने इस क़िस्से (हदीस) में बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'परेशान हाल की मदद करो और रास्ता भूल जाने वाले की रहनुमाई करो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बज़्ज़ार: 1/472.

फ़ायदा : इन सिफ़तों व ख़स्लतों को मामूली और इज़ाफ़ी सिफ़ात नहीं समझना चाहिए। हक़ीक़त ये है कि ये सिफ़ात ईमान व इस्लाम को कामिल करती हैं। ये रिवायत कुछ के नज़दीक सही है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - قَالَ ابْنُ

(4818) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि एक औरत नबी (ﷺ) के पास आई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मुझे

عِيسَى قَالَ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَقَالَ لَهَا " يَا أُمَّ فُلاَنٍ اجْلِسِي فِي أَىِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكِ " . قَالَ فَجَلَسَتْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسَى حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا . وَقَالَ كَثِيرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ .

आपसे एक काम है। आपने उससे फ़रमाया: 'ऐ उम्मे फ़ुलां! किसी गली के कोने पर बैठ जाओ मैं तेरे साथ बैठ सकता हूँ (तेरी बात सुन सकता हूँ।)' चुनांचे वह बैठ गई और नबी (ﷺ) भी उसके साथ बैठ गये यहाँ तक कि उसने अपना मक़सद पा लिया। इब्ने ईसा ने (हत्ता क़ज़त हाजतहा) का लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया। और कसीर (बिन उबैद) ने अपनी सनद में (अनअना से रिवायत करते हूए) अन हुमैद अन अनस कहा।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/119, शमाइले तिर्मिज़ी, हदीस: 330.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَ فِي عَقْلِهَا شَىْءٌ بِمَعْنَاهُ .

(4819) हज़रत अनस (رضي الله عنه) ने बयान किया कि उस औरत की अक़्ल में कोई कमी थी। और ऊपर की मानिन्द बयान किया।

(4819) **तख़रीज :** सही मुस्लिम: 2326.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी ज़रूरत की बिना पर कहीं सरे राह बैठना पड़ जाये तो कोई मायूब (कोई ऐब की बात) नहीं। इस हदीस का ये मफ़हूम भी लिया गया है कि आप (ﷺ) ने सरे राह बैठने की बजाये किसी एक तरफ़ अलग होकर बैठने का कहा था। **(2)** सादा लोह और बे अक़्ल क़िस्म के लोगों की दिलदारी करना भी शरई और अख़्लाक़ी फ़रीज़ा है। इस तरह ये लोग काफ़ी हद तक ख़ूश और पुरसुकून हो जाते हैं। वरना परेशान होने की वजह से कई तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों से इस्तेहज़ा करना और उन्हें मस्ख़रा बनाना क़तअन रवा नहीं। ऐसा अमल उन पर बहुत बड़ा ज़ुल्म है और ऐसा करने वाले बहुत बड़े ज़ालिम होते हैं। इस्लाम इसकी क़तअन इजाज़त नहीं देता। **(3)** 'क़ज़ा अलहाजत' एक आम तरकीब और जुम्ला है जैसे इस रिवायत में आया है और इसके मानी भी वाज़ेह हैं कि वह जो बात करना चाहती थी, वह उसने कर ली।

बाब : 14
... मज्लिस को वसीअ बना लेने का बयान

﴿14﴾ باب فِي سَعَةِ الْمَجْلِسِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ .

(4820) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बेहतरीन मज्लिस वह है जो वसीअ (जगह वाली) और खुली हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि रावी–ए–हदीस़ अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू अ़म्र का सही नसब यूँ है: 'अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़म्र बिन अबू अ़म्र अल अन्सारी।'

तख़रीज : (सनद हसन) अ़ब्द बिन हुमैद: 981, मुसनद अहमद: 3/18, अलहाकिम: 4/269.

फ़ायदा : मज्लिस में अगर अफ़राद ज़्यादा हों तो हुस्ने अदब और वक़ार का तक़ाज़ा है कि हल्क़ा (बैठक) वसीअ (जगह वाली) कर लिया जाये। और इस क़िस्म के आमाल में इत्तेबाअ़े फ़रमाने रसूल (ﷺ) की नियत शामिल हो तो मज़ीद स़वाब मिलता है।

बाब : 15
धूप और छाँव में बैठने का बयान

﴿15﴾ باب فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ

(4821) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, सय्यदना अबूल क़ासिम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स धूप में बैठा हो, ... मख़लद के अल्फ़ाज़ हैं अगर कोई साये में बैठा हो ... और फिर उससे साया टल जाये

أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ " . وَقَالَ مَخْلَدٌ " فِي الْفَيْءِ " . " فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ".

और वह कुछ धूप में आ जाये और कुछ साये में तो वहाँ से उठ जाये।'

(4821) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3722, हुमैदी, हदीस़: 1145, मुसनद अहमद: 2/383.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ .

(4822) जनाब क़ैस (बिन अबू हाज़िम) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वह आये जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। तो ये धूप में खड़े हो गये, तो आपने उन्हें हुक्म दिया तो साये में चले गये।

(4822) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/426, इब्ने ख़ुज़ैमह: 1453, हदीस़: 3045 में देखें।

फ़ायदा : अतिब्बा (डॉक्टर) भी यही कहते हैं कि इंसान सारे का सारा धूप में हो या सारा ही साये में हो। आधा धूप में और आधा साये में होना तिब्बी तौर पर नुक़सानदेह है। ख़ास़ तौर पर शदीद (सख़्त) गर्मी वाले इलाक़ों में।

﴾16﴿ بَابٌ فِي التَّحَلُّقِ

बाब : 16
मुख़्तलिफ़ (कई) हल्क़े बनाकर बैठने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ " مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ " .

(4823) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷻ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये जबकि स़हाबा टोलियाँ बनाये बैठे थे। तो आपने फ़रमाया: 'क्या बात है कि तुम टोलियों में जुदा जुदा बैठे हो?'

(4823) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 661 में देखें, व हदीस़: 912, बैहक़ी: 333.

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا قَالَ كَأَنَّهُ

(4824) जनाब आमश (रह.) ने ये रिवायत बयान की और कहा: गोया आप (ﷺ) ने इज्तेमाइयत (इकट्ठा होने) को पसन्द फ़रमाया।

يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ .

(4824) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : अगर अहले इज्तेमा का मौज़ूअ एक हो तो अफ़ज़ल और मुस्तहब यही है कि एक हल्क़े में बैठें। लेकिन अगर मौज़ूआत मुख़्तलिफ़ हों तो हल्क़े बना लेना जायज़ है जैसे कि तल्बा–ए–इल्म (विद्यार्थियों) या अस्हाबे ज़ौक़ में होता है। ख़्याल रहे कि नमाज़ की जमाअत के इन्तेज़ार में हल्क़े बनाकर बैठना मायूब है चाहिए कि तर्तीब से सफ़ में जगह बनाकर बैठा जाये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، وَهَنَّادٌ، أَنَّ شَرِيكًا، أَخْبَرَهُمْ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي .

(4825) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि हम जब नबी (ﷺ) की मज्लिस में आते थे तो जहां मज्लिस पहुँची होती वहीं (आख़िर में) बैठ जाया करते थे।

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी:2725,मौजम अलकबीर : 7/300, 301, 7197, बुख़ारी: 66 व सही मुस्लिम: 2176

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये बात इन्तेहाई मायूब (ऐब वाली) होती है कि आदमी देर से आये और फिर पहले से बैठे हूए लोगों की गर्दनें फलांगता हूआ आगे जगह लेने की कोशिश करे। हाँ अगर पहले आने वालों ने मज्लिस का अदब मल्हूज़ न रखा हो कि आगे जगह ख़ाली छोड़ दी हो और रास्ते में बैठ गये हों तो गर्दनें फलांगना जायज़ होगा। क्योंकि उन्होंने ख़ूद से अपना वक़ार ज़ाया किया होता है। (2) ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मानवी तौर पर ये रिवायत सही है जैसा कि हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने तहक़ीक़ व तख़रीज में इस बात की वज़ाहत की है, इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसको सही क़रार दिया है।

﴿17﴾ باب الْجُلُوسِ وَسْطَ الْحَلْقَةِ

बाब : 17 हल्क़े के बीच में बैठने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ .

(4826) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लानत की है ऐसे आदमी पर जो हल्क़े के दरम्यान में बैठता है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2753, जामेअ अत्तहसील, सफ़ा: 296.

बाब : 18
अगर कोई किसी दूसरे के लिये अपनी जगह से उठ जाये तो?

﴿18﴾ بابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى آلِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ .

(4827) जनाब सईद बिन अबुल हसन बयान करते हैं कि हज़रत अबूबक्र (ﷺ) एक गवाही के सिलसिले में हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मज्लिस में से एक आदमी उनके लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हूआ। तो उन्होंने उस जगह बैठने से इंकार कर दिया और कहा: तहक़ीक़ नबी (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है। और नबी (ﷺ) ने इससे भी रोका है कि कोई शख़्स किसी दूसरे के कपड़े से जो उसने उसे न पहनाया हो, अपना हाथ पौंछे।

(4827) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/44.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इसमें बयान करदा बातें दीगर अहादीस़ से स़ाबित हैं। **(2)** पहले से बैठा हूआ शख़्स ही ज़्यादा हक़दार है कि वह अपनी जगह पर बैठे। दीगर अहादीस़ की रोशनी में अगर उठने वाला ख़ुशदिली से ऐसा करे तो मुबाह भी है जैसे कि किताबुस स़लात में गुज़रा है कि किसी की इज्ज़त की जगह पर बैठना जायज़ नहीं मगर ये कि वह ख़ूद से इजाज़त दे। **(3)** दूसरे के कपड़े से बिला इजाज़त हाथ पौंछना किसी तरह रवा नहीं कि ये दूसरे के माल में तस़र्रूफ़ है। सिवाए इसके कि दूसरा मातहत हो जैसे अपना बेटा, गुलाम या बीवी। क्योंकि उनका कपड़ा और माल वली का माल ही होता है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ، عَنِ ابْنِ

(4828) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) के पास आया तो एक आदमी उसके लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, वह (आने वाला) वहाँ बैठने

عُمَرَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

लगा तो नबी (ﷺ) ने इसको मना फ़रमा दिया। इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू ख़सीब का नाम ज़ियाद बिन अब्दुर्रहमान है।

(4828) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/84, बुख़ारी, हदीस: 6269, हाकिम: 4/272, हदीस: 7713, व सही मुस्लिम: 2177.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये मुमानिअत भी एहतियात के तौर पर है, ताकि लोग एक दूसरे की जगह पर न बैठें। वरना अगर कोई शख़्स एहतरामन किसी दूसरे को अपनी जगह बैठने की पेशकश करता है, तो दीगर दलीलों की रू से इसका जवाज़ है। **(2)** ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मानवी तौर पर सही है जैसा कि ख़ूद उन्होंने अपनी तहक़ीक़ में बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायात का हवाला दर्ज करने के बाद 'युग़्नी अन्हु' यानी बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायात किफ़ायत करती हैं, कहा है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे हसन कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 228)

﴾19﴿
بَابُ مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالَسَ

बाब : 19
कैसे लोगों की सोहबत इख़्तियार की जाये?

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ

(4829) हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन जो क़ुर्आन मजीद की तिलावत करता है उसकी मिसाल तरंज (एक क़िस्म का बड़ा नींबू) की सी है कि उसकी ख़ूशबू उम्दा और वह ख़ूश ज़ायक़ा भी होता है। और मोमिन जो क़ुर्आन की तिलावत नहीं करता उसकी मिसाल खजूर की सी है कि उसका ज़ायक़ा उम्दा होता है मगर इसमें ख़ूशबू नहीं होती। और फ़ाजिर आदमी जो क़ुर्आन पढ़ता है उसकी मिसाल

الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ"

रैहान (नाज़बू) की सी है कि उसकी ख़ूशबू उम्दा मगर ज़ायक़ा कड़वा होता है। और फ़ाजिर आदमी जो क़ुर्आन नहीं पढ़ता उसकी मिस़ाल हन्ज़ल (अन्दराइन—कूड़तमा) की सी है कि उसका ज़ायक़ा कड़वा और ख़ूशबू कोई नहीं होती। और नेक और स़ालेह साथी की मिस़ाल कस्तूरी वाले की मानिन्द है अगर तुझे इससे न भी मिली तो इसकी ख़ूशबू तो (ज़रूर) पहुँचेगी और बुरे साथी की मिस़ाल भट्टी वाले की तरह है, अगर तुझे उसकी कालिक न लगी तो धूवाँ तो ज़रूर आयेगा।

(4829) तख़रीज : (सनद स़ही) आने वाली हदीस़ में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) स़ालेह, मुत्तक़ी और स़ाहिबे इल्म मोमिन की स़ोहबत हास़िल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा है। **(2)** फ़ासिक़ व फ़ाजिर लोगों से दूर रहना चाहिए कि उनकी स़ोहबत में ख़स़ारा ही ख़स़ारा है। **(3)** उस्ताद और ख़तीब को उम्दा मिस़ालों से अपनी बात वाज़ेह करने की कोशिश करनी चाहिए।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - الْمَعْنَى - ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْكَلاَمِ الأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ " وَطَعْمُهَا مُرٌّ " . وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَثَلَ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ .

(4830) हज़रत अनस (ﷺ) ने हज़रत अबू मूसा(ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस़ का पहला हिस्स़ा 'उसका ज़ायक़ा कड़वा होता है।' तक बयान किया। और इब्ने मुआज़ ने मज़ीद कहा कि हज़रत अनस (ﷺ) ने कहा: हम कहा करते थे कि स़ालेह साथी की मिस़ाल ... और बक़िया हदीस़ बयान की।

तख़रीज : बुख़ारी: 5059, व स़ही मुस्लिम: 797

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا

(4831) शुबैल बिन अज़रा ने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत किया

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सालेह साथी की मिसाल ...' और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द बयान किया।

(4831) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/280.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلاَنَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ " .

(4832) हज़रत अबू सईद (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सिर्फ़ मोमिन आदमी की सोहबत इख़्तियार करो और तेरा खाना भी कोई मुत्तक़ी ही खाये।'

(4832) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2395, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2049, 2050, हाकिम: 4/128.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़ारसी में कहते हैं: सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद। सोहबत और मज्लिस से इंसान अपने साथी की आदात और रंग ढंग इख़्तियार कर लेता है और धीरे धीरे उसकी मोहब्बत भी दिल में घर कर जाती है और मामला दीन व अक़ीदे तक जा पहुँचता है, इसलिए साहिबे ईमान के अलावा फ़ासिक़ व फ़ाजिर की सोहबत से गुरेज़ करना (बचना) वाजिब है। **(2)** सदक़ात व हदिये में अव्वलियत अहले ईमान और अहले तक़वा को हासिल है दीगर लोग दूसरे दर्जे पर हैं और उनसे एहसान करने में भी अज्र है। जैसे कि इरशादे बारी तआला है: 'अहले ईमान अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर मिस्कीनों, यतीमों और क़ैदियों को खाना खिलाते हैं।' (अद्दहर: 8) और क़ैदी हर तरह के लोग हो सकते हैं। मुसलमान, फ़ासिक़, फ़ाजिर और काफ़िर। इसी तरह यतीमों और मिस्कीनों का मामला है।

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ " .

(4833) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्सान अपने महबूब साथी के दीन पर होता है। तो तुम्हें चाहिए कि ग़ौर करो किस से दोस्ती कर रहे हो।'

(4833) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 2378.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ - عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ الأَصَمِّ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ " الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ".

(4834) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) मरफ़ूअन (नबी (ﷺ) से) बयान करते हैं: 'रूहें (अज़ल में) मुजतमेअ लश्कर थीं, जिनका (वहाँ) आपस में तारूफ़ हो गया (दुनिया में) उनके अन्दर उल्फ़त हो जाती है और जिनकी (वहाँ) आपस में नाइत्तेफ़ाक़ी रही हो वह (इस दुनिया में भी) एक दूसरे से जुदा जुदा रहती हैं।'

(4834) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2638.

फ़ायदा : अगर किसी को सालेहीन की सोहबत मयस्सर हो और उनके साथ मोहब्बत भी हो तो ये अल्लाह की नेमत है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ इस ताल्लुक़ को और ज़्यादा मज़बूत बनाना चाहिए। लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स हो तो साहिबे ईमान होने के नाते चाहिए कि बंदा अपने अमल और मिज़ाज में तब्दीली लाये।

(20)

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْمِرَاءِ

बाब : 20
झगड़े फ़साद की कराहत का बयान

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ " بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا " .

(4835) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सहाबा को जब अपने किसी काम के लिये भेजा करते थे तो उन्हें फ़रमाते: 'ख़ूश ख़बरी देने वाले बनना, नफ़रत न दिलाना, आसानी करना और तंगी और मशक़्क़त में न डालना।'

(4835) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1732.

फ़ायदा : लीडर और साहिबे मन्सब के लिये ख़ास नबवी हिदायत ये है कि अपने मातहत अफ़राद (लोगों) के लिये नर्मी और आसानी करने वाला बने। बे मक़सद सख़्ती मुख़ालिफ़त का बाइस बनती है। जो नफ़रत लाती है और किसी भी नज़्म (सिस्टम) और इज्तेमाईयत के लिये सम्मे क़ातिल (ख़तरनाक) है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا أَعْلَمُكُمْ " . يَعْنِي بِهِ . قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لاَ تُدَارِي وَلاَ تُمَارِي .

(4836) हज़रत साइब (ﷺ) से मरवी है कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो लोग मेरी मदह (तारीफ़) और मेरे आमाल का ज़िक्र करने लगे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं इसके मुताल्लिक़ तुमसे ज़्यादा जानता हूँ।' मैंने अर्ज़ किया: आपने बजा फ़रमाया, मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! आप मेरे शराकतदार थे और बहुत ही ख़ूब शराकतदार थे। आप में मुख़ालिफ़त करने या लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं थी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2287.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) के इन्हीं ख़साइले हमीदा (अच्छी आदतों) की वजह से आपकी नबूवत से पहले की ज़िन्दगी को बतौर नमूना पेश किया गया है। इरशादे इलाही है: 'बिलाशुब्हा मैं तुममें इससे पहले एक उमर गुज़ार चुका हूँ। क्या पस तुम अक़्ल नहीं रखते हो?' (यूनुस: 16) और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपकी हयाते मुबारका की क़सम खाई है, फ़रमाया: 'तेरी उमर की क़सम! वह तो अपनी बदमस्ती में सरगरदां थे।' (अलहिज्र: 72) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मानी के हिसाब से सही है जैसा कि शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सही क़रार दिया है।

﴾21﴿ بَابُ الْهَدْيِ فِي الْكَلاَمِ

बाब : 21 रसूलुल्लाह (ﷺ) का उस्लूबे गुफ़्तगू

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ،

(4837) जनाब यूसुफ़ (रह.) अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैठे बातें कर रहे होते तो आपकी नज़र अक्सर आसमान की तरफ़ होती थी।

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ .

(4837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्नद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हदीस: 3.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا، فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَانَ فِي كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ .

(4838) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की गुफ़्तगू में इन्तेहाई ठहराव होता था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/207.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلاَمًا فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ .

(4839) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की गुफ़्तगू इस क़द्र वाज़ेह हूआ करती थी कि हर सुनने वाला उसे समझ लेता था।

(4839) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3654 में देखें, इब्ने अबी शैबा: 9/15.

फ़ायदा : जल्दी और तेज़ तेज़ गुफ़्तगू करना बा'वक़ार लोगों के यहां हमेशा ऐबदार समझा गया है। और हद से ज़्यादा तेज़ बोलने वाला ख़तीब भी कामयाब ख़तीब नहीं समझा जाता।

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ زَعَمَ الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ وَعُقَيْلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيدُ

(4840) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर गुफ़्तगू जिसकी इब्तेदा अल्लाह की हम्द व सना से न हो वह बे बरकत है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को यूनुस, उक़ैल, शुऐब और सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बवास्ता ज़ोहरी, नबी (ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً .

(4840) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1894.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इसके बाद आने वाली सही रिवायत से ये बात वाज़ेह हो रही है कि इससे मुराद आम गुफ़्तगू नहीं बल्कि अहम गुफ़्तगू और ख़ुत्बा व तक़रीर वग़ैरह है, लिहाज़ा ख़ुत्बे की इब्तेदा में हम्द व सना करना ताकीदी अम्र है।

﴿22﴾ باب فِي الْخُطْبَةِ

बाब : 22
ख़ुत्बा देने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ " .

(4841) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर वह ख़ुत्बा जिसमें तशह्हुद (अल्लाह की तौहीद और मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) की रिसालत का ज़िक्र) न हो ऐसे है जैसे जज़ाम ज़दा (नाक़िस और ऐबदार) हाथ।'

(4841) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1106, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1994, व हदीस: 579.

फ़ायदा : अहम ख़ुत्बा, तक़रीर और दर्स की इब्तेदा में तशह्हुद पढ़ना ताकीदी सुन्नत है।

﴿23﴾ باب فِي تَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ

बाब : 23
हर आदमी के मक़ाम व मर्तबे का ख़याल रखने का बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ الْيَمَانِ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ

(4842) मैमून बिन अबू शबीब से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) के पास से एक साइल गुज़रा। तो आपने उसे रोटी का एक टुकड़ा दिया। फिर एक दूसरा आदमी गुज़रा जिसने (अच्छे) कपड़े पहने हूए

مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ [رضى الله عنها] مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ .

थे और उसकी हालत उम्दा थी तो उन्होंने उसको बिठला कर खिलाया। उनसे इस फ़र्क़ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हर शख़्स को उसके मक़ाम पर रखो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि यहया की हदीस़ मुख़्तसर है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैमून ने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) को नहीं पाया है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 322.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मानी सही है। हर शख़्स के साथ उसके मक़ाम व मर्तबे की रिआयत से मामला करना चाहिए।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، أَخْبَرَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ " .

(4843) हज़रत अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा बूढ़े मुसलमान और साहिबे क़ुर्आन की इज़्ज़त करना जो उसमें ग़ुलू और तक़सीर से बचता हो और (इसी तरह) हाकिम आदिल की इज़्ज़त करना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इज़्ज़त करने का हिस्सा है।'

(4843) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, फ़िल आदाब: 8/163, रियाज़ुस्सालेहीन, हदीस़: 355, अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/118.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस शख़्स की जवानी इस्लाम पर गुज़री हो और अब बुढ़ापा आ गया हो तो वह बंदा अल्लाह तआला के नज़दीक़ बहुत मुकर्रम और बा'इज़्ज़त होता है। इस्लामी मुआशरे में इन्हें वक़ार दिया जाना लाज़मी है। **(2)** साहिबे क़ुर्आन, यानी हाफ़िज़, क़ारी, मुदर्रिस, मुफ़स्सिर और दाई–ए–इस्लाम जो वाक़ेइ में शरई हुदूद के पाबन्द हों, तजावुज़ करें न तक़सीर करें, इनका एहतिराम भी लाज़मी है। **(3)** हुदूदुल्लाह नाफ़िज़ करने वाले मुन्सिफ़ हाकिम का भी यही हक़ है कि उसका एज़ाज़ व इकराम किया जाये। इन हज़रात की अहमियत के पेशे नज़र ही अल्लाह अज़्ज़ व

जल्ल ने इनके एज़ाज़ व इकराम को अपने एज़ाज़ का हिस्सा क़रार दिया है। और ये बयान बतौर तमसील व मुबालग़ा के है। (4) ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक हसन दर्जे की है। देखिये: (सही अलजामेअ, हदीस: 2195)

﴿24﴾

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

बाब : 24
बिला इजाज़त दो आदमियों के दरम्यान बैठने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا " .

(4844) जनाब अ़म्र बिन शुऐब, अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो आदमियों के दरम्यान घुस कर न बैठा जाये सिवाए इसके कि वह इजाज़त दे दें।'

(4844) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2752.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا " .

(4845) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी के लिये हलाल नहीं कि दो आदमियों को जुदा जुदा कर दे (जो मिलकर बैठे हूए हों तो उनमें घुस बैठे) मगर ये कि उन दोनों की इजाज़त हो।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2752.

फ़ायदा : दो मुसलमानों के दरम्यान जो पहले से इकट्ठे बैठे हूए हों, ज़ोर से घुस बैठना और उनके दरम्यान तफ़रीक़ कर देना जायज़ नहीं है। दो भाईयों के दरम्यान फूट डाल देना, तो और भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है।

बाब : 25
आदमी के बैठने की बाबत अहकाम व मसाइल

﴿25﴾
بَابٌ فِي جُلُوسِ الرَّجُلِ

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

(4846) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैठते तो अपने घुटनों को सीने से मिला कर अपने हाथ उनके गिर्द लपेट लिया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद में मज़कूर अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम शैख़ मुन्करूल हदीस़ है।

(4846) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 128, बुख़ारी, हदीस़: 6272.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتَاىَ، صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ - قَالَ مُوسَى بِنْتُ حَرْمَلَةَ - وَكَانَتَا رَبِيبَتَىْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّهَا، رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخْتَشِعَ - وَقَالَ مُوسَى الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ - أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ .

(4847) हज़रत क़ैला बिन्ते मख़रमा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि वह 'कुर्फुसा' की सूरत में बैठे हूए थे (कि उनके घुटने सीने से मिले हूए और हाथ उनके गिर्द लपेटे हूए थे) मैंने जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुशू और इन्केसार की इस कैफ़ियत में देखा तो ख़ौफ़ से लरज़ उठा।

(4847) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 3070 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'एहतबा और क़ुर्फ़ुसा' यहां दोनों का मतलब एक ही है, ये बैठने का एक अन्दाज़ है जिसकी वज़ाहत तर्जुमे में मौजूद है, आदमी इस तरह से कभी मज्लिस में भी बैठ जाता है। इसमें तवाज़ोअ इन्केसार और ख़ुशू का इज़हार होता है, मगर ख़ुत्ब–ए–जुमा में इस तरह बैठना ममनूअ है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1110) **(2)** हज़रत क़ैला (ﷺ) का लरज़ा बर अन्दाम होना (झिझक सा जाना) इस तास्सुर की वजह से था कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसी अज़ीम हस्ती का ज़ाहिरी बैठना इस क़द्र ख़ुशू और इन्केसार का मज़हर है तो बातिनी तौर पर आप (ﷺ) की क्या कैफ़ियत होगी और हम आम लोग किस क़द्र बेपरवाह हैं। **(3)** इस हदीस से ये भी अख़ज़ किया गया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बावजूद तवाज़ोअ और ख़ुशू के इन्तेहाई रौबदार और हैबत व दबदबा वाले थे। और ये सब लिल्लाहियत और ख़शीयत का नतीजा था। **(4)** हर साहिबे ईमान को अपनी नशिस्त व बर्ख़ास्त (उठने बैठने) में तवाज़ोअ का अन्दाज़ इख़्तियार करना चाहिए। इससे वक़ार में कोई कमी नहीं आती बल्कि इज़ाफ़ा ही होता है। **(5)** ऊपर दी गई दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, लेकिन दीगर शवाहिद की बिना पर सही या हसन दर्जे तक पहुँच जाती हैं जैसा कि ख़ूद हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने 4846 नम्बर हदीस की तहक़ीक़ में सही बुख़ारी का हवाला ज़िक्र करने के बाद लिखा है कि वह 'युग़्नी अन्हु' यानी बुख़ारी की रिवायत इससे किफ़ायत करती है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने पहली रिवायत को सही और दूसरी को हसन क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीहा, हदीस: 827, तिर्मिज़ी, हदीस: 2979)

बाब : 26
... बैठने का एक नापसन्दीदा और मकरूह अन्दाज़

﴾26﴿
بَابٌ فِي الْجِلْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ

(4848) हज़रत शरीद बिन सुवैद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास से गुज़रे जब कि मैं अपना बायाँ हाथ कमर के पीछे करके अंगूठे की जगह पर दबाव डाल कर बैठा हूआ था तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम उन लोगों की तरह बैठते हो जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब हूआ है।'

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى

خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ " أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " .

तख़रीज :. **(सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 4/388, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1956, हाकिम: 4/269.

फ़ायदा : कमर के पीछे ज़मीन पर हाथ की टेक लगा कर बैठना मकरूह है। इस रिवायत को कुछ ने स़ही कहा है, देखिये (हिजाबुल मर्आ लिल अल्बानी, 2/100)

﴾27﴿ باب النَّهْيِ عَنِ السَّمَرِ، بَعْدَ الْعِشَاءِ

बाब : 27 इशा के बाद बेमक़सद बातों में मशग़ूल रहने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا .

(4849) हज़रत अबू बर्ज़ा (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मना फ़रमाया करते थे कि इशा की नमाज़ से पहले सोया जाये या इसके बाद बातों में मशग़ूल रहा जाये।

(4849) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 599.

फ़ायदा : इशा की नमाज़ से पहले सो जाने से अन्देशा है कि इशा की नमाज़ या जमाअत फ़ौत हो जाये, और ऐसे ही इशा की नमाज़ के बाद बेमक़सद बातों में मशग़ूल रहने से फ़जर की नमाज़ या जमाअत फ़ौत होने का अन्देशा होता है। हाँ अगर कोई अहम मक़सद हो तो मशग़ूल होना जायज़ है। जैसा कि तल्बा का रात गये तक मुताला व मुज़ाकरा करना या दीगर अहम ज़िम्मेदारियों की अदायगी की ग़र्ज़ से जागना जायज़ है मगर शर्त ये है कि फ़जर की जमाअत जाया न हो।

﴾28﴿ باب فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا

बाब : 28 आदमी का आलती पालती मार कर बैठने का बयान

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ

(4850) सय्यदना जाबिर बिन समुरा (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) जब फ़जर की नमाज़ पढ़ा लेते तो अपनी जगह पर आलती

بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ .

पालती मार कर बैठे रहते, यहाँ तक कि सूरज ख़ूब चढ़ आता।

(4850) तख़रीज : सही मुस्लिमस्र 670.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आम हालत में आलती पालती की कैफ़ियत में बैठना जायज़ है, यहाँ तक कि मरीज़ इस हालत में बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है। मगर खाने के लिये कुछ उलमा ने इस तरह बैठने को ना'पसंदीदा जाना है और इसकी वजह उनके नज़दीक ये है कि इस तरह बैठना, टेक लगाने के ज़िम्न में आ सकता है और टेक लगाकर खाना मना है। **(2)** मुस्तहब है कि इंसान नमाज़े फ़जर के बाद तुलूअे आफ़ताब (सूरज निकलने) तक मस्जिद में बैठे और ज़िक्र व तस्बीह और क़िराअते क़ुर्आन वग़ैरह में मशग़ूल रहे।

﴿29﴾ باب فِي التَّنَاجِي

बाब : 29
सरगोशियाँ करने का बयान

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ "

(4851) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़ कर सरगोशी न करें, इससे वह रंजीदा होगा।'

(4851) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2184.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَأَرْبَعَةٌ قَالَ لاَ يَضُرُّكَ .

(4852) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान किया।
अबू स़ालेह कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा, अगर चार अफ़राद हों तो? कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/18, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस़: 1169.

फ़ायदा : चार आदमियों में दो दो आदमी आपस में कोई ख़ास बात करें तो ये कैफ़ियत गवारा हो सकती है। मगर तीन में दो का तीसरे को छोड़ कर आपस में सरगोशी करना या किसी ऐसी ज़बान में बात करना जो उसकी समझ में न आती हो उसके लिए बहुत कुल्फ़त (तकलीफ़) का बाइस होगी और ये सूरत इस तीसरे की इज़्ज़त व करामत के ख़िलाफ़ भी है।

बाब : 30
जो शख़्स अपनी जगह से उठ कर गया हो और फिर वापस आ जाये

﴿30﴾ باب إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ

(4853) जनाब सुहैल बिन अबी स़ालेह कहते हैं कि मैं अपने वालिद के पास बैठा हूआ था, उनके पास एक गुलाम भी था। तो वह उठ कर गया और फिर वापस आ गया तो मेरे वालिद ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से हदीस़ बयान की कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपनी जगह से उठ कर जाये और फिर वापस लौट आये तो वही उस जगह का ज़्यादा हक़दार है।'

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .

(4853) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 2179.

फ़ायदा : ये हुक्म उन इल्मी और ख़ास़ हल्क़ात का मालूम होता है जहां लोग एहतिमाम से बाक़ायदा बैठते हों। आम इज्तेमाआत में अगर कोई जाकर वापस आना चाहता हो तो उसे चाहिए कि अपनी जगह पर अपनी कोई अ़लामत (पहचान) छोड़ जाये। जैसे कि नीचे की रिवायत में आ रहा है।

(4854) जनाब कअ़ब इयादी (रह.) कहते हैं कि मैं हज़रत अबूदरदा (ﷺ) के यहां आया जाया करता था। तो हज़रत अबूदरदा (ﷺ) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ كَعْبٍ الإِيَادِيِّ، قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي

الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ ‏.‏

(किसी जगह) तशरीफ़ फ़रमा होते और हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ जाते, तो अगर आप उठ कर जाते और वापस आने का इरादा रखते तो अपना जूता या जो कुछ आप पर (कपड़ा वग़ैरह) होता, वहाँ छोड़ जाते, इससे सहाब–ए–किराम आप के वापस आने के मुताल्लिक़ जान जाते और बैठे रहते।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/151.

﴾31﴿ باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلاَ يَذْكُرُ اللَّهَ

बाब : 31
... मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र किये बग़ैर उठ जाने की कराहत का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً " ‏.‏

(4855) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो लोग किसी मज्लिस से उठें और उन्होंने इसमें अल्लाह का ज़िक्र न किया हो, तो वह ऐसे हैं गोया किसी मुर्दार गधे पर से उठे हों और (आख़िरत में) ये मज्लिस उनके लिये हसरत का बाइस होगी।' (तमन्ना करेंगे काश कि हमने इसमें अल्लाह का ज़िक्र कर लिया होता।)

(4855) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/389, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10241, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 408, हाकिम: 1/492.

(4856) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रिवायत करते हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी जगह या मज्लिस में बैठा हो और उसमें उसने अल्लाह का ज़िक्र न किया हो, तो ये उसके लिये अल्लाह की तरफ़ से बहुत नुक़सान का बाइस होगी। और जो कोई किसी जगह लेटा हो और उसमें उसने अल्लाह का ज़िक्र न किया हो, तो ये उसके लिये अल्लाह की तरफ़ से बहुत नुक़सान का बाइस होगी

(4856) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10237, व 10654, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 404, 818, हुमैदी, हदीस: 1158, रियाज़ुस्सालेहीन, हदीस: 819, हाकिम: 1/492.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ " .

फ़ायदा : मोमिनीन मुख़्लिसीन का ख़ास वस्फ़ यही है कि वह हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करने वाले होते हैं। जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 'जो लोग उठते बैठते और अपने पहलूओं के बल लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों व ज़मीन की ख़िल्क़त में ग़ौरो फ़िक्र करते रहते हैं।' (आले इमरान: 191) इसके मानी ये भी नहीं कि बंदा अपने लाज़मी वाजिबात से पहलू तही करके बस तस्बीह लिये बैठा रहे, बल्कि सुन्नते नबवी के मुताबिक़ मौक़े ब मौक़े मसनून दुआएँ पढ़ते रहना ही 'ज़िक्रे कसीर' है।

बाब : 32
कफ़्फ़ार–ए–मज्लिस की दुआ

﴾32﴿
بَابٌ فِي كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ

(4857) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(ﷺ) ने फ़रमाया: चंद कलिमात हैं जो कोई इन्हें अपनी मज्लिस से उठते हूए तीन बार पढ़ ले तो ये उसके लिये कफ़्फ़ारा बन जायेंगी, और जो कोई इन्हें अपनी इस मज्लिस के दौरान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ كَلِمَاتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلاَ يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلاَّ خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

में पढ़ ले, वह मज्लिस ख़ैर की हो या ज़िक्र की तो ये उसके लिये ऐसे होंगे जैसे किसी तहरीर को मुहर बंद कर दिया गया हो (उसके लिए इसका अज्र और गुनाहों का कफ़्फ़ारा होना महफ़ूज़ होगा। वह कलिमात ये हैं: (सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अन्त अस्तग़फ़िरूका व अतूबु इलैक) 'ऐ अल्लाह! तू अपनी तारीफ़ों समेत पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझ से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगता हूँ और मैं तेरी ही तरफ़ रूजू करने वाला हूँ।'

(4857) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : इस रिवायत में दी गई दुआ को 'तीन बार' पढ़ने की शर्त सही नहीं है। (अल्लामा अल्बानी–रह.) बल्कि एक ही बार पढ़ने से बयान की गई फ़ज़ीलत हासिल हो जाती है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ، ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(4858) अब्दुर्रहमान बिन अबू अम्र ने बवास्ता मक़बुरी हज़रत अबु हुरैरह (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द बयान किया।

(4858) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ

(4859) हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने आख़री दिनों में जब किसी मज्लिस से उठते तो ये कलिमात कहते थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्त अस्तग़ फ़िरूका व अतूबु इलैक) एक आदमी ने आपसे पूछ लिया कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप ये कलिमात कहते हैं जो पहले

الْمَجْلِسِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى . قَالَ " كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ " .

नहीं कहा करते थे (इसकी क्या वजह है?) आपने फ़रमाया: 'ये उस चीज़ के कफ़्फ़ारे के लिये है जो मज्लिस में हो जाती है।'

(4859) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/425, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10259, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 426, दारमी, हदीस: 2661.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) तो बेमक़सद गुफ़्तगू से मुबर्रा (बिल्कुल पाक) थे, आपका ये अमल उम्मत के लिये तालीम था, लिहाज़ा हर मुसलमान को इस मुबारक विर्द का आमिल होना चाहिए। नीज़ अपनी मजालिस को लग़्वियात (बे'मतलब की बातों) से पाक रखने की भर पूर कोशिश करनी चाहिए कि उनमें ग़ीबत, तोहमत, झूठ, क़ील व क़ाल और क़हक़हे न हों। और ये समझ कर कि मैं आख़िर में दुआए क़फ़्फ़ार–ए–मज्लिस पढ़ लूंगा जो जी चाहे कहता और करता रहे नाजायज़ है, न मालूम दुआ का मौक़ा मिले न मिले और फिर क़बूल हो या न हो।

﴿33﴾ بَابٌ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَجْلِسِ

बाब : 33
शिकायतें करना बहुत बुरा अमल है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَنَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ " .

(4860) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: कोई शख़्स मुझे मेरे सहाबा की बाबत कोई बात न पहुँचाये। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तो मेरा सीना साफ़ हो (किसी के मुताल्लिक़ मेरे दिल में कदूरत (बदगुमानी) न हो।)'

(4860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3896.

फ़ायदा : इन्सान को जब किसी अपने पराये की कोई ग़लत बात पहुँचती है तो वह उससे मुतास्सिर हूए बग़ैर नहीं रह सकता। ज़बान या अमल से, ख़्वाह उसका इज़हार न भी करे मगर दिल में ज़रूर उसका असर होता है। इसलिए बिलावजहे माक़ूल किसी की ग़लत बात दूसरे के सामने नहीं करनी चाहिए। हाँ अगर शरई ज़रूरत हो। जैसे किसी वास्ते से उसकी नसीहत और इस्लाह मक़सूद हो या किसी को मुतन्नबा रखना मतलूब हो तो जायज़ है। या वह बहुत ज़्यादा फ़ासिक़ फ़ाजिर और ज़ालिम हो। क़ुर्आन मजीद में इरशादे बारी तआला है: 'बुराई के साथ आवाज़ बलन्द करने को अल्लाह तआला पसन्द नहीं फ़रमाता मगर मज़लूम को इजाज़त है।' (अन्निसा: 148) उलमा–ए–हक़ लिखते हैं कि जो आदमी आपके सामने दूसरों पर तब्सरे करता और उनकी बातें नक़ल करता है ग़ालिब गुमान है कि वह आपके मुताल्लिक़ भी दूसरों के यहां बातें करता होगा, इसलिए ऐसे आदमी की इस आदत की हौसला अफ़ज़ाई नहीं होनी चाहिए।

बाब : 34
लोगों से होशियार रहने का बयान (हर कोई क़ाबिले भरोसा नहीं होता)

﴿34﴾
باب فِي الْحَذَرِ مِنَ النَّاسِ

(4861) जनाब अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन फ़ग़वा ख़ुज़ाई अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे बुलवाया ... जब कि आप (ﷺ) मुझे कुछ माल देकर मक्का में हज़रत अबू सुफ़ियान (رضي الله عنه) के यहां भेजना चाह रहे थे जो वह अहले क़ुरैश में तक़सीम कर देता और ये फ़तहे मक्का के बाद का वाक़िया है ... आपने मुझे फ़रमाया: 'कोई रफ़ीक़े सफ़र ढूँढ लो।' चुनांचे अम्र बिन उमैया ज़मरी मेरे पास आया और कहा सुना है कि तुम मक्के जाना चाहते हो और रफ़ीक़े सफ़र की तलाश में हो। मैंने कहा: हाँ। उसने कहा: मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। चुनांचे मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ " الْتَمِسْ صَاحِبًا " . قَالَ فَجَاءَنِي عَمْرُو بْنُ

أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا . قَالَ قُلْتُ أَجَلْ . قَالَ فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ . قَالَ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا . قَالَ فَقَالَ " مَنْ " . قُلْتُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ . قَالَ " إِذَا هَبَطْتَ بِلاَدَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ أَخُوكَ الْبِكْرِيُّ وَلاَ تَأْمَنْهُ " . فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالأَبْوَاءِ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي بِوَدَّانَ فَتَلْبَثُ لِي قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي حَتَّى خَرَجْتُ أُوضِعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي فِي رَهْطٍ قَالَ وَأَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي قَدْ فُتُّهُ انْصَرَفُوا وَجَاءَنِي فَقَالَ كَانَتْ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ . قَالَ قُلْتُ أَجَلْ وَمَضَيْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ .

ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया कि मैंने रफ़ीक़े सफ़र ढूँढ़ लिया है। आपने पूछा: 'कौन?' मैंने बताया कि अम्र बिन उमैया ज़मरी। आपने फ़रमाया: 'जब तुम उसकी क़ौम के इलाक़े में उतरो तो होशियार रहना।' कहने वाले ने कहा है कि बिकरी (बा के ज़ेर के साथ) तेरा भाई है मगर उस पर ऐतमाद न करना। चुनांचे हम निकल पड़े। यहाँ तक कि जब मैं अब्वा मक़ाम पर पहुँचा तो उसने मुझ से कहा कि मुझे अपनी क़ौम से एक काम है मैं जा रहा हूँ तुम यहाँ रूक कर मेरा इन्तेज़ार करना। मैंने कहा: ख़ैर सलामती से जाओ। जब वह रवाना हुआ तो मुझे नबी (ﷺ) का फ़रमान याद आया तो मैं अपने ऊँट पर सवार हो लिया और उसे भगाता हूआ असाफ़िर तक जा पहुँचा। तो अचानक देखता हूँ कि उमैया अपनी क़ौम के कुछ लोगों के साथ मेरे आड़े आ गया है। चुनांचे मैंने अपना ऊँट और तेज़ भगाया यहाँ तक कि उनसे आगे निकल गया। जब उन्होंने देखा कि मैं उनके हाथों से निकल गया हूँ तो वह वापस हो गये। फिर वह (अकेला) मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे अपनी क़ौम के यहाँ एक काम था। मैं ने कहा: होगा। यहाँ तक कि हम मक्का आ गये और मैंने वह माल हज़रत अबू सुफ़ियान (رضي الله عنه) के हवाले कर दिया।

(4861) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/289.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इसमें बयान करदा कई बातें सही अहादीस़ से स़ाबित हैं। जैसे सफ़र में साथी ज़रूर होना चाहिए। अकेले सफ़र करना ख़तरात से ख़ाली

नहीं। (2) मुख़्लिस़ साथी के सिवा हर किसी को अपना राज़ बताना और उस पर पुरे तौर पर भरोसा कर लेना भी मुनासिब नहीं। (3) स़दक़ात और बैतुल माल से नये मुसलमानों की तालीफ़े क़ल्ब होती रहनी चाहिए ताकि वह इस्लाम में रासिख़ (मज़बूत) हो जायें। (4) मस़लिहत के पेशे नज़र एक शहर के स़दक़ात दूसरे शहरों में मुन्तक़िल करना जायज़ है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ " .

(4862) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन एक बिल से दोबारा नहीं डसा जाता।'

(4862) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6133, व स़ही मुस्लिम: 2998.

फ़ायदा : आज़माये हूए को अज़माना बहुत बड़ी ग़लती होती है।

﴾35﴿ باب فِي هَدْىِ الرَّجُلِ

बाब : 35
पैदल आदमी की चाल का बयान

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ .

(4863) सय्यदना अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब चलते तो ऐसे लगता जैसे आगे को झुके जाते हों।

(4863) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1754, हाकिम: 4/280, 281.

फ़ायदा : यानी मुतवाज़िआना (बहुत ही सादे) अन्दाज़ से चलते, बख़िलाफ़ मुतकब्बिर (घमंडी) लोगों की चाल के, कि वह सीना निकाल कर अकड़ कर चलते हैं।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(4864) हज़रत अबू तुफ़ैल (आमिर बिन वास़ला)(ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा था। सईद जुरैरी ने उनसे पूछा कि आपने उनको क्योंकर देखा? उन्होंने कहा: आप सफ़ेद रंग और इन्तेहाई

عليه وسلم . قُلْتُ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَهْوِي فِي صَبُوبٍ .

ख़ूबसूरत थे और जब चलते थे तो लगता था कि ऊपर से नीचे को उतर रहे हैं।

(4864) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2340.

फ़ायदा : ताक़तवर, सेहतमंद और चाक़ चौबंद आदमियों की चाल बिलउमूम ऐसे ही हुआ करती है। तवज़ोअ के नाम से ऐसी ढीली ढीली चाल चलना गोया कोई मरीज़ जा रहा हो, मम्दूह (पसन्दीदा) नहीं है।

﴿36﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى

बाब : 36
लेटे हूए टाँग पर टाँग रख लेने का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَضَعَ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى - رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى - زَادَ قُتَيْبَةُ - وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ .

(4865) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि आदमी अपनी टाँग पर टाँग न रखे। क़ुतैबा की रिवायत में इज़ाफ़ा है कि जब वह चीत लेटा हुआ हो।

(4865) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2099.

फ़ायदा : क्योंकि इसमें बेपर्दगी का अन्देशा होता है और मज्लिस में दूसरों के सामने ऐसा अ़मल वैसे ही बुरा लगता है ताहम इसका जवाज़ भी है, बिलख़ुसूस जब बेपर्दगी का अन्देशा न हो जैसा कि नीचे दी गई रिवायात में आ रहा है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا - قَالَ

(4866) जनाब अ़ब्बाद बिन तमीम अपने चचा (अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम अन्सारी)(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब कि आप चित लेटे हूए थे। क़ानबी ने कहा: मस्जिद में लेटे हूए थे और आप अपनी एक टाँग दूसरी पर

الْقَعْنَبِيُّ - فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى .

रखे हूए थे।

(4866) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 475, मौता: 1/172, व सही मुस्लिम: 2100.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ .

(4867) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से मरवी है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) ऐसे कर लिया करते थे (लेटने की हालत में अपनी एक टाँग पर दूसरी रख लिया करते थे।)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 475, मौता: 1/172.

﴾37﴿ بَابٌ فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ

बाब : 37 बात उड़ा देना (बहुत बुरा है)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ" .

(4868) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई तुमसे बात करते हूए इधर उधर से चौकन्ना हो रहा हो (कि कहीं कोई सुनता तो नहीं) तो ये बात अमानत है।'

(4868) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1959, इब्ने अबी शैबा: 8/402.

फ़ायदा : मुसलमान को बहुत ज़्यादा होशियार होना चाहिए। जब आपका भाई आपसे बात करते हूए इधर उधर देख रहा हो तो ये इशारा होता है कि ख़ास बात है जिसकी आपको हिफ़ाज़त करनी है और ये अमानत है, इसे आगे नक़ल नहीं होना चाहिए।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ

(4869) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मज्लिसें अमानत के साथ हैं।

ابْنِ أَخِي، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ " .

सिवाए तीन मज्लिसों के जिनमें नाहक़ ख़ून बहाने, या नाहक़ फ़हश कारी, या नाहक़ माल मारने की बात हो।'

(4869) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/342.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। मगर हिकमत व अख़्लाक़ और दूसरे दलाइल का तक़ाज़ा यही है कि मज्लिसे मुशावरत में होने वाली गुफ़्तगू राज़ और अमानत होती है। इसकी हिफ़ाज़त करना मज्लिस वालों पर लाज़िम है मगर ये कि किसी की जान व माल या इज़्ज़त लूटने की बात हो तो ऐसे राज़ों को राज़ रखना हराम है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ، - قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " .

(4870) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के नज़दीक क़यामत के रोज़ अमानत में ये बात बहुत बड़ी ख़्यानत शुमार होगी कि मर्द अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के क़रीब हो और फिर उसके राज़ को इफ़्शा कर दे।' (दूसरों को बता दें)

(4870) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1437.

फ़ायदा : अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है तो उनका आपस के राज़ों को दूसरों के सामने इफ़्शा कर देना बहुत क़बीह (बुरा) अमल है। सिवाए इसके कि किसी शरई ज़रूरत के तहत क़ाज़ी वग़ैरह के सामने कोई बात कहनी पड़े।

﴾38﴿ بَابٌ فِي الْقَتَّاتِ

बाब : 38
चुग़ल ख़ोर का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ

(4871) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चुग़ल ख़ोर जन्नत में नहीं जायेगा।'

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ "

तख़रीज : बुख़ारी 6056, व सही मुस्लिम: 105.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लोगों में फ़साद डालने की ग़र्ज़ से एक दूसरे की बातें इधर उधर नक़ल करना बदतरीन ख़सलत (आदत) है। लोगों के नज़दीक भी और अल्लाह के यहाँ भी। **(2)** इस तरह की अहादीस़ उमूमन ऐसे ही बयान करनी चाहिए, ताहम कुआनी दलील से साबित है कि जन्नत सिर्फ़ मुश्रिक पर हराम है लेकिन बतौर सज़ा के मुसलमान भी जहन्नम का अज़ाब भुगतेंगे। इसलिए कुछ आमाल की बाबत जो आता है कि इसका मुर्तकिब 'जन्नत में नहीं जायेगा।' तो उसके मानी ये होते हैं कि इब्तेदाई तौर पर जन्नत में दाख़िल नहीं किया जायेगा। अलबत्ता सज़ा व एताब के बाद जन्नत में जायेगा। **(3)** अरबी ज़बान में (क़त्तात) और (नम्माम) में फ़र्क़ ये किया जाता है कि (नम्माम) मज्लिस में हाज़िर रह कर वहाँ की बातें दूसरों को जा बताता है। जबकि (क़त्तात) चोरी छुपे सुन कर नक़ल करता है।

﴿39﴾ باب فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

बाब : 39
दो रूख़े आदमी का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ " .

(4872) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बदतरीन है वह आदमी जो दो रूख़ (चेहरे वाला) हो कि उनके पास जाये तो एक मुँह हो, दूसरों के पास जाये तो दूसरा मुँह।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/245, मुस्नद हुमैदी, हदीस: 1139, व सही मुस्लिम: 2526.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ " .

(4873) हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके दुनिया में दो मुँह हूए (जो आदमी दो रूख़ा हुआ) क़यामत के रोज़ उसकी दो ज़बानें होंगी जो आग की होंगी।'

तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1310, दारमी, हदीस: 2767, सही इब्ने हिब्बान: 1979, इब्ने अबी शैबा: 8/370.

फ़ायदा : ऐसे लोग अपनी समझ में बड़े दाना बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को मस़लिहत कश बावर कराते हैं, जबकि हक़ीक़त ये है कि ये लोग इन्तेहाई बुज़दिल और अख़्लाक़ी पस्ती में गिरे हूए होते हैं। इनको 'इब्ने अलवक़्त (अवसर वाद) और मुनाफ़िक़' कहते हैं। क़ुर्आन मजीद की इब्तेदा में कुफ़्फ़ार की मज़म्मत में सिर्फ़ दो आयतें (अलबक़र: 6, 7) हैं मगर मस़लिहत कश मुनाफ़िक़ीन की मज़म्मत में तेरह आयतें मज़कूर हैं। देखिये: (अलबक़र: आयत नम्बर 8 से 20)

बाब : 40
ग़ीबत के अहकाम व मसाइल

﴿40﴾ باب فِي الْغِيبَةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغِيبَةُ قَالَ " ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ " . قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ " إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ "

(4874) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! ग़ीबत क्या है? आपने फ़रमाया: 'तुहारा अपने भाई का ऐसे अन्दाज़ में ज़िक्र करना जिसे वह नापसन्द करता हो।' कहा गया: जो बात मैं कह रहा हूँ अगर वह मेरे भाई में (फ़िल वाक़ेअ-हक़ीक़तन) हो? (तो भी वह ग़ीबत होगी?) आपने फ़रमाया: 'अगर उसमें वह बात मौजूद हो और तुम कहो, तब ही तो ग़ीबत है। अगर तुम कोई ऐसी बात कहो जो उसमें न हो, तो तुमने उस पर बोहतान लगाया।'

तख़रीज : तिर्मिज़ी: 1934, व सही मुस्लिम: 2589.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً .

(4875) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कह दिया: आप को हज़रत स़फ़िया (ﷺ) में यही काफ़ी है कि वह ऐसी ऐसी है ... मुसद्दद के अलावा दूसरे ने वज़ाहत की कि उससे उनकी मुराद हज़रत स़फ़िया (ﷺ) का पस्ता क़द (ठिगनी) होना था ... तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

فَقَالَ " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ " . قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ " مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " .

फ़रमाया: 'तुमने ऐसा कलिमा कहा है कि अगर उसे समन्दर में मिला दिया जाये तो कड़वा हो जाये।' हज़रत आयशा(ﷺ) कहती हैं कि मैंने आप (ﷺ) के सामने किसी की नक़ल उतारी तो आपने फ़रमाया: 'मैं किसी की नक़ल उतारना पसन्द नहीं करता, ख़्वाह मुझे इतना इतना माल भी मिले।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2502.

फ़ायदा : किसी की फ़ितरी ख़िल्क़त पर ऐब लगाना और तमस्ख़ुर और ठट्ठा करना हराम है। ये गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर ऐब लगाना और अपनी बड़ाई का इज़हार है। जब फ़ितरी उमूर पर ऐब लगाना हराम है तो आमाल पर तब्सरा भी जायज़ नहीं, मगर ये कि कोई नाफ़रमानी का आमाल हो ताकि इबरत हो। अगर उसने तौबा कर ली हो तो ज़िक्र करना जायज़ नहीं। अलबत्ता आमाले ख़ैर का ज़िक्र जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ "

(4876) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सब से बड़ा सूद (सबसे बड़ी ज़्यादती) ये है कि इंसान नाहक़ किसी की इज़्ज़त से खेले।'

(4876) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/190.

फ़ायदा : जिस तरह मामलाते तिजारत में सूद हराम है, उसी तरह अपने मुसलमान भाई की बेइज़्ज़ती और बे अदबी करना भी हराम है।

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ

(4877) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक कबीरा गुनाहों में एक बड़ा कबीरा गुनाह ये है कि इंसान अपने मुसलमान भाई की नाहक़ बेइज़्ज़ती और तौहीन कर दे। कबीरा गुनाहों में ये भी है कि कोई एक के बदले दो गालियाँ दे।

اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ " .

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** फ़तहुल बारी: 10/411.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالاَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ لَيْسَ فِيهِ أَنَسٌ

(4878) हज़रत अनस बिन मालिक (﵁) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब मुझे मैराज कराई गई तो मेरा गुज़र एक ऐसी क़ौम पर हुआ जिनके नाख़ुन तांबे के थे जो अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। मैंने पूछा: ऐ जिब्राईल! ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा: ये वह हैं जो दूसरे लोगों का गोश्त खाते और उनकी इज़्ज़तों से खेलते हैं।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को यहया बिन उ़स्मान ने बक़िया से रिवायत किया मगर इसमें हज़रत अनस (﵁) का ज़िक्र नहीं (मुर्सल रिवायत किया।)
तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुसनद अहमद: 3/224.

फ़ायदा : मुसलमान की ग़ीबत करना या छोटी सतह के मुसलमानों की इज़्ज़त व तौक़ीर को मल्हूज़ न रखना, सख़्त ख़तरनाक है।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى السَّيْلَحِينِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى .

(4879) ईसा बिन अबी ईसा अस्सैलहीनी ने अबू मुनीरा से इसी तरह रिवायत किया जैसे कि (ऊपर दी गई हदीस़ में) इब्ने मुसफ़्फ़ा ने कहा।
तख़रीज : **(सनद स़ही)** पिछली हदीस़ देखें।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ،

(4880) हज़रत अबू बरज़ा असलमी (﵁) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ वह लोगो जो अपनी ज़बानों से ईमान लाये हो मगर ईमान उनके दिलों में नहीं उतरा है! मुसलमानों की बदगोई न किया करो और न

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ " .

उनके ऐबों के दरपे हुआ करो, बिलाशुब्हा जो उनके ऐबों के दर पे होगा अल्लाह भी उसके ऐबों के दर पे होगा। और अल्लाह जिसके ऐबों के दर पे हो गया तो उसे उसके घर के अंदर रूस्वा कर देगा।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/420, तिर्मिज़ी, हदीस: 2032.

फ़ायदा : ये ज़रूरी नहीं कि इंसान बाहर ही जाये तो रूस्वा हो, घर के अंदर रहते हुए भी ज़लील व रूस्वा हो सकता है।

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(4881) हज़रत मुस्तौरिद (बिन शदाद) (﵁) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी मुसलमान की वजह से एक भी लुक़मा खाया होगा (उसकी ग़ीबत या बेइज़्ज़ती वग़ैरह करके किसी से कोई ऐवज़ लिया होगा) तो अल्लाह तआला उसे जहन्नम से इसी तरह का लुक़मा खिलायेगा। और जिसे किसी मुसलमान की वजह से कोई कपड़ा पहनाया गया तो अल्लाह तआला उसे जहन्नम से इसी तरह का कपड़ा पहनायेगा। और जिसने किसी की तशहीर की और उसे दिखलावे के मक़ाम पर पहुँचाया हो (उसका चर्चा किया हो) तो अल्लाह क़यामत के रोज़ उसकी तशहीर करेगा और दिखलावे के मक़ाम पर खड़ा करेगा।' (ऐसा अ़ज़ाब देगा या ऐसी जगह अ़ज़ाब देगा कि उसका सब लोगों में चर्चा होगा।)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद: 240, मुसनद अहमद: 4/229, हाकिम: 4/127, 128

फ़ायदा : ये रिवायत कुछ के नज़दीक सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा: 934)

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ "

(4882) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक मुसलमान के लिये दूसरे मुसलमान का माल, इज़्ज़त और ख़ून हराम है। बंदे के लिये यही बुराई काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर जाने।'

(4882) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1927, व सही मुस्लिम: 2564.

फ़ायदा : जहाँ मुसलमान भाई की दूसरों के यहाँ बदगोई करना या तौहीन करना या उसका माल मार लेना हराम है, वहाँ अपने जी में उसे हक़ीर जानना भी बहुत बड़ा गुनाह है।

﴿41﴾ بابُ مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ غِيبَةً

बाब : 41
किसी मुसलमान की (ग़ैर मौजूदगी में उसकी) इज़्ज़त का दिफ़ा करना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ " . أُرَاهُ قَالَ " بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(4883) जनाब सहल बिन मुआज़ बिन अनस जोहनी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी मोमिन का किसी मुनाफ़िक़ से बचाव किया ... रावी कहता है मेरा ख़याल आपने यूँ कहा: अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़यामत के दिन एक फ़रिश्ता भेजेगा जो उसके गोश्त को जहन्नम की आग से बचायेगा। और जिसने किसी मुसलमान पर किसी चीज़ की तोहमत लगाई कि उसके ज़रिये से उसने उस पर ऐब लगाना चाहा तो अल्लाह उसे जहन्नम के पुल सिरात

مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ " .

पर रोके रखेगा, यहाँ तक कि उसके कहे की सज़ा पूरी हो जाये।'

(4883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/441, ज़ोहद, हदीस़: 686.

फ़ायदा : मुसलमान साहिबे ईमान की इज़्ज़त का दिफ़ा करना, उसके सामने हो या उसकी ग़ैर मौजूदगी में, बहुत बड़ी अज़मत और फ़ज़ीलत का काम है, इससे एक सालेह मुआशरा तशकील पाता है और शरीर तबीयत अफ़राद नालायक क़िस्म के लोगों को पनपने का मौक़ा नहीं मिलता। ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक हसन दर्जे की है। तफ़्सील के लिये देखिये: (तालीकुर राग़िब: 3/302, 303, लिलअल्बानी, हदीस़: 4986)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَا، طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ " . قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا هُوَ ابْنُ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ

(4884) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) और अबू तलहा बिन सहल अन्सारी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी मुसलमान को कहीं बे'यारो मददगार छोड़ा जहाँ कि वह बेइज़्ज़त किया जा रहा था तो अल्लाह उसे ऐसी जगह बे'यारो मददगार छोड़ेगा जहाँ वह चाहेगा कि (काश) उसकी मदद की जाये। और जिसने किसी मुसलमान की मदद की (और उसका दिफ़ा किया) जहाँ उसे बेइज़्ज़त और ज़लील किया जा रहा था तो अल्लाह उसकी ऐसी जगह मदद फ़रमायेगा जहाँ वह चाहेगा कि उसकी मदद की जाये।'

यहया कहते हैं: मुझे ये हदीस़ उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर और उक़्बा बिन शद्दाद ने भी रिवायत की है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये यहया बिन सुलैम, हज़रत ज़ैद (ﷺ) के साहिबज़ादे हैं जो नबी (ﷺ) के आज़ाद करदा गुलाम थे और

صلى الله عليه وسلم وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قِيلَ عُتْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ مَوْضِعَ عُقْبَةَ .

इस्माईल बिन बशीर बनू मग़ाला के आज़ाद करदा गुलाम हैं और उ़क़्बा बिन शद्दाद की बजाये उ़त्बा भी कहा गया है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/30.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम सही हदीस़ में है: 'जब तक बंदा अपने भाई की नुसरत और मदद में रहे अल्लाह अपने बंदे की मदद में रहता है।' (सही मुस्लिम: 2699)

﴾42﴿
بَابُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ

बाब : 42
... ऐसे लोग जिनकी बुराई करना ग़ीबत शुमार नहीं होता

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ " . قَالُوا بَلَى .

(4885) हज़रत जुन्दुब (बिन अ़ब्दुल्लाह बुज़ैली)(ﷺ) से रिवायत है कि एक देहाती आया, उसने अपनी सवारी बिठाई, उसका घुटना बाँधा फिर मस्जिद के अंदर आ गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरा तो वह अपनी सवारी के पास आया, उसे खोला, उस पर सवार हुआ फिर ऊँची आवाज़ में बोला: ऐ अल्लाह! मुझ पर रहम कर और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर रहम कर, और हमारी इस रहमत में किसी और को शरीक न कर। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम क्या समझते हो ये ज़्यादा जाहिल है या इसका ऊँट। क्या तुमने सुना नहीं जो वह कह रहा है?' सहाबा ने कहा: क्यों नहीं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/312, हदीस़: 380 में देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत का पहला हिस्सा (अल्लाहुम्मर हम्नी ...) 'ऐ अल्लाह मुझ पर रहम कर और

हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर रहम कर, और हमारी इस रहमत में किसी और को शरीक न कर।' सही है जो पहले हदीस़ नम्बर: 380 में भी गुज़र चुका है, जबकि दूसरा हिस्सा सही नहीं है। बहरहाल बतौर नसीहत व इबरत जाहिलों की जाहिलीयत का ज़िक्र जायज़ है।

﴾43﴿ باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الرَّجُلَ قَدِ اغْتَابَهُ

बाब : 43
... जो कोई अपनी ग़ीबत करने वालों को माफ़ कर दे

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ، مِثْلَ أَبِي ضَيْغَمٍ - أَوْ ضَمْضَمٍ شَكَّ ابْنُ عُبَيْدٍ - كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ .

(4886) जनाब क़तादा (रह.) से मरवी है, उन्होंने कहा: क्या तुमसे मुमकिन नहीं कि अबू ज़ैग़म या अबू ज़मज़म की तरह हो जाओ। नाम में मुहम्मद बिन उबैद को शुब्हा हुआ है। जब सुबह होती तो वह कहा करता था: ऐ अल्लाह! मैंने अपनी इज़्ज़त तेरे बंदों के लिये सदक़ा कर दी है। (जिन्होंने मेरी कोई बेइज़्ज़ती की हो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है।)

(4886) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَمْضَمٍ " . قَالُوا وَمَنْ أَبُو ضَمْضَمٍ قَالَ " رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ " . بِمَعْنَاهُ قَالَ " عِرْضِي لِمَنْ شَتَمَنِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَمِّيِّ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ

(4887) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़जलान से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुममें से कोई आजिज़ है कि अबू ज़मज़म की तरह हो जाये?' सहाबा ने कहा: अबू ज़मज़म कौन है? आपने फ़रमाया: 'तुमसे पहले एक आदमी हो गुज़रा है। और ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया। कहा: जिसने मुझे बुरा भला कहा हो मेरी इज़्ज़त उसके लिये (सदक़ा) है।'

• इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को हाशिम बिन क़ासिम ने रिवायत किया तो कहा: अ़न मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह अलअ़म्मी अ़न साबित क़ाल

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَصَحُّ .

हद्दसना अनस अनिन्नबी (ﷺ) ऊपर की हदीस के हम मानी बयान किया। • इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हम्माद की रिवायत ज़्यादा सही है।

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) ख़तीब फ़िल मौज़ा,: 1/27

﴾44﴿ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ

बाब : 44 टोह लगाने का बयान

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، وَابْنُ، عَوْفٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ " . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا .

(4888) हज़रत मुआविया (ؓ) से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि फ़रमाते थे: 'अगर तू लोगों के ऐब के पीछे पड़ गया तो उन्हें बिगाड़ देगा' ... या ... 'क़रीब है कि उन्हें बिगाड़ दे।' तो हज़रत अबूदरदा (ؓ) कहते हैं: ये बात जो हज़रत मुआविया (ؓ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी अल्लाह ने उन्हें इससे बहुत फ़ायदा दिया।

(4888) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 19/379, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1495, बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 248.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बहुत मुमकिन है कि लोग ऐब खुल जाने की वजह से मज़ीद निडर हो जायें और ऐलानिया तौर पर ग़लत काम करने लगें। ताहम इमामे आदिल नसीहत और इस्लाहे अहवाल के लिए उनकी ख़बरें मालूम करे तो जायज़ होगा। (2) जिस तरह सय्यदना मुआविया (ﷺ) को इस फ़रमाने नबवी से फ़ायदा हुआ कि वह एक कामयाब अमीर रहे इस तरह उम्मत के सब अफ़राद उनकी पैरवी करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ

(4889) जनाब जुबैर बिन नुफ़ैर, कसीर बिन मुर्रा, अम्र बिन अस्वद (रह.), हज़रत मिक़्दाम बिन मादीकरिब और हज़रत अबू उमामा (ؓ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने

نُفَيْرٍ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، وَأَبِي، أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ " .

फ़रमाया: 'अमीर (हाकिमे वक़्त) अगर तोहमत और शुब्हे की बिना पर लोगों के दरपे होगा तो उनको बिगाड़ देगा।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/4.

फ़ायदा : हाकिमे वक़्त को माफ़ी और दरगुज़र से काम लेना चाहिए और टोह में पड़ने से इज्तेनाब करना चाहिए। अलबत्ता हुदूद के निफ़ाज़ में उसे किसी क़िस्म की रू रिआयत (माफ़ी तलाफ़ी) नहीं करनी चाहिए।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَىْءٌ نَأْخُذْ بِهِ .

(4890) जनाब ज़ैद बिन वहब बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया और बताया गया कि ये फ़ुलां आदमी है और इसकी दाढ़ी से शराब के क़तरे टपक रहे हैं। तो अब्दुल्लाह ने कहा: हमें टोह लगाने से मना किया गया है, हाँ अगर कोई बात वाज़ेह ज़ाहिर हो तो हम उसका मुवाख़िज़ा करेंगे।

(4890) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 18945, इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद: 18/21, 22.

﴾45﴿ بَابٌ فِي السَّتْرِ عَنِ الْمُسْلِمِ

बाब : 45 मुसलमान की पर्दापोशी करने का बयान

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

(4891) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी की कोई बुराई देखी और फिर उस पर पर्दा डाल दिया तो उसने गोया क़ब्र में गाड़ी गई लड़की को ज़िन्दा कर दिया।'

وسلم قَالَ " مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً " .

तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद: 758, इब्ने हिब्बान: 493, नसाई सुनन कुब्रा: 7282, हाकिम: 4/384.

फ़ायदा : मुसलमान जिससे कभी कोई ग़लती हो गई हो, तो उसके राज़ को फ़ाश करना किसी तरह की नेकी नहीं, नसीहत ज़रूर करनी चाहिए। हाँ अगर कोई आदी मुजरिम और फ़ासिक़ फ़ाजिर हो तो उसकी पर्दापोशी मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे उसके फ़िस्क़ व फुजूर में और इज़ाफ़ा हो जायेगा। इसलिए उसकी शिकायत हाकिम और क़ाज़ी तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا، كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ جِيرَانَنَا هَؤُلاَءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَإِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ . فَقَالَ دَعْهُمْ . ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى عُقْبَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ إِنَّ جِيرَانَنَا قَدْ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ . قَالَ وَيْحَكَ دَعْهُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَيْثٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لاَ تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدْهُمْ .

(4892) जनाब दुख़ैन जो हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) के सैक्रेटी थे, ने बयान किया कि हमारे कुछ हमसाये थे जो शराब पीते थे। मैंने उनको मना किया मगर वह बाज़ न आये। मैंने हज़रत उक़्बा से कहा: हमारे ये हमसाये शराब पीते हैं, मैंने उनको मना किया है मगर ये बाज़ नहीं आये। मैं पूलिस को बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहा: दफ़ा कर उन्हें छोड़ दे। मैं फिर दोबारा हज़रत उक़्बा (ﷺ) के पास आया और उन्हें बताया कि हमारे इन हमसायों ने शराब छोड़ने से इंकार कर दिया है और मैं पूलिस को बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहा: अफ़सोस तुझ पर! उन्हें छोड़ दे। बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। और (ऊपर दी गई) हदीस मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के हम मानी बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: हाशिम बिन क़ासिम ने जनाब लैस़ से इस रिवायत में बयान किया कि ऐसे मत करो, बल्कि उन्हें नसीहत करो और धमकी दो।

(4892) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/153, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 7283.

बाब : 46
... भाईचारे का बयान

﴿46﴾

باب الْمُؤَاخَاةِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(4893) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर) (ﷺ) से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर ज़ुल्म व ज़्यादती करता है और न उसे उसके हालात पर छोड़ देता है (कि उसकी कोई परवाह ही न करे) जो शख़्स अपने भाई के काम में होगा (उसकी कोई ज़रूरत पूरी करेगा) तो अल्लाह उसके काम में होगा (अल्लाह तआ़ला भी उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर देगा।) और जिसने किसी मुसलमान का एक दुख दूर किया अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल क़यामत के रोज़ उसका एक दुख दूर करेगा, और जिसने किसी मुसलमान का ऐब छुपाया, अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल क़यामत के रोज़ उसके ऐब छुपायेगा।

(4893) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2442, व सही मुस्लिम: 2580.

फ़ायदा : दूसरे मुसलमान भाईयों, अ़ज़ीज़ों, रिश्तेदारों, हमसायों और अहबाब के अहवाल की ख़बर रखनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी मुआवनत (मदद) करनी चाहिए। बिलख़ुसूस मुश्किलात में उनसे बे परवाह हो जाना और उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देना ख़िलाफ़े शरीयत और बहुत बुरी ख़स्लत है।

बाब : 47
गाली गलोच करने वाले

﴾47﴿ باب الْمُسْتَبَّانِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ

(4894) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आपस में गाली गलोच करने वाले जो भी कहें, उसका गुनाह इब्तेदा (शुरूआत) करने वाले ही पर है जब तक कि मज़्लूम ज़्यादती न करे।'

(4894) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2587.

फ़ायदा : जो शख़्स किसी गुनाह का सबब (कारण) बने तो मुक़ाबिल के गुनाह का वबाल भी इब्तेदा करने वाले ही के सर होता है। मगर ये कि मुक़ाबिल ज़्यादती कर जाये।

बाब : 48
तवाज़ोअ और इन्केसारी का बयान

﴾48﴿ باب فِي التَّوَاضُعِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ " .

(4895) हज़रत इयाज़ बिन हिमार (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने मुझे वह्य फ़रमाई है कि तवाज़ोअ और इन्केसारी इख़्तियार करो यहाँ तक कि कोई किसी पर ज़ुल्म व ज़्यादती न करे और न कोई किसी पर फ़ख़्र करे।'

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6672, व सही मुस्लिम: 2865.

फ़ायदा : सभी अहादीसे नबविया अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की जानिब से वह्य (अल्लाह की बातों) का हिस्सा हैं। इरशादे बारी तआ़ला है: 'आप (ﷺ) अपनी ख़्वाहिश से नहीं बोलते। मगर सब वह्य

होता है।' (अन्नज्म: 3, 4) तो कुछ फ़रामीन में इस क़िस्म के जुम्लों का इज़ाफ़ा कि 'अल्लाह ने मुझे वह्य की है' वह इस मज़मून की अहमियत और ताकीद के पेशे नज़र होता है और ऐसी अहादीस़ को 'अहादीस़े क़ुदसीया' कहा जाता है।

बाब : 49
बदला लेने का बयान

﴾49﴿
باب في الانتصار

फ़ायदा : कुछ लोग इस क़द्र ग़नी होते हैं कि तवाज़ोअ , इंकेसार और माफ़ी व दरगुज़र के मानी ग़लत समझ लेते हैं और अपने बिल मुक़ाबिल को बिल्कुल हेच (नीचा) समझते हूए हर किसी पर ज़्यादती करने में दिलेर हो जाते हैं। अगर तर्जुबे से महसूस हो कि ज़्यादती करने वाला अपने मुक़ाबिल के हक़ व हैसियत और अपनी ग़लती को नहीं समझ रहा, तो जायज़ है कि ऐसे ज़ालिम के हाथ और ज़बान पर बंद बाँधा जाये ताकि वह मज़ीद दिलेर न हो और कमज़ोरों पर नाहक़ ज़ुल्म न करे। सूरह अश्शूरा में ये मज़मून यूँ बयान हूआ है: 'और वह लोग जब उन पर ज़ुल्म व ज़्यादती हो तो वह बदला लेते हैं, और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। फिर जो कोई माफ़ करे और सुलह करे तो इसका स़वाब अल्लाह के ज़िम्मे है बेशक वह ज़्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता।' (अश्शूरा: 39, 40)

(4896) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे हूए थे और आपके साथ आपके स़हाबा भी थे कि एक आदमी ने हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) को बुरा भला कहा और उन्हें अज़ीयत (तकलीफ़) दी, तो अबू बक्र(رضي الله عنه) ख़ामोश रहे। उसने फिर दूसरी बार अज़ीयत दी तो अबू बक्र (رضي الله عنه) ख़ामोश रहे। उसने फिर तीसरी बार अज़ीयत (तकलीफ़) दी तो अबूबक्र (رضي الله عنه) ने उससे बदला लिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उठ खड़े हूए, तो अबूबक्र (رضي الله عنه) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मुझसे नाराज़ हो गये? तो

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَآذَاهُ فَصَمَتَ عنه أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوَجَدْتَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आसमान से एक फ़रिश्ता उतरा था जो उस आदमी को उसके कहे पर झुठला रहा था। जब तुमने उससे बदला लिया तो शैतान आ गया। और जब शैतान आ गया तो मैं नहीं बैठ सकता।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, फ़िल आदाब: 170.

عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ

(4897) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत अबूबक्र (ﷺ) को बुरा भला कहा करता था। और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सफ़वान बिन ईसा ने इब्ने अजलान से ऐसे ही रिवायत किया है जैसे सुफ़ियान ने रिवायत किया है।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/436.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَسَاقَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ .

फ़ायदा : मुसलमान भाई अगर किसी वक़्त तल्ख़ी में आ जाये तो जितना हो सके सब्र व हिल्म से बर्दाश्त करना चाहिए। ग़लत बातों का जवाब देने के लिये अल्लाह के फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। जब इंसान ख़ूद से बदला लेने पर आ जाता है तो अल्लाह तआला की नुसरत (मदद) और ताईद ख़त्म हो जाती है।

(4898) जनाब (अब्दुल्लाह) इब्ने औन (रह.) कहते हैं कि मैं आयते करीमा (वलम निन्तसर बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका माअलैहिम मिन सबील) में वारिद (इन्तेसार) के मानी पूछता था कि मुझे अली बिन ज़ुदआन बिन ज़ुदान ने अपनी सौतेली वालिदा उम्मे मुहम्मद से रिवायत किया और इब्ने औन ने कहा: इन लोगों का ख़याल था कि उम्मे मुहम्मद, उम्मुल मोमिनीन (सय्यदा आयशा) (ﷺ) के यहाँ आया जाया करती थी। उम्मे मुहम्मद ने कहा: उम्मुल मोमिनीन (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الاِنْتِصَارِ، {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ } فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَزَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ

عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فَطَّنْتُهُ لَهَا فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقْحَمُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِيَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ " سُبِّيهَا " فَسَبَّتْهَا فَغَلَبَتْهَا فَانْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ . فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا " إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " . فَانْصَرَفَتْ فَقَالَتْ لَهُمْ إِنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا . قَالَ وَجَاءَ عَلِيٌّ رضى الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ .

बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये, जबकि (उम्मुल मोमिनीन) ज़ैनब बिन्ते जहश भी हमारे यहाँ थी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपने हाथ से छेड़ा (जैसे मियाँ बीवी में होता है) तो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया और आपको इशारे से समझाया कि वह (ज़ैनब भी) हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो आप रूक गये। फिर हज़रत ज़ैनब (ؓ), हज़रत आयशा(ؓ) पर बोलने लगीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत ज़ैनब (ؓ) को मना किया मगर वह न रूकीं तो आपने हज़रत आयशा(ؓ) से कहा कि उसे जवाब दो, चुनांचे उन्होंने उसी अन्दाज़ से जवाब दिया और (सय्यदा ज़ैनब) (ؓ) पर ग़ालिब आ गयीं। तो सय्यदा ज़ैनब(ؓ) हज़रत अली (ؓ) के यहाँ गये और कहा कि सय्यदा आयशा (ؓ) तुम लोगों (बनू हाशिम) के बारे में ऐसे ऐसे बातें करती है और ऐसे ऐसे किया है। तो सय्यदा फ़ातिमा (ؓ) (रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास) आयीं तो आप (ﷺ) ने उन्हें कहा: 'रब्बे काबा की क़सम! ये तुम्हारे अब्बा की चहेती है।' चुनांचे हज़रत फ़ातिमा (ؓ) वापस चली गयीं और आकर उन्हें (हज़रत अली और ज़ैनब (ؓ) को) बताया कि मैंने आपको ऐसे ऐसे कहा है तो आपने मुझे ऐसे ऐसे कहा है। चुनांचे हज़रत अली(ؓ) नबी (ﷺ) के पास आये और आपसे इस बारे में बात की।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/130.

बाब : 50
फ़ौत शुदागान (गुज़रे हुए लोगों) को बुरा भला कहने की मनाही का बयान

﴿50﴾
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ لاَ تَقَعُوا فِيهِ " .

(4899) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हारा कोई फ़ौत हो जाये तो उसे छोड़ दो और उसकी ऐबचीनी मत करो।'

(4899) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3895, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1983.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ " .

(4900) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने मरने वालों की ख़ूबियाँ बयान किया करो और उनकी बुराइयों से बाज़ रहो।'

(4900) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1019.

फ़ायदा : मरने वाला अपने किये हूए आमाल की जज़ा व सज़ा पाने के लिये अगली दुनिया जा चुका है, अब उसका बुरा तज़किरा उसके वारिसों के लिये अज़ीयत के अलावा तुम्हारे आपस के दरम्यान बुग़ज़ (झगड़े) का बाइस बनेगा। हाँ शरई ज़रूरत के तहत किसी का कुफ़्र, शिर्क, बिदअत वाज़ेह करना ज़रूरत हो तो बयान किया जाये ताकि लोग मुतन्नबा (सचेत) रहें, जैसे कुछ लोग फ़ासिद अक़ीदे की इशाअत का बाइस बने हों या रिवायते हदीस में ज़ईफ़ रहे हों तो उनका तज़किरा दीन का हिस्सा है न कि कोई ज़ाती ग़र्ज़।

बाब : 51
हद से तजावुज़ करने (आगे बढ़ने) की मुमानिअत का बयान

﴿51﴾
باب فِي النَّهْىِ عَنِ الْبَغْىِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كَانَ رَجُلاَنِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ . فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ . فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ

(4901) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बनू इस्राईल में दो आदमी आपस में भाई बने हूए थे। एक गुनाहों में मुलव्विस था जबकि दूसरे इबादत में कोशॉ (मशग़ूल) रहता था। इबादत करने वाला जब भी दूसरे को गुनाह में देखता तो उसे कहता कि बाज़ आ जा। आख़िर एक दिन उसने दूसरे को गुनाह में पाया तो उसे कहा कि बाज़ आ जा। उसने कहा: मुझे रहने दे, मेरा मामला मेरे रब के साथ है। क्या तू मुझ पर कोई चौकीदार बनाकर भेजा गया है? तो उसने कहा: अल्लाह की क़सम! अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा या तुझे जन्नत में दाख़िल नहीं करेगा। चुनांचे वह दोनों फ़ौत हो गये और रब्बुल आलमीन के यहां जमा हूए, तो अल्लाह ने इबादत में कोशिश करने वाले से फ़रमाया: क्या तू मेरे मुताल्लिक़ (ज्यादा) जानने वाला था या जो मेरे हाथ में है तुझे उस पर क़ुदरत हासिल थी? और फिर गुनाहगार से फ़रमाया: जा मेरी रहमत से जन्नत में दाख़िल हो जा। और दूसरे के मुताल्लिक़ फ़रमाया: इसे जहन्नम में ले जाओ।' हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं:

بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ .

उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! उसने ऐसी बात कह दी जिसने उसकी दुनिया और आख़िरत तबाह करके रख दी।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/323.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नेकी, ख़ैर, अम्र बिल मारूफ़ और नही अ़निल मुन्कर के मुबारक आ़माल में मशग़ूल अफ़राद को हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। नीज़ उन्हें अपने आ़माले ख़ैर पर किसी तरह धोखा नहीं खाना चाहिए कि वह यक़ीनन जन्नत में चले जायेंगे और गुनाहगार मुसलमानों के मुताल्लिक़ ये वहम नहीं होना चाहिए कि अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा या वह जन्नत में नहीं जायेंगे। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का मीज़ाने अ़दल बड़ा दक़ीक़ और अ़जीब है। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने जो भी फ़ैसले फ़रमाये, और जो फ़रमायेगा, वह अ़दल ही पर मबनी हैं और कोई नहीं जो उससे पूछ सके और वह हर एक से पूछ सकता है। इरशादे गिरामी है: (ला युसअलु अ़म्मा यफ़्अलु वहुम युस्अलून) (अल अम्बिया: 23) **(2)** जन्नत सरासर अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का फ़ज़ल और उसकी इनायत है, नेकियों का बदला या क़ीमत नहीं। नेकियाँ सिर्फ़ बंदगी का इज़हार हैं। बंदा इज़हारे बंदगी में जिस क़द्र आगे बढ़ेगा उम्मीद करनी चाहिए कि उसी क़द्र ज़्यादा फ़ज़ल व इनायत का मुस्तहिक़ ठहरेगा और इसके साथ साथ हमेशा डरते भी रहना चाहिए कि कहीं ये सब कुछ नामक़बूल न हो जाये। (रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस्समीउल अ़लीमु व तुब अ़लैना इन्नका अन्तत तव्वाबुर्रहीम)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا - مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ - مِثْلُ الْبَغْىِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " .

(4902) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई गुनाह इस लायक़ नहीं कि अल्लाह तआ़ला उसकी सज़ा दुनिया में भी जल्दी दे दे और उसके साथ साथ आख़िरत में भी उसकी सज़ा जमा रखे जैसे कि ज़ुल्म व ज़्यादती और क़तअ़ रहमी है।'

(4902) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2511, इब्ने माजा, हदीस: 4211, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2039, 2040, हाकिम: 2/306, 4/162, 163.

फ़ायदा : मतलब ये है कि बग़ी व उ़दवान (ज़ुल्म व ज़्यादती) और क़तअ़ रहमी, ये दोनों जुर्म ऐसे हैं कि अल्लाह तआ़ला आख़री सज़ा के अ़लावा दुनिया में भी आ़म तौर पर जल्द ही इनकी सज़ा दे देता है। इसलिए क़तअ़ रहमी से भी बचना चाहिए और ज़ुल्म व उ़दवान से भी।

बाब : 52
हसद के अहकाम व मसाइल

﴿52﴾ باب فِي الْحَسَدِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ " . أَوْ قَالَ " الْعُشْبَ "

(4903) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हसद (दूसरों पर जलने और कुढ़ने) से अपने आपको बचाओ। बिलाशुब्हा हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग ईंधन को ... या फ़रमाया ... घास फूस को खा जाती है।'

(4903) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अ़ब्द बिन हुमैद, हदीस: 1430.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम हसद के बुरा होने में कोई शक नहीं। क्योंकि हसद दरअसल अक़ीद–ए–रज़ा बिल क़ज़ा (अल्लाह के फ़ैसलों और उसकी तक़सीम पर राज़ी रहने) में कमी और कमज़ोरी की वजह से आता है, इसलिए इंसान किसी के पास कोई नेमत और ख़ैर देखे तो उस पर जलने कुढ़ने की बजाये अल्लाह से दुआ किया करे कि ऐ अल्लाह! मुझे भी ये या इससे उ़म्दा इनायत फ़रमा। ये कैफ़ियत रश्क और ग़िब्ता कहलाती है जो एक अच्छी सिफ़त है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي

(4904) जनाब सहल बिन अबू उमामा (रह.) ने बयान किया कि वह और उसका वालिद मदीना में हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) के यहां गये। ये हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) के दौर की बात है, जबकि वह मदीना के गवर्नर थे। हम हज़रत अनस (ﷺ) के यहां पहुँचे तो वह बड़ी हल्की फुल्की नमाज़ पढ़ रहे थे, गोया कि मुसाफ़िर की नमाज़ हो या उसके क़रीब। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मेरे वालिद ने पूछा: अल्लाह

صَلاَةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً كَأَنَّهَا صَلاَةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ قَالَ إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ وَإِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْطَأْتُ إِلاَّ شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ - فَقَالَ - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ { رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ } " . ثُمَّ غَدَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَلاَ تَرْكَبُ لِتَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ قَالَ نَعَمْ فَرَكِبُوا جَمِيعًا فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادَ أَهْلُهَا وَانْقَضَوْا وَفَنَوْا خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا فَقَالَ " أَتَعْرِفُ هَذِهِ الدِّيَارَ " . فَقُلْتُ مَا أَعْرَفَنِي بِهَا وَبِأَهْلِهَا هَذِهِ دِيَارُ قَوْمٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْيُ

आप पर रहम फ़रमाये! ये बतायें कि ये फ़र्ज़ नमाज़ थी या आपने कोई नफ़ल पढ़ी हैं? उन्होंने कहाः ये फ़र्ज़ नमाज़ थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ ऐसे ही होती थी। मैंने इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़ी सिवाए उसके जो कोई मैं भूल गया हूँ (तो वह अलग बात है।) उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थेः 'अपनी जानों पर सख़्ती मत करो वरना तुम पर सख़्ती की जायेगी। बिलाशुब्हा कई क़ौमों ने अपनी जानों पर सख़्तियाँ कीं तो अल्लाह ने भी उन पर सख़्ती की। जंगलों में माबदों के अंदर और गिरजा घरों में उन्हीं लोगों के बक़िया लोग हैं (जिनका क़ुर्आन मजीद में ज़िक्र है।) इन लोगों ने रहबानियत इख़्तियार कर ली, उन्होंने ये बिदअत निकाली, हमने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था।' (अल हदीदः 27) फिर हम अगले दिन सुबह के वक़्त उनके पास गये तो उन्होंने कहाः क्या तुम सवार नहीं हो जाते कि कुछ देखो और इबरत पकड़ो। वालिद ने कहाः हाँ चलते हैं। चुनांचे हम सब सवार हो लिये। तो उन्होंने कुछ बस्तियाँ दिखाई कि उनके लोग हलाक हो गये थे, मर खप गये थे और उन्हें बर्बाद कर दिया गया था और उनकी बस्तियाँ अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। उन्होंने कहाः क्या तुम इन बस्तियों को पहचानते हो? वालिद ने कहाः नहीं, मुझे इन बस्तियों का और इन लोगों का कोई इल्म नहीं है।

وَالْحَسَدُ إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ وَالْبَغْىُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ وَالْعَيْنُ تَزْنِي وَالْكَفُّ وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَاللِّسَانُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ .

उन्होंने बताया कि ये इस क़ौम की बस्तियाँ हैं जिनको बग़ावत और हसद ने हलाक करके रख दिया था। बिलाशुबहा हसद से नेकियों का नूर बुझ जाता है और बग़ावत इसकी तस्दीक़ करती है या उसे झुठला देती है। आँख ज़िना करती है और फिर हाथ, पाँव, जिस्म, ज़बान और शर्मगाह उसकी तस्दीक़ कर देती हैं या तकज़ीब।

(4904) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्नद अबू यअ्ला:6/365, हदीस:3694, तारीख़ अलकबीर:4/97

फ़ायदा : ये रिवायत भी जईफ़ है। मगर हक़ीक़त ये है कि हसद और बग़ावत की वजह से अफ़राद, ख़ानदान और क़ौमें दुनिया के अंदर ही तबाह व बर्बाद हो कर रह जाती हैं।

﴿53﴾ بَابٌ فِي اللَّعْنِ

बाब : 53
लानत करने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ نِمْرَانَ، يَذْكُرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا " .

(4905) हज़रत अबूद्दरदा (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बंदा जब किसी चीज़ को लानत करता है तो वह लानत आसमान की जानिब चढ़ती है तो उसके आगे आसमान के दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं। फिर वह ज़मीन की तरफ़ उतरती है तो उसके आगे उसके दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं। फिर वह दायें और बायें जाती है। अगर कोई जगह न पाये तो जिस पर लानत की गई हो उस पर वाक़ेअ हो जाती है बशर्ते कि वह चीज़ उसकी हक़दार हो वरना उसके कहने वाले की तरफ़ लौट जाती है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मरवान बिन

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ وَهِمَ فِيهِ .

मुहम्मद ने कहा: (सनद में मज़कूर रावी वलीद बिन रबाह दरअसल) रबाह बिन वलीद है। यहया बिन हस्सान को इसमें वहम हुआ है।

(4905) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/164, मुसनद अहमद: 1/408.

फ़ायदा : ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ के नज़दीक ज़ईफ़ है। लेकिन मानी के हिसाब से सही है, यानी लानत करना बहुत बुरा अमल है। अगर लानत करदा चीज़ उसकी मुस्तहिक़ न हो तो लानत करने वाला ख़ूद मलऊन हो जाता है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 1269) लानत के लुग़वी मानी हैं: 'अल्लाह की रहमत से दूर होना।'

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلاَ بِغَضَبِ اللَّهِ وَلاَ بِالنَّارِ " .

(4906) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की लानत से लानत मत किया करो और अल्लाह के ग़ज़ब और दोज़ख़ की बद्दुआ मत दिया करो।'

(4906) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1976, हाकिम: 1/48.

फ़ायदा : इस रिवायत को भी कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने हसन क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ " .

(4907) हज़रत अबूद्दरदा (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'जो बहुत ज़्यादा लानत करने वाले हूए वह (किसी के) सिफ़ारशी या गवाह नहीं बन सकेंगे।'

(4907) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2598.

फ़ायदा : ये किस क़द्र बड़ी महरूमी है कि किसी बंदे को इस फ़ज़ीलत से महरूम कर दिया जाये। हालांकि अहले ईमान अपने अज़ीज़ों और दूसरों की सिफ़ारिश कर सकेंगे और उनके लिये गवाह भी बनेंगे।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، ح وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، - قَالَ زَيْدٌ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، لَعَنَ الرِّيحَ - وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ " .

(4908) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने हवा को लानत की। और मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के अल्फ़ाज़ हैं कि नबी (ﷺ) के ज़माने में हवा से एक शख़्स की चादर उड़ गई तो उसने उसे लानत कर दी, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे लानत मत करो, बिलाशुब्हा ये (अल्लाह के हुक्म की) पाबन्द है। और बिलाशुब्हा जिसने किसी चीज़ को लानत की जब कि वह उसकी हक़दार न हो, तो ये लानत करने वाले पर लौट आती है।'

(4908) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1978, हदीस: 4905 में देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत को भी कुछ ने सही कहा है, लिहाज़ा अल्लाह की मख़्लूक़ पर लानत करना क़तअ़न जायज़ नहीं सिवाए उनके जिन पर अल्लाह ने और उसके रसूल (ﷺ) ने लानत की है। जैसे काफ़िरीन, ज़ालिमीन, काज़िबीन (झूठे) वग़ैरह। जैसे कि दुआए क़ुनूते नाज़िला में है: (अल्लाहुम्मल अ़निल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अ़न सबीलिका व युकज़्ज़िबूना रूसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक) 'ऐ अल्लाह! इन काफ़िरों पर लानत फ़रमा जो तेरे रास्ते से रोकते हैं, तेरे पैग़म्बरों को झुठलाते हैं और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं।'

﴾54﴿
بَابٌ فِيمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَ

बाब : 54
जो कोई अपने ज़ालिम को बद्दुआ करे

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ سُرِقَ لَهَا شَىْءٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(4909) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि उनकी कोई चीज़ चोरी हो गई तो वह (चोर को) बद्दुआ देने लगीं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'उसकी सज़ा को इससे हल्का मत करो।'

عليه وسلم " لاَ تُسَبِّخِي عَنْهُ " .

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 1497 में देखें, मुसनद अहमद: 6/136, नसाई सुनन कुब्रा: 7359.

«55» باب فِيمَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

बाब : 55 मुसलमान भाई से मेल जोल छोड़ देने का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ " .

(4910) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुस्सा मत किया करो। एक दूसरे से हसद मत किया करो। एक दूसरे को पीठ मत दिया करो (कि मेल जोल छोड़ दो) बल्कि अल्लाह के बंदे भाई भाई बन कर रहो। किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि अपने भाई से तीन रात से ज़्यादा मेल जोल छोड़े रहे।'

(4910) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6075, मौता: 2/907, व सही मुस्लिम: 2559.

फ़ायदा : तीन दिन रात से ज़्यादा क़तअ ताल्लुक़ी करना और मेल जोल छोड़ देना इस सूरत में नाजायज़ और हराम है जब महज़ अपनी ज़ात के लिये हो। अगर अल्लाह तआला के लिये हो तो ये मशरूअ, महबूब और अच्छा है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने हदीस़: 4916 के आख़िर में अस़ल मसले की वज़ाहत कर दी है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ

(4911) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान के लिये जायज़ नहीं कि अपने भाई के साथ तीन दिन से ज़्यादा मेल जोल छोड़े रहे कि जब दोनों की मुलाक़ात हो तो ये भी मुँह फेर ले और वह भी। और इनमें सबसे बेहतर वह है जो अस्सलामु अलैकुम कहने में इब्तेदा (शुरूआत) करे।'

أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ " .

(4911) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6077, मौता: 2/906, 907, व स़ही मुस्लिम: 2560.

फ़ायदा : अगर कहीं शकर रन्जी (मन मुटाव) हो जाये तो ताल्लूक़ात को बिल्कुल ही मुन्क़तअ़ (कट) कर लेना जायज़ नहीं। हाँ अगर मज़ीद यारी बढ़ाना ख़िलाफ़े मस़लिहत हों तो सलाम दुआ से बख़ील नहीं हो जाना चाहिए। इस हदीस़ और अगली हदीस़ से मालूम होता है कि सलाम करना और उसका जवाब देना, ताल्लुक़ तोड़ने वाले के गुनाह को ख़त्म कर देता है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ، أَنَّ أَبَا عَامِرٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ " . زَادَ أَحْمَدُ " وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ " .

(4912) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान को हलाल नहीं कि किसी स़ाहिबे ईमान से तीन दिन से ज़्यादा बातचीत न करे। अगर तीन दिन गुज़र जायें तो चाहिए कि उससे मिले और उसको सलाम कहे। अगर वह सलाम का जवाब दे दे तो अज्र व स़वाब में दोनों शरीक हो गये। अगर वह जवाब न दे तो उसका गुनाह उसी दूसरे के ज़िम्मे है।' अहमद (बिन सईद सरख़सी) ने मज़ीद कहा: 'सलाम करने वाला (ताल्लुक़ तोड़ने का) के गुनाह से निकल गया।'

(4912) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद: 414, तारीख़ अलकबीर: 1/257, हदीस़: 4775 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ، - يَعْنِي الْمَدَنِيَّ - قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثَةٍ فَإِذَا

(4913) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान के लिए ठीक नहीं कि किसी मुसलमान से तीन दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ तोड़कर रखे। चुनांचे (चाहिए कि) जब उससे मिले तो उसे सलाम कहे, तीन बार, अगर किसी बार भी जवाब न दे तो वही गुनाहगार हूआ।'

لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ " .

(4913) तख़रीज : (सनद हसन) अबू यअ़ला: 8/60, हदीस़: 4583.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ " .

(4914) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा मेल जोल छोड़े रहे। जिसने तीन दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ तोड़कर रहा और मर गया तो वह आग में जायेगा।'

(4914) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/392, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 9161.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ " .

(4915) हज़रत अबू ख़िराश सुलमी (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: 'जिसने एक साल तक अपने भाई से रवाबित (ताल्लुक़) तोड़े रखे तो वह ऐसे है जैसे उसका ख़ून बहाया हो।'

(4915) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/220, हाकिम: 4/163.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

(4916) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं तो हर वह बंदा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करता हो उसे बख़्शा दिया जाता है। सिवाए उसके कि उसके और उसके भाई के दरम्यान बुग़्ज़ (कीना कपट) और नाराज़ी हो। तो कहा जाता है: उन्हें मोहलत दो यहाँ तक कि सुलह कर लें।'

" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَطَّى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपनी कुछ बीवियों से चालीस दिन तक मेल जोल छोड़ दिया था। और हज़रत इब्ने उ़मर (ؓ) ने मरने तक अपने एक बेटे से मुक़ातआ किये रखा था। इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अलग़र्ज़ ये मुक़ातआ और मेल जोल छोड़ना अगर अल्लाह के लिये हो तो उस पर ये वईदें नहीं हैं। जनाब उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ने एक आदमी से अपना चेहरा ढाँप लिया था।

(4916) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2565.

﴿56﴾ بَابٌ فِي الظَّنِّ

बाब : 56
ज़न और गुमान का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا " .

(4917) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने आपको गुमान से बचाओ' बिलाशुब्हा गुमान सबसे झूठी बात है, और न टोह लगाओ और न जासूसी करो।'

(4917) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6066, मौता: 2/907, 908, व सही मुस्लिम: 2563.

फ़ायदा : 'ज़न' का लफ़्ज़ कई मानों के लिये इस्तेमाल होता है, 'ज़न' बमअ़नी गुमान, ज़न बमअ़नी इल्म व यक़ीन। लेकिन यहाँ ज़न से मुराद वह ग़लत और बुरे गुमान हैं जो किसी के मुताल्लिक़ दिल में जगह पा जाते हैं और हकीक़त में उनकी कोई दलील नहीं होती और शरीयत इसकी ताईद नहीं करती। 'ज़न' की बहस के लिये मौलाना मुहम्मद इस्माईल सल्फ़ी (रह.) की किताब 'हुज्जियते हदीस' एक अहम और क़ाबिले मुताला किताब है।

बाब : 57
(मुसलमान भाई की) ख़ैरख़्वाही और हिफ़ाज़त का बयान

﴿57﴾ بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ وَالْحِيَاطَةِ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ " .

(4918) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन मोमिन का आईना है, और मोमिन मोमिन का भाई है, उसके माल का (नुक़सान होता हो तो) बचाव करता है और उसकी ग़ैर मौजूदगी में उसकी (इज़्ज़त की) हिफ़ाज़त करता है।'

(4918) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 239.

फ़ायदा : मुसलमान भाई के ऐबों को फ़ैलाना जायज़ नहीं, अलबत्ता ख़ामोशी के साथ मुनासिब अन्दाज़ में फ़हमाइश (डाँट डपट) ज़रूर कर दे ताकि वह अपनी इस्लाह कर ले। नीज़ उसकी हाज़िरी या ग़ैर हाज़िरी में हर तरह से उसकी ख़ैरख़्वाही करना वाजिब है।

बाब : 58
आपस के रवाबित (ताल्लुक़) बेहतर बनाने की फ़ज़ीलत का बयान

﴿58﴾ بَابٌ فِي إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي

(4919) हज़रत अबूद्दरदा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें रोज़े, नमाज़ और सदक़े से बढ़ कर अफ़ज़ल दर्जात के आमाल न बताऊं?' सहाबा ने कहा:

الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ " .

क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'आपस के मेल जोल और रवाबित को बेहतर बनाना। (और उसके बरअक्स) आपस के मेल जोल और रवाबित में फूट डालना (दीन को) मूंडा देने वाली ख़स्लत है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2509, ज़ुहद, हदीस: 4919, मौता: 2/904, हदीस: 1741.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़ाज़िल मुहक्क़िक़ इस रिवायत की तख़रीज करते हूए लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। अलबत्ता यही मतन सईद बिन मुसय्यब (रह.) के क़ौल के हवाले से मौता इमाम मालिक में मरवी है और ये सनदन सही है, जबकि शैख़ अल्बानी (रह.) ज़िक्र की गई रिवायत ही को सही क़रार देते हैं। **(2)** अल्लाह के हुकूक में बुनियादी अहम फ़राइज के फ़ज़ाइल व दर्जात की हिफ़ाज़त के लिये ज़रूरी है कि मुसलमान मुआशरती (सामाजिक) ज़िन्दगी में पसन्दीदा मुसलमान हो। अगर कोई शख़्स अल्लाह के हुकूक की अदायगी में सरगर्म हो मगर बन्दों के हुकूक़ में नाकाम हो तो महज़ अल्लाह के हुकूक की अदायगी से पूरे तौर पर मतलूबा फ़ज़ाइल व दर्जात हासिल नहीं होंगे। बल्कि अन्देशा है कि कहीं वह हसनात (नेकियाँ) भी ज़ाया न हो जायें।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ " . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ " لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا " .

(4920) जनाब हुमैद बिन अब्दुर्रहमान अपनी वालिदा (उम्मे कुलसूम बिन्ते उक़्बा बिन अबी मुईत) से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने दो आदमियों में सुलह कराने की ख़ातिर बात बनाकर कही हो, उसने झूठ नहीं बोला।' अहमद बिन मुहम्मद और मुसद्दद की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'जिसने लोगों में सुलह कराने के लिये भली बात कही या पहुँचाई वह झूठा नहीं है।'

(4920) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2692, व सही मुस्लिम: 2605.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَىْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا".

(4921) हज़रत उम्मे कुल्सूम बिन्ते उक़्बा (ﷺ) से रिवायत है कहती हैं: मैंने नहीं सुना कि रसूल (ﷺ) ने झूठ की कहीं इजाज़त दी हो मगर तीन मौक़ों पर। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'मैं ऐसे आदमी को झूठा शुमार नहीं करता जो लोगों में सुलह कराने की ग़र्ज़ से कोई बात बनाता हो और उसका मक़सद सिवाए सुलह और इस्लाह के कुछ न हो, और जो शख़्स लड़ाई में कोई बात बनाये और शौहर जो अपनी बीवी से या बीवी अपने शौहर के सामने कोई बात बनाये।'

(4921) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 9124.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसलमान भाईयों में सुलह और इस्लाह के लिये अगर कहीं कोई बात बनानी पड़ जाये तो उससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। ये झूठ ऐबदार नहीं होता। **(2)** मियाँ बीवी अगर किसी नाराज़ी को दूर करने के लिये या लफ़्ज़ी तौर पर एक दूसरे को मोहब्बत जतलाने के लिये कोई बात कहें तो जायज़ है ताकि उनकी घरेलू ज़िन्दगी मुसर्रत भरी रहे। **(3)** दुशमन को धोखा देना भी जायज़ है।

﴿59﴾ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِنَاءِ

बाब : 59
गाने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَىَّ صَبِيحَةَ بُنِيَ بِي فَجَلَسَ

(4922) हज़रत रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़रा (ﷺ) बयान करती हैं कि जब मेरी रूख़्सती हुई उस सुबह रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये और मेरे बिस्तर पर उसी तरह तशरीफ़ फ़रमा हूए थे जैसे तुम (ख़ालिद

عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ . فَقَالَ " دَعِي هَذِهِ وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ " .

बिन ज़कवान) मेरे पास बैठे हूए हो। तो (अन्सार की) छोटी बच्चियाँ अपने अपने दुफ़ बजाने लगीं और मेरे उन आबा का ज़िक्र करने लगीं जो बद्र में शहीद हो गये थे। यहाँ तक कि उनमें से एक बच्ची ने कहा: और हममें ऐसा नबी है जो कल आइन्दा की बात जानता है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस बात को छोड़ दो और वही कहो जो पहले कह रही थी।'

(4922) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5147.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बच्चियों को उनकी ख़ाना आबादी पर मुबारक बाद देने जाना मुस्तहब अमल है। **(2)** ऐसी ख़ुशियों के मौक़ों पर छोटी नाबालिग़ बच्चियों का दुफ़ बजाना जायज़ और मुस्तहब है ताकि निकाह और शादी का ऐलान हो। **(3)** आलाते मोसीक़ी में से सिर्फ़ दुफ़ ही एक ऐसा आला है जो शरीयत में जायज़ क़रार दिया गया है और ये ख़ूद साख़्ता सादा सी ढोलक होती है जिसकी एक जानिब खुली होती है। **(4)** अस्लाफ़े मुस्लिमीन के कारनामों का ज़िक्र करना अच्छा है। **(5)** शादमानी का मौक़ा हो या किसी ग़मी का कोई ऐसी बात कहना या करना जो शरई उसूल व क़वाइद के ख़िलाफ़ हो, नाजायज़ है। **(6)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुताल्लिक़ ये अक़ीदा कि आप इल्मे ग़ैब जानते थे, ग़लत अक़ीदा है, नबी (ﷺ) ने इसकी तस्दीक़ व ताईद नहीं फ़रमाई।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ .

(4923) हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मदीना तशरीफ़ लाये तो हब्शी लोगों ने आपकी आमद की ख़ूशी में अपने नेज़ों के साथ (जंगी फ़न का) मुज़ाहिरा किया था।

(4923) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/161, अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 19723.

फ़ायदा : ईद और दीगर ख़ूशी के मौक़ो पर जंगी कर्तबों का इज़हार करना और अशआर पढ़ना जायज़ है बशर्ते कि शरई हुदूद (दीन के दायरे) में हों।

﴾60﴿
بَاب كَرَاهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ

बाब : 60
गाने और आलाते मोसीक़ी की कराहत का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، مِزْمَارًا - قَالَ - فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ . قَالَ فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .

(4924) जनाब नाफ़े बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (﵁) ने बांसुरी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी ऊँगलियाँ अपने कानों पर रख लीं और रास्ते से दूर चले गये। और फिर मुझसे पूछा: ऐ नाफ़े! क्या भला कुछ सुन रहे हो? मैंने कहा: नहीं, तो उन्होंने अपनी ऊँगलियाँ अपने कानों से उठा लीं और कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था तो आपने इस तरह की आवाज़ सुनी तो आपने ऐसे ही किया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस़ मुन्कर (ज़ईफ़) है।

(4924) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/38, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2013.

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद का क़ौल स़ही नहीं है, ये रिवायत हसन और बक़ौल अ़ल्लामा अलबानी (रह.) स़ही है और दीगर अहादीस़ से स़ाबित है कि (लह्वल हदीस़) से मुराद आलाते मोसीक़ी हैं जिनकी क़तअ़न इजाज़त नहीं है। और बिलख़ुसूस़ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के नाम को तबले की थाप पर बजाना उनकी इन्तेहाई तौहीन है और मोसीक़ी की तमाम क़िस्में हराम हैं सिवाए दुफ़ के।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ فَذَكَرَ

(4925) (ऊपर दी गई रिवायत के सिलसिले में) जनाब नाफ़े (रह.) कहते हैं कि मैं हज़रत इब्ने उमर (﵁) के साथ सवारी पर उनके पीछे बैठा हूआ था कि उनका गुज़र एक चरवाहे के पास से हूआ जो बांसुरी बजा रहा था। और

ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द ज़िक्र किया।

نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَدْخِلَ بَيْنَ مُطْعِمٍ وَنَافِعٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मुतइम (बिन मिक़्दाम) और नाफ़े के दरम्यान सुलैमान बिन मूसा का वास्ता बढ़ा दिया गया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी: 1/13.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ، زَامِرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَنْكَرُهَا .

(4926) जनाब मैमून बिन मेहरान, नाफ़े से रिवायत करते हैं कि हम हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के साथ थे कि उन्होंने एक बांसुरी वाले की आवाज़ सुनी। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द ज़िक्र किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत सबसे ज़्यादा मुन्कर (ज़ईफ़) है।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 10/222.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ شَيْخٍ، شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِي وَلِيمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يُغَنُّونَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ " .

(4927) सलाम बिन मिस्कीन एक शैख़ से रिवायत करते हैं जो जनाब अबू वाइल (रह.) के साथ एक वलीमे में हाज़िर था। पस वह लोग आपस में खेलने खिलाने और गाने लगे तो जनाब अबू वाइल (रह.) ने अपनी कमर से अपना कपड़ा खोला और कहा: मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से सुना है, वह फ़रमाते थे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'गाना दिल में निफ़ाक़ पैदा करता है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/223.

फ़ायदा : ये रिवायत मरफ़ूअ़न स़ही नहीं है। अलबत्ता हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) का क़ौल (मौक़ूफ़) स़ही है। उन्होंने कहा; 'गाना दिल में निफ़ाक़ पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता है।' (फ़वाइद इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) इग़ास़तुल लहफ़ान)

बाब : 61
हिजड़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

﴿61﴾
بَابٌ فِي الْحُكْمِ فِي الْمُخَنَّثِينَ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا بَالُ هَذَا " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ . فَأُمِرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ فَقَالَ " إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ " . قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ .

(4928) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास एक हिजड़ा लाया गया जिसने अपने हाथ पाँव मेहन्दी से रंगे हूए थे। नबी (ﷺ) ने उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त फ़रमाया: 'इसे क्या है?' बताया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! ये औरतों के साथ मुशाबिहत करता है। तो आपने हुक्म दिया और उसे मक़ामे नक़ीअ की तरफ़ निकाल बाहर कर दिया गया। सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उसे क़त्ल न कर दें? आपने फ़रमाया: 'मुझे नमाज़ियों को क़त्ल करने से मना किया गया है।'

अबू उसामा कहते हैं कि नक़ीअ (नून के साथ) मदीना से एक जानिब एक जगह का नाम है जो बक़ीअ से अलग है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारक़ुतनी: 2/54, 55, इब्ने ज़ोजी, अल इलल, हदीस: 1257, मिश्कात: 3365.

फ़ायदा : इस रिवायत की सेहत व ज़ुअफ़ में इख़्तिलाफ़ है। औरतों की मुशाबिहत इख़्तियार करने वाला इस क़ाबिल नहीं कि मदीना मुनव्वरा के अन्दर रह सके। सहाबा ने इस वजह से इजाज़त चाही थी कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। मगर आप (ﷺ) ने इजाज़त नहीं दी। और मुसलमानों और मोमिनों को नमाज़ी के लक़ब से ज़िक्र किया कि यही उनका इम्तियाज़ी वस्फ़ है। और हिजड़े भी इस्लाम और अहकामे इस्लाम के इसी तरह मुकल्लफ़ हैं जिस तरह दूसरे मर्द और औरतें।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

(4929) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) उनके

यहाँ तशरीफ़ लाये और देखा कि उनके यहाँ एक हिजड़ा है और वह उन (उम्मे सलमा) (ﷺ) के भाई अ़ब्दुल्लाह से कह रहा है कि अगर कल अल्लाह तुम्हें ताइफ़ फ़तह करा दे तो मैं तुम्हें एक औ़रत के मुताल्लिक़ बताऊंगा जो चार से आती और आठ से लौटती है। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्हें अपने घरों से निकाल दो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसका मतलब ये था कि औ़रत के पेट पर (मोटापा होने की वजह से) चार बल पड़ते हैं। (औ़रत के पेट पर सामने की जानिब से चार बल और जब पुश्त फेरे तो पहलूओं की जानिब से यही बल चार चार होकर आठ बन जाते हैं तो अ़रब में औ़रत का इस अन्दाज़ से मोटी होना हुस्न समझा जाता है।)

(4929) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 9/63, बुख़ारी, हदीस़: 5235, व स़ही मुस्लिम: 2180.

عَنْ هِشَامٍ، - يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهَا إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَرْأَةُ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ عُكَنٍ فِي بَطْنِهَا .

फ़ायदा : फ़साद मिज़ाज अफ़राद (गंदी सोच रखने वाले लोगों) को घरों में आने जाने का मौक़ा देना मुआशरे में फ़साद बढ़ाने का ज़रिया है। इसलिए अपने घरों को उनसे पाक स़ाफ़ रखना ज़रूरी है। तो मौजूदा दौर के रेडियो, टी.वी., वी.सी.आर., डिश, कैबल, नीज़ उ़रयाँ पिक्चर वाले अख़बारात, रिसाले सभी इसी ज़िम्न में आते हैं और हकीकत में इन चीज़ों के ना'गुफ़्ताबेह (बहुत ख़तरनाक) अस़रात भी हमारे घरों और माहौल में नुमायाँ हैं। इनसे छुटकारा हास़िल करना वाजिब है।

(4930) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हिजड़े बनने वाले मर्दों और मर्दाना अन्दाज़ इख़्तियार करने वाली औ़रतों पर लानत फ़रमाई है। और फ़रमाया: 'उन्हें अपने घरों से निकाल बाहर करो, और फ़ुलां फ़ुलां हिजड़े को बाहर निकाल दो।'

(4930) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6834.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا " . يَعْنِي الْمُخَنَّثِينَ .

बाब : 62
गुड़ियो से खेलने का बयान

«62»
باب فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي الْجَوَارِي فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ .

(4931) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि मैं गुड़ियों के साथ खेला करती थी। तो कभी–कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आते और मेरे यहाँ (महल्ले की) बच्चियाँ होतीं। जब आप तशरीफ़ लाते तो वह चली जाती और जब आप चले जाते तो वह आ जाया करती थीं।

तख़रीज : बुख़ारी, 6130, मुस्लिम, हदीस: 2440.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ " . قَالَتْ بَنَاتِي . وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ " مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ " . قَالَتْ فَرَسٌ . قَالَ "

(4932) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्व–ए–तबूक या ख़ैबर से वापस तशरीफ़ लाये तो मेरे ताक़चे के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो उसने पर्दे की एक जानिब उठा दी तब सामने मेरे खिलौने और गुड़ियाँ नज़र आये। आपने पूछा: 'आयशा ये क्या है?' मैंने कहा: ये मेरी गुड़ियाँ हैं। आपने उनमें कपड़े का एक गुड्डा भी देखा जिसके दो पर थे। आपने पूछा: 'मैं इनके दरम्यान ये क्या देख रहा हूँ?' मैंने कहा: ये गुड्डा है। आपने पूछा: 'और उसके ऊपर क्या है?' मैंने कहा: इसके दो पर हैं। आपने कहा: 'क्या गुड्डे के भी पर होते हैं?' आयशा (ﷺ) ने कहा: आपने सुना नहीं कि हज़रत

وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ " . قَالَتْ جَنَاحَانِ . قَالَ " فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ " . قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ .

सुलेमान (ﷺ) के घोड़े के पर थे? कहती हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) इस क़द्र हँसे कि मैंने आपकी डाढ़ें देखी।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा: 8950.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बच्चों और बच्चियों को न सिर्फ़ इजाज़त है बल्कि उनका फ़ितरी हक़ है कि उन्हें खेलने के मौक़े फ़राहम किये जायें। मगर वाजिब है कि उनकी तफ़रीहात शरई मिज़ाज से हम आहन्ग हों। **(2)** बच्चियाँ अगर अपने तौर पर हाथ से गुड़ियाँ गुड्डे वग़ैरह बनायें तो जायज़ हैं। और ये उन ममनूअ तसावीर में शामिल नहीं जिनका बनाना या रखना नाजायज़ हो। फिर भी ख़्याल रहे कि मौजूदा दौर में उन खिलौनों की जो तरक़्क़ी याफ़्ता जदीद सूरत है कि प्लास्टिक, कपड़े और पत्थर वग़ैरह से बने बिल्कुल नक़ल मुताबिक़ असल होते हैं। इनके बारे में राजेह यही है कि ये जायज़ नहीं। जबकि कुछ घरों में इनको बतौर आराइश नुमायाँ करके रखा जाता है जिसकी किसी तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती।

(63)
باب فِي الأُرْجُوحَةِ

बाब : 63
झूले का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَ نِسْوَةٌ - وَقَالَ بِشْرٌ فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ - وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ فَذَهَبْنَ بِي وَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي فَأُتِيَ بِي

(4933) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे शादी की तो मेरी उमर सात साल या छ: साल थी। जब हम मदीना मुनव्वरा आये तो चंद औरतें आयीं ... बिश्र बिन ख़ालिद के अल्फ़ाज़ हैं: (मेरी वालिदा) उम्मे रूमान आईं ... जबकि मैं एक झूले पर थी और वह मुझे ले गयीं। मुझे तैयार किया, बनाया संवारा और रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ भेज दिया गया। मेरी रूख़सती हूई तो मेरी उमर नो साल थी। (मेरी वालिदा ने) मुझे

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ فَوَقَفَتْ بِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هِيهْ هِيهْ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَىْ تَنَفَّسْتُ - فَأُدْخِلْتُ بَيْتًا فَإِذَا فِيهِ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ . دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ .

दरवाज़े पर खड़ा कर दिया तो मैंने कहा: (हिया, हिया) यानी इंकार करने की आवाज़। इमाम अबू दाऊद (रह.) इसकी वज़ाहत में कहते हैं: यानी मैंने लम्बा (ठण्डा) साँस लिया और मुझे एक घर में दाख़िल कर दिया गया तो वहाँ अन्सार की कुछ औरतें थीं। उन्होंने दुआए ख़ैर व बरकत के साथ मेरा इस्तेक़बाल किया। हम्माद और अबू उसामा की रिवायत एक दूसरे में मिल गई है।

तख़रीज : बुख़ारी:3894, व सही मुस्लिम: 1422.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، مِثْلَهُ قَالَ عَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَسَلَّمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ .

(4934) जनाब अबू उसामा ने ऊपर दी गई हदीस़ के मिस़्ल रिवायत किया और कहा: अल्लाह करे तेरी क़िस्मत अच्छी हो। और मुझे उन औरतों के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरा सर धोया और मुझे बनाया संवारा। और मैं उस वक़्त डर सी गई जब दिन चढ़े रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे सामने हूए तो उन्होंने मुझे आपके हवाले कर दिया।

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ فَذَهَبْنَ بِي فَهَيَّأْنَنِي وَصَنَّعْنَنِي ثُمَّ أَتَيْنَ بِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ .

(4935) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि जब हम मदीने आये तो मेरे पास कुछ औरतें आयीं जबकि मैं एक झूले पर खेल रही थी। और मेरे बाल कानों से नीचे उतर रहे थे। तो वह मुझे ले गयीं और मुझे तैयार किया, बनाया संवारा। फिर वह मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ले आईं। मेरी (रसूलुल्लाह (ﷺ) के घर) रूख़सती हूई तो मेरी उमर नो साल थी।

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ وَأَنَا عَلَى الأُرْجُوحَةِ، وَمَعِي، صَوَاحِبَاتِي فَأَدْخَلْنَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ .

(4936) जनाब हिशाम बिन उर्वा ने अपनी सनद से इसी रिवायत में बयान किया कि सय्यदा आयशा(ﷺ) ने कहा: मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले पर थी, तो उन्होंने मुझे एक घर में दाख़िल कर दिया। वहाँ अन्सार की कुछ औरतें थीं, तो उन्होंने ख़ैर व बरकत की दुआ के साथ मेरा इस्तेक़बाल किया।

(4936) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2121 में देखें, हदीस: 4933 में देखें, पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ - قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ - قَالَتْ - فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَلَى أُرْجُوحَةٍ بَيْنَ عَذْقَيْنِ فَجَاءَتْنِي أُمِّي فَأَنْزَلَتْنِي وَلِي جُمَيْمَةٌ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(4937) यहया बिन अब्दुर्रहमान बिन हातिब बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) ने कहा: हम मदीने आये और बनू हारिस बिन ख़ज़रज के यहाँ हमारा क़याम हुआ। कहती हैं, अल्लाह की क़सम! मैं खजूर की दो लड़यों में लगे एक झूले पर थी कि मेरी वालिदा आईं, तो उन्होंने मुझे उससे उतारा, और मेरे बाल छोटे छोटे थे। और पूरी हदीस बयान की।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/210.

फ़ायदा : आज कल के कुछ आधुनिक ख़्यालात रखने वाले लोगों को इन अहादीस और सिग़रे सिन्नी (छोटी उमर) के इस निकाह और शादी पर बहुत ऐतराज़ है। वह मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ से इसका इंकार करते हैं, हालांकि इस इंकार की कोई हक़ीक़ी वजह नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि तिब्बी, मुआशरती, इलाक़ाई, और जुग़राफ़ियाई अहवाल व ज़ुरूफ़ का गहरी नज़र से मुताला करें तो वाज़ेह होगा कि कुछ अहवाल और कुछ इलाक़ों में इस उमर की लड़कियों का बालिग़ हो जाना कोई अचम्भे की बात नहीं है और फिर आइली ज़िन्दगी के फ़ितरी मराहिल से गुज़रना उनके लिये कोई अनहोनी बात नहीं होती। इस वाक़िया में बिलख़ुसूस ये बात पेशे नज़र रहे कि ये निकाह हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़(ﷺ) को रसूलुल्लाह के यहां मज़ीद क़ुर्बत व शर्फ़ देने के लिये अमल में लाया गया था। ताकि उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां वक़्त बे वक़्त आने में कोई दुशवारी पेश न आये। और उनका रसूल (ﷺ) के साथ रब्त व ज़ब्त मज़ीद

गहरा हो जाये। और फिर इस निकाह की बुनियाद वह ख़्वाब थे जो तवातुर के साथ नबी (ﷺ) को दिखलाये गये थे। ये ख़्वाब इस बात की तरफ़ इशारा था कि सय्यदा आयशा (ؓ) का निकाह नबी (ﷺ) के साथ मुक़द्दर कर दिया गया है। ये अहादीस़ सही और ये वाक़िया तारीख़ी शरई और फ़िक़ही ऐतबार से बिल्कुल सही और ऐन हक़ है इसका इंकार दर हक़ीक़त इंकारे हदीस़ की सीढ़ी है।

﴿64﴾ باب فِي النَّهْيِ عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

बाब : 64 नर्द (चौसर) खेलना नाजायज़ है

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .

(4938) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स चौसर खेला उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।'

(4938) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3762, मौता: 2/958, व सही मुस्लिम: 2260.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (नर्द) का तर्जुमा (लुअ़बतुत्ताबिला) क्या गया है, यानी लकड़ी के तख़्ते पर खेल, जिससे चौसर, केरम बोर्ड, और लुड्डो वग़ैरह की क़िस्म के खेल मुराद हो सकते हैं। **(2)** हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ऊपर दी गई रिवायत की तहक़ीक़ करते हूए लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन जईफ़ है, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस़ नम्बर: 2260 इस रिवायत से किफ़ायत करती है, लिहाज़ा मालूम हुआ कि ये रिवायत मअ़नन क़ाबिले हुज्जत है, नीज़ शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी ऊपर दी गई रिवायत को हसन क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

(4939) जनाब सलमान बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स नर्द शेर (चौसर) खेला

بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ "

गोया उसने अपना हाथ सूअर के गोश्त और ख़ून से आलूदा किया।'

(4939) **तख़रीज :** सही मुस्लिम: 2260.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऐसे खेल जो वक़्त और सरमाये के ज़ाया होने का बाइस हों क़तअन नाजायज़ हैं। खेल का असल मक़सद ज़हनी राहत और जिस्मानी वर्जिश होता है। अगर जायज़ खेलों में भी वक़्त ज़ाया होता हो तो वह नाजायज़ हो जायेंगे। **(2)** इन सही अहादीस और मज़कूरा उसूल की रू से क्रिकेट जैसे खेल की क़तअन कोई इजाज़त नहीं। और शरअन ये नाजायज़ खेल है, क्योंकि इस खेल में जिस तरह 'बेदर्दी' से बेशुमार लोगों का वक़्त ज़ाया होता और किया जाता है उसकी मिसाल किसी और खेल में नहीं मिलती। इसके अलावा क्रिकेट वग़ैरह जैसे खेल में नमाज़, रोज़े की कोई परवाह होती है न किसी और दीनी व दुनियावी काम का ख़्याल। इसके साथ साथ ये खेल बैनुल अक़वामी सतह पर जूए जैसी बदतरीन लानत और कबीरा गुनाह का बहुत बड़ा सबब और ज़रिया बन चुका है। क़ौमी और मुल्की सतह पर इसके नुक़सानात और मुज़िर असरात बेपनाह हैं और इनके मुक़ाबले में फ़ायदा कुछ भी नहीं। ऐसा खेल खेलना और इसकी हौसला अफ़ज़ाई करना तो दूर की बात, एक बंद–ए–रहमान की शान ये बयान की गई है कि वह ऐसे लग़्व और बेफ़ायदा 'काम' की तरफ़ देखने का भी रवादार नहीं होता बल्कि वहाँ से शराफ़त से गुज़र जाता है। क़ुर्आने मुक़द्दस में इरशादे बारी तआला है: 'रहमान के बंदे जब किसी लग़्व (दीनी और दुनियावी ऐतबार से बेफ़ायदा) चीज़ से गुज़रते हैं तो बाइज़्ज़त तौर पर गुज़र जाते हैं।' ऐसी ख़ूबसूरत और हस्सास शरीयत और ऐसा पाकीज़ा दीन जिसमें 'चौसर' खेलने की इजाज़त नहीं है, इस दीने फ़ितरत में क्रिकेट जैसे खेल की इजाज़त किस तरह हो सकती है? वल्लाहू आलम!

बाब : 65
कबूतर बाज़ी का बयान

﴾65﴿
بَابٌ فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً ".

(4940) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा वह कबूतरी के पीछे लगा हूआ था। आपने फ़रमाया: 'शैतान, शैताननी के पीछे लगा हूआ है।'

(4940) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3765.

फ़ायदा : कबूतर बाज़ी, बटेर बाज़ी, मुर्ग़ लड़ाना वग़ैरह सब नाजायज़ मशाग़िल (काम) हैं, हाँ अगर बतौर तिजारत या ज़ीनत घर में रखे हों तो जायज़ है।

बाब : 66
रहमत व शफ़्क़त करने का बयान

﴾66﴿
بَابٌ فِي الرَّحْمَةِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ

(4941) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं: 'रहम करने वालों पर रहमान रहम फ़रमायेगा। तुम अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।'

मुसद्दद ने (सनद में वारिद 'अबू क़ाबूस' के मुताल्लिक़) ये नहीं कहा कि वह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) का मौला था। नीज़ बवज़ाहत कहा

يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ " . لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) ने रिवायत किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया है।

(4941) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1924, इब्ने अबी शैबा: 8/338, हाकिम: 4/159.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ - قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَقُولُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ فَقَالَ إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَيَّ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صلى الله عليه وسلم صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ " لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ " .

(4942) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि मैंने उस हुजरे वाले यानी हज़रत अबुल क़ासिम सादिक़ व मस्दूक़ (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'किसी बदबख़्त से ही रहमत छीनी जाती है।'

(4942) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1923.

फ़ायदा : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का वस्फ़ 'सादिक़ व मस्दूक़' यूँ है कि आप अपने क़ौल व फ़ेअ़ल और ख़बर में सादिक़ (सच्चे) थे। और अल्लाह, उसके फ़रिश्तों और मोमिनीन ने आप (ﷺ) के नबी व रसूल होने की तस्दीक़ की है, तो इस ऐतबार से आप 'मस्दूक़' हूए। (2) आप (ﷺ) के रहम का दायरा अपने, पराये, छोटे, बड़े, जेरे दस्त मुलाज़ेमीन और हैवानों तक को वसीअ़ है। साहिबे ईमान को किसी भी मौक़े पर किसी के साथ जुल्म का मामला नहीं करना चाहिए।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَرْوِيهِ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا " .

(4943) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो हमारे छोटों पर शफ़्क़त न करे और हमारे बड़ों का हक़ न पहचाने वह हममें से नहीं।'

(4943) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/222, हुमैदी, हदीस: 586, तिर्मिज़ी, हदीस: 1920.

बाब : 67
ख़ैरख़्वाही का बयान

﴾67﴿
بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ " . قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"

(4944) हज़रत तमीमदारी (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दीन नसीहत (ख़ुलूस व ख़ैरख़्वाही) का नाम है। दीन नसीहत का नाम है। दीन नसीहत का नाम है। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस के लिये? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह के लिये, उसकी किताब के लिये, उसके रसूल के लिये, अहले ईमान के अइम्मा व हुक्काम और आम मुसलमानों के लिये। या कहा कि मुसलमानों के अइम्मा व हुक्काम और आम लोगों के लिये।'

(4944) तख़रीज : सही मुस्लिम: 55.

फ़ायदा : अल्लाह के लिये नसीहत का मफ़हूम ये है कि इंसान अपने रब की उबूदियत में सरशार रहे। उसकी तौहीद का इक़रार व इज़हार करे और शिर्क से बेज़ार और दूर रहे। रसूल (ﷺ) के लिये नसीहत ये है कि उसकी रिसालत का इक़रार व इज़हार और डूब कर इताअत करे, बिदआत से बेज़ार और दूर रहे। किताबुल्लाह को अपना दस्तूरे ज़िन्दगी बनाये और तमाम मसाइल उसकी रोशनी में सरअंजाम देने के लिये कोशां रहे। हुक्कामे वक़्त के लिये नसीहत ये है कि ख़ैर व ख़ूबी के कामों में उनकी इताअत करे और उनका मुआविन बने। ज़ुल्म व तादी की सूरत में उन्हें बाज़ रखने की कोशिश करे और उनका मुआविन न बने। लोगों के अंदर बिलावजह उनकी मुख़ालिफ़त के जज़्बात न उभारे और आम मुसलमानों में हस्बे मरातिब, दीन व दुनिया के मामलात में भलाई से पेश आये, यही उनके लिये नसीहत है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي

(4945) हज़रत जरीर (बिन अब्दुल्लाह बजली)(ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनने और इताअत करने

زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - قَالَ - وَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّىْءَ أَوِ اشْتَرَاهُ قَالَ " أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَرْ " .

और हर मुसलमान के लिये ख़ैरख़्वाही करने पर बैत कर रखी है। रावी ने कहा: चुनांचे वह (हज़रत जरीर) (ﷺ) जब कोई चीज़ फ़रोख़्त करते या ख़रीद करते तो कहते: तहक़ीक़ जो चीज़ हमने तुमसे ली है वह हमें अपनी चीज़ से जो हमने तुम्हें दी है, ज़्यादा प्यारी है, चुनांचे तुम्हें इख़्तियार है। (अपनी चीज़ या माल वापस लेना चाहो तो ले सकते हो।)

तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा 4162.

﴾68﴿
بابٌ فِي الْمَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ

बाब : 68
मुसलमान की मदद करने का बयान

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، - وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ

(4946) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी मुसलमान से दुनिया का एक दुख दूर किया अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उससे क़यामत के रोज़ एक दुख दूर करेगा। और जिसने किसी मुश्किल में पड़े शख़्स के लिये आसानी की, अल्लाह उसके लिये दुनिया और आख़िरत में आसानी करेगा। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दादारी की अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल दुनिया और आख़िरत में उसकी पर्दादारी करेगा और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उस वक़्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में रहे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उ़स्मान

اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ " وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ " .

(बिन अबी शैबा) ने अबू मुआविया से ये जुम्ला रिवायत नहीं किया: 'जिसने किसी मुश्किल में पड़े शख़्स के लिये आसानी की...'

(4946) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 9/85, तिर्मिज़ी, हदीस: 1930, व सही मुस्लिम: 2699.

फ़ायदा : इस हदीस से वह मारूफ़ ज़ाब्ता साबित होता है कि बंदे को जज़ा हमेशा उसी तरह की मिलती है जैसा उसने अमल किया हो, यानी 'जैसा करोगे वैसा भरोगे।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " .

(4947) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने बयान किया कि तुम्हारे नबी (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हर नेकी सदक़ा है।'

(4947) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1005.

फ़ायदा : सदक़े का मफ़हूम सिर्फ़ माल ही से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी नेकी सदक़ा है।

﴿69﴾ باب فِي تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ

बाब : 69
(ग़लत) नाम बदल देने का बयान

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ .

(4948) हज़रत अबुद्दरदा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम लोग क़यामत के दिन अपने और अपने आबा (पुर्वज़ों) के नामों से पुकारे जाओगे। चुनांचे अपने नाम अच्छे अच्छे रखा करो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अबू ज़करिया ने हज़रत अबुद्दरदा (ﷺ) को नहीं पाया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद इब्ने हुमैद: 213, मुसनद अहमद: 5/194.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، سَبَلاَنُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ " .

(4949) हज़रत अ़ब्दुललाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सब नामों में से अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रहमान अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल को बहुत ही प्यारे हैं।'

(4949) तख़रीज : सही मुस्लिम; 2132.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ " .

(4950) हज़रत अबू वहब जुशमी (ﷺ) से रिवायत है ... और इन्हें सहाबी होने का शर्फ़ हासिल है ... वह कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अम्बिया के नाम रखा करो और अल्लाह को सब नामों में ज़्यादा महबूब अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रहमान हैं। सबसे बढ़ कर वाक़ियात से क़रीब ये नाम हैं, हारिस़ (खेती बाड़ी करने वाला) और हम्माम (रंज व फ़िक्र में पड़ा हूआ) और ये नाम सबसे बुरे हैं, हरब (लड़ाका) और मुर्रा (कड़वा)'

(4950) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 2543, 2544, 2553 में देखें, नसाई, हदीस़: 3595.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** 'अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रहमान' जैसे नामों में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ बंदगी की निसबत और उसका इज़हार है, तो सआदत है उस बंदे के लिये जिसे उठते बैठते मौक़ा ब मौक़ा उस आ़ली निसबत से पुकारा जाये। उसके बिलमुक़ाबिल इंसानों में कौन होगा जिसे असबाबे रिज़्क़ की फ़िक्र न हो या किसी तरह के रंज व अलम से महफ़ूज़ हो? इसलिए 'हारिस़ और हम्माम' ऐसे नाम हैं जो हक़ीक़त से क़रीबतर है। नीज़ बक़ौल कुछ, नाम का अपने मुसम्मा पर कुछ मानवी असर भी होता है इसलिए अच्छे नाम रखने चाहिए। हरब (लड़ाका) और मुर्रा (कड़वा) बहुत बुरे नाम हैं, लिहाज़ा इनसे बचना चाहिए। **(2)** ऊपर दी गई रिवायत की, तहक़ीक़ की बाबत हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इसके शवाहिद हैं। लेकिन उन शवाहिद की तफ़्सील ज़िक्र नहीं की वह शवाहिद किस दर्जे के हैं ... ऊपर दी गई रिवायत के अल्फ़ाज़ (अहब्बुल अस्मा ... अ़ब्दुल्लाह व अ़ब्दुर्रहमान) सही मुस्लिम (हदीस़: 2132) और सुनन अबू

दाऊद (हदीस: 4949) में सही सनद से मरवी हैं जिनहें ख़ूद उन्होंने भी सही क़रार दिया है। नीज़ रिवायत के बाक़ी अल्फ़ाज: (अस्दकुहा हारिस व हम्माम...) के भी शवाहिद मिलते हैं, जिन्हें शैख़ अल्बानी (रह.) ने ज़िक्र किया है, तो मालूम हुआ कि ये रिवायत (तुसम्मू बिअस्माइल अम्बिया) के अल्फ़ाज़ के सिवा सही है, जैसा कि शैख़ अल्बानी (रह.) ने ज़िक्र किया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 904)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ قَالَ " هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ " . قُلْتُ نَعَمْ - قَالَ - فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ فَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " حِبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرُ " . وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ .

(4951) हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं कि जब (मेरे सौतेले भाई) अ़ब्दुल्लाह बिन अबू तलहा की विलादत हूई तो मैं उसे नबी (ﷺ) की ख़िदमत में ले गया। जब कि नबी (ﷺ) एक अ़बा पहने अपने ऊँट को गन्धक लगा रहे थे। आपने पूछा: 'क्या तुम्हारे पास खजूर है?' मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ। और मैंने आपको कई खजूरें पेश कीं। आपने उन्हें अपने मुँह में डाल कर चबाया, फिर बच्चे का मुँह खोल कर उन्हें उसके मुँह में डाल दिया तो वह अपनी ज़बान चलाने लगा। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अन्सारियों की खजूर से मोहब्बत! (यानी देखो नो मोलूद भी किस चाहत से खा रहा है।)' और आपने उसका नाम अ़ब्दुल्लाह रखा।

(4951) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2144.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नोमोलूद को सालेह अफ़राद (नेक लोगों) से घुट्टी दिलवाने का एहतिमाम करना मुस्तहब है और उसके लिए खजूर एक अच्छी चीज है। (2) सातवें दिन से पहले भी नाम रखा जा सकता है। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना काम करने में कोई आ़र महसूस नहीं किया करते थे।

बाब : 70
ग़लत और बुरे नाम बदल देने का बयान

﴿70﴾
باب فِي تَغْيِيرِ الاِسْمِ الْقَبِيحِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ " أَنْتِ جَمِيلَةُ " .

(4952) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने 'आसिया' नाम बदल दिया और फ़रमाया: 'तू जमीला (ख़ूबसूरत) है।'

(4952) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/18, व सही मुस्लिम: 2139.

फ़ायदा : अरब लोग 'आसिया' नाम रखते थे। उनकी मुराद होती थी ज़ुल्म व ज़्यादती और बुराई से इंकार करने वाला, करने वाली। मगर इसमें 'इस्यान' (नाफ़रमानी) का मफ़हूम भी है। इसलिए इस नाम को बदल दिया गया।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، سَأَلَتْهُ مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا بَرَّةَ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ سُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ " . فَقَالَ مَا نُسَمِّيهَا قَالَ " سَمُّوهَا زَيْنَبَ " .

(4953) जनाब मुहम्मद बिन अम्र बिन अता (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (ﷺ) ने मुझसे पूछा कि तुमने अपनी बच्ची का क्या नाम रखा है? मैंने बताया कि 'बर्रा' (नेक, सालेह) तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस नाम से मना फ़रमाया है। मेरा नाम 'बर्रा' रखा गया था तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने आपको अपने मुँह से नेक और सालेह न कहलवाओ। अल्लाह तुममें से नेक और सालेह लोगों को ख़ूब जानता है।' पूछा गया: हम उसका क्या नाम रखें? आपने फ़रमाया: 'ज़ैनब नाम रखो।'

(4953) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल अदकबुल मुफ़रद, हदीस: 821, व सही मुस्लिम: 2142.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी ख़ूद ही अपनी मदह सराई (तारीफ़) करना बहुत बुरा है। और इसमें ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनमें मुबालग़ा पाया जाता हो। (2) ज़ैनब के मानी में बयान किया जाता है कि 'मोटे ख़रगोश या हसीन मन्ज़र या अच्छी ख़ूशबू वाले दरख़्त को ज़ैनब कहते हैं।' या कुछ ने इसे (ज़ैन अब) 'बाप के लिये ज़ीनत' से मुरक़्क़ब बताया है। (औनूल माबूद)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمِّهِ، أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا اسْمُكَ " . قَالَ أَنَا أَصْرَمُ . قَالَ " بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ " .

(4954) हज़रत उसामा बिन अख़्दरी (ﷺ) से रिवायत है कि 'असरम' नामी एक शख़्स उस वफ़द में शमिल था जो नबी (ﷺ) के यहाँ आया। आपने उससे पूछा: 'तुम्हारा नाम क्या है?' उसने कहा 'मैं असरम (काटने वाला) हूँ आपने फ़रमाया: 'बल्कि तुम ज़ुरआ हो' (बमानी बोने और काश्त करने वाला)

(4954) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 1/196, हदीस: 523, हाकिम: 4/274.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ، هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ " . فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ

(4955) हज़रत हानी बिन यज़ीद (ﷺ) से रिवायत है कि जब वह अपनी क़ौम का वफ़द लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन लोगों को सुना वह उसे 'अबुल हकम' की कुन्नियत से पुकारते हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'हकम' (फ़ैसला करने वाला) अल्लाह ही है (ये उसी का नाम है) और तमाम फ़ैसले उसी की तरफ़ हैं। तुम्हें ये कुन्नियत 'क्यूंकर दी गई है?' उसने अर्ज़ किया: बेशक मेरी क़ौम वाले जब किसी चीज़ में इख़्तिलाफ़ करते हैं तो मेरे पास आ जाते हैं और मैं उनमें फ़ैसला कर देता हूँ और फिर दोनों राज़ी हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे बेटे कौन हैं?' मैंने कहा:

الْوَلَدِ " . قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ . قَالَ " فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ " . قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ " فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ شُرَيْحٌ هَذَا هُوَ الَّذِي كَسَرَ السِّلْسِلَةَ وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ تُسْتَرَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا كَسَرَ بَابَ تُسْتَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ .

शुरैह, मुस्लिम और अब्दुल्लाह। आपने पूछा: 'उनमें बड़ा कौन है?' मैंने कहा: शुरैह। आपने फ़रमाया: 'तो तुम अबू शुरैह' हो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं ये शुरैह वही हैं जिन्होंने क़िला तुस्तर की ज़ंजीर तोड़ी और उसमें दाख़िल हूए थे। और मुझे ये बात पहुँची है कि उन्होंने तुस्तर का दरवाज़ा तोड़ा था और सुरंग में से उसके अंदर घुसे थे।

(4955) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई हदीस: 5389, हाकिम: 1/23, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1937.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुबालग़ा आमेज़ नाम और कुन्नियतें रखना दुरूस्त नहीं है और चाहिए कि ग़लत नाम बदल दिये जायें। **(2)** बेहतर ये है कि इंसान अपने बड़े बेटे के नाम पर अपनी कुन्नियत रखे। **(3)** तुस्तर इरान में इलाक़ा ख़ूज़िस्तान में एक शहर का नाम है, उसे याशिस्तर भी कहते हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " مَا اسْمُكَ " . قَالَ حَزْنٌ . قَالَ " أَنْتَ سَهْلٌ " . قَالَ لاَ السَّهْلُ يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ . قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حُزُونَةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سَلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ

(4956) जनाब सईद बिन मुसय्यब अपने वालिद से वह दादा (हज़्न) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उनसे पूछा: 'तुम्हारा क्या नाम है?' कहा: हज़्न: (बमानी सख़्त और दुश्वार गुज़ार ज़मीन) आपने फ़रमाया: 'तुम 'सहल' हो। (बमानी नर्म और आसान) उसने कहा: नहीं 'सहल' को तो रौंदा जाता और हक़ीर जाना जाता है। सईद कहते हैं: मुझे यक़ीन रहा कि हमें उनके बाद कोई सख़्ती और ग़मी लाहिक़ होने वाली है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) ने आ़स, अ़जीज़, अ़तला, शैतान, हकम, गुराब, हुबाब और शिहाब के नाम बदले हैं। और शिहाब का नाम हिशाम रखा। और हरब का सलमा। मुज़तजिअ़ का मुन्बइस़। एक इलाक़े का नाम

अफ़ीरा से बदल कर ख़ज़रा कर दिया। शैबुज़्ज़लाला का शैबुलहुदा बनुज़्ज़ीना का बनुर्रूश और बनू मुग़्विया का बनू रिशदा कर दिया।
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने उनकी सनदें इख़्तिसार की वजह से छोड़ दी है।
(4956) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6190.

الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفِرَةَ سَمَّاهَا خَضِرَةَ وَشِعْبَ الضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدَى وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي رِشْدَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلاِخْتِصَارِ .

फ़ायदा : ऊपर दिये गये नामों के मानी ये हैं: 'आस़' (नाफ़रमानी करने वाला, क़बूल न करने वाला), 'अज़ीज़' (इज़्ज़त और ग़ल्बे वाला) ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का नाम है। 'अतला' (सख़्त तबीयत), 'हकम' (उम्दा फ़ैसले करने वाला) ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का नाम है। 'ग़ुराब' (कौए को कहते हैं और इसमें दूरी और फ़िराक़ के मानी भी हैं) कौआ नजासतें भी खाता है। 'हुबाब' (शैतान का नाम है या साँप का या इसकी एक क़िस्म भी है), 'शिहाब' (आग के शौले को कहते हैं), 'हरब' (लड़ाई या बहुत ज़्यादा लड़ने वाला), 'सलम' (सलामती और सुलह वाला), 'मुज़तजिअ' (लेटने और सोने वाला), 'अल मुन्बइस़' (जागने और उठने वाला), 'अफ़िरा' (बन्जर ज़मीन), 'ख़ज़िरा' (सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन), 'शेबुज़्ज़लाला' (भटका देने वाली घाटी), 'शैबुलहुदा' (सीधी राह वाली घाटी), 'बनुज़्ज़ानिया' (बदकारों की औलाद), 'बनू रिश्दा' (हिदायत याफ़्ता लोगों की औलाद), 'बनू मुग़्विया' (गुमराहों की औलाद), इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं, चुनांचे इस वजह से (कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात क़बूल नहीं की गई) हम पर ग़मगीनी के अस़रात नुमायाँ रहे हैं। वला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह. देखिये (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 6190)

(4957) जनाब मस्रूक़ से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से मिला, तो उन्होंने पूछा: तुम कौन हो? मैंने बताया कि मस्रूक़ बिन अज्दअ। तो उमर ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'अज्दअ' शैतान है।'
(4957) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3731, इब्ने अबी शैबा: 8/477, हदीस: 2851 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ . فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ " .

(4958) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) कहते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने बच्चे या गुलाम का नाम (नजीह) 'मुबारक' आसान' (रबाह) 'नफ़ावर' (नजीह) 'कामयाब' (अफ़लह) 'कामयाब' हरगिज़ न रखना। तुम पूछोगे क्या वह यहाँ है? तो जवाब मिलेगा नहीं।' (मक़सद ये है कि इस तरह बदफ़ाली होगी) (हज़रत समुरा (ﷺ) ने कहा) ये बस चार नाम हैं, मज़ीद मेरे ज़िम्मे न लगा देना।

(4958) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2137.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا وَلاَ أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَيَقُولُ لاَ إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيدَنَّ عَلَىَّ " .

(4959) हज़रत समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि हम अपने गुलामों के नाम ये रखें। अफ़लह, यसार, नाफ़े और रबाह (नफ़ा वाला)

(4959) तख़रीज : मुसनद अहमद: 5/12, व सही मुस्लिम: 2136.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا .

(4960) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर अल्लाह ने चाहा मैं ज़िन्दा रहा तो मैं अपनी उम्मत को इससे मना करूंगा कि वह 'नाफ़े, अफ़लह और बरकत' नाम रखें।' आमश कहते हैं: मुझे मालूम नहीं शैख़ (अबू सुफ़ियान) ने नाफ़े का ज़िक्र किया या नहीं। दरअसल आदमी जब आता है और पूछता है 'क्या बरकत है?' तो जवाब मिलता है नहीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अबू ज़ुबैर ने बवास्ता हज़रत जाबिर (ﷺ) नबी (ﷺ) से इस हदीस की मानिन्द रिवायत किया है मगर इसमें

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةَ " . قَالَ الأَعْمَشُ وَلاَ أَدْرِي ذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لاَ " فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَثَمَّ بَرَكَةُ فَيَقُولُونَ لاَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

'बरकत' का ज़िक्र नहीं है।

نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ بَرَكَةَ.

(4960) तख़रीज : (सनद स़ही) अब्द बिन मुसनद, हदीस़: 1019, इब्ने अबी शैबा: 8/478, 479, बुख़ारी, हदीस़: 833, व स़ही मुस्लिम: 2138.

फ़ायदा : ऊपर दिये गये नामों से बिलख़ुसूस़ परहेज़ करना चाहिए। और स़ही मुस्लिम में है कि 'आप (ﷺ) बाद में उनसे ख़ामोश हो रहे।' (स़ही मुस्लिम: 2138.)

(4961) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'क़यामत के रोज़ सबसे बुरा नाम उस शख़्स़ का होगा जिसने अपना नाम 'मलिकुल अम्लाक' (शहंशाह, महाराज) रखा।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने बवास्ता अबू ज़िनाद इसकी सनद से ये रिवायत बयान की तो उसमें (अख़्नउ इस्मिन की बजाये) 'अख़्निस्मिन' (मबग़ूज़ तरीन नाम) कहा।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ " أَخْنَى اسْمٍ " .

(4961) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/244, बुख़ारी, हदीस़: 6206, व स़ही मुस्लिम: 2143.

फ़ायदा : उलमा–ए–किराम ने ऊपर दी गई तर्कीब से 'क़ाज़ियुल क़ुज़ात' कहने कहलाने को भी नाजायज़ कहा है।

बाब : 71
बुरे अलक़ाब से पुकारने का बयान

﴾71﴿ بابٌ فِي الأَلْقَابِ

(4962) जनाब अबू जुबैरा बिन ज़ह्हाक बयान करते हैं कि आयते करीमा: (वला तनाबज़ू बिलअल्क़ाबि बिअ्स लिस्मुलफ़ुसूक़ु बअ़दल ईमानि) 'बुरे बुरे

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جُبَيْرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ

الآيَةُ فِي بَنِي سَلِمَةَ {وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ } قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلاَّ وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَا فُلاَنُ " . فَيَقُولُونَ مَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا الاِسْمِ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ } .

नामों और लक़बों से मत पुकारो, ईमान ले आने के बाद फिस्क़ का नाम बहुत बुरा है।' ये हम, बनू सलमा के बारे में नाज़िल हूई थी। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें तशरीफ़ लाये तो हममें कोई ऐसा न था कि उसके दो या तीन नाम न हों। रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी को बुलाते 'अरे फुलां!' तो लोग कहते: ऐ अल्लाह के रसूल! रूकिये। तहक़ीक़ ये आदमी इस नाम से नाराज़ होता है। चुनांचे आयत (वलातना बज़ू बिलअल्क़ाबि..) उतरी।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3741, तिर्मिज़ी: 3268, हाकिम: 2/463, 4/181, 182.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि बुरे बुरे लक़ब या नाम रखना हराम और नाजायज़ है।

﴾72﴿ باب فِيمَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى

बाब : 72
'अबू ईसा' कुन्नियत रखना कैसा है?

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه ضَرَبَ ابْنًا لَهُ تَكَنَّى أَبَا عِيسَى وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكَنَّى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(4963) जनाब ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(ﷺ) ने अपने बेटे को, जिसने अपनी कुन्नियत 'अबू ईसा' रख ली थी, सज़ा दी। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) ने अपनी कुन्नियत अबू ईसा रखी तो हज़रत उमर (ﷺ) ने उनसे कहा: क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि अपनी कुन्नियत 'अबू अब्दुल्लाह' रख लो। उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

الله عليه وسلم كَنَّانِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَإِنَّا فِي جَلْجَلَتِنَا فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى هَلَكَ .

ही ने मेरी ये कुन्नियत रखी थी। तो हज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा: रसूल (ﷺ) के अगले पिछले तमाम गुनाह अल्लाह ने बख़्श दिये हूए हैं और हम तो एक दूसरे जैसे लोग हैं। (हममें कोई भी दूसरे से अफ़ज़ल व आ़ला नहीं) चुनांचे हज़रत मुग़ीरा(ﷺ) अपनी वफ़ात तक अबू अ़ब्दुल्लाह ही कहलाते रहे।

(4963) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/310.

फ़ायदा : अबू ईसा कुन्नियत रख लेना जायज़ है, ताहम इससे परहेज़ करना बेहतर है। ताकि हज़रत ईसा अ़लैहि. का शर्फ़ लफ़्ज़ी तौर पर भी महफ़ूज रहे और किसी को शुब्हा न हो कि हज़रत ईसा अ़लैहि. के भी बाप थे।

﴾73﴿ باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ غَيْرِهِ يَا بُنَيَّ

बाब : 73
किसी दूसरे के बच्चे को 'मेरे बेटे' कह कर पुकारना

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، - وَسَمَّاهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ الْجَعْدَ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ " يَا بُنَيَّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُثْنِي عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَيَقُولُ كَثِيرُ الْحَدِيثِ .

(4964) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उनको पुकारा, तो फ़रमाया: 'ऐ मेरे बेटे!'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मैंने यहया बिन मईन (रह.) से सुना, वह मुहम्मद बिन महबूब की मदह करते थे और बताते थे कि ये बहुत ज़्यादा साहिबे हदीस थे।

(4964) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2151.

फ़ायदा : किसी और के बच्चे को प्यार से 'बेटे या मेरे बेटे' कह कर पुकार लेने में कोई हर्ज नहीं। सूरह अहज़ाब में जो हुक्म है कि 'उन्हें उनके बापों से पुकारो।' (अलअहज़ाब: 5) ये ले पालक बच्चों के मुताल्लिक़ है कि उनके असल नसब की शोहरत ख़त्म न करो। वरना प्यार से और मजाज़न इस तरह कहना जायज़ है।

﴾74﴿
بابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ

बाब : 74
अबुल क़ासिम' कुन्नियत रखना कैसा है?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ وَسُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

(4965) मुहम्मद बिन सीरीन हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्ला (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरा नाम रख सकते हो मगर मेरी कुन्नियत पर अपनी कुन्नियत न रखो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू सालेह ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है। नीज़ अबू सुफ़ियान सालिम बिन अबू जअद, सलमान यशकुरी और इब्ने मुन्कदिर हज़रत जाबिर (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत करते हैं और हज़रत अनस बिन मालिक(ﷺ) से भी मरवी है।

(4965) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/483, बुख़ारी, हदीस़: 6188, व स़ही मुस्लिम: 2134.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के जीते जी ये कुन्नियत इख़्तियार करना जायज़ नहीं था मगर आपके बाद उलमा ने इजाज़त दे दी है कि आप (ﷺ) का नाम और कुन्नियत दोनों रखे जा सकते हैं। ज़िन्दगी में मुमानिअत की वजह ये वाक़िया था कि एक मर्तबा नबी (ﷺ) बाज़ार में थे कि एक शख़्स ने 'अबुल क़ासिम' कह कर आवाज़ दी' आपने पीछे मुड़ कर देखा, तो आवाज़ देने वाले ने कहा कि मैंने आपको आवाज़ नहीं दी, मैंने तो फ़ुलां शख़्स को आवाज़ दी है। इस वाक़िये के बाद आपने ये कुन्नियत रखने से रोक दिया। (फ़तहुल बारी, हदीस़: 6188, मज़ीद तफ़्सील के लिये फ़तहुल बारी मुलाहिज़ा हो।) जवाज़ के दलाइल अगले अबवाब में आ रहे हैं।

बाब : 75
उन हज़रात की दलील जो (नबी (ﷺ) के) नाम और कुन्नियत को जमा करना जायज़ नहीं जानते

﴾75﴿
باب مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلاَ يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلاَ يَتَسَمَّى بِاسْمِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى بِهَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتُلِفَ فِيهِ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا

(4966) जनाब अबू ज़ुबैर हज़रत जाबिर (﵁) से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स मेरा नाम रखे वह मेरी कुन्नियत इख़्तियार न करे। और जिसने मेरी कुन्नियत रखी हो वह मेरा नाम न रखे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने अजलान ने बवास्ता अपने वालिद हज़रत अबू हुरैरह (﵁) से इसी रिवायत (रिवायते जाबिर) के हम मानी रिवायत किया है। (नाम या कुन्नियत में से एक चीज़ जायज़ है। दोनों को जमा करना जायज़ नहीं) और अबू ज़ुरआ से बवास्ता हज़रत अबू हुरैरह (﵁) दोनों रिवायतें मरवी हैं (जमा करना दुरूस्त नहीं, और गुज़िश्ता रिवायत की मानिन्द भी कि सिर्फ़ कुन्नियत जायज़ नहीं) अब्दुर्रहमान बिन अबू अम्र की रिवायत जो हज़रत अबू हुरैरह (﵁) से है इसमें भी इख़्तिलाफ़ है। सौरी और इब्ने जुरैज ने अबू ज़ुबैर की मानिन्द रिवायत किया (जमा करना दुरूस्त नहीं) और मअक़िल बिन उ़बैदुल्लाह ने इब्ने सीरीन की तरह कहा (नाम रखना जायज, मगर कुन्नियत जायज़ नहीं) मूसा बिन यसार की

عَلَى الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ .

रिवायत बवास्ता हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) में भी दोनों क़ौल हैं। इसमें हम्माद बिन ख़ालिद और इब्ने अबू फ़ुदैक ने इख़्तिलाफ़ किया है।

(4966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/313, तिर्मिज़ी, 2842, बैहक़ी: 8634, बुख़ारी, हदीस़: 3538, व स़ही मुस्लिम: 2133.

﴿76﴾ باب فِي الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

बाब : 76
(नबी (ﷺ) का) नाम और कुन्नियत जमा कर लेने की रूख़्सत का बयान

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ " نَعَمْ " . وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(4967) जनाब मुहम्मद बिन हन्फ़ीया (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ली (ﷺ) ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपके बाद मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो, तो क्या मैं उसका नाम और कुन्नियत आपके नाम और कुन्नियत पर रख सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' (रावी–ए–हदीस़) अबूबक्र बिन अबू शैबा के अल्फ़ाज़ में (कुल्तु) का लफ़्ज़ नहीं है बल्कि यूँ है कि (क़ाला अ़लिय्युन लिल्नबी) (ﷺ) 'हज़रत अ़ली ने नबी (ﷺ) से पूछा।'

(4967) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2843, इब्ने अबी शैबा: 8/480.

फ़ायदा : इस वाक़िये से नाम और कुन्नियत दोनों के रखने का जवाज़ मालूम होता है। वल्लाहु आलम!

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ، عَنْ جَدَّتِهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلاَمًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي " . أَوْ " مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي "

(4968) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(﵂) से रिवायत है कि एक औरत नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे यहाँ बच्चा पैदा हूआ है और मैंने उसका नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबुल क़ासिम रखी है और मुझे बताया गया है कि आप उसे नापसन्द फ़रमाते हैं। आपने फ़रमाया: 'क्या वजह है कि मेरा नाम तो जायज़ हो और कुन्नियत हराम।' या फ़रमाया: 'किस चीज़ ने मेरी कुन्नियत हराम ठहरा दी और नाम जायज़ कर दिया?'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/135.

﴾77﴿
باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

बाब : 77
औलाद न होने के बावजूद कुन्नियत रखना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ " مَا شَأْنُهُ " . قَالُوا مَاتَ نُغَرُهُ فَقَالَ

(4969) हज़रत अनस बिन मालिक (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे और मेरे छोटे भाई ने जिसकी कुन्नियत 'अबू उमैर' थी, उसने एक चिड़िया रखी हूई थी जिससे वह खेला करता था। (उस चिड़िया को अरबी में नुग़ैर कहते थे) तो वह मर गयी। एक दिन नबी (ﷺ) उसके पास गये और उसे ग़मगीन पाया तो पूछा: इसे क्या हूआ है? हमने बताया कि इसकी चिड़िया नुग़ैर

" يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ " .

मर गयी है। तो आपने उससे फ़रमाया: 'ऐ अबू उमैर! क्या कर गया (तेरा) नुग़ैर?'

(4969) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 847, मुसनद अहमद: 3/288.

फ़ायदा : मुहद्दिसीन ने इस हदीस से इस्तेम्बात किया है कि मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा कलाम जायज़ है और हद में रह कर हँसी मज़ाक की बात में कोई हर्ज नहीं। और बच्चों के साथ मुलातफ़त (लाड प्यार) हुस्ने अख़्लाक़ का हिस्सा है। छोटी उमर में कुन्नियत रखना जायज़ है और जानवर पाल लेना, उसको पिंजरे में रखना और उनसे खेलना भी मुबाह है। (इमाम ख़त्ताबी) (रह.)

﴿78﴾ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُكَنَّى

बाब : 78
औरत कुन्नियत इख़्तियार करे तो जायज़ है

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى . قَالَ " فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ " . يَعْنِي ابْنَ أُخْتِهَا قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَعْنَبٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ .

(4970) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) कहती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी सब सहेलियों की कुन्नियतें हैं। आपने फ़रमाया: 'तो तुम अपने बेटे अब्दुल्लाह के नाम से कुन्नियत रख लो।' मक़सद था कि अपने भान्जे की निसबत से। मुसद्दद ने वज़ाहत की कि इससे मुराद 'अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर' हैं। चुनांचे उन्होंने उम्मे अब्दुल्लाह कुन्नियत इख़्तियार कर ली।

इमामा अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि क़ुर्रान बिन तमाम और मअमर दोनों ने हिशाम से इसी के मानिन्द रिवायत किया है और अबू उसामा ने हिशाम से, उसने अब्बाद बिन हम्ज़ा से रिवायत किया है। और ऐसे ही हम्माद बिन सलमा और मस्लमा बिन क़अनब ने हिशाम से इसी तरह रिवायत किया जैसे अबू उसामा ने कहा।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/107, हाकिम: 4/278.

फ़ायदा : औरतों के लिये भी जायज़ है कि कुन्नियत इख़्तियार कर लें, ख़्वाह औलाद हो या न हो।

बाब : 79
इशारे किनाये से (ज़ूमानी) बात करना

(79)
باب فِي الْمَعَارِيضِ

फ़ायदा : (मआरीज़) जमा (मिअराज़) इससे मुराद है बातचीत में ऐसी ज़ूमानी बात करना जिसके दो पहलू हों। सच और झूठ या ज़ाहिर और बातिन। दुशमन के मुक़ाबले में जहाँ शरई मसलिहत दरपेश हो वहाँ ऐसा अन्दाज़ इख़्तियार करना बिलाशुब्हा जायज़ है और उसे 'तोरीया' कहते हैं। लेकिन अपने मुसलमान भाईयों के साथ बग़ैर शरई ज़रूरत के ऐसा अन्दाज़ इख़्तियार करना कि उसके ज़रिये से किसी हक़ का इंकार हो या कोई हक़ मार ले, तो ये झूठ और धोखादेही है और नाजायज़ है।

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، - إِمَامُ مَسْجِدِ حِمْصٍ - حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ " .

(4971) हज़रत सुफ़ियान बिन असीद हज़रमी(رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बहुत बड़ी ख़्यानत है कि तू अपने भाई से कोई बात करे, वह तुम्हें सच्चा समझ रहा हो, जबकि तुम उससे झूठ बोल रहे हो।'

(4971) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 393.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन दीगर सही अहादीस से मालूम होता है कि मुसलमान भाई को धोखा देना बहुत बड़ा क़बीह गुनाह है। सही मुस्लिम में (अल यमीनु अला निय्यतिल मुस्तहलिफ़) (सही मुस्लिम: 1653) क़सम में वही मानी मोतबर होंगे जो क़सम उठाने वाले ने मुराद लिये हों। (न कि क़सम उठाने वाले के)

बाब : 80
'लोगों का ख़्याल है, समझा जाता है और कहा जाता है' वग़ैरह अन्दाज़ से बात करना

﴾80﴿
باب قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي " زَعَمُوا " . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا حُذَيْفَةُ .

(4972) जनाब अबू क़िलाबा से रिवायत है कि हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) ने अबू अब्दुल्लाह (हज़रत हुज़ैफ़ा) (ﷺ) से या अबू अब्दुल्लाह (हुज़ैफ़ा)(ﷺ) ने हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से पूछा कि आपने इस बारे में क्या सुना है जो लोग 'ज़अमू' के अन्दाज़ में बात करते हैं? (लोगों का ख़्याल है। बावर किया जाता है। कहा जाता है वग़ैरह) उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'ज़अमू' आदमी की बहुत बुरी सवारी है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू अब्दुल्लाह से मुराद हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) हैं।

(4972) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/401, इब्ने अबी शैबा, हदीस: 8/448, 449, अबी नुऐम: 5/2949, हदीस: 6885.

फ़ायदा : लोगों से सुनी सुनाई बेअसल बातों को बिला तहक़ीक़ आगे नक़ल करना बहुत बुरा है। कई लोग अपने वहम, शुब्हे या झूठ को लाग लपेट से आगे बढ़ाने में बड़े शातिर होते हैं बिलख़ुसूस मौजूदा लादीनी सहाफ़त का तो ये पहचान है।

बाब : 81
ख़ुत्बे में 'अम्मा बाद' का इस्तेमाल

﴿81﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ "أَمَّا بَعْدُ"

फ़ायदा : ख़ुत्बे में हम्द व सलात के बाद अपना मौज़ूअ शुरू करने से पहले ये कलिमा बोलना सुन्नत है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ فَقَالَ " أَمَّا بَعْدُ "

(4973) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: 'अम्मा बाद! (हम्द व सलात के बाद)'

(4973) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/466, व सही मुस्लिम: 2408.

बाब : 82
अंगूर के लिये लफ़्ज़ 'करम' इस्तेमाल करना और अपनी ज़बान व गुफ़्तगू में मोहतात रहने का बयान

﴿82﴾ باب فِي الْكَرْمِ وَحِفْظِ الْمَنْطِقِ

फ़ायदा : अरब लोग शराब पीकर आलमे मदहोशी (मदहोशी की हालत) में बहुत कुछ लुटाते थे। और इस हाल में अपने करम (सख़ावत) पर बहुत नाज़ करते थे। तो उन्होंने अंगूर को जिससे शराब हासिल होती थी 'करम' के लफ़्ज़ से मौसूम करना शूरू कर दिया। मगर इस्लाम ने शराब हराम कर दी तो फिर अंगूर के लिये मुरव्वज (प्रचलित) बेमहल लफ़्ज़ 'करम' भी ममनूअ क़रार दे दिया।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ

(4974) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स (अंगूर के लिये) लफ़्ज़ 'करम' इस्तेमाल न करे। बेशक 'करम' (सख़ावत का मन्तूक़) मुसलमान आदमी है। बल्कि यूँ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَلَكِنْ قُولُوا حَدَائِقَ الأَعْنَابِ".

कहा करो: (हदाइक़ल आनाब) 'अंगूरों के बाग़ात'

(4974) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 11644, व सही मुस्लिम.

फ़ायदा : शरई और दीनी ग़ैरत का तक़ाज़ा है कि ग़लत अल्फ़ाज़ मुसलमान की ज़बान पर जारी नहीं होने चाहिए, बिलख़ुसूस जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी तसरीह फ़रमा दी हो जैसा कि नीचे के बाब में भी वारिद है।

﴿83﴾ باب لاَ يَقُولُ الْمَمْلُوكُ "رَبِّي وَرَبَّتِي"

बाब : 83 लौण्डी, गुलाम अपने आक़ा (मालिक) को 'मेरा रब' न कहे

फ़ायदा : लफ़्ज़ (रब) के लफ़्ज़ी मानी हैं: 'पालने वाला' अरबों में लौण्डी गुलाम लोग अपने आक़ा और मालिक को लफ़्ज़ (रब्बी) और (रब्बती) 'मेरा रब' से पुकारते थे। शरीयत ने इस अन्दाज़ के अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल से सख़्ती से मना फ़रमा दिया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम और वस्फ़ का एहतराम, उसी के लिये मख़सूस रहे।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلاَ يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَاىَ وَفَتَاتِي وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4975) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स अपने गुलाम और लौण्डी को (अब्दी) 'मेरे बंदे' या (अमती) 'मेरी बंदी' के लफ़्ज़ से हरगिज़ न पुकारे। और न कोई गुलाम अपने मालिक को (रब्बी) और (रब्बती) 'मेरे रब' कहे। मालिक को चाहिए कि यूँ पुकारे (फ़ताया) 'ऐ मेरे जवान' (फ़ताती) 'ऐ मेरी लड़की' और ममलूक को चाहिए कि कहे (सय्यिदी, सय्यिदती) 'ऐ मेरे सरदार!' बिलाशुब्हा तुम सब ममलूक हो और 'रब' अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही है।'

(4975) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 210, मुसनद अहमद: 2/433, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10072, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 243.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلاَىَ " .

(4976) अबू यूनुस (सलमान बिन जुबैर) ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से बयान किया और इस रिवायत में नबी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया। (मौक़ूफ़ रिवायत बयान की और सय्यिदी व सय्यिदती की बजाये कहा:) और चाहिए कि (सय्यिदी) और (मौलाया) ऐ मेरे सरदार!' कहे।

(4976) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4977) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुनाफ़िक़ को 'सय्यिद' (सरदार, आक़ा) कह कर मत पुकारो। इसलिए कि अगर वह सरदार हुआ तो तुमने अपने रब अज़्ज़ व जल्ल को नाराज़ कर दिया।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद: 760, मुसनद अहमद: 5/346, नसाई सुनन कुब्रा: 10073, अमलुल यौम वल्लैला: 244, हाकिम: 4/311.

फ़ायदा : इरशादे बारी तआला है: 'इज़्ज़त तो सिर्फ़ अल्लाह के लिये, उसके रसूल (ﷺ) के लिये और मोमीन के लिये है।' (अल मुनाफ़िक़ून: 8) किसी मुनाफ़िक़ की इस तरह से इज़्ज़त करना जायज़ नहीं।

﴾84﴿ بَابُ لاَ يُقَالُ خَبُثَتْ نَفْسِي

बाब : 84 कोई शख़्स यूँ न कहे कि 'मेरा नफ़्स ख़बीस हो गया है'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

(4978) हज़रत अबू उमामा अपने वालिद (सहल बिन हुनैफ़) (ﷺ) से रिवायत करते हैं, रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स हरगिज़ यूँ न कहे, 'मेरा नफ़्स ख़बीस

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي " .

हो गया है।' अगर कहना भी हो तो यूँ कहे: 'मेरी तबीयत परेशान है। तबीयत ख़राब है।'

(4978) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6180, व सही मुस्लिम: 2251.

फ़ायदा : चूंकि लफ़्ज़ ख़ुबुस और ख़बीस का इतलाक़ बातिल ऐतक़ाद (कुफ़्र) झूठ और हराम कामों पर भी होता है। इसलिए हिदायत फ़रमाई गई कि मुसलमान की ज़बान नामुनासिब अल्फ़ाज़ से पाक रहे।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي "

(4979) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स हरगिज़ यूँ न कहे: मेरा जी जोश मारता है। बल्कि यूँ कहे: मेरा जी परेशान है।'

(4979) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6179, व सही मुस्लिम: 2250.

फ़ायदा : इस्लाम ने अपने मानने वालों के अक़ाइद व आमाल में पाकीज़गी पैदा करने के साथ उनकी ज़बान व बयान के उस्लूब व मुहावरात को भी पाकीज़ा बनाया है। इरशादे इलाही है: 'ईमान ले आने के बाद फ़िस्क़ का नाम बहुत बुरा है।' (अलहुजुरात: 11)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ " .

(4980) सय्यदना हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यूँ मत कहो: जो अल्लाह चाहे और फुलां चाहे, बल्कि यूँ कहो: जो अल्लाह चाहे फिर फुलां चाहे।'

(4980) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/384, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10821, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 985.

फ़ायदा : पहले जुम्ले में अल्लाह की मशीयत (चाहने) में औरों को भी शरीक करना है। जो ना जायज़ और हराम है, बल्कि वही होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआला चाहे, अलबत्ता दूसरे जुम्ले में फ़र्क़ के साथ दूसरों की मशीयत का इज़हार कर दे, तो जायज़ है।

बाब : ...

﴾85﴿

(4981) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि एक ख़तीब ने नबी (ﷺ) के सामने ख़ुत्बा दिया तो उसने कहा: (मय्युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द रशद व मंय यअ्सिहिमा) 'जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बिलाशुब्हा वह हिदायत याफ़्ता हुआ और जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की।' आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चल खड़ा हो।' या फ़रमाया: 'चला जा, तू बहुत बुरा ख़तीब है।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ خَطِيبًا، خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا . فَقَالَ " قُمْ " . أَوْ قَالَ " اذْهَبْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ " .

तख़रीज : हदीस: 1099, व सही मुस्लिम: 870.

फ़ायदा : अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) को एक ही कलिमा और ज़मीरे तसनिया में जमा करते हूए यूँ कहा: (मंय यअ्सिहिमा) 'जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की।' ख़िलाफ़े अदब शुमार किया गया है। उनको जुदा जुदा करके (व मंय यअ्सिल्लाह व रसूलहू) कहना चाहिए।

(4982) जनाब अबू मलीह एक शख़्स से रिवायत करते हैं, उसने कहा: मैं नबी (ﷺ) के साथ सवारी पर उनके पीछे बैठा हूआ था कि आपकी सवारी को ठोकर सी लगी तो मेरी ज़बान से निकला 'हलाक हो शैतान।' तो आपने फ़रमाया: 'ये मत कहो, तुम जब ये कहते हो तो वह फूल जाता है यहाँ तक कि एक घर के बराबर हो जाता है और वह समझता है कि मेरी क़ुव्वत से ऐसे हुआ, लेकिन कहो (बिस्मिल्लाह) 'अल्लाह के नाम से' तुम जब ऐसे कहते हो तो वह सिकुड़ जाता है, यहाँ तक कि मक्खी की मानिन्द हो

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ . فَقَالَ " لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولَ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ " .

जाता है।'

(4982) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10388, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 554.

फ़ायदा : अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। उससे शैतान ज़लील व रूस्वा होता है, लिहाज़ा बंदे को हर मौक़े पर मसनून अज़कार पढ़ने का आदी होना चाहिए।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَمِعْتَ " . وَقَالَ مُوسَى " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ - يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ - فَلاَ أَرَى بِهِ بَأْسًا وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.

(4983) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम सुनो ... और बलफ़्ज़ मूसा (बिन इस्माईल) जब कहे ... बंदा कि लोग तबाह हो गये। तो कहने वाला ही सबसे ज़्यादा तबाह हाल है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक (रह.) ने कहा: जब कोई लोगों को दीनी हालत में कमी और ख़राबी की वजह से ऐसे कहे तो मैं उसमें कोई हर्ज नहीं समझता। लेकिन जब कोई अपने आपको बड़ा और लोगों को हक़ीर समझते हूए ऐसे कहे तो नाजायज़ है और उसकी मुमानिअत है।

तख़रीज : मौता: 2/984, व सही मुस्लिम; 2623.

फ़ायदा : बिलाशुब्हा कोई बंदा अपने तौर पर कितना ही सालेह क्यूँ न हो लेकिन अगर शैतानी भंवर में आकर ख़ुशफ़हमी व तकब्बुर के फंदे में फँस गया तो वही सबसे ज़्यादा हलाकत में पड़ने वाला है जैसे गुज़िश्ता हदीस (4901) में गुज़रा है, लिहाज़ा बड़े और बुरे बोल बोलने से हमेशा बचना चाहिए।

बाब : 86
नमाज़े अतमा (अन्धेरे की नमाज) का बयान

﴿86﴾ بَابٌ فِي صَلاَةِ الْعَتَمَةِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ

(4984) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हरगिज़ ऐसा न हो कि ये बदवी लोग तुम्हारी नमाज़ के नाम पर

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلَكِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ " .

ग़ालिब आ जायें। ख़बरदार! बिलाशुब्हा उसका नाम 'इशा' है। लेकिन चूंकि वह लोग ऊँटनियों का दूध दूहने में अंधेरा कर देते हैं (तो इसी मुनासिबत से उसे अतमा, यानी अंधेरे वाली नमाज़ कह देते हैं।)'

(4984) तख़रीज : सही मुस्लिम: 644.

फ़ायदा : हमारे यहाँ देहातों में कुछ लोग इशा की नमाज़ को 'सोते की नमाज़' ज़ुहर को 'पेशी या पेशीन' (पहली) और अस्र को 'दीगर' (दूसरी) कहते हैं। लेकिन इस फ़रमान का मतलब ये है कि ईमानियात से मुताल्लिक़ शरई इस्तेलाहत ग़ालिब और ज़बानज़द आम होनी चाहिए, उर्फ़ से मग़लूब न होने पायें। (यानी शरीयत ने जो नाम रखा है उसी को बोलना चाहिये)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ - قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ - لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَا بِلاَلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا " .

(4985) जनाब सालिम बिन अबू जअद से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा ... मिस्अर का ख़्याल है कि वह क़बीला ख़ुज़ाआ से था ... काश मैं नमाज़ पढ़ लेता तो सुकून पाता। तो दूसरे लोगों ने गोया उसके इस अन्दाज़ पर ऐब लगाया। तो उसने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'बिलाल! नमाज़ की इक़ामत कहो, हमें इससे राहत पहुँचाओ।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 5/364.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي، إِلَى صِهْرٍ لَنَا مِنَ الأَنْصَارِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيَةُ ائْتُونِي بِوَضُوءٍ

(4986) जनाब अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद इब्ने हन्फ़ीया (रह.) बयान करते हैं कि मैं और मेरे वालिद अन्सारियों में हमारे ससुरालियों के यहाँ एयादत के लिये गये तो नमाज़ का वक़्त हो गया। तो उसने अपने घर वालों में से किसी को कहा: ऐ लड़की! वुज़ू के लिये पानी लाओ, शायद मैं नमाज़ पढ़ लूं तो राहत पाऊं। तो हमने उनका ये जुम्ला

لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ - قَالَ - فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قُمْ يَا بِلاَلُ أَقِمْ فَأَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ " .

पसन्द न किया। तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना है, आप फ़रमाते थे 'ऐ बिलाल! उठो हमें नमाज़ के साथ राहत पहुँचाओ।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/371.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْسُبُ أَحَدًا إِلاَّ إِلَى الدِّينِ .

(4987) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप हर एक चीज़ में दीन ही की निसबत का ख़्याल फ़रमाते थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : मक़सद ये है कि आम गुफ़्तगू और मामलात में दीनी निस्बत का एहतिमाम करना चाहिए। जाहिली निस्बतों से परहेज़ करना चाहिए जैसे कि ऊपर की हदीसों में गुज़रा है।

﴿87﴾ بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّرْخِيصِ، فِي ذَلِكَ

बाब : 87
कुछ औक़ात इस्तेआरा व किनाया का इस्तेमाल जायज़ है

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ " مَا رَأَيْنَا شَيْئًا " . أَوْ " مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا "

(4988) हज़रत अनस (ﷺ) का बयान है कि मदीने में कोई अफ़वाह फैल गई (शायद कोई दुशमन हमलावर होने वाला है) तो नबी (ﷺ) हज़रत अबू तलहा (ﷺ) के घोड़े पर सवार हूए (और इधर उधर देख भाल कर आये) और फ़रमाया: 'हमने कुछ नहीं देखा है।' या फ़रमाया: 'हमने ख़ौफ़ की कोई बात नहीं देखी। और ये घोड़ा तो गोया समन्दर है।'

तख़रीज : बुख़ारी: 2627, व सही मुस्लिम: 2307.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घोड़े की तेज़ रफ़्तारी को 'उसके समंदर' होने से तशबीह दी है। तो इससे मोहद्दिस (रह.) का इस्तेदलाल ये है कि अगर अन्धेरे की निस्बत से इशा की नमाज़ को कभी 'अतमा या सोते की नमाज़' कह दिया जाये तो जायज़ है। (2) साहिबे ईमान (मोमिन) को जरी और बहादुर होना चाहिए और अपने मुआशरे में आम इस्लाही कामों में सबसे आगे होना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) थे। (3) कभी कभार आम इस्तेमाल की चीज़ें आरयतन ले लेने में कोई क़बाहत (बुराई) नहीं है और मुसलमानों को इस सिलसिले में बख़ील नहीं होना चाहिए, लेकिन आरयतन लेने वाले को भी चाहिए कि फ़रागत के बाद उस चीज़ को पूरी ज़िम्मेदारी से वापस कर दे।

﴾88﴿
باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا " .

बाब : 88
झूठ बोलने की मज़म्मत

(4989) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द) (रज़ि.) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'झूठ से बचो। बिलाशुब्हा झूठ गुनाह की तरफ़ ले जाता है और गुनाह जहन्नम में पहुँचाने वाला है। बिलाशुब्हा जो इंसान झूठ बोलता हो और झूठ ही के दरपे रहता है तो वह बिल आख़िर अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब (इन्तेहाई झूठा) लिख दिया जाता है। (हमेशा) सच को अपनाओ, सच (इन्सान को) नेकी की रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत में पहुँचाती है। और जो शख़्स सच बोलता और सच के दरपे रहता है तो वह बिल आख़िर अल्लाह के यहाँ सिद्दीक़ (इन्तेहाई सच्चा) लिख दिया जाता है।'

(4989) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6094, व सही मुस्लिम: 2607.

फ़ायदा : सच और झूठ (सिद्क़ किज़्ब) का ताल्लूक़ सिर्फ़ ज़बान के अल्फ़ाज़ ही से नहीं है बल्कि उसका दायरा फ़ेअल और नियत तक वसीअ है। फ़िक्री ऐतबार से इंसान 'सिद्क़' (सच्चाई) का मुतलाशी और उसके मुताबिक़ अपने आमाल को सरअन्जाम देने वाला हो और उसके बरख़िलाफ़ से बचने वाला हो तो ये बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। वरना जल्द या देर से 'फ़ज़ीहत' से बच नहीं सकेगा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ " .

(4990) जनाब बहज़ बिन हकीम (रह.) कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद (हकीम) ने अपने वालिद (हज़रत मुआविया बिन हैदा क़ुशैरी) (ﷺ) से रिवायत किया। कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'हलाकत है उसके लिये जो इस ग़र्ज़ से झूठ बोले कि उससे लोग हँसे। हलाकत है उसके लिये! हलाकत है उसके लिये!'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3315.

फ़ायदा : अपनी तरफ़ से लतीफ़े बनाना और खूश तबई के लिये झूठ बोलना कि लोग हँसे साहिबे ईमान को क़तअन ज़ेब नहीं देता है, अलबत्ता ऐसा मज़ाह और ख़ूश तबई जो मबनी पर हक़ीक़त होने के साथ साथ अख़्लाक़ी और शरई हुदूद क़ुयूद के अन्दर हो, जायज़ और मुबाह है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ مَوَالِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ " . قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ ".

(4991) हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर (ﷺ) कहते हैं कि एक दिन मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया। इधर आओ, चीज़ दूंगी और रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे घर में तशरीफ़ फ़रमा थे। आपने मेरी वालिदा से दरयाफ़्त फ़रमाया: 'तुम उसे क्या देना चाहती हो?' उन्होंने बताया कि मैं इसे खजूर देना चाहती हूँ। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे कहा। 'अगर तुम इसे कुछ न देतीं तो तुम पर एक झूठ लिख दिया जाता।'

(4991) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/447.

फ़ायदा : सच और झूठ बोलने का ताल्लूक़ बड़े आदमियों ही से नहीं, छोटे बच्चों के साथ भी है बल्कि कुछ सालेहीन ने तो इसे जानवरों तक वसीअ किया है कि आदमी किसी जानवर को ऐसी आवाज़ दे या झोली बना कर उसे बुलाये और उसे तास्सुर दे कि उसमें घास, दाना वग़ैरह है, हालांकि उसमें कुछ न हो, तो वह उसे झूठ क़रार देते हैं। बहरहाल झूठ एक क़बीह ख़स्लत है। इससे हमेशा बचना चाहिए। सिवाए तीन मक़ामात के जिनका ज़िक्र पीछे (हदीस: 4920–21) गुज़र चुका है। कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने ऊपर दर्ज की गई रिवायत को हसन क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، - قَالَ ابْنُ حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِهِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصٌ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ هَذَا الشَّيْخُ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيَّ .

(4992) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी आदमी के गुनाहगार होने के लिये यही बात काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात बयान करता रहे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हफ़्स बिन अम्र की रिवायत में अबू हुरैरह का ज़िक्र नहीं (रिवायत मुर्सल है।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: और उसे सिर्फ़ अली बिन हफ़्स मदायनी ने मुसनद रिवायत किया है।

(4992) तख़रीज : सही मुस्लिम: 5

फ़ायदा : मुक़द्दम–ए–सही मुस्लिम में रिवायत है: (कफ़ा बिलमरइ कज़िबन अय युहदिस बिकुल्लि मा समिअ) 'आदमी के झूठा होने के लिये यही काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात बयान करता है।' (सही मुस्लिम: 5)

﴿89﴾ باب فِي حُسْنِ الظَّنِّ

बाब : 89
अच्छा गुमान रखने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُهَنَّا أَبِي شِبْلٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَفْهَمْهُ مِنْهُ جَيِّدًا - عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ شُتَيْرٍ، -

(4993) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है और बक़ौल नस्र (बिन अली) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अच्छा गुमान रखना हुस्ने इबादत में से है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सनद में

قَالَ نَصْرٌ : ابْنِ نَهَّارٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - قَالَ نَصْرٌ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُهَنَّا ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ .

मज़कूर मुहन्ना (बिन अबू शब्ल) सिक़ा है और बसरी है।

(4993) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/297, 304, 407, 491, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2395, हाकिम: 4/241.

फ़ायदा : मुसलमान भाइयों के मुताल्लिक़ ख़्वाहमख़्वाह बुरे गुमान रखना और उस पर अपने मामलात की बुनियाद रखना गुनाह की बात है। (नीज़ देखिये: गुज़िश्ता हदीस: 4917) ताहम ज़रूरी है कि इंसान ख़ूद से भी तोहमत और शुब्हे के मौक़ो से दूर रहे और किसी को बुरा गुमान करने का मौक़ा न दे जैसे अगली हदीस में आ रहा है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ وَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ " . قَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا " . أَوْ قَالَ " شَرًّا " .

(4994) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा सफ़िया (ﷻ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐतक़ाफ़ में थे और मैं रात के वक़्त आपकी ज़ियारत के लिये हाज़िर हूई। मैं आपसे बातें करती रही, फिर उठ कर वापस जाने लगी तो आप भी मेरे साथ उठे ताकि मुझे वापस पहुँचा आयें और मेरी रिहाइश हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷻ) के अहाते में थी। तो अन्सारियों के दो आदमी गुज़रे। उन्होंने जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा तो ज़रा तेज़ी से चलने लगे। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ठहर जाओ! ये (मेरे साथ) सफ़िया बिन्ते हुई है। उन दोनों ने कहा: सुब्हानल्लाह (अल्लाह पाक है) ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे गर्दिश करता (घूमता) है जैसे ख़ून। मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में कुछ डाल न दे।' या फ़रमाया: 'कोई बुरी बात न डाल दे।'

तख़रीज : (सनद सही) अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 2470.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऐतकाफ़ के दौरान में जायज़ है कि बीवी मुअतकिफ़ (ऐतक़ाफ़ करने वाले) को मिलने के लिये आये और वह आपस में गुफ़्तगू करें। **(2)** अपनी फ़ितरी ज़रूरियात के लिये मस्जिद से बाहर जा सकता है। जैसे क़ज़ा-ए-हाजत या ज़रूरी गुस्ल के लिये जबकि मस्जिद में उनका माक़ूल इन्तेज़ाम न हो, इसी तरह शदीद बीमारी की हालत में भी जबकि मस्जिद में तबई इमदाद पहुँचने के मवाक़े न हों तो इस क़िस्म के तमाम हालात में मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है। **(3)** इंसान को तोहमत और शुब्हे के मक़ामात से हमेशा बचते रहना चाहिए। नबी (ﷺ) ने अपनी अहलिया मोहतरमा का तारूफ़ कराके इस शुब्हे का इज़ाला फ़रमा दिया। **(4)** शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है जैसे ख़ून, इसलिए उसके शर से महफ़ूज़ रहने के लिये तअव्वुज़ (अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम) बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए।

बाब : 90
वादा वफ़ा (पूरा) करने की ताकीद

﴾90﴿ بَابٌ فِي الْعِدَةِ

(4995) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बंदा जब अपने भाई से कोई वादा कर ले और उसकी नियत ये हो कि वह अपना वादा वफ़ा (पूरा) करेगा मगर न कर सके और वादे पर न पहुँच सका हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2633.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ - وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ - فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ " .

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन अगर इंसान फ़ितरी तौर पर (भूल) का शिकार हो गया हो, तो माफ़ है मगर उम्दा वादे का पास न करना और उसके ख़िलाफ़ करना, अलामाते निफ़ाक़ में से है।

(4996) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू हम्सा(ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं: नबी (ﷺ) के मबऊस होने से पहले की बात है कि मैंने आपसे एक सौदा किया और कुछ क़ीमत बाक़ी रह गई, तो मैंने आपसे वादा कर

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ، قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ " يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَىَّ أَنَا هَا هُنَا مُنْذُ ثَلاَثٍ أَنْتَظِرُكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا بَلَغَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي أَنَّ بِشْرَ بْنَ السَّرِيِّ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ .

लिया कि मैं यहीं आपके पास ले आता हूँ। मगर मुझे अपनी ये बात तीन दिन बाद याद आई, फिर मैं आया तो आप वहीं थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ जवान! तूने मुझे बहुत अज़ीयत (तकलीफ़) पहुँचाई है। मैं तीन दिन से यहाँ इन्तेज़ार कर रहा हूँ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन यहया ने कहा: (सनद में मज़कूर) अब्दुल करीम, ये इब्ने अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: बवास्ता अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मुझे ये रिवायत इसी तरह पहुँची है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: बिश्र बिन सरी ने इसे 'अ़न अ़ब्दुल करीम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़' की सनद से रिवायत किया है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तहज़ीबुल कमाल: 10/94.

फ़ायदा : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, ताहम हक़ीक़त यही है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वादे के इन्तेहाई पक्के थे।

﴿91﴾
بَابٌ فِي الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

बाब : 91
धोखा देने के लिये ऐसे ज़ाहिर करना कि ये चीज़ मेरी है, हालांकि उसकी न हो

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَةً -

(4997) हज़रत अस्मा बिन्ते सय्यदना अबू बक्र(ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मेरी एक सौकन है, अगर मैं उसके सामने ऐसे ज़ाहिर करूं कि ये चीज़ मुझे मेरे शौहर ने दी है, हालांकि दी न हो तो क्या मुझ पर गुनाह

होगा? आपने फ़रमाया: 'जो कोई ऐसे ज़ाहिर करे कि ये चीज़ मुझे दी गई है, हालांकि उसे न दी गई हो तो उसकी मिसाल उस शख़्स की सी है जो मकर के दो कपड़े पहने हो।'

تَعْنِي ضَرَّةً - هَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِي قَالَ " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ " .

तख़रीज : बुख़ारी: 5219, व सही मुस्लिम: 2130.

फ़ायदा : किसी मुसलमान को धोखा देना या माँगे ताँगे की चीज़ पर इतराना किसी साहिबे ईमान को ज़ेब नहीं देता है। इसी तरह सौकनों का आपस में ऐसी कैफ़ियत पैदा करना कि दूसरी कुढ़ने लगे, जायज़ नहीं। या कोई अपने आपको दिखलावे के तौर पर ज़ाहिद ज़ाहिर करे, हालांकि हक़ीक़त उसके ख़िलाफ़ हो।

बाब : 92
मज़ाक और ख़ूश तबई का बयान

(92) باب مَا جَاءَ فِي الْمِزَاحِ

(4998) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई सवारी इनायत फ़रमायें। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम तुझे ऊँटनी का बच्चा दे देते हैं।' वह बोला: मैं ऊँटनी के बच्चे का क्या करूंगा? तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऊँट को भी तो ऊँटनी ही जन्म देती है।'

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنِي . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ " . قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلاَّ النُّوقُ " .

(4998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1991, सही लिल बग़वी, हदीस: 3605.

फ़ायदा : ख़ूश तबई और हँसी मज़ाक़ इन्सानी तबीयत का लाज़िमा है इससे तबीयत में बशाशत आ जाती है। और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी इससे मुत्तसिफ़ थे मगर इसमें हक़ व सिद्क़ के सिवा कुछ न होता था। बख़िलाफ़ इसके जो कोई झूठ बोल कर हँसे हँसाये, वह गुनाहों का मुर्तकिब होता है। (देखिये, हदीस: 4990)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ لاَ أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ " كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ " . قَالَ فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلاَنِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا " .

(4999) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने नबी (ﷺ) के यहाँ अंदर आने की इजाज़त चाही, तो उन्होंने सय्यदा आयशा (ﷺ) की आवाज़ सुनी जो क़द्रे बलन्द थी। जब वह अंदर आये तो उन्होंने उसे तमाचा मारने के लिये पकड़ा। और बोले: मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने अपनी आवाज़ बलन्द करती हो। तो नबी (ﷺ) उसे बचाने लगे और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) गुस्से से बाहर निकल आये। जब अबूबक्र (ﷺ) चले गये तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'देखा! मैंने तुझे उस आदमी से कैसे बचाया?' हज़रत अबूबक्र(ﷺ) ने चंद दिन तवक्कुफ़ किया (रूका रहा) और फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) से (मिलने के लिये) इजाज़त चाही और उन्हें पाया कि उनकी सुलह हो चुकी है, तो उनसे कहा: मुझे भी अपनी सुलह में शामिल कर लो जैसे तुमने मुझे अपनी लड़ाई में शामिल किया था। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमने कर लिया, हमने कर लिया।'

(4999) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/271, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8495.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम रसूलुल्लाह (ﷺ) की घरेलू ज़िन्दगी ख़ूश तबई, मज़ाह और वुस्अते क़ल्बी की हामिल थी, इसमें तकलीफ़ और रूखापन या ख़ुश्की का कोई पहलू न था।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ بُسْرِ

(5000) हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई(ﷺ) बयान करते हैं कि ग़ज़्व-ए-तबूक के सफ़र में, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की

بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وَقَالَ " ادْخُلْ " . فَقُلْتُ أَكُلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " كُلُّكَ " . فَدَخَلْتُ .

ख़िदमत में हाज़िर हूआ। आप चमड़े के एक ख़ैमे में ठहरे हूए थे। मैंने सलाम कहा, तो आपने जवाब दिया और फ़रमाया: 'अंदर आ जाओ।' मैंने अ़र्ज़ किया। क्या मैं सारा ही आ जाऊं, ऐ अल्लाह के रसूल? आपने फ़रमाया: 'सारा ही आ जाओ।' और मैं अंदर हाज़िर हो गया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3176.

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، قَالَ إِنَّمَا قَالَ أَدْخُلُ كُلِّي . مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ .

(5001) उ़स्मान बिन अबू आ़तिका ने बयान किया कि (ऊपर दिये गये क़िस्से में) औ़फ़ बिन मालिक ने जो कहा: 'मैं सारा ही अंदर आ जाऊं।' ये इस वजह से था कि वह ख़ैमा छोटा सा था।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 10/248.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا ذَا الأُذُنَيْنِ

(5002) हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं कि (एक बार) नबी (ﷺ) ने मुझे यूँ पुकारा: 'ऐ दो कानों वाले!'

(5002) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1992, तबरानी: 1/240, हदीस़: 662.

﴿93﴾ باب مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ عَلَى الْمِزَاحِ

बाब : 93
हँसी हँसी में किसी की चीज़ ले लेना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ

(5003) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन साइब बिन यज़ीद अपने वालिद से वह दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'तुममें से कोई शख़्स अपने भाई की कोई चीज़ हरगिज़ न ले, न हँसी मज़ाक़ में

إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا " . وَقَالَ سُلَيْمَانُ " لَعِبًا وَلاَ جِدًّا " . " وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا " . لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنِ يَزِيدَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

और न हक़ीक़त में सच्चे तौर पर।' सलमान बिन (अब्दुर्रहमान) के लफ़्ज़ थे (लइबन वला जिद्दन) 'और जिसने अपने भाई से (कोई) लाठी (भी) ली हो तो उसे वापस कर दे।' मुहम्मद बिन बश्शार ने (अब्दुल्लाह बिन साइब के नसब में) 'इब्ने यज़ीद' नहीं कहा। और (समिअन्नबी (ﷺ) यक़ूलु की बजाये) क़ाला रसूलुल्लाह (ﷺ) कहा।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2160.

फ़ायदा : मुसलमान की जान व माल और इज़्ज़त व आबरू इन्तेहाई मोहतरम व महफ़ूज़ चीज़ें हैं। हँसी मज़ाक में भी किसी की बे'इज़्ज़ती कर देना या माल हड़प कर लेना हराम है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ، مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا " .

(5004) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला रिवायत करते हैं कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के साथ सफ़र में जा रहे थे, तो उनमें से एक आदमी सो गया और दूसरा उससे एक रस्सी लेने लगा जो उसके पास थी, तो वह डर गया, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि दूसरे मुसलमान को डराये।'

(5004) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/362, (तोहफ़तुल अख़यार, 7/104, हदीस: 4995)

फ़ायदा : हँसी मज़ाक़ में भी किसी मुसलमान को डराना जायज़ नहीं।

बाब : 94
मुँह बनाकर तकल्लुफ़ (एक्टिंग) से बातें करना

﴾94﴿ باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَدِّقِ فِي الْكَلاَمِ

(5005) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ऐसे आदमी से गुस्सा होता है जो (नाहक़) ज़बान आवर हो (बहुत बातें बनाये) अपनी ज़बान को ऐसे चलाये जैसे गाय चलाती है।' (और लपेट लपेट कर घास खाती है।)

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2853.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، - وَكَانَ يَنْزِلُ الْعَوَقَةَ - حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا".

फ़ायदा : फ़साहत व बलाग़त अस्हाबे इल्म व फ़ज़ल में एक उ़म्दा सिफ़त है मगर इसमें तसन्नो (एक्टिंग), बनावट और दहाड़ने की कैफ़ियत किसी भी तरह अख़्लाक़न या शरअ़न पसन्दीदा नहीं, बिलख़ुसूस जब ख़िलाफ़े हक़ीक़त बातें बनाई जायें।

(5006) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवातय है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने गुफ़्तगू का हेर फेर (बातें बनाने का ढंग) इसलिए सीखा कि वह उसके ज़रिये से लोगों के दिल मोह ले, तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल क़यामत के रोज़ उसका कोई नफ़ल और फ़र्ज़ क़बूल नहीं करेगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 521.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلاَمِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً " .

(5007) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने बयान किया कि मश्रिक़ की जानिब से दो आदमी आये और उन्होंने

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ

قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ - يَعْنِي لِبَيَانِهِمَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا " . أَوْ " إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ " .

ख़िताब किया तो लोगों को उनके उस्लूबे ख़िताब व बयान पर बड़ा ताज्जुब हूआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा कुछ बयान जादू होते हैं।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5767, मौता: 2/986.

फ़ायदा : ये हदीस 'जामिउल कलिम' की एक उम्दा मिसाल है। उलमा–ए–इस्लाम के एक तबक़े ने उसे 'बयान' की तरह क़रार दिया है और दूसरे ने उससे 'मज़म्मत' की मानी समझे हैं जब कि हक़ीक़त इन दोनों के बैनं बैन (बीच) है। गुफ़्तगू, ख़िताब या तहरीर में 'बयान' अपने उर्फ़ी और इस्तेलाही हर दो मानी में एक साहिबे इल्म के लिये इन्तेहाई अहम, उम्दा और मतलूब सिफ़त है। तमाम अम्बिया–ए–किराम अलैहि. इस वस्फ़ से मुत्तसिफ़ थे और यही वजह थी कि लोग उन्हें 'साहिर' और उनके मज़ामीने दावत को 'सहर' कहते थे कि उसमें उनके लिये इंकार का कोई चारा न था। और यही मामला वारिसीने अम्बिया अलैहि, उलमा–ए–किराम का है कि वह इस वस्फ़ को दावते दीन में इस्तेमाल करें और नो आमूज़ इसकी बख़ूबी मश्क़ बहम पहुँचायें। लेकिन जहां मामला हद से बढ़ कर महज़ मुबालग़ा आराई, ज़बान आवरी और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और अल्फ़ाज़ से खेलने का हो, तो नाजायज़ और क़ाबिले मज़म्मत है जैसे ऊपर की अहादीस में गुज़रा है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، أَنَّهُ قَرَأَ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَحَدَّثَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرٌو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ " .

(5008) जनाब अबू ज़बिया (कलाई हिम्सी) से मरवी है कि एक दिन एक आदमी ने ख़िताब किया और बहुत बातें कीं। तो हज़रत अम्र बिन आस (ؓ) ने कहा: अगर ये अपनी गुफ़्तगू में मियाना रवी (दर्मियाना पन) इख़्तियार करता तो उसके लिये बहुत बेहतर होता। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'तहक़ीक़ मैंने समझा है या (फ़रमाया कि) मुझे हुक्म दिया गया है कि गुफ़्तगू में मियाना रवी इख़्तियार करूं। बिलाशुब्हा मियाना रवी सरासर ख़ैर है।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4975.

﴾95﴿

باب مَا جَاءَ فِي الشِّعْرِ

बाब : 95
शायर व शायरी का बयान

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجْهُهُ أَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْغَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبُ فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا مِنَ الشِّعْرِ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا . قَالَ كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمْدَحَ الإِنْسَانَ فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَذُمَّهُ فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ الآخَرِ فَكَأَنَّهُ سَحَرَ السَّامِعِينَ بِذَلِكَ .

(5009) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से किसी का पेट पीप से भर जाये ये उसके लिये बेहतर है कि शेअ़रों से भरे।'

जनाब अबू अ़ली (लूलूई) (रह.) ने कहा: इस इरशाद की तौज़ीह में जनाब अबू उ़बैद का ये क़ौल हमें पहुँचा है कि इससे मुराद ये है कि कोई शख़्स शेअ़रो शायरी में इस क़द्र मुन्हमिक (मशग़ूल) हो जाये कि कुर्आन करीम और अल्लाह के ज़िक्र ही से ग़ाफ़िल हो जाये (तो इन्तेहाई मज़मूम है।) लेकिन कुर्आन करीम और मशग़ल-ए-इल्म ग़ालिब रहे तो ऐसा आदमी हमारे ख़्याल में इसका मिस्दाक़ नहीं बनता कि उसका पेट शेअ़रों से भरा हो। (और ये हदीस़ कि) 'बिलाशुब्हा कई बयान जादू होते हैं।' इसका मफ़हूम ये है कि कोई इंसान किसी की मदह सराई पे आये तो इस उ़म्दगी से करे कि लोगों के दिल उसकी तरफ़ माइल हो जायें और फिर जब उसकी मज़म्मत करने लगे तो इस अन्दाज़ से करे कि लोग उसकी इस दूसरी बात के पीछे लग जायें। गोया कि उसने सामेइन को अपनी बात से जादू कर दिया हो।

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4975.

फ़ायदा : 'शेअ़रो शायरी' बयान का एक फ़ितरी और लाज़मी हिस्सा है, मगर इस हक़ीक़त से इंकार

नहीं किया जा सकता कि दीनी मिज़ाज, शायरी पसन्द नहीं है। ख़ैरूल कुरून में शेअ़रो शायरी से इशाअ़ते हक़ और दिफ़ा–ए–इस्लाम का काम ज़रूर लिया गया है मगर बतौर फ़न इसकी हौसला अफ़ज़ाई हरगिज़ नहीं की गई, लिहाज़ा कोई साहिबे इल्म, शेर व शायरी ही को अपना ओढ़ना बिछौना बना ले और कुर्आन और अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल हो रहे, तो इन्तेहाई बुरा है, अलबत्ता हद्दे ऐतदाल (लिमिट) में रहते हुए अपने इस ज़ौक़ और फ़न से इशाअ़ते हक़ और इब्ताले बातिल का फ़रीज़ा सरअंजाम दे, तो बिलाशुब्हा कारे ख़ैर है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً "

(5010) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा कई शेअ़र हिकमत भरे होते हैं।'

(5010) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6145, इब्ने माजा, हदीस़: 3755, इब्ने अबी शैबा: 8/503.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا " .

(5011) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि एक बदवी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और अपने मख़सूस अन्दाज़ में बातें करने लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा कई बयान जादू होते हैं और बिलाशुब्हा कई शेअ़र हिकमत भरे होते हैं।'

(5011) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2845, इब्ने माजा, हदीस़: 3756.

फ़ायदा : ये अहादीस़ दलील हैं कि ख़ुतबा–ए–इस्लाम, मुदर्रिसीन शरीयत और तल्बा–ए–किराम को चाहिए कि अपने दावती बयानात को हिकमत भरे अशआ़र और उ़म्दा उस्लूबे बयान से मुज़य्यन बनाने में मेहनत करें ताकि इब्लाग़े हक़ और इब्ताले बातिल का फ़रीज़ा बहुस्नो ख़ूबी अदा हो और दीन और अहले दीन का अ़लम सरबलन्द हो। भद्दे ख़तीब और बे'रब्त ग़ैर मुदल्लल मुतकल्लिम और मुदर्रिस न सिर्फ़ अपनी बल्कि दीने इस्लाम और दाइयाने हक़ की तज़हीक व मज़म्मत का बाइस़ बनते हैं।

(5012) हज़रत स़ख़र बिन अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने अपने वालिद से उन्होंने दादा से रिवायत किया, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा कुछ बयान जादू होते हैं और कई इल्म जहालत। बेशक कई शेअ़र हिकमत होते हैं और कुछ बातें महज़ बोझ।' इस पर सअ़सअ़ बिन स़ूहान ने कहा: सच फ़रमाया अल्लाह के नबी (ﷺ) ने। आपका ये फ़रमान: 'कुछ औक़ात आदमी के ज़िम्मे कोई हक़ होता है (कि वह हक़दार को अदा करे) मगर वह हक़दार के मुक़ाबले में चर्ब ज़बान होता है तो लोगों को अपने बयान से मसहूर कर लेता है और हक़ मार लेता है। और आप (ﷺ) का ये फ़रमान: 'कुछ इल्म जहालत होते हैं। यूँ है कि कुछ औक़ात कोई स़ाहिबे इल्म इन उमूर में जिनकी उसे कोई ख़बर नहीं होती तकल्लुफ़ से बात करता है तो जहालत का इरतेकाब करता है। और आप (ﷺ) का ये क़ौल: 'कई शेअ़र हिकमत होते हैं।' तो इससे मुराद वह अश्अ़ार हैं जिनमें वाज़ व नस़ीहत और उ़म्दा मिस़ालें ज़िक्र होती हैं जिनसे लोग नस़ीहत पाते हैं। और आपका ये कहना: 'कई अक़वाल महज़ बोझ होते हैं।' यूँ है कि आप अपनी बात ऐसे शख़्स़ के सामने पेश करने लगें जो उसके ज़ौक़ व मिज़ाज के मुताबिक़ न हो और न वह इसका ख़्वाहिशमंद हो।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्दुल बर, अत्तमहीद, हदीस़: 5/180, 181.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً " . فَقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا قَوْلُهُ " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا " . فَالرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ فَيَسْحَرُ الْقَوْمَ بِبَيَانِهِ فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً " . فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ إِلَى عِلْمِهِ مَا لاَ يَعْلَمُ فَيُجَهِّلُهُ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا " . فَهِيَ هَذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالأَمْثَالُ الَّتِي يَتَّعِظُ بِهَا النَّاسُ وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً " . فَعَرْضُكَ كَلاَمَكَ وَحَدِيثَكَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وَلاَ يُرِيدُهُ .

(5013) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने बयान किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) हज़रत हस्सान (ﷺ) के पास से गुज़रे, जबकि वह मस्जिदे (नबवी) में शेअर पढ़ रहे थे, तो हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें तेज़ नज़रों से देखा तो उन्होंने जवाब दिया। बिलाशुब्हा मैं इस (मस्जिद) में शेअर पढ़ा करता था और इसमें वह अज़ीम हस्ती मौजूद होती थी जो आपसे कहीं ज़्यादा अफ़ज़ल थी।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस्जिद में दीनी और अख़्लाक़ी मौज़ूआत पर मुश्तमिल अशआर का पढ़ना जायज़ है। (2) मगर ये हक़ीक़त भी बर महल है कि शरई मिज़ाज शेअर व शायरी से कोई ज़्यादा मुनासिबत नहीं रखता, इसी वजह से सय्यदना उमर (ﷺ) ने हज़रत हस्सान (ﷺ) के शेअर पढ़ने को नापसन्दीदगी की नज़र से देखा। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुक़ाबले में किसी बड़े से बड़े सालेह, मुत्तक़ी और मुस्लेह की कोई हैसियत नहीं रह जाती। (4) किसी साहिबे फ़ज़ल से अगर कहीं फ़िक्र व अमल में इख़्तिलाफ़ी सूरत दरपेश हो तो इसका जवाब निहायत अदब व अख़्लाक़ और दलील से दिया जाना चाहिए। (5) कोई अदना, अगर शरई दलील व हुज्जत में क़वी हो, तो उसके क़बूल कर लेने में किसी भी साहिबे फ़ज़ल (बड़े) को आर नहीं होनी चाहिए।

(5014) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। इसमें मज़ीद है: फिर हज़रत उमर (ﷺ) को ख़्याल हूआ कि ये तो रसूल (ﷺ) की इजाज़त पेश कर देंगे। चूनांचे उन्होंने उनको इजाज़त दे दी (कि वह मस्जिद में शेअर पढ़ सकते हैं)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ زَادَ فَخَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ، بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجَازَهُ .

तख़रीज : बुख़ारी: 3212, व सही मुस्लिम: 2485.

(5015) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत हस्सान (ﷺ) के लिये

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ،

وَهِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " .

मस्जिदे नबवी में मिम्बर रखवा दिया करते थे। पस वह उस पर खड़े होकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज़म्मत करने वालों की हिजू किया करते थे, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हस्सान जब तक रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से दिफ़ा करें, रूहुल कुदुस (जिब्राईल अमीन) उसके साथ हैं।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2846.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस्जिद में शेअरों की सूरत में, नाते रसूल मक़बूल (ﷺ) पेश करना एक मुबाह अमल है। **(2)** ये हज़रत हस्सान (رضي الله عنه) का अज़ीम शर्फ़ था कि एक आला मक़सद के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अपना मिम्बर पेश फ़रमाया और ताईदे जिब्राईल की ख़ूशख़बरी सुनाई। **(3)** इस हदीस का पसे मन्ज़र पेशे नज़र रखना चाहिए कि हज़रत हस्सान (رضي الله عنه) सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) के वाक़िया–ए–इफ़्क में मुलव्विस हो गये थे और उन्हें हद भी लगाई गई थी। बाद में जब किसी ने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) के सामने उनकी मज़म्मत की, तो उन्होंने अपने ज़ाती मामले से सर्फ़े नज़र करते हूए उनकी इस्लाम और रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये ख़िदमत का बरमला इज़हार फ़रमाया जो इस हदीस में बयान हूआ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ } فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ { إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } .

(5016) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने आयते करीमा (वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल ग़ाऊन) 'शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं।' की तफ़्सीर में फ़रमाया कि इसके उमूम को मन्सूख़ करके अस्हाबे ईमान (ईमान वालों) को मुस्तसना (अलग) कर दिया गया है और फ़रमाया: (इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज़करूल्लाह कसीरन) 'मगर वह लोग जो ईमान लाये नेक अमल किये और अल्लाह का बहुत ज़िक्र किया।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/239.

बाब : 96
ख़्वाबों का बयान

﴿96﴾ باب فِي الرُّؤْيَا

(5017) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब फ़ज्र की नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो दरयाफ़्त फ़रमाया करते: 'क्या आज रात तुममें से किसी ने कोई ख़्वाब देखा है?' और फ़रमाया करते थे: 'बेशक मेरे बाद नबूवत का कोई हिस्सा बाक़ी नहीं। सिवाए इसके कि किसी को कोई नेक ख़्वाब आ जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/325, मौता: 1/956, 957, हाकिम: 4/390, 391.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ " هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَيَقُولُ " إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ " .

फ़ायदा : क़ुर्आन व हदीस़ से साबित है कि ख़्वाब एक हक़ीक़ते वाक़िया है। ये सच्चे और झूठे दोनों तरह के होते हैं। सच्चे ख़्वाब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की जानिब से और झूठे शैतान की तरफ़ से होते हैं, बल्कि अम्बिया व रूसूल अ़लैहि. का तो ख़ास्सा है कि उनके ख़्वाब बिल्कुल सच्चे और वह्य की एक क़िस्म होते हैं। और रसूलुल्लाह (ﷺ) की इब्तेदा–ए–नबूवत ख़्वाब ही से हूई थी। और आ़म मुसलमान के ख़्वाब जो वह स़ेहत व ऐतदाल की कैफ़ियत में देखे वह भी बिलउ़मूम सच्चे होते हैं और उन्हीं को नबूवत का छियालीसवां हिस्सा क़रार दिया गया है, अलबत्ता उनकी ताबीर का मामला पोशीदगी में होता है। कभी तो कोई स़ाहिबे इल्म उसकी हक़ीक़त को समझ लेता है, और कभी उसकी तह तक पहुँचने में नाकाम रहता है।

(5018) सय्यदना उबादा बिन स़ामित (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन का ख़्वाब नबूवत का छियालीसवाँ हिस्सा है।'

(5018) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6987, व सही मुस्लिम: 2264.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) स़ाहिबे ईमान की ये फ़ज़ीलत है कि उसके ख़्वाब आम तौर पर सच्चे होते

हैं। मोमिन के ख़्वाब को नबूवत का छियालीसवाँ हिस्सा कहने की एक तौजीह ये बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का दौरे नबूवत तेईस साल का है और उनमें पहले छ: माह तक आपको महज़ ख़्वाब आया करते थे जो इस क़द्र सच्चे और हक़ीक़त होते थे जैसे रात के अन्धेरे के बाद सुबह सादिक़ का तुलूअ होना। तो ये छ: माह तेईस साल का छियालीसवाँ हिस्सा है तो इस निसबत से मोमिन के ख़्वाब के मुताल्लिक़ ये कहा गया है। वल्लाहु आलम। **(2)** जिस शख़्स की ख़्वाहिश हो कि उसके ख़्वाब सच्चे हुआ करें तो उसे चाहिए कि अपने ईमान व अमल को ख़ालिस बनाने में मेहनत करे और हमेशा सच बोलने को अपना मामूल बनाये।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ أَنْ تَكْذِبَ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ " . قَالَ " وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ " . يَعْنِي إِذَا اقْتَرَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْنِي يَسْتَوِيَانِ .

(5019) सय्यदना अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ज़माना क़रीब आ जायेगा, तो मुसलमान का ख़्वाब ग़ालिबन झूठा नहीं होगा, और सबसे सच्चा ख़्वाब उसका होगा जो बात चीत में सबसे ज़्यादा सच्चा होगा। ख़्वाब तीन तरह के होते हैं: अच्छा ख़्वाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जानिब से ख़ुशख़बरी होती है, और एक ख़्वाब शैतान की तरफ़ से ग़मगीन करने वाला होता है, और एक ख़्वाब बंदे के अपने औहाम व ख़यालात होते हैं। तो जब कोई ख़्वाब में कोई नापसन्दीदा चीज़ देखे तो चाहिए कि उठ खड़ा हो, नमाज़ पढ़े और लोगों से बयान न करे' और हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: मैं ख़्वाब में पाँव में बेड़ियाँ देखना पसन्द करता हूँ जबकि गले में तौक़ देखना बुरा जानता हूँ। पाँव में बेड़ियाँ देखना दीन में साबित क़दमी की अलामत है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: 'ज़माना क़रीब आ जाने का मफ़हूम ये है कि जब दिन और रात बराबर बराबर हो जायें (मौसमे बहार हो)

(5019) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7017, व सही मुस्लिम: 2263, पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : किसी परेशान कुन और बुरे ख़्वाब देखने की सूरत में उसकी नहूसत से बचने के लिये इंसान को तअव्वुज़ (अऊज़ुबिल्लाह) पढ़ते हुए अपनी बायें तरफ़ थूकना और पहलू भी बदल लेना चाहिए और सबसे अफ़ज़ल ये है कि इंसान नमाज़ पढ़े और ख़्वाब किसी से बयान न करे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ " . قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ " وَلاَ يَقُصُّهَا إِلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ

(5020) हज़रत अबू रज़ीन (लक़ीत बिन सबरा अक़ीली) (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़्वाब (गोया) परिन्दे के पाँव पर है जब तक कि उसकी ताबीर न बयान कर दी जाये। चुनांचे जब ताबीर बयान कर दी जाती है तो (वह इसी तरह) हो जाती है।' और मेरा ख़्याल है कि आपने फ़रमाया: 'उसे अपने किसी मोहब्बत करने वाले (मुख़्लिस) या साहिबे इल्म के अलावा किसी से हरगिज़ बयान न करो।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 3914, मुसनद अहमद, 4/10, तिर्मिज़ी: 2278, इब्ने हिब्बान: 1795, 1797, हाकिम: 4/390.

फ़ायदा : मोहब्बत करने वाला मुख़्लिस साथी ख़ुशी की ख़बर में तुम्हारे साथ ख़ुश होगा और बुरी बात से ख़ामोश रहेगा। और साहिबे इल्म या तो ताबीर ही उम्दा करेगा या किसी बुराई से बचाव का तरीक़ा बतायेगा।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا، يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لْيَتَعَوَّذْ

(5021) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अच्छा ख़्वाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ से और बुरा ख़्वाब शैतान की तरफ़ से होता है। चुनांचे जब कोई शख़्स कोई नापसन्द चीज़ देखे तो चाहिए कि अपने बायें जानिब तीन बार थूके, फिर उसकी शर से अल्लाह की पनाह माँगे। बिलाशुब्हा (ख़्वाब) उसे ज़रर (नुक़्सान) नहीं पहुँचायेगा।'

(5021) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस 6984, व सही मुस्लिम: 2261.

مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ " .

(5022) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई ऐसा ख़्वाब देखे जो उसे बुरा लगे तो उसे चाहिए कि अपनी बायें जानिब थूक दे। और तीन बार, शैतान के शर से अल्लाह की पनाह तलब करे, और अपनी करवट बदल ले।'
तख़रीज : सही मुस्लिम: 2262, पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ " .

(5023) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: जिसने मुझे ख़्वाब में देखा वह अनक़रीब मुझे जागते में भी देखेगा, या फ़रमाया कि उसने गोया मुझे जागते में देखा। और शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता।'
तख़रीज : बुख़ारी: 6993, व सही मुस्लिम: 2266.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ " . أَوْ " لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي " .

फ़ायदा : नबी (ﷺ) का ये ख़ुसूसियत है कि शैतान आपकी शक्ल इख़्तियार नहीं कर सकता अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि कोई दूसरी शक्ल दिखा कर ऐसा वहम दिलाये कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंसान उस देखी हूई शक्ल का मुवाज़ना उन सिफ़ात से करे जिनका ज़िक्र कुतूबे हदीस में आया है। या किसी साहिबे इल्म से उसकी तस्दीक़ हासिल करे। वालिदे मरहूम शैख़ अब्दुल अज़ीज़ सअदी (रह.) को एक बिदअती शख़्स ने ख़ूद के गुमान से बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बताया कि मैंने ख़्वाब में नबी–ए–करीम (ﷺ) की ज़ियारत की है। वालिद साहिब ने तफ़्सील पूछी तो बोला कि मैंने एक नूरानी शख़्सीयत देखी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। वालिद साहिब ने फ़ौरन 'ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह' पढ़ा। और वाज़ेह किया कि तुमने किसी शैतान को देखा है। अलग़र्ज़ ख़्वाब में नबी (ﷺ) को देखने वाला क़यामत में जागते हूए आपको देखेगा और उसे एक तरह का ख़ास कुर्ब हासिल होगा। वरना दीगर अस्हाबे ईमान भी तो आपको देखेंगे।

(5024) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कोई तस्वीर बनाई तो अल्लाह उसे उसकी वजह से क़यामत में अज़ाब देगा, यहाँ तक कि उसमें रूह फूँके, मगर वह नहीं फूँक सकेगा और जिसने झूठे तौर पर ये दावा किया कि उसने ये ख़्वाब देखा है तो उसे इस बात का मुकल्लफ़ किया जायेगा कि जौ के दाने में गिरह बाँधे (जो कि नामुमकिन है) और जिसने किसी क़ौम की बात सुनने की कोशिश की जबकि वह अपनी बात करने के लिये उससे दूर हो रहे हों तो क़यामत के दिन उसके कान में सीसा डाला जायेगा।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5024) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7042.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तस्वीर से मुराद किसी जानदार की तस्वीर बनाना है या ऐसी तस्वीरें भी इसमें शुमार हो सकती हैं जिनकी लोग इबादत करते हैं, ख़्वाह किसी दरख़्त की हों या पहाड़ वग़ैरह की। **(2)** ये तस्वीरें हाथ से बनाई जायें या केमरे वग़ैरह से, सब इसी ज़िम्न में आती हैं। केमरे की तसावीर को जायज़ बताने वाली तमाम तावीलात बेमानी हैं। साहिबे ईमान को नबी (ﷺ) के ज़ाहिर फ़रामीन पर बे चूं व चरा (अगर–मगर के बग़ैर) ईमान रखना और अमल करना चाहिए। (अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तसावीर के फ़ितने से महफ़ूज़ फ़रमाये। आमीन!) **(3)** अपनी तरफ़ से बना बनाकर झूठे ख़्वाब सुनाना या औरों के नक़ल करना कबीरा गुनाह है और जब इस ज़रिये से मक़सूद, लोगों के दीन व ईमान के साथ खेलना हो तो उसकी क़बाहत और भी बढ़ जाती है जैसे कि नाम निहाद जाहिल सूफ़ियों और पीरों का वतीरा है। **(4)** दूसरों की पोशीदा और ख़ास बातें सुनने की कोशिश करना कबीरा गुनाह है।

(5025) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने आज रात देखा गोया हम उक़्बा बिन राफ़े (ﷺ) के घर में हैं और हमें (मदीना की मारूफ़ उम्दा) ताज़ा खजूर इब्ने ताब की पेश की गई

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَأَيْتُ

اللَّيْلَةَ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ " .

है। तो मैंने उसकी ये ताबीर की है कि हमें दुनिया में रिफ़अत व सरबलन्दी हासिल होगी और आख़िरत में अंजाम उम्दा होगा और हमारा दीन भी ख़ूब (फल फूल गया) है।'

(5025) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2270.

फ़ायदा : ख़्वाब की ताबीर में कुछ औक़ात अल्फ़ाज़ व मनाज़िर से भी मानी अख़ज़ किये जाते हैं। तो ऊपर दिये गये ख़्वाब में लफ़्ज़ 'उक़्बा' से आक़िबत (उम्दा अंजाम) 'राफ़े' से रिफ़अत व सरबलन्दी और 'इब्ने ताब' से तय्यब और उम्दा होना समझा गया है, जो बिहम्दिल्लाह एक तारीख़ी हक़ीक़त साबित हूआ है।

﴾97﴿ باب مَا جَاءَ فِي التَّثَاؤُبِ

बाब : 97 जमाई का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ " .

(5026) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को जमाई आये तो चाहिए कि वह अपना मुँह बंद रखे, बिलाशुब्हा (इसमें) शैतान दाख़िल हो जाता है।'

(5026) तख़रीज : सही मुस्लिम; 2995.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، نَحْوَهُ قَالَ " فِي الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ " .

(5027) जनाब सुहैल (रह.) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द मरवी है। (मगर इसमें है:) 'जमाई अगर नमाज़ में आये तो जहाँ तक हो सके मुँह बंद रखने की कोशिश करे।'

(5027) तख़रीज : मुस्लिम, पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

(5028) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा

هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُلْ هَاهْ هَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ" .

अल्लाह तआला छींक को पसन्द और जमाई को नापसन्द करता है। चुनांचे जब किसी को जमाई आये तो जहाँ तक हो सके उसे रोके और हा हा की आवाज़ न निकाले। बिलाशुब्हा ये शैतान की तरफ़ से होती है और वह उससे हँसता है।'

(5028) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6226.

फ़वाइद व मसाइल : (1) छींक आना तबीयत के हल्के होने और सेहतमंदी की अलामत होती है, जबकि जमाई सुस्ती और तबीयत के बोझल होने की अलामत होती है। और शरीयत में हर बुरी कैफ़ियत की निस्बत शैतान की तरफ़ और हर ख़ैर और बेहतरी की निस्बत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ की जाती है। **(2)** जमाई को बंद करने की एक सूरत ये है कि इंसान जमाई आने ही न दे या अगर आये तो अपने मुँह पर हाथ रख ले और हा हा की आवाज़ न निकाले। बिलख़ुसूस नमाज़ के दौरान में इसका ख़ास ख़्याल रखे।

﴾98﴿ بَابٌ فِي الْعُطَاسِ

बाब : 98
छींक का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ . شَكَّ يَحْيَى .

(5029) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब छींक आती तो आप अपने मुँह पर अपना हाथ या कोई कपड़ा रख लेते और अपनी आवाज़ को कम रखते। यहया को शक है कि रिवायत में लफ़्ज़ (ख़फ़ज़) था या (ग़ज़) (मानी एक ही हैं)

(5029) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2745, हाकिम: 4/293, मुसनद अहमद: 2/439.

फ़ायदा : कुछ लोग छींक आने पर जानबूझ कर ज़ोर देकर आवाज़ निकालते हैं जो ख़िलाफ़े अदब और ग़ैर मसनून है। परेशानी वाली कैफ़ियत इन्शाअल्लाह माफ़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ " .

(5030) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान भाई के लिये पाँच बातें वाजिब हैं। सलाम का जवाब देना, छींक आने पर दुआ देना, दावत क़बूल करना, बीमारपुर्सी करना और जनाज़े में शरीक होना।'

(5030) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1240, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 19679, व सही मुस्लिम: 2162.

﴿99﴾ باب كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

बाब : 99 छींक का जवाब किस तरह दिया जाये?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِخَيْرٍ وَلاَ بِشَرٍّ قَالَ إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(5031) जनाब हिलाल बिन यिसाफ़ कहते हैं: हम लोग हज़रत सालिम बिन उबैद (ﷺ) के यहाँ बैठे थे कि मज्लिस में से किसी को छींक आई तो उसने कहा: 'अस्सलामुअलैकुम' (तुम पर सलामती हो) तो हज़रत सालिम (ﷺ) ने कहा: तुम पर और तुम्हारी माँ पर भी। फिर उसके बाद फ़रमाया: शायद तुम्हें मेरी बात नागवार गुज़री है? उसने कहा: आप मेरी माँ का किसी तौर ... ख़ैर या शर के साथ ... ज़िक्र न करते तो अच्छा था। उन्होंने कहा: मैंने तुमसे वही बात कही है जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कही थी। हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठे हूए थे कि क़ौम में से किसी को छींक आ गई तो उसने कहा

وسلم إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ " . ثُمَّ قَالَ " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ " . قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ " وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَرُدَّ - يَعْنِي عَلَيْهِمْ - يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ " .

'अस्सलामुअलैकुम' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जवाब दियाः 'तुम पर और तुम्हारी माँ पर भी।' आप (ﷺ) ने फिर फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी को छींक आये तो चाहिए कि (अलहम्दुलिल्लाह) 'सब तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं' कहे। रावी ने कहा कि उन्होंने कुछ और हम्दों का ज़िक्र भी किया। और जो दूसरा उसके पास हो, उसे चाहिए कि ये कहे (यर्हमुकल्लाह) 'अल्लाह तुम पर रहम फ़रमाये' और फिर छींक मारने वाला उन लोगों को जवाब दे (यग़फ़िरूल्लाहु लना वलकुम) 'अल्लाह तआला हमें और तुम्हें (सब को) माफ़ फ़रमा दे।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 2740, मुस्तदरक: 4/267, मुसनद अहमद: 6/807, हदीस: 24354.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसकी बाबत सही रिवायत (5033) आगे आ रही है।

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ أَبِي بِشْرٍ، وَرْقَاءَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَجَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ الأَشْجَعِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(5032) ख़ालिद बिन अरफ़जा ने हज़रत सालिम बिन उबैद अशजई (رضي الله عنه) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से ये (ऊपर दी गई) रिवायत बयान की।

(5032) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

(5033) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी को छींक आये तो चाहिए कि कहे (अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हालिन) 'हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ है।' और उसके भाई या साथी को चाहिए कि कहे

وسلم قَالَ " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَقُولُ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " .

(यर्हमुकल्लाहु) 'अल्लाह तुम पर रहम फ़रमाये' और फिर वह जिसे छींक आई हो कहे (व युस्लिह बालकुम) 'अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे अहवाल दुरूस्त कर दे।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6224.

फ़ायदा : छींक आने पर ऊपर दी गई कैफ़ियत में अल्लाह की हम्द करना और एक दूसरे को दुआएँ देना इन्तेहाई ताकीदी सुन्नत है और जो शख़्स ख़ूद अल्हम्दुलिल्लाह न कहे तो वह अपने भाई से जवाबन दुआ की उम्मीद न रखे जैसे अगली हदीस: 5039 में आ रहा है। ऐसे ही ज़ुकाम वग़ैरह के मरीज़ को बार बार जवाब देना भी ज़रूरी नहीं।

﴿100﴾ باب كَمْ مَرَّةٍ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

बाब : 100 कितनी बार छींक का जवाब दे?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلاَثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ .

(5034) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: अपने भाई को उसकी छींक आने पर तीन बार जवाब दे और जो उससे ज़्यादा हो, तो फिर वह ज़ुकामज़दा है।

तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 935.

फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे मौक़ूफ़ है मगर मरफ़ूअ भी साबित है जैसे अगली रिवायत में है।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(5035) जनाब सईद बिन अबी सईद ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत किया और कहा कि मुझे यही मालूम है कि उन्होंने इस हदीस को नबी (ﷺ) की तरफ़ निस्बत किया और ऊपर की रिवायत के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसको अबू नुऐम ने मूसा बिन क़ैस के वास्ते से मुहम्मद बिन

عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

अजलान से, उन्होंने सईद से उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया।

(5035) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9359, मौता: 2/965, हदीस: 1865.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ، حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ثَلاَثًا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمِّتَهُ فَشَمِّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَكُفَّ " .

(5036) हुमैदा या उबैदा बिन्ते उबैद बिन रिफ़ाआ ज़र्क़ी अपने वालिद से बयान करती हैं, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया, आपने फ़रमायाः 'छींक मारने वाले को तीन बार जवाब दो। फिर अगर जवाब देना चाहो, तो दो और अगर चाहो तो, छोड़ दो।'

(5036) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2744.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ " يَرْحَمُكَ اللَّهُ " . ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الرَّجُلُ مَزْكُومٌ " .

(5037) जनाब इयास बिन सलमा बिन अक्वा से रिवायत है वह अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि एक शख़्स ने नबी (ﷺ) की मज्लिस में छींक मारी, तो आपने उसे दुआ दी और फ़रमाया (यर्हमुकल्लाह) 'अल्लाह तुझ पर रहम फ़रमाये।' उसने फिर छींक मारी तो आपने फ़रमायाः 'इसे ज़ुकाम है।'

(5037) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2993.

फ़ायदा : पहली बार छींक का जवाब देना लाज़िम है उसके बाद नहीं जैसे सही मुस्लिम से भी इशारा मिलता है। देखिये: (सही मुस्लिम: 2993)

बाब : 101
कोई ग़ैर मुस्लिम छींक मारे तो किस तरह जवाब दे?

﴾101﴿
باب كَيْفَ يُشَمَّتُ الذِّمِّيُّ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ " يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " .

(5038) हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि यहूदी लोग नबी (ﷺ) की मज्लिस में अम्दन छींकें मारा करते थे और तवक़्क़ो करते थे कि आप उन्हें दुआ देते हूए (यर्हमुकुल्लाह) 'अल्लाह तुम पर रहम फ़रमाये' कहेंगे। मगर आप उन्हें यूँ जवाब देते (यहृदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम) 'अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे अहवाल की इस्लाह फ़रमाये।'

तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिज़ी:2739, हाकिम: 4/268

फ़ायदा : ग़ैर मुस्लिम को छींक के जवाब में (यर्हमुकल्लाह) की बजाये (यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम) कहना चाहिए जैसे कि उसे (अस्सलामुअलैकुम) कहने में इब्तेदा नहीं की जा सकती और वह कहे, तो जवाबन सिर्फ़ व़अलैकुम' कहा जाता है।

बाब : 102
जो शख़्स छींक आने पर अल्हम्दुल्लिाह न कहे

﴾102﴿ باب فِيمَنْ يَعْطُسُ وَلاَ يَحْمَدُ اللَّهَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ

(5039) सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की मज्लिस में दो आदमियों को छींक आई तो आपने एक को जवाब दिया और दूसरे को न दिया। तो आपसे कहा गया: ऐ

أَنَسٍ، قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الآخَرَ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلاَنِ عَطَسَا فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا - قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا - وَتَرَكْتَ الآخَرَ . فَقَالَ " إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ "

अल्लाह के रसूल! दो आदमियों ने छींक मारी, मगर आपने एक को जवाब दिया है ... अहमद (बिन यूनुस) ने वज़ाहत की कि यहाँ लफ़्ज़ (फ़शम्मत्ता अहदहुमा) थे या (फ़शम्मत्ता अहदहुमा) ... और दूसरे को छोड़ दिया है? तो आपने फ़रमाया: उसने (जिस को मैंने जवाब दिया है) अल्लाह की हम्द की है और उसने अल्लाह की हम्द नहीं की है।'

तख़रीज : बुख़ारी: 6221, व सही मुस्लिम: 2991.

फ़ायदा : जो शख़्स छींक आने पर (अल्हम्दुल्लिाह) न कहे, वह अपने भाई के जवाब और उसकी दुआ का मुस्तहिक़ (हक़दार) नहीं रहता।

सोने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

﴾103﴿ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى بَطْنِهِ

बाब : 103 ... औंधे मुँह पेट के बल सोना (नापसंदीदा है)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ

(5040) हज़रत यईश बिन तिख़फ़ा बिन क़ैस ग़िफ़ारी का बयान है कि मेरे वालिद (तिख़फ़ा)(ﷺ) अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'हमारे साथ सय्यदा आयशा (ﷺ) के घर चलो।' तो हम चल दिये। (वहाँ पहुँच कर) आपने फ़रमाया: 'आयशा! हमें (कुछ) खिलाओ।' तो वह

الْغِفَارِيِّ، قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ " . فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا " . فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ " يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا " . فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ " يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا " . فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ " يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا " . فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ " إِنْ شِئْتُمْ بِتُّمْ وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ " . قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ " . قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

हशीश ले आईं जो हमने खाया। (हशीश इस अन्दाज़ का खाना है कि गन्दूम को पीस कर आटा हंडीया में चढ़ायें फिर उसमें गोश्त या खजूर डाल कर पकायें। इसे एक तरह का हलीम भी कहा जा सकता है।) फिर आपने फ़रमायाः 'आयशा! हमें कुछ और भी खिलाओ।' तो वह हैस। (खजूर, घी और पनीर वग़ैरह का मुरक्कब (मिला हुआ) खाना) ले आईं जो थोड़ा सा था, जैसे कि चिड़ीया हो (या मुमकिन है कि सय्यदा आयशा(ﷺ) मुराद हों कि वह सिदक़ो वफ़ा शिआरी में क़ताक़ चिड़िया की मानिन्द थीं।' हमने वह हैस खाया। फिर आपने फ़रमायाः 'आयशा! हमें कुछ पिलाओ।' तो वह दूध का एक बड़ा प्याला ले आईं। हमने वह पी लिया। आपने फिर फ़रमायाः 'आयशा! हमें और भी पिलाओ।' तो वह एक छोटा प्लाया ले आईं, तो हमने वह भी पिया। फिर आपने फ़रमायाः 'अगर चाहो तो सो जाओ और अगर चाहो तो मस्जिद में चले जाओ।' तिख़्फ़ा कहते हैं: मैं मस्जिद में औंधे मुँह अपने पेट के बल लेटा हूआ था कि मेरे फैफड़े में तकलीफ़ थी। तो अचानक मैंने पाया कि किसी ने मुझे अपने पाँव से हरकत दी है और कह रहा है: 'इस तरह से सोना अल्लाह तआला को नापसन्द है।' कहते हैं: मैंने देखा तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) थे।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3723: 752, इब्ने हिब्बान: 1960, 1959, हाकिम: 4/271.

फ़ायदा : पेट के बल सोना दुरूस्त नहीं है। अफ़ज़ल ये है कि दायें करवट सोया जाये।

बाब : 104
ऐसी छत पर सोना जिस पर कोई मुंडेर न हो

﴿104﴾ باب فِي النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ

(5041) जनाब अ़ब्दुर्रहमान अपने वालिद अ़ली बिन शैबान (ﷺ) से रिवायत करते हैं, रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी ऐसी छत पर सोये जिसके गिर्द कोई मुंडेर (पर्दा वग़ैरह) न हो तो उससे ज़िम्मा उठ गया।'

तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1192, मुसनद अहमद: 5/79, 271.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ نُوحٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ جَابِرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ وَعْلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، - يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी ऐसी सूरत में अगर वह गिर कर हलाक हो जाये या नुक़सान उठाये तो उसका वह ख़ूद ज़िम्मेदार है और ऐसी नंगी छत पर सोना जायज़ नहीं। (2) शरीयत का ताल्लूक़ सिर्फ़ नमाज, रोज़े, हज, ज़कात या मस्जिद ही से नहीं, बल्कि ये मुसलमान की पूरी ज़िन्दगी को मुहीत (रहनुमाई करने वाली है) है।

बाब : 105
बा'वुज़ू होकर सोने (की फ़ज़ीलत) का बयान

﴿105﴾ باب فِي النَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ

(5042) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बा'वुज़ू होकर अल्लाह का ज़िक्र करते हूए सो जाये और फिर रात को किसी वक़्त उसकी आँख खुले (और बिस्तर पर अपना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فُلاَنٌ لَقَدْ جَهَدْتُ أَنْ أَقُولَهَا حِينَ أَنْبَعِثُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا .

पहलू वग़ैरह बदले) और अल्लाह से दुनिया व आख़िरत की कोई ख़ैर माँग ले, तो वह उसे इनायत फ़रमा देगा।'

साबित बुनानी कहते हैं राविय-ए-हदीस अबू ज़ब्या हमारे यहाँ आये और उन्होंने हमें ये हदीस बवास्ता हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) ... नबी (ﷺ)... से बयान की। साबित (रह.) ने बयान किया कि एक साहिब ने कहा: मैंने बड़ी कोशिश की है कि रात को उठूं और ऐसी कोई दुआ कर लूं मगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3881.

फ़ायदा : बावुज़ू होकर मसनून अज़कार (ज़िक्र) पढ़ कर सोने की बहुत बरकत हैं। इनमें से एक ये है कि अगर इंसान रात को किसी वक़्त लेटे लेटे भी दुआ कर ले तो इन्शाअल्लाह मक़बूल होती है और अगर उठ कर नमाज़ पढ़ने में मशग़ूल हो, तो नूरन अला नूर (सोने पे सुहागा) है। मन्सूस ज़िक्र और दुआ हदीस: 5060 में मुलाहिज़ा हो।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي بَالَ .

(5043) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को उठे क़ज़ा-ए-हाजत के लिये गये। फिर अपना चेहरा और हाथ धोये फिर सो गये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (क़ज़ा-ए-हाजत) से मुराद है पेशाब किया।

तख़रीज : बुख़ारी: 6316, व सही मुस्लिम: 763.

फ़ायदा : 'बा'वुज़ू होकर सोने' के मानी ये हैं कि रात के इब्तेदाई हिस्से में वुज़ू करके बिस्तर पर जाने के अलावा अगर रात के किसी हिस्से में जागे और क़ज़ा-ए-हाजत वग़ैरह के लिये जाये तो दोबारा भी मसनून वुज़ू करके सोये, तो ये बहुत ही अफ़ज़ल अमल है।

बाब : 106
... (सोते हूए) अपना रूख़ किधर करे?

﴿106﴾ باب كَيْفَ يَتَوَجَّهُ

(5044) जनाब अबू क़िलाबा ने सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) के ख़ानदान में से किसी फ़र्द से रिवायत किया कि नबी (ﷺ) का बिस्तर ऐसे बिछाया जाता था जैसे इंसान क़ब्र में रखा जाता है और मस्जिद आपके सर की तरफ़ होती थी।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ بَعْضِ، آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ الإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ .

(5044) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/397, हदीस: 2566.

फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन दीगर सही हदीसों में ये है कि नबी (ﷺ) क़िब्ला जानिब होकर दायें करवट पर सोते थे। जैसे कि अगली रिवायत में आ रहा है। इस तरह 'मस्जिदे नबवी' आपके सर की जानिब होती थी। कुछ ने ये मफ़हूम भी बयान किया है कि आपका मुसल्ला और जाए नमाज़ तहज्जुद के लिये आपके सर के पास ही होता था। ग़र्ज़ ये है कि आप सोते वक़्त भी ज़िक्र और इबादत की तैयारी से ग़ाफ़िल नहीं रहते थे।

बाब : 107
सोते हूए कौन सी दुआ पढ़े?

﴿107﴾ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ

(5045) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हफ़्सा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सोना चाहते तो अपना दायाँ हाथ अपने रूख़सार के नीचे रख लेते, फिर ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तब्असु

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ " . ثَلاَثَ مِرَارٍ

इबादक) 'ऐ अल्लाह! जिस दिन तू अपने बंदों को उठाये मुझे अपने अ़ज़ाब से महफ़ूज़ (हिफ़ाज़त में) रखना।' ये कलिमात तीन बार दोहराते।

(5045) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/288, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10598, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 762, व हदीस़: 2451 में देखें, तिर्मिज़ी, हदीस़: 3398 वग़ैरह.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ " . قَالَ " فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ " . قَالَ الْبَرَاءُ

(5046) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया: 'जब अपने बिस्तर पर जाने लगो तो वुज़ू कर लिया करो जैसे नमाज़ के लिये करते हो, फिर अपने दायें करवट पर लेट जाओ और कहा: (अल्लाहुम्मा अस्लम्तु वजही इलैक, व फ़व्वज़्तु अम्री ईलैका व अल्जअतु जह्री इलैका रह्बतन व रा़्बतन इलैका ला मल्जआ व ला मन्जा मिन्का इल्ला इलैका आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल्ता व नबिय्यिकल्लजी अर्सल्ता) 'ऐ अल्लाह! मैंने अपना चेहरा तेरे ताबेअ कर दिया और अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, अपनी कमर तेरी तरफ़ लगा ली (तुझे ही अपना सहारा बना लिया) मुझे तेरा ही डर है और शौक़ भी तेरी तरफ़ है। तुझ से भाग कर के मेरे लिये तेरे सिवा कहीं कोई जाय पनाह और जाय निजात नहीं। मैं तेरी इस किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल की है और इस नबी को तस्लीम किया जिसे तूने रसूल बना कर भेजा है।' आप (ﷺ) ने फ़रमाया: अगर तू (उस रात में) मर गया तो

فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ فَقُلْتُ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ " لاَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ "

फ़ितरत (दीने इस्लाम) पर मरेगा। और चाहिए कि ये तेरी आख़री बात हो (इसके बाद कोई और गुफ़्तगू न हो।)' हज़रत बराअ (ﷺ) कहते हैं: मैंने इस दुआ को याद करते हुए दोहराया तो लफ़्ज़ कह दिये (वबिरसुलिकल्लज़ी अर्सल्ता) 'मैं तेरे इस रसूल पर ईमान लाया जिसे तूने भेजा है।' तो आपने फ़रमाया: 'नहीं (बल्कि जो अल्फ़ाज़ मैंने तुम्हें पढ़ाये हैं वही याद करो और अल्फ़ाज़ हैं) (व बिनबिय्यि-कल्लज़ी अर्सल्ता) 'मैं तेरे इस नबी पर ईमान लाया जिसे तूने रसूल बनाकर भेजा है।'

तख़रीज : बुख़ारी: 6311, व सही मुस्लिम: 2710.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ " . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

(5047) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'जब तुम अपने बिस्तर पर आने लगो और बा'वुज़ू हो तो अपनी दाहिनी जानिब पर लेटो ...' फिर ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया।

तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا " إِذَا أَتَيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا " . وَقَالَ الآخَرُ "

(5048) हज़रत बराअ (बिन आज़िब) (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से यही हदीस रिवायत की। सुफ़ियान ने (अपने उस्ताद आमश और मन्सूर के मुताल्लिक़) कहा कि इनमें से एक के अल्फ़ाज़ ये थे: 'जब तुम बा'वुज़ू होकर अपने बिस्तर पर आओ।' और दूसरे ने कहा: 'जब तुम अपने बिस्तर पर आने का इरादा करो तो वुज़ू कर लो जैसे नमाज़ के लिये करते हो।' और मोतमिर (की गुज़िश्ता रिवायत:

تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ " . وَسَاقَ مَعْنَى مُعْتَمِرٍ .

5046) के हम मानी बयान की।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) सोने से पहले नमाज़ वाला वुज़ू कर लेना, दायें करवट पर लेटना और मसनून दुआएँ या इनमें से किसी एक का पढ़ना बेहद ताकीदी सुन्नतें हैं। **(2)** अफ़ज़ल ये है कि दुआ के बाद कोई गुफ़्तगू न हो। **(3)** शरई उमूर बिलख़ुसूस इबादत के आमाल में अपनी मर्ज़ी से कमी बेशी जायज़ नहीं, यहाँ तक कि नबी (ﷺ) ने इस दुआ के एक लफ़्ज़ को दूसरे हम मानी लफ़्ज़ से बदलना भी क़बूल नहीं फ़रमाया। जबकि कुछ लोग कह देते हैं कि इस तरह से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता हालांकि इससे बहुत फ़र्क़ पड़ता है और इसे वही शख़्स समझ सकता है जिसके दिल में सुन्नत की मोहब्बत भरी हुई हो। **(4)** वालिदैन और सरपरस्तों पर वाजिब है कि नोख़ैज़ बच्चों की आदात को इब्तेदा ही से सुन्नत के मुताबिक़ ढालने की कोशिश करें।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَامَ قَالَ " اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ " . وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " .

(5049) सय्यदना हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब सोने लगते तो ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा बिस्मिका अहया व अमूतु) 'ऐ अल्लाह! तेरे ही नाम से मैं ज़िन्दा होता और मरता हूँ। यानी सोता और जागता हूँ।' और जब जागते तो ये पढ़ते: (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअ़दा मा अमातना, व इलैहिन्नुशूर) 'तमाम तारीफ़ें उस अललाह की हैं जिसने हमें मारने के बाद ज़िन्दा किया (नींद के बाद जगाया) और उसकी तरफ़ उठना है।'

(5049) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6312.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(5050) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई अपने बिस्तर पर आने लगे तो चाहिए कि अपने बिस्तर को अपनी चादर के पल्लू से झाड़ ले, क्या ख़बर इसके बाद उस पर कोई

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ لْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " .

चीज़ आ गई हो, फिर अपनी दायें करवट पर लेट जाये और ये दुआ पढ़े: (बिस्मिका रब्बी वज़अतु जन्बी वबिका अरफ़उहु इन अम्सकता नफ़्सी फ़रहम्हा व इन अरसल्तहा फ़ह्फ़ज़्हा बिमा तहफ़ज़ु बिहिस्सालिहीन मिन इबादिका) 'तेरे ही नाम से ऐ मेरे रब! मैंने अपना पहलू रखा है और तेरे ही नाम से इसे उठाऊंगा। अगर तू मेरी जान को रोक ले (मौत दे दे) तो इस पर रहम फ़रमा और अगर छोड़ दे तो इसकी हिफ़ाज़त फ़रमा जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफ़ाज़त फ़रमाता है।'

तख़रीज : बुख़ारी: 6320, व सही मुस्लिम: 2714.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना सुन्नत है। (2) हदीस में दी गई दुआ के आख़री अल्फ़ाज़ (अस्सालिहीन मिन इबादिका) कुछ कुतूबे हदीस में इस तरह भी हैं: (इबादकस्सालिहीन) लिहाज़ा दुआ में दोनों तरह के अल्फ़ाज़ दुरूस्त हैं। देखिये (सही बुख़ारी, हदीस: 6320)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ " اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ

(5051) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब अपने बिस्तर पर आते, ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा रब्बस्समावाति व रब्बल अर्ज़ि व रब्ब कुल्लिशैइन फ़ालिकल हब्बि वन्नवा मुन्ज़िलत्तौराति वल इन्जील वल क़ुर्आन अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन अन्ता आखिज़ुम बिनासियतिही अन्तल अव्वलु फ़लैसा क़ब्लका शैउन व अन्तल आख़िरू फ़लैसा बअ्दका शैउन व अन्तज़्ज़ाहिरू फ़लैसा फ़ौक़का शैउन व अन्तल बातिनु फ़लैसा दूनका शैउन) वहब (बिन बक़िया) की रिवायत में मज़ीद है:

الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ " . زَادَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ " اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ "

(इक्ज़ि अन्निद्दैन व अग़्निनी अनिल फ़क़्र) 'ऐ अल्लाह! ऐ आसमानों के रब! ऐ ज़मीन के रब! और हर शय के रब! ऐ दाने और गुठली को फाड़ कर उगाने वाले! ऐ तौरात, इंजील और क़ुर्आन को नाज़िल करने वाले! मैं हर शर वाली चीज़ से, जिनकी पेशानी तू ही पकड़े हूए है, तेरी पनाह चाहता हूँ। तू सबसे पहले है, तुझ से पहले कुछ न था। तू सबसे आख़िर है तेरे बाद कुछ न होगा। तू ही ज़ाहिर है तुझसे ज़्यादा ज़ाहिर कोई नहीं। तू ही पोशीदा है तुझ से पोशीदातर कोई नहीं। मेरा क़र्ज़ अदा फ़रमा दे और मुझे (लोगों की) मोहताजी से बेपरवाह कर दे।'

(5051) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2713.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन मुबारक कलिमात में एक मुसलमान के लिये इज़्हारे उबूदियत के साथ साथ तौहीदे उलूहियत, तौहीदे रूबूबियत, तौहीदे अस्मा व सिफ़ात और निज़ामे रिसालत पर ईमान की तजदीद का इज़्हार है। (2) और बिलख़ुसूस क़र्ज़ और फ़क़ीरी से पनाह माँगने की तालीम है कि इस सबब से इंसान का सुकून व चैन ग़ारत हो जाता है, इज़्ज़त दाव पर लग जाती है इसके अलावा दीन व दुनिया की और भी ढेरों मुसीबतें आड़े आ जाती हैं।

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ، - يَعْنِي ابْنَ جَوَّابٍ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَبِي، مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ، رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ

(5052) सय्यदना अली (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सोते वक़्त ये कलिमात कहा करते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिवज्हिकल करीम व कलिमातिकत्ताम्माति मिन शर्रिमा अन्ता आख़िज़ुम बिनासियतिही अल्लाहुम्मा अन्ता तक्शिफ़ुल मग़्रमा वल मासमा अल्लाहुम्मा ला युह्ज़मु जुन्दुका वला युख़लफ़ु वअ़्दुका वला यन्फ़उ ज़ल जद्दि मिन्कल जद्दु सुब्हानका

مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اللَّهُمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ " .

व बिहम्दिका) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे बुज़ुर्गी वाले चेहरे की पनाह में आता हूँ और तेरे कामिल कलिमात की पनाह लेता हूँ हर उस चीज़ के शर से जिसकी पेशानी तू पकड़े हुए है। या अल्लाह! तू ही क़र्ज़ और गुनाह दूर कर सकता है। या अल्लाह! तेरे लश्कर को पस्पा नहीं किया जा सकता। तेरा वादा ख़िलाफ़ नहीं होता और तेरे यहाँ किसी मालदार को उसका माल (या ख़ानदानी शर्फ़ वाले को उसका शर्फ़) कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तू हर ऐब से पाक ओर तमाम तारीफ़ों वाला है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10603, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 767.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُئْوِيَ "

(5053) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपने बिस्तर पर आते तो ये दुआ पढ़ते थे: (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना, फ़कम मिम्मल ला काफ़िया लहू वला मूविया) 'तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया, दुखों तकलीफ़ों से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाई और हमें रहने की जगह इनायत फ़रमाई, कितनी ही मख़लूक़ है कि कोई उनकी किफ़ायत करने वाला नहीं और न कोई उन्हें जगह देने वाला है।'

(5053) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2715.

फ़ायदा : बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हर हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और बिलख़ुसूस महरूम लोगों को देख कर और ज़्यादा झुकना चाहिए।

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ الأَنْمَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ " بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الأَعْلَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو هَمَّامٍ الأَهْوَازِيُّ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ الأَنْمَارِيُّ .

(5054) हज़रत अबू अज़हर अन्मारी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को सोने लगते तो ये दुआ पढ़ते: (बिस्मिल्लाहि वज़अ्तु जन्बी अल्लाहुम्मग़्फिर ली ज़न्बी व अख़्सिअ् शैतानी व फुक्का रिहानी वज्अल्नी फ़िन्नदिय्यिल आला) 'अल्लाह के नाम से मैंने अपना पहलू रख दिया। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे, मेरे शैतान को दफ़ा, (दूर) कर दे, मेरे नफ़्स को (आग से) आज़ाद कर दे और मुझे आला व अफ़ज़ल मज्लिस वालों में बना दे।' (मलाइका और अम्बिया व रसूल का हमनशीन बना दे।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं। इस रिवायत को अबू हम्माम अहवज़ी (मुहम्मद बिन ज़बरक़ान) ने सौर से नक़ल किया तो (अबू अज़हर की बजाये) अबू ज़ुहैर अन्मारी कहा।

(5054) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 22/298, हदीस: 779, हाकिम: 1/540.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मुक़र्रर फ़रिश्ते के बिलमुक़ाबिल शैतान या क़रीन के मुताल्लिक़ बताया गया है कि वह भी इस्लाम क़बूल करके मुतीअ व मुन्क़ाद हो चुका था और आप (ﷺ) को ख़ैर ही की बात कहता था। (सही मुस्लिम: 2814.) नबी (ﷺ) का इस दुआ में (इख़्सा शैतानी) कहना बतौर उमूम है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنَوْفَلٍ " اقْرَأْ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ثُمَّ نَمْ عَلَى

(5055) हज़रत फ़रवा बिन नौफ़ल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने नोफ़िल (ﷺ) से फ़रमाया था: (क़ुल याअय्युहल काफ़िरून) पढ़ो और उसी पर अपनी बात चीत ख़त्म करके सो जाओ। बेशक इसमें शिर्क से बराअत का इज़हार है।'

خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ " .

(5055) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10637, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2363, 2364, हाकिम: 1/565, 3/538, तिर्मिज़ी, हदीस़: 3403.

फ़ायदा : और जो शख़्स इस कैफ़ियत में मरा कि वह शिर्क से बरी था तो उसके लिये जन्नत का वादा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमाने गिरामी है: 'जो शख़्स इस हाल में मरा कि उसे 'ला इलाहा इल्लल्लाह' का यक़ीन था तो वह जन्नत में दाख़िल होगा।' (स़ही मुस्लिम: 26) स़ही बुख़ारी और स़ही मुस्लिम में रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'जो शख़्स इस हाल में मरा कि वह अल्लाह तआला के साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराता था तो वह आग (जहन्नम) में दाख़िल होगा।' हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ؓ) फ़रमाते हैं: और मैं कहता हूँ: 'जो शख़्स इस हाल में मरा कि वह अल्लाह तआला के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराता था तो वह जन्नत में दाख़िल होगा।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1238, व स़ही मुस्लिम, हदीस़: 92)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِيَانِ ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

(5056) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा(ؓ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) रात जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हाथों को उठा कर के उनमें (क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल अऊज़ुबि रब्बिल फ़लक़) और (क़ुल अऊज़ुबि रब्बिन्नासि) सूरतें पढ़ कर दम करते और फूँक मारते, फिर उन्हें जहाँ तक हो सकता पूरे जिस्म पर फेरते पहले अपने सर, चेहरे और अगले हिस्से से इब्तेदा करते और तीन बार ऐसा करते।'

(5056) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5017.

फ़ायदा : सोते वक़्त आख़री तीन सूरतों का दम बहुत सी ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों बिलख़ुसूस नज़रे बद, जादू और शैतानी अस़रात का इलाज है। बशर्ते कि इंसान ईमान व यक़ीन के साथ पाबन्दी से अमल करे।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلاَلٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ وَقَالَ " إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ " .

(5057) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सोने से पहले (अल्मुसब्बिहात) की तिलावत फ़रमाया करते थे और आपने फ़रमायाः 'इनमें एक आयत है जो हज़ार आयत से अफ़ज़ल है।'

(5057) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 2921, तबरानी, मुस्नदुश्शामिय्यीन: 3/391 2531.

फ़ायदा : (अल मुसब्बिहात) से मुराद क़ुर्आन करीम की वह सूरतें हैं जिनकी इब्तेदा में लफ़्ज़ (सुब्हान, सब्बह) या (युसब्बिहु) आया है। और ये सात सूरतें हैं: **(1)** बनी इस्राईल, **(2)** अल हदीद, **(3)** अल हश्र, **(4)** अस सफ़, **(5)** अल जुमुआ, **(6)** अत तग़ाबुन, **(7)** अल आला.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَىَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإِلَهَ كُلِّ شَىْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ " .

(5058) सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) ने इब्ने बुरैदा को बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अपने बिस्तर पर आते तो ये दुआ पढ़ा करते थे: (अल्हम्दुलिल्ला हिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी व अतअमनी व सक़ानी, वल्लज़ी मन अलय्या फ़अफ़ज़ल, वल्लज़ी आतानी फ़अज्ज़ल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि, हालिन, अल्लाहुम्मा रब्बा कुल्लि शैइन व मलीकहू व इलाहा कुल्लि शैइन, अऊज़ुबिका मिनन्नार) 'तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिये है जिसने (हर तरह से) मेरी किफ़ायत की और मुझे रहने की जगह इनायत फ़रमाई, मुझे खिलाया, पिलाया और जिसने मुझ पर एहसान किया और बहुत ज़्यादा किया, जिसने मुझे दिया और बहुत ख़ूब दिया। हर हाल में अल्लाह ही की तारीफ़ है। ऐ अल्लाह! ऐ हर चीज़ के परवरदिगार और

उसके मालिक! ऐ हर चीज़ के माबूद! मैं आग से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5058) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/117, नसाई सुनन कुब्रा, हदीसः 10634, अमलुल यौम वल्लैला, हदीसः 798, इब्ने हिब्बान, हदीसः 2357, हाकिमः 1/514, व 1/545, 546.

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5059) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स कहीं लेटा हो और उसमें अल्लाह का ज़िक्र न किया हो तो क़यामत के दिन उसे हसरत व अफ़सोस होगा। और जो शख़्स कहीं बैठा हो और वहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का ज़िक्र न किया हो तो क़यामत के दिन उसे हसरत व अफ़सोस होगा।'

(5059) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 4856 में देखें।

फ़ायदा : आख़िरत की नेमतों और वहाँ के दर्जात बे इन्तिहा, कसीर और अज़ीम हैं। बंदे को उस वक़्त हसरत होगी कि काश मैं कोई मौक़ा ज़ाया न करता और बहुत ज़्यादा इबादत और ज़िक्र में मशग़ूल रहता। इसी तरह वहाँ का अज़ाब और पकड़ भी नाक़ाबिले तसव्वूर हद तक सख़्त है, तो इंसान को हसरत होगी कि काश मैंने इबादत करके अपने आपको इससे बचा लिया होता। इसी वजह से क़यामत के नामों में से एक नाम 'यौमूल हसरत' भी है। कुरआने मुक़द्दस में इरशादे बारी तआला हैः 'ऐ पैग़म्बर! इन लोगों को यौमुल हसरत (रोज़े क़यामत) से डरायें। (मरयमः 40)

बाब : 108
रात को जब आँख खुले तो कौन सी दुआ करे?

﴿108﴾

باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ

(5060) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात के वक़्त जिसकी आँख खुल जाये और वह जागने पर ये कलिमात कहे: (ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहूल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबरू व ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि) फिर दुआ करे (रब्बिग़फ़िर्ली) इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि वलीद के अल्फ़ाज़ हैं: 'फिर (कोई सी) दुआ कर ले, तो क़बूल होगी और अगर उठ खड़ा हो, वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ मक़बूल होगी।'

(5060) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 1154.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِي " . قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ " دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ ".

(5061) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को जागते तो ये दुआ पढ़ा करते थे: (ला इलाहा इल्ला अन्ता, सुब्हानका, अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़िरूका

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ " .

लिज़न्बी, व अस्अलुका रहमतका, अल्लाहुम्मा! ज़िदनी इल्मा, वला तुज़िग़ क़ल्बी बअ़दा इज़ हदैतनी, वहब ली मिल्लदुन्का रहमतन, इन्नका अन्तल वह्हाब) 'तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से अपने गुनाहों की बख़्शिश चाहता हूँ, और तेरी रहमत का सवाली हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे इल्म में इज़ाफ़ा (बढ़ोतरी) फ़रमा, और हिदायत दे देने के बाद मेरे दिल को गुमराह न कर देना, (ऐ मेरे रब!) मुझे अपने पास से रहमत इनायत फ़रमा, बेशक तू ही इनायत करने वाला है।'

(5061) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा: 10701, अ़मलुल यौम वल्लैला: 865, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2359, हाकिम: 1/540.

﴿109﴾ بَابٌ فِي التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

बाब : 109 सोते वक़्त तस्बीहात का विर्द

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، - الْمَعْنَى - عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، - قَالَ مُسَدَّدٌ - قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ شَكَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى فَأُتِيَ بِسَبْيٍ

(5062) हज़रत अ़ली (ﷺ) बयान करते हैं कि सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से चक्की पीसने के बाइस हाथों में तकलीफ़ का इज़हार किया। फिर आपके पास कुछ गुलाम आये तो सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) आपके पास आईं कि आपसे कोई ख़ादिम तलब करें, मगर आप न मिले, तो उन्होंने सय्यदा आ़यशा (ﷺ) को बताया। जब नबी (ﷺ) तशरीफ़

فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ " عَلَى مَكَانِكُمَا " . فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ " .

लाये, तो उन्होंने आपसे ज़िक्र किया (कि सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) आई थीं) तो नबी (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये जबकि हम अपने बिस्तरों में जा चुके थे। आप तशरीफ़ लाये तो हम उठने लगे। आपने फ़रमाया: 'अपनी अपनी जगह पर रहो।' आप आये और हमारे दरम्यान बैठ गये, यहाँ तक कि मैंने आपके क़दमों की ठण्डक अपने सीने में महसूस की। आपने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं जो तुम्हारे लिये उस चीज़ से बहुत बेहतर हो जिसका तुमने माँग किया है? जब तुम बिस्तर पर लेटने लगो तो तैंतीस बार 'सुब्हानल्लाह' तैंतीस बार 'अल्हम्दुल्लिाह' और चौंतीस बार 'अल्लाहु अकबर' पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिये ख़ादिम से कहीं बेहतर है।'

(5062) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5361, हदीस: 2989, व सही मुस्लिम: 2727.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई तस्बीहात जहाँ फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मुस्तहब हैं, वहाँ रात को सोते वक़्त पढ़ना भी मुस्तहब हैं। **(2)** अगर इंसान ईमान व यक़ीन और पाबन्दी के साथ इस पर अमल करे तो उनकी बरकत से जिस्मानी थकन दूर होने के अलावा ईमान में इज़ाफ़ा और दर्जात में बलन्दी हासिल होती है। जबकि ख़ादिम की बाबत बाज़पुर्स होगी। **(3)** मुसलमान बीवी इस अम्र की पाबन्द है कि शौहर की ख़िदमत और घर के सब काम सर अंजाम दे। जैसे सय्यदा फ़ातिमा, अज़वाजे नबी (ﷺ) (नबी (ﷺ) की बीवियों) और दीगर सहाबियात (ﷺ) के मामूलात से साबित है। इसलिए कुछ लोगों का ये दावा कि बीवी घरैलू कामों की पाबन्द नहीं, महज़ बेअसल बात है।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ

(5063) अमीरूल मोमिनीन हज़रत अली (ﷺ) ने इब्ने अब्द से कहा: मैं तुम्हें अपनी और फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) की

أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لاِبْنِ أَعْبَدَ أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَكَانَتْ عِنْدِي فَجَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ بِيَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا وَقَمَّتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا وَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضُرٌّ فَسَمِعْنَا أَنَّ رَقِيقًا أُتِيَ بِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا يَكْفِيكِ . فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَاسْتَحْيَتْ فَرَجَعَتْ فَغَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا فِي اللِّفَاعِ حَيَاءً مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ " مَا كَانَ حَاجَتُكِ أَمْسِ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ " . فَسَكَتَتْ مَرَّتَيْنِ فَقُلْتُ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ جَرَّتْ عِنْدِي بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ فِي يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا وَكَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا وَبَلَغَنَا

बात न बताऊं। सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) आप (ﷺ) को अपने अहल में सबसे बढ़ कर महबूब थीं और वह मेरी ज़ौजियत में थी। चक्की चलाती थीं यहाँ तक कि उनके हाथों में गड्ढे पड़ गये। मश्कीज़े में पानी भर कर लाती थीं, इससे सीने पर निशान पड़ गये। घर में झाड़ू देती थीं इससे कपड़े ख़राब हो जाते थे। चुल्हे में आग जलातीं तो उससे कपड़े गंदे हो जाते थे और इससे उन्हें अज़ीयत भी होती थी। फिर हमने सुना कि नबी (ﷺ) के पास कुछ गुलाम लाये गये हैं। तो मैंने कहाः अगर तुम अपने अब्बा के पास जाओ और उनसे किसी ख़ादिम का कहो जो तुम्हारे काम कर दिया करे (तो बेहतर रहे) चनांचे वह आपके पास गयीं मगर पाया कि आपके पास कुछ बातें करने वाले बैठे हैं तो उन्हें बात करने में शर्म आई, लिहाज़ा वह वापस लौट आईं। अगली सुबह आप हमारे यहां तशरीफ़ लाये जबकि हम लिहाफ़ औढ़े हूए थे। चुनांचे आप (ﷺ) सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) के सर के पास बैठ गये तो उन्होंने अपने वालिद से हया के बाइस़ अपना सर लिहाफ़ में दे लिया। आपने दरयाफ़्त फ़रमायाः 'कल तुम्हें आले मुहम्मद के यहाँ क्या काम था?' तो वह ख़ामोश रहीं। आपने दोबारा पूछा। तो मैंने अ़र्ज़ कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अ़र्ज़ किये देता हूँ। बिलाशुब्हा ये मेरे यहाँ (घर में) चक्की पिस्ती हैं यहाँ तक कि हाथों में गड्ढे पड़ गये हैं, मश्क

أَنَّهُ قَدْ أَتَاكَ رَقِيقٌ أَوْ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَهَا سَلِيهِ خَادِمًا . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَمِ وَأَتَمَّ .

उठा कर पानी भर कर लाती हैं यहाँ तक कि सीने पर निशान पड़ गये हैं, घर में झाड़ू देती हैं और कपड़े ग़ुबार आलूद हो जाते हैं, चुल्हे में आग जलाती हैं यहाँ तक कि कपड़े स्याह हो जाते हैं, और हमें मालूम हूआ है कि आपके पास ग़ुलाम या ख़ादिम आये हैं तो मैंने इनसे कहा कि आपसे किसी ख़ादिम का पूछें ... और (ऊपर दी गई) रिवायते हकम के हम मानी ज़िक्र किया और वह ज़्यादा कामिल है।

(5063) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 2988 में देखें, मुसनद अहमद: 4/153.

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ لَيْلَةَ صِفِّينَ فَإِنِّي ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا .

(5064) सय्यदना अ़ली (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये ख़बर बयान की। इसमें है कि हज़रत अ़ली(ﷺ) ने कहा: जबसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (ये तस्बीहात वाला अ़मल) सुना है, उन्हें कभी नहीं छोड़ा। सिर्फ़ सिफ़्फ़ीन की रात को ये मुझे रात के आख़री पहर याद आईं, तो मैंने उन्हें उस वक़्त पढ़ा।

(5064) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10652, अ़मलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 816.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ

(5065) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो अ़मल ऐसे हैं अगर कोई मुसलमान बंदा इनकी पाबंदी कर ले, तो जन्नत में दाख़िल होगा और वह बहुत आसान हैं मगर उन पर अ़मल करने वाले बहुत कम हैं। (एक ये है कि) हर नमाज़

के बाद दस बार 'सुब्हानल्लाह' दस बार 'अल्हम्दुलिल्लाह' और दस बार 'अल्लाहु अकबर' कहे तो ज़बान की अदायगी के ऐतबार से एक सौ पचास बार है (मजमूई तौर पर पाँचों नमाज़ों के बाद) और तराज़ू में एक हज़ार पाँच सौ होंगे और जब सोने लगे तो चौंतीस बार 'अल्लाहु अकबर' तैंतीस बार 'अल्हम्दुल्लिाह' ओर तैंतीस बार 'सुब्हानल्लाह' कहे। ज़बानी तौर पर तो ये एक सौ बार है मगर मीज़ान में ये तस्बीहात एक हज़ार होंगी।' यक़ीनन मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप उन्हें अपने हाथ से शुमार करते थे। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये कैसे है कि ये अमल आसान है मगर करने वाले थोड़े हैं? आपने फ़रमाया: 'सोते वक़्त में किसी के पास शैतान आ जाता है और इससे पहले कि वह ये तस्बीहात पूरी कर ले, वह उसे सुला देता है और (इसी तरह) नमाज़ में शैतान आ जाता है और उसे कोई काम याद दिला देता है तो वह उन्हें पढ़े बग़ैर ही उठ जाता है।'

عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ " . فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ " يَأْتِي أَحَدَكُمْ - يَعْنِي الشَّيْطَانَ - فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلاَتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا" .

(5065) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3410, इब्ने माजा, हदीस़: 926, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 1349, सही इब्ने हिब्बान, हदीस़: 539, 540, 2343, 2344.

फ़ायदा : हर नेकी और ख़ैर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ मन्सूब होती है और इंसान उस पर उसकी तौफ़ीक़ ही से अमल पैरा हो सकता है और हर बुराई और शर में शैतान का अमल दख़ल होता है और नेकी से महरूम रह जाना बहुत बड़ा ऐब और वबाल है। इस लिए दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तआला हमें हमेशा नेकी की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाता रहे, मसलन ये दुआ करे: (रब्बी आईनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादिका)

(5066) उम्मुल हकम के साहबज़ादे या ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबैर से रिवायत है (उम्मुल हकम और ज़ुबाआ दोनों ज़ुबैर बिन अब्दुल

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ

الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنٍ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ، أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَى الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ السَّبْىِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ " . ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ التَّسْبِيحِ قَالَ عَلَى أَثَرِ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّوْمَ.

मुत्तलिब की बेटियाँ हैं) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कुछ क़ैदी आये तो मैं, मेरी बहन और नबी(ﷺ) की बेटी सय्यदा फ़ातिमा (ؓ) नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हमने उन्हें अपनी वह मुश्किलात पेश कीं जिनसे हम दो चार होती थीं, और हमने अर्ज़ किया कि उन क़ैदियों में से कोई ख़ादिम हमें भी दिये जाने का हुक्म इरशाद फ़रमायें तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बद्र के यतीम तुम से पहले ले चुके हैं। फिर तस्बीह वाला क़िस्सा ज़िक्र किया और इस रिवायत में हर नमाज़ के बाद का बयान है, सोते वक़्त का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 2987 में देखें।

फ़ायदा : ये हदीस़ पीछे 'किताबुल ख़िराज' में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस़: 2987, फ़वाइद वहां मुलाहिज़ा हों।

﴾110﴿ بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

बाब : 110 सुबह के वक़्त की दुआएँ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رضى الله عنه قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ

(5067) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से रिवायत है कि सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (ؓ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ कलिमात इरशाद फ़रमायें जो सुबह और शाम के वक़्त पढ़ा करूं। आपने फ़रमाया ये पढ़ा करो: (अल्लाहुम्मा फ़ातिरस्समावाति वल अर्ज़ि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति रब्बि

أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ . قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ " . قَالَ " قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ ".

कुल्लि शैइन व मलीकहू अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अऊज़ुबिका मिन शर्रि नफ़्सी व शरिश्शैतानि व शिर्किही) 'ऐ अल्लाह! आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले! पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले! हर चीज़ के पालने वाले और उसके मालिक! मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं अपने नफ़्स की शरारत, शैतान के शर और उसके शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ।' ये दुआ सुबह, शाम और सोते वक़्त पढ़ा करो।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3392, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2349, हाकिम: 1/513.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुस्तहब है कि इंसान सुबह, शाम और रात को सोते वक़्त ये मुबारक दुआ पढ़ा करे। **(2)** सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) जैसा अज़ीम इंसान भी इस बात का मोहताज है कि अल्लाह तआला के ज़िक्र जैसे आम अमल में नबी (ﷺ) और उसकी वह्य से इल्म हासिल करे। अफ़सोस की बात है कि कुछ लोगों ने अपनी मन मर्जी से हम्द व सना और दरूद व सलाम के लम्बे चौड़े वज़ीफ़े और सहीफ़े ईजाद किये और इत्तेबा-ए-रसूल की फ़ज़ीलत और अज्र से महरूम रहे और अपने हल्क़ा बगोशों को भी महरूम रखा। इसके अलावा अक़ीदे और अमल का फ़साद इससे बढ़ कर है। बहरहाल साहिबे ईमान को अपने हर अमल में नबी (ﷺ) से हिदायत लेने का ख़्वाहिशमंद रहना चाहिए। **(3)** इंसान इल्म व फ़ज़्ल में जिस क़द्र ऊँचे मर्तबे पर हो उसे अपने नफ़्स की शरारत और शैतान के वस्वसों से महफ़ूज़ रहने के लिये उस क़द्र ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और ये चीज़ अल्लाह की इनायत के सिवा कहीं मुमकिन नहीं। **(4)** इस दुआ का आख़री लफ़्ज़ 'शिर्क' की एक रिवायत 'शरका' भी है यानी 'शीन' और 'रा' दोनों पर फ़तह (ज़बर) तो मानी होंगे: 'मैं शैतान के जाल और फन्दे से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(5068) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ), जब सुबह होती तो ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा! बिका अस्बहना, व बिका अम्सैना, व बिका नहया,

व बिका नमूतु व इलैकन्नुशूर) 'ऐ अल्लाह! हमने तेरे (फ़ज़ल के) साथ सुबह की और तेरे (फ़ज़ल के) साथ शाम करते हैं। तेरे ही फ़ज़ल से ज़िन्दा और तेरे ही नाम पर मरते हैं और तेरी ही तरफ़ उठ कर जाना है।' और शाम के वक़्त ये कलिमात यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा! बिका अम्सैना, व बिका नहया, व बिका नमूतु व इलैकन्नुशूरू) 'ऐ अल्लाह! हमने तेरे ही (फ़ज़ल के) साथ शाम की और तेरे ही फ़ज़ल से ज़िन्दा और तेरे ही नाम पर मरते हैं और तेरी ही तरफ़ उठना है।'

(5068) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3391, इब्ने हिब्बान, 2354, 2355.

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ " اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " . وَإِذَا أَمْسَى قَالَ " اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ" .

(5069) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सुबह या शाम के वक़्त नीचे दी गई दुआ पढ़ ले, तो अल्लाह तआला उसका चौथाई हिस्सा आग से आज़ाद फ़रमा देगा। और जो शख़्स इसे दोबारा पढ़े, अल्लाह उसका आधा हिस्सा आग से आज़ाद कर देगा। और जो शख़्स इसे तीन बार पढ़े, अल्लाह तआला उसका तीन चौथाई आग से आज़ाद कर देगा। और जो शख़्स चार बार पढ़े, तो अल्लाह तआला उसे (कामिल तौर पर) आग से आज़ाद फ़रमा देगा।' (दुआ के कलिमात ये हैं) (अल्लाहुम्मा! इन्नी अस्बहतु उशिहदुका व उशिहदु हमलता अर्शिका व मलाइकतिका व जमीआ ख़ल्क़िका अन्नका अन्तल्लाहु ला

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ

وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ " .

इलाहा इल्ला अन्ता व अन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुक व रसूलुक) 'ऐ अल्लाह! मैंने सुबह की है और तुझे गवाह बनाता हूँ और तेरा अ़र्श उठाने वाले और दीगर फ़रिश्तों और तेरी सारी मख़लूक़ को गवाह बनाता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। और मुहम्मद (ﷺ) तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं।'

(5069) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10574, अ़मलुल यौम वल्लैला, हदीस: 738, अहमद बिन सालेह, हदीस: 5078.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ حِينَ يُمْسِي اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(5070) हज़रत अ़ब्दुल्लाह अपने वालिद बुरैदा(رضی اللہ عنہ) से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सुबह या शाम के वक़्त ये दुआ पढ़ ले और फिर अपने उस दिन या रात में फ़ौत हो जाये तो जन्नत में दाख़िल होगा।' (अल्फ़ाज़ ये हैं) (अल्लाहुम्मा! अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता, ख़ल्क़्तनी व अना अ़ब्दुका व अना अ़ला अ़हदिका व वअ़दिका मस्ततअ़्तु, अऊ़ज़ुबिका मिन शर्रि मा स़नअ़्तु, अबूउ लका बिनिअ़मतिका, व अबूउ बिज़न्बी, फ़ग़फिरली इन्नहू ला यग़फिरूज़्ज़ुनूबा इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! तू ही मेरा रब है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया है और मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे साथ किये हूए अ़हद और वादे पर, जहां तक मेरी हिम्मत है, क़ायम हूँ, मैं अपने किये के बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। तेरी नेमतें जो मुझ पर हैं मुझे उनका इक़रार है और मुझे अपने गुनाहों का भी

ऐतराफ़ है। पस मुझे बख़्श दे। बेशक तेरे सिवा कोई गुनाहों को नहीं बख़्शता।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3872, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2353, हाकिम: 1/514, 515.

फ़ायदा : इस मुबारक दुआ को 'सय्यदुल इस्तिग़फ़ार' के नाम से याद किया जाता है। क्योंकि इसमें बंदे की तरफ़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमाले अज़मत व जलाल के इक़रार के साथ अपनी इन्तेहाई आजिज़ी और बंदगी का इज़हार है।

(5071) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) शाम के वक़्त ये कलिमात पढ़ा करते थे: (अम्सैना व अम्सल मुल्कु लिल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू) जरीर की रिवायत में इज़ाफ़ा है लेकिन ज़ुबैद ने कहा कि इब्राहीम बिन सुवैद कहा करते थे: (ला इलाहा इल्लल्लाहु व हदहु ला शरीका लहु, लहुलमुल्कु, व लहुलहम्दु, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, रब्बी! अस्अलुका ख़ैरम मा फ़ी हाजिहिल्लैलति व ख़ैरा माबअ्दहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि माफ़ी हाज़िहिल्लैलति व शर्रि मा बअ्दहा रब्बि अऊज़ु बिका मिनल कसलि व मिन सूइल किब्रि अविल कुफ़्रि रब्बि अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिन फ़िन्नारि व अज़ाबिन फिल क़ब्र) और जब सुबह होती तो भी इसी तरह कहा करते थे (अस्बहना व अस्बहल मुल्कुलिल्लाह ...)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस रिवायत को शौबा ने बवास्ता सलमा बिन कुहैल, इब्राहीम बिन सूवैद से रिवायत किया तो इसमें (मिन सूइल

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى " أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ " . زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَمَّا زُبَيْدٌ كَانَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ الْكِبْرِ أَوِ الْكُفْرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي

الْقَبْرِ " . وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا " أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ " مِنْ سُوءِ الْكِبْرِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ سُوءَ الْكُفْرِ .

किब्र) कहा है और (मिन सूइल कुफ़्र) का ज़िक्र नहीं किया।

(5071) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2723.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दुआ के अल्फ़ाज़ तर्तीब के साथ नीचे दिये गये हैं: (अम्सैना ...) और आगे ... (रब्बा ...) **(2)** अल किब्र ... 'बा' जज़्म के साथ हो तो बमानी 'गुरूर' है। और अगर 'बा' पर ज़बर पढ़ी जाये तो मानी हैं: 'बुढ़ापा' **(3)** दुआ का तर्जुमा: 'हमने शाम की और अल्लाह के मुल्क ने शाम की, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी का है, तारीफ़ उसी की है, और वह हर चीज़ पर कामिल क़ुदरत रखता है। ऐ मेरे रब! मैं तुझसे उस ख़ैर का सवाल करता हूँ जो इस रात में है, और उस ख़ैर का भी जो इसके बाद है, और उस बुराई से पनाह चाहता हूँ जो इस रात में है और उस शर से भी जो इसके बाद है। ऐ मेरे रब! मैं सुस्ती, गुरूर (या बुढ़ापे) या कुफ़्र की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ मेरे रब! मैं दोज़ख़ और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह माँगता हूँ।'

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصٍ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَا خَدَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

(5072) जनाब अबू सलाम (मम्तूर अल हब्शी) हिम्स की मस्जिद में बैठे हूए थे कि उनके पास से एक शख़्स गुज़रा। लोगों ने बताया कि ये आदमी नबी (ﷺ) का ख़ादिम रहा है। तो अबू सलाम उसकी तरफ़ उठ कर गये और कहा: मुझे ऐसी हदीस़ बयान कीजिये जो आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी हो और वह सिर्फ़ आपको बताई हो, आम लोगों से न कही हो। तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स सुबह या शाम को ये पढ़ लिया करे: (रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन रसूलन) 'हम

رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ " .

इस बात पर राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब, इस्लाम हमारा दीन और मुहम्मद हमारे रसूल हैं।' तो अल्लाह पर ये हक़ होगा कि वह उसे राज़ी कर दे।'

(5072) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 4/337, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 9832, अ़मलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 4, स़ही हाकिमः 1/518, हदीस़: 3653 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस़ में मज़कूर दुआ, सुनन अबू दाऊद, किताबुल वित्र, हदीस़: 1529 में भी गुज़र चुकी है। तफ़्सील (विस्तार) के लिये मुलाहिज़ा हो।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وَإِسْمَاعِيلُ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ . فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ " .

(5073) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन ग़न्नाम अलबयाज़ी से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिसने सुबह के वक़्त ये कह लिया (अल्लाहुम्मा! मा अस्बहा बी मिन निअ़मतिन फ़मिन्का वह्दका ला शरीका लका, फ़लकल हम्दु व लकश्शुक्रू) 'ऐ अल्लाह! मुझे जो भी नेमत हास़िल है वह तेरे अकेले ही की तरफ़ से है। तेरा कोई शरीक नहीं। पस तेरी ही हम्द है और तेरा ही शुक्र है।' तो उसने अपने उस दिन का शुक्र अदा कर लिया और जिसने शाम के वक़्त इसी तरह कह लिया, तो उसने अपनी उस रात का शुक्र अदा कर लिया।'

(5073) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 9835, अ़मलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 7, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2361.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، -

(5074) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शाम को और सुबह के वक़्त ये दुआएँ न छोड़ा करते थे

الْمَعْنَى - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي " . وَقَالَ عُثْمَانُ " عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخَسْفَ .

(हमेशा पढ़ा करते थे) (अल्लाहुम्मा! इन्नी अस्अलुकल आफ़ियता फ़िदुनिया वल आख़िरति अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया व अह्ली व माली अल्लाहुम्मस्तुर औरती) उस्मान (बिन अबी शोबा) के अल्फ़ाज़ हैं: (औराती व आमिन रौआती अल्लाहुम्मह फ़ज़्नी मिम बैनि यदय्या व मिन ख़ल्फ़ी व अय यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़्मतिका अन उग़ताला मिन तहती) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझ से दुनिया और आख़िरत में हर तरह के आराम और राहत का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से माफ़ी और आफ़ियत का तलबगार हूँ अपने दीन व दुनिया में और अपने अहल व माल में। ऐ अल्लाह! मेरे ऐब छुपा दे। मुझे मेरे अन्देशों और ख़तरात से अमन इनायत फ़रमा। या अल्लाह! मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दायें, मेरे बायें और मेरे ऊपर से मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा। और मैं तेरी अज़मत के ज़रिये से इस बात से पनाह चाहता हूँ कि मैं अपने नीचे की तरफ़ से हलाक कर दिया जाऊं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया, जनाब वकीअ ने कहा कि (उग़ताला मिन तहती) से मुराद है: 'ज़मीन में धँसा दिया जाऊँ। (उससे पनाह चाहता हूँ)

(5074) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस 5531, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2356, हाकिम: 1/517, 518.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ سَالِمًا الْفَرَّاءَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَكَانَتْ، تَخْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ بِنْتَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ " قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ " .

(5075) अब्दुल हमीद मौला बनू हाशिम से रिवायत है कि उसकी वालिदा नबी (ﷺ) की किसी साहबज़ादी की ख़िदमत किया करती थी। उस साहबज़ादी ने उसे बयान किया कि नबी(ﷺ) उसे सिखाया करते थे और फ़रमाते थे: 'जब तुम सुबह करो तो ये कहा करो: (सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मा शाअल्लाहु काना वमा लम यशा लम यकुन आलमु अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा) 'अल्लाह पाक है अपनी हम्दों के साथ। नेकी और ख़ैर अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ के बग़ैर मुमकिन नहीं। जो अल्लाह चाहता है हो जाता है और जो नहीं चाहता नहीं होता। मुझे यक़ीन है कि अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है और उसका इल्म हर चीज़ को अपने घेरे में लिये हूए है।' बिलाशुबहा जो शख़्स सुबह के वक़्त ये कलिमात कह ले, तो शाम तक उसकी हिफ़ाज़त की जायेगी और जिसने शाम को ये पढ़ लिये, तो सुबह तक उसकी हिफ़ाज़त की जायेगी।'

(5075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा: 9840, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 121.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ

(5076) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सुबह के वक़्त (सूरह अरूम की नीचे दी गयी आयात) पढ़ ले वह अपने उस दिन

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ النَّجَّارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، - قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } إِلَى { وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ } أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ " . قَالَ الرَّبِيعُ عَنِ اللَّيْثِ .

की फ़ौतशुदा नेकियाँ हासिल कर लेगा और जिसने उन्हें शाम के वक़्त पढ़ लिया वह अपनी उस रात की फ़ौत शुदा नेकियाँ हासिल कर लेगा।' (वह आयात ये हैं) (फ़सुब्हानल्लाहि हीना तुम्सूना व हीना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि व अशिय्यंव व हीना तुज़्हिरून युख़्रिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युख़्रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व युह्यिल अर्ज़ा बअ्दा मौतिहा व कज़ालिका तुख़्रजून) चुनांचे तुम अल्लाह की तस्बीह (पाकी बयान) करो जब तुम शाम करो और जब सुबह करो और उसी की तारीफ़ है आसमानों में और ज़मीन में और (तस्बीह करो) पिछले पहर और जब तुम दोपहर करो। वह निकालता है ज़िन्दा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िन्दा से, और ज़मीन को (भी) उसके मुर्दा (बंजर) हो जाने के बाद ज़िन्दा (शादाब) कर देता है और ऐसे ही तुम्हें भी निकाला जायेगा।' रबीअ बिन सलमान की रिवायत में (अख़बरनी अल्लैसु) की बजाये (अनिल्लैस़) के अल्फ़ाज़ हैं।

(5076) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 12/239, हदीस: 12991.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَوُهَيْبٌ، نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ، - وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي

(5077) इब्ने अबू आइश से रिवायत है, जबकि हम्माद की रिवायत में है कि अबू अयाश(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सुबह के वक़्त ये कह ले: (ला इलाहा

عَيَّاشٍ، - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ " . قَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ " صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُوسَى الزَّمْعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَائِشٍ .

इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर) 'एक अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसका कोई साझी नहीं, मुल्क उसी का है, तारीफ़ उसी की है और वह हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है।' तो उसे औलादे इस्माईल में से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा और उसके लिये दस नेकियाँ लिखी जायेंगी, उससे दस ग़लतियाँ मिटाई जायेंगी, उसके दस दर्जात बलन्द किये जायेंगे और शाम तक के लिये शैतान से हिफ़ाज़त में रहेगा और अगर शाम को ये कह ले, तो सुबह तक के लिये यही कुछ है।'

हम्माद की रिवायत में है कि एक आदमी ने ख़्वाब में रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू अ़याश आपसे इस इस तरह रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'अबू अ़याश ने सच कहा है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को इस्माईल बिन जाफ़र, मूसा ज़मई और अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने बवास्ता सुहैल, उसके वालिद से और उसने इब्ने अ़याश से रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3867.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمٍ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ

(5078) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान किया करते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सुबह के वक़्त ये कह ले (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उश्हिदुका व उश्हिदु हमलता अर्शिका व मलाइकतका व जमीआ ख़ल्क़िका अन्नका अन्तल्लाहु ला

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ"

इलाहा इल्ला अन्ता वहदका ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका) 'ऐ अल्लाह! मैं सुबह की, तुझे गवाह बनाता हूँ और तेरे हामेलीने अर्श, दूसरे फ़रिश्तों और तेरी सारी मख़लूक़ को गवाह बनाता हूँ कि बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे एक अकेले के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, तेरा कोई साझी नहीं और बेशक मुहम्मद (ﷺ) तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं।' तो वह उस दिन में जो गुनाह भी करेगा, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। और अगर शाम को ये कह ले तो उस रात में जो गुनाह उससे हों, माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(5078) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3501, हदीस: 5069 में देखें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ " إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ . سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ

(5079) मुस्लिम बिन हारिस़ तमीमी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे राज़दारी के अन्दाज़ में फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़े मग़रिब से सलाम फेरो तो सात बार (अल्लाहुम्मा! आजिर्नी मिनन्नार) 'कह लिया करो।' 'ऐ अल्लाह! मुझे जहन्नम की आग से महफ़ूज़ रख।' अगर तुम ये कह लो और उस रात मर जाओ तो तुम्हारे लिये जहन्नम से बचाव लिख दिया जायेगा और जब सुबह की नमाज़ पढ़ चुको तो इसी तरह कह लिया करो, अगर तुम उस दिन में मर गये, तो तुम्हारे लिये जहन्नम से बचाव लिख दिया जायेगा।'

अबू सईद ने हारिस़ से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें (बिलख़ुसूस़) राज़दाराना

अन्दाज़ में फ़रमाया था, तो हम (भी ये) अपने भाइयों को बिलख़ुसूस बताते हैं।

(5079) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/234, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 111, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 9935, इब्ने हिब्बान: 2346.

فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا " . أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ أَسَرَّهَا إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَحْنُ نَخُصُّ بِهَا إِخْوَانَنَا .

(5080) अब्दुर्रहमान बिन हस्सान किनानी ने रिवायत किया कि मुझे मुस्लिम बिन हारिस़ बिन मुस्लिम तमीमी ने अपने वालिद से रिवायत किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया ... और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान किया। और (जिवार मिन्हा) तक रिवायत की। मगर इसमें है कि ये कलिमा (अल्लाहुम्मा! आजिर्नी मिनन्नार) (सलाम के बाद) किसी से बात करने से पहले कहे।'

अली बिन सहल ने कहा कि मुस्लिम बिन हारिस़ के वालिद ने अपने बेटे को ये हदीस़ बयान की जबकि अली बिन सहल और मुहम्मद बिन मुसफ़्फ़ा ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक मुहिम में रवाना किया। जब हम लड़ाई के मक़ाम पर पहुँच गये तो मैंने अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाया और अपने साथियों से आगे निकल गया तो मुझे दुशमन क़बीले की आवाजें सुनाई दीं। मैंने उनसे कहा: (ला इलाहा इल्लल्लाह) कह लो बच जाओगे। चुनांचे उन लोगों ने ये कलिमा कह दिया। तो मेरे साथियों ने मुझे मलामत की और कहने लगे कि तुमने हमें ग़नीमत से महरूम कर दिया। फिर जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँचे और साथियों ने वह (वाक़िया) बयान किया कि जो कुछ मैंने किया था

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ الْكِنَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ " جِوَارٌ مِنْهَا " . إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا " قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا " . قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ فِيهِ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ الْمُصَفَّى بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي وَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ فَقُلْتُ لَهُمْ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُحْرَزُوا فَقَالُوهَا فَلاَمَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا حَرَمْتَنَا الْغَنِيمَةَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَّنَ لِي مَا صَنَعْتُ وَقَالَ " أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا " . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ بِالْوَصَاةِ بَعْدِي " . قَالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِي ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ .

तो आपने मुझे बुलवाया और मेरे अ़मल की तहसीन फ़रमाई और फ़रमाया: 'अल्लाह ने तेरे लिये इनमें से हर हर बंदे की वजह से इतना इतना स़वाब लिखा है ...' अ़ब्दुर्रहमान (बिन हस्सान) ने कहा कि मैं इस स़वाब की तफ़्सील भूल गया हूँ ... फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आगाह रहो! बेशक मैं अपने बाद तुम्हारे लिये वस़ीयत लिख देता हूँ।' चुनांचे आपने ऐसे ही किया और उस तहरीर में मुहर लगा कर मेरे हवाले कर दी और मुझसे फ़रमाया ... फिर ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी ज़िक्र किया। इब्ने मुस़फ़्फ़ा ने कहा: मैंने हारिस़ बिन मुस्लिम बिन हारिस़ तमीमी से सुना, वह अपने वालिद से हदीस़ बयान करते थे।

(5080) तख़रीज : (सनद हसन) अ़मलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 111, पिछली हदीस़ देखें।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، - وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ - قَالَ حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ - قَالَ يَزِيدُ شَيْخٌ ثِقَةٌ - عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضى الله عنه قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا .

(5081) हज़रत अबूद्दरदा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि जिसने सुबह और शाम के वक़्त सात बार ये कह लिया: (हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अ़लैहि तवक्कल्तु व हुवा रब्बुल अ़र्शिल अ़ज़ीम) अल्लाह तआ़ला उसकी परेशानियों में उसकी किफ़ायत फ़रमायेगा ख़्वाह उसने सच्चे दिल से ये कलिमात कहा हो या झूठे दिल से।

(5081) तख़रीज : (सनद हसन)

(5082) जनाब मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन खुबैब अपने वालिद से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि हम एक बारिश वाली और सख़्त अन्धेरी रात में निकले, जबकि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) को ढूँढ रहे थे ताकि वह हमें नमाज़ पढ़ायें। चुनांचे हमने आपको पा लिया, तो आपने फ़रमाया: 'कहो' तो मैं कुछ न बोला। आपने फ़रमाया: 'कहो' तो भी मैं कुछ न बोला। आपने फिर फ़रमाया: 'कहो' तो मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क्या कहूँ। आपने फ़रमाया: कहो (कुल हुवल्लाहु अहद) और मुअव्वज़तैन, यानी (कुल अऊज़ुबिरब्बिल फ़लक और कुल अऊज़ुबिरब्बिन्नास) सुबह और शाम तीन तीन बार ये कह लो, तो हर चीज़ से तुम्हारी किफ़ायत हो जायेगी।'

(5082) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3575, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 5430.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ " أَصَلَّيْتُمْ " . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ " قُلْ " . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ " قُلْ " . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ " قُلْ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ "

(5083) हज़रत अबू मालिक अशअ़री (رضي الله عنه) से रिवायत है कि सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें कोई कलिमा इरशाद फ़रमायें जो हम सुबह, शाम और सोते वक़्त पढ़ा करें। तो आपने फ़रमाया, कहा करो: (अल्लाहुम्मा फ़ातिरस्समावाति वल अर्ज़ि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति अन्ता रब्बु कुल्लि शेइन वल मलाइकतु यश्हदूना अन्नका ला इलाहा इल्ला अन्ता फ़इन्ना नऊज़ुबिका मिन शर्रि अन्फ़ुसिना व मिन शर्रिश्शैतानिर्रजीम व शिर्किही व अन नक़्त

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِكَلِمَةٍ، نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : اللَّهُمَّ

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ .

रिफ़ा सूअन अला अन्फ़ुसिना औ नजुर्रूहू इला मुस्लिम) 'ऐ अल्लाह! आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, ग़ैब और हाज़िर के जानने वाले! तू ही हर चीज़ का मालिक है। और फ़रिश्ते गवाह हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हम अपने नफ़्सों की शरारतों से और शैतान मरदूद के शर और शिर्क से तेरी पनाह चाहते हैं और इस बात से भी कि हम अपनी जानों पर किसी बुराई का इरतेकाब करें या किसी मुसलमान के लिये कोई बुराई करें।'

(5083) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 2/446, हदीस: 1672, हदीस: 4253 में देखें।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ " .

(5084) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इसी इस्नाद से रिवायत किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई सुबह करे तो चाहिए कि कहा करे: (अस्बह्ना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ख़ैरा हाजल यौमि फ़त्हहू व नस्रहू व नूरहू व बर्कतहू व हुदाहू व अऊज़ुबिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व शर्रि मा बअ्दहू) 'हमने सुबह की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुल्क ने भी सुबह की। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे उस दिन की ख़ैर, कामयाबी, मदद, नूर, बरकत और हिदायत का सवाल करता हूँ और उस शर से जो उसमें है और उसके बाद है तेरी पनाह चाहता हूँ।' और जब शाम हो तो इसी तरह कह लिया करे।'

(5084) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 2/447, हदीस: 1675, पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جُعْثُمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيقٌ الْهَوْزَنِيُّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَىْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ عَشْرًا وَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ " . عَشْرًا وَقَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ .

(5085) जनाब शरीक़ होज़नी कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) के यहाँ गया और उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को उठते तो किस चीज़ से इब्तेदा करते थे? उन्होंने कहा: तहक़ीक़ तूने मुझसे ऐसा सवाल किया है जिसके मुताल्लिक़ तुझसे पहले मुझसे किसी ने नहीं पूछा: आप (ﷺ) जब रात को उठते थे तो दस बार (अल्लाहु अकबर) दस बार (अल्हम्दुल्लिाह) दस बार (सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिह) दस बार (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) दस बार (अस्तग़फ़िरूल्लाह) दस बार (ला इलाहा इल्लल्लाहु) फिर दस बार कहते (अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन ज़ीक़िदुनिया व ज़ीक़ि यौमिल क़ियामति) 'ऐ अल्लाह! मैं दुनिया और रोज़े क़यामत की तंगी से तेरी पनाह चाहता हूँ।' फिर नमाज़ शुरू फ़रमाते।'

(5085) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10707, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 871, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 1618.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَسْحَرَ يَقُولُ

(5086) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र में होते और सहर होती तो फ़रमाया करते: सामिअ़ा बिहम्दिल्लाहि व निअ़्मतिही व हुस्नि बलाइही अलैना अल्लाहुम्मा स़ाहिब्ना फ़अफ़्ज़िल अलैना आइज़न बिल्लाहि मिनन्नार) 'सुनता है सुनने वाला, हम्द है अल्लाह की और क्या ख़ूब नेमतें और

" سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا " . عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ .

एहसान हैं उसके हम पर। ऐ अल्लाह! हमारा साथी बन और हम पर अपना फ़ज़ल फ़रमा। इस हाल में कि हम जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह चाहते हैं।'

(5086) तख़रीज : सही मुस्लिम.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَقُولُ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ أَوْ قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَىْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ اللَّهُمَّ فَمَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَلاَتِي وَمَنْ لَعَنْتَ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي كَانَ فِي اسْتِثْنَاءٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ أَوْ قَالَ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

(5087) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) कहा करते थे कि जिसने सुबह के वक़्त ये दुआ पढ़ी (अल्लाहुम्मा मा हलफ़्तु मिन हलिफ़िन औ क़ुल्तु मिन क़ौलिन औ नज़र्तुमिन नज़्रिन फ़मशीअतुका बैना यदय ज़ालिका कुल्लिही मा शिअ्ता काना व मा लम तशा लम यकुनिल्लाहुम्मा इग़्फ़िर ली व तजावज़ ली अन्हु अल्लाहुम्मा फ़मन सल्लेता अलैहि फ़ अलैहि सलाती व मन लअ्नता फ़अलैहि लअ्नती) 'ऐ अल्लाह! मैंने जो कोई क़सम उठाई हो या कोई बात कही हो या कोई नज़र मानी हो तो तेरी मशियत और इरादा उस सब कुछ के आगे है। जो तू चाहता है हो जाता है और जो तू नहीं चाहता नहीं होता। ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे और मुझसे इन उमूर में दरगुज़र फ़रमा। ऐ अल्लाह! जिस पर तूने अपनी सलात (रहमत) नाज़िल की है तो मेरी तरफ़ से भी उसके लिये सलात (रहमत) हो। और जिस पर तूने लानत की है मेरी तरफ़ से भी उसको फटकार हो।' ये कलिमात पढ़ने वाला उस दिन की ग़लतियों से मुस्तसना होगा। (महफ़ूज़ रहेगा)

(5087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: सफ़ा 210, व सफ़ा: 164.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِيَ " . قَالَ فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَىَّ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلاَ كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا.

(5088) सय्यदना उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिसने (शाम को) तीन बार ये दुआ़ पढ़ ली, उसे सुबह तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आयेगी। (बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रू मअ़ा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समाइ व हुवस्समीउल अ़लीम) 'अल्लाह के नाम से ... वह ज़ात कि उसके नाम से कोई चीज़ ज़मीन में हो या आसमान में, नुक़सान नहीं दे सकती और वह ख़ूब सुनता है और ख़ूब जानता है।' और जिसने सुबह के वक़्त तीन बार ये दुआ़ पढ़ ली उसे शाम तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आयेगी।'

रावी ने बयान किया कि इस हदीस़ के रिवायत करने वाले अबान बिन उ़स्मान को फ़ालिज हो गया था तो उनसे हदीस़ सुनने वाला उनको ताज्जुब से देखने लगा (कि फिर ये फ़ालिज क्योंकर हो गया?) तो उन्होंने कहा: क्या हूआ, मुझे देखते क्या हो? अल्लाह की क़सम! मैंने हज़रत उ़स्मान (ﷺ) पर झूठ नहीं बोला है और न हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बोला है। लेकिन जिस दिन मुझे ये फ़ालिज हूआ मैं उस दिन गुस्से में था और ये कलिमात पढ़ना भूल गया था।

(5088) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3388, हाकिम: 1/514.

फ़ायदा : बिलाशुब्हा स़ाहिबे ईमान के लिये हर क़िस्म की ज़ाहिरी और बातिनी नाग़हानी आफ़तों से बचाव का ये इन्तेहाई आसान वज़ीफ़ा है। शर्त ये है कि ईमान व यक़ीन के साथ साथ पाबन्दी भी हो।

(5089) मुहम्मद बिन कअ़ब ने अबान बिन उ़स्मान से, उन्होंने हज़रत उ़स्मान (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया मगर फ़ालिज वाला क़िस्सा ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَالِجِ .

(5090) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्रा से रिवायत है, उन्होंने अपने वालिद से कहा: अब्बा जान मैं आपको सुनता हूँ कि आप हर सुबह ये दुआ पढ़ते हैं: (अल्लाहुम्मा आ़फ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आ़फ़िनी फ़ी सम्ई अल्लाहुम्मा आ़फ़िनी फ़ी बस़री ला इलाहा इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! मुझे मेरे बदन में आराम दे। ऐ अल्लाह! मेरे कानों को सलामत रख, या अल्लाह! मेरी नज़र को दुरूस्त रख। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं।' आप ये दुआ सुबह को तीन बार पढ़ते हैं और शाम होती है तो तीन बार पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा: बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये दुआ करते सुना है। तो मैं पसन्द करता हूँ कि सुन्नत पर अ़मल करूं।

(दूसरे रावी) अ़ब्बास (बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीम) ने अपनी रिवायत में कहा, और आप ये दुआ भी पढ़ते हैं: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्रि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अ़ज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह मैं कुफ़्र और मोहताजी से तेरी पनाह चाहता हूँ। या अल्लाह! मैं क़ब्र के अ़ज़ाब से तेरी पनाह

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَةِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلاَثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِينَ تُمْسِي . فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ . قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلاَثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِينَ تُمْسِي فَتَدْعُو بِهِنَّ فَأُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " . وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ .

चाहता हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।' आप ये दुआ सुबह को तीन बार दोहराते हैं और शाम को भी पढ़ते हैं। (तो उन्होंने कहा) मैं पसन्द करता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत पर अमल करूं।
और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'परेशान हाल के लिये ये दुआ है: (अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फ़ला तकिल्नी इला नफ़्सी तर्फ़ता ऐनिन व अस्लिह ली शानी कुल्लिही ला इलाहा इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, तू मुझे आँख झपकने तक के लिये भी मेरी अपनी जान के हवाले न फ़रमा दे, और मेरे सारे मामलात दुरूस्त फ़रमा दे, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं।' इस रिवायत में अब्बास बिन अब्दुल अज़ीम और मुहम्मद बिन मुसन्ना ने कुछ कलिमात एक दूसरे से कुछ ज़्यादा कहे हैं।

(5090) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 5/42, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 9850, अमलुल **यौम** वल्लैला, हदीस: 22, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2370

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस रिवायत को 'हसनुल इस्नाद' क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلاَئِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى " .

(5091) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सुबह के वक़्त सौ बार (सुब्हानल्लाहिल अज़ीमि व बिहम्दिही) कह ले और इसी तरह शाम को भी, तो मख़्लूक़ात में कोई ऐसा न होगा जिसने इस क़द्र सवाब पाया होगा।'

(5091) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2692.

फ़ायदा : सही मुस्लिम की रिवायत में (अलअजीम) का लफ़्ज़ नहीं है।

बाब : 111
नया चाँद देखने की दुआ

﴾111﴿ باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ

(5092) हज़रत कतादा (रह.) को ये रिवायत पहुँची है कि नबी (ﷺ) जब नया चाँद देखते, तो कहते: (हिलालु ख़ैरिन व रूश्दिन हिलालु ख़ैरिन व रूश्दिन हिलालु ख़ैरिन व रूश्दिन) 'ख़ैर और हिदायत का चाँद, ख़ैर और हिदायत का चाँद, ख़ैर और हिदायत का चाँद, मैं ईमान लाया उस ज़ात पर जिसने तुझे पैदा किया।' आप ये तीन बार फ़रमाते। इसके बाद फ़रमाते: (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जहबा बिशहरी कज़ा वजाअ बिशहरी कज़ा) 'हम्द उस अल्लाह की जो फुलां महीने को ले गया और फुलां महीना ले आया।'

(5092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा 10/400, अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 4/169, हदीस: 7353, मरासीले अबी दाऊद: 527.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ " هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ يَقُولُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا " .

(5093) जनाब क़तादा (रह.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब चाँद देखते तो अपना चेहरा उससे फेर लेते (उसके बाद दुआ पढ़ते)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस मसले में कोई मरफ़ूअ सही हदीस साबित नहीं है।

(5093) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मरासीले अबी दाऊद, हदीस: 528.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के क़ौल: 'इस मसले में कोई मरफ़ूअ हदीस़ साबित नहीं।' से मुराद ये है कि दुआ पढ़ने के तरीक़े की बाबत कोई मरफ़ूअ हदीस़ साबित नहीं है।

﴿112﴾ باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

बाब : 112
घर से निकलने की दुआ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ " .

(5094) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब भी मेरे घर से निकलते तो अपनी नज़र आसमान की तरफ़ उठाते और ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अजिल्ला औ उज़ल्ला औ अज़्लिमा औ उज़्लमा औ अज़्हला औ युज्हल अलय्या) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं गुमराह हो जाऊं या गुमराह कर दिया जाऊं, या फिसल जाऊं या फिसला दिया जाऊं, या ज़ुल्म करूं या कोई मुझ पर ज़ुल्म करे, या कोई जहालत का काम करूं या कोई मुझ से जहालत का बर्ताव करे।'

(5094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3427, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 5488, इब्ने माजा, हदीस़: 3884.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत की सनद में इख़्तिलाफ़ है, इसी वजह से कुछ के नज़दीक ज़ईफ़, कुछ के नज़दीक स़ही और कुछ के नज़दीक हसन है। वल्लाहु आलम। **(2)** ये एक इन्तेहाई अज़ीम जामेअ दुआ है और यक़ीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के ख़ास फ़ज़ल के बग़ैर इंसान के लिये नामुमकिन है कि वह ज़ाहिरी और बातिनी ख़ैरात हासिल कर सके या दूसरों से भलाई पाये या उनके शर से महफ़ूज़ रह सके।

(5095) सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब बंदा अपने घर से निकले और ये कलिमात कह ले: (बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह) 'अल्लाह के नाम से, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर भरोसा करता हूँ। किसी शर और बुराई से बचना और किसी नेकी या ख़ैर का हासिल होना अल्लाह की मदद के बग़ैर मुमकिन नहीं।' तो उस वक़्त उसे ये कहा जाता है: तुझे हिदायत मिली, तेरी किफ़ायत की गई और तुझे बचा लिया गया (हर बला से) चुनांचे शयातीन उससे दूर हो जाते हैं और दूसरा शैतान उससे कहता है तेरा दाव ऐसे आदमी पर क्योंकर चले जिसे हिदायत दी गई, उसकी किफ़ायत कर दी गई और उसे बचा लिया गया।'

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " . قَالَ " يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ " .

(5095) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3426, मवारिदुज़्ज़मआन, हदीस: 2375.

फ़ायदा : इस रिवायत की सेहत व ज़ुअफ़ में भी इख़्तिलाफ़ है। कितना सआदतमंद है वह बंदा जो बिला मशक़्क़त अल्लाह तआला की अमान हासिल करता और शैतान की बुराई से महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहता है। चाहिए कि इन अज़कार से ग़फ़लत न बरती जाये।

बाब : 113
... घर में दाख़िल हो तो क्या पढ़े?

﴾113﴿ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

(5096) हज़रत अबू मालिक अशअरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब आदमी अपने घर में दाख़िल होने लगे तो चाहिए कि ये दुआ पढ़े: (अल्लाहुम्मा इन्नी

حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، - قَالَ ابْنُ

अस्अलुका ख़ैरल मौलिजि व ख़ैरल मख़्रजि बिस्मिल्लाहि वलज्ना व बिस्मिल्लाहि ख़रज्ना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कल्ना सुम्मा लियुसल्लिम अ़ला अह्लिही) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि (हमारा) आना ख़ैर का हो और निकलना (भर) ख़ैर का हो। अल्लाह के नाम से हम दाख़िल हूए और अल्लाह ही के नाम से बाहर निकले और अपने रब अल्लाह पर हमने तवक्क़ल किया। फिर अपने घर वालों को सलाम कहे।'

(5096) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 2/447, हदीस़: 5083 में देखें।

عَوْ[ج] وَرَأَيْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وَلَ[ج] الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِ[ج] وَخَيْرَ الْمَخْرَ[ج] بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لْيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ

बाब : 114
तेज़ हवा चले तो कौन सी दुआ पढ़े?

﴿114﴾ باب مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ

(5097) सय्यदना अबूहुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'हवा अल्लाह की रहमत में से है।' सलमा (बिन शबीह) ने कहा: 'अल्लाह की ये रौह कभी रहमत लाती है और कभी अ़ज़ाब भी ले आती है। जब तुम उसे देखो तो उसे बुरा मत कहो। बल्कि अल्लाह से उसकी ख़ैर का सवाल करो और उसके शर से अल्लाह की पनाह माँगो।'

(5097) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 3727, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 20004, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1989, हाकिम: 4/285.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَسَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ شَبِيبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ " . قَالَ سَلَمَةُ فَرَوْحُ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا " .

फ़ायदा : सही मुस्लिम में इस दुआ के अल्फ़ाज़ यूँ हैं: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ख़ैरहा, व ख़ैरमा फ़ीहा, व ख़ैरमा उर्सिलत बिही, व अऊज़ुबिका मिन शर्रिहा, व शर्रिमा फ़ीहा, व शर्रिमा उर्सिलत बिही) (सही मुस्लिम: 899)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَتْ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا "

(5098) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस क़द्र ज़ोर से हँसे हों कि मैं आप (के हल्क़) का कुवा देख पाऊं, आप मुस्कुराया करते थे। जब बादल या तेज़ हवा चलती तो परेशानी की सी कैफ़ियत आपके चेहरे पर नुमायाँ हो जाती थी। मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग जब बादल देखते हैं तो ख़ूश होते हैं इस उम्मीद पर कि उससे बारिश होगी मगर मैं देखती हूँ कि उसे देख कर आपके चेहरे पर परेशानी सी आ जाती है। आपने फ़रमाया: 'आयशा! मुझे ये अन्देशा बेचैन करता है कि कहीं इसमें अ़ज़ाब न हो। बिलाशुब्हा एक क़ौम को हवा के ज़रिये से अ़ज़ाब दिया गया था। और एक क़ौम ने अ़ज़ाब देखा और उसके लोग कहने लगे: (हाज़ा मुमतिरूना) 'ये बादल है इससे हमें बारिश होगी।'

तख़रीज : बुख़ारी: 4828, व सही मुस्लिम: 899.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ोर से खिलखिला कर और बहुत ज्यादा मुँह खोल कर हँसना नामुनासिब और वक़ार के मनाफ़ी है। चाहिए कि ऐसे मुस्कुराने को अपनी आदत बनाया जाये जो सुन्नत है। **(2)** तेज़ हवा (आँधी) या बादल को देख कर उसकी ख़ैर की दुआ करनी चाहिए और अ़ज़ाब से पनाह माँगनी चाहिए। जैसे ऊपर बयान हूआ।

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ،

(5099) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلاَةٍ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا " . فَإِنْ مُطِرَ قَالَ " اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا " .

जब आसमान के किनारे पर कोई बादल का टुकड़ा देखते तो काम काज छोड़ देते अगरचे नमाज़ ही में होते और फिर ये दुआ करते: (अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन शर्रिहा) 'ऐ अल्लाह! इसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ, और अगर बारिश होने लगती तो कहते: (अल्लाहुम्मा सय्यिबन हनीअन) 'ऐ अल्लाह! इसे ख़ूब बरसने वाली नफ़ावर और मुबारक बना।'

(5099) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा हदीस: 1524, इब्ने माजा, हदीस: 3889.

《115》
باب مَا جَاءَ فِي الْمَطَرِ

बाब : 115
बारिश का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ " لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ "

(5100) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने कहा: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि बारिश होने लगी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) निकले और अपने जिस्म से कपड़ा हटा लिया यहाँ तक कि वह आपके जिस्म पर पड़ने लगी। हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यों किया है? आपने फ़रमाया: 'क्योंकि ये अभी अभी अपने रब के पास से आई है।'

(5100) तख़रीज : सही मुस्लिम: 898.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तबर्रुक हासिल करने की ग़र्ज़ से बारिश में नहाना मुस्तहब है और तबर्रुक का मसला तौफ़ीक़ी है, क़यासी नहीं। **(2)** इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये जिहते उलू (आसमान पर होने) का बयान भी है।

बाब : 116
मुर्ग़ और दीगर जानवरों का बयान

(116) باب مَا جَاءَ فِي الدِّيكِ وَالْبَهَائِمِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ

(5101) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुर्ग़ को गाली मत दिया करो, इसलिए कि वे नमाज़ के लिये जगाता है।'

(5101) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमद 4/115, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10781, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 945.

फ़ायदा : मुर्ग़ को ये करामत और इज़्ज़त 'नमाज़ के लिये जगाने' के बाइस मिली है। तो मसाजिद के मुअज़्ज़िन इमाम और उलमा–ए–दीन की इज़्ज़त व तकरीम और ज़्यादा होनी चाहिए ... मगर साथ ही इन हज़रात पर ये वाजिब है कि दाइयाने ख़ैर और वारिसे नबी होने के नाते इस शर्फ़ की बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करें और ख़िलाफ़े शरअ उमूर से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचायें। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَسَلُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا " .

(5102) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम मुर्ग़ की आवाज़ सुनो, तो अल्लाह तआला से उसके फ़ज़ल का सवाल करो। बेशक उसने फ़रिश्ते को देखा होता है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो, तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो। बेशक उसने शैतान को देखा होता है।'

(5102) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 3303, व सही मुस्लिम: 2729.

बाब : ...
... गधों का रैंकना और कूत्तों का भौंकना

(5103) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम रात को कूत्तों का भौंकना और गधों की आवाज़ें सुनो, तो अल्लाह की पनाह तलब करो, बिलाशुब्हा ये वह कुछ देखते हैं जो तुम नहीं देखते हो।'

(5103) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 3/306, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2559, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1996, हाकिम: 1/445, 4/383, 284.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ " .

(5104) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) और जनाब अ़ली बिन उ़मर बिन हुसैन बिन अ़ली (रह.) से रिवायत है, उन्होंने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब क़दमों की आवाज़ें आना बंद हो जायें तो बहुत कम बाहर निकला करो। बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ में कुछ जानवर हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला फैला देता है।'

इब्राहीम बिन मरवान ने कहा: 'उस वक़्त में मत निकला करो, और (फ़इन्नालिल्लाहि दवाब्बन) (की बजाये) ये अल्फ़ाज़ कहे आवाज़ों का ज़िक्र किया जैसे ऊपर दी गई रिवायत में हुआ है।

यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हाद ने कहा कि मुझे

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " أَقِلُّوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى دَوَابَّ يَبُثُّهُنَّ فِي الأَرْضِ " . قَالَ ابْنُ

مَرْوَانَ " فِي تِلْكَ السَّاعَةِ " . وَقَالَ " فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا " . ثُمَّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحَمِيرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ الْحَاجِبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

शुरहबील हाजिब ने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह(ﷺ) से, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस हदीस़ के मिस्ल रिवायत किया।

(5104) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10778, अ़मलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 942, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़्रद, हदीस़: 1233, मुसनद अहमद: 3/355.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रात को जब रास्तों पर लोगों की आमदो रफ़्त रूक जाये तो बहुत ज़्यादा जरूरी काम के बग़ैर बाहर निकलने से परहेज़ करना चाहिए। (2) रात को कुत्तों या गधों की आवाज़ सुनाई दे तो 'अ़ऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रज़ीम' पढ़ना चाहिए।

﴾117﴿ باب فِي الصَّبِيِّ يُولَدُ فَيُؤَذَّنُ فِي أُذُنِهِ

बाब : 117
नोमौलूद के कान में अज़ान कहने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - بِالصَّلاَةِ .

(5105) जनाब उ़बैदुल्लाह बिन अबू राफ़े ने अपने वालिद से रिवायत किया, वह कहते हैं कि जब सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) ने हसन बिन अ़ली(ﷺ) को जन्म दिया तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके कान में नमाज़ वाली अज़ान कही थी।

(5105) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1514, व 3163.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस अ़मल की हिकमत ज़ाहिर है कि इससे अल्लाह और उसके रसूल(ﷺ) पर ईमान और इस्लाम के अहमतरीन शिआ़र से ताल्लूक़ का इज़हार है और इन मुबारक कलिमात से तबर्रूक हासिल करना मक़सूद होता है कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उस नोमौलूद को कामयाबी की इस राह पर गामज़न फ़रमाये और शैतान के अस़र से महफ़ूज़ रखे। (2) बच्चे के कान में अज़ान कहने वाली ये रिवायत तो सनदन स़ही स़ाबित नहीं है। ताहम आज तक उम्मत में इस पर अ़मल होता आ रहा है और

उम्मत का ये अमली तवातुर ही इसके जवाज़ की बुनियाद है। शैख़ अलबानी (रह.) ने भी अज़ान देने की हद तक कुछ न कुछ असल तस्लीम की है, दूसरे कान में तकबीर की नहीं। देखिये (अज़्ज़ईफ़ा: 1/329–331, हदीस: 321) ताहम इस अमल के मसनून होने की दलील हमारे इल्म में नहीं है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ - زَادَ يُوسُفُ - وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ .

(5106) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास छोटे बच्चों को लाया जाता था तो आप उनके लिये बरकत की दुआ फ़रमाया करते थे। यूसुफ़ बिन मूसा ने मज़ीद कहा कि ... आप इन्हें घुटी भी दिया करते थे ... और बरकत का ज़िक्र नहीं किया।

(5106) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6355, व सही मुस्लिम: 286.

फ़ायदा : बच्चे के कान में अज़ान घर का कोई भी फ़र्द कह सकता है। ये तकल्लुफ़ और एहतिमाम कि किसी बड़े और सालेह बंदे को इस काम के लिये बुलवाया जाये या बच्चे को उसके पास ले जाया जाये ग़ैर ज़रूरी है। अलबत्ता घुटी के सिलसिले में ये इस्तिम्बात किया जा सकता है। मगर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ज़ात तो बिला शक व शुब्हा मुबारक थी। उम्मत के दीगर सालेहीन के बारे में तफ़ावुल तो हो सकता है, कोई मसनून अमल नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ رُئِيَ - أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا - فِيكُمُ الْمُغَرِّبُونَ " . قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُونَ قَالَ " الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنُّ " .

(5107) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई मुग़रिब भी पाये गये हैं? मैंने अर्ज़ किया 'मुग़रिब' से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया: वह बच्चे जिनमें जिन्न शरीक हों।'

(5107) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

बाब : 118
अगर कोई किसी आदमी से अमान और पनाह तलब करे

﴿118﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَسْتَعِيذُ مِنَ الرَّجُلِ

(5108) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो तुमसे अल्लाह के नाम पर पनाह तलब करे उसे पनाह दो। और जो तुमसे अल्लाह के चेहरे के वास्ते से सवाल करे उस को दो।' उबैदुल्लाह के अल्फ़ाज़ हैं: (मन सअलकुम बिल्लाहि)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/249.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - قَالَ نَصْرٌ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ " . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ " مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ " .

फ़ायदा : इसमें तर्ग़ीब ये है कि माँगने वाले ने जिस अज़ीम (बा'बरकत) ज़ात का वास्ता दिया है उसके नाम का लिहाज़ करते हूए जो कुछ तुमसे हो सकता है उसमें बुख़्ल (कन्जूसी) न करो। कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को 'हसन सही' कहा है। देखिये (अस्सहीहा: हदीस: 253)

(5109) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो तुमसे अल्लाह के वास्ते से अमान माँगे, उसे अमान दो। और जो तुमसे अल्लाह के वास्ते से सवाल करे, उसको दो।' सहल और उस्मान ने कहा: 'और जो तुम्हारी दावत करे, उसे क़बूल करो।' और फिर ये सब रावी मुत्तफ़िक़ हैं: 'और जो तुम्हारे साथ नेकी करे, उसको उसका बदला दो।' मुसद्दद और उस्मान ने कहा: 'अगर बदला न पाओ तो उसके लिये अल्लाह से दुआ करो यहाँ तक तुम्हें यक़ीन हो जाये कि तुमने उसका बदला

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - الْمَعْنَى - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ " . وَقَالَ سَهْلٌ وَعُثْمَانُ " وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا " وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ " . قَالَ مُسَدَّدٌ

وَعُثْمَانُ " فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " .

दे दिया है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 1672 में देखें।

फ़ायदा : किसी की नेकी और एहसान का बदला देना बहुत ज़रूरी है। अगर माली तौर पर मुमकिन न हो तो मानवी ऐतबार से बहुत ज़्यादा दुआ देनी चाहिए।

﴿119﴾ بَابٌ فِي رَدِّ الْوَسْوَسَةِ

बाब : 119
वस्वसे और उनका इलाज

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ . قَالَ فَقَالَ لِي أَشَيْءٌ مِنْ شَكٍّ قَالَ وَضَحِكَ . قَالَ مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ - قَالَ - حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ } الآيَةَ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ { هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ }

(5110) जनाब अबू ज़ुमैल (सिमाक बिन वलीद हनफ़ी) कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से सवाल किया: उस कैफ़ियत का क्या हो जो मैं अपने सीने में पाता हूँ। उन्होंने पूछा: वह क्या है? मैंने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं उसे ज़बान पर नहीं ला सकता। उन्होंने कहा: क्या वह शक शुब्हे वाली बात है? और हँस दिये और बोले। उससे किसी को निजात नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने ये आयत उतारी: (फ़इन कुन्ता फ़ीहि शक्किन मिम्मा अन्ज़ल्ना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़्रऊनल किताब मिन क़ब्लिक) 'अगर तुम्हें उस चीज़ में शक हो जो हमने उतारी है तो उन लोगों से पूछ लिजिये जो वह किताब पढ़ते हैं जो तुमसे पहले उतारी गई।' फिर उन्होंने मुझसे कहा: जब तुम अपने जी में कुछ महसूस करो तो ये पढ़ा करो: (हुवल अव्वलु वल आख़िरू वज़्ज़ाहिरू वलबातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अ़लीम) 'वह अल्लाह ही सबसे अव्वल है और वही सबसे आख़िर है। वही ज़ाहिर है और

वही बातिन है और वह हर चीज़ से ख़ूब बा'ख़बर है।'

(5110) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़वाइद व मसाइल : (1) दिल में आने वाले बुरे ख़्यालात को 'वस्वसा' और नेक ख़्यालात को 'इल्हाम' कहा जाता है। **(2)** 'वस्वसा' अगरचे इन्सान के लाज़िम चीज़ों में से है मगर अम्बिया अ़लैहि. इस बात से मासूम हैं कि इस क़िस्म के ख़्यालात उनके दिल में घर कर जायें या शक व शुब्हा की हद तक पहुँच जायें, बिलख़ुसूस नबी (ﷺ) के सीना चीरने के मोजज़े के अ़लावा वह हदीस़ जिसमें है कि आपका क़रीन भी इस्लाम क़बूल कर चुका है वह आपको ख़ैर के अ़लावा कुछ नहीं समझाता। (स़ही मुस्लिम 2814) इस अ़समते नबूवत की ताईद करने वाली है। **(3)** सूरह यूनुस मज़कूरा आयत 94 में लफ़्ज़ी तौर पर तो नबी (ﷺ) मुख़ातब हैं मगर दरहक़ीक़त दूसरों को सुनाना मक़सूद है। जैसे कि बाद की आयत नम्बर 103 में है: (क़ुल या अय्युहन्नासु ....) (यूनुस: 104) **(4)** शुकूक व वहम का इलाज क़ुर्आन करीम और अहादीसे नबविया में मौजूद है। ज़रूरी है कि इंसान बा'रसूख़ अस्हाबे इल्म से इस्तेफ़ादा करता रहे। अगर इस मर्ज़ में ग़फ़लत की जाये तो ये (शक) तरक़्क़ी करके (इमतिरा) 'जदल' और (इमतिरा) तरक़्क़ी करके तकज़ीब तक जा पहुँचता है। वल इयाज़ुबिल्लाहि (तफ़्सीर उ़स्मानी, सूरह यूनुस)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا الشَّىْءَ نُعْظِمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ أَوِ الْكَلاَمَ بِهِ مَا نُحِبُّ أَنَّ لَنَا وَأَنَّا تَكَلَّمْنَا بِهِ . قَالَ " أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ " .

(5111) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि कुछ स़हाब-ए-किराम आप (ﷺ) के पास आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! हम अपने दिलों में कुछ ऐसे ख़्यालात महसूस करते हैं कि उनको ज़बान पर लाना भी हमारे लिये बड़ा भारी है। हमें ये भी गवारा नहीं कि हमें दुनिया का माल मिले और वह हम अपनी ज़बानों पर लायें। आपने फ़रमाया: 'क्या भला तुम ये कैफ़ियत पाते हो?' उन्होंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'ये स़रीह ईमान है।'

(5111) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 123.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन ख़्यालात से ऐसे वहमों की तरफ़ इशारा है जिनमें शैतान इंसान को धीरे धीरे उस सवाल की तरफ़ लाता है कि 'अल्लाह को किसने पैदा किया?' **(2)** स़ाहिबे ईमान का अपने ईमान के बारे में चौकन्ना रहना उसके ख़ालिस़ ईमानदार होने की अ़लामत है और ऐसे ख़्यालात का आ जाना कोई मुज़िर नहीं बशर्ते कि इंसान उन्हें दफ़ा (दूर) करने में कोशां रहे।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ - يُعَرِّضُ بِالشَّىْءِ - لأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ " . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ " رَدَّ أَمْرَهُ " . مَكَانَ " رَدَّ كَيْدَهُ " .

(5112) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे दिल में कुछ ख़यालात आते हैं और वह इशारे किनाये से कुछ इस तरह कह रहा था कि इन ख़यालात को ज़बान पर लाने की बजाये कोयला हो जाना इसे ज़्यादा पसन्द है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' हम्द उस अललाह की जिसने उस (इब्लीस) के मकर को वस्वसे की तरफ़ लौटा दिया।' इब्ने क़ुदामा ने (रद्दा कैदहू) की बजाये (रद्दा अम्रहू) के लफ़्ज़ कहे।

(5112) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 1/235, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10504, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 668.

फ़ायदा : दिल में आने वाले ख़यालात 'अज़्म' से पहले पहले 'हवाजिस और ख़वातिर' यानी वस्वसे की हद तक हों तो उन पर कोई मुवाख़िज़ा (पकड़) नहीं।

﴾120﴿ بابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ

बाब : 120 गुलाम किसी और को अपना मालिक बताये या बेटा किसी और को अपना बाप बताये

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ،

(5113) हज़रत सअद बिन मालिक (ﷺ) कहते हैं कि मेरे कानों ने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) से सुना और मेरे दिल ने याद रखा है, आपने फ़रमाया: 'जिसने अपने आपको किसी और

وَوَعَاهُ، قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " . قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم . قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عُثْمَانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ أَيُّمَا رَجُلَيْنِ . فَقَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي الإِسْلاَمِ يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَالآخَرُ قَدِمَ مِنَ الطَّائِفِ فِي بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَذَكَرَ فَضْلاً . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَيْثُ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهِ إِنَّهُ عِنْدِي أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَعْنِي قَوْلَهُ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ لَيْسَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ نُورٌ - قَالَ - وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانُوا تَعَلَّمُوهُ مِنْ شُعْبَةَ.

का बेटा बताया जबकि वह जानता हो कि वो (दूसरा) उसका बाप नहीं है, तो जन्नत उस पर हराम है।' अबू उ़स्मान नहदी कहते हैं फिर मैं हज़रत अबूबक्र (ﷺ) से मिला, तो मैंने उन्हें ये हदीस़ बयान की, तो उन्होंने (तस्दीक़ करते हूए) कहा इसे हज़रत मुहम्मद (ﷺ) से मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने याद रखा है।

आस़िम (अहवल) ने बयान किया: मैंने (अपने शैख़) अबू उ़स्मान से कहा कि आपके सामने दो आदमियों ने गवाही दी है, वह कैसे आदमी हैं? उन्होंने कहा: उनमें से एक तो वह है जिसने अल्लाह की राह ... या कहा ... इस्लाम में सबसे पहले तीर मारा, यानी हज़रत सअ़द बिन मालिक (ﷺ) और दूसरा (हज़रत अबू बक्रा) (ﷺ) वह है जो ताइफ़ से पैदल चल कर आया था और उन लोगों की तादाद बीस से ज़्यादा थी और उनकी फ़ज़ीलत बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि नुफ़ैली ने कहा: चूंकि शैख़ ने ये हदीस़ (हद्दसना) और (हद्दसनी) के अल्फ़ाज़ से बयान की है तो ये मुझे शहद से भी प्यारी है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते थे कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, फ़रमाते थे: कूफ़ियों की हदीस़ में नूर नहीं। और कहा कि मैंने अहले बस़रा जैसा किसी को नहीं पाया। उन्होंने शोबा से इल्मे (हदीस़) हासिल किया था।

(5113) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4326, 4327, व स़ही मुस्लिम: 63.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहले जाहिलीयत दूसरे के बच्चों को अपना मुँह बोला बेटा (मुतबन्ना) बना

लेते थे और फिर उसे हक़ीक़ी बेटे वाले हुक़ूक़ देते थे इस तरह वह बच्चे भी अपनी परवरिश करने वालों को अपना बाप बावर कराते थे। इस्लाम में नसब बदलने को हराम क़रार दिया गया है, मुतबन्ना तो बनाया जा सकता है मगर हक़ीक़ी औलाद या हक़ीक़ी माँ बाप वाले हुक़ूक़ जारी नहीं हो सकते। बालिग़ होने पर मशरूअ परदा किया कराया जायेगा और रिश्ता नाता भी हो सकता है। जैसे कि सूरह अहज़ाब में ये मसाइल बयान हूए हैं, इरशादे बारी तआला है: 'उन्हें उनके बापों (के नसब) से पुकारो। अल्लाह के नज़दीक यही बात इन्साफ़ की है।' (अल अहज़ाब: 5) और फ़रमाया: 'अल्लाह ने तुम्हारे ले'पालकों को तुम्हारा बेटा नहीं बनाया।' (अल अहज़ाब: 4) ताहम लाड और प्यार से दूसरे के बच्चे को बेटा कहना जायज़ है। **(2)** इमाम अहमद (रह.) की जरह अहले कूफ़ा के बारे में कि 'उनकी हदीस़ में नूर नहीं' से मुराद ये है कि ये लोग अहादीस़ की सनदों में इस क़द्र एहतिमाम न करते थे जो अहले हिजाज़ का ख़ास्सा था। ताहम इन अहले कूफ़ा में भी एक बड़ी तादाद हाफ़िज़ और हुज्जत मोहद्दिसीन की है। (रह.) **(3)** जिस तरह लोगों को अपना नसब बदलना हराम है ऐसे ही किसी गुलाम का अपनी निस्बत बदल लेना हराम है।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ " .

(5114) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस (गुलाम) ने अपने मालिकों की इजाज़त के बग़ैर किसी दूसरी क़ौम से अपना ताल्लुक़ जोड़ा उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। उससे क़यामत के दिन कोई नफ़ल या फ़र्ज़ अमल क़बूल नहीं होगा।'

(5114) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1508.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، - وَنَحْنُ بِبَيْرُوتَ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(5115) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिसने अपने बाप के अलावा किसी और के साथ अपना नसब जोड़ा या जिस ग़ुलाम ने अपने मालिकों के अलावा किसी और की तरफ़ अपनी निस्बत जोड़ी, तो उस पर क़यामत तक के लिये मुसल्सल अल्लाह की लानत है।'

عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

(5115) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : अपना नसब बदलना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। ऐसे लोगों को ग़ौर करना चाहिए जो धोखा देने के लिये अपने बाप बदल लेते हैं। या औरतें किसी को अपना शौहर बावर कराती हैं और कुछ लोग अपनी क़ौमियत बदल लेते हैं।

﴾121﴿ باب فِي التَّفَاخُرِ بِالأَحْسَابِ

बाब : 121 हसब नसब पर फ़ख़्र करने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلاَنِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ " .

(5116) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने तुमसे जाहिलीयत की नुख़ूव्वत और बाप दादा पर फ़ख़्र को दूर कर दिया है। (तुम्हें ईमान व इस्लाम से मुअ़ज़्ज़ज़ बनाया है।) (आदमी दो क़िस्म के हैं:) साहिबे ईमान, मुत्तक़ी या फ़ाजिर और बदबख़्त। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से थे। लोगों को क़ौमी नुख़ूव्वत तर्क करना पड़ेगी, वह तो (कुफ़्र व शिर्क के सबब) जहन्नम के कोयले बन चुके, वरना ये (क़ौम पर तकब्बुर करने वाले) अल्लाह के यहाँ गन्दगी के काले कीड़े से भी ज़लील होंगे जो अपनी नाक से गन्दगी को धकेलता फिरता है।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** तिर्मिज़ी, हदीस: 3955.

फ़ायदा : किसी भी साहिबे ईमान को ज़ेब नहीं देता कि वह अपने आबा व अज्दाद (पुर्वज़ों) पर फ़ख्र करे। इज्ज़त व करामत का मैयार अल्लाह के यहाँ तक़वा है। (इन्ना अकरमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ा कुम) (अलहुजूरात: 13) और जिसे ये अच्छा शर्फ़ हासिल हो उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का बेइन्तेहा शुक्र गुज़ार बनना चाहिए और अपने आबा के शर्फ़ ईमान व तक़वा की हिफ़ाज़त करने में मेहनत करनी चाहिए।

बाब : 122
तास्सूब और असबियत का बयान

﴿122﴾ باب فِي الْعَصَبِيَّةِ

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رُدِّيَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ .

(5117) जनाब अब्दुर्रहमान अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़रमाया: जिसने हक़ के बग़ैर अपनी क़ौम की मदद की तो वह ऐसे ऊँट की मानिन्द है जो कूएँ में गिर गया हो और फिर उसे दुम पकड़ कर बाहर निकाला जाता है।

(5117) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद, हदीस: 344, इब्ने हिब्बान: 1198, (वल एहसान,: 5912)

फ़ायदा : नाहक़ तौर पर अपनी क़ौम की मदद करने वाला अपने आप को हलाकत से नहीं बचा सकता, लिहाज़ा साहिबे ईमान को ऐसे ग़लत अमल से बचना चाहिए, बल्कि उन्हें हक़ की तल्क़ीन करनी चाहिए। ये रिवायत अगरचे मौक़ूफ़ है मगर अगली सनद से, जो मरफ़ूअ है, इसकी ताईद होती है।

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(5118) जनाब अब्दुर्रहमान अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जब कि आप चमड़े के एक ख़ैमे में ठहरे हूए थे और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/401.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ بِشْرٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ بِنْتِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا، يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ " أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ " .

(5119) जनाब वासला बिन अस्क़अ (ﷺ) बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अ़सबियत क्या है? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अपनी क़ौम के लोगों की मदद करे, हालांकि वह ज़ुल्म पर हों।'

(5119) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी 10/234, इब्ने माजा, हदीस: 3949.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ضَعِيفٌ .

(5120) हज़रत सुराक़ा बिन मालिक बिन जाशम मुदलिजी (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: 'तुममें बेहतर वह शख़्स है जो अपने क़बीले का दिफ़ा करे बशर्ते कि गुनाह की बात न हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अय्यूब बिन सुवैद ज़ईफ़ है।

(5120) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी फिल औसत: 7/500, हदीस: 6989.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। फिर भी गुनाह और ज़ुल्म के काम में अपनी क़ौम का मददगार बनना हराम है और यही वह तास्सुब है जिसकी मनाही आई है। बल्कि सरीह हुक्म है कि: 'नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे का तआवुन करो और गुनाह और ज़्यादती के कामों में बाहम तआवुन मत करो।' (अल मायदा: 2)

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيِّ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَبِيبَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ ".

(5121) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अ़स्बीयत की दावत दी, वह हममें से नहीं। जिसने अ़स्बीयत पर लड़ाई की, वह हममें से नहीं और जो अ़समत पर मरा, वह हममें से नहीं।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़दी: 3/1005 व हदीस: 1848.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है ताहम सही मुस्लिम की हदीस़ (1848) इससे किफ़ायत करती है जैसा कि हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने तहक़ीक़ व तख़रीज में इसकी बाबत वज़ाहत की है। (2) महज़ मज़बूत अस़बियत और बातिल की हिमायत और दिफ़ा, नाजायज़ और हराम है, लेकिन अल्लाह, उसके रसूल (ﷺ)और दीन व ईमान के लिये 'अस़बियत' ... एक मतलूब अमल है। जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मोहब्बत के साथ साथ उनकी मुख़ालिफ़त करने वाले के ख़िलाफ़ गुस्सा और नाराज़ी नहीं उसे अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए। 'अल्लाह के लिये मोहब्बत और अल्लाह के लिये बुग़्ज़ और नाराज़ी ऐन ईमान और उसका लाज़मी तक़ाज़ा है।' (सही बुख़ारी, हदीस़: 8) जो लोग अपने आप को दीनी मामलात में बहुत ज़्यादा 'ग़ैर मुतअस्सिब' बावर कराते हैं, यहाँ तक कि दीन व ईमान की धज्जियाँ बिखेरने पर भी उनके ख़ून में कोई गर्मी पैदा नहीं होती, उन्हें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए।

(5122) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ौम की बहन का बेटा (भाँजा) क़ौम का फ़र्द होता है।'

(5122) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 4/396, बुख़ारी: 3528, व सही मुस्लिम: 1059.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " .

फ़ायदा : बहन या बेटी अगर किसी दूसरी, दूर की क़ौम में ब्याही जाये तो उससे ये न समझा जाये कि अब उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। बल्कि रिश्ते और बिरादरी का हल्क़ा और मज़ीद फैला जाता है। और उनके साथ स़िलारहमी के हुक़ूक़ व ताल्लुक़ात बिल्कुल उसी तरह होने चाहिए जैसे अपनी क़ौम व बिरादरी में होते हैं। हक़ और ख़ैर में उनसे तआवुन करना ज़रूरी है।

(5123) हज़रत अबू उक़्बा (ﷺ) से रिवायत है और ये अहले फ़ारस के गुलाम थे। बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्व–ए–उहुद में शरीक था। मैंने मुश्रिकीन के एक आदमी को मारा और कहा: ये लो और मैं हूँ एक फ़ारसी जवान! तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'तुमने ऐसे क्यों न कहा: ये लो और मैं हूँ एक अन्सारी गुलाम।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ، - وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ - قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُحُدًا فَضَرَبْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا

مِنِّي وَأَنَا الْغُلاَمُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " فَهَلاَّ قُلْتَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلاَمُ الأَنْصَارِيُّ " .

(5123) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2784.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, फिर भी काफ़िर, मुश्रिक, बिदअती और जाहिल बिरादरियों की तरफ़ निस्बत और उन पर फ़ख़्र का इज़हार नहीं करना चाहिए। बल्कि इस्लाम, तौहीद व सुन्नत और अहले इल्म की तरफ़ निस्बत का इज़हार मतलूब और सल्फ़ में मामूल है। राक़िम मुर्तजिम के वालिद शैख़ अब्दुल अज़ीज सईदी (रह.) फ़रमाया करते थे कि मैं अपनी औलाद में 'सईदी' निस्बत को इस क़द्र शोहरत देना चाहता हूँ कि हमारी अपनी क़ौमी बिरादरी की निस्बत फ़रामूश हो जाये। मज़कूरा निस्बत देहली के मारूफ़ मदरसा, मदरसा सइदीया से माख़ूज़ है, जो हज़रत मौलाना अबू सईद मुहम्मद शर्फ़ुद्दीन मोहद्दिस देहलवी (रह.) ने क़ायम फ़रमाया था।

﴿123﴾ باب إِخْبَارِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِمَحَبَّتِهِ إِيَّاهُ

बाब : 123
किसी शख़्स की नेकी और भलाई देख कर उससे मोहब्बत करना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ثَوْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، - وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ " .

(5124) जनाब हबीब बिन उबैद हज़रत मिक़दाम (ؓ) बिन मअदी करिब (ؓ) से रिवायत करते हैं और जनाब हबीब को हज़रत मिक़दाम से मुलाक़ात हासिल थी। वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जब आदमी को अपने किसी भाई से मोहब्बत हो, तो चाहिए कि उसे बता दे कि वह उससे मोहब्बत करता है।'

(5124) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2392, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2514.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْلَمْتَهُ " . قَالَ لاَ قَالَ " أَعْلِمْهُ " . قَالَ فَلَحِقَهُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ . فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ .

(5125) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास एक आदमी बैठा हुआ था कि एक शख़्स उसके पास से गुज़रा। तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक मुझे उससे मोहब्बत है। नबी (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'क्या तूने उसको बताया है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'उसको बता दे।' चुनांचे वह उससे जाकर मिला और उससे बोला: मुझे तुमसे अल्लाह के लिये मोहब्बत है। तो उसने जवाब दिया: अल्लाह भी तुम से मोहब्बत करे जिसकी ख़ातिर तुम मुझ से मोहब्बत करते हो।

(5125) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 3/150, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10010, अ़मलुल यौम वल्लैला: 182, रियाज़ुस्सालेहीन, हदीस़: 386.

फ़ायदा : लिल्लाह फ़िल्लाह मोहब्बत करने की बे इन्तेहा फ़ज़ीलत है, ऐसे लोगों को महशर में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का साया नसीब होगा: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 660, व स़ही मुस्लिम 1031) और इस ख़बर देने का फ़ायदा ये है कि दूसरी तरफ़ से भी मोहब्बते मज़ीद का जवाब मिलेगा और दोनों जानिब से एक दूसरे की ख़ैरख़्वाही होगी और वह कारे ख़ैर (नेक काम) में एक दूसरे के मददगार बनेंगे और ग़लती व तक़सीर पर मुतन्नबा करने में कोई तकलीफ़ नहीं आयेगी।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ . قَالَ " أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ

(5126) सय्यदना अबू ज़र (ﷺ) रिवायत करते हैं कि उन्होंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल!(ﷺ) इंसान कुछ लोगों से मोहब्बत करता है मगर उन जैसे अ़मल नहीं कर पाता। आपने फ़रमाया: 'अबू ज़र! तुम उन लोगों के साथ होंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते होंगे।' हज़रत अबू ज़र(ﷺ) ने कहा: बिलाशुब्हा मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता

مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " . قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " . قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

हूँ। आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम उनके साथ होंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो।' हज़रत अबू ज़र(ﷺ) ने अपनी ये बात फिर दोहराई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी उसी तरह अपना जवाब दोहराया।

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 5/156.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرِحُوا بِشَىْءٍ لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوا بِشَىْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلاَ يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " .

(5127) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने देखा सहाब-ए-किराम(ﷺ) (ने जब ऊपर दिया गया फ़रमान सुना: 'तुम उसी के साथ होंगे जिसके साथ तुम्हें मोहब्बत होगी।' तो वह) इस क़द्र ख़ुश हूए कि उन्हें किसी और चीज़ से इससे बढ़ कर ख़ूशी न हूई थी। एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!(ﷺ) इंसान एक शख़्स के साथ उसके अच्छे आमाल की वजह से मोहब्बत करता है मगर ख़ूद उस जैसे अमल नहीं कर सकता। तो रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इंसान उसके साथ होगा जिसके साथ उसे मोहब्बत होगी।'

(5127) तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 3688, व सही मुस्लिम: 2639.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चाहिए कि इंसान मोमिन होने के साथ साथ मोमिन मुख़्लिसीन के साथ मोहब्बत करने को अपना सरमाया बनाये। बिलख़ुसूस नबी-ए-करीम (ﷺ), आपके सहाबा और दीगर तमाम अहले ईमान, ख़्वाह गुज़र चुके हों या मौजूद हों या आने वाले। और कुफ़्र व कुफ़्फ़ार और फ़ासिक़ व फ़ाजिर लोगों से बुग़्ज़ व इनाद रखे। **(2)** इस इज़हारे मोहब्बत में शर्त ये है कि इंसान ख़ूद उसूले शरीयत, यानी तौहीद व सुन्नत पर कारबंद और कुफ़्र, शिर्क व बिदअत से दूर और बेज़ार हो। ये कैफ़ियत कि अहले ख़ैर से मोहब्बत का दावा हो, मगर अमलन कुफ़्र, शिर्क, बिदअत में मुब्तला रहे और ऐसे लोगों से रब्त व ज़ब्त भी बढ़ाये रहे तो इसका अहले ख़ैर से मोहब्बत का दावा मश्कूक (डाउटफ़ुल) होगा। बतौर मिसाल अबू तालिब और मुनाफ़िक़ीन के वाक़ियात पेशे नज़र रहना चाहिए।

बाब : 124
मशवरे का बयान

﴾124﴿
بَابٌ فِي الْمَشُورَةِ

(5128) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मशवरा देने वाला अमीन होता है।'

(5128) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3745, तिर्मिज़ी: 2822, (सही हाकिम: 4/131).

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ"

फ़ायदा : जैसे अमानत में ख़्यानत करना हराम है ऐसे ही मुसलमान भाई अगर मशवरा तलब करे तो वाजिब है कि इंसान अपनी जानकारी के मुताबिक़ मुकम्मल तौर पर ख़ैर और भलाई का मशवरा दे। मुमकिना ख़तरे से आगाह करने में बख़ील न बने नीज़ उसके मामले को ग़ैर ज़रूरी तौर पर आगे भी न फैलाये।

बाब : 125
नेकी और भलाई की बात बताने वाले की फ़ज़ीलत

﴾125﴿
بَابٌ فِي الدَّالِّ عَلَى الْخَيْرِ

(5129) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी सवारी नहीं रही, मुझे सवारी इनायत फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 'मेरे पास तो कोई ऐसी सवारी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। लेकिन फ़ुलां शख़्स के पास चले जाओ, शायद तुम्हें कोई सवारी दे दे।' चुनांचे वह उसके पास चला गया और उसने उसे सवारी दे

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي . قَالَ " لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنِ ائْتِ فُلاَنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ

يَحْمِلَكَ " . فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ " .

दी। फिर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और आकर आपको बताया (कि उसने सवारी दे दी है) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी ख़ैर की रहनुमाई (रास्ता बताया) करे, उसे भी भलाई करने वाले की मानिन्द सवाब मिलता है।'

(5129) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1893.

फ़ायदा : अपने मुसलमान भाई को उम्दा मशवरा देने और ख़ैर की रहनुमाई करने (रास्ता बताने) में इंसान को किसी तरह बख़ील नहीं होना चाहिए।

﴿126﴾ باب فِي الْهَوَى

बाब : 126
ख़्वाहिशे नफ़्स का बयान

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " حُبُّكَ الشَّىْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ "

(5130) हज़रत अबु दरदा (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी चीज़ की मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहरा बना देती है।'

(5130) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/194.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, फ़िर भी ये कैफ़ियत आम लोगों में एक हक़ीक़ते वाक़िया है कि जब उनके ज़हन पर कोई बात ग़ालिब आ जाये (घर कर जाये) तो उन्हें उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ कहे वह उससे मुतास्सिर नहीं होते हैं। अलबत्ता अस्हाबे ईमान बिहम्दिल्लाह इस गुलू से महफ़ूज़ रहते हैं। मोहब्बत में गुलू करते हैं, न अदावत (दुशमनी) में।

बाब : 127
सिफ़ारिश का बयान

﴿127﴾ باب فِي الشَّفَاعَةِ

(5131) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास (अपने साथियों की) सिफ़ारिशें किया करो ताकि सवाब पाओ और फ़ैसला तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा और अपने नबी की ज़बान से करायेगा।'

तख़रीज : बुख़ारी: 6027 व सही मुस्लिम: 2627.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اشْفَعُوا إِلَىَّ لِتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ " .

(5132) सय्यदना अमीर मुआविया (ﷺ) से मनक़ूल है (उन्होंने अपने अहबाब (साथियों) से कहा) कि सिफ़ारिश कर दिया करो, अज्र पाओगे। (उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'सिफ़ारिश किया करो तुम्हें अज्र मिलेगा।') बिलाशुब्हा (बाज़ औक़ात) मैं एक काम कर देना चाहता हूँ मगर उसे (किसी क़द्र) टालता रहता हूँ ताकि तुम सिफ़ारिश करो और सवाब पाओ। यक़ीनन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'सिफ़ारिश किया करो अज्र पाओगे।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा,: 2558

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا فَإِنِّي لأُرِيدُ الأَمْرَ فَأُؤَخِّرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا " .

(5133) जनाब अबू बुर्दा हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से वह नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस की मिस्ल रिवायत करते हैं।

(5133) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 5131 में देखें, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 2557.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

फ़ायदा : इस्लामी समाज़ में हक़ और ख़ैर की सिफ़ारिश करना बहुत ज़्यादा अच्छा और महबूब अमल है। बिलख़ुसूस ऐसे मिस्कीन और फ़क़ीर लोग जो अपने मसाइल मन्सबदारों तक नहीं पहुँचा सकते या उनकी बात सुनी नहीं जाती, हालांकि वह हक़दार होते हैं तो उनके साथ इस अन्दाज़ से तआवुन (मदद) करना बड़े अज्र व सवाब का काम है।

﴿128﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

बाब : 128 ख़त लिखने का अदब, पहले अपना नाम लिखे

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، - قَالَ أَحْمَدُ قَالَ مَرَّةً يَعْنِي هُشَيْمًا - عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلاَءِ أَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ .

(5134) हज़रत अला बिन हज़्रमी (ﷺ) के मुताल्लिक़ आता है कि वह नबी (ﷺ) की तरफ़ से बहरीन में गवर्नर थे। चुनांचे वह जब नबी (ﷺ) की तरफ़ ख़त लिखते तो अपने नाम से शुरू करते थे।

(5134) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू नुऐम 4/2198, 2199, हदीस: 5510, मुसनद अहमद 4/339.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الْعَلاَءِ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَدَأَ بِاسْمِهِ .

(5135) जनाब इब्ने सीरीन ने हज़रत अला के बेटे से रिवायत किया, उन्होंने (अपने वालिद) हज़रत अला बिन हज़्रमी के मुताल्लिक़ बताया कि उन्होंने नबी(ﷺ) को ख़त लिखा, तो अपने नाम से इब्तेदा की।

(5135) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी 18/98, पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं, मगर दूसरी सही रिवायात से साबित है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) इस अन्दाज़ से ख़त लिखा करते थे कि पहले अपना नाम लिखते फिर जिसके पास भेजते उसका नाम। जैसे कि नीचे के बाब और हदीस में आ रहा है।

बाब : 129
काफ़िर को ख़त लिखने का तरीक़ा

﴾129﴿
باب كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى الذِّمِّيِّ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى " . قَالَ ابْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ "

(5136) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हिरक़्ल को ख़त लिखा, तो यूँ लिखा: 'मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से रूमियों के रईस हिरक़्ल की तरफ़। सलामती हो उस पर जो राहे रास्त पर चले।' इब्ने यहया ने बयान किया इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा कि अबू सुफ़ियान ने मुझे ख़बर दी कि हम हिरक़्ल के यहाँ गये तो उसने हमें अपने सामने बिठाया। फिर उसने रसूल (ﷺ) का ख़त मंगवाया, तो उसमें था: 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के रसूल मुहम्मद की तरफ़ से रूमियों के सरबराह हिरक़्ल की तरफ़। सलामती हो उस पर जो राहे हिदायत पर चले। अम्मा बाद...!

(5136) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7, व सही मुस्लिम: 1773.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़त हो या कोई और अहम तहरीर उसकी इब्तेदा (शुरू) में 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' लिखना सुन्नत है। इसकी बजाये अदद लिखना ख़िलाफ़े सुन्नत और बिदअते सय्या है। **(2)** ख़त में पहले कातिब अपना नाम लिखे उसके बाद जिसके पास भेजा गया हो उसका **(3)** काफ़िर के नाम ख़त में मसनून सलाम की बजाये यूँ लिखा जाये: (सलामुन अला मानित्तबअल हुदा) 'सलामती हो उस पर जो हिदायत का मानने वाला हो।' **(4)** इस्लाम की दावत या किसी और शरई ग़र्ज़ से क़ुर्आन मजीद की आयात लिख देना भी जायज़ है। इस वजह से कि ये काफ़िर के हाथ में जायेंगी,

आयात तहरीर करने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। मगर ये कि ख़ूब वाज़ेह हो कि वह आयाते कुर्आनिया की बेइज़्ज़ती करेंगे। इस सूरत में यक़ीनन न लिखी जायें। और यही मसला कुर्आन मजीद का है। दावतेइस्लाम की ग़र्ज़ से काफ़िर को कुर्आन मजीद दिया जा सकता है। (5) दावत के मैदान को जहाँ तक हो सके फैलाना चाहिए और तहरीरी मैदान में भी ये कारेख़ैर सरअंजाम दिया जाना चाहिए।

बाब : 130
माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का बयान

﴿130﴾
باب فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " .

(5137) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई बेटा अपने बाप के एहसान का बदला नहीं दे सकता। सिवाए इसके कि उसे (बाप को) गुलाम पाये, तो उसे ख़रीदे और आज़ाद कर दे।'

(5137) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1510.

फ़ायदा : आज़ाद करने के ये मानी नहीं कि बेटा बाप को ख़रीदे, तो अब अमलन आज़ाद करने का ऐलान करे। बल्कि उलमा–ए–उम्मत का इज्मा है कि बाप बेटे की या बेटा बाप की मिल्कियत में आते ही फ़ौरन ख़ूद से आज़ाद हो जायेगा। 'आज़ाद करने का बयान' ख़रीदने की निस्बत से आया है और इस अमल को बेटे की तरफ़ से बाप के हुक़ूक़ की अदायगी से ताबीर किया गया है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ

(5138) जनाब हमज़ा अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मेरी ज़ौजीयत में एक औरत थी और मुझे उससे मोहब्बत थी। मगर हज़रत उमर (ﷺ) उसे नापसन्द करते थे। तो उन्होंने मुझसे फ़रमाया कि उसे तलाक़ दे दो। मैंने इंकार किया, तो हज़रत उमर, नबी (ﷺ) की

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " طَلِّقْهَا " .

ख़िदमत में गये और अपनी बात उनसे कही। तो नबी (ﷺ) ने (मुझसे) फ़रमाया: 'उस औरत को तलाक़ दे दो।

(5138) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2088, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1189.

फ़ायदा : बाप का ये मक़ाम और हक़ है कि अगर वह बेटे से कहे कि अपनी बीवी को तलाक़ दे दे, तो उसे ये हुक्म मानना चाहिए। मगर शर्त ये है कि बाप जो अपने बेटे से बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा कर रहा है ख़ुद 'हज़रत उ़मर (ﷺ)' की सिफ़ात का हामिल हो और उसमें कोई हवाए नफ़्स और तास्सुब की बात न हो। सिर्फ़ शरई मस़लिहत पेशे नज़र हो। जैसे कि हज़रत उ़मर (ﷺ) के मुताल्लिक़ आता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ " أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الأَقْرَعُ الَّذِي ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنَ السُّمِّ .

(5139) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने वालिद से, वह दादा से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं, मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं किस के साथ हुस्ने सुलूक करूं? आपने फ़रमाया: ' अपनी माँ के साथ, फिर अपनी माँ के साथ, फिर अपनी माँ के साथ, फिर अपने बाप के साथ। फिर क़रीबी रिश्तेदार के साथ, फिर क़रीबी रिश्तेदार के साथ।' और बयान किया रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई अपने मौला (आज़ाद करदा गुलाम) से उसका ज़ायद माल माँगे जो उसके पास हो और वह उसके होते हूए न दे तो क़यामत के दिन वह (ज़ायद माल) एक गंजे साँप की शक्ल में उसके सामने आयेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: (अक़्रअ) से मुराद ऐसा साँप है कि ज़हर की वजह से उसके सर के बाल उड़ गये हों (और वह गंजा हो गया हो)

(5139) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1897, हाकिम: 3/642, 4/150.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शरीयत ने माँ के हुक़ूक़ को तीन गुना बताया है और बाप के हुक़ूक़ को एक चौथाई, मगर उसे जन्नत (में दाख़िले) का बेहतरीन दरवाज़ा क़रार दिया है। (देखिये: मुसनद अहमद: 5/196, 6/445, 1448, 451) गुलाम और उसके मालिक का ताल्लूक़, आज़ाद कर देने के बाद भी क़ायम रहता है जिसे ताल्लूक़े 'वला' कहते हैं। और आज़ाद होने वाले पर वाजिब होता है कि अपने आज़ाद करने वाले के साथ जहाँ तक हो सके हुस्ने सुलूक करता रहे। **(2)** इससे ये भी वाज़ेह हूआ कि मोमिन को कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ " أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلاَكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ " .

(5140) जनाब कुलैब बिन मनफ़अ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि वह नबी (ﷺ) के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं किस के साथ हुस्ने सुलूक करूं? आपने फ़रमाया: 'अपनी माँ, बाप, बहन, भाई और आज़ाद करने वाले के साथ। उनका हक़ वाजिब है और उनके साथ रिश्ता जोड़ना लाज़िम है।'

(5140) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 47.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، وَقَالَ، أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ " يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ " .

(5141) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (बिन आस़)(ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये बात बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है कि कोई अपने माँ बाप को लानत करे।' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! कैसे हो सकता है कि कोई अपने माँ बाप को लानत करे? आपने फ़रमाया: 'कोई शख़्स जब दूसरे के बाप को लानत करेगा, तो वह उसके बाप को लानत करेगा। अगर दूसरे की माँ को लानत करेगा, तो वह उसकी माँ को लानत करेगा।'

(5141) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5973, व सही मुस्लिम: 90.

फ़ायदा : किसी गुनाह का सबब (कारण) बनना भी गुनाह है और जो जिस क़द्र बड़े गुनाह का सबब बनेगा उसका वबाल भी उसी क़द्र बड़ा होगा।

(5142) जनाब अबू असीद मालिक बिन रबीया साएदी (ﷺ) से रिवायत है कि एक बार इत्तेफ़ाक़ से हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ बैठे हूए थे कि क़बील—ए—बनू सलमा का एक आदमी आप (ﷺ) के पास आया और पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मेरे माँ बाप के फ़ौत हो जाने के बाद भी मुझ पर उनका कोई हक़ बाक़ी है कि उनके साथ हुस्ने सुलूक करता रहूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ। उनके लिये दुआ करना उनके लिये बख़्शिश माँगना, उनके बाद उनके अहद को पूरा करना, ऐसे रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखना कि उन (माँ बाप) के बग़ैर उनसे मिलाप न हो सकता था और उनके दोस्त की इज़्ज़त करना।'

(5142) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3664, इब्ने हिब्बान 2030, हाकिम: 4/154, 155.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ " نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا " .

(5143) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सबसे बड़ा हुस्ने सुलूक ये है कि बाप के फ़ौत हो जाने के बाद इंसान उसके मोहब्बत करने वालों से मिलाप रखे।'

(5143) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2552.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ " .

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ، أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ - قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ أَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُورِ - إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوا هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ .

(5144) हज़रत अबू तुफ़ैल (आमिर बिन वासला लैसी) (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को जिअ्राना मक़ाम पर गोश्त तक़सीम करते देखा, मैं उन दिनों नौख़ेज़ लड़का था, ऊँट की हड्डी उठा सकता था कि अचानक एक औरत आई यहाँ तक कि वह नबी (ﷺ)के क़रीब आ गई, तो आपने उसके लिये अपनी चादर बिछा दी और वह उस पर बैठ गई। मैंने पूछा कि ये कौन थी? तो सहाबा ने बताया कि ये आपकी माँ थी जिसने आपको दूध पिलाया था।

(5144) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1295.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम रज़ाई माँ के साथ हुस्ने सुलूक और उसकी इज़्ज़त व एहतिराम उसी तरह है जैसे हक़ीक़ी माँ के साथ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ جَالِسًا يَوْمًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ .

(5145) जनाब अम्र बिन साइब से रिवायत है, वह कहते हैं मुझे ये ख़बर पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन बैठे हूए थे कि आपके रज़ाई वालिद आये। तो आपने अपनी चादर का एक हिस्सा उनके लिये बिछा दिया तो वह उस पर बैठ गये। फिर आपकी रज़ाई वालिदा आईं तो आपने उस चादर की दूसरी जानिब बिछा दी और वह उस पर बैठ गयीं। फिर आपके रज़ाई भाई आये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके लिये उठ खड़े हूए और उसको अपने सामने बिठा लिया।

(5145) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, ताहम रज़ाई वालिदैन और रज़ाई बहन भाईयों के साथ भी सिला रहमी शरई वाजिबात में से है।

बाब : 131
यतीमों की परवरिश की फ़ज़ीलत

﴾131﴿
باب فِي فَضْلِ مَنْ عَالَ يَتَامَ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ .

(5146) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास कोई लड़की हो और वह उसे ज़िन्दा दफ़न न कर दे (जैसे कि कुफ़्फ़ार करते थे) और न उसकी अहानत करे और न लड़के को उस पर फ़ज़ीलत दे, तो अल्लाह तआला उस आदमी को जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा।' और रावी–ए–हदीस़ उस़्मान ने लफ़्ज़ 'अज़्ज़ुकुर' ज़िक्र नहीं किया।

(5146) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/223, इब्ने अबी शैबा: 8/363.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम आम शरई तालीमात की रोशनी में वाज़ेह है कि लड़कियों को मनहूस समझना इन्तेहाई जहालत और बदतरीन अमल है। **(2)** अरब के कुछ लोग लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न कर दिया करते थे और ये अमल हराम और जहन्नम में जाने का सबब है। **(3)** परवरिश और तालीम व तर्बीयत के सिलसिले में लड़कों को लड़कियों पर तर्जीह देना नाजायज़ है। **(4)** ये बिल्कुल ही हराम है कि कोई शख़्स अपनी बेटी की सिर्फ़ इस वजह से तौहीन करे कि वह बेटी है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ سَعِيدٍ الأَعْشَى، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ الزُّهْرِيُّ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ

(5147) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने तीन बेटियों की परवरिश की, उन्हें (हुस्ने मुआशरत का) अदब सिखाया, उनकी शादी की और उनके साथ एहसान का मामला करता रहा, तो उसके लिये जन्नत है।'

الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ "

(5147) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1912, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2044.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَاهُ قَالَ " ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ "

(5148) सुहैल ने इसी सनद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान करते हुए कहा: 'जिसने तीन बहनों या तीन बेटियों या दो बेटियों या दो बहनों की परवरिश की।'

तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : यतीमों के अलावा बेटियों और बहनों की परवरिश भी बड़ी फ़ज़ीलत और अज़ीमत का अमल है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ " امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا " .

(5149) हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई(ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं और काले रूख़सारों वाली औरत क़यामत के दिन इस तरह (क़रीब क़रीब) होंगे।' यज़ीद (बिन ज़रीअ) ने अपनी दरम्यान वाली और शहादत वाली ऊँगली मिलाते हूए इशारा करके दिखाया। (यानी) वह मुअज़्ज़ज़ और हसीन व जमील औरत जो बेवा हो गई और (इज़्ज़त व ख़ूबसूरती के बावजूद) उसने (निकाह न किया बल्कि) अपने यतीम बच्चों की ख़ातिर (निकाह करने से) रूकी रही यहाँ तक कि वह बड़े हो गये या वफ़ात पा गये।

(5149) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/29, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 141.

باب : 132
यतीम को अपने अहल व अयाल के साथ मिलाकर परवरिश करने की फ़ज़ीलत

﴿132﴾
باب فِي مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ " . وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ

(5150) हज़रत सहल (बिन सअ़द अन्सारी)(ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं और यतीम की किफ़ायत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे।' और आपने अपनी दरम्यान वाली और शहादत वाली ऊँगली को मिलाकर इशारा फ़रमाया।

(5150) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6005.

फ़ायदा : यतीम, यानी नाबालिग़ लड़की या लड़का जिसका वालिद फ़ौत हो गया हो। मुआशरती (सामाजिक) ज़िन्दगी में उसको अपने घर का फ़र्द (सदस्य) बना लेना, उसकी सरपरस्ती (देख–रेख) करना और उसे वालिद की कमी महसूस न होने देना, बड़ी हिम्मत और फ़ज़ीलत का काम है।

बाब : 133
हमसायगी (पड़ौसी) के हुक़ूक़ का बयान

﴿133﴾
باب فِي حَقِّ الْجِوَارِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى قُلْتُ لَيُوَرِّثَنَّهُ

(5151) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिब्राईल अमीन मुझे हमसाये के मुताल्लिक़ वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मुझे ख़याल हुआ कि वह उसे वारिस ही बना देंगे।'

तख़रीज : बुख़ारी: 6014, व सही मुस्लिम: 2624.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيِّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ " .

(5152) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) के मुताल्लिक़ मरवी है कि उन्होंने एक बकरी ज़बह की और फिर पूछा: क्या तुमने मेरे यहूदी हमसाये की तरफ़ भी कुछ भेजा है? बिलाशुब्हा मैंने रसूल(ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जिब्राईल अमीन मुझे हमसाये के मुताल्लिक़ वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मुझे ख़्याल हुआ कि वह उसे वारिस ही बना देंगे।'

(5152) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1943, व हदीस: 247.

फ़ायदा : हमसाया ग़ैर मुस्लिम ही क्यों न हो उसके साथ हुस्ने सुलूक करना दीनी फ़रीज़ा है। उलमा का बयान है कि ग़ैर मुस्लिम हमसाये का सिर्फ़ एक हक़ है, यानी हक़्क़े हमसायगी और मुसलमान हमसाये के दो हक़ हैं। एक हक़्क़े हमसायगी दूसरा हक़्क़े इस्लाम जब कि मुसलमान रिश्तेदार हमसाये के तीन हक़ होते हैं। हक़्क़े हमसायगी, हक़्क़े इस्लाम और हक़्क़े क़राबत।

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ " اذْهَبْ فَاصْبِرْ " . فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ " اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ " . فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ .

(5153) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास एक शख़्स आया, उसने अपने हमसाये की शिकायत की। आपने फ़रमाया: 'जाओ और सब्र करो।' वह फिर आपके पास दो या तीन बार आया तो आपने फ़रमाया: 'जा अपना सामान रास्ते पर डाल दे।' चुनांचे उसने अपना माल मताअ रास्ते पर डाल दिया। लोग उससे पूछने लगे (कि क्या हूआ?) तो उसने उन्हें अपने हमसाये का सुलूक बताया। तो लोग उसे लानत मलामत करने लगे। अल्लाह उसके साथ ऐसे करे और ऐसे करे। तो वह हमसाया उसके पास आया और उससे बोला: अपने घर में वापस चले जाओ। (आइन्दा) मेरी तरफ़ से कोई नापसन्दीदा सुलूक नहीं देखोगे।

(5153) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस़ 124, हाकिम: 4/165, 166.

(5154) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। जो शख़्स अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने हमसाये को दुख न दे। और जो शख़्स अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि ख़ैर के लफ़्ज़ बोले या ख़ामोश रहे।'

(5154) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6138, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 19746, व सही मुस्लिम: 47.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ - وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " .

(5155) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है, वह कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मेरे दो हमसाये हैं। मैं (एहसान करने में) किससे इब्तेदा करूं? आपने फ़रमाया: 'जिसका दरवाज़ा ज़्यादा क़रीब हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि शोबा ने इस हदीस की सनद में तलहा के तआरूफ़ (परिचय) में कहा: वह एक क़ुरैशी आदमी था।

(5155) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6020.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ قَالَ " بِأَدْنَاهُمَا بَابًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ.

बाब : 134
गुलामों का ख़ास ख़्याल रखने का बयान

(134) باب فِي حَقِّ الْمَمْلُوكِ

(5156) हज़रत अली (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की आख़री बात यही थी: 'नमाज़! नमाज़ और अपने गुलामों के बारे में

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ

مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " .

अल्लाह से डरते रहना।'

(5156) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2698, मुसनद अहमद: 3/117.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, लेकिन दीगर मुहक़्क़िक़ीन, जैसे शैख़ अल्बानी (रह.) और अल मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद के मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है, मुहक़्क़िक़ीन की इस तफ़्सीली बहस से हदीस के सही होने की राय ही दुरूस्तगी के करीब महसूस होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 19/409, 210 हदीस: 12169) **(2)** गुलाम, नौकर और ख़ादिम भी मुसलमान मुआशरे का अहम हिस्सा होते हैं। वाजिब है कि इंसान मोमिन होने के नाते उनका ख़ास ख़्याल रखे, उनकी तौहीन करना या उन्हें उनकी हिम्मत से बढ़ कर जिम्मेदारी देना, क़तअन जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلاَمِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَ غُلاَمَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ . قَالَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ إِنِّي كُنْتُ سَابَبْتُ رَجُلاً وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ " . قَالَ " إِنَّهُمْ

(5157) जनाब मारूर बिन सूवैद (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) को रब्ज़ा मक़ाम में देखा, वह एक मोटी ऊनी चादर औढ़े हूए थे और उनके गुलाम पर भी इसी तरह की चादर थी। हमारे साथियों ने कहा: ऐ अबू ज़र! अगर आप गुलाम वाली चादर ख़ूद ले लेते तो इस तरह आपका बे हुल्ला (पूरा जोड़ा) बन जाता। गुलाम को आप कोई और कपड़ा ले देते। तो हज़रत अबू ज़र ने जवाब दिया कि मैंने एक आदमी को गाली दी थी जिसकी माँ अजमी थी। मैंने उसको उसकी माँ का तअना दिया तो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ मेरी शिकायत कर दी। तो आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू ज़र! तू ऐसा आदमी है जिसमें जाहिलीयत का असर है।' आपने मज़ीद फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा बे

إِخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ فَبِيعُوهُ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ " .

(गुलाम) तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने तुम को इन पर फ़ज़ीलत बख़्शी है। पस जिसके साथ तुम्हारी तबीयत न मिलती हो, तो उसे बेच दो लेकिन अल्लाह की मख़्लूक़ को दुख न दो।

तख़रीज : बुख़ारी: 6050, व सही मुस्लिम: 1661.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस में हज़रत अबू ज़र (ﷺ) की फ़ज़ीलत का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की नसीहत को बहुत ज़्यादा कामिल तौर पर अपने पल्ले बाँध लिया था। **(2)** किसी को उसके हसब नसब का तअ़ना देना जाहिलीयत की अ़लामत है। **(3)** जिस मुसलमान भाई के साथ नफ़्सीयाती मुनासिबत न हो तो उससे बिला वजह उलझना किसी तरह माक़ूल नहीं। चाहिए कि आदमी किसी और से मामला इस्तवार कर ले। **(4)** अल्लाह की मख़्लूक़ इन्सान हो या हैवान, उसको बिलावजह सज़ा देना नाजायज़ है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلاَمِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

(5158) जनाब मारूर बिन सूवैद (रह.) बयान करते हैं कि हम रब्ज़ा मक़ाम में हज़रत (ﷺ) अबू ज़र से मिले। हमने देखा कि उन पर एक ऊनी चादर थी और उनके गुलाम पर भी इसी तरह की एक चादर थी। तो हमने कहा: ऐ अबू ज़र! अगर आप अपने गुलाम वाली चादर अपनी चादर के साथ मिला लेते तो एक जोड़ा बन जाता और उसे आप कोई और कपड़ा ले देते। तो उन्होंने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'ये तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। चुनांचे जिसका भाई उसके मातहत हो तो उसको चाहिए कि उसे वही खिलाये जो वह ख़ूद खाता है और उसे वही पहनाये जो ख़ूद पहनता है। और उसे उसकी हिम्मत से ज़्यादा काम न दे, अगर उसे मुकल्लफ़ करे (बोझ डाले), तो उसकी मदद भी करे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को इब्ने नुमैर ने आमश से ऊपर दी गई रिवायत की मानिन्द रिवायत किया है।

(5158) तख़रीज : इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद 24/287, व सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लाम ही वह अव्वलीन दीन है जिसने गुलामों और मम्लूकों को इस क़द्र अज़ीम बराबरी के हुकूक़ दिये हैं। **(2)** गुलामों, नौकरों और ख़ादिमों को अच्छा लिबास और अच्छा खाना देने से मालिक की इज़्ज़त व क़द्र में कोई कमी नहीं आती, बल्कि इज़ाफ़ा होता है। **(3)** लाज़मी है कि इंसान पुर मशक़्क़त (भारी) काम में गुलाम और नौकर की मदद करे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِ " لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ " . فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ . قَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ أَوْ " لَمَسَّتْكَ النَّارُ " .

(5159) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (ﷺ) बयान करते हैं कि (एक बार) मैं अपने गुलाम को मार रहा था। तो मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी: 'अबू मसऊद! ख़याल करो ...' इब्ने मुसन्ना के अल्फ़ाज़ हैं। मैंने ये आवाज़ दो बार सुनी ... 'अल्लाह को तुम पर उससे ज़्यादा क़ुदरत है जितनी कि तुम उस पर रखते हो।' मैंने मुड़ कर देखा तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) थे। तो मैंने (फ़ौरन) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये अल्लाह के लिये आज़ाद हुआ। आपने फ़रमाया: 'अगर तुम ये न करते तो आग तुम्हें अपनी लपेट में ले लेती।' अल्फ़ाज़ (ललफ़अत्कन्नारू) थे या (लमस्सत्कन्नारू)

(5159) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1659.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इंसान अपने गुस्से और कुदरत का इज़हार करते हूए हमेशा याद रखे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उससे बढ़ कर कुदरत रखने वाला है, इसलिए ज़ुल्म से हमेशा बाज़ रहे, वरना उसका अंजाम आग है। **(2)** इस हदीस में हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) की फ़ज़ीलत का इज़हार है कि उन्होंने फ़ौरन अपनी ग़लती की तलाफ़ी की और एक बेहतर अमल से की।

(5160) आमश ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। इसमें है कि मैं अपने एक (काले) गुलाम को कोड़े मार रहा था। मगर उसमें उसको आज़ाद करने का बयान नहीं है।

तख़रीज : सही मुस्लिम: 1659, पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي أَسْوَدَ بِالسَّوْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْعِتْقِ .

(5161) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारे लौण्डी गुलामों में से जो तुम्हारे मुवाफ़िक़ हो (तुम्हारी पसन्द के मुताबिक़ तुम्हारी ख़िदमत करता हो) तो उसको उसी से खिलाओ जो तुम खाते हो और उसको उसी से पहनाओ जो तुम पहनते हो। और जो तुम्हारे मुवाफ़िक़ न हो, तो उसे बेच डालो और अल्लाह की मख़्लूक़ को अज़ाब न दो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/168.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لاَءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ " .

(5162) हज़रत राफ़े बिन मकीस़ (ﷺ) से रिवायत है और ये ग़ज़्व–ए–हुदैबिया में नबी(ﷺ) के साथ शरीक थे। उन्होंने बयान किया कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: '(अपने मातहत और ज़ेरे मिल्कीयत के साथ) उम्दा बरताव करना बरकत है और बद अख़्लाक़ी नहूसत है।'

(5162) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 3/168, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ (जामेअ मअमर: 20118)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَكَانَ، مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ

(5163) जनाब हारिस़ बिन राफ़े बिन मकीस़ से रिवायत है। और हज़रत राफ़े (ﷺ) क़बील–ए–जुहैना से थे और ग़ज़्व–ए–

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

خَالِدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَكَانَ، رَافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ " .

हुदैबिया में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत किया, आपने फ़रमाया: '(ज़ेरे मिल्कियत और मातहत के साथ) उम्दा बरताव करना बाइसे बरकत है और बद ख़ुल्क़ी नहूसत है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम लौण्डी, गुलाम या ख़ादिम हो या कोई हैवान या परिन्दा पाल रखा हो तो उसकी ख़ूराक, लिबास रिहाइश और सेहत का बख़ूबी ख़्याल रखना दीनी वाजिबात में से है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، - وَهَذَا حَدِيثُ الْهَمْدَانِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ " اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً " .

(5164) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی الله عنه) बयान करते हैं, एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम ख़ादिम को किस क़द्र माफ़ करें? तो आप ख़ामोश रहे। उसने फिर सवाल किया, तो आप ख़ामोश रहे। फिर जब तीसरी बार पूछा, तो आपने फ़रमाया: 'उसे हर रोज़ सत्तर बार माफ़ करो।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1949.

फ़ायदा : लौण्डी, गुलाम और ख़ादिम को बहुत ज़्यादा माफ़ करना चाहिए और साथ ही उसको काम करने का सलीक़ा भी समझाना चाहिए ताकि वह दोबारा ग़लती न करे।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، - يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ - عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ، نَبِيُّ التَّوْبَةِ ﷺ قَالَ

(5165) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) से रिवायत है, वह कहते हैं, मुझसे हज़रत अबुल क़ासिम नबी अत्तौबा (ﷺ) ने बयान फ़रमाया: 'जिसने अपने गुलाम पर तोहमत लगाई हालांकि वह उससे बरी था जो उसके बारे में कहा गया था तो उस (मालिक) को क़यामत के दिन हद लगाई जायेगी।' मुअम्मल (बिन

" مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا " . قَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْفُضَيْلِ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ

फ़ज़ल) ने सनद यूँ बयान की (हद्दसना ईसा अनिल फ़ुज़ैल यअनी इब्ने ग़ज़वान)

(5165) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6858, व सही मुस्लिम: 1660.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक सिफ़त 'नबीयुत्तौबा' है जिसका मफ़हूम ये है कि इस उम्मत की तौबा नदामत और अल्फ़ाज़ से क़बूल कर ली जाती है, जबकि साबिक़ा उम्मतों में कुछ मौके पर अपने आप को क़त्ल करने से क़बूल होती थी। एक मानी ये भी लिखे गये हैं कि इससे मुराद ईमान व अमल है, जबकि इंसान ने कुफ़्र व फ़िस्क़ से रूजू किया हो।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ كُنَّا نُزُولاً فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَفِينَا شَيْخٌ فِيهِ حِدَّةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ فَلَطَمَ وَجْهَهَا فَمَا رَأَيْتُ سُوَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ ذَاكَ الْيَوْمَ قَالَ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلاَّ حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مُقَرِّنٍ وَمَا لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَ أَصْغَرُنَا وَجْهَهَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعِتْقِهَا .

(5166) जनाब हिलाल बिन यसाफ़ से मरवी है कि हम हज़रत सूवैद बिन मुक़र्रिन (ﷺ) के घर में खड़े हूए थे, हमारे साथ एक बड़ी उमर का शैख़ भी था जिसकी तबीयत में तेज़ी थी और उसके साथ उसकी लौण्डी थी। तो उस शैख़ ने अपनी उस लौण्डी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उस दिन हज़रत सूवैद (ﷺ) जिस क़द्र गुस्से हूए मैंने उससे बढ़ कर उन्हें कभी ग़ज़बनाक नहीं देखा। उन्होंने कहा: क्या तू इतना ही आजिज़ (और मग़लूबुलग़ज़ब) हो गया था कि उसको मारने के लिये तुझे सिर्फ़ उसका इज़्ज़त वाला चेहरा ही मिला था। मुझे वह मन्ज़र याद है कि मैं औलादे मुक़र्रिन में सातवाँ फ़र्द था और हमारी एक ही ख़ादिमा थी। हमारे एक छोटे ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया तो नबी (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि उसको आज़ाद कर दो।

(5166) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1658.

फ़ायदा : चेहरे पर मारना सख़्त मना है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे मना फ़रमाया है। आप (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'जब तुममें से किसी की अपने (मुसलमान) भाई के साथ लड़ाई हो जाये तो चाहिए कि उसके चेहरे (पर मारने) से बचे।' (सही मुस्लिम) यहाँ तक कि हैवान के चेहरे पर भी नहीं मारना चाहिए।

(5167) जनाब मुआविया बिन सूवैद बिन मुक़र्रिन कहते हैं कि मैंने अपने एक ग़ुलाम को थप्पड़ मार दिया। तो मेरे वालिद ने उसको और मुझे बुला लिया और ग़ुलाम से कहा: इससे अपना बदला लो। और बताया कि नबी (ﷺ) के दौर में हम बनू मुक़र्रिन के सात अफ़राद थे और हमारी एक ही ख़ादिमा थी। हमारे एक आदमी ने उसको थप्पड़ मार दिया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे आज़ाद कर दो।' स़हाबा ने कहा कि इनके पास इसके अ़लावा और कोई ख़ादिमा नहीं है। फ़रमाया: 'चलो जब तक कोई और नहीं मिलती ख़िदमत करती रहे, जब उससे मुस्तग़नी हो जायें तो इसे आज़ाद कर दें।'

(5167) तख़रीज : स़ही मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ اقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ . فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْتِقُوهَا " . قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا . قَالَ " فَلْتَخْدُمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُعْتِقُوهَا " .

(5168) जनाब ज़ाज़ान बयान करते हैं कि मैं हज़रत इब्ने उ़मर (رضی اللہ عنہ) के पास आया जबकि उन्होंने अपना एक ग़ुलाम आज़ाद किया था। उन्होंने ज़मीन से एक तिन्का या इस क़िस्म की कोई चीज़ उठाई और कहा: मुझे इसके आज़ाद करने में इस जितना भी स़वाब नहीं है। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'जिसने अपने ग़ुलाम को थप्पड़ लगाया हो या मारा हो, तो उसका कफ़्फ़ारा यही है कि उसे आज़ाद कर दे।'

(5168) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 1657.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ عَنْ زَاذَانَ، قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ " .

फ़ायदा : इस्लाम ने इंसानी मुआशरे में स़दियों के राइज ग़ुलामी के निज़ाम को बड़ी दक़ीक़ हिकमत से ख़त्म किया है कि मौक़ा ब मौक़ा हो जाने वाली ग़लतियों में ग़ुलामों के आज़ाद करने को उनका कफ़्फ़ारा क़रार दिया है। चुनांचे अहले ईमान ने इस अन्दाज़ से ग़ुलामों को आज़ाद करना अपना मामूल बना लिया और उन्हें आज़ाद किया कि अब ये सिन्फ़ तक़रीबन ख़त्म है।

बाब : 135
मम्लूक ग़ुलाम जो अपने आक़ा को नसीहत करे

﴾135﴿ باب مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا نَصَحَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " .

(5169) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ जो ग़ुलाम अपने आक़ा को ख़ैरख़्वाही की बात कहे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इबादत भी अच्छे तरीक़े से करे, तो उसको दो गुना सवाब है।'

(5169) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2546, व मौता 2/981, व सही मुस्लिम: 2546.

फ़ायदा : मोमिन ग़ुलाम और मातहत को चाहिए कि अपने मालिक और अपने बड़े को ख़ैर की बात कहने में न बख़ील बने और न हिचकिचाये इसमें बहुत बड़ा सवाब है। और मालिक को भी चाहिए कि ग़ुलाम और ख़ादिम की नसीहत पर नाक भौं न चढ़ाये, बल्कि उसको क़द्र और तहसीन की निगाह से देखे और ऐसे ग़ुलाम और ख़ादिम को अपना हक़ीक़ी ख़ैरख़्वाह समझते हूए उसके साथ नेकी करे और हुस्ने सुलूक से पेश आये। इरशादे बारी तआला है: 'एहसान का बदला एहसान ही है।' (अर्रहमान: 60)

बाब : 136
किसी के ग़ुलाम को उसके मालिक के ख़िलाफ़ भड़काना

﴾136﴿ باب فِيمَنْ خَبَّبَ مَمْلُوكًا عَلَى مَوْلَاهُ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(5170) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई किसी की बीवी को उसके शौहर के ख़िलाफ़ या ग़ुलाम (ख़ादिम) को उसके मालिक के ख़िलाफ़ भड़काये, वह हममें से नहीं।'

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2175 में देखें।

صلى الله عليه وسلم " مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " .

फ़ायदा : किसी के घर में या किसी इदारे के रवां दवां निज़ाम (बेहतर सिस्टम) में फ़ितना फ़साद डाल देना इन्तेहाई गुनाह का काम है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे फ़ितना अंगेज़ शख़्स से ला'ताल्लूक़ी का इज़हार फ़रमाया है।

बाब : 137
किसी के घर या ख़ास मज्लिस में इजाज़त लेकर जाने का बयान

﴿137﴾
باب في الاستئذان

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ - قَالَ - فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ .

(5171) सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) के किसी घर में झाँका। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) एक लम्बे फल का नेज़ा लिये हूए उसकी जानिब उठे। हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं: गोया कि मैं देख रहा हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये नेज़ा उसे मारने के लिये लहरा रहे थे।

(5171) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6242, व सही मुस्लिम: 2157.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी के घर में बग़ैर इजाज़त झाँकना हराम और इन्तेहाई बद अख़्लाक़ी है। यही वजह है कि इंसान किसी के दरवाज़े पर दस्तक दे तो उसका अदब ये है कि एक जानिब खड़ा हो जैसे कि अगली हदीस (5174) में आ रहा है। **(2)** घर वाले को इजाज़त है कि झाँकने वाले को सज़ा दे।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

(5172) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिसने किसी के घर में उनकी इजाज़त के बग़ैर झाँका और उन्होंने उसकी

هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ "

आँख फोड़ दी तो ये जाया है। (इसमें कोई क़िसास (बदला) नहीं।)'

(5172) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/414, व सही मुस्लिम: 2158.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ وَلِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلاَ إِذْنَ " .

(5173) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब नज़र अन्दर चली गई तो फिर इजाज़त कैसी?'

(5173) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/366.

फ़ायदा : हक़ीक़त यही है कि अपने घर में बा'पर्दा अहले ख़ाना की इज्ज़त व करामत के तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) के लिये इजाज़त लेने का हुक्म दिया गया है। अगर झाँकना ही मायूब न हो तो इजाज़त लेने देने के कोई मानी नहीं रहते।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ - قَالَ عُثْمَانُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ - قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الاِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ " .

(5174) हज़रत हुज़ैल (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ... और बक़ौल उ़स्मान बिन अबी शैबा हज़रत सअ़द (ﷺ) आये और नबी (ﷺ) के दरवाज़े पर खड़े होकर इजाज़त तलब करने लगे ... उ़स्मान बिन अबी शैबा ने वज़ाहत की कि वह दरवाज़े के ऐन सामने खड़े हो गये ... तो नबी(ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'उस तरफ़ हट कर खड़े हो या इस तरफ़। इजाज़त लेने का हुक्म नज़र ही की वजह से है (कि इंसान अंदर न झाँके)'

(5174) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8825, इब्ने अबी शैबा: 8/569.

फ़ायदा : अहले इल्म और बड़े लोगों पर वाजिब है कि अपने ज़ेरे तर्बीयत और छोटों को हर तरह के आदाब की अ़मली तर्बीयत देने का एहतिमाम करें।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدٍ، نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(5175) तलहा बिन मुसर्रिफ़ ने एक आदमी के वास्ते से, हज़रत सअद (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द नबी (ﷺ) से रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें।

138

باب كَيْفَ الاِسْتِئْذَانِ

बाब : 138
... इजाज़त कैसे ली जाये?

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ - وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى مَكَّةَ - فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ " ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ " . وَذَاكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ . قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ صَفْوَانَ بِهَذَا أَجْمَعَ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ . قَالَ

(5176) हज़रत कलदा बिन हम्बल (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (ﷺ) ने उसको दूध हिरन का बच्चा और काकड़ी देकर रसूल (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा, जबकि नबी(ﷺ) मक्का की बालाई जानिब में ठहरे हूए थे। कलदा कहते हैं कि मैं आपकी मज्लिस में जा दाख़िल हूआ और सलाम न कहा। तो आपने फ़रमाया: 'पीछे हटो और कहो (अस्सलामुअलैकुम) 'ये वाक़िया स़फ़वान बिन उमैया के मुसलमान हो जाने के बाद का है।

अम्र (बिन अबू सुफ़ियान) ने कहा: मुझे ये सब (उमैया) इब्ने स़फ़वान ने कलदा बिन हम्बल के वास्ते से बयान किया और इसमें सिमाअ (सुनने) का ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि यहया बिन हबीब ने (इब्ने उमैया की स़राहत की और) उमैया

أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلَدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ .

बिन सफ़वान कहा। और कलदा बिन हम्बल से सिमाअ की सराहत नहीं की। और यहया बिन हबीब ने ये भी कहा कि अम्र बिन अब्दुल्लाह बिन सफ़वान ने बसेग़ा–ए–अख़बार रिवायत किया।
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2710.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज्लिस में जाने का अदब और इजाज़त के लिये 'अस्सलामुअलैकुम' कहना ज़रूरी है। (2) और जो शख़्स इसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करे उसे अमलन अदब सिखाया जाये।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ " . فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ .

(5177) जनाब रिब्ई से रिवायत है कि बनू आमिर के एक शख़्स ने नबी (ﷺ) से इजाज़त चाही जबकि आप घर के अंदर थे। और उसने कहा: 'क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?' तो नबी(ﷺ) ने अपने ख़ादिम से फ़रमाया: 'उसकी तरफ़ जाओ और उसे इजाज़त तलब करने का अदब सिखाओ उसे कहो कि (इस तरह) कहे: 'अस्सलामुअलैकुम' क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?' उस आदमी ने ये बात सुन ली तो बोला: 'अस्सलामुअलैकुम' क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो नबी (ﷺ) ने उसे इजाज़त दे दी और वह अंदर आ गया।
(5177) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 5/368, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10148, अमलुल योम वल्लैल, हदीस: 316, इब्ने अबी शैबा: 8/418, 419, रियाज़ुस्सालेहीन, हदीस: 872.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इजाज़त लेने के लिये सिर्फ़ अस्सलामुअलैकुम कहना ही काफ़ी नहीं बल्कि उसके साथ पूछना चाहिए कि 'क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?' (2) जो आदमी जानता न हो उसको सिखाना चाहिए।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ

(5178) जनाब रिब्ई बिन हिराश से रिवायत है, वह कहते हैं मुझे बयान किया गया कि बनू आमिर के एक आदमी ने नबी (ﷺ) से

इजाज़त चाही। और ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं मुसद्दद ने अबू अ़वाना से, उन्होंने मन्सूर से (और उन्होंने रिब्ई से) ऐसे ही रिवायत किया है ... और इसमें बनू आ़मिर के आदमी का ज़िक्र नहीं किया।

(5178) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/340, पिछली हदीस देखें।

حُدِّثْتُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ .

(5179) उ़बैदुल्लाह बिन मुआ़ज़ ने अपने वालिद से बयान किया, उन्होंने शोबा से, उन्होंने मन्सूर से, उन्होंने रिब्ई से, और वह बनू आ़मिर के एक आदमी से रिवायत करते हैं कि उसने नबी(ﷺ) से इजाज़त तलब की और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। कहा कि मैंने आपकी बात सुन ली तो मैंने कहा: 'अस्सलामुअ़लैकुम' क्या में अंदर आ सकता हूँ?

(5179) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/340, पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ

बाब : 139
इजाज़त तलब करते हूए आदमी कितनी बार अस्सलामुअ़लैकुम कहे?

﴿139﴾ باب كَمْ مَرَّةٍ يُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِي الاِسْتِئْذَانِ

(5180) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं, मैं अन्सार की एक मज्लिस में बैठा हूआ था कि हज़रत अबू मूसा अशअ़री

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَزِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْزَعَكَ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي قُلْتُ قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " . قَالَ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِالْبَيِّنَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ . قَالَ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ .

(ﷺ) घबराये घबराये से आये। हमने उनसे पूछाः आप घबराये हूए क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे हज़रत उमर (ﷺ) ने बुलवाया था कि उनके पास जाऊं। मैं उनके यहाँ गया और तीन बार इजाज़त तलब की मगर मुझे इजाज़त नहीं दी गई, तो मैं वापस होने लगा। तो उन्होंने कहाः क्या वजह थी कि तुम मेरे पास नहीं आये? मैंने उनसे कहा कि मैं आया था और तीन बार इजाज़त माँगी मगर नहीं दी गई। और नबी (ﷺ) ने फ़रमाया हैः 'तुममें से जब कोई तीन बार इजाज़त माँगे और उसे इजाज़त न दी जाये तो चाहिए कि वह लौट आये।' तो उन्होंने (हज़रत उमर (ﷺ) ने) कहा हैः तुम्हें अपने इस बयान पर गवाह पेश करना पड़ेगा। तो हज़रत अबू सईद (ﷺ) ने कहाः तुम्हारे साथ क़ौम का कोई छोटा बच्चा भी जा सकता है। (वह इस हदीस़ के स़ही होने की गवाही दे सकता है) चुनांचे हज़रत अबू सईद(ﷺ) उनके साथ गये और हज़रत अबू मूसा (ﷺ) के हक़ में गवाही दी।

(5180) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6245, व स़ही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इजाज़त तलब करने के लिये अस़ल शरई अदब अस्सलामुअलैकुम कहना है और तीन बार सलाम कह कर इजाज़त माँगी जाये। इसी पर दस्तक देने या घण्टी बजाने को क़यास करना चाहिए। इससे ज़्यादा ख़िलाफ़े अदब है। न मालूम घर वाला किसी ख़ास़ काम में मशग़ूल हो या आराम कर रहा हो, तो उसे परेशान न किया जाये। इसके अलावा दस्तक देने या घण्टी बजाने में भी बेअदबी या बदतमीज़ी का मुज़ाहिरा न किया जाये। कुछ लोगों को देखा गया है कि वह इतनी ज़ोर से दस्तक देते हें कि अड़ोस–पड़ौस के लोगों का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग घण्टी इस

तरह तस्लसुल से बजाते हैं जैसे उन्हें मुर्दों को ज़िन्दा करना या बहरों को सुनाना है। ये बेहुदगियाँ हमारी अख़्लाक़ी पस्ती की तरफ़ इशारा करती हैं। अल्लाह हमें इससे बचाये। (2) इजाज़त या जवाब न मिलने पर बिला वजह नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि वापस आ जाना चाहिए। (3) हज़रत उमर(ﷺ) अहादीसे रसूल की रिवायत में इसलिए शदीद थे कि लोग कहीं यक़ीन व ऐतमाद के बग़ैर रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ कुछ निस्बत न करने लगें और अल्लाह उन्हें जज़ा-ए-ख़ैर दे ये उनकी बहुत बड़ी दानाई की सख़्ती थी।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَقَالَ يَسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى يَسْتَأْذِنُ الأَشْعَرِيُّ يَسْتَأْذِنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلاَّ فَلْيَرْجِعْ " . قَالَ ائْتِنِي بِبَيِّنَةٍ عَلَى هَذَا . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ هَذَا أُبَىٌّ فَقَالَ أُبَىٌّ يَا عُمَرُ لاَ تَكُنْ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(5181) जनाब अबू बुर्दा से रिवायत है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) हज़रत उमर(ﷺ) के यहां गये और तीन बार इजाज़त माँगी और कहा: अबू मूसा इजाज़त चाहता है। अशअरी इजाज़त चाहता है। अब्दुल्लाह बिन क़ैस (अबू मूसा अशअरी) इजाज़त चाहता है। मगर इजाज़त न मिली तो ये वापस हो लिये। चुनांचे हज़रत उमर (ﷺ) ने उनको पीछे से बुलवाया कि वापस क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: इजाज़त तीन बार माँगो, अगर मिल जाये तो बेहतर वरना वापस हो जाओ।' हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: अपने बयान पर मुझे गवाह पेश करो (कि वाक़ेई ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है।) तो वह गये और वापस आये और कहा: ये उबय(ﷺ) आ गये हैं। तो हज़रत उबय (ﷺ) ने कहा: ऐ उमर! रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा के लिये अज़ाब न बनें। तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा के लिये अज़ाब नहीं हूँ।

(5181) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2151.

(5182) जनाब उबैद बिन उमैर से रिवायत है कि हज़रत अबू मूसा (ﷺ) ने हज़रत उमर (ﷺ) से इजाज़त तलब की। और ऊपर दिया गया क़िस्सा बयान किया। और उसमें है कि वह हज़रत अबू सईद (ﷺ) को साथ लेकर गये तो उन्होंने उनके हक़ में गवाही दी। तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान मुझसे मख़फ़ी रहा है? मुझे बाज़ार के तिजारती मशाग़िल ने मशग़ूल रखा। और तुम जब चाहो सलाम कह के आ जाया करो और इजाज़त न माँगा करो।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . قَالَ فِيهِ فَانْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ أَخَفِيَ عَلَىَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلْهَانِي السَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَلَكِنْ سَلِّمْ مَا شِئْتَ وَلاَ تَسْتَأْذِنْ .

(5182) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस: 2062, व सही मुस्लिम: 2153.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) के साथ होने वाले मुनाक़शे (जाँच–पड़ताल) की इस एज़ाज़ से तलाफ़ी फ़रमा दी और उन्हें ख़ुश कर दिया। **(2)** और ये फ़रमाने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर अमल करने की बरकत थी। **(3)** जब हज़रत अबू मूसा (ﷺ) जैसे जलीलुलक़द्र शख़्सीयत से फ़रमाने रसूल के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ की जा सकती है तो बाद के ज़माने में आने वाले उलमा व मशाइख़ अगर कोई हदीस और रिवायत पेश करें तो उसकी तहक़ीक़ व तख़रीज बिलकुल होनी चाहिए।

(5183) जनाब अबू बुर्दा ने अपने वालिद हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से ऊपर दिया गया क़िस्सा रिवायत किया। उसमें है कि फिर हज़रत उमर(ﷺ) ने हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से कहा: बिलाशुब्हा मैं तुम पर किसी तरह की तोहमत नहीं लगा रहा (कि तुम झूठ कह रहे हो।) लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) से हदीस नक़ल करने का मामला बड़ा सख़्त (और अहम) है।

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَدِيدٌ .

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

(5184) जनाब रबीया बिन अबू अब्दुर्रहमान और कई एक मोहद्दिसीन से मरवी है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से कहा: मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे अन्देशा है कि कहीं लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ वैसे ही अहादीस की निस्बत न करने लगें।

(5184) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/964.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، مِنْ عُلَمَائِهِمْ فِي هَذَا فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : फ़तवा, ख़ुत्बा और तहरीर में पेश की जाने वाली अहादीस मोतबर और बा'हवाला हों तो बहुत बेहतर है और अस्हाबुल हदीस बिहम्दिल्लाह तआला हर दौर में यही फ़रीज़ा अन्जाम देते रहे हैं: कस्सरल्लाहु सवादहुम! (अल्लाह और तरक़्क़ी दे)

(5185) हज़रत क़ैस बिन सअद (बिन उबादा)(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमें मिलने के लिये हमारे घर तशरीफ़ लाये। और (इजाज़त तलब करते हूए) फ़रमाया: 'अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह!' (मेरे वालिद) सअद ने आपको जवाब दिया मगर हल्की आवाज़ से। क़ैस कहते हैं, मैंने कहा: क्या आप रसूल (ﷺ) को इजाज़त नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा। छोड़ो। उन्हें हम पर ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहने दो। रसूल (ﷺ) ने फिर फ़रमाया: 'अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह' और वापस जाने लगे। तो सअद पीछे से लपके और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपका सलाम सुन रहा था और जवाब भी दे रहा था मगर हल्की (और आहिस्ता) आवाज़ से, ताकि आप (हमें) ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहें (और हमें आपकी

حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَبُو مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - الْمَعْنَى - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا . قَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ أَلاَ تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ

سَعْدُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلاَمِ . قَالَ فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغِسْلٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ " . قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الاِنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ارْكَبْ " . فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ " إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ " . قَالَ فَانْصَرَفْتُ . قَالَ هِشَامٌ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ .

दुआएँ हासिल हों।) चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत सअद के साथ तशरीफ़ ले आये। हज़रत सअद (رضي الله عنه) ने आपसे गुस्ल करने का कहा तो आपने गुस्ल फ़रमा लिया। फिर आपको ज़ाफ़रान या वर्स से रंगी हुई चादर दी जो आपने लपेट ली। फिर आपने ये कहते हूए अपने दोनों हाथ बलन्द फ़रमाये: (अल्लाहुम्मज् अल स़लवातिका व रह्मतका अ़ला आले सअद बिन उबादा) 'ऐ अल्लाह! आले सअद बिन उबादा पर अपनी ख़ास़ बरकतें और रहमतें नाज़िल फ़रमा।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ)ने कुछ खाना खाया। जब आपने वापसी का इरादा फ़रमाया तो सअद ने गधा क़रीब कर दिया जबकि उसकी पीठ पर कपड़ा डाल दिया था। तो रसूल (ﷺ)उस पर सवार हो गये। तो हज़रत सअद ने कहा: ऐ क़ैस! रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जाओ। क़ैस कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया: 'सवार हो जाओ।' मगर मैंने इंकार किया तो आपने फ़रमाया: 'या तो सवार हो जाओ या वापस चले जाओ।' चुनांचे मैं वापस आ गया।

हिशाम, अबू मरवान ने ये रिवायत मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन असअ़द बिन ज़ुरारा से बसेग़ा–ए–अ़न रिवायत की है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि उ़मर बिन अ़ब्दुल वाहिद और इब्ने समाआ़ ने ये रिवायत ओज़ाई से मुर्सल रिवायत की है और इन दोनों ने क़ैस बिन सअ़द का ज़िक्र नहीं किया।

(5185) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा: 10157, अ़मलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 325, मुसनद अहमद: 3/421, अ़मलुल यौम वल्लैला: 324.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ " . وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ .

(5186) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी के दरवाज़े पर जाते तो उसके बिल्कुल सामने खड़े न हुआ करते थे। बल्कि दायें या बायें जानिब होकर खड़े होते और फ़रमाते: 'अस्सलामुअ़लैकुम, अस्सलामुअ़लैकुम' और उन दिनों दरवाज़ों पर पर्दे नहीं हुआ करते थे।

(5186) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/189, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस़: 1078.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दरवाज़े पर आने वाले को चाहिए कि उसके दायें या बायें जानिब होकर खड़ा हो, ताकि घर वालों पर नज़र न पड़े। (2) जब रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसी अहम और महबूब शख़्सीयत इजाज़त लेने का एहतिमाम करती थी तो दूसरों को और ज़्यादा ध्यान से उस पर अ़मल करना चाहिए।

﴾140﴿ باب الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ بِالدَّقِّ

बाब : 140
दस्तक देकर इजाज़त लेना ...

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنِ أَبِيهِ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ " مَنْ هَذَا " . قُلْتُ أَنَا . قَالَ " أَنَا أَنَا " . كَأَنَّهُ كَرِهَهُ .

(5187) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं अपने वालिद के क़र्ज़े के सिलसिले में नबी (ﷺ) के यहाँ हाज़िर हुआ तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। आपने पूछा: 'कौन है?' मैंने जवाब में कहा: मैं हूँ। आपने फ़रमाया: 'मैं हूँ। मैं हूँ।' गोया आपने इस अन्दाज़ को नापसन्द फ़रमाया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6250, व सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दरवाज़ा खटखटाना भी इजाज़त तलब करने के मानी में है और सही है और फिर किसी के सामने आने पर अस्सलामुअलैकुम कहे। **(2)** दस्तक के जवाब में दस्तक देने वाले आदमी को अपना नाम या ड़र्फ़ (सर नाम/कुन्नियत) बताना चाहिए। 'मैं, मैं' कहना ख़िलाफ़े अदब और नाकाफ़ी तआरूफ़ (परिचय) है।

बाब : ...
... इजाज़त लेने के लिये दरवाज़ा खटखटाने का बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، - يَعْنِي الْمَقَابِرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِي " أَمْسِكِ الْبَابَ " . فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ " مَنْ هَذَا " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ فِيهِ فَدَقَّ الْبَابَ .

(5188) हज़रत नाफ़े बिन अब्दुल हारिस (ﷺ) कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकला यहाँ तक कि एक बाग़ में दाख़िल हुआ। तो आपने मुझसे फ़रमाया: 'दरवाज़े को (अन्दर से) रोके रखो (उसे खोलना नहीं।)' फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। (बाहर से किसी ने दस्तक दी) तो मैंने पूछा: कौन है? और हदीस बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ)वाली हदीस है। रावी ने इसमें कहा: तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया।

(5188) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7132, मुसनद अहमद: 3/408.

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) की मुहव्वला (तहवील शुदा) हदीस वह है जो सही मुस्लिम में फ़ज़ाइले उस्मान (ﷺ) के ज़िम्न में मरवी है। (सही मुस्लिम: 2403)

बाब : 141
जब आदमी को बुलवाया जाये और वह बुलाने वाले के साथ चला आये तो क्या ये इजाज़त के हम मानी है?

﴿141﴾ باب فِي الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنَهُ

(5189) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी को बुलाने के लिये आदमी का भेजा जाना, उस (आने वाले) के लिये इजाज़त (के मानी में) है।'

(5189) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1076.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ " .

(5190) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब किसी को खाने पर बुलाया जाये और वह बुलाने वाले के साथ चला आये तो यही उसके लिये इजाज़त है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: कहा जाता है कि क़तादा ने अबू राफ़े से कुछ नहीं सुना है।

(5190) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1075, मुसनद अहमद: 2/533.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ " . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ شَيْئًا .

फ़ायदा : अहवाल व ज़ुरूफ़ की रोशनी में देखा जा सकता है कि क्या दोबारा इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं। जब पर्दे का मामला न हो या ख़ास़ मज्लिस न हो तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वरना मस्तूरात (पर्दानशीन) की वजह से इत्तेला तो देनी होगी।

﴿142﴾ بابُ الاِسْتِئْذَانِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ

बाब : 142
पर्दे के तीन औक़ात (वक़्तों) में इजाज़त लेने का बयान

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، وَابْنُ، عَبْدَةَ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ آيَةُ الإِذْنِ وَإِنِّي لآمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ .

(5191) जनाब उ़बैदुल्लाह बिन अबू यज़ीद से रिवायत है, उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास(ﷺ) को सुना, वह कहते थे कि अक्सर लोग (सूरह नूर में वारिद आयत: 58) इजाज़त तलब करने वाली आयत पर (पूरा पूरा) ईमान नहीं लाये, हालांकि मैं अपनी इस लौण्डी को कहता हूँ कि मेरे पास आते हूए भी इजाज़त लिया करे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: अ़ता ने भी इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है कि वह इसका हुक्म दिया करते थे।

(5191) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1063.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الآيَةِ الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا وَلاَ يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا

(5192) जनाब इक़्रमा से रिवायत है कि इराक़ के कुछ लोगों ने कहा: ऐ इब्ने अ़ब्बास! आप इस आयते करीमा के बारे में क्या कहते हैं कि इसमें जो हुक्म हमें दिया गया है, उस पर कोई अ़मल नहीं करता है? यानी अल्लाह तआ़ला का फ़रमान: (या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअ्ज़िन्कुम ... अ़लैकुम) 'ऐ ईमान वालो! चाहिए कि तुम्हारे लौण्डी गुलाम और तुम्हारे नाबालिग़ बच्चे तीन औक़ात में तुमसे इजाज़त लें। नमाज़े फ़ज्र से पहले, और

दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतारते हो और नमाज़े इशा के बाद, ये तीन औक़ात तुम्हारे पर्दे के हैं, इनके अलावा तुम पर और उन पर कोई हर्ज नहीं, ये तुम्हारे पास आने जाने वाले हैं' (अब्दुल्लाह बिन मस्लमा) क़ानबी ने आयत आख़िर तक पढ़ी। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया: बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हलीम है (बरदाश्त करता है) और मोमिन पर रहम करने वाला है और पर्दे को पसन्द करता है। (जब ये आयत उतरी) लोगों के घरों में पर्दे होते थे न औटें होती थीं। बाज़ औक़ात आदमी अपनी अहलिया से सोहबत कर रहा होता तो कोई ख़ादिम आ जाता या बच्चा या यतीम बच्ची (जो घर में होती तो ये कैफ़ियत बहुत ज़्यादा नामुनासिब होती थी) तो अल्लाह तआला ने उन्हें उन पर्दे के औक़ात में इजाज़त लेने का हुक्म दिया। तो अब अल्लाह ने उनको पर्दे दे दिये हैं और ख़ैर (फ़राख़ी) इनायत फ़रमा दी है (तो इस वजह से) मैं किसी को इस पर अमल करते हुए नहीं देखता हूँ।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: (ऊपर दी गई रिवायत) उबैदुल्लाह और अता की हदीस इस हदीस के ख़िलाफ़ बनती है।

الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ } قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ إِلَى {عَلِيمٌ حَكِيمٌ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلاَ حِجَالٌ فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالاِسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللَّهُ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَطَاءٍ يُفْسِدُ هَذَا .

(5192) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी हातिम: 8/2632, व इब्ने कसीर: 3/315.

फ़ायदा : इससे मालूम होता है कि मुआशरती हालात में तब्दीली की वजह से इस तरह इजाज़त लेने की ज़रूरत ज़्यादा पेश नहीं आती थी जैसे अहदे रिसालत में मामूल था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुक्म अब मन्सूख़ है बल्कि ये हुक्म हमेशा के लिये है और इसके मुताबिक़ अमल करना निहायत ज़रूरी है।

अस्सलामुअलैकुम कहने के आदाब

बाब : 143
सलाम आम करने का हुक्म

﴿143﴾
باب فِي إِفْشَاءِ السَّلاَمِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ " .

(5193) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम लोग उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकोगे जब तक कि ईमान न ले आओ। और तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत न करने लगो। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बता दूँ कि उस पर अमल करने से आपस में मोहब्बत करने लगो? आपस में सलाम बहुत क्या करो।'

(5193) तख़रीज : सही मुस्लिम: 54.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अस्सलामुअलैकुम कहना, यानी मौक़ा ब मौक़ा सलाम कहने को अपनी आदत बना लेना, इस्लामी मुआशरत का अहम हिस्सा और अलामत है। **(2)** सलाम कहने को अगर मामूल बना लिया जाये तो दूरियाँ ख़त्म होती और कुर्बतें बढ़ने लगतीं हैं और अज्र व सवाब मज़ीद मिलता है बल्कि ये ईमान के पूरा होने और जन्नत में दाख़िले के इस्तेहक़ाक़ का इस्बात है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ

(5194) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया: कौन सा इस्लाम (इस्लाम की कौनसी ख़सलत) बेहतर है?

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ " تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ " .

आपने फ़रमाया: 'तुम्हारा खाना खिलाना और सलाम कहना उसे, जिसे तुम पहचानते हो या न पहचानते हो।'

(5194) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 28, व स़ही मुस्लिम: 39.

(144) باب كَيْفَ السَّلاَمُ

बाब : 144
सलाम किस तरह कहे?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَشْرٌ " . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ " عِشْرُونَ " . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ " ثَلاَثُونَ " .

(5195) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है, एक शख़्स़ नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: 'अस्सलामुअलैकुम' आपने उसके सलाम का जवाब दिया और वह बैठ गया। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दस।' फिर दूसरा आदमी आया और उसने कहा: 'अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि' आपने उसको जवाब दिया और वह बैठ गया। तो आपने फ़रमाया: 'बीस।' फिर एक और आया तो उसने कहा: 'अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू' आपने उसका जवाब इनायत फ़रमाया और वह बैठ गया, तो आपने फ़रमाया: 'तीस।'

(5195) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2689.

फ़ायदा : सलाम के हर कलिमा पर दस नेकियाँ मिलती हैं, यानी जो स़िर्फ़ (अस्सलामुअलैकुम) कहे उसे दस, जो उस पर (व रहमतुल्लाह) का इज़ाफ़ा करे उसे बीस और जो (व बरकातुहू) का कलिमा भी मिलाये उसे तीस नेकियाँ मिलती हैं।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ " أَرْبَعُونَ " . قَالَ " هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ " .

(5196) जनाब सहल अपने वालिद (मुआज़ बिन अनस) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया। इसमें इज़ाफ़ा है कि फिर एक (चौथा आदमी) आया तो उसने कहा: 'अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु व मग़फ़िरतुहु' तो आपने फ़रमाया: 'चालीस (चालीस नेकियाँ मिलीं) और नेकियाँ ऐसे ही बढ़ती हैं।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 20/182.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए सलाम करने वाले को सिर्फ़ 'वबरकातुहू' तक ही कहना चाहिए, अलबत्ता जवाब देने वाले के लिये 'व मग़्फ़िरतुहू' का इज़ाफ़ा जायज़ है। जैसे कि हदीस़ में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) कहते हैं कि नबी (ﷺ) हमें सलाम करते, तो हम जवाब में 'वअलैकुमुस सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़्फ़िरतुहू' कहते थे तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा: 3/433, हदीस़: 1449)

﴾145﴿ باب فِي فَضْلِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلاَمِ

बाब : 145 सलाम कहने में सब्क़त (पहल करने) की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، وَهْبٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ "

(5197) हज़रत अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगों में अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा क़रीब वह शख़्स है जो लोगों को सलाम कहने में इब्तेदा करे।'

(5197) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 8787, इब्ने अल मुलक़्क़िन, हदीस़: 1624.

फ़ायदा : सलाम कहने में शुरूआत करने की बहुत फ़ज़ीलत है मगर नीचे दिये गये आदाब को पेशे नज़र रखा जाये।

﴾146﴿
باب مَنْ أَوْلَى بِالسَّلاَمِ

बाब : 146
पहले सलाम कौन कहे?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " .

(5198) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'छोटा बड़े को, गुज़रने वाला बैठे हूए को और कम लोग ज़्यादा तादाद वालों को सलाम कहें।'

(5198) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6231, व सहीफ़तु हम्माम, हदीस़: 50, मुसनद अहमद: 2/314,बग़वी शरहुस्सुन्ना, हदीस़: 3303.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي". ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

(5199) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सवार आदमी पैदल को सलाम कहे।' फिर ऊपर दी गई हदीस़ बयान की।

(5199) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6233, व सही मुस्लिम: 2160.

फ़ायदा : दीने इस्लाम, अदब व एहतिराम का दीन है। इसमें हर अमल का अदब और तरीक़ा बयान किया गया है। तमाम मोमिन को इन पर अमल करना चाहिए।

﴿147﴾

بابٌ فِي الرَّجُلِ يُفَارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقَاهُ أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

बाब : 147
दो आदमी जुदा हों और फिर मिलें तो भी सलाम कहें (ख़्वाह जुदाई थोड़ी ही देर की हो)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا . قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ سَوَاءً .

(5200) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: जब तुममें से कोई अपने भाई से मिले तो उसे सलाम कहे। पस अगर उनके दरम्यान कोई दरख़्त, दीवार या पत्थर हायल (आड़) हो जाये और फिर दोबारा मिले, तो भी सलाम कहे।

जनाब मुआविया (बिन सालेह) ने कहा: मुझे अब्दुल वहहाब बिन बुख़्त ने अबू ज़िनाद से, उसने आरज से, उसने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसकी मिस्ल (तरह) रिवायत किया।

(5200) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़्रद, हदीस: 1010, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 245, तबरानी: 7983, नैलुल मक़सूद: 3/1078.

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ

(5201) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने रिवायत किया कि हज़रत उमर (ﷺ) नबी (ﷺ) के पास आये जबकि आप अपने हुज्रे में थे। उन्होंने कहा: अस्सलामुअलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामुअलैकुम, क्या उमर अन्दर आ सकता है?

صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ .

(5201) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10153, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 321.

फ़ायदा : ये एक लम्बी हदीस का हिस्सा है। हज़रत उमर (ﷺ) ने पहली और दूसरी बार इजाज़त तलब की तो न मिली फिर तलब की तो मिल गई। इस क़िस्से में आप बार बार अस्सलामुअलैकुम कहते रहे हैं।

﴾148﴿ باب فِي السَّلاَمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

बाब : 148
बच्चों को सलाम कहना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

(5202) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बच्चों के पास से गुज़रे जबकि वह खेल रहे थे तो आपने उनको सलाम कहा।

(5202) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10163, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 331, बुख़ारी, हदीस: 6247, व सही मुस्लिम: 2168.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا غُلاَمٌ فِي الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلِّ جِدَارٍ - أَوْ قَالَ إِلَى جِدَارٍ - حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ .

(5203) हज़रत अनस (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि मैं लड़कों में से एक लड़का था। पस आपने हमें अस्सलामुअलैकुम कहा। फिर आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक पैग़ाम देने के लिये भेज दिया। और ख़ूद एक दीवार के साये में ... या कहा ... दीवार के साथ होकर बैठे रहे यहाँ तक कि मैं आपके पास वापस आ गया।

(5203) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3700, व सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बच्चों को भी सलाम कहना चाहिए। इसमें बड़े आदमी के लिये कोई बेइज़्ज़ती वाली बात नहीं, बल्कि बच्चों की तालीम व तर्बीयत और उनके साथ उन्स व प्यार का इज़हार है। (2) हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, जबकि शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत की बाबत कहा है कि इस रिवायत में मज़कूर (व क़अद फ़ी ज़िल्लि जिदारिन ...) के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं, बाक़ी रिवायत सही है।

﴾149﴿ بَابٌ فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ

बाब : 149 औरतों को सलाम कहना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، سَمِعَهُ مِنْ، شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .

(5204) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) हम औरतों की जमाअत पर गुज़रे तो आपने हमें सलाम कहा।

(5204) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3701, अलमुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 8/446, 447, तिर्मिज़ी, हदीस: 2697.

फ़ायदा : अजनबी औरतों को जहाँ फ़ितने और शुब्हे का अन्देशा न हो, सलाम कहना सुन्नत है। बिलख़ुसूस क़ौम के बड़ों और बुज़ुर्गों के लिये ये एक मुस्तहब (बेहतर) अमल है।

﴾150﴿ بَابٌ فِي السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

बाब : 150 ज़िम्मीयों (काफ़िरों) को सलाम

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمُرُّونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا

(5205) जनाब सहल बिन अबू सालेह ने कहा: मैं अपने वालिद के साथ शाम की तरफ़ गया तो लोग ईसाईयों के इबादत ख़ानों पर से गुज़रते, तो उन्हें सलाम कहते थे। मेरे वालिद

نَصَارَى فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي لاَ تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلاَمِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلاَمِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ " .

ने कहा: उन्हें सलाम कहने में इब्तेदा (शुरूआत) न करो, इसलिए कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान बयान किया है: 'इन लोगों (काफ़िरों) को सलाम कहने में इब्तेदा न करो और जब तुम उन्हें रास्ते में मिलो तो उन्हें तंग रास्ते की तरफ़ मजबूर कर दो।'

(5205) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2167.

फ़ायदा : इस अन्दाज़ में दीने इस्लाम और अहले इस्लाम की रिफ़अत और बलन्दी का इज़हार है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ فِيهِ " وَعَلَيْكُمْ " .

(5206) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूदी जब तुम्हें सलाम कहते हैं तो (लफ़्ज़) (अस्सामु अ़लैकुम) बोलते हैं (तुम पर मौत आये) तो तुम उन्हें जवाब में (व अ़लैकुम) कहा करो। (जो तुमने कहा है वह तुम्हीं पर हो।)'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को इमाम मालिक और सौरी ने अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार से इसी तरह बयान किया है। इसमें कहा: (वअ़लैकुम)

(5206) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 6257, व सही मुस्लिम: 2164.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ

(5207) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, सहाब-ए-किराम ने नबी (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि अहले किताब (यहूदी और ईसाई) हमें सलाम कहते हैं तो हम उन्हें किस तरह जवाब दें? आपने फ़रमाया: 'तुम उन्हें (वअ़लैकुम) कहा करो।' (अस्सलाम का लफ़्ज़ न बोला करो)

عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ " قُولُوا وَعَلَيْكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَائِشَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي بَصْرَةَ يَعْنِي الْغِفَارِيَّ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि सय्यदा आयशा(ﷺ), अबू अब्दुर्रहमान जोहनी और अबू बसरा ग़िफ़ारी की रिवायत भी इसी तरह है।

(5207) तख़रीज : बुख़ारी: 6258, हदीस: 6024, व हदीस: 1102, मुसनद अहमद: 6/398, नसाई सुनन कुब्रा: 10220, व सही मुस्लिम: 2163.

फ़ायदा : दीगर कुछ अहादीस़ में कुफ़्फ़ार के सलाम के जवाब में सिर्फ़ 'अलैकुम' आया है यानी 'वाव' के बग़ैर।

﴿151﴾ بَابٌ فِي السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

बाब : 151 मज्लिस से उठते हूए सलाम कहना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِيَانِ ابْنَ الْمُفَضَّلِ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ " .

(5208) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई किसी मज्लिस में पहुँचे तो चाहिए कि सलाम कहे और जब वहाँ से उठना चाहे तो भी सलाम कहे। पहली दफ़ा सलाम कहना दूसरी दफ़ा के मुक़ाबले में कोई ज़्यादा अहम नहीं है।'

(5208) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2706, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 1008.

फ़ायदा : मज्लिस में पहुँचने और वापस जाने पर दोनों बार सलाम कहना वाजिब है। ये नहीं कि पहली बार तो वाजिब हो और वापसी के वक़्त कोई लाज़िम न हो।

﴾152﴿ باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ

बाब : 152
'अ़लैकस्सलाम' कहना मकरूह है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جُرَىٍّ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى " .

(5209) हज़रत अबू जुरय हुजैमी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ, तो मैंने कहा: (अलैकस्सलाम या रसूलल्लाहि) आपने फ़रमाया: ये लफ़्ज़ (अलैकस्सलाम) मत बोलो, ये मुर्दों का सलाम है।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4084 में देखें, बैहक़ी: 8885, इब्ने अबी शैबा: 8/203, 204, 429.

फ़ायदा : सलाम की इब्तेदा करने वाला (अस्सलामुअलैकुम या अस्सलामुअलैक) कहे और जवाब देने वाला (वअलैकुमुस्सलामु या वअलैकस्सलामु) कहे, यानी इसमें हर्फ़े वाव का इज़ाफ़ा हो। सिर्फ़ 'अ़लैकस्सलामु' इब्तेदा करने में या जवाब देने में किसी तरह सही नहीं।

﴾153﴿ باب مَا جَاءَ فِي رَدِّ الْوَاحِدِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

बाब : 153
जमाअ़त में से एक आदमी का जवाब देना भी काफ़ी है

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه - قَالَ أَبُو دَاوُدَ

(5210) अमीरूल मोमिनीन हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है ... इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उनके शैख़ हसन बिन अ़ली ने इस रिवायत को मरफ़ूअ़ ज़िक्र किया ... फ़रमाया कि एक जमाअ़त गुज़र रही हो तो उनमें से किसी एक का सलाम कह देना काफ़ी है। और बैठे हूए (लोगों) में से कोई एक जवाब दे दे तो काफ़ी है।

رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - قَالَ " يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ، أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ " .

(5210) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू यअ़ला: 1/345, हदीस: 441.

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस रिवायत को सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 1148, 1412)

﴾154﴿ باب فِي الْمُصَافَحَةِ

बाब : 154
मुसाफ़ा करने का बयान

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا " .

(5211) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो मुसलमानों की मुलाक़ात होती है और वह मुसाफ़ा करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते और उससे बख़्शिश माँगते हैं, तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उन दोनों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है।'

(5211) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/99.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا "

(5212) हज़रत बराअ (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जो कोई दो मुसलमान मुलाक़ात करते और फिर मुसाफ़ा करते हैं, तो जुदा होने से पहले ही उन दोनों की मग़फ़िरत फ़रमा दी जाती है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 3703, इब्ने अबी शैबा, हदीस: 8/431, तिर्मिज़ी: 2727.

फ़ायदा : ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सही है। देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 525) मुसलमानों का एक दूसरे के साथ ख़ुशदिली से मिलना और मुसाफ़ा करना आपस में मोहब्बत के इज़ाफ़े और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बख़्शिश का ज़रिया है। मुसाफ़ा एक मसनून और मुस्तहब अ़मल है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ " .

(5213) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि जब अहले यमन आये, तो रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ अहले यमन तुम्हारे पास आ गये हैं। और ये पहले लोग हैं जिन्होंने मुसाफ़े का अमल शुरू किया।'

(5213) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/212, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 967.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसके अलावा इस रिवायत का दूसरा जुम्ला हज़रत अनस (ﷺ) की तरफ़ से मिलाया हुआ है।

(155) بَابٌ فِي الْمُعَانَقَةِ

बाब : 155
गले मिलने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، - يَعْنِي خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي ذَرٍّ حَيْثُ سُيِّرَ مِنَ الشَّامِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ إِذًا أُخْبِرَكَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سِرًّا . قُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5214) जनाब अय्यूब बिन बुशैर बिन कअब अदवी, बनू अन्ज़ा के एक आदमी से रिवायत करते हैं कि उसने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (ﷺ) से कहा जबकि उन्हें शाम से रवाना कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक हदीस दरयाफ़्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा: अगर राज़ की बात न हुई तो मैं बता दूंगा। मैंने कहा: कोई राज़ की बात नहीं है। आप लोग जब रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुलाक़ात करते थे तो क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम लोगों से मुसाफ़ा किया करते थे? उन्होंने कहा: मैं जब भी आप(ﷺ) से मिला, आपने मुझसे मुसाफ़ा

يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلاَّ صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ .

फ़रमाया। और एक दिन आपने मुझे बुलवाया, मगर मैं घर में नहीं था। जब मैं वापस आया तो मुझे आपके बुलावे का बताया गया। मैं आपकी ख़िदमत में पहुँचा। आप अपनी चारपाई पर तशरीफ़ फ़रमा थे। तो आपने मुझसे मुआनक़ा फ़रमाया और ये (मेरे लिये) उम्दा, बहुत उम्दा बात थी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/162.

फ़ायदा : इस रिवायत से मुआनक़े का सुबूत नहीं मिलता, क्योंकि ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसी तरह एक रिवायत सुनन तिर्मिज़ी में है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) मदीना आये और आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिले, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे मुआनक़ा फ़रमाया और उन्हें बोसा दिया, ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। (ज़ईफ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 2732) बज़ाहिर कोई सही मरफ़ूअ हदीस इस सिलसिले में साबित नहीं, अलबत्ता हज़रत अनस (ﷺ) का ये असर सही सनद से मनक़ूल है जिसमें उन्होंने सहाबा का ये अमल बयान किया है कि जब वह आपस में मिलते थे तो मुसाफ़ा करते थे और जब वह सफ़र से आते, तो बाहम मुआनक़ा करते (बग़ल गीर होते) (अत्तर्ग़ीब, अलअदब, रक़म: 2719, अल्बानी की तहक़ीक़ अस्सहीहा, रक़म: 2647)

﴾156﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ

बाब : 156 ताज़ीम के लिये खड़े होना

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَهْلَ، قُرَيْظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(5215) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि बनू क़ुरैज़ा ने जब हज़रत सअद (बिन मुआज़)(ﷺ) का फ़ैसला क़बूल कर लेने पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया तो आपने हज़रत सअद(ﷺ) को बुलवाया, वह एक सफ़ेद गधे पर सवार होकर आये, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने सरदार की

فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " . أَوْ " إِلَى خَيْرِكُمْ " . فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

तरफ़ या अपने अफ़ज़ल की तरफ़ बढ़ो।' तो वह (सअ़द) आये यहाँ तक रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठ गये।

(5215) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6262, व सही मुस्लिम: 1768.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ " قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " .

(5216) जनाब शोबा ने ये रिवायत बयान की। कहा कि जब वह मस्जिद के क़रीब आये तो आप(ﷺ) ने अन्सारियों से फ़रमाया: 'अपने सरदार की तरफ़ बढ़ो।'

(5216) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4121.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'क़ूमू' के लफ़्ज़ी मानी हैं 'खड़े हो' लेकिन यहाँ सियाक़ के ऐतबार से इसके मानी हैं 'आगे बढ़ो।' इस बुनियाद पर अपने सरदार और बड़े की ताज़ीम बजा लाना शरई हक़ है। **(2)** आगे बढ़कर इस्तेक़बाल, सलाम, मुसाफ़ा या हस्बे अहवाल मुआनक़ा जायज़ है। **(3)** लेकिन अ़ज्मी अन्दाज़ में ताज़ीम करना कि कोई बड़ा आये और बैठे हूए लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जायें, फिर जब वह इजाज़त दे या बैठ जाये तो दूसरे लोग बैठें, सरासर नाजायज़ है। सय्यदना सअ़द(رضي الله عنه) के लिये जो फ़रमाया गया, तो वह आगे बढ़ कर इस्तेक़बाल करना और उन्हें सवारी से उतरने में मदद देना था, जैसे मुसनद अहमद की रिवायत में है कि (क़ूमू इला सय्यिदिकुम फ़अन्ज़िलूहु) (मुसनद अहमद: 6/142)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ - وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلاَمًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْىَ وَالدَّلَّ - بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5217) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा(رضي الله عنها) ने बयान किया कि मैंने किसी को नहीं पाया कि वह अपनी आ़दात, चाल चलन और बात चीत में सय्यदा फ़ातिमा (رضي الله عنها) से बढ़कर रसूल के मुशाबा हो ... हसन बिन अ़ली की रिवायत में (हदीसन व कलामन) के लफ़्ज़ वारिद हैं। (अस्सम्ता वल हद्या वद्दल्ला) के अल्फ़ाज़ नहीं हैं ... जब वह आपके यहाँ आतीं तो आप उठ कर उनकी तरफ़ बढ़ते, उनका हाथ पकड़ते, बोसा देते और

مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا .

अपनी जगह पर बैठा लेते और (इसी तरह) जब आप उनके यहाँ जाते तो वह उठ कर आपकी तरफ़ बढ़तीं, आपका हाथ पकड़तीं बोसा देतीं और अपनी जगह पर बिठा देतीं।

(5217) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 3872.

﴿157﴾ بَابٌ فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

बाब : 157 बाप का अपने बेटे को बोसा देना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ " .

(5218) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि अक़रअ बिन हाबिस (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा कि आप हज़रत हुसैन(ﷺ) को बोसा दे रहे थे। तो उसने कहा: तहक़ीक़ मेरे दस बच्चे हैं और मैंने किसी के साथ ऐसे नहीं किया। (किसी को कभी बोसा नहीं दिया) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।'

तख़रीज : बुख़ारी: 5997, व सही मुस्लिम: 2318.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अपने बच्चों को बोसा देना फ़ितरी मोहब्बत व शफ़क़त का इज़हार होता है, बाप के लिये जायज़ है कि अपनी बेटी को बोसा दे जैसे कि ऊपर की हदीस़ में गुज़रा है, मगर कुछ लोगों को देखा गया है कि उससे कतराते हैं जो बिलाशुब्हा ग़ैर फ़ितरी है। (2) अल्लाह की मख़लूक़ पर रहम करना अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की रहमत का बाइस़ है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ ثُمَّ قَالَ

(5219) जनाब उर्वा से रिवायत है कि सय्यदा आयशा (ﷺ) ने (वाक़िया–ए–इफ़्क के सिलसिले में बयान करते हूए) कहा फिर नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा ख़ुशख़बरी हो! अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने तेरी बराअत

تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكِ " . وَقَرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَبَوَاىَ قُومِي فَقَبِّلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَتْ أَحْمَدُ اللَّهَ لاَ إِيَّاكُمَا .

नाज़िल फ़रमा दी है।' और उसे क़ुर्आन मजीद की आयात पढ़ कर सुनाईं, तो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा: उठो और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर को बोसा दो। तो मैंने कहा: मैं अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की हम्द करती हूँ, तुम दोनों की नहीं।

(5219) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2661, 475, व सही मुस्लिम: 2770.

फ़ायदा : बच्चों को बोसा देना और मियाँ बीवी का एक दूसरे को बोसा देना जायज़ है।

﴾158﴿ بَابٌ فِي قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ

बाब : 158 पेशानी पर बोसा देना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَجْلَحَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

(5220) जनाब शअ़बी (रह.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से मिले (जबकि वह सफ़र से वापस आये थे) तो आपने उनसे मुआनक़ा किया और उनकी आँखों के दरम्यान बोसा भी दिया।

(5220) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/101, इब्ने अबी शैबा: 8/12, 106, 433.

फ़ायदा : इससे बड़े आदमी को बोसा देने का सुबूत नहीं मिलता, इसलिए कि ये रिवायत ज़ईफ़ है।

﴾159﴿ بَابٌ فِي قُبْلَةِ الْخَدِّ

बाब : 159 रूख़सार (गाल) पर बोसा देना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ، قَالَ رَأَيْتُ

(5221) जनाब इयास बिन दग़फ़ल (रह.) बयान करते हैं कि मैंने जनाब अबू नज़रा (मन्ज़र बिन मालिक) (रह.) को देखा कि

أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ .

उन्होंने सय्यदना हसन बिन अ़ली (ﷺ) के रूख़सार पर बोसा दिया।

(5221) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 7/101, इब्ने अबी शैबा, 8/434.

फ़ायदा : इज़हारे मोहब्बत में, जहाँ कोई शुब्हे वाली बात न हो, दूसरे के बच्चे को रूख़सार पर भी बोसा दिया जा सकता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا .

(5222) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबूबक्र (ﷺ) के साथ आया जबकि ये लोग नये नये मदीना आये थे, और उनकी साहबज़ादी हज़रत आयशा (ﷺ) बुख़ार की वजह से लेटी हुई थी, तो अबूबक्र (ﷺ) उनके क़रीब हुए और पूछा: बिटिया तुम्हारा क्या हाल है? और उनके रूख़सार पर बोसा भी दिया।

(5222) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3918.

फ़ायदा : बाप अपनी बेटी को रूख़सार पर बोसा दे, तो कोई मायूब बात नहीं है।

﴿160﴾ باب في قُبلة اليد

बाब : 160
हाथ पर बोसा देना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ، قِصَّةً قَالَ فَدَنَوْنَا - يَعْنِي - مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبَّلْنَا يَدَهُ .

(5223) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू लैला ने बयान किया कि हज़रत अ़ब्दुल्लह बिन उ़मर(ﷺ) ने क़िस्सा बयान किया कि हम नबी(ﷺ) के क़रीब हुए और हमने आपके हाथ को बोसा दिया।

(5223) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2647 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 4704.

फ़ायदा : ये रिवायत तो ज़ईफ़ है और तफ़्सीली क़िस्सा पीछे हदीस: 2647 में गुज़र चुका है लेकिन मसला यही है कि इकराम व ताज़ीम में दूसरे के हाथ या जिस्म को बोसा देना जायज़ है जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है।

बाब : 161
जिस्म पर बोसा देना

﴾161﴿
باب فِي قُبْلَةِ الْجَسَدِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، - رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ - قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِي . فَقَالَ " اصْطَبِرْ " . قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَىَّ قَمِيصٌ . فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .

(5224) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू लैला हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (ﷺ) से रिवायत करते हैं और ये अन्सार में से थे। ये एक दफ़ा अपनी क़ौम से बातें कर रहे थे। मज़ाहिया आदमी थे। और उन्हें हँसा रहे थे कि नबी (ﷺ) ने उनकी कोख में एक लकड़ी चुभो दी। तो उन्होंने (उसैद बिन हुज़ैर ने) कहा: मुझे बदला दीजिये। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ले लो' उन्होंने कहा: आप पर तो क़मीस़ है और मुझ पर क़मीस़ नहीं थी। तो नबी(ﷺ) ने अपनी क़मीस़ ऊपर कर दी। तो उसैद ने आप (ﷺ) को अपने बाज़ूओं में ले लिया और आपके पहलू पर बोसे देने लगे और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी यही नियत थी।

(5224) तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी: 1/205, 206, हदीस़: 556, हाकिम: 3/288.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके स़हाब–ए–किराम (ﷺ) बड़ी फ़रहत अफ़ज़ा ज़िन्दगी गुज़ारते थे। दीनी उमूर की इन्तेहाई पाबन्दी के बावजूद उनमें कहीं तुन्दी, करख़्तगी या ख़ुश्की वाली कैफ़ियत न थीं। **(2)** बावजूद ये कि हँसी मज़ाक जायज़ है, मगर शरीयत ने इजाज़त नहीं दी कि इस कैफ़ियत में भी किसी पर ज़्यादती हो। **(3)** ज़ुल्म व ज़्यादती, ख़्वाह मज़ाक में हो शरअ़न इसमें क़िसास़ है। **(4)** स़हाब–ए–किराम (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) से और आपको अपने स़हाबा से बेहद प्यार और मोहब्बत थी। **(5)** अपनी महबूब व मोहतरम शख़्सियत के हाथ या जिस्म को बोसा देना जायज़ है और रसूलुल्लाह (ﷺ) का तो कोई स़ानी नहीं था।

बाब : 162
... पाँव को बोसा देना

﴿162﴾ باب قُبْلَةِ الرِّجْلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْنَقُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ، عَنْ جَدِّهَا، زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَهُ - قَالَ - وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الأَشَجُّ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ " إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللَّهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا قَالَ " بَلِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا " . قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

(5225) उम्मे अबान बिन्ते वाज़ेअ बिन ज़ारेअ अपने दादा ज़ारेअ से रिवायत करती हैं और ये वफ़दे अब्दुल क़ैस में शरीक थे। उन्होंने कहा: जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हम जल्दी जल्दी अपनी सवारियों से उतर कर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे और आपके हाथ और पाँव को बोसे देने लगे। लेकिन मुन्ज़िर अल अशज्ज ने इन्तेज़ार किया यहाँ तक कि वह अपने सामान के पास गये और अपने दो कपड़े पहने फिर नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम में दो ख़स्लतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तआला पसन्द फ़रमाता है। हिल्म (बलन्द हौसला होना और जल्दबाज़ी न करना) और बावक़ार होना।' उसने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं इन बातों का तकल्लुफ़ से इज़हार करता हूँ, या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझे इन पर पैदा किया है। आपने फ़रमाया: 'बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इन पर पैदा फ़रमाया है।' तो उसने कहा: हम्द उस अल्लाह की जिसने मुझे ऐसी आदतों पर पैदा फ़रमाया है जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल पसन्द फ़रमाते हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 975

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है। और शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें पाँव का ज़िक्र सही नहीं। गोया हाथों को बोसा देना जायज़ है। (2) हौसलामंद बावक़ार रहना इन्सान के शर्फ़ को दोबाला कर देता है, जबकि जल्दबाज़ी बावक़ार इन्सान को ज़ेब नहीं देती। (3) अच्छी आदतें फ़ितरी हों तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हम्द करनी चाहिए और उन पर पाबंद रहना चाहिए। अगर फ़ितरी न हों तो इन्सान को अपनी आदतें अच्छी बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

बाब : 163
एक शख़्स दूसरे से कहे 'मैं तुझ पर वारी' 'तुझ पर क़ुर्बान जाऊं'

﴿163﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَمَّادٍ، - يَعْنِيَانِ ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ " . فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا فِدَاؤُكَ .

(5226) सय्यदना अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं, नबी (ﷺ) ने कहा: 'ऐ अबू ज़र!' मैंने कहा: मैं हाज़िर हूँ और बड़ा बा'सआदत हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आप पर फ़िदा और क़ुर्बान।

(5226) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8890, मज्मउज़्ज़वाइद: 1/119, 120, बुख़ारी, हदीस: 6268, व सही मुस्लिम: 94.

फ़ायदा : ये कलिमा 'मैं तुझ पर वारी, क़ुर्बान या फ़िदा' मामूली कलिमा नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद इसे वहीं इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ दुनिया और आख़िरत की सआदत हो। जैसे नेक माँ बाप, या इल्म बा'अमल रब्बानी उलमा जो दीन के सही मानी में अमल करने वाले और दाई हों।

बाब : 164
कोई शख़्स दूसरे से कहे 'अल्लाह आपकी आँखें ठण्डी रखे'

﴿164﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمْ صَبَاحًا

(5227) जनाब क़तादा (रह.) या किसी दूसरे से रिवायत है कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) ने कहा: हम जाहिलीयत में (एक दूसरे को) यूँ कहा करते थे (अन्अमल्लाहु बिका ऐनन) 'अल्लाह तुम्हारी आँखें ठण्डी रखे। या तुम्हारी वजह से तुम्हारे महबूब की

فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنَكَ .

आँखें ठण्डी रहें।' और (अन्इम सबाहा) 'सुबह बख़ैर' (अच्छी सुबह मुबारक) फिर जब इस्लाम आ गया तो हमें उससे रोक दिया गया। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया मामर ने कहा: अन्अमल्लाहु बिका ऐनन) कहना मकरूह है। लेकिन अगर (अन्अमल्लाहु ऐनक) कहे तो कोई हर्ज नहीं।

(5227) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तोहफ़तूल अशराफ़, 1/186

फ़ायदा : जाहिलीयत के से अन्दाज़ में सलाम करना या एक दूसरे को दुआएँ देना नापसन्दीदा अमल है। जब कि हमें इससे बेहतर और बाइसे अज्र अमल की तालीम दी गई है। यानी 'अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु' इमाम मामर (रह.) के क़ौल का मफ़हूम ये है कि अगर अहले जाहिलीयत के अल्फ़ाज़ बदल दिये जायें तो कोई हर्ज नहीं। बिलख़ुसूस पहले शरई सलाम कहा जाये फिर दूसरी दुआएँ हों। वल्लाहु आलम!

﴿165﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ حَفِظَكَ اللَّهُ

बाब : 165
कोई दूसरे को यूँ दुआ दे 'अल्लाह तुम्हारी हिफ़ाज़त करे'

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَعَطِشُوا فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ " حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ " .

(5228) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) अपने एक सफ़र में थे कि सहाबा को प्यास ने सताया तो जल्दबाज़ लोग आगे बढ़ गये और मैं उस रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ साथ रहा, तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तेरी हिफ़ाज़त करे जैसे तूने उसके नबी की हिफ़ाज़त की।'

(5228) तख़रीज : सही मुस्लिम: 681.

फ़ायदा : ये मुफ़स्सल (लम्बी–चौड़ी) हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। (सही मुस्लिम: 681) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) को नबी (ﷺ) की ज़ाते मुक़द्दस की हिफ़ाज़त पर आपकी तरफ़ से ये दुआ मिली है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि नबी (ﷺ) की लाई हूई शरीयत और आपकी अहादीस की

हिफ़ाज़त पर भी ये फ़ज़ीलत मिल सकती है जैसे कि दूसरी हदीस में सराहत से आया है: 'अल्लाह ख़ूश व ख़ुर्रम रखे उस बंदे को जिसने मेरी बात सुनी, उसे याद रखा और उसे उसी तरह आगे पहुँचा दिया जिस तरह कि उसे सुना।' (तिर्मिज़ी, हदीस: 2658)

बाब : 166
एक शख़्स का दूसरे शख़्स की ताज़ीम के लिये खड़े होना

﴾166﴿
باب فِي قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لاِبْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

(5229) जनाब अबू मिजलज़ बयान करते हैं कि अमीरूल मोमिनीन हज़रत मुआविया (﵁), हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और अब्दुल्लाह बिन आमिर(﵁) के यहाँ आये तो इब्ने आमिर(﵁) (उनके एहतराम में) खड़े हो गये। लेकिन इब्ने ज़ुबैर(﵁) बैठे रहे। तो हज़रत मुआविया (﵁) ने इब्ने आमिर से कहा: बैठ जायें। इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स ये पसन्द करता हो कि लोग उसके लिए खड़े रहें तो उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।'

तख़रीज:(सनद हसन)तिर्मिज़ी:2755,तबरानी: 19/362

फ़वाइद व मसाइल : (1) मजूसी और दीगर अहले जाहिलीयत अपने बड़े का एहतिराम इसी तरह करते थे बल्कि अब तक उनकी यही आदत है कि किसी बड़े को एहतिराम देने के लिये ये लोग खड़े हो जाते हैं और जब तक वह ख़ूद न बैठ जाये या बैठने का कहे नहीं, नहीं बैठते हैं। दीने इस्लाम में इस अन्दाज़ से एहतिराम का मुतालबा करना हराम है। (2) यहाँ अगर कोई मोहब्बत से ख़ूद खड़ा हो जाये बिलख़ुसूस जब आगे बढ़ कर मुसाफ़ा और मुआनक़ा करना हो तो कोई हर्ज नहीं। जैसे गुज़िश्ता बाब: फ़िल क़याम, हदीस: 5215 में गुज़रा है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(5230) हज़रत अबू उमामा बाहिली (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ

بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ " لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا " .

तशरीफ़ लाये। आप अपने असा के सहारे से चल रहे थे। हम आपकी तरफ़ खड़े हूए तो आपने फ़रमाया: 'अज़मीयों (गैर मुसलमानों) की तरह मत उठा करो, जिसमें कि वह एक दूसरे को ताज़ीम देते हैं।'

(5230) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3836, इब्ने अबी शैबा: 8/397, 398.

﴾167﴿ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فُلاَنٌ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ

बाब : 167
जब कोई किसी दूसरे का सलाम पहुँचाये तो ...

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ غَالِبٍ، قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ائْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلاَمَ . قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ . فَقَالَ " عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلاَمُ

(5231) जनाब ग़ालिब (बिन ख़ताफ़ बसरी) ने बयान किया कि हम जनाब हसन बसरी के दरवाज़े पर बैठे हूए थे कि एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने मेरे दादा से रिवायत किया, उसने कहा: मेरे वालिद ने मुझ को रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा और कहा कि आपके पास जाओ और आपको मेरा सलाम कहना। चुनांचे मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया कि मेरे वालिद ने आपको सलाम कहा है। तो आपने फ़रमाया: '(अलैक व अला अबीकस्सलाम)' तुम पर और तुम्हारे वालिद पर सलामती हो।'

(5231) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2934 में देखें, इब्ने अबी शैबा: 8/424, 425.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

(5232) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया, नबी (ﷺ) ने

الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضى الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا " إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ " . فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

उनसे फ़रमाया: 'तहक़ीक़ जिब्राईल अ़लैहि. तुझे सलाम कह रहे हैं।' तो उन्होंने कहा: (वअ़लैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह)

(5232) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6253, व सही मुस्लिम: 2447.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी ग़ायब को सलाम भेजना मुस्तहब है। **(2)** और उसका जवाब भी देना चाहिए। पहले सलाम लाने वाले और फिर भेजने वाले को दुआ दे। यानी यूँ कहे: (अ़लैक व अ़लैहिस्सलामु व रहमतुल्लाहि) या सिर्फ़ (वअ़लैहिस्सलामु व रहमतुल्लाहि) पर भी किफ़ायत करे, तो जायज़ है। (सही बुख़ारी, हदीस़: 6253)

﴾168﴿ باب فِي الرَّجُلِ يُنَادِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ

बाब : 168 किसी की पुकार पर 'लब्बैक' कह कर जवाब देना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيَّ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لأْمَتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَ

(5233) हज़रत अबू अ़ब्दुर्रहमान फ़िहरी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं ग़ज़्व–ए–हुनैन में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। हम इन्तेहाई गर्मी के दिन में चलते रहे, फिर एक दरख़्त के साये तले उतरे। जब सूरज ढल गया तो मैंने अपनी ज़िरह पहनी, घोड़े पर सवार हूआ और रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आ गया। आप अपने ख़ैमे में थे। मैंने अ़र्ज़ किया (अस्सलामुअ़लैक या रसूलल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहु) कूच का वक़्त हो गया है। आपने फ़रमाया: 'हाँ!' फिर फ़रमाया: 'बिलाल! उठो' तो वह एक कीकर के दरख़्त के नीचे से उछल कर उठे और उनका साया उसे पड़ रहा था जैसे किसी

الرَّوَاحُ فَقَالَ " أَجَلْ " . ثُمَّ قَالَ " يَا بِلاَلُ قُمْ " . فَثَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَائِرٍ فَقَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ . فَقَالَ " أَسْرِجْ لِي الْفَرَسَ " . فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَّتَاهُ مِنْ لِيفٍ لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ وَلاَ بَطَرٌ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيُّ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُوَ حَدِيثٌ نَبِيلٌ جَاءَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

परिन्दे का हो। (वह बहुत ही नहीफ़ जिस्म के थे) उन्होंने कहा: मैं हाज़िर हूँ और हाज़िर हूँ और आप पर फ़िदा हूँ। आपने फ़रमाया: 'मेरा घोड़ा तैयार करो।' (उस पर ज़ीन रखो) चुनांचे उसने ऐसी ज़ीन निकाली जिसकी गद्दियाँ खजूर की छाल से भरी गई थीं। उनमें किसी क़िस्म का तकब्बुर और बड़ाई न थी (इन्तेहाई सादा थीं) चुनांचे आप सवार हो गये और हम भी। और पूरी हदीस़ बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू अ़ब्दुर्रहमान फ़िहरी से यही एक हदीस़ मरवी है और ये उ़म्दा हदीस़ है जिसे हम्माद बिन सलमा ने रिवायत किया है।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 5/286.

फ़ायदा : 'लब्बैक' अगरचे एक तअ़ब्बुदी कलिमा है। मगर जायज़ है कि इंसान किसी स़ाहिबे फ़ज़ल के बुलाने पर उसे इस लफ़्ज़ से जवाब दे। कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है।

﴾169﴿ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ

बाब : 169
किसी को इन अल्फ़ाज़ में दुआ देना 'अल्लाह तुम्हें हँसता मुस्कुराता रखे'

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ، وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، وَأَنَا لِحَدِيثِ، عِيسَى أَضْبَطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ، - يَعْنِي السُّلَمِيَّ - حَدَّثَنَا ابْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ ضَحِكَ

(5234) जनाब (अ़ब्दुल्लाह) इब्ने किनाना बिन अ़ब्बास बिन मिरदास अपने वालिद से वह दादा से रिवायत करते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह(ﷺ) हँस दिये तो हज़रत अबूबक्र(ؓ) या उ़मर (ؓ) ने कहा: अल्लाह आपको (हमेशा) हँसता मुस्कुराता रखे। और हदीस़ बयान की।

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(5234) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3013. इब्ने जोज़ी अलमोज़ूआत: 2/214.

«170» بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

बाब : 170
मकान बनाने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِي أَنَا وَأُمِّي فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَىْءٌ أُصْلِحُهُ فَقَالَ " الأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَاكَ " .

(5235) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) का बयान है कि मैं और मेरी वालिदा अपने अहाते की दीवार लेप रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास से गुज़रे। आपने पूछा: 'अ़ब्दुल्लाह! क्या हो रहा है?' मैंने अ़र्ज़ किया: अल्लाह के रसूल! इसकी कुछ मरम्मत कर रहा हूँ। आपने फ़रमाया: 'मामला तो उससे बहुत जल्द है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 456, इब्ने माजा, हदीस: 2555, 2556.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادٌ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ مَرَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا وَهَى فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَقُلْنَا خُصٌّ لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ " .

(5236) हज़रत आ़मश ने अपनी सनद से ऊपर दी गई रिवायत बयान की, कहा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास से गुज़रे और हम अपनी झुग्गी (या कोठरी) जो बोसीदा (जर–जर) हो गई थी, उसकी मरम्मत कर रहे थे। आपने पूछा: 'क्या हो रहा है?' हमने अ़र्ज़ किया कि हमारी ये झुग्गी बोसीदा (जरजर) हो गई है, तो उसकी मरम्मत कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तो मामले को इससे भी जल्द समझता हूँ।'

(5236) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2335, इब्ने माजा, हदीस: 4160, पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) जायज़ है कि इंसान अपनी रिहाइशी ज़रूरत के लिये कोई चीज़ तामीर करे और उसकी इस्लाह करे। (2) दुनिया के उमूर में अपनी उम्मीदों और प्रोग्रामों को बहुत ज़्यादा मुख़्तसर रखना चाहिए।

(5237) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बाहर निकले तो एक ऊँचा कुब्बा (नुमा मकान) देखा। आपने पूछा: 'ये क्या है?' सहाबा ने अर्ज़ किया कि ये फुलां अन्सारी का है। कहते हैं कि आप ख़ामोश हो रहे और बात अपने दिल में रखी। जब उसका मालिक दूसरे लोगों के साथ आपके पास सलाम करने के लिये आया, तो आपने उस पर तवज्जोह न दी। और बार बार ऐसे हूआ यहाँ तक कि वह समझ गया कि आप नाराज़ हैं और तवज्जोह नहीं फ़रमाते हैं। तो उसने इस कैफ़ियत की अपने साथियों से शिकायत की और कहा क़सम अल्लाह की मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को बदला बदला सा पाता हूँ। उसके साथियों ने बताया कि आप बाहर गये थे और तुम्हारा कुब्बा देखा था। चुनांचे वह आदमी अपने उस कुब्बा नुमा मकान पर गया और उसे गिरा दिया, यहाँ तक उसे ज़मीन के बराबर कर दिया। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन बाहर गये और मकान नज़र न आया तो पूछा: 'कुब्बे का क्या हूआ? सहाबा ने बताया कि उसके मालिक ने आपकी बे तवज्जोही की हमसे शिकायत की थी तो हमने उसे वजह बताई तो उसने उसे गिरा दिया है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर तामीर अपने मालिक के लिए वबाल का बाइस है मगर वह जो ... मगर वह जिसके बग़ैर चारा न हो।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ " مَا هَذِهِ " . قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلاَنٍ - رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ - . قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالإِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأُنْكِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ . قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ " مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ " . قَالُوا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ " أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ إِلاَّ مَا لاَ " . يَعْنِي مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/220.

फ़ायदा : रसुलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम अपने ज़ाती मकान में रिहाइश रखते थे और वह उनकी लाज़मी ज़रूरत की हद तक ही महदूद होते थे। लम्बे चौड़े और ऊँचे ऊँचे महल खड़े करना जिनका कोई

हक़ीक़ी ज़रूरत न हो दीनी मिज़ाज के ख़िलाफ़ है। बल्कि ऊँची ऊँची तामीरात क़यामत की निशानियों में से है।

﴾171﴿ بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْغُرَفِ

बाब : 171 बाला ख़ाना बनाना

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ فَقَالَ " يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ " . فَارْتَقَى بِنَا إِلَى عِلِّيَّةٍ فَأَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ فَفَتَحَ .

(5238) हज़रत दुकैन बिन सईद मुज़नी (ﷺ) बयान करते हैं कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और हमने आपसे ग़ल्ले का मुतालबा किया। तो आपने फ़रमाया: 'उमर! जाओ और इनको दो।' चुनांचे वह हमें लेकर एक बाला ख़ाने पर चढ़े और अपने हुजरे से चाबी लेकर उसको खोला

(5237) तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 4/174, हुमैदी, हदीस: 895.

फ़ायदा : वाक़ेई में ज़रूरत हो तो मकान के ऊपर मकान बनाना जायज़ है।

﴾172﴿ بَابٌ فِي قَطْعِ السِّدْرِ

बाब : 172 बेरी का दरख़्त काट देना (कैसा है?)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، قَالَ قَالَ

(5239) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने बेरी का दरख़्त काटा, अल्लाह उसके सर को जहन्नम में उल्टा लटकायेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) से इस हदीस की तौज़ीह

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ " . سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلاَةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ .

पूछी गई, तो उन्होंने फ़रमाया: ये हदीस़ मुख़्तस़र है। इससे मुराद ये है कि जंगल में लगी बेरी का दरख़्त जो आने जाने वाले मुसाफ़िरों और जानवरों के लिये साये का काम देता हो और कोई शख़्स बे मक़सद ज़ुल्म से उसे काट डाले, तो अल्लाह उसे जहन्नम में उलटा लटकायेगा।

(5239) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 8611, बैहक़ी: 6/141.

फ़ायदा : इस हदीस़ का एक मतलब तो यही है जो इमाम अबू दाऊद (रह.) ने ज़िक्र फ़रमाई है। और इस मानी में सिर्फ़ बेरी ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम दरख़्त शामिल हो सकते हैं जो जंगल में राही मुसाफ़िरों और चरिन्दों परिन्दों के लिये साये और आराम का बाइस़ हों। उन्हें बिलावजह काट डालना बहुत बड़ा ज़ुल्म है। इसकी दूसरी तौजीह (मतलब) ये है कि इससे मुराद मक्का और मदीना के हुदूदे हरम में वाक़ेअ बेरी के दरख़्त और ऐसे ही दूसरे दरख़्तों को काटने की मनाही है। जैसे नीचे दी गई रिवायत में है।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ شَبِيبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

(5240) जनाब उ़स्मान बिन अबू सुलेमान ने स़क़ीफ़ के एक आदमी से, उसने हज़रत उ़र्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने नबी (ﷺ) से मरफ़ूअ रिवायत किया और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान की।

(5240) तख़रीज : (सनद हसन) बग़वी, शरहुस्सुन्न: 2176, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 19756.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا

(5241) हस्सान बिन इब्राहीम कहते हैं: मैंने हिशाम बिन उ़र्वा से ये मसला पूछा कि बेरी का काटना कैसा है जबकि वह अपने वालिद उ़र्वा के महल के साथ टेक लगाये बैठे थे? तो उन्होंने कहा: क्या तुम ये दरवाज़े और चौखटें देख रहे हो, ये उ़र्वा की बेरियों से बनाये गये हैं और उ़र्वा उन्हें अपनी ज़मीन से काट लिया

هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ . زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِيَ يَا عِرَاقِيُّ جِئْتَنِي بِبِدْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قِبَلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ . ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ .

करते थे और कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। हुमैद बिन मुसअदा ने मज़ीद कहा कि हिशाम ने कहा: अरे इराक़ी! (हस्सान बिन इब्राहीम) तो तू मेरे पास एक बिदअत वाली बात लाया है। उसने कहा: मैंने जवाब दिया कि बिदअत तो तुम्हारी तरफ़ से है। मैंने मक्का में उलमा से सुना है जो ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे आदमी पर लानत की है जो बेरी को काटे। फिर ऊपर दी गई के हम मानी बयान किया।

(5241) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/141.

«173» باب فِي إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

बाब : 173
रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ हटाने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " فِي الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ " . قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ " .

(5242) हज़रत अबू बुरैदा (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'इंसान के अंदर तीन सौ साठ जोड़ हैं। तो उस पर वाजिब हे कि अपने हर हर जोड़ के बदले सदक़ा दिया करे।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! कौन इसकी हिम्मत रखता है? आपने फ़रमाया: 'मस्जिद में पड़ी रेन्ट (हल्क़ की आलाइश) को दफ़न कर देना, रास्ते में पड़ी (तकलीफ़देह) चीज़ हटा देना और अगर ये न हो सके तो चाश्त की दो रकअतें ही तुम्हें इस (तमाम सदक़े) से काफ़ी हो जायेंगी।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/354, इब्ने ख़ुज़ैमह 1226, इब्ने हिब्बान: 633, 811

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस्जिद में थूकना या किसी तरह की आलाइश डालना गुनाह है जबकि उसकी सफ़ाई का ख़्याल रखना और ख़राबी का इज़ाला कर देना सवाब का काम है। ख़्वाह कच्चे फ़र्श में दबा देने की सूरत में हो या वैसे खुरच कर साफ़ करने की सूरत में। इसी तरह रास्ते से ईंट, रोड़ा, पत्थर, काँटे या कोई और रूकावट जैसे गढ़ा वग़ैरह दूर करना इन्तेहाई सवाब का काम है। और जो ये और इन जैसी दूसरी तकलीफ़देह चीज़ें रास्ते में डालें उन पर बहुत भारी गुनाह है। **(2)** इश्राक़ के नफ़्लों की फ़ज़ीलत इस क़द्र है कि बंदे पर वाजिब शुक्र का हक़ अदा हो जाता है, मगर ये न समझा जाये कि इनकी वजह से इंसान माली सदक़ात से बरी हो जाता है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْثَمُ " . قَالَ " وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ الأَمْرَ وَالنَّهْىَ .

(5243) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुबह होती है और आदमज़ाद के जोड़ जोड़ पर सदक़ा वाजिब हो चुका होता है। उसका अपने मिलने वाले को सलाम कहना सदक़ा है, किसी को नेकी की बात बताना सदक़ा है, बुराई से मना करना सदक़ा है, रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ दूर कर देना सदक़ा है, बीवी से सोहबत करना सदक़ा है।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह अपनी शहवत पूरी करे और वह उसके लिये सदक़ा बने ये क्योंकर है? आपने फ़रमाया: 'बताओ अगर वह हराम में ये काम करे तो क्या गुनाहगार नहीं होगा?' (इसके बिलमुक़ाबिल हलाल से अपनी ख़्वाहिश पूरी करना सवाब और सदक़ा हूआ।) आपने फ़रमाया: 'इन सब कामों से उसके लिये चाश्त की दो रकअतें किफ़ायत कर जाती हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हम्माद (बिन ज़ैद) ने अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 1275 में देखें।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي وَسْطِهِ .

(5244) हज़रत अबू अस्वद दीली ने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से ये रिवायत नक़ल की। और कहा कि नबी (ﷺ) ने ये हदीस़ अपनी गुफ़्तगू के दौरान बयान फ़रमाई।

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 1286 में देखें।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

(5245) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक आदमी जिसने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया था, उसने रास्ते से काँटों की एक टहनी दूर कर दी। ये (टहनी) या तो दरख़्त पर थी कि उसने काट फैंकी या रास्ते में पड़ी थी ओर उसने एक तरफ़ हटा दी तो अल्लाह तआला ने उसका ये अ़मल क़बूल कर लिया और इसकी वजह से उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमा दिया।'

तख़रीज : बुख़ारी: 2472, व स़ही मुस्लिम: 2617.

फायदा : इंसान को किसी मौक़े पर किसी नेकी को हक़ीर और मामूली नहीं जानना चाहिए, न मालूम कौन सा अ़मल किस वक़्त रब्बुल आलमीन को पसन्द आ जाये और उसकी बख़्शिश का सबब बन जाये। अलग़र्ज़ रास्ते की रूकावट, ख़्वाह किसी तरह की हो, दूर करना ईमान का हिस्सा और बख़्शिश का सामान है और उसके बरख़िलाफ़ रास्ते में रूकावट डालना नाजायज़ और हराम है।

बाब : 174
रात को आग बुझा कर सोना चाहिए

﴿174﴾
بَابٌ فِي إِطْفَاءِ النَّارِ بِاللَّيْلِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رِوَايَةً وَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ".

(5246) जनाब सालिम (रह.) अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (ﷺ) से रिवायत करते हैं और एक बार नबी (ﷺ) से मरफ़ूअ भी ज़िक्र किया कि: 'सोते वक़्त अपने घरों में आग न रहने दिया करो।'

(5246) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6293, मुसनद अहमद: 2/8, व सही मुस्लिम: 2015.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ " إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِقَكُمْ " .

(5247) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक बार एक चूहिया चराग़ की बत्ती घिसटती हूई ले आई और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने उस चटाई पर डाल दी जिस पर आप तशरीफ़ फ़रमा थे और एक दिरहम के बराबर जगह जल गई। तो आपने फ़रमाया: 'जब तुम सोने लगो तो अपने चराग़ बुझा दिया करो। बिलाशुब्हा शैतान इस जैसी मख़्लूक़ को इस क़िस्म का काम सुझा देता है और तुम्हारे घरों में आग लगा देता है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद: 1222, मुसनद अब्द बिन हुमैद (मुन्तख़ब): 591, इब्ने हिब्बान: 1997, हाकिम: 4/284, 285, बुख़ारी, 6294, 6295, व सही मुस्लिम: 2016.

फ़ायदा : (1) हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ इस रिवायत की तहक़ीक़ करते हूए लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, अलबत्ता सही बुख़ारी (हदीस: 6294, 6295) और सही मुस्लिम: 2016 की रिवायात इससे किफ़ायत करती हैं। लिहाज़ा मालूम हूआ कि ये रिवायत हमारे मुहक़्क़िक़ के नज़दीक

मानन सही है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सही क़रार दिया है। देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 1426) **(2)** रात को सोते वक़्त बिलख़ुसूस आग, कोयले वाली अंगेठी, गैस या बिजली के चूल्हे और हिटर और पुराने बत्ती वाले चराग़ बुझा कर सोना चाहिए वरना नुक़सान हो सकता है। जैसे कि अख़बारात में इस क़िस्म की ख़बरें बकसरत सुनने पढ़ने में आती रहती हैं। ऐसे ही एहतियात का तक़ाज़ा है कि बिजली के बल्ब भी गुल किये हों तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बिजली भी आग की एक क़िस्म है। नीज़ अंधेरे में सोना तिब्बी ऐतबार से भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। **(3)** इस क़िस्म के हादसात में दरहक़ीक़त शैतानी हरकत का अमल दख़ल हुआ करता है। इसलिए इसके नुक़सान से हमेशा अल्लाह की पनाह माँगते रहना चाहिए।

बाब : 175
साँपों को मारने का बयान

﴿175﴾
باب في قَتْلِ الْحَيَّاتِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .

(5248) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब से हमारी इन (साँपों) से लड़ाई शूरू हूई है हमने उनसे सुलह नहीं की और जिसने डर के मारे उनमें से किसी को छोड़ दिया हममें से नहीं।'

(5248) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/432.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي " .

(5249) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सब क़िस्म के साँपों को मार डाला करो। जो उनके बदले से डरे, वह मुझसे नहीं।'

(5249) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 3195, हदीस: 5252.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أُرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ

(5250) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने साँपों को उनके बदले के डर से छोड़ दिया, वह हमसे नहीं। जबसे हमारी उनसे लड़ाई शुरू हुई है हमने उनसे सुलह नहीं की।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/230.

फवाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई दोनों रिवायतें सनदन ज़ईफ़ हैं, ताहम मानी के हिसाब से सही हैं जैसा कि तहक़ीक़ व तख़रीज में वज़ाहत मौजूद है। **(2)** साहिबे ईमान को जुर्अतमंद और बहादूर होना चाहिए और अपने दुशमन से ख़्वाह इंसान हो या हैवान किसी तरह ख़ौफ़ज़दा नहीं रहना चाहिए। बल्कि अल्लाह तआला पर तवक्कल (भरोसा) करना चाहिए। **(3)** इस तरह उनके बदले से भी नहीं डरना चाहिए। **(4)** इंसान और साँप की दुशमनी फ़ितरी और जिबिल्ली है। **(5)** साँप से डरने वाला आला दर्जे के ईमान से कमतर रहता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ - يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ .

(5251) सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि हम ज़मज़म के कूएँ को साफ़ करना चाहते हैं लेकिन इसमें छोटे छोटे साँप हैं। तो नबी (ﷺ) ने उनको मार डालने का हुक्म दिया।

(5251) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फायदा : साँप और मूज़ी (तक्लीफ़देह) जानवरों को हरम में भी क़त्ल करने का हुक्म है, ख़्वाह इंसान हालते एहराम में भी हो। कुछ हज़रात ने इस रिवायत को सही क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(5252) जनाब सालिम अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (ﷺ) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सब क़िस्म के साँपों को मार डाला

الله عليه وسلم قَالَ " اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ " . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .

करो। वह भी जिसकी पुश्त पर स्याह (या सफ़ेद) रंग की दो लकीरें होती हैं और जिसकी दुम नहीं होती। बिलाशुब्हा ये नज़र ज़ायल कर देते हैं (जिसके साथ उनकी नज़र मिल जाये) और हमल गिराने का बाइस भी बनते हैं।' चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) जिस साँप को भी पाते, उसे क़त्ल कर डालते थे। चुनांचे हज़रत अबू लुबाबा या ज़ैद बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने उनको देखा कि वह साँप को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बयान किया कि ये जो घरों में रहने वाले साँप हैं उनको क़त्ल करने से मना किया गया है।

तख़रीज : बुख़ारी 3297, व सही मुस्लिम: 2233.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ .

(5253) हज़रत अबू लुबाबा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन साँपों को जो घरों में रहते हैं मारने से मना फ़रमाया है। सिवाए उनके जिनकी पुश्त पर (काली या सफ़ेद) दो धारियाँ होती हैं और जिसकी दुम नहीं होती। बिलाशुब्हा ये नज़र ख़त्म कर देने और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं।

(5253) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3298, 3312, 3313, मौता: 2/975, व सही मुस्लिम: 2233.

फ़ायदा : बिलख़ुसूस मदीना मुनव्वरा के मुताल्लिक़ ये वारिद है कि वहाँ घरों में जिन्न रहते थे जो साँपों की शक्ल में मौक़ा बमौक़ा नमूदार होते रहते थे, लेकिन घर वालों को कोई अज़ियत न देते थे, इसलिए बाक़ी मक़ामात पर भी अगर कहीं ऐसी सूरत हो कि साँप मौक़ा बमौक़ा नज़र आकर ग़ायब हो जाता हो तो वह ग़ालिबन जिन्न हो सकता है, इसलिए उसको मारने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि तीन बार उसे अपनी ज़बान में तम्बीह करनी चाहिए कि वह यहाँ से चला जाये। अगर उसके बाद दिखाई दे तो मार दिया जाये। जैसे कि अगली अहादीस में आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ - يَعْنِي بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ - حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ يَعْنِي إِلَى الْبَقِيعِ .

(5254) जनाब नाफ़े रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू लुबाबा (ﷺ) की ऊपर दी गई हदीस़ मालूम होने के बाद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) को देखा गया कि उन्होंने अपने घर में साँप देखा (तो उसे क़त्ल नहीं किया बल्कि) उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया और बक़ीअ़ की तरफ़ भगा दिया गया।

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें।

फ़ायदा : स़हाब–ए–किराम (ﷺ) की सबसे बड़ी फ़ज़ीलत यही थी कि वह फ़रमाने रसूल (ﷺ) मालूम हो जाने के बाद उससे किसी तरह ख़िलाफ़वर्ज़ी न करते थे। (ﷺ) और तमाम मोमिनों को ऐसे ही होना चाहिए।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ .

(5255) जनाब उसामा, हज़रत नाफ़े से ऊपर दी गई हदीस़ के सिलसिले में रिवायत करते हैं ... नाफ़े ने कहा ये रिवायत सुनने के बाद मैंने घर में साँप देखा ... (मारने की बजाये बक़ीअ़ की जानिब भगा दिया)

(5255) तख़रीज : स़ही मुस्लिम

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ يَعُودَانِهِ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِينَا صَاحِبًا لَنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَأَقْبَلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الْجِنِّ

(5256) जनाब मुहम्मद बिन अबू यहया रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने बयान किया कि वह और उनका एक साथी हज़रत अबू सईद(ﷺ) की एयादत के लिये गये। फिर हम उनके यहाँ से निकले तो हमें हमारा एक साथी मिला जो हज़रत अबू सईद (ﷺ) के यहाँ जा रहा था। चुनांचे हम आकर मस्जिद में बैठ गये तो हमारा वह साथी भी आ गया। उसने बताया कि उसने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से सुना है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'बिलाशुब्हा कई साँप जिन्न होते

हैं। चुनांचे जो कोई अपने घर में कुछ देखे तो चाहिए कि उसे तीन बार मुतनब्बा (खबरदार) करे, अगर वह फिर नज़र आये तो मार डाले। बिलाशुब्हा वह शैतान है।'

فَمَنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

(5256) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

(5257) हज़रत अबू साइब बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) की ख़िदमत में आया। मैं उनके पास बैठा हूआ था कि मैंने उनकी चारपाई के नीचे किसी चीज़ की सरसराहट महसूस की, मैंने देखा तो वह साँप था। चुनांचे मैं उठ कर खड़ा हो गया, तो हज़रत अबू सईद (ﷺ) ने पूछा: क्या है? मैंने कहा कि यहाँ साँप है। उन्होंने कहा: तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा कि उसे मारता हूँ। तो उन्होंने अपने घर के सामने एक मकान की तरफ़ इशारा किया और कहा: बेशक मेरा चचाज़ाद इसी मकान में रहता था। जंगे अहज़ाब के दिन उसने अपने घर आने की इजाज़त माँगी जबकि उसकी नई नई शादी हुई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको इजाज़त दे दी और फ़रमाया कि मुसल्लह होकर जाना। वह अपने घर आया तो देखा कि उसकी बीवी घर के दरवाज़े पर खड़ी है। चुनांचे उसने नेज़े से उसकी तरफ़ इशारा किया (मारने लगा) तो उसने कहा: जल्दी मत करो। पहले देख लो कि मुझे किस चीज़ ने बाहर निकाला है? (देख लो कि मैं बाहर क्यूँ निकली हूँ?) चुनांचे वह घर के अंदर गया तो देखा कि वहाँ एक बदसूरत साँप था। चुनांचे उसने अपना

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ صَيْفِيٍّ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، عِنْدَهُ سَمِعْتُ تَحْتَ، سَرِيرِهِ تَحْرِيكَ شَىْءٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَا لَكَ فَقُلْتُ حَيَّةٌ هَا هُنَا . قَالَ فَتُرِيدُ مَاذَا قُلْتُ أَقْتُلُهَا . فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي دَارِهِ تِلْقَاءَ بَيْتِهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِي كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِسِلاَحِهِ فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِي . فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ

تَرْتَكِضُ قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ أَوِ الْحَيَّةُ فَأَتَى قَوْمُهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ صَاحِبَنَا . فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ فَحَذِّرُوهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدُ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَعْدَ الثَّلاَثِ "

नेज़ा उसी में चुभो दिया और इसी तरह चुभोए हुए बाहर ले आया और साँप नेज़े के साथ तड़प रहा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि उनमें से पहले कौन मरा, वह आदमी या साँप? चुनांचे उसकी क़ौम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आई और उन्होंने कहा: दुआ फ़रमायें कि अल्लाह तआला हमारे इस आदमी को वापस (ज़िन्दा) कर दे। आपने फ़रमाया: 'अपने साथी के लिये बख़्शिश की दुआ करो।' फिर फ़रमाया: 'मदीना में कुछ जिन्न मुसलमान हूए हैं, तो जब तुम उनमें से किसी को देखो तो उसे तीन बार ख़बरदार करो। उसके बाद अगर क़त्ल करने का ख़याल हो तो तीसरी बार के बाद क़त्ल करो।'

(5257) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا قَالَ " فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " .

(5258) जनाब इब्ने अजलान ने ये हदीस़ इख़्तिसार से रिवायत की, कहा: 'उसे तीन बार ख़बरदार करे। उसके बाद अगर ज़ाहिर हो तो क़त्ल कर दे, बिलाशुब्हा वह शैतान है।'

तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236, पिछली हदीस़ देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ قَالَ

(5259) जनाब अबू साइब मौला हिशाम बिन ज़ोहरा से रिवायत है कि वह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) के यहाँ गये। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बल्कि उससे कामिल रिवायत किया। कहा: 'उसे तीन दिन तक मुतनब्बा (ख़बरदार) करो। अगर उसके बाद तुम्हारे सामने आये तो क़त्ल कर दो। बिलाशुब्हा वह शैतान है।'

" فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .

(5259) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ أَنْ لاَ تُؤْذُونَا فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ " .

(5260) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से घरों में पाये जाने वाले साँपों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जब तुम उनमें से किसी चीज़ को अपने घरों में देखो तो उनसे कहा: मैं तुम्हें वह क़सम देता हूँ जो हज़रत नूह अलैहि. ने तुम्हें दी थी। मैं तुम्हें वह क़सम देता हूँ जो हज़रत सुलेमान अलैहि. ने तुम्हें दी थी कि हमें किसी क़िस्म की ईज़ा न देना। अगर फिर भी वह निकलें (दिखाई दें) तो क़त्ल कर दो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 1485 हदीस: 752.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلاَّ الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ لِي إِنْسَانٌ الْجَانُّ لاَ يَنْعَرِجُ فِي مِشْيَتِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا صَحِيحًا كَانَتْ عَلاَمَةً فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

(5261) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया कि तमाम क़िस्म के साँपों को क़त्ल कर दिया करो। सिवाए उनके जो सफ़ेद चाँदी की छड़ी की मानिन्द हों।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुझे एक शख़्स ने बताया कि साँप की शक्ल में जिन्न अपने चलने में टेढ़ा होकर नहीं चलता है। अगर वह बिल्कुल सीधा चले तो इन्शाअल्लाह ये उसके जिन्न होने की अलामत होगी।

(5261) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद: 16/30.

फ़ायदा : रिवायत मौक़ूफ़ है। और इन्तेहाई सफ़ेद चमकदार साँप शायद मदीना मुनव्वरा से मख़्सूस हों और उनकी चाल से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जिन्न है या साँप?

बाब : 176
छिपकली (और गिरगिट) को मार देने का बयान

﴿176﴾

باب فِي قَتْلِ الأَوْزَاغِ

(5262) हज़रत आमिर बिन सअ़द अपने वालिद हज़रत सअ़द बिन अबू वक़्क़ास (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने छिपकली (और गिरगिट) को क़त्ल कर देने का हुक्म दिया है और उसे छोड़ना फ़ासिक़ बताया।' (तकलीफ़ देने वाला और नुक़सानदेह जानवर)

तख़रीज : मुसनद अहमद: 1/176, व सही मुस्लिम: 2238

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .

(5263) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने छिपकली (और गिरगिट) को पहली चोट में मारा उसके लिए इतना इतना सवाब है। और जिसने दूसरी चोट में मारा उसे इतना इतना सवाब है। यानी पहले से कम। और जिसने तीसरी चोट में मारा उसके लिए इतना इतना सवाब है। यानी दूसरी बार से भी कम।'

(5263) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2240.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الأَوَّلِ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ " .

(5264) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने छिपकली (या गिरगिट) को पहली ही चोट में मार दिया उसके लिए सत्तर नेकियाँ हैं।'

(5264) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2240.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، أَوْ أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً

फ़ायदा : ... छिपकली ... (जो कि घरों और जंगलों में होती है और गिरगिट उससे बड़ा हाता है) के मुताल्लिक़ आता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहि. पर आग फूँकने में शरीक थे। (सही बुख़ारी, हदीस: 3359, मुसनद अहमद: 6/220, व सही मुस्लिम: 2237) और वैसे भी ये बड़ा ज़हरीला जानवर है, इसलिए हमें इसको क़त्ल करने का हुक्म है। और चाहिए कि मुसलमान जुर्अतमंद और कामिल (सटीक) निशाने वाला हो। इसीलिए मज़कूरा सवाब का बयान हूआ है। और कुछ रिवायात में है कि पहली चोट में मार देने से सौ नेकियाँ मिलती हैं। (सही मुस्लिम: 2240)

﴾177﴿ باب في قتل الذر

बाब : 177
चींटियों को मारने का मसला

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً

(5265) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अम्बिया अलैहि. में से एक नबी किसी दरख़्त के नीचे उतरे तो एक चींटी ने उनको काट लिया तो उन्होंने उसके पूरे बिल को उसके नीचे से निकालने का हुक्म दिया और फिर हुक्म दिया और उन्हें जला दिया गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी तरफ़ वह्य की कि सिर्फ़ एक ही को क्यों न मारा (जिसने कि काटा था)'

तख़रीज : बुख़ारी: 3319, व सही मुस्लिम: 2241.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ

(5266) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने रिवायत किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक चींटी ने किसी नबी को काट लिया तो उन्होंने उनके पूरे बिल के मुताल्लिक़ हुक्म दिया और उसे जला डाला गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी तरफ़ वह्य की: क्या वजह हूई कि तुझे तो एक चींटी ने काटा था और तूने पूरी जमाअत को हलाक कर डाला जो

نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ " .

कि (अल्लाह की) तस्बीह करती थी?'

(5266) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3019, व स़ही मुस्लिम: 2241.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चींटियों को अल्लाह की तस्बीह करने वाली 'उम्मत' कहा गया है। वैसे भी अल्लाह की सब मख़्लूक़ उसकी तस्बीह करती है मगर उनका तस्बीह करना हमारी समझ में नहीं आता। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'सातों आसमान और ज़मीन की मख़्लूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं' (बनी इस्राईल: 44) **(2)** काटने वाली चींटी को अगर इंसान बतौर सज़ा मार डाले तो कुछ इजाज़त है वरना उ़मूमी तौर पर इजाज़त नहीं है। **(3)** जब एक चींटी को बिलावजह क़त्ल करना नाजायज़ है तो किसी स़ाहिबे ईमान आदमी का क़त्ल किस तरह जायज़ हो सकता है। **(4)** जब चींटियाँ किसी घर में बहुत ज़्यादा हो जायें और अज़ियत का बाइस़ हों तो किसी दवा वग़ैरह से हलाक करना जायज़ है। **(5)** हदीस़ में मज़कूर जिस किसी नबी का ज़िक्र आया है, वह ग़ालिबन इस मसले से आगाह नहीं थे इसीलिए उन्होंने ये काम किया।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ .

(5267) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने चार क़िस्म के जानवरों को क़त्ल करने से मना फ़रमाया है: चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा।

(5267) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3224, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 8415, मुसनद अहमद: 1/232, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1078.

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سَعْدٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا

(5268) जनाब अ़ब्दुर्रहमान अपने वालिद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। आप क़ज़ा–ए–हाजत के लिये गये, तो हमने एक चिड़िया देखी जिसके साथ दो बच्चे भी थे। हमने उसके बच्चे पकड़ लिये तो उनकी माँ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُعَرِّشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا " . وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ " مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ " . قُلْنَا نَحْنُ . قَالَ " إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ " .

अपने बच्चों पर गिरने लगी। नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये और पूछा: 'उसको उसके बच्चों से किसने परेशान किया है? उसके बच्चे उसको वापस कर दो ...' और आपने देखा कि चींटियों का एक बिल हमने जला डाला है। तो आपने पूछा: 'इसको किसने जलाया है?' हमने बताया कि हमने जलाया है। आपने फ़रमाया: 'आग के रब (अल्लाह तआला) के सिवा किसी को रवा नहीं कि किसी को आग से अज़ाब दे।'

(5268) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2675 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह की मख़्लूक़ को बिलावजह परेशान करना जायज़ नहीं, अलबत्ता ज़ीनत के लिये मारूफ़ जानवर पालना, उन्हें बाँधना और पिंजरों में बंद रखना जायज़ है। **(2)** चींटियों या किसी दूसरी मख़्लूक़ (इंसान हो या हैवान) को आग से जलाकर हलाक करना जायज़ नहीं।

﴾178﴿ بَابٌ فِي قَتْلِ الضِّفْدَعِ

बाब : 178 मैंढक को मारने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيبًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا .

(5269) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान (ﷺ) से रिवायत है कि एक मुआलिज ने नबी (ﷺ) से मैंढक के मुताल्लिक़ पूछा कि वह उसे किसी दवा में डालता है तो आपने उसे उसके क़त्ल करने से मना फ़रमाया।

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3871 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ कि उसका खाना हलाल नहीं है। और ये पानी के उन जानवरों में शुमार नहीं जिनका खाना हलाल है। (औनूल माबूद)

﴾179﴿ باب فِي الْخَذْفِ

बाब : 179 कंकरियाँ और पत्थर मारते फिरना

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ قَالَ " إِنَّهُ لاَ يَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ يَنْكَأُ عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ " .

(5270) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल(ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कंकरियाँ मारने से मना फ़रमाया है। आपने फ़रमाया: 'इससे किसी का शिकार नहीं होता, न कोई दुशमन ज़ख़्मी होता है, अलबत्ता किसी की आँख फूट सकती है, या दाँत टूट सकता है।'

(5270) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6220, व स़ही मुस्लिम: 1954.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बे मक़सद काम से हर मुसलमान को हमेशा दूर रहना चाहिए। बिलख़ुसूस बच्चों को देखा जाता है कि बिला मक़सद बैठे कंकरियाँ, पत्थर मारते रहते हैं, तो ये एक लग़्व (बेकार) और मुज़िर (तक़लीफ़देह) काम है, नोख़ैज़ बच्चों को उ़म्दा तरीक़े से समझाते रहना चाहिए ताकि उनकी सोच ख़ैर के आ़माल पर हो। **(2)** शिकार एक उ़म्दा मक़स़द है और इसी तरह मैदाने जिहाद में कुफ़्फ़ार को निशाना बनाना भी एक फ़ज़ीलत का अ़मल है। **(3)** निशाना बाज़ी की मश्क़ के लिए अगर ये काम करना हो तो किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ किसी के लिए कोई ज़रर (नुक़्सान) न हो। **(4)** अगर इस कारिस्तानी में किसी आ़क़िल बालिग़ से किसी की आँख फूट गई या दाँत टूट गया, तो दियत लाज़िम आयेगी।

﴾180﴿

باب مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ

बाब : 180
ख़त्ने का बयान

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الأَشْجَعِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.

(5271) हज़रत उम्मे अतिया अन्सारिया (ﷺ) से मरवी है कि मदीना में एक औरत थी जो ख़त्ने किया करती थी। तो नबी (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'ख़त्ना गहरा मत किया कर, क्योंकि इसमें औरत के लिये ज़्यादा लज़्ज़त और शौहर के लिये भी ये कैफ़ियत ज़्यादा पसन्दीदा होती है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि बवास्ता अब्दुल मलिक उबैदुल्लाह बिन अम्र से भी इसी के हम मानी और इसकी सनद से मरवी है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: और ये हदीस़ मज़बूत नहीं है। इसे मुर्सल भी रिवायत किया गया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: और मुहम्मद बिन हस्सान मजहूल है और हदीस़ ज़ईफ़ है।

(5271) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/324, बैहक़ी: 1247.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लामा अल्बानी (रह.) ने इस हदीस़ को सही लिखा है और कहा है कि सल्फ़ में औरतों का ख़त्ना, एक मारूफ़ अमल था। अलबत्ता उन लोगों ने इसका इंकार किया है, जिनको इसकी बाबत इल्म नहीं है। (अस्सहीहा, हदीस़: 722, 2/348) **(2)** अहले अरब और मग़रिब में मारूफ़ है कि वह लोग बच्चों के भी ख़त्ने करते थे। और ऊपर दी गई हदीस़ का ताल्लुक़ भी औरतों के ख़त्ने से है कि शर्मगाह पर बढ़ा हूआ गोश्त दूर किया जाये मगर उसे गहरा न काटा जाये। और उलमा का कहना है चूंकि मश्रिक़ और मग़रिब की औरतों में फ़ितरी तौर पर फ़र्क़ पाया गया है इसलिए मश्रिक़ की औरतों में इसकी ज़रूरत नहीं। इसलिए इन इलाक़ों में ये अमल ग़ैर मारूफ़ है।

(3) इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये अमल औरतों के लिये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जहाँ इसकी ज़रूरत महसूस हो, या वहाँ का मामूल हो, तो वहाँ इस पर अमल किया जा सकता है।

बाब : 181
रास्ते में औरतों का मर्दों के साथ मिलकर चलना

﴾181﴿ باب فِي مَشْيِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيقِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ " اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ " . فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .

(5272) जनाब हमज़ा अपने वालिद हज़रत अबू उसैद अन्सारी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने फ़रमाया जबकि आप मस्जिद से निकल रहे थे और मर्द औरतों के साथ बीच रास्ते में घुसकर चल रहे थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औरतों से फ़रमाया: 'पीछे पीछे रहो। तुम्हें मुनासिब नहीं कि रास्ते के बिल्कुल दरम्यान में चलो। बल्कि रास्ते (और गली) के किनारे पर चला करो।' चुनांचे औरत दीवार के साथ लग कर चला करती थी। यहाँ तक कि उसका कपड़ा दीवार के साथ अटक अटक जाता था। इसलिए कि वह दीवार के साथ लग कर चलती थी।

(5272) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अत्तारीख़ुल कबीर: 9/55, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1969.

फ़वाइद व मसाइल : (1) औरतों के लिये अदब ये है कि हमेशा मर्दों के पीछे चला करें। (2) रास्ते और गली में चलते हूए बिल्कुल दरम्यान में चलने की बजाये उसकी एक जानिब होकर चला करें। ये कैफ़ियत उनके बाहया और बा'वक़ार होने की अलामत है। ओर इसमें उनके लिए अमन भी है कि कोई बदमाश उनको परेशान नहीं कर सकता। (3) कुछ हज़रात ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है, देखिये (अस्सहीहा, हदीस: 721)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَمْشِيَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ .

(5273) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया कि कोई आदमी दो औरतों के दरम्यान होकर चले।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 4/280,

फ़ायदा : ये हदीस निहायत ज़ईफ़ है। ताहम ये वाज़ेह है कि मुसलमान मुआशरे में मर्दों और औरतों के हुक़ूक़ महफ़ूज़ और मोहतरम हैं। मर्दों को अदब सिखाया गया है कि औरतों का एहतिराम करें और अपने वक़ार का भी ख़्याल रखें। औरतें जा रही हों तो किसी तरह जायज़ नहीं कि आदमी उनके दरम्यान घुस जाये। मगर लाज़िम है कि औरतें भी शरई हिजाब और दीगर आदाब की पाबन्दी इख़्तियार करें जैसे कि ऊपर ज़िक्र हूआ है।

﴾182﴿
باب فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ

बाब : 182
आदमी का ज़माने को गाली देना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ " . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مَكَانَ سَعِيدٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(5274) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है कि आदम का बेटा मुझे दुख देता है, वह ज़माने को गाली देता है। हालांकि मैं ही ज़माना हूँ, मामला मेरे ही हाथ में है, रात और दिन को मैं ही फेरता हूँ।'

इब्ने सरह ने सनद में सईद की बजाये अन इब्ने अलमुसय्यब कहा (और वह एक ही शख़्सीयत है। यानी सईद बिन मुसय्यब)

(5274) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4826, व सही मुस्लिम: 2246.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दहर या' ज़माने को बुरा भला कहना नाजायज़ है। दहर या तो हमेशा से एक ही है, अलबत्ता लोग अपनी बद अमालियों को भूल कर ज़माने की तरफ़ निस्बत करने लगते हैं। **(2)** चूंकि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ज़माने का ख़ालिक़ और इसमें तग़य्युर व तबद्दुल (चैन्ज़िग) करने वाला है इस निस्बत से उसने अपने आपको 'दहर' से ताबीर फ़रमाया है। इस सबब के बावजूद ये कलिमा अल्लाह के अस्मा या सिफ़ात में से नहीं है।

सुनन अबू दाऊद का तर्जुमा और फ़वाइद मुकम्मल हूए

हम्द बेपायां उस अल्लाह रब्बुल आ़लमीन की जिसने दीने इस्लाम की नेमत से सरफ़राज़ फ़रमाया और फिर अपने प्यारे हबीब सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन हज़रत मुहम्मद(ﷺ) की सुन्नत की किसी क़द्र ख़िदमत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। जो सुनन अबू दाऊद के तर्जुमा व फ़वाइद की शक्ल में नाज़ेरीन के सामने है। ये सरासर अव्वल से आख़िर तक ख़ास़ उसी अलमन्नान का फ़ज़ल है। इसमें जो भी ख़ैर व ख़ूबी है वह सब उसी की तरफ़ से है।

मेरे मौला! अपने इस नाचीज़ बंदे की ये अदना सी कोशिश क़बूल फ़रमा और महशर के दिन अपने प्यारे हबीब (ﷺ) का साथ नसीब फ़रमा और उनकी शफ़ाअ़त का मुस्तहिक़ बना और इसमें जो भी ख़ता और भूल चूक है वह सब मेरी जहालत और नादानी है, उसे अपने ख़ास़ फ़ज़ल से माफ़ फ़रमा दे, बिलाशुब्हा तू बहुत ही माफ़ करने वाला है।

रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस्समीउल अ़लीम व तुब अ़लैना इन्नका अन्तत्तव्वाबुर्रहीम व सल्लल्लाहु अ़लन्नबी मुहम्मद व अ़ला आ़लिही व स़ह्बिही अ़ज्मईन.

अबू अ़म्मार उ़मर फ़ारूक़ बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अस्स़ईदी अस्स़लफ़ी

अल्हम्दुलिल्लाह! सुनन अबू दाऊद के तर्जुमा व फ़वाइद पर नज़रे स़ानी और तन्क़ीह व इज़ाफ़ा का काम रबीउस स़ानी 1425 हि. (मई 2004) में पाया-ए-तकमील को पहुँचा। अल्लाह तआ़ला मुअ़ल्लिफ़, मुतर्जिम, रूफ़्क़ा–ए–दारूस्सलाम, नाशिर, मनीजर और राक़िम सबको जज़ा-ए-ख़ैर अ़ता फ़रमाये और सबकी मेहनत व काविश क़बूल फ़रमाकर सब को उख़रवी अज्र व स़वाब से नवाज़े और इस किताब को लोगों की इस्लाह व हिदायत का ज़रिया बनाये। आमीन! या रब्बल आ़लमीन!

हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़

शौबा तहक़ीक़ व तस़नीफ़ व तर्जुमा